

अनुक्रमणिका/Index

01.	अनुक्रमणिका /Index	01
02.	क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल	06/07
03.	निर्णायक मण्डल	08
04.	प्रवक्ता साथी	10/11

(Science / विज्ञान)

05.	Estimation of Backscattering phase shifts in some cobalt (II) complexes using X-ray absorption Spectroscopy (Shikha Dwivedi, B. D. Shrivastava, S.K. Joshi, G.D. Gupta)	12
06.	Study on Eutrophication of Govindgarh Lake of Distt. Rewa, Madhya Pradesh (India) in reference to Fish and Fisheries (Suman Singh)	15
07.	Variation Of Fof2 During High Solar Activity For Solar Cycle 23..... (Arun Kumar Gautam, Devendra Kumar Warwade)	20
08.	<i>Syzygium cumini</i> : A Source of Anti-diabetic and other Traditional Medicinal Uses in Indian (V.K. Shakya)	24
09.	Environmental Effects on Public Health (Dr. Seema Bhola)	28
10.	Uses Of Ethno-Medicinal Plants To Diffent Diseases (Dr. Sarita Ghanghat)	31
11.	Antibacterial study of traditional Medicinal plant <i>Boswellia serrata</i> (M.L. Gangwal, Sharif Khan)	34
12.	NMR Spectroscopy (Dr. Neeraj Dubey)	36

(Home Science / गृह विज्ञान)

13.	शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी मानसिक निःशक्त बालक एवं बालिकाओं के आँखों के असामान्य कन्जेक्टिवा एवं असामान्य इडिमा की उपस्थिति , इडिमा की उपस्थिति एवं असामान्य बाह्य रूप के मध्य तथा इडिमा की उपस्थिति एवं रिफ्रेक्टिक परिवर्तन के मध्य सहसंबंध (डॉ. मोहिनी सकरगायें)	39
14.	हिन्दी सिनेमा में महिलाओं की बदलती छवि - कल और आज (डॉ. दीपशिखा पाण्डेय)	41
15.	पर्यावरण आंदोलन (डॉ. कलिका डोलस)	43

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

16.	An Evaluation of the Significance and Relevance of the reforms initiated by SEBI to Strengthen the capital market of India (Anindita Banerjee)	45
17.	Adoption of Telecom Services in Rural Areas : A comparative study between BSNL and Idea (Rupesh Pallav)	49

18.	A Study Of Corporate Social Responsibility Policy Of Jammu And Kashmir Bank Limited 53 - An- Introspection And Prospectus (Mohd Sultan Bhat, Youns Ahmad Shah, Dr. L. N. Sharma)	53
19.	The Performance Of The Agricultural Sector Influence The Growth Of The Indian 57 Economy Through Kisan Credit Card Scheme (Keerti Saxena, Dr. N.K. Patidar)	57
20.	Demonetization Of Currency Notes : Significance And Challenges (Dr. R. K. Gautam) 60	60
21.	E-Banking System In Banks (With special reference to SBI) 63 (Dr. P. K. Jain, Brajeshwari Mishra)	63
22.	Digital India - An Umbrella Programme Covering Many Visions & Departments 66 (Prof. Rajesh Jain)	66
23.	Global Economy - Challenges & Opportunities For India (Dr. Reena Gupta) 69	69
24.	The Role Of Banks Inthe Development Of Indian In Economy 72 (Smita Hajary, Dr. Pradeep Bajpayee)	72
25.	Understanding Various Aspects Of Self Employment (Dr. Jaya Sharma) 75	75
26.	मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन स्थिति का अध्ययन (राजेश मईड़ा) 77	77
27.	जैविक उर्वरक : मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु समय की मांग है (संध्या मिश्रा) 82	82
28.	म. प्र. में ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने में गाँव की बेटी योजना 86 का योगदान (डॉ. लक्ष्मण परवाल, गुंजन घोचा)	86
29.	उमरिया जिले की कोयला खानों में औद्योगिक विवाद के निवारण हेतु किए गए प्रयास एवं सामूहिक 89 सौदेबाजी का प्रभाव (डॉ. राजू रैदास)	89
30.	मानव संसाधन प्रबंध (प्रियंका द्विवेदी) 92	92
31.	जिला शाजापुर में बैंक द्वारा देय ऋण का हितग्राहियों के कृषि एवं आर्थिक विकास में योगदान 95 (जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शाजापुर के विशेष संदर्भ में) (डॉ. संजय बाणकर)	95
32.	धार जिले में क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति(वर्ष 2003-04 से 2010-11) 98 (डॉ. बी. एस. सिसोदिया)	98
33.	भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहकारी विपणन की भूमिका (डॉ. सीमा दुबे) 100	100

(Economics / अर्थशास्त्र)

34.	Emerging Trends of Hospitality Sector (Dr. Rajendra Kumar Sharma) 102	102
35.	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित वृहद एवं लघु योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन (असंगठित क्षेत्र में 104 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कामगार महिलाओं के विशेष संदर्भ में) (डॉ. प्रकाशचंद्र रांका, बनेसिंह वर्मा)	104
36.	कृषि यंत्रीकरण का रोजगार एवं उत्पादकता पर प्रभाव (छ.ग. के बिलासपुर संभाग के विशेष संदर्भ में) 107 (नोर्बेलता एक्का)	107
37.	‘महिला सफाई कामगारों में सामाजिक प्रावैगिकता का अध्ययन’ (धार जिले की कुक्षी तहसील के सन्दर्भ में) 110 (डॉ. प्रकाशचंद्र रांका, विजय यादव)	110

38. शहडोल जिले में फसलों का वर्गीकरण – एक अध्ययन (राजेश कुमार अहिरवार) 113
39. मध्यप्रदेश में जनजातीय समाज की विशेषताओं का विश्लेषण (डॉ. प्रकाशचंद्र रांका, हिरालाल खर्ते) 115

(Political Science / राजनीति विज्ञान)

40. सामाजिक न्याय और म.प्र. सरकार की विभिन्न योजनाएं (डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह) 117
41. भारतीय संविधान में दिव्यांगों के लिए प्रावधान – एक अध्ययन (डॉ. मनीष चौधरी) 119
42. डॉ. भीमराव अम्बेडकर के दार्शनिक विचारों का अध्ययन (डॉ. पी. के. चतुर्वेदी) 121

(History / इतिहास)

43. Role Of Rao Tula Ram In Revolt Of 1857 In Haryana (Dr. Bhup Singh Balhara) 122
44. सन्त नन्दलाल की गुरु भक्ति और उनकी प्रमुख शिक्षाएं (डॉ. मधुसूदन चौबे) 124
45. भारतीय पुनर्जागरण पर रामकृष्ण का प्रभाव (डॉ. अजय आचार्य) 126
46. अनामी सम्प्रदाय के सन्त दशरथ (डॉ. मधुसूदन चौबे) 129

(Sociology / समाजशास्त्र)

47. पंचायती राज व्यवस्था में जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका (संध्या बैरागी) 130
48. उत्तम स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक उत्थान में विपश्यना ध्यान का महत्व (डॉ. ऋचा एस. मेहता) 133
49. कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध (सामाजशास्त्रीय विश्लेषण) (डॉ. रश्मि दुबे) 135
50. जनजातियों में गोदना परम्परा (डॉ. रंजीता वास्केल) 137

(Geography / भूगोल)

51. बिलासपुर जिले में निःशक्त जनसंख्या का स्थानिक वितरण (डॉ. काजल मोइत्रा, प्राची यादव, संजीत किसकू) 139

(Psychology / मनोविज्ञान)

52. लिव इन रिलेशनशिप का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण (ज्योत्स्ना झारिया) 142

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

53. बहुआयामी रचनाकार मुक्तिबोध का सृजनात्मक संघर्ष (डॉ. उमा त्रिपाठी) 144
54. हिन्दी पत्रकारिता और महिला (डॉ. अमित शुक्ल) 147

55. संविधान-शिल्पी : डॉ. अम्बेडकर (डॉ. रमेश कुमार टण्डन)	150
56. जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन (डॉ. गणेश लाल जैन, कमलेश कुमार बैरागी)	153
57. नयी कविता का स्वरूप (डॉ. रविशंकर पटेल)	156
58. संगीत और चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में महादेवी वर्मा के गीत (डॉ. इला द्विवेदी)	159
59. मन्नू भण्डारी का लेखन (डॉ. गीता तिवारी)	162
60. डॉ. नरेन्द्र कोहली के रामकथा आधारित उपन्यासों में मूल्य - बोध (डॉ. मंजू देवी मिश्रा)	164
61. यशपाल के उपन्यासों में सामाजिक मूल्य (डॉ. सनकादिक लाल मिश्र)	166
62. कबीर की सार्थकता - वर्तमान परिप्रेक्ष्य में (डॉ. रेखा)	168
63. भीली लोकोक्तियों का अनुशीलन (डॉ. मीरा जामोद)	170
64. संजा का ऐतिहासिक पक्ष (डॉ. मेघा निशान्त शर्मा)	172
65. डिण्डौरी जिले की जनजातीय निवासियों के संस्कारों का अध्ययन (जन्म, विवाह, एवं मृत्यु संस्कार	174
के विशेष संदर्भ में) (डॉ. अर्चना जायसवाल)	

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

66. Importance Of The Holy River Narmada In The Development Of Folk Literature Of Madhya Pradesh (Sehba Jafri)	177
67. Woman As A Scapegoat In Vijay Tendulkar's Silence ! The Court Is In Session (Dr. Swati Chandorkar)	180

(Drawing & Design / चित्रकला)

68. रवींद्रनाथ टैगोर और चित्रात्मक रूप संपदा (डॉ. शालिनी रानी)	182
69. नमदा हस्तशिल्प : टोंक के विशेष संदर्भ में (शर्मिला गुर्जर, प्रो.हिमाद्री घोष)	186
70. कलाकार विनय शर्मा एक साक्षात्कार (अमिता देवी)	189

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

71. A Study Of Impact Of Forearm Length On Performance Of Basketball Players (Dr. Ashok Saha, Gaurang Nare, Dr. Jogendra Singh)	191
72. Nutrition For Adolescent Cricket Players - Basic And During Match (Dr. B. K. Choudhary, Gaurav Sharma)	193
73. Effect Of Sports Specific Endurance Circuit Training On Sprinting Performance And Leg Explosive Power Of Inter College Male Basketball Players During Competitive (Dr. Jogendra Singh, Manoj Kumar Singh)	196

74. आजादी के बाद भारत के महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का विकास (डॉ. कौशल कुमार मिश्रा)	198
--	-----

(Law/ विधि)

75. A Critical Study On Patent Rights In India (Loknarayan Mishra)	200
76. रैगिंग की ऐतिहासिक अवधारणा एवं वर्तमान स्वरूप (पूजा नागर)	202

(Education / शिक्षा)

77. शैक्षिक विकास के परिपेक्ष्य में जन शिक्षा केंद्रों में जन शिक्षकों की समस्याओं की भूमिका का अध्ययन (मन्दसौर जिले के संदर्भ) (डॉ. जयदीप महार, मनीष राठौर)	204
78. शिक्षक – प्रशिक्षण महाविद्यालय के विद्यार्थियों की जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन (कविता पारीक)	207
79. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन (सुमन रानी)	209
80. शैक्षिक तकनीकी – अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं शिक्षक के लिए उपयोगिता (नीरज शर्मा, डॉ. किरण पारीक)	211

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

- (01) डॉ. मनीषा ठाकुर फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
- (02) श्री अशोककुमार एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
- (03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्सू वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया
- (04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल
- (05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
- (06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
- (07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
- (08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
- (10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
- (11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
- (12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
- (13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुडगांव (हरियाणा) भारत
- (14) प्रो. डॉ. संजय खरे प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
- (15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
- (16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
- (17) प्रो. अखिलेश जाधव प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
- (18) प्रो. डॉ. कमल जैन प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
- (19) प्रो. डॉ. डी.एन. खड़से प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
- (20) प्रो.डॉ. वन्दना जैन प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
- (21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
- (22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरु (कर्ना.) भारत
- (24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
- (25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
- (26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
- (27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
- (28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
- (29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
- (30) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
- (31) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
- (32) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता पूर्व अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (33) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़ अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
- (34) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
- (35) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
- (36) प्रो.डॉ. के.एल. साहू प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
- (37) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत
- (38) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

- (01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बेंगलुरु (कर्नाटक) भारत
- (02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत निदेशक, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत
- (03) प्रो. डॉ. संजय जैन पूर्व सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत
- (04) प्रो. डॉ. एस.के. जोशी प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
- (05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
- (06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
- (07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
- (08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
- (09) प्रो. डॉ. आर.के. भट्ट प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
- (10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.) भारत
- (12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
- (13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
- (14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत
- (15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
- (16) प्रो. डॉ. ए.के. चौधरी प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
- (17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत
- (18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा प्राध्यापक, प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
- (19) प्रो. डॉ. के. के. श्रीवास्तव प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
- (20) प्रो. डॉ. कान्ता अलावा प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
- (21) प्रो. डॉ. एस. के. जैन प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
- (22) प्रो. डॉ. किशन यादव एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शोध केन्द्र, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी (उ.प्र.) भारत
- (23) प्रो. डॉ. बी.आर.नलवाया प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
- (24) प्रो. डॉ. नटवरलाल गुप्ता अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
- (25) प्रो. डॉ. पुरुषोत्तम गौतम संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
- (26) प्रो. डॉ. एस. सी. मेहता प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, शासकीय भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्***** विज्ञान संकाय *****

- गणित:- (1) प्रो. डॉ. वी.के. गुप्ता, संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)
- भौतिकी:- (1) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नीरज दुबे, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- कम्प्यूटर विज्ञान:- (1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह, अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
- रसायन:- (1) प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
- वनस्पति:- (1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(2) प्रो. डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
- प्राणिकी:- (1) प्रो. डॉ. मंजुलता शर्मा, एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
- सांख्यिकी:- (1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
- सैन्य विज्ञान:- (1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
- जीव रसायन:- (1) डॉ. कंचन डींगरा, शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
- भूगर्भ शास्त्र:- (1) प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सुयश कुमार, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
- चिकित्सा विज्ञान:- (1) डॉ. एच.जी. वरुधकर, आर.डी. गारडी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
- सूक्ष्म जीव विज्ञान:- (1) अनुराग झैवेरी, बायो केयर रिसर्च (आई) प्रा.लि., अहमदाबाद (गुजरात)

***** वाणिज्य संकाय *****

- वाणिज्य :- (1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन, शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

***** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय *****

- प्रबंध :- (1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- मानव संसाधन:- (1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)
- व्यवसाय प्रशासन:- (1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

***** विधि संकाय *****

- विधि:- (1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा, प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

***** कला संकाय *****

- अर्थशास्त्र:- (1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका, श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. अंजना जैन, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)
- राजनीति:- (1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अनिल जैन, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
- दर्शनशास्त्र:- (1) प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

- समाजशास्त्र:- (1) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन, शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. उमा लवानिया, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)
- हिन्दी:- (1) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) प्रो. डॉ. कला जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
- अंग्रेजी:- (1) प्रो. डॉ. अजय भार्गव, शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मंजरी अग्रिहोत्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
- संस्कृत:- (1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव, शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)
- इतिहास:- (1) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- भूगोल:- (1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव, शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. काजल मोड्रा, डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- मनोविज्ञान:- (1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा, प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
- चित्रकला:- (1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
- संगीत:- (1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक), स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

*** गृह विज्ञान संकाय ***

- आहार एवं पोषण विज्ञान:- (1) प्रो. डॉ. प्रगति देसाई, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- मानव विकास:- (1) प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर, अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
- पारिवारिक संसाधन प्रबंध:- ... (1) प्रो. डॉ. मंजु शर्मा, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

*** शिक्षा संकाय ***

- शिक्षा (1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर, महींद्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बैंगलुरु (कर्नाटक)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. नीना अनेजा, प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खन्ना (पंजाब)
(4) प्रो. डॉ. सतीश गिल, शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिगाँव, फरीदाबाद (हरियाणा)

*** आर्किटेक्चर संकाय ***

- शारीरिक शिक्षा (1) प्रो. किरण पी. शिंदे, प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

*** शारीरिक शिक्षा संकाय ***

- शारीरिक शिक्षा (1) प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला, अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

*** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ***

- ग्रन्थालय विज्ञान (1) डॉ. अनिल सिरौठिया, शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद)

- (01) प्रो. डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
- (02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
- (03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
- (04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
- (05) श्री आशीष द्विवेदी शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
- (06) प्रो. डॉ. मनोज महाजन शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
- (07) श्री उमेश शर्मा कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला- नीमच (म.प्र.)
- (08) प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
- (09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
- (10) प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित जैन कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
- (11) प्रो. डॉ. एन.के. पाटीदार शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
- (12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
- (13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
- (14) प्रो. डॉ. अभय पाठक शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
- (15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
- (16) प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
- (17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
- (18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
- (19) प्रो. डॉ. कमला चौहान शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
- (20) प्रो. डॉ. आभा दीक्षित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
- (21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
- (22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
- (23) प्रो. डॉ. अनिता गगराडे शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
- (24) प्रो. डॉ. संजय पंडित शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
- (25) प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
- (26) प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
- (27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
- (28) प्रो. डॉ. भारती जोशी आजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
- (29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
- (30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट शासकीय एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
- (31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
- (32) प्रो. डॉ. मीना मटकर सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
- (33) प्रो. मोहन वास्केल शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला - झाबुआ (म.प्र.)
- (34) प्रो. डॉ. नितिन सहारिया शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
- (35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
- (36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरेशी शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
- (37) प्रो. डॉ. शैल बाला सांधी महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
- (38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
- (39) प्रो. डॉ. ओमप्रकाश शर्मा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
- (40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
- (41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
- (42) प्रो. डॉ. हेमलता चौहान शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
- (43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
- (44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
- (45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
- (46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
- (47) प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

- (48) प्रो. डॉ. बी. एस. सिसोदिया शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
- (49) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)
- (50) डॉ. राजेश कुमार शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.)
- (51) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
- (52) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
- (53) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)
- (54) प्रो. युवराज श्रीवास्तव सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा-बिलासपुर (छ.ग.)
- (55) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
- (56) प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
- (57) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
- (58) प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर-मालवा (म.प्र.)
- (59) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी शासकीय महाविद्यालय, सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
- (60) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
- (61) डॉ. सुरेश कुमार विमल शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
- (62) प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- (63) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
- (64) प्रो. डॉ. ए.के. जैन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
- (65) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
- (66) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
- (67) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
- (68) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
- (69) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.)
- (70) प्रो. डॉ. विष्मि बहल शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला - शाजापुर (म.प्र.)
- (71) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
- (72) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला-शाजापुर (म.प्र.)
- (73) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा शासकीय महाविद्यालय, नई गद्दी, जिला- रीवा (म.प्र.)
- (74) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
- (75) प्रो. डॉ. जया शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
- (76) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी शासकीय महाविद्यालय, नेपालगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
- (77) प्रो. डॉ. इशरत खान शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
- (78) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
- (79) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
- (80) प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
- (81) प्रो. डॉ. रेणु राजेश शासकीय नेहरु अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
- (82) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
- (83) प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
- (84) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
- (85) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
- (86) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
- (87) प्रो. अपराजीता भार्गव अध्यापक, आर. डी. पब्लिक स्कूल, बैतूल (म.प्र.) भारत
- (88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
- (89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
- (90) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ राजकीय राजर्षि महाविद्यालय अलवर (राज.)
- (91) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख एस.एस.जी. पारीख स्नातकोत्तर कॉलेज, जयपुर (राज.)
- (92) प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिराहा पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
- (93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला- प्रतापगढ़ (राज.)
- (94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
- (95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल शोध सलाहकार, नई दिल्ली
- (96) प्रो. डॉ. कविता भदौरिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

Estimation of Backscattering phase shifts in some cobalt (II) complexes using X-ray absorption Spectroscopy

Shikha Dwivedi * B. D. Shrivastava ** S.K. Joshi *** G.D. Gupta****

Abstract - X-ray K-absorption EXAFS (extended X-ray absorption fine structure) data for five Cobalt (II) Complexes with ethylenediamine tetra acetic acid as a common ligand have been analysed. The studies reveal that the contribution of backscattering phase shift to the total phase shift varies with the change in ligands surrounding the central metal ion cobalt. These studies indicate that the effect of second coordination shell dominates the total phase shift.

Key words - X-ray K-absorption, cobalt(II) complexes, backscattering phase shift.

Introduction - An important feature of the X-ray absorption spectrum is the fine structure, i.e., the fluctuations in intensity observed on the high energy side of the X-ray absorption edge. X-ray absorption fine structure is divided into two parts. The fine structure near the edge up to 50 eV is called X-ray absorption near edge structure (XANES). The structure extending over several hundred electron volts beyond the XANES region, is called extended X-ray absorption fine structure (EXAFS). The phenomenon of EXAFS is dominated by photoelectron absorption where the photon is completely absorbed, transferring its energy to excite a photoelectron and leaving behind a core hole in the atom. Assuming that all the absorbed photon's energy goes into exciting a single core electron, the kinetic energy of the excited photoelectron is given by the difference between the photon energy and the electron's binding energy in the atom. The final state photoelectron is modified to first order by a single scattering from each surrounding atom. For an isolated atom the photoelectron can be represented as an outgoing wave. The surrounding atoms will scatter the outgoing waves. The final state is the superposition of the outgoing and scattered waves. The back-scattered waves will add or subtract from the outgoing wave at the centers depending on their relative phase¹. The total amplitude of the electron wave function will be enhanced or reduced, respectively, thus modifying the probability of absorption of the X-rays correspondingly. As the energy of the photoelectron varies, its wavelength varies changing the relative phase. The EXAFS peaks (maxima) correspond to the backscattered wave being in phase with the outgoing part while the valleys (minima) appear when the two are out of phase. The complexes studied in the present investigation are: Co(II)(EDTA)(en)₂(I); Co(II)

(EDTA)(OAc)(II); Co(II)(EDTA)(III); Co(II)(EDTA)(gly)(IV); Co(II)(EDTA)(NO₂)₂(V).

Experimental - In an earlier publication² from our laboratory only chemical shifts and edge widths have been reported for these samples. In that communication, the XANES features have also been reported.

Experimental details for the X-ray spectroscopic set up have been reported earlier². The present communication deals with the calculation of total phase shift δ_1 of the cobalt (II) complexes with ethylenediamine tetra acetic acid using X-ray absorption spectral studies. The variation of the phase with the wavelength of the photoelectron depends on the distance between the central atom and backscattering atom. The variation of the backscattering strength as a function of energy of the photoelectron depends on the type of atom doing the backscattering. Thus the studies yield useful information about the surroundings of the central metal atom.

Results and Discussion - The values of the energies of the maxima and minima of the EXAFS are collected in Table 1. In Table 2, we have reported the average metal-ligand bond lengths as obtained by Levy's method³ and modified LSS graphical method^{4,5}. In Table 3, total phase shifts

δ_1 have been reported for these cobalt (II) complexes. It is well known that the sine term in the EXAFS equation determines its periodicity. Several attempts have been made to determine phase shifts theoretically. The total phase shift (δ_1) were estimated from the following expression.

$$\delta_1 = -\alpha_1 k + \beta_1 - \pi/2 \quad (1)$$

The procedure adopted for estimating the back scattering phase shifts have been reported by us elsewhere⁶. The

*School of Studies in Physics, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** School of Studies in Physics, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

*** Physics Department, Government P.G. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) INDIA

**** Physics Department, Government Autonomous P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

total phase shifts given by Eq. (1) may be compared with the theoretical phase shifts by Teo and coworkers

$$Q_{ab} = Q_a(k) + Q_b(k) - \pi \quad (2)$$

This comparison indicates that the phase parameter $2k\alpha_1$ resembles Q_a , the phase shift due to central atom, while the phase parameter $2\beta_1$ resembles Q_b , the backscattering phase shift. The values of δ_1 when plotted against the wave vector k give a curve similar in character to the theoretical curves obtained by McKaleet *al.*

It has usually been assumed that the total phase shift for compounds belonging to given system should be the same. However, this is not the case. We observed that the δ_1 versus k curves (Fig. 1) are different for the five complexes. The δ_1 versus k plots are straight lines nearly parallel to each other suggesting a linear variation between the total phase shift δ_1 and k .

The sequence of variation of β_1 amongst the presently studied complexes is IV(-1.70)>V(-1.45)>III(-1.30)>I(-1.25)>II(-0.85). Our backscattering phase shift values also indicate that a systematic change in the environment around central metal ion is responsible for the different values of β_1 . Further the magnitude of these shifts depend on the nature and distance of the scatterer from the central metal ion. The variation in the average metal ligand bond distances as seen in Table 2 for the different complexes is small and this indicates that around the central metal cobalt ion, the variation in the back scattering contribution from the nearest neighbours is small.

Estimation of back scattering phase shift indicates different values of β_1 . This indicates that the environment of the second coordination shell about the central metal ion cobalt is different in each case. This is obvious as though ethylenediamine tetra acetic acid (EDTA) remains as a common ligand in all the five complexes, the other ligand involved systematically changes. The contribution of the back scattering phase shift to the total phase shift δ_1 being different in case of each sample, we get five different straight lines for δ_1 versus k variation. A close perusal of the data on total phase shift δ_1 in the energy range below 120eV shows the sequence of variation as: IV(-4.96)>V(-4.68)>I(-4.61)>III(-4.57)>II(-4.12). This energy range is normally supposed to be responsible for the contribution from first coordination shell. Further in the energy range 220-280eV the sequence of variation for the total shift δ_1 is: IV(-5.60)>I(-5.45)>V(-5.39)>III(-5.36)>II(-5.07). If we compare the above two sequences then it is obvious that in the region of energy range 220-280eV the sequence shows a change in place of I and V complex. Physically it means the contribution of backscattering changes due to second coordination shell. It is not possible to estimate the individual

contribution of a neighboring scatterer. These studies indicate that the effect of second coordination shell also dominates the total phase shift. Khadikar and coworkers used phase shifts for the study of the effect of counter ions on X-ray absorption discontinuity. Modified LSS method for the determination of the total phase shift δ_1 has also been applied in case of ternary compounds by other researchers.

Conclusion - The present method of phase shift determination using the graphical technique is simple. The above analysis provides a physical picture of the X-ray absorption process. This method may be used for studying systems such as amorphous materials, metallic glasses and bio-molecules in which a knowledge of the environment of atom is desired.

(Table 1, 2 & 3 see in next page)

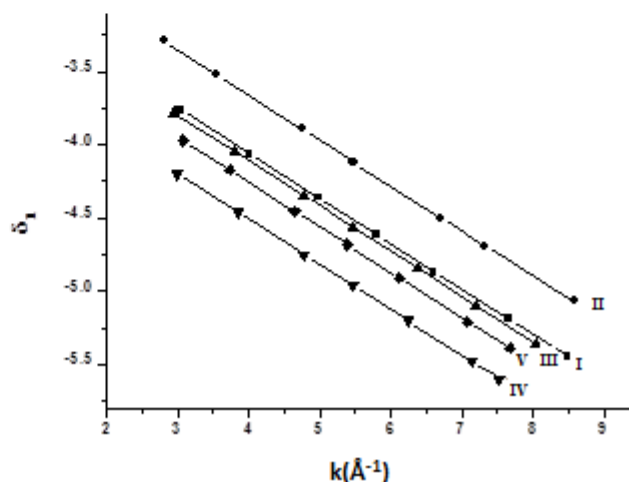


Fig.1 variation of total phase shift δ_1 with wave vector k for cobalt (II) complexes

References :-

- 1 Koningsberger D C & Prins, R (Eds) (1988) *X-ray Absorption: Principles, Applications, Techniques of EXAFS, SEXAFS and XANES* (John Wiley, New York).
- 2 Shrivastava B D, Gupta G D, Joshi S K & Solanki S K (1995) *Ind. J. Chem* **34A** :191.
- 3 Levy R M (1965) *J Chem Phys*, **43**:1846.
- 4 Stern E A, Sayers D E & Lytle F W (1975) *Phys Rev B*, **11**:4836.
- 5 Lytle F W, Sayers D E & Stern E A (1975) *Phys Rev B*, **11**:4825.
- 6 Teo B K & Lee P A (1979) *J Am Chem Soc*, **101**:2815.
- 7 Teo B K, Eisenberger P, Reed J, Barton J K & Lippard S J (1978) *J. Am. Chem. Soc.* **100** :2375.
- 8 McKale A G, Veal B W, Paulikas A P, Chan S K & Knapp G S (1988) *J. Am. Chem. Soc.* **110** :3763.
- 9 Gupta R D, Joshi S K, Shrivastava B D, Shah M C & Prasad J (2005) *Natl. Acad. Sci. Lett.* **28**(1-2):39.
- 10 Khadikar P V, Joshi S, Mangalson N F & Silk J E (1994) *X-Ray Spectrom.* **23**:137.
- 11 Deshpande A P & Mande C (1986) *Proc. Nat. Acad. Sci. India Sec. A* **56**:77.

Table 1:- Positions of maxima ($n = 0,2,4,\dots$) and minima ($n = 1,3,5,\dots$) and the values of wave vector k for cobalt(II) complexes.

structure	n	Complex Number				
		I	II	III	IV	V
A	0 E(eV) k($\text{\AA}^{-1}$)	8.1 1.46	4.3 1.06	5.6 1.21	6.7 1.33	6.7 1.33
α	1 E(eV) k($\text{\AA}^{-1}$)	35 3.03	30 2.80	33 2.94	34 2.99	36 3.07
B	2 E(eV) k($\text{\AA}^{-1}$)	61 4.00	48 3.55	55 3.80	56 3.84	53 3.73
β	3 E(eV) k($\text{\AA}^{-1}$)	94 4.97	86 4.75	87 4.78	87 4.78	82 4.64
C	4 E(eV) k($\text{\AA}^{-1}$)	128 5.80	114 5.47	114 5.47	114 5.47	110 5.38
γ	5 E(eV) k($\text{\AA}^{-1}$)	166 6.60	171 6.70	155 6.38	148 6.24	142 6.11
D	6 E(eV) k($\text{\AA}^{-1}$)	223 7.66	204 7.32	197 7.20	194 7.14	190 7.07
δ	7 E(eV) k($\text{\AA}^{-1}$)	274 8.49	280 8.58	246 8.04	215 7.52	224 7.67

Table 2:- The Estimated average bond distance ($\text{\AA}$), bonding parameters (α_1) and phase shift parameters (β_1) for cobalt (II) complexes.

Complexes	R^* ($\pm 0.1\text{\AA}$) Levy's method	($R_1 - \alpha_1$)	slope	α_1 central atom phase shift	β_1 Back scattering phase shift	R_1 ($\pm 0.1\text{\AA}$) LSS method
I	2.14	1.74	1.10	0.31	-1.25	2.05
II	1.99	1.56	0.99	0.31	-0.85	1.87
III	2.17	1.85	1.17	0.31	-1.30	2.16
IV	2.20	1.88	1.19	0.31	-1.70	2.19
V	2.28	1.91	1.21	0.31	-1.45	2.22

For α_1 reference-Joshi S K, *Ph D Thesis (Unpublished)* Vikram University, Ujjain (1986).**Table 3:- The estimated total phase shifts (δ_1) for cobalt (II) complexes.**

Structure	Complexes				
	I	II	III	IV	V
A	-3.27	-2.75	-3.25	-3.68	-3.43
α	-3.76	-3.29	-3.78	-4.20	-3.97
B	-4.06	-3.52	-4.05	-4.46	-4.17
β	-4.36	-3.89	-4.35	-4.75	-4.45
C	-4.61	-4.12	-4.57	-4.96	-4.68
γ	-4.87	-4.50	-4.84	-5.20	-4.91
D	-5.19	-4.69	-5.10	-5.48	-5.21
δ	-5.45	-5.07	-5.36	-5.60	-5.39

Study on Eutrophication of Govindgarh Lake of Distt. Rewa, Madhya Pradesh (India) in reference to Fish and Fisheries

Suman Singh *

Abstract - This study has been performed for 2014- 2015 for trophic status of Govindgarh lake of Dist. Rewa, Madhya Pradesh, India (24° 24'N and 81° 15'E). Fish catch statistics reveals fluctuations in yield with an average of 15.92 kg /ha. Nitrate 2.8-6.32 mg/l, phosphate 1.85 to 4.35 mg/l and Chloride was 57.18-92.28. Range of BOD was 3.2 to 5.8 and COD 13.2 to 44.4, GPP 5.72 gCm³d⁻¹ – 6.24 g Cm³d⁻¹. Abundance of Spp. of *Azolla*, *Myriophyllum*, *Hydrilla*, *Ceratophyllum*, *Potamogeton*, *Potamogeton* (Spp. of *Oscillatoria*, *Anabaena*, *Nostoc*) is indicative of nutrient loading causing change in planktonic primary productivity and impact on fish fauna and fish yield.

Introduction - The fisheries sector could become a basis for economic growth and the creation of alternative livelihoods in many countries. Significant study in reference to physio-chemical parameters, primary productivity and secondary productivity of this lake has been performed by Mathew (1975). Presently profuse aquatic weeds were seen in the lake indicating degradation of quality of water of the lake. So study for nutrients loading and primary and secondary productivity especially for fish and fisheries has been carried out for 2014-15.

Material and Methodology - Govindgarh Lake having catchment of 25.12 km² from the adjoining Kaimur ranges receiving about 111 cm yr⁻¹ of rain is situated 18 km South of Rewa (Plate -1 &2). For hydrobiological characteristics, samples collected from selected sampling sites (S1, S2, S3, S4 and S5, Plate1) were analysed following Standard methods (Adoni, 1985; Trivedi and Goel, 1986; Needham and Needham, 1972; Edmondson, 1992) and for macrophytes, according to Bhatnagar (1984), Dutta Munshi and Datta Munshi (2006) and fish according to Jayram (1999) and Shrivastva (1998), Jhingran et.al (1969), Talwar and Jhingran (1991) and Menon (1995).

Result and Discussion

Water Analysis - (Fig-1)

Depth - Range of depth of the lake was 20.19-26.37 m 20.87-25.69 m with mean value of 23.78 m in different seasons. Range of depth was suitable for fisheries in the category of small reservoir.

Temperature - Mean of water temperature was 25.3°C, minimum being 19.7°C in Dec and maximum was 33.7°C in May with mean value of 25.9°C. Range of temperature 28-32°C is congenial for optimal growth of fish tropical water.

Transparency - It was in productive range (55.71). High level of turbidity affects the photosynthetic process and thereby the potential yield of the lake (Gorai, 1999)

Specific Conductivity - It was 244-317 μ mhos with mean value of 280 mhos for study period. It was productive range of water body.

pH: It was in the range of 6.72-8.22 with mean value of 7.66. The medium was always towards alkaline range (7.03-7.81). Finding for pH was according to Datta Munshi (2005) Gorai (1999).

Dissolved Oxygen - Mean of DO was 5.61-8.12 and 6.01-8.42 mg l⁻¹ with mean value of 7.01 mg l⁻¹ to 7.21 mg l⁻¹. It is suitable for fish growth and it was well above the minimum required amount (i.e.5 mg l⁻¹).

Free Carbon Dioxide - Free Carbon di-oxide was in between 3.04-8.98 mg l⁻¹ with mean value of 3.07 mg l⁻¹ to 3.80 mg/l 0.84 to 1.86 in summer probably due to photosynthetic activity of vegetation of the lake.

Alkalinity - Its value ranged between 121.11-173.89 mg l⁻¹ with mean value of 144.62 mg l⁻¹. It was suitable range (100-400 mg/l) and was maximum 142.57 to 154.12 mg /l in the monsoon probably due to influx of water from catchment area.

Total Hardness - It was 51.75-82.35 mg l⁻¹ with mean value of 67.50 mg l⁻¹. Total hardness for fish and fisheries generally comes in the range of 20-300 mg l⁻¹ (Boyd, 1982). So water of lake was in productive range.

Nitrate - Nitrate was between 1.82 to 3.32 mg/l with maximum 2.14 to 4.32 mg/l in summer and minimum 1.35 to 1.58 mg/l in winter probably due to its utilisation in post monsoon by abundant phytoplankton and profuse macrophytes. In plants and animals 1 to 10 per cent of dry weight reflects the availability of nitrogen in the system to some extent (Goldman and Horne, 1983). So water of the lake was in productive range.

Total Dissolved Solids - Range of TDS was minimum 408.2 mg/l in December and maximum 501.2 mg/l in summer. It was due to higher value of inorganic and organic

nutrients and higher percentage of plankton which indicate eutrophication in the lake. Finding was supported by study of Sondargaard et.al. (2012).

Phosphate - Range of phosphate was 1.45-3.25 mg/l⁻¹ for different study. Sudden increase in orthophosphate in lake water stimulated great increase the growth of aquatic plants causing algal blooms and heavy manifestation of macrophytes (Fig1).

Chloride - It was in range of 31.67 to 98.02 in summer and minimum 27.02 to 32.43 mg/l in monsoon. High concentration was due to municipal discharge and influx of detergent in the water of the lake by local people. Study gets support with findings of Helen et.al. 2011. It was with positive correlation with nitrate, phosphate and temperature.

Silicate –Silica - It was in between 12.21-16.93 mg/l⁻¹ with mean value of 14.57 mg/l⁻¹ and It gets support by study of Sinha and Jha (1997).

BOD & COD - Range of BOD was 6.31-8.23 mg/l⁻¹ with mean value of 7.26 mg/l⁻¹ and COD was in range of 38.2-48.9 mg/l⁻¹. COD (min. 12.8 in winters, max.44.6mg/l in summer) indicates pollution in the water due to influx of municipal drainage. The study of Sagar Lake has also shown that higher level of eutrophication led to decrease in DO value (Pathak, 2012).

Eutrophication(Plate1)Range of nitrate phosphate, BOD and COD along with abundance of macrophytes was indication of quality of water towards eutrophication. Findings get support with study by Helen and Paneerselvam (2008) and Pathak and Pathak (2012).

Plankton - Percentage composition of phytoplankton was 73- 80% in different seasons comprising Bacillariophyceae (35.12-%) followed by Chlorophyceae (28.21%), Cynophyceae (13.35%) and Dinophyceae (3.56%) and 17-20% was zooplankton as Protozoa (2.11%), Rotifera (6.21%), Copepoda (5.43%) and Cladocera (4.54 %). 60 species of phytoplankton and 27 species for zooplankton was recorded. Phyto, 60; Chlorophyceae-30; Bacillariophyceae, 16; Cynophyceae, 11; Dinophyceae, 3 Zooplankton, protozoan, 5; Rotifera, Cladocera ,6; Copepoda, 7 were recorded with abundant algal blooms with variation of species in different seasons. The community size of plankton population in the lake fluctuated in the range of 1669-2278 unit litre⁻¹ with 0.356 gCm⁻³ d⁻¹ GPP (Table1, Fig.1)

Macrophyte - The macrophytes play a significant role in primary productivity in lake aquatic system by storage and recycling of nutrients though they disturb the phytoplanktonic primary productivity by limiting availability of nutrients and entry of light (Sondargaard et.al, 2010). In this study, macrophyte biomass energy was recorded 156.01 10⁶Kcalm⁻²d⁻¹ (Table 4). In this study decrease in phytoplanktonic productivity was recorded. Study is corroborated by findings of Mathew (1975) and Bhatnagar (1984). Problematic submersed plants were *Myriophyllum spicatum*, *Hydrilla verticillata*, *Ceratophyllum demersum*, *Potamogeton crispus*, *Potamogeton pectinatus* *Pistia*,

Eichornia, *Chara*, *Lemna*, *Wolffia*. Presence of *Nymphaeoides cristetum*, *potamogeton pectinatus* , high percentage of *Azolla pinnata* indicates eutrophication and abundance of *Chara vulgaris* indicate pollution of the water . Range of mean value of GPP of macrophytes was 158.42-166.42 gCm⁻²m⁻¹(Table 2)

In this study, decrease in phytoplanktonic productivity was recorded (Table 3). Study is corroborated by findings of Mathew (1975), DattaMunshi (2005). Aquatic weeds being producer determine the overall ecosystem and act as bio indicator. Submerged macrophytes have major effects on productivity and biogeochemical cycles in freshwater stream and lake ecosystems and act as bio indicator (Carpenter and Lodge, 1986).

Ichthyofaunal Diversity - 45 species of fishes belonging to 26 genera, 14 families and 8 orders (Table13) was recorded. Fish species recorded were 33 (S5), 35 (S4) 39 (S3) and 16 at (S2) and 10 (S2) sites. Percentage wise species composition shows that Cypriniformes was the dominant order constituting (71%) out of them family Cyprinidae represents (56.14%),

Fisheries (Table 3&4Plate1)

Stocking and Harvesting - The fisheries department regularly stocked the lake with fingerlings of major carps (2.85 lakh). The weights of harvested fishes were in the mean range of 1.843-9.323 kg for catla, 1.183-4.874 kg for rohu, 1.8 kg-6.2 kg for mrigal, 2.811-6.568.16 for common carp, 2.981-8.302 kg and 2934.12-8.743 kg for grass carp .The weight of harvested fishes and yield from the lake was low in reference to productive nature of the lake (Dutta Munshi, 2006). (Table 3&4).

With increasing TP, the contribution of piscivorous fish to total CPUEw decreased substantially. The piscivores dominated the nutrient-poor zone, S4 (Plate-4) where as *Glossogobius giuris*, *Xenentodon cancella*, Spp. of *Chanda*, *Chela Amphipnous* were most abundant in nutrient-rich zone S2 and S3. Findings are supported by Gorai (1999). Decline in planktonic primary productivity in the lake was recorded due to abundance of Spp. of *Azolla*, *Myriophyllum* , *Hydrilla* , *Ceratophyllum* , *Potamogeton* , *Potamogeton* .There is a negative relationship between abundance of submerged plants and planktonic algal biomass (Canfield et al., 1983)

Conclusion - Water quality parameters of lake were towards higher range of productivity. Abundance of macrophytes has caused negative impact on water quality. Dissolved Oxygen level declines to hypoxic levels causing suffocation among fishes. Abundance of Spp. of *Chara* ,*Azolla*, *Oscillatoria*, *Microcystis*, *Anabaena* , *Keretella* and abundance of weed fishes Spp. *Puntius*, *Chela*, carnivorous fishes Spp. *Mystus*, *Channa*, *Glossobius*, *Xenentodon* and *Sacchobranthus* is indicative of eutrophication. (Plate 1, 2 & 3). Culture of high rate of Grass carp (*Ctenophryngodon idella*) in the lake may give significant result.

Acknowledgment - The author is grateful to Dr. Vinod Kumar Srivastava, Principal GDC Rewa who encouraged

to do this task. She is also thankful to Sh. L. S. Chandel of the Deptt. of Fisheries, Rewa (M.P.) for providing data & help of Co-operative societies of Fish Farmers of Govindgarh lake.

References :-

- Adoni, A.D. Work book on Limnology. Indian Mab Committee, Department of Environment, Govt. of India, 216. (1985)
- Bhatnagar, G.P. Limnology of lower lake of Bhopal with special reference to sewage pollution and eutrophication. *Technical report May 1979-April 1982. MAB Programme, Dept. of Environ. Govt. of India. New Delhi.* (1984)
- Canfield, D.E. and M.V. Hoyer, Aquatic macrophytes and their relation to the limnology of Florida lakes. *Final Report. Bureau of Aquatic Plant Management, Florida Department of Natural Resources, Tallahassee, Florida.* 598p. (1986)
- Carpenter, S.R. and D.M. Lodge, Effects of submersed macrophytes on ecosystem. *Aquat. Bot.* **26**: 341–60. (1986.)
- Datta Munshi. J. And J. S. Datta Munshi. Fundamentals of Freshwater Biology. Narendra Pub. House. Delhi. 222. (2006)
- Edmondson, W.T., Fresh water biology, 2nd Edn. John Wiley and Sons. Inc., Newyork. (1992)
- G. J. Srivastava, Fishes of Uttar Pradesh and Bihar. Vishwavidyalaya Prakashan, Varansi, 1980.
- Helen Roselene and Paneerselvam., Physico Chemical Analysis and Role of Phytoplankton in Belendur Lake. In: *Proc. of Taal 2007, The 12th World Lake Conference.*, 1729-1796. (2008.)
- Jhingran, V.G., Natrajan A.V., Banergee, S. N. and David, A. Methodology on reservoir fisheries investigation in India. *Bull. No.12, Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore*, 109., pp (1969).
- Jayaram, K.C. The fresh water fishes of the Indian region. Narendra Publishing House, Delhi, p. 551 (1999).
- Mathew, P.M. Limnology and productivity of Govindgarh lake, Rewa (M.P.) *J. Inland Fish. Soc. India*, **7** : 17-24 (1975).
- Menon, A.G.K. (1999) *Check list-Fresh water Fishes of India*. Records of Zoological Survey of India, Occasional paper No.175, 366pp.
- Mishra A. K., Mathur R., Gupta R.B. and Arya M., Limnological study of Sakhyasagar lake, Shivpuri, Madhya Pradesh, India, *J. Environ. Res. Develop.*, **4**(4), 993-998, (2010).
- Needham, J.G. and P.R. Needham. A guide of the study fresh water biology Holdeomday Inc. San. Francisco., pp 108. (1966).
- Pathak H, Pathak D (2012) Eutrophication: Impact of Excess Nutrient Status in Lake Water Ecosystem. *J Environ Anal Toxicol* **2**:148.
- P. K. Talwar and A. G. Jhingran, Inland Fishes of India and Adjacent Countries Vol-I & Oxford and IBR Publishing Co. Pvt. Ltd. 1991.
- Trivedi, R.K. and P.K. Goel. Chemical and biological methods for water pollution studies, Environmental Publications, Karad, India, 250p. (1986)
- Welch, P.S. Limnology, McGraw-Hill, N.Y., 538 p. (1952)

Table - 1: Seasonal Abundance of Plankton

Seasons	Total plankton ul-1	Phytoplankton		Zooplankton	
		ul ⁻¹ Count	%	ul ⁻¹ Count	%
Monsoon	2261	1808.8	80.38	452.2	19.62
Postmonsoon	2098	1171.1	81.03	398.62	19.02
Winter	2278	1778.01	78.12	502.12	22.12
Summer	1669	1332.98	79.99	333.8	19.92

Table - 2 : Annual Variation of Macrophytes biomass

Season	Wet Wt. kgm ⁻² m ⁻¹	Dry wt gm ⁻² m ⁻¹	gCm ⁻² m ⁻¹	10 ⁶ Cal m ⁻² d ⁻¹
Total	23.8	4518	1491.64	499.26
Mean	7.93	1472.60	497.21	166.42

Table - 3 : Stocking and Harvesting of Major Carps

Year	Total (in Kg)	Major Carp (in Kg)	Local Major (in Kg)	Local Minor (in Kg)	Major carp fingerling Stocking (in lac)	Grass carp fingerling Stocking (in lac)	Total St fry	Total yield Per ha.
2014-15	13455.23	9448.50	440.7	3367.21	2.50	0.75	5.41	47.04

Table - 4 : Fish yield In Govindgarh lake (2014-2015)

Year	Total catch	Yield (kg ha ⁻¹)	Percentage composition
2014-15	13.455	47.04	MC 67.21%, LM 13.58 Misc. 26.11

MC=Majorcarps, LM=Localmajor Misc=Miscellaneous

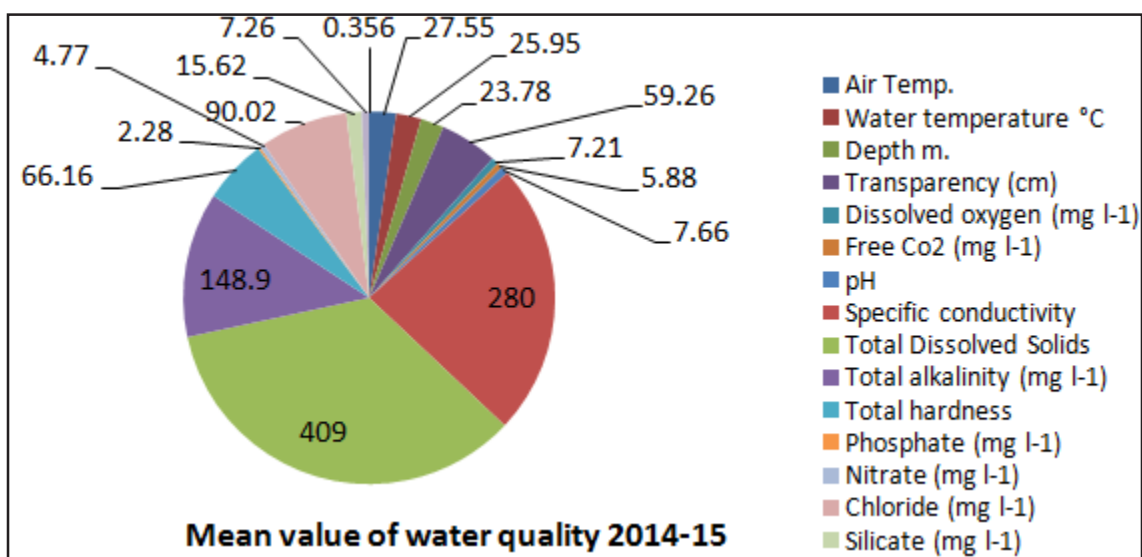


Fig. 1- Water Quality

Percentage Composition of different groups of Phytoplankton in govind Garh Lake (2014-

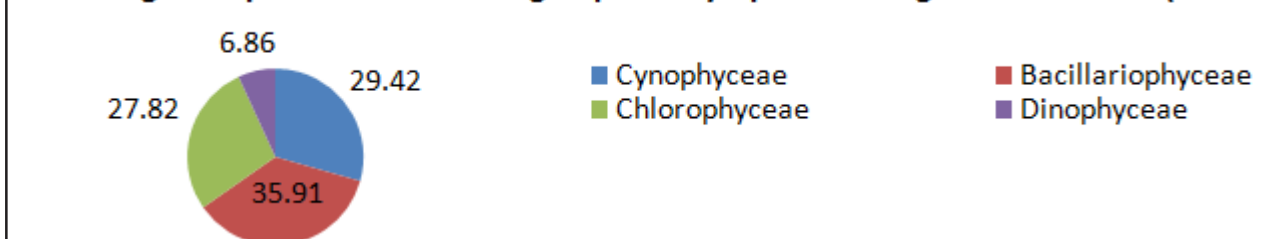


Fig. 2 – Plankton

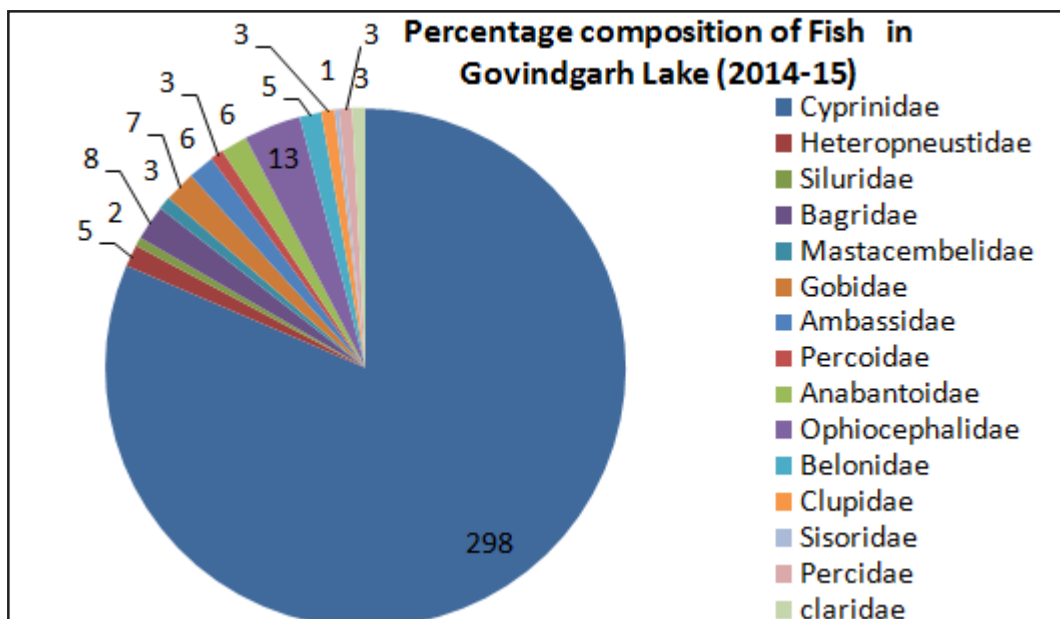


Fig. 3 - Percentage Composition Fish



Fig. 2 - Study Area Map



2. Govindgarh Lake



3. Eutrophication



4. Change in Fish Yield

Variation Of Fof2 During High Solar Activity For Solar Cycle 23

Arun Kumar Gautam * Devendra Kumar Warwade **

Abstract - The motto of this paper is to analyze the foF2 variation during high solar activity for the solar cycle 23. The observations are taken at high latitude stations Goosebay (52° N) in the northern hemisphere and port Stanley (52° S) in the southern hemisphere for hourly, monthly and seasonal. It is observed that the Ionospheric parameters reflect variations in their activity. During higher solar activity in the year 2000 there is maximum variation in the FoF2 in the different intervals of time in day and night hours.

Key words - Ionospheric indices and Solar activity.

Introduction - The solar cycle (or solar magnetic activity cycle) is the periodic change in the Sun's activity (including changes in the levels of solar radiation and ejection of solar material) and appearance (visible in changes in the number of sunspots, flares, and other visible manifestations). Solar cycles have an average duration of about 11 years. They have been observed (by changes in the sun's appearance and by changes seen on Earth, such as auroras) for hundreds of years.

The state of the ionosphere is determined by superposition of the regular changes and stochastic variations of the ionospheric parameters. The regular variations are represented by day-to-night, seasonal and solar cycle changes according to solar ionizing flux, sunlight conditions at different geodetic locations, the relation between geodetic and geomagnetic coordinates, the state of the magnetosphere and neutral atmosphere.

It is well known that the F layer depends on: (1) the sunspot solar cycle (Forbes et al. 2000; ; Rishbeth & Mendillo 2001; Pancheva et al. 2002), (2) the Sun-Earth relative position at the origin of the seasonal variation, and equinoctial maxima (Lal 1992, 1997, 1998; Rishbeth et al. 2000; Zou et al. 2000) and (3) the solar wind speed (Legrand & Simon 1989; Lotko 1989; Simon & Legrand 1989; Lal 1997, 1998). Solar wind speed and shock activity are the main sources of geomagnetic activity.

The significant disagreements between global TEC and foF2 annual variations during the last two solar minima have been pointed out by Balan et al., (1994), Chen et al., (2008), suggest that the relative balance between low latitude heating from EUV flux and high latitude heating from magnetospheric sources may have changed slightly in the recent unusual minimum. Yang et al., (2012), called their attention to the different results of the papers relating to

foF2 variations obtained from the ionosonde station Jicamarca during the solar cycle 23–24 minimum comparing to the prior solar minimum. The yearly values of foF2 were smaller at Jicamarca in 2008–2009 than in 1996–1997.

Although there were no solar UV measurements during the early years of ionospheric research, sunspots data for several decades were available and solar cycle changes in foF2 were detected in the very beginning of ionospheric research (Mittra, 1952 for early works). In fact, excellent correlations between the sunspot number and the monthly mean foF2 were reported and a detailed analysis of ionosonde data for several stations by Jones and Gallet (1962) and later by Rush et al. (1984) helped in generating global maps of foF2 as a function of sunspot number and other geophysical parameters.

The F region has been intensively studied, mainly due to its influence on the propagation of radio waves. Determinations of the F2 frequency bands in magnetically quiet conditions and extreme conditions of solar activity give us, as a first approximation, the typical behavior of F2 layer critical frequency (foF2).

The most probable cause of these variations is the change in the atmospheric composition, but the mechanism has not been defined. Seasonal variations of atomic (O) and molecular (O_2 , N_2) concentrations in the thermosphere (Rishbeth & Setty, 1961) have been supported by several studies. Fuller-Rowell (1997) proposed that the global scale inter hemisphere-thermospheric circulation acts like a huge turbulent eddy.

Data and Method of Analysis:-

The Hourly, Monthly and Yearly variation of foF2 is obtained for the period of January 1996 to December 2008 which is a low to moderate and high solar activity period from NGDC (<http://ngdc.noaa.gov/>). To represent the day to day vari

* C.S.A. Government P. G. College, Sehore (M.P.) INDIA

** C.S.A. Government P. G. College, Sehore (M.P.) INDIA

ability the standard deviation (σ) of hourly, monthly and yearly foF2 values from the median value (x) is determined, from which the ratio of ($\sigma/x\%$) in percentage is derived for each hour of each month of observation. This forms the ionospheric parameter representing day-to-day variability of foF2. Variability parameter ($\sigma/x\%$) is calculated for two stations separately for each day, month and seasons of the year. To understand the seasonal variation of foF2 more clearly, we divided the year into three seasons' winter, summer and equinox. Variability of FoF2 during quiet days and disturbed days is also compared. For this purpose five very quiet days and five very disturbed days are considered. To study the effect of solar and magnetic disturbances on variability. We consider the values of solar flux (10.7cm), R, K_p and, A_p indices which are collected from World Data Centre, Kyoto Japan.

Result -

Figure 1 - Shows the hourly variation of foF2 during high solar activity, it is observed that there is maximum variation in foF2 in the year 2000 in the morning hours at Goosebay (52° N). The variation of foF2 during high Solar activity is 40% at the station Goosebay (52° N) while at Portstanley (52°S) the variation is slight low in the Southern Hemisphere. (See in the last page)

Figure 2 - represent the monthly variation of fof2 during high solar activity in complete solar cycle. It is observed that maximum monthly variation of foF2 is found in the year 2000 for the station Portstanley (52°S) in the southern hemisphere. The variability is 60% between the months April to July. In the whole interval of Solar Cycle 23, monthly average shows maximum variation in the months November and December at Goosebay (52°N) and Portstanley (52°S) in the Southern Hemisphere shows maximum and constant variation of foF2, between the months April to July. (See in the last page)

Figure 3 show that there is maximum variation of foF2 in summer at Goosebay (52°N) during high solar activity in the year 2000. In winter the variation of foF2 is normal at Goosebay (52°N) and Portstanley (52°S). In equinox during high solar activity the variation is quite normal at both the stations of Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. (See in the last page)

Figure 4 shows during high solar activity the maximum variation of foF2 is during disturbed days at both the stations of high latitude. Similarly during low solar activity the maximum variation of foF2 is observed during disturbed days at stations of high latitude. During high solar activity in the year 2000 the variation is 35% of foF2 in disturbed days at both the stations of Northern Hemisphere and Southern Hemisphere, While quiet days shows slight variation of foF2 during high solar activity.

When we go for the whole interval of solar cycle 23 (January 1996 to December 2008) the average variation of foF2 is more in disturbed day's than quiet days. (See in the last page)

Discussion - We focused on the equatorial foF2 variability

at high solar activity 2000 for the solar cycle 23 (1996 to 2008) for the station of high latitude i-e Goosebay 52°N in the Northern hemisphere and Portstanley 52°S in the Southern hemisphere on hourly, monthly and seasonally. As we know that solar activity influences each and every activity of the upper atmosphere, it affects the critical frequency of F2 layer and causes variation in the foF2. During hourly study of the foF2 at high solar activity in the year 2000, at the station Goosebay 52°N in the Northern hemisphere the variation in foF2 is about 40% and at the same time the variation of foF2 at Portstanley 52°S in the Southern hemisphere is less as compared to the Goosebay 52°N in the Northern hemisphere.

For the whole interval of solar cycle 23 (1996 to 2008) it is observed that the station Goosebay 52°N in the Northern hemisphere shows high (Coefficient of variation) as compared to the Portstanley 52°S in the Southern hemisphere.

In the monthly observation of foF2 during high solar activity, the maximum variation in foF2 is about 40% at the station Goosebay 52°N in the Northern hemisphere but as we go for the Portstanley 52°S in the Southern hemisphere the variation is about 60% which is high as compared to Goosebay 52°N Northern hemisphere.

As we go for the whole interval of solar cycle 23 (1996 to 2008) it is observed that the monthly maximum value of foF2 is found in the months January-February and November-December. Similarly for the station Portstanley 52°S in the Southern hemisphere it is observed the maximum variation lies between April to July in the whole interval of solar cycle 23.

If we go for the seasonal that is Summer, Winter and Equinox for both the stations of Northern and Southern hemisphere, it is observed that during high solar activity i-e 2000, the maximum value of foF2 is found during Summer season for the stations Goosebay 52°N in the Northern hemisphere and Portstanley 52°S in the Southern hemisphere. The maximum variation is found in the night time. In the other seasons i-e Winter and Equinox the foF2 value shows normal variation.

For the quiet days and disturb days it is observed that during high solar activity in 2000 the variation in foF2 is quite high in the disturbed days. For the whole interval of solar cycle 23, it is observed that during disturb days the value of foF2 shows more value as compared to quiet days in the entire solar cycle. From this study it is extracted that the ionosphere is directly concerned with the solar activity, for the period of one complete solar cycle 23 (1996 to 2008).

Conclusion - In the whole study it is observed and concluded that -

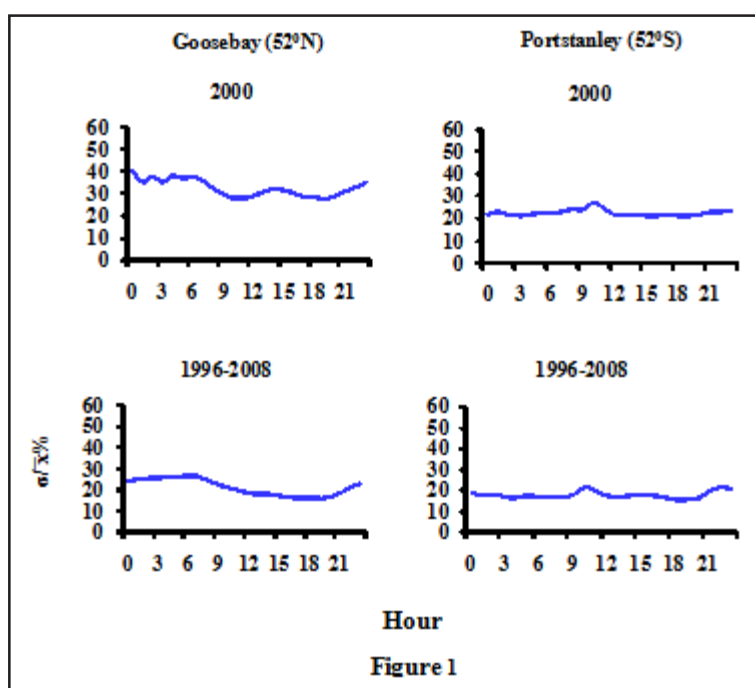
Solar radiations or solar activity influences ionospheric parameters continuously. Solar activity may be high or low but it affects the F2 layer. Solar activity effects both the hemispheres continuously as we observed the variation of foF2 in the complete solar cycle 23 (1996 to 2008).

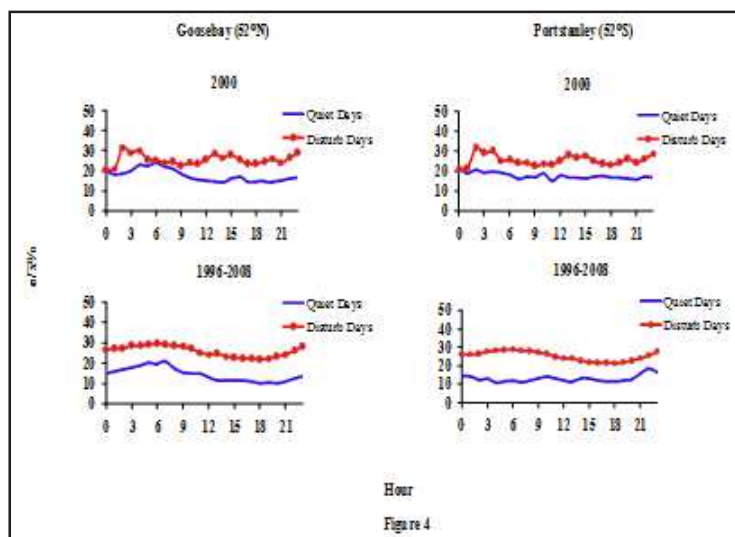
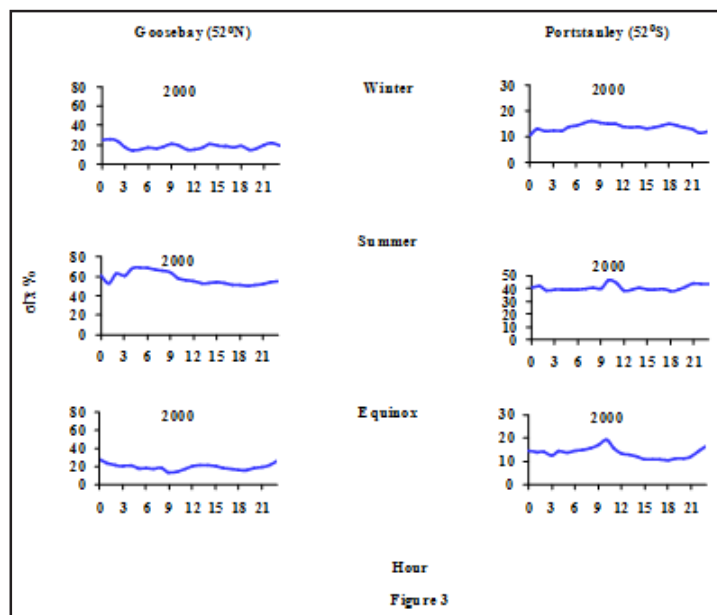
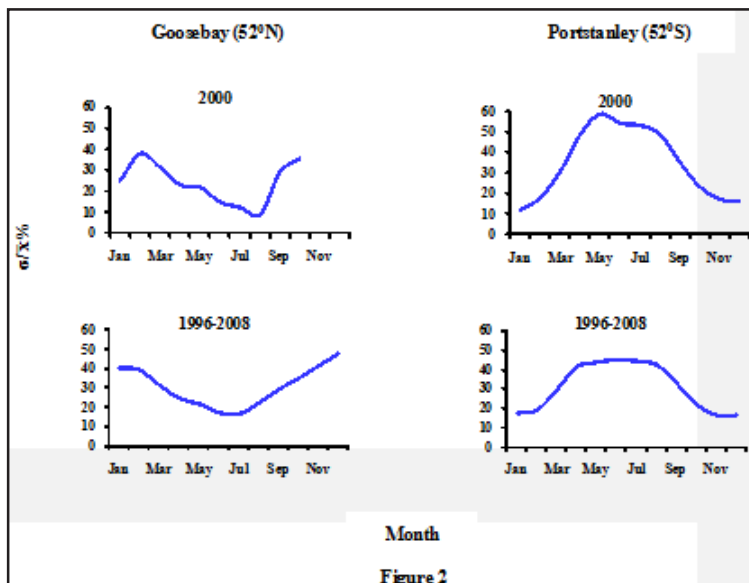
Acknowledgement - We are thankful to World Data Center

and NGDC Space Physics Interactive Data Resource (SPIDR) [<http://ngdc.noaa.gov/>] for providing the data of ionospheric parameters and foF2 values for the complete solar cycle 23rd (1996-2008), duration under consideration of the present study.

References :-

1. Balan, N., Bailey, G.J., and Moffett, R. J., Modeling studies of ionospheric variations during an intense solar cycle, *Journal of Geophysical Research*, 99(A9), 17, 467- 17,475, 1994b
2. Chen Wu, Gao S & Hu Congwei, Effect of ionospheric disturbances on GPS observations in low latitude area, *GPS Solut (USA)*, 12 (1) (2008) 33
3. Forbes, J.M, Palo, S., and Zhang, X., Variability of the ionosphere, *Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics*, 62, 685-693, 2000
4. Fuller-Rowell, T.J., Codrescu, M.V., Fejer, B.G., Borer, W., Marcos, F., and Anderson, D.N.: Dynamics of the low-latitude thermosphere: quiet and disturbed conditions, *J. Atmos. S-P*, 59, 1533-1540, 1997
5. Jones, W.B. and Gallet, R.M., The representation of diurnal and geographic variations of ionospheric data by numerical methods, *Telecomm. J.*, 29, 129-147, 1962
6. Lal, C., Contribution to F2 layer ionization due to the solar wind, *J. Atmos. Solar-Terr. Phys.*, 59(17), 2203–2211, 1997
7. W. Lotko, in Report of the Geospace Environment Modeling Workshop, Theory Campaign on Magnetopause and Boundary Layer Physics, ed. by M. Ashour-Abdalla, NSF Magnetospheric Physics Program, Washington D. C., p. 61-68, 1989
8. Mitra, S.K., The Upper Atmosphere, 2nd edition, The Asiatic Society, Calcutta, 1952
9. Nicolls, M. J., and C. J. Heinselman (2007), Three-dimensional measurements of traveling ionospheric disturbances with the Poker Flat Incoherent Scatter Radar, *Geophys. Res. Lett.*, 34, L21104, doi: 10.1029/2007GL031506
10. Pancheva, D., N. Mitchell, R.R. Clark, J. Drobjeva, and J. Lastovicka, Variability in the maximum height of the ionospheric F2-layer over Millstone Hill (September 1998–March 2000); influence from below and above, *Ann. Geophys.*, 20, 1807–1819, 2002.
11. Rishbeth H. and Mendillo M. Patterns of F2-layer variability. *J. Atmos. Solar-Terr. Phys.*, 63, 1661-1680, 2001.
12. Rush, C.M., Pokempner, M. Anderson, D.N. Perry, J., Stewart F.G., and Reasoner, R., Maps of foF2 derived from observations and theoretical data., *Radio Science*, 19, 1083-1097, 1984
13. Simon P. A. and Legrand, J. P.: Solar cycle and geomagnetic activity : A review for geophysicists Part II. The solar sources of geomagnetic activity and their links with sunspot cycle activity, *Ann. Geophys.*, 7(6), 579–594, 1989
14. Yang, F., 2012. On GPS-based ionospheric tomography algorithm and its application, Master Degree, Northeastern University.
15. Zou, L., Rishbeth, H., Muller-Wodrag, I.C.F., Aylward, A.D., Milliward, G.H., Fuller-Rowell, T.J., Idenden, D.W., Annual and Semiannual variations in the ionospheric F2-layer: a modeling study, *Annales Geophysicae* 18, 927-944, 2000.





Syzygium cumini : A Source of Anti-diabetic and other Traditional Medicinal Uses in Indian

V.K. Shakya *

Abstract - The studies have shown that briefly focus on the potential phytochemicals and pharmacological activity of *Syzygium cumini* Linn. In India, drugs of herbal origin have been used in traditional systems of medicines such as *Unani* and *Ayurveda* since ancient times. The drugs are derived either from the whole plant or from different organs, like leaves, stem, bark, root, flower, seed, etc. *Syzygium cumini* commonly known as 'Jamun' having various therapeutic phytoconstituents such as Flavonoids, Alkaloids, Steroids, Saponins, Tannins, Terpenoids, Carbohydrates, Proteins, Fatty acids, Minerals and Vitamins. It having pharmacological activity like antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, antibacterial, antiallergic, antidiarrhoeal, analgesic, neuropsychopharmacological, antifungal, free radical scavenging, antifertility, anorexigenic, gastroprotective, anti-ulcerogenic and radio-protective activities, but most important activity is antidiabetic. The present study, we have found that most of the biologically active phytochemicals flavonoid was present in the ethanol extracts of *Syzygium cumini* seed.

Key words- *Syzygium cumini*, Phytochemical Investigation, Antidiabetic Activity, Flavonoid.

Introduction - Ayurveda, the traditional Indian herbal medicinal system practiced over thousands of years have reports of herbal antidiabetic formulations with no known side effects. However, these formulations have not gained much importance as medicines and one of the factors is lack of specific standards being prescribed for herbal medicines and supportive animal in clinical trials. [1] *Syzygium cumini* (Family Myrtaceae) is also known as *Syzygium jambolanum* (Lam.) DC and *Eugenia cumini* (L) Druce. Other common names are Jambul, Black Plum, Java Plum, Indian Blackberry, Jamblang, Jamun etc. Presence of alkaloids, amino acids, steroids and triterpenoids in ethyl acetate and methanol extracts of *S. cumini* seed extract revealed in initial phytochemical screening. *S. cumini* seed have been known to possess various medicinal properties apart from being antidiabetic activity such as anti-inflammatory and analgesic activities. [2] Jamun fruit seeds and pulp have been reported to serve various purposes in diabetic patients, such as lowering blood glucose levels and delaying diabetic complications including neuropathy and cataracts. Jamun fruit reduces the sugar in the blood and is very good in the control of diabetes. Its seeds contain Glucoside, Jamboline and Ellagic acid, which are reported to have the ability to check the conversion of starch into sugar in case of excess production of glucose [3,4,5]. Seed powder provided good symptomatic relief to 30 patients of diabetes (type 2) and regulated blood sugar level. [6] Alcoholic seed extract injection (20mg, intraperitoneally) reduced the blood sugar level to 46.86% at 6 hour of administration in alloxan diabetic mice along with enhanced insulin secretion. [7] Effect of various extract of *Coccinia*

indica fruitdel (200mg/kg orally) has been shown to reduced blood glucose level 27.2 % STZ-diabetic rats by flavonoid constituents. [8,9,10] In experiments at the central Drug Research Institute, Lucknow, the dried alcoholic extract of jambolan seeds, given orally, reduced blood sugar and glycosuria in patients. [11] The polar and nonpolar solvent extracts leaves were screened for antidiabetic activity using alloxan induced hypoglycemic rats on acute and prolonged treatment. Alcoholic and aqueous extracts showed significant antidiabetic results with both acute and prolonged treatment studies. [12]

Research Methodology:

Plant Material - *Syzygium cumini* (Linn.) Skeels (Family Myrtaceae) commonly known as 'Jamun or Black Plum' is indigenous to India. The plant has traditionally been used for its rich nutrition and medicinal value. Different plant parts have been reported to contain a variety of components. The fruit pulp contains Vitamin A & C, nicotinic acid, riboflavin, folic acid, maleic acid, choline, sugar, amino acid K, Ca, Na, P, Fe, Mn, Zn. The tree fruits once in a year and the berries are sweetish sour to test. Gallic acid is said to be responsible for the sourness for the fruit while anthocyanins for the colour. After proper identification by the department of botany fruits of *S. cumini* were collected from surrounding areas of Vidisha districts of Madhya Pradesh in India during winter session.

Extraction - The Seed of *S. cumini* were dried in shade and powdered. The air-dried part of the plant used was grinded to powdered material about 40-60 mesh size. 400 gm known amount of powdered material of plant fruits extracted in successive Soxhlet apparatus with different

*Asst. Professor (Zoology) Govt. Sanjay Gandhi Smriti P.G. College, Ganj Basoda, Vidisha (M.P.) INDIA

solvents in increasing order of polarity viz n-hexane, benzene, petroleum ether (60-80°C), ethyl acetate, chloroform, ethanol and water. The crude extract obtained filtered with the help of filter paper No. 1 and dried in vacuum evaporator at 50-55°C under reduced pressure. Before each extraction the powdered material was dried in hot air-oven below 50°C. Each extract was concentrated by distilling of the solvent and then evaporating to dryness on the water-bath. Extracts were weighed and percentage was calculated in terms of the air-dried weight of the plant material. The yield of the extracts was calculated with different solvent w/w respectively. The extract stored in refrigerator for further studies. Yield of percentage shown in **(Table 1)**

Preliminary Phytochemical Screening - All the extracts of *S. cumini* were subjected to routine qualitative chemical analysis to identify the nature of phytochemical constituents present in them. The phytochemical screening of the extracts was done using standard procedures (Brindha et al., 1982; Harborne, 1998). [13,14] The major phytoconstituents are reported to contain anthocyanins. Preliminary phytochemical analysis also showed the presence of flavonoids, anthraquinone glycosides, cardiac glycosides, phenols, terpenoids, tannins, saponins, phytosterols, carbohydrates, flavonoids, amines in stem bark of *syzygium cumini*. The present study was designed to investigate the phytochemical bioactive compound and antibacterial and antidiabetic activity of *syzygiumS. cumini* leaf methanolic extracts.[15] In the present study results shown in **(Table 2)**

1. Flavonoids :

- (a) Alkaline Reagent Test: In the test sample few drops of sodium hydroxide solution were added immense yellow colour was formed which turns to colourless on addition of few drops of acid which indicated presence of flavonoids in the plant compound.
- (b) Zinc Hydrochloride Test: In the test solution a mixture of zinc dust and few drops Conc. H_2SO_4 was added which gave red colour after few minutes.

2. Anthraquinone Glycosides :

- (a) Modified Borntrager's Test: 2 ml of the test sample was shaken with 4 ml of hexane. The upper lipophilic layer was separated and treated with 4 ml of dilute ammonia. The lower layer changed from violet to pink, it indicated the presence of anthraquinone.
- (b) Test for Hydroxy-anthraquinones: When sample was treated with potassium hydroxide solution red colour was produced.

3. Cardiac Glycosides :

- (a) Keller-Killiani Test (Test for deoxy sugars): The sample was extracted with chloroform and evaporated to dry then 0.4 ml of glacial acetic acid was added containing trace amount of ferric chloride. Transferred to a small test tube added carefully 0.5 ml of concentrated sulphuric acid by the side of the test tube. Acetic acid layer showed blue colour.
- (b) Raymond's Test: The test solution was treated with hot

methanolic alkali, violet colour produced. This showed the presence of cardiac glycosides.

4. Saponin Glycosides - Froth Formation Test (Saponification): 2 ml solution of crude was mixed in water in a test tube then shaken well, stable froth (foam) was formed, which showed the presence of saponin in the test sample.

Phytochemistry - *S. cumini* has been extensively explored for its chemical constituents. Various parts fruit, leaves, seeds, bark, stem and root are being in use for the isolation of a wide range of compounds. This plant species investigation for the presence of various phytoconstituents like glycosides, flavanoids, steroids, saponins, phenolic compounds [16, 17], alkaloids, proteins, tannins, terpenes, lignin's, volatile oils and fats etc [18, 19].

Anti-diabetic Activity - The extract of 'Jamun' has been shown to a significant hypoglycemic activity. It decreases glucose level significantly in diabetic and non-diabetic rats as compared to respective controls in some experimental models. An experimental *in vivo* study with rats have shown that treatment with *S. cumini* caused a significant decrease in blood glucose in normal animals, and on the glucose levels in diabetic animals. The leaves of *S. cumini* may be a therapeutic alternative in the treatment of diabetes, since it showed hypoglycemic and hypolipidemic activity in animals with the disease and also improving the lipid profile. [20]

Result And Observation - The result suggests that the alcoholic extract maximum percentage of yield 46.42 % in of *S. cumini* seeds contains some active principles which may possess significant antidiabetic activity. *Syzygium cumini* is a pharmacologically important species of the family Myrtaceae to drive flavonoids and glycosides secondary metabolites. Traditional medicinal uses of *S. cumini*, have been highlighted in the Ayurveda. Medicinal plants, or their extracts, have been used in the prevention and treatment of several chronic diseases such as cardiovascular diseases, inflammatory diseases, arthritis, diabetes, and others. These traditional uses are summarized in the following table **(Table 3)**.

(Table-1,2 & 3 see in last page)

Conclusion - The Indian flora has a vast verity of medicinal plants, which are used traditionally for their anti-diabetic property. Natural products are known to play an important role in pharmaceutical biology. Most pharmacological works on diabetes were carried out with seeds but the pharmacological potential of the other parts of the plant is required to explore in detail. The effect of Jamun and its phytochemicals should also be investigated for its antidiabetic effects in other models. As the pharmacologists are looking forward to develop new drugs from natural sources, development of modern drugs from *S. cumini* can be emphasized for the control of various diseases. It contains a number of phyto constituents, which are the key factors in the medicinal value of this plant. This plant has been an important source of medicine for thousands of

years. An article shows strongly present detailed information about the plant and different biological active compounds. The current study focuses on the recent research investigations involving the phytochemical studies on diverse pharmacological action of Jamun. This may be concluded that this plant is highly beneficial for the treatment of disease and for the control of disease like diabetes.

References :-

1. **Donga J.J.**, Surani V.S., Sailor G.U., Chauhan S.P., Seth A.K., (2010) A systematic review on natural medicine used for therapy of Diabetes mellitus of some Indian medicinal plants. *Pharma Science Monitor, An Int J Pharmac Sc*;147-183.
2. **Kumar A.**, Illavarasan R., Jayachandran T., Deecaraman M., Aravindan P., Padmanabhan N., & Krishnan M.R.V., (2009) Phytochemicals investigation on tropical plant, *Syzygium cumini* from kattuppalayam, Erode district, Tamilnadu, South India. *Pakistan Journal of Nutrition*; **8**: 83-85.
3. **Sagrawat H.**, Mann A. and Kharya M., (2006) Pharmacological Potential of *Eugenia Jambolana*: A Review. *Pharmacogenesis Magazine*; **2**: 96-104.
4. **Helmstadter**, (2008) "Syzygium cumini (L.) Skeels (Myrtaceae) Against Diabetes: 125 Years of Research," *Pharmazie*; 63(2): 91-101.
5. **Giri J.**, Sathidevi T. and Dushyanth N., (1985) Effect of jamun seed extract on alloxan induced diabetes in rats. *Journal of the Diabetic Association of India*; **25**:115-119.
6. **Kohli K.R.** and Singh R.H. (1993) A clinical trial of Jambu (*Eugenia jambolana*) in Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus. *J. Res. Ayurveda Siddha*; **14**:89-97.
7. **Purohit A.** and Daradka H.M.M. (2000) Antidiabetic activity of *Syzygium cumini* seeds extract in alloxan induced diabetic mice. *Hamdard medicus*; **43**: 33-34.
8. **Shakya V.K.** (2008) Antidiabetic activity of *Coccinia indica* in streptozotocin induced diabetic rats. *Asian J. of Chemistry*; **20**(8): 6479-6482.
9. **Shakya V.K.** (2009) Hypoglycemic activity of *Coccinia indica* in streptozotocin induced diabetic albino rats. Sayyed & Patil, Emerging Trends Biotechnology, Tanay Sharma, Scientific Publishers. **B7**: pp. 253-257
10. **Shakya V.K.**, Saxena R.C. and Shakya Anita (2012) Effect of ethanolic extract of *Allium sativum* bulbs on streptozotocin induced diabetic rats. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*; **2**(6): 171-175.
11. **Mukerji B.** (1951) Indigenous indian drugs used in the treatment of diabetes. *Journal of Scientific & Industrial Research*; **10**: 1-18.
12. **Mamatha M.K.**, Thomas T., Yogesh H.S., Pramod H.J. (2011) Antidiabetic activity of *Mimosops elengi* leaves on alloxan induced diabetic rats. *Int J Ph Sci*; **3**(2):1358-1362.
13. **Brindha P.**, Sasikala B., Purushothaman K.K. (1982) Bull Medico. *Ethnobotanical Res*; **3**: 84-96.
14. **Harborne J.B.**, (1998) Phytochemical methods: A guide to modern techniques of plant analysis. Chapman and Hall Co., New York: pp-302.
15. **Satyavathi C.** and Lakshmi Bhavani N. (2014) Evaluation of phytochemical constituents and antibacterial activity in leaf extracts of *Syzygium cumini* L. *World Journal of Pharmaceutical Research*; **3**(10): 768-776.
16. **Khandelwal K.R.** (2009) *Practical Pharmacognosy*; Edn 19, Nirali Prakshan, Pune, 149-156.
17. **Kokate C.K.** (2008) *Practical Pharmacognosy*; Edn 4 Vallabh Prakshan, New Delhi; 107-111.
18. **Trease G.E.**, Evans W.C. (1987) A Text Book of Pharmacognosy. *ELSB Baillere Tindal: Oxford*.
19. **Khandelwal K.R.** (2005) *Practical Pharmacognosy Techniques and Experiments*. Edn 2, Nirali Prakshan, Pune; pp-220.
20. **Schoenfelder T.** (2010) Hypoglycemic and hypolipidemic effect of leaves from *Syzygium cumini* (L.) Skeels, Myrtaceae. in diabetic rats. *Braz J Pharmacog*; **20**(2):222-27.

(Table-1): Percentage yield of *Syzygium cumini* plant extract

Solvent	Volume of solvent (ml)	Weight of powdered material (gm)	Weight of extract (gm)	Yield Percentage (%)	Colour of Extract
n-hexane	500	400	80.08	20.02	Purple
petroleum ether	500	400	34.56	08.64	Brown
ethyl acetate	500	400	36.89	09.22	Purple
chloroform	500	400	62.26	15.56	Dark Purple
ethanol	500	400	185.68	46.42	Dark Brown
water	500	400	181.26	45.31	Dark Brown

(Table-2): *Syzygium cumini*: Phytochemical analysis of ethnolic extract

Compound(s)	Name of the Test	<i>S. cumini</i> indicates
Flavonoids	Alkaline Reagent Test	++
	Zinc Hydrochloride Test	+
Anthraquinone Glycosides	Modified Borntrager's Test	+++
	Test for Hydroxy-anthraquinones	++
Cardiac Glycosides	Keller-Killiani Test	-
	Raymond's Test	+
Saponin Glycosides	Froth Formation Test	++

+ indicates presence - indicate absence

(Table-3): Traditional uses from various parts of the *Syzygium cumini*

Plant Parts Used	Ethnomedicinal Uses
Seeds	Diabetes, antibacterial, antidiarrhoeal, antimotility, antihistamine activity
Leaves	Diabetes, antibacterial properties
Stem Bark	Diabetes, astringent, anti-inflammatory, digestive, diuretic, anthelmintic
Fruits	Diabetes, astringent, stomachic, carminative, antimicrobial, antioxidant



A



B



C



D

Fig. representing the (A) Plant Leaves, (B) Fruits, (C) Seeds, and (D) Powdered Material of *Syzygium cumini*

Environmental Effects on Public Health

Dr. Seema Bhola *

Introduction - The environment affects our health in a variety of ways. The interaction between human health and the environment has been extensively studied and environmental risks have been proven to significantly impact human health, either directly by exposing people to harmful agents, or indirectly, by disrupting life-sustaining ecosystems. Although the exact contribution of environmental factors to the development of death and disease cannot be precisely determined, the World Health Organization (WHO) has estimated that thirteen million deaths annually are attributable to preventable environmental causes. The report also estimates that 24% of the global disease burden (healthy life years lost) and 23% of all deaths (premature mortality) are attributable to environmental factors, with the environmental burden of diseases being 15 times higher in developing countries than in developed countries, due to differences in exposure to environmental risks and access to health care.

Huge economic development and population growth result in continuing environmental degradation. Intensification of agriculture, industrialization and increasing energy use are the most severe driving forces of environmental health problems. For countries in the early stages of development the major environmental hazards to health are associated with widespread poverty and severe lack of public infrastructure, such as access to drinking water, sanitation, and lack of health care as well as emerging problems of industrial pollution. However, environmental health hazards are not limited to the developing world. Although at a lesser extent, environmental risks are also present in wealthier countries and are primarily attributed to urban air and water pollution.

Economic Valuation Techniques - Damage costs estimates from environmental hazards for the economy as a whole are also obtained through general equilibrium macroeconomic modeling. These studies assess welfare impacts in a national or international level by examining all the sectors of the economy and estimating environmental health impacts on parameters of the economy like income and consumption.

Original values from existing studies are transferred to policy sites after correcting for certain parameters. Given the number of valuation studies, several meta-analyses

studies have been recently conducted. Following this approach valuation estimates from existing studies are collected and the determinants of these estimates are examined. In a meta-analysis regression, therefore, the dependent variable is a common summary statistic, such as a predicted variable for the Willingness to Pay, whereas the independent variables include characteristics of the primary data, study design, valuation method, sample size, model specification, econometric methods, date of publication. Meta-analyses can feedback the establishment of value transfer functions to estimate values for policy sites of interest based on properly adjusted information from existing studies on similar sites.

Economic Assessment of Environmental Health Impacts : Empirical Evidence

- There is increasing recognition that linked environment and health impacts require economic assessment in order to receive adequate consideration in policy. Consequently, a huge increase in the number of valuation studies trying to quantify the environmental impacts on human health in monetary terms and elicit public preferences for health and environmental policies that reduce the risk of illness or mortality has been experienced in recent years.

Air Quality - Air pollution is a major environmental risk to health and is estimated to cause approximately two million premature deaths worldwide per year. A reduction of air pollution is expected to reduce the global burden of disease from respiratory infections, heart disease, and lung cancer. As air quality is a major concern for both developed and developing countries, a large number of empirical studies attempting to monetize the benefits to health generated by improved air quality have appeared in the literature worldwide.

Since then a number of valuation studies have been conducted in developing countries estimating social benefits from air pollution reduction in terms of either averted mortality or averted morbidity due to air pollution mitigation strategies. To provide economic estimations of health risk reductions authors rely on existing epidemiological studies that establish the relationship between pollution concentrations and health hazards. Valuation studies are then conducted to monetize health outcomes given the number of exposures and the associated risk predicted from

*Assistant Professor (Zoology) Govt. Vivekanand P.G. College, Maihar (M.P.) INDIA

the dose-response functions.

In the literature addressing air pollution in both developed and developing world, contingent valuation studies are mainly implemented. The health consequences from alternative pollution abatement policies are explicitly stated in the valuation scenario and respondents are asked their maximum willingness to pay to contribute in the implementation costs of the policy under evaluation..

Water Quality - Although epidemiological studies have provided evidence of severe morbidity attributed to polluted water the issue has received limited attention in terms of valuation studies. Only few studies explicitly address health effects of drinking and bathing water quality to inform efficient water resources management policies mainly in high income countries.

The health risks involved in bathing in polluted sea water are explicitly accounted in the study of Machato and Murato, who employed stated preference techniques to evaluate the multiple benefits of improving the quality of marine recreational waters on the Estoril coast in Portugal. Based on evidence from existing epidemiological dose-response functions a contingent valuation survey was employed to allow for a direct estimate of the health benefits of reduced water pollution. Results indicate that health risk reductions are only a small fraction of the total social benefits of water quality improvements. The sample mean WTP to avoid gastroenteritis was found to be • 55.56. Bathing water quality related health benefits are also studied by Johnson *et al.*, who adopted a benefit-transfer approach to evaluate health benefits associated with improved bathing water quality in Scotland.

Climate Change - Welfare losses associated with health impacts induced by global warming are also estimated by Bosello *et al.*. Authors apply a general equilibrium macroeconomic model to infer costs estimates relating to cardiovascular and respiratory disorders, diarrhoea, malaria, dengue fever and schistosomiasis occurrences through changes in labour productivity and demand for health care. Consistent with the literature, results imply the welfare costs (or benefits) of health impacts contribute substantially to the total costs of climate change both in terms of GDP and investment.

Bateman *et al.* apply a contingent valuation study to assess WTP for reductions in the skin cancer risks associated with exposure to solar UV radiation. A common valuation scenario was applied to four countries (New Zealand, Scotland, England, and Portugal) across which objectively measured risk levels, for example cancer rates, vary substantially. Authors intended to examine whether scientifically established health risks are reflected in WTP for risk reductions in these countries and results confirm that differences in stated WTP between countries reflects the variation in risk levels between those countries.

Health effects from illnesses associated with climate change are also examined in the developing world by Tseng *et al.* using the dengue fever in Taiwan as a case study. The

relationship between climate conditions and the number of people infected by dengue fever was first established and the monetary assessment was then attempted applying a contingent valuation study. Results indicate that people would pay • 15.78, • 70.35 and • 111.62 per year in order to reduce the probabilities of dengue fever infection by 12%, 43%, and 87%, respectively.

The Use of Valuation Results in Policy Design - Climate change and anthropogenic forcing threaten environmental stability and with it ecosystems' capacity to provide goods and services that can be translated to economic benefits for humans including values associated with health quality and death mitigation. Although environmental goods and services have value to society, are often neglected in policy-making as they are not traded in markets and as such are not priced. A primary cause for environmental degradation and consequent health hazards is failure to identify and internalize in decision-making the economic value of ecosystems. Given the public nature of the environmental resources, market data, if available at all, can lead to misleading decisions regarding the significance of resources protection resulting in further resources depletion and degradation. Therefore economic valuation is extremely crucial to provide the correct economic indicators and signals for the design of efficient and sustainable economic policies.

Once aggregated over the full range of beneficiaries, monetary benefits estimated through valuation studies can be compared with the costs of the relevant environmental or health intervention policies through cost-benefit analysis to derive useful information on the efficiency of the planned policy. Welfare changes from alternative policy initiatives can be also assessed and the impact of social, economic and attitudinal characteristics on individual valuation can be examined. In this respect, valuation studies are significant for policy-making to guide the selection of economic instruments to allocate resources among socially valuable endeavours.

Information from valuation studies can also assist the design of efficient insurance programs to mitigate health effects resulting from environmental stresses. Knowledge of social perception of the effects of health risks is crucial for the formulation of optimal risk mitigation/hedging strategies. These strategies should be able to allocate the aggregate social health risk between socio-economic groups in order to provide efficient, equitable and sustainable coverage against environmental health hazards.

Concluding Remarks - Environmental degradation poses a significant threat to human health worldwide. Harmful consequences of this degradation to human health are already being felt and could grow significantly worse over the next 50 years. Because environment and health are so intimately linked, so too should be environmental and health policies. However, health impacts are non-marketed and thus hard to quantify in monetary terms. The subsequent risk of being ignored in policy-making is a major concern

worldwide. To address this challenge a number of valuation studies have been conducted in both developing and developed countries applying different methods to capture health benefits from improved environmental quality. Valuation results are crucial for the formulation of economic instruments to internalize the externalities created by the public nature of environmental resources. The application of fiscal instruments, the introduction of charge systems and/or the creation of emission markets can only promote sustainable outcomes if set at a social optimal level. Elicitations of the preferences and valuations of different social groups through valuations is therefore essential. This paper reviews the main literature in the field. Although not exhaustive, applied research cited in this review provides substantial evidence of strong correlation between exposure to environmental hazards and health risks and reveals that there are significant values associated with longevity and health quality in both developed and developing world

justifying the need for policy interventions.

References :-

1. Stern N. The Economics of Climate Change: the Stern Review. Cambridge University Press; New York, NY, USA: 2007.
2. Ebi K, Mills DM, Smith JB, Grambsch A. Climate change and human health impacts in the United States: an update on the results of the U.S. National Assessment. Environ. Health Perspect. 2006;114:1318–1324.59.
3. Koundouri P. The Use of Economic Valuation in Environmental Policy: Providing Research Support for the Implementation of EU Water Policy under AquaStress. Routledge; Florence, Kentucky, USA: 2009.
4. Gollier C, Koundouri P, Pantelides T. Decreasing discount rates: economic justifications and implications for long-run policy. Econ. Pol. 2008;56:758–795.

Uses Of Ethno-Medicinal Plants To Diffent Diseases

Dr. Sarita Ghanghat *

Abstract - Plants play a dynamic role in human life .plants have been used as a source medicines since ancient times . These medicines are safe and environment friendly. According to WHO about 80% of the worlds population depends on traditional medicine for their primary health care . Currently the government of India realizing the value a mission of documenting the traditional knowledge.

Ethnobotany - from (**ethnology** - study of culture and **botany**- study of plants) is the scientific study of the relationships that exists between People and Plants . Though the term “ **Ethnobotany**” was not coined until 1895 by the US botanist “ **Jhon William Harshberger**” the history of the field begins long before that.Inpythagoreanism Which Originated in 500 BC refused to eat beans because of the human relationship to it through matter.

Key words - Ethno-medicinal, Tribals, rural, Traditional medicine,Health care.

Introduction - The present paper on 12 selected Ethno-medicinal plants (belonging to 9 families) of vidisha district, with correct botanical identification , Botanical names, Family,Local names, parts used in diseases, by tribal and rural population .For centuries plants have been an important source of drugs. In India medicinal plants have been long used to treat different kinds of disease. People living in the developing countries rely quite effectively on traditional medicine for primary health care (Sullivan and shealy 1997;singh,2002). Indian tradition medicine is based on different system such as Ayurveda , Siddha and Unani used by various communities (Gadgil,1996).

Vidisha district is one of the most important and centrally located district of M.P. The total area of the district is about 7,433sq K.M. which lies between 23°21'and 24°22'N latitude and 77°15.30'and 78°18'E longitude forming eastern part of Malwa region. The forest cover is about two fifth of the total area in the district. Vidisha district is inhabited by tribals like Shariya, Bhil, Meena .The area is very rich in indigenous ethno-medicinal plants . These are collected by local inhabitant for the preparation of medicines. Presual of literature (jain 1995, ghangat and sahu 2006,) revealed that no specific study on ethno-medicinal uses of plants in vidisha district has been carried out.

Material And Methods – The Ethno-botanical study was conducted in 2009-2011. extensive field trips were organized for collecting the plant species and data using an integrated approach of botanical collection, group discussion, interviews and questionnaires .Help of local medical practitioners was also taken . plants were identified by referring to Flora of Bhopal by Oommachan (1977) and

Flora of M.P. from wikipedia .

Enumeration- In the following enumeration, plant names have been arranged alphabetically in disease wise. (Table-1)

Result and Discussion- The plant parts used for medical preparation were bark, flowers, rhizomes, root, leaves, seeds, and whole plants ,The paper present a brief account of the uses of various ethno-medicinal plants parts against the diseases, like skin diseases , jaundice cold,cough and headache Rheumatism. diseases by the people of vidisha district.

Table -1 (See in the next page)

Acknowledgment - The author express thanks to knowledgeable Persons who co- operated in sharing their knowledge at the time of study.

References :-

1. Gudgil ,M ; 1996 Documentriy diversity : An experiment curr.ci ; 70 (1) : 36
2. Ghanghat,Sarita and Sahu, Brajesh (2006) Medicinal climbers of Vidisha District . I.J.Applied Life Science.,Vol 1,no 1,pp 24-25.
3. Jain. s. k. 1987. A manual of Ethnobotany. Scientific Publishers , Jodhpur , India.ISBN 185046603
4. Jain , s. k., 1991 Dictionary of Indian Flok medicine and Ethnobotany .Deep publication, New Delhi. ISBN : 8185622000.
5. Jain,S.K.(1995): Ethnobotanical studies around vidisha district . Ph-D Thesis. Barkatullah University, Bhopal.
6. Panda.T,2010.preliminary study of ethnomedicinal plant used of cure different diseases in coastal district of Orissa India 1(2) :67 -71

7. Rout ,S.D. Panda,T.,Mishra,N .,(2009) Ethno medicinal plants used to cure different diseases by Tribals of Mayurbhanj district of North Orissa .
8. Sahu, S.C., Dhal,N.K and Mohanty, R.C.,(2010) "Potential Medicinal Plants used by the Tribal of Deogarh District,Orissa ,India. Ethno med,4(1):53-61.
9. Sullivan,K.and C.N.Shealy ,1997 Complete Natural Home Remedies.Element Book Limited, Shaftsbury, U.K.
10. Oommachan, M. (1977): The flora of Bhopal J.K. Jain Brothers, Bhopal .
11. Internate serach material.

Table -1 Ethno- medicinal plants Used againsts different diseases

S.No	Botanical Name	Family	Local Name	Used Part of the Plant	Medicinal Uses
1	<i>Andrographis paniculata</i> (Burm.F.)	Acanthaceae	Bhuineem	Whole Plant	The whole plant is used as a tonic .
2	<i>Aristolochia indica</i> L.	Aristolochiaceae	Isarmula	Root	Decoction of root is given constipation and abdominal colic.
3	<i>Asparagus racemosus</i>	Liliaceae	Satabar	Tuber	The tuber made into paste and taken internally to cure jaundice.
4	<i>Asparagus racemosus</i> Willd.	Liliaceae	Satabar	Tuber	Root powder used againsts Rheumatism.
5	<i>Cassia fistula</i> L.	Caesalpiniaceae	Amaltas	Leaf	Extract of leaves is administered orally against jaundice.
6	<i>Cassia tora</i> L.	Caesalpiniaceae	Puar	Leaf	Leaf Paste of leaves is applied on skin cure skin diseases.
7	<i>Eclipta prostrata</i> Roxb	Asteraceae	Bhangra	Root	Root emetic purgative applied externally as an antiseptic to Ulcers and Wounds in cattle
8	<i>Ficus religiosa</i> L.	Moraceae	Peepal	Bark	Bark 50gm crushed with 5gm Curcuma longa powder is applied externally for skin disease.
9	<i>Ichnocarpus frutescens</i> L.	Apocynaceae	Dudhilata	Root	Root paste is applied locally to treat scabies.
10	<i>Madhuca longifolia</i> var <i>latifolia</i>	Sapotaceae	Mahua	Flower	Decoction of flowers boiled in water is given twice a day against cold,cough and headache.
11	<i>Rauvolfia serpentina</i> L.	Apoceynaceae	Sarpagandha	Root	Root powder is given orally as an antidote and decoction of root for easy delivery.
12	<i>Withania somnifera</i> Dunal	Solanaceae	Aswagandha	Leaf and Root	Leaves and roots used as a local application to painful swellings.



Antibacterial study of traditional Medicinal plant *Boswellia serrata*

M.L. Gangwal* Sharif Khan**

Abstract - The study was conducted on various biochemical parameter of some traditional medicinal plant *Boswellia serrata*. The solvents used for the extraction of plant root were ethanol methanol and distilled water. The inventor antibacterial activity was performed by agar well *Boswellia serrata* inhabited the growth of the bacterial strain investigated. The most active extract was compared with the standard antibiotic, penicillin, streptomycin, ampicillin 100mg/disc.

Key words - medicinal plants, phytochemical, antibacterial activity. and pathogens.

Introduction - Medicinal plants represent a rich source of antimicrobial agents. Plants are used medicinally in different countries and are a source of many potent and powerful drugs. According to world Health organization¹, more than 80% of the world's population relies on traditional medicine for their primary healthcare needs. In developing countries, low incomes people such as farmers, people of small isolate village and native communities use folk medicine for the treatment of common infectious diseases. These plants are ingested as decoctions, tea or juice preparations. The development of drug resistance in human pathogens against commonly used antibiotics has necessitated a search for new antimicrobial substance from other sources including plants. Making antibacterial therapy effective, safe and affordable has been the focus of interest during recent years. These are several reports on antimicrobial activity of different herbal extract.

Plant collection - The following medicinal plants were selected for the study from the local area based on their information in the available. The medicinal plant *Boawellia serrata* was collected from follow land in and surround orthanadu, thanjavur brought into the laboratory for further processes. The collection sample were carefully stored in sterile polythene bags and used for the further study.

Sterilization of plants materials - The disease free roots selections for this investigation; about 2gm dried roots were taken. Then surface sterilized with 0.1% mercuric chloride and alcohol from few seconds. Again the material was washed thoroughly with distilled water².

Preparation of plants extracts - Two grams of sterilized roots were kept in the 10ml organic solvents such as Ethanol, methanol, and aqueous. Then these are grind with the help of mortar and pestle. The grind plants material was subjected to centrifugation, for 10-15min (10,000rpm)³.

The supernatant was collected & stored for further purposes.

Preparation of nutrients agar medium - The ingredients were weighed and taken in conical flask contains 1000ml distilled water. The p^H of medium was adjusted to 6.8 using a p^H meter by the addition of either acid alkali. The flask were sterilized⁴ in an autoclave at 121°C for 15 lbs pressure for 15 minutes and allowed to cool.

Screening for antibacterial activity assay (agar-well diffusion method) - The antibacterial of the roots were tested against the selected bacterial strain. The petriplates were washed and placed in an autoclave for sterilization; nutrient agar medium was poured into each sterile petriplates and allowed to solidify in a laminar air flow chamber. After solidification, using a sterile cotton swabs, fresh bacterial culture with known population count was spread over the plate technique⁵. One well of 5mm size made in the agar plates with the help of sterile cork borer, the well were loaded at 37° C for 24-28 hours. After incubation, the plates were observed for formation of clear inhibition was calculated by measuring the diameter of the inhibition zone⁶ around the well.

Antibacterial sensitivity test on microbes (positive control) - The antibiotic sensitivity test using standard antibiotics (Tetrecycline, Erythroycline, and chloramphenical) were analysed.

Antibacterial effects of solvents (negative control) - The antimicrobial activities of ethanol and methanol solvents were tested against the selection bacterial strains.

Results and Discussion - In the present investigation, the antibacterial properties and preliminary phytochemical analysis of two medicinal plants *Boswellia serrata* was tested against five human pathogenic bacteria. The antibacterial properties of the extract were also comparatively analyzed against standard antibiotic by antibiotic sensitive test.

* Professor, P.M.B. Gujarati Science College, Indore (M.P) INDIA
** Research Scholar, Mewar University, Chittorgadh (Rajasthan) INDIA

References :-

1. Dubey R, Dubey K, Sridhar C, Jayaveera K N, Human Vaginal Pathogen inhibition studies on Aqueous Methanolic and Saponins Extract of stem Bark of ziziphus mouritiana, Int. J Pham sci.Res, 2011;2(3): 659-663.
2. Sharma A. Antibacterial activity of ethanolic extract of some arid zone plants Int. J. pharm. Tech. Res2011;3(1):283-286.
3. Kumar S. 2002: the medicinal Plants of North East India, scientific publisher (India) Jodhpur. 1-35
4. Ahmad, I. and Beg, A. Z. (2001) Antibacterial and phytochemical studies on 45 India medicinal plants against multiple drug resistant human pathogens, J. ethanopharma, 74; 113-123.
5. Chopra R.N; Nayar,S.L and Chopra, C.(1956). Glossary of India Medicinal plants., council of scientist and Industrial Research, New Delhi, 218-832.
6. Ahameethunsia A .R., hoper W., Antibacterial activity of Artemisia nilagirica leaf extract against clinical and phytopathogenic bacteria, BMC complementary and Alternative Medicine 2010;10; 1-6.
7. Tshibangu J.N., Chifundera R., kamunsky A. D. Wright Konig G. M Screening of African medicinal plants for antimicrobial enzyme inhibitory activity, J, Ethnopharmacology. 2002; 08;25-35.

NMR Spectroscopy

Dr. Neeraj Dubey *

Introduction - Nuclear magnetic resonance spectroscopy, most commonly known as NMR spectroscopy, is a research technique that exploits the magnetic properties of certain atomic nuclei. This type of spectroscopy determines the physical and chemical properties of atoms or the molecules in which they are contained. It relies on the phenomenon of nuclear magnetic resonance and can provide detailed information about the structure, dynamics, reaction state, and chemical environment of molecules. The intermolecular magnetic field around an atom in a molecule changes the resonance frequency, thus giving access to details of the electronic structure of a molecule and its individual functional groups.

Most frequently, NMR spectroscopy is used by chemists and biochemists to investigate the properties of organic molecules, although it is applicable to any kind of sample that contains nuclei possessing spin. Suitable samples range from small compounds analyzed with 1-dimensional proton or carbon-13 NMR spectroscopy to large proteins or nucleic acids using 3 or 4-dimensional techniques. The impact of NMR spectroscopy on the sciences has been substantial because of the range of information and the diversity of samples, including solutions and solids.

NMR spectra are unique, well-resolved, analytically tractable and often highly predictable for small molecules. Thus, in organic chemistry practice, NMR analysis is used to confirm the identity of a substance. Different functional groups are obviously distinguishable, and identical functional groups with differing neighboring substituent's still give distinguishable signals. NMR has largely replaced traditional wet chemistry tests such as color reagents or typical chromatography for identification. A disadvantage is that a relatively large amount, 2–50 mg, of a purified substance is required, although it may be recovered through a workup. Preferably, the sample should be dissolved in a solvent, because NMR analysis of solids requires a dedicated MAS machine and may not give equally well-resolved spectra. The timescale of NMR is relatively long, and thus it is not suitable for observing fast phenomena, producing only an averaged spectrum. Although large amounts of impurities do show on an NMR spectrum, better methods exist for detecting impurities, as NMR is inherently

not very sensitive - though at higher frequencies, sensitivity narrows.

NMR spectrometers are relatively expensive; universities usually have them, but they are less common in private companies. Modern NMR spectrometers have a very strong, large and expensive liquid helium-cooled superconducting magnet, because resolution directly depends on magnetic field strength. Less expensive machines using permanent magnets and lower resolution are also available, which still give sufficient performance for certain application such as reaction monitoring and quick checking of samples. There are even benchtop NMR spectrometers.

Resonant frequency - When placed in a magnetic field, NMR active nuclei absorb electromagnetic radiation at a frequency characteristic of the isotope. The resonant frequency, energy of the absorption, and the intensity of the signal are proportional to the strength of the magnetic field. For example, in a 21 Tesla magnetic field, protons resonate at 900 MHz. It is common to refer to a 21 T magnet as a 900 MHz magnet, although different nuclei resonate at a different frequency at this field strength in proportion to their nuclear magnetic moments.

Sample handling - A NMR spectrometer typically consists of a spinning sample-holder inside a very strong magnet, a radio-frequency emitter and a receiver with a probe that goes inside the magnet to surround the sample, optionally gradient coils for diffusion measurements and electronics to control the system. Spinning the sample is necessary to average out diffusional motion. Whereas, measurements of diffusion constants are done the sample stationary and spinning off, and flow cells can be used for online analysis of process flows.

Deuterated solvents - The vast majority of nuclei in a solution would belong to the solvent, and most regular solvents are hydrocarbons and would contain NMR-reactive protons. Thus, deuterium is substituted. The most used deuterated solvent is deuteriochloroform (CDCl_3), although deuterium oxide (D_2O) and deuterated DMSO (DMSO-d_6) are used for hydrophilic analytes. The chemical shifts are slightly different in different solvents, depending on electronic solvation effects. NMR spectra are often calibrated against the known solvent residual proton peak

instead of added tetramethylsilane.

Chemical shift - A spinning charge generates a magnetic field that results in a magnetic moment proportional to the spin. In the presence of an external magnetic field, two spin states exist: one spin up and one spin down, where one aligns with the magnetic field and the other oppose it. The difference in energy (E) between the two spin states increases as the strength of the field increases, but this difference is usually very small, leading to the requirement for strong NMR magnets. Irradiation of the sample with energy corresponding to the exact spin state separation of a specific set of nuclei will cause excitation of those set of nuclei in the lower energy state to the higher energy state. The chemical shift provides information about the structure of the molecule. The conversion of the raw data to this information is called *assigning* the spectrum. For example, for the ^1H -NMR spectrum for ethanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$), one would expect signals at each of three specific chemical shifts: one for the CH_3 group, one for the CH_2 group and one for the OH group. A typical CH_3 group has a shift around 1 ppm, a CH_2 attached to an OH has a shift of around 4 ppm and an OH has a shift anywhere from 2–6 ppm depending on the solvent used and the amount of hydrogen bonding. While the O atom does draw electron density away from the attached H through their mutual sigma bond, the electron lone pairs on the O bathe the H in their shielding effect.

In Paramagnetic NMR spectroscopy, measurements are conducted on paramagnetic samples. The paramagnetism gives rise to very diverse chemical shifts. In ^1H NMR spectroscopy, the chemical shift range can span 500 ppm.

Because of molecular motion at room temperature, the three methyl protons *average out* during the NMR experiment. These protons become degenerate and form a peak at the same chemical shift.

Magnetic inequivalence - More subtle effects can occur if chemically equivalent spins have different coupling relationships to external spins. Spins that are chemically equivalent but are not indistinguishable are termed magnetically inequivalent. For example, the 4 H sites of 1,2-dichlorobenzene divide into two chemically equivalent pairs by symmetry, but an individual member of one of the pairs has different couplings to the spins making up the other pair. Magnetic inequivalence can lead to highly complex spectra which can only be analyzed by computational modeling. Such effects are more common in NMR spectra of aromatic and other non-flexible systems, while conformational averaging about C-C bonds in flexible molecules tends to equalize the couplings between protons on adjacent carbons, reducing problems with magnetic inequivalence.

Correlation spectroscopy - Correlation spectroscopy is one of several types of two-dimensional nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy or 2D-NMR. This type of NMR experiment is best known by its acronym, COSY.

Other types of two-dimensional NMR include J-spectroscopy, exchange spectroscopy (EXSY), Nuclear Overhauser effect spectroscopy (NOESY), total correlation spectroscopy (TOCSY) and heteronuclear correlation experiments, such as HSQC, HMQC, and HMBC. In correlation spectroscopy, emission is centered on the peak of an individual nucleus; if its magnetic field is correlated with another nucleus by through-bond or through-space (NOE) coupling, a response can also be detected on the frequency of the correlated nucleus. Two-dimensional NMR spectra provide more information about a molecule than one-dimensional NMR spectra and are especially useful in determining the structure of a molecule, particularly for molecules that are too complicated to work with using one-dimensional NMR. The first two-dimensional experiment, COSY, was proposed by Jean Jeener, a professor at Université Libre de Bruxelles, in 1971. This experiment was later implemented by Walter P. Aue, Enrico Bartholdi and Richard R. Ernst, who published their work in 1976.

Solid-state nuclear magnetic resonance - A variety of physical circumstances do not allow molecules to be studied in solution, and at the same time not by other spectroscopic techniques to an atomic level, either. In solid-phase media, such as crystals, microcrystalline powders, gels, anisotropic solutions, etc., it is in particular the dipolar coupling and chemical shift anisotropy that become dominant to the behaviour of the nuclear spin systems. In conventional solution-state NMR spectroscopy, these additional interactions would lead to a significant broadening of spectral lines. A variety of techniques allows establishing high-resolution conditions, that can, at least for ^{13}C spectra, be comparable to solution-state NMR spectra.

Two important concepts for high-resolution solid-state NMR spectroscopy are the limitation of possible molecular orientation by sample orientation, and the reduction of anisotropic nuclear magnetic interactions by sample spinning. Of the latter approach, fast spinning around the magic angle is a very prominent method, when the system comprises spin 1/2 nuclei. Spinning rates of ca. 20 kHz are used, which demands special equipment. A number of intermediate techniques, with samples of partial alignment or reduced mobility, is currently being used in NMR spectroscopy.

Applications in which solid-state NMR effects occur are often related to structure investigations on membrane proteins, protein fibrils or all kinds of polymers, and chemical analysis in inorganic chemistry, but also include "exotic" applications like the plant leaves and fuel cells. For example, Rahmani et al. studied the effect of pressure and temperature on the bicellar structures' self-assembly using deuterium NMR spectroscopy.

References :-

1. Address, Kenneth J.; Feigon, Juli (1996). "Introduction to ^1H NMR Spectroscopy of DNA". In Hecht, Sidney M. Bioorganic Chemistry: Nucleic Acids. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-508467-5.

2. Wemmer, David (2000). "Chapter 5: Structure and Dynamics by NMR". In Bloomfield, Victor A.; Crothers, Donald M.; Tinoco, Ignacio. Nucleic acids: Structures, Properties, and Functions. Sausalito, California: University Science Books. ISBN 0-935702-49-0.
3. A. Abragam (1961). The Principles of Nuclear Magnetism. Clarendon Press. ISBN 9780198520146.
4. Charles P. Slichter (1963). Principles of magnetic resonance: with examples from solid state physics. Harper & Row. ISBN 9783540084761.
5. John Emsley; James Feeney; Leslie Howard Sutcliffe (1965). High Resolution Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Pergamon. ISBN 9781483184081.

शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी मानसिक निःशक्त बालक एवं बालिकाओं के आँखों के असामान्य कन्जेक्टिवा एवं असामान्य इडिमा की उपस्थिति, इडिमा की उपस्थिति एवं असामान्य बाह्य रूप के मध्य तथा इडिमा की उपस्थिति एवं रिफ्रेक्टिक परिवर्तन के मध्य सहसंबंध

डॉ. मोहिनी सकरगायें *

प्रस्तावना – विश्व के विकसित एवं विकासशील देश वर्तमान में बच्चों के विकास के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तथा विभिन्न देशों में सरकारी प्रयास, सामाजिक संगठन आदि अन्य योजनाएँ बच्चों के भविष्य निर्माण में सहभागिता का निर्वाह कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बच्चों की दुनिया का एक भाग ऐसा है, जो उपर्युक्त सुविधाओं से वंचित है या सरकारी प्रयास अथवा संगठन उन तक पहुँचने में सफल नहीं है।

भारतवर्ष के ग्रामीण अंचलों में बच्चों की मानसिक निःशक्तता को देवी-देवताओं का प्रकोप माना जाता है। मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि वाले बच्चों की परवरिश की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। सीमांत यबुद्धि-लब्धि वाले बच्चों से माता-पिता, अभिभावक अधिक अपेक्षाएँ रखते हैं। बच्चों के खान-पान या पोषण युक्त आहार के प्रति माता-पिता, अभिभावकों की नकारात्मक अभिवृत्तियाँ हैं। आवश्यकता है, उचित देखभाल एवं सामान्य विकास की ओर ध्यान देने की, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार मानसिक निःशक्त बच्चों की देखभाल में अतिरिक्त समय एवं धन नहीं लगा पाते हैं। अतएव बच्चों के कल्याण हेतु शासकीय, सामाजिक, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता है।

मानसिक निःशक्त बच्चों की देखभाल में पोषण की अहम भूमिका है। बच्चों की आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की उचित मात्रा का आहार देकर बच्चों के जीवनकाल में स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सकती है लेकिन इसका ज्ञान एवं जागरूकता अभिभावकों को कम होता है।

स्वास्थ्य निर्भर करता है, पोषण पर एवं पोषण निर्भर करता है, आहार पर। वास्तव में देखा जाय तो स्वास्थ्य एवं पोषण का चोली-दामन का साथ है। उचित पोषण जीवनकाल को बढ़ाता है, वहीं अल्प पोषण या किसी एक पोषक तत्व की अधिकता कई बिमारियों एवं रोग साथ लेकर आती हैं। जिनके कारण जीवनकाल घटता जाता है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मिश्रवासियों का यह विश्वास था कि “अधिक भोजन खाने से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं” प्राचीन काल में युनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेटिज (460 से 359 ईसा पूर्व) ने आयुर्विज्ञान और खाद्य पर शरीर की प्रतिक्रिया की समस्याओं के विषय में उनका कथन है कि “बढ़ते हुए शरीरों में अन्तर्जात उष्मा अधिक पाई जाती है, उन्हें अधिकतम भोजन की आवश्यकता होती है, अन्यथा उनके शरीर नष्ट होने लगते हैं। वृद्ध मनुष्यों में उष्मा कम पायी जाती है और उनको ईंधन की आवश्यकता भी कम होती है क्योंकि ईंधन अधिक होने से उष्मा समाप्त हो सकती है।”

उत्तम, पर्याप्त या उचित पोषण का तात्पर्य पोषण के उस स्तर से है जिसमें शरीर स्वस्थ रहता है तथा उसकी कार्यक्षमता शारीरिक व मानसिक रूप से संतुलित रहती है। ऐसा तभी संभव है जब भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा, अनुपात व संतुलन में हो।

निःशक्त बालक भी उन्हीं आवश्यकताओं के साथ विकसित होते हैं। जिनके साथ सामान्य बच्चे विकसित होते हैं। मानसिक पक्षाघात से पीड़ित बच्चों की आवश्यकताएँ विशिष्ट होती हैं। उन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है।

उचित पोषण एवं अच्छा स्वास्थ्य साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। मानव के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भोजन है।

बालक द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों का प्रभाव उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। बालक को दिए जाने वाले आहार की मात्रा की अपेक्षा उस आहार के पोषक तत्वों की मात्रा बालक के शारीरिक विकास को अधिकता से प्रभावित करती है।

शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों के कुपोषण लक्षणों का शारीरिक बाह्य रूप पर प्रभाव एवं सह संबंध – मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों के शारीरिक अंगों पर कुपोषण के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए प्रतिसादकों के आहार में पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण आय.सी.एम.आर. के निर्धारित मानक के आधार पर कर एवं शारीरिक लक्षणों के मध्य सह संबंध ज्ञात किया गया।

मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों की आँखों के असामान्य कन्जेक्टिवा एवं असामान्य इडिमा की उपस्थिति के मध्य सहसंबंध

क्षेत्र	असामान्य कन्जेक्टिवा	इडिमा उपस्थित	सह-संबंध गुणांक
शहरी	24	0	0.427
ग्रामीण	12	5	
आदिवासी	27	18	

धनात्मक सहसंबंध +0.427

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मानसिक निःशक्त बच्चों के असामान्य कन्जेक्टिवा एवं उनमें उपस्थित इडिमा में संबंध है।

अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर तीनों ही क्षेत्रों के मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों में असामान्य कन्जेक्टिवा के लक्षण पाए गए। यह असामान्यता विटामिन ए की हीनता को दर्शा रही है। वही ग्रामीण एवं

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

आदिवासी क्षेत्र के मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों में इडिमा की उपस्थिति प्राप्त हुई है, जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मुख्य लक्षण है। प्रतिदिन के भोजन में शामिल किए जाने वाले भोज्य पदार्थों में से वे भोज्य पदार्थ जो उच्च प्रोटीन युक्त होते हैं। साधारणतया इन भोज्य पदार्थों में विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अतः यहां अवलोकन एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन हेतु चयनित तीनों ही क्षेत्रों में मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों के प्रतिदिन के आहार में प्रोटीन एवं विटामिन ए की मात्रा सामान्य से निरंतर कम है। परिणाम स्वरूप कुपोषण के लक्षण पाए गए।

अतः शोध उपकल्पना के अनुसार मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों के पोषण स्तर में असमानताएँ पायी जाती हैं। सार्थक है। सह-संबंध गुणांक (+0.427) पाया गया।

मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों में इडिमा की उपस्थिति एवं

असामान्य बाह्य रूप के मध्य सहसंबंध

क्षेत्र	इडिमा उपस्थित	असामान्य बाह्यरूप	सह-संबंध गुणांक
शहरी	0	43	-0.129
ग्रामीण	5	21	
आदिवासी	18	55	

ऋणात्मक सहसंबंध -0.129

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों में इडिमा की उपस्थिति एवं असामान्य बाह्यरूप के मध्य ऋणात्मक सहसंबंध है। शहरी क्षेत्र के मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों में इडिमा अनुपस्थित है, वहीं उनका बाह्यरूप असामान्य है। मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों में इडिमा की उपस्थिति प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण प्राप्त हुई है। वहीं असामान्य बाह्यरूप के अन्य कारणों में विटामिन डी की हीनता के कारण उत्पन्न हुए रिकेटिक परिवर्तन, आयोडीन की कमी से थायरॉइड ग्रंथि की वृद्धि, विटामिन ए की कमी से कन्जेक्टिवा एवं कॉर्निया में असमानता जैसे कई कारण पाए गए हैं।

अतः मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों में इडिमा की उपस्थिति एवं असामान्य बाह्यरूप के मध्य ऋणात्मक सहसंबंध (-0.129) पाया गया।

मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों में इडिमा की उपस्थिति एवं रिकेटिक परिवर्तन के मध्य सहसंबंध

क्षेत्र	इडिमा उपस्थिति	रिकेटिक परिवर्तन	सह-संबंध गुणांक
शहरी	0	32	0.980
ग्रामीण	5	33	
आदिवासी	18	42	

उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.980

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों में इडिमा की उपस्थिति एवं उनके शारीरिक बनावट में आए रिकेटिक परिवर्तनों के मध्य संबंध होता है। प्रतिसादकों में इडिमा की उपस्थिति प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण के गंभीर स्तर तक पहुंचने पर पायी जाती है। वहीं रिकेटिक परिवर्तन विटामिन डी की हीनता के कारण देखे जाते हैं। विटामिन डी प्राप्ति का मुख्य स्रोत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं तथापि भोज्यपदार्थों के माध्यम से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। प्राप्ति साधनों में मछली, मछली का तेल कुछ मात्रा में मक्खन, क्रीम, अंडे के पीले भाग, दूध एवं दूध पाउडर से भी प्राप्त होता है। विटामिन डी के प्राप्ति के सभी भोज्य पदार्थों में प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों के

प्रतिदिन के आहार में यदि प्रचुर प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ या प्रचुर विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं तो उन्हें इन असामान्यताओं से बचाया जा सकता है। मानसिक निःशक्त प्रतिसादकों के पोषण स्तर में असमानताएँ पायी जाती हैं। अतः शोध उपकल्पना सार्थक है। सह-संबंध गुणांक (+0.980) पाया गया।

निष्कर्ष - शोध का उद्देश्य मानसिक निःशक्त बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास एवं पोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस हेतु मध्यप्रदेश के इन्दौर संभाग के शहरी ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र से कुल 210 अर्थात् 70, 70, एवं 70 मानसिक निःशक्त बालक एवं बालिकाओं का उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर चयन किया गया। पूर्व की मान्यता अनुसार मानसिक निःशक्त बालक एवं बालिकाओं का शारीरिक विकास एवं पोषण स्तर सामान्य बच्चों की अपेक्षा भिन्न होता है, परन्तु वर्तमान समय में प्रचलित मान्यताओं में परिवर्तन आया है। कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारक हैं, जो मानसिक निःशक्त बच्चों के शारीरिक विकास एवं पोषण स्तर का निर्धारण करते हैं। जिसके अन्तर्गत मुख्यतः सरकारी मातृ एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएँ, माता-पिता के शिक्षा का स्तर, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, जननांकीय स्थिति, माता-पिता की शिशु जन्म के प्रति सचेतनाएँ, शिशु जन्म के पश्चात् उचित देखभाल एवं सामुदायिक दृष्टिकोण आते हैं। जो मानसिक निःशक्त बच्चों के शारीरिक विकास एवं पोषण स्तर के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

सुझाव - शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी मानसिक निःशक्त बालक एवं बालिकाओं के आँखों के असामान्य कन्जेक्टिवा एवं असामान्य इडिमा की उपस्थिति, इडिमा की उपस्थिति एवं असामान्य बाह्य रूप के मध्य तथा इडिमा की उपस्थिति एवं रिकेटिक परिवर्तन के मध्य सहसंबंध अध्ययन के अन्तर्गत इन्दौर संभाग के शहर, ग्राम एवं आदिवासी क्षेत्रों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं :

1. जन जागरूकता द्वारा गर्भावस्था में उचित देखभाल के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना।
2. माता-पिता में पोषण शिक्षा स्तर को सुधारना।
3. मानसिक निःशक्त बालकों के परिवार के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार एवं समाज का सम्मिलित प्रयास।
4. मानसिक निःशक्त बालकों के परिवार हेतु निःशुल्क पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।
5. सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मातृ एवं शिशु कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता लाना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हरलॉक, एलिजाबेथ बी. (1967) विकासात्मक मनोविज्ञान, एडिशन-प्रथम, प्रधान विनायक अधिकारी, पृष्ठ संख्या 297-4
2. कुलकर्णी ज्योति पल्टा अरुण (1996-97) सामान्य उपचारात्मक पोषण नवीन संस्करण, शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट, खजूरी बाजार, इंदौर।
3. मुखर्जी, रविन्द्रनाथ (1990) सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, संख्या 279-446
4. नाटाणी प्रकाश नारायण (2000) सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, राजस्थान।
5. पल्टा अरुणा (2002) प्रयोगात्मक पोषण, शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट, खजूरी बाजार, इंदौर।

हिन्दी सिनेमा में महिलाओं की बदलती छवि - कल और आज

डॉ. दीपशिखा पाण्डेय *

प्रस्तावना - सिनेमा की पहुँच समाज के बहुत बड़े वर्ग तक है, इसलिए मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक दायित्व निभाने का सवाल भी यहाँ जुड़ जाता है। जब कोई फिल्म रोचक अंदाज में सामाजिक विसंगतियों के चित्र और कुछ सकारात्मक संदेश सही-सही संप्रेषित करने में समर्थ होती है तो उसे व्यापक स्तर पर सराहना भी मिलती है।

हिन्दी सिनेमा में नायिका एक ऐसा मिथक है, जिसकी अनुपस्थिति में कोई फिल्म बन ही नहीं सकती। लेकिन अब तक जिसकी उपस्थिति नायक समेत पेड़ों और फव्वारों के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए ही होती रहती है। नायक की नायिका और कहानी का मूलाधार होने के बावजूद सिनेमा की नायिका को बार-बार कंडीशंड किया जाता रहा। बाक्स ऑफिस के भूत के डर से फिल्मकारों ने स्त्री को परम्पराओं से बाहर निकलने ही नहीं दिया क्योंकि दर्शक वैसी ही सहनशील नारी की छवि देखना और उस पर सहानुभूति जताना चाहते थे जो उसके मानदण्डों पर सही ठहरती हो। हिन्दी फिल्मों की नायिकाओं ने एक लम्बे अरसे तक अपनी महिमामंडित छवि को पुष्ट करने के लिए त्याग, ममता और ऑसुओं से सरोबार अपनी तस्वीर दिखाई और बाक्स आफिस पर खूब वाहवाही बटोरी।

भारतीय सिनेमा लंबे समय तक पुरुष वर्चस्व का सिनेमा रहा है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि नायिकाएँ हीरो को बचाने के लिए खलनायक के सामने नाच-गाना समर्पण और कभी-कभी धोखा देकर नायक को छुड़ा लेने तक के लटके झटके बरसों से सिनेमा में करती रही हैं। नायक ही उसका संरक्षक होता है और वह उसके पाँवों पर गिर जाती है।

साहब वीबी और गुलाम की छोटी बहु को देखिए - पत्नी शराबी पति के लिए शराब तक पीने को तैयार हो जाती है और उसके पैरों पर गिर जाती है तैयार हो जाती है और उसके पैरों पर गिर जाती है न जाओ सैंया, छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूँगी। वह रोती, कलपती और मिन्नतें ही करती है और नायक रोती तड़पती छोड़कर कोठे पर चला जाता है। नायिकाएँ तब भी तुम्ही मेरे मंदिर तुम्हीं मेरे पूजा, तुम्हीं देवता हो गाती रही हैं। यह दौर मूक फिल्मों से शुरू होकर अछूत कन्या और मदर इंडिया से गुजरते हुए सुजाता, बंदिनी, दिल एक मंदिर, मैं चुप रहूँगी तक सिंदूर से माँग भरी नायिकाएँ दशकों तक बड़े परदे पर सबकी आराध्य बनी रहीं।

स्त्री भागीदारी को लेकर हमेशा उदासीन रहा हिंदी सिनेमा अब जागरूक हो चुका है। निःसंदेह यह जागरूकता फिल्म उद्योग की खुद की नहीं है बल्कि महिलाओं द्वारा किए खुद में परिवर्तनों के आधार पर आई है। ऐसा भी नहीं कि स्त्रियाँ पहले सशक्त और प्रतिभाशाली नहीं थी बस किनारे खड़ी अपनी पारी के इंतजार में थी, जल्द ही उन्हें पता चल गया कि लाइन में खड़े होकर कभी मौका नहीं मिलेगा लिहाजा वह भीड़ को धक्का देकर आगे

बढ़ने पर विवश हुई। ऐसा भी नहीं है कि हिन्दी में स्त्री समस्या केंद्रित फिल्मों का निर्माण हुआ ही नहीं। दरअसल अधिकतर हिन्दी फिल्मों में स्त्री को आदर्शवादी और ममतामयी माँ, बहन, भाभी, पुत्री, पत्नी और प्रेमिका के रूप में ही अधिक चित्रित किया जाता रहा है, जो विद्रोह भी करती है, तो क्षण भर के लिए।

समानांतर सिनेमा ने स्त्री कि उन्मुक्त भावनाओं को नया आसमान दे दिया जिसमें विचरण कर उन्हें अपनी आजादी के नये रंग दिखने शुरू हुए। ऐसी फिल्मों में मंडी, बाजार, भूमिका, मिर्च मसाला, प्रतिघात, रिहाई आदि। 1990 के बाद का हिन्दी सिनेमा भू-मण्डलीकरण और उदारीकरण के प्रभाव से तेजी से बदला है। हिन्दी सिनेमा और साहित्य में एक सामंजस्य स्थापित हुआ। स्त्री विमर्श को हिन्दी सिनेमा में हमेशा स्पेस मिलता रहा है। दिशा, तर्पण, गॉडमदर, अर्थ, सत्ता, चमेली, अस्तित्व, जुबेदा, चॉंदनी बार, फैशन, हीरोइन, नो वन किड जंसिका तथा इश्किया जैसी फिल्मों ने स्त्री विमर्श को नया आयाम दिया है।

वर्ष 2014-16 तक लगभग 1 दर्जन ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ जिसने स्त्री छवि को पूरी तरह बदल दिया, उसके दमित भावनाओं को कई रूपों में देखने के लिहाज से यह वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा जैसे डेढ़ इश्किया, हाइवे, गुलाब गैंग, क्वीन, रिवाल्वर रानी, मर्दाना, मैरीकाम और हाल ही में आई दंगल फिल्म ऐसी पिक्चरों में केन्द्र बिन्दु किसी दबाई, सताई, और घबराई स्त्री का चेहरा नहीं है बल्कि पुरुषों को चुनौती देती उस स्त्री का अक्स है जिसमें अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली है।

जैसे-जैसे समाज में नारी की भूमिका बदलती रही वैसे- वैसे फिल्मों में भी उसके पात्र नए ढंग से लिखे जाने लगे। मदर इंडिया की राधा की भूमिका तो सबसे सशक्त है, जो एक ओर गांव में कई तरह के शोषण का शिकार है और दूसरी मुश्किलों में अपने बच्चों को पालने में जुटी है लेकिन विकट परिस्थितियों में भी वह अपनी और अपने गांव की इज्जत नहीं जाने देती है।

कुछ विषय और चरित्र ऐसे हैं जो शुरू से लेकर अब तक कई बार फिल्मांकित हो चुके हैं। जैसे बिन ब्याही माँ पर बहुत सी फिल्में बनी जैसे धुल का फूल की मीना (माला सिन्हा) इस कंकल से बचने के लिए बच्चे को जंगल में छोड़ देती है लेकिन सन् 2000 आते-आते हालात इतने बदल गये कि क्या कहना की प्रिया कहीं नहीं भागती वह भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हुए खुलेआम कालेज भी जाती है और बच्चे को जन्म देने में कोई शर्म महसूस नहीं करती है। आंधी जैसी फिल्मों में आरती देवी का जन्म हुआ जो राजनीति में आकर दिशा और दशा बदलना चाहती है, तो दूसरी ओर जख्मी औरत की पुलिस इंस्पेक्टर किरण दत्त (डिम्पल कपाड़िया) और

फूल बने अंगारों की इंस्पेक्टर नम्रता (रेखा) अपने साथ हुए अपमानों का बदला लेने के साथ उन अपराधियों को कड़ा सबक सिखाती है, जो देश के दुश्मन हैं।

गुलाब गैंग में एक रंग में लिपटी खड़ी 8-10 औरतों को एक साथ 12-15 गुंडों को पीटते दिखाया गया है इस फिल्म में बखुबी दिखाया गया है कि स्त्रियाँ पहले प्यार से अपना हक मानती हैं और नहीं मिलता है, तो देख लीजिए विद्रोह करना भी सीख जाती है।

गुलाब गैंग की ये स्त्रियाँ आपको चकित एवं अविश्वसनीय लग सकती हैं पर आज बदलते समाज में क्या सभी नहीं चाहते हैं कि कोई महिलाओं के साथ खिलवाड़ करें तो वे भी इन्हीं की तरह तन कर खड़ी हो जाएँ।

इसी प्रकार जहाँ पहले सिनेमा में नायक को पति परमेश्वर की संकल्पना में देखा जाता था। आज सिनेमा में यह चिन्हित होता है कि महिलाओं के जीवन का एकमात्र उद्देश्य पति परमेश्वर नहीं है। बल्कि उसकी अपनी इच्छाएँ भी हैं पति द्वारा शादी से मना कर देने पर वह स्वयं अकेले ही हनीमून मनाने निकल पड़ती है। एक झटके से टूटे सपने को आँसू पोछकर झटके से खड़ी हुई लड़की के चरित्र को कंगना रानावत ने जी लिया है क्वीन फिल्म यह भी सिखाती है कि लड़कियों की दुनिया को सिर्फ घर की दीवारों में कैद करना गुनाह है उन्हें घर से निकलने का मौका मिले तो खुद के लिए वह बेहतर विकल्प ला सकती हैं।

इसी प्रकार रिवाल्वर रानी और मर्दानी में देखा जाये नायिका के हाथ में पिस्तौल है, दोनों नायिकाओं का मुख्य स्वर गुनाह खत्म करना है।

इसी प्रकार अर्थ और निकाह जैसी फिल्में बताती हैं कि महिलाओं को ऐसी विकट परिस्थितियों में कमजोर न होकर अपने आत्मसाहस का परिचय देना चाहिए।

इंग्लिश-विंग्लिश की नायिका एक अथेइ गृहणी है, जो अपने बच्चों और पति की मेधा से अपने को पीछे छुटता देखती है। इस उम्र में अंग्रेजी भाषा सीखने की कोशिश करती है और अपने बूते अपने लिए सम्मान हासिल करती है। वहीं 'कहानी' में एक गर्भवती नायिका अपने पहनावे और बिखरे

बालों से बेखबर अपने पति के अपराधी को पकड़ने के मिशन में जुटी है इसी प्रकार पीकू फिल्म की नायिका हमारे बीच का जीवन जीते एक जीवंत किरदार को सामने लाती है। आज के सिनेमा ने महिलाओं के जीवनी पर भी सिनेमा बनाना शुरू कर दिया है। मैरीकॉम हो या दगल पिक्चर की गीता बबिता हो आज निर्देशकों को सोचने पर विवश कर दी हैं कि नायिका प्रधान पिक्चरों से बाक्स ऑफिस की कीमत घटने नहीं पाएगी।

अन्ततः फिल्मों में महिलाओं के सशक्तिकरण को दिखाने वाली भूमिकाओं की यात्रा आज भी जिस प्रकार जारी है। वह निश्चय ही सुखद है, आज ऐसी फिल्में बन रही हैं जो धारा के साथ बह रही हैं। इन फिल्मों में लिव इन रिलेशनशिप की बात करने वाली फिल्म सलाम नमस्ते भी है, तो ग्लैमर वर्ल्ड की कलई खोलने वाली फैशन और हीरोईन भी। अपनी जिन्दगी अपनी इच्छा से जीने और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेने वाली लड़की गीत की फिल्म 'जब वी मेट' है। महिलाओं को पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सशक्ति का प्रदर्शन कराने वाली मर्दानी जैसी फिल्में आज भी बन रही हैं। आज की नारी को आई एस आई का एक एजेंट बनते एक था टाइगर में एक्शन करते भी दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा सिनेमा महिलाओं के लिए पहले भी एक से एक सशक्त, बोल्ड और विभिन्नताओं को रच उन्हें जीवंत करता रहा है लेकिन आज उसका स्वरूप पहले से अधिक व्यापक हो गया है।

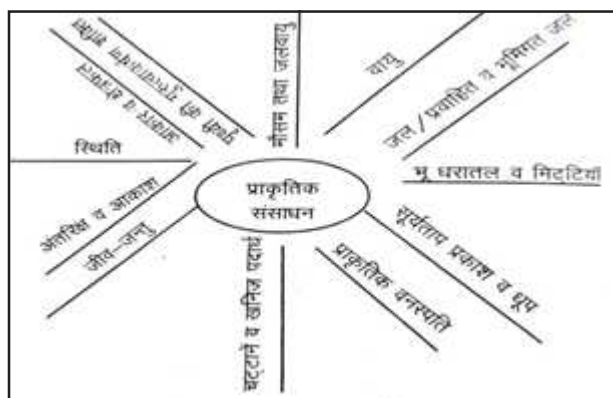
संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आजकल, मार्च 2016- बहस में स्त्री।
2. स्त्री अस्मिता के नाम रहा सिनेमा का वर्ष 2014 रमा (13 अगस्त 2015) पृष्ठ 12
3. सुधा अरोड़ा- नये हिन्दी सिनेमा में नयी स्त्री www.streekaal.com/2016/10
4. सिनेमा की स्त्री और समाज का मंथार्थ, शर्मिला टैगोर, जनवरी 2014 www.samayanttar.com

पर्यावरण आंदोलन

डॉ. कलिका डोलस *

प्रस्तावना - पर्यावरण एवं मानव का अटूट नाता है जिससे मानव का अस्तित्व है तबसे वह पर्यावरण पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर रहा है उसके लिए जीवनदायिनी वायु भी उसे इसी पर्यावरण से मिलती है तथा उसकी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं अन्न, वस्त्र, आवास की पूर्ति में भी इसी पर्यावरण का सर्वाधिक योगदान रहा है। मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है एवं इसी के बलबूते पर उसने प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से अपना सुगम जीवन व्यतीत किया। परंतु उसके लालच के चलते इसी पर्यावरण को कब उसने नुकसान पहुँचा दिया वह स्वयं ही इससे अनभिज्ञ रहा तथा जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विगत कई वर्षों से हम दूषित पर्यावरण संबंधी अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रदूषण से आज मानव घिरा हुआ है जल, भूमि, वायु, ध्वनि तथा अन्य सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को हमने इस कदर प्रदूषित कर दिया है कि मानव बहुत कम आयु में ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो रहा है जो आज तक नहीं थी यह सब पर्यावरण प्रदूषण से हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण से पूर्व हमें पर्यावरण के बहुअनुशासनिक स्वरूप को समझना होगा। पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन आते हैं।



चित्र

उपरोक्त सभी साधन से मिलकर पर्यावरण का बहुअनुशासनिक स्वरूप प्रकट होता है इस स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए अर्थात् पर्यावरण शुद्धिकरण के प्रति जागरुकता अत्यन्त आवश्यक है जागरुकता हेतु आंदोलन एक ऐसा माध्यम है जिससे एक बड़े जनसमुदाय को हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित कर सकते हैं इसलिए पर्यावरण संरक्षण एवं जागरुकता के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार के आंदोलन किए गए हैं जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं।

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1. चिपको आंदोलन | - | चांदनी प्रसाद भट्ट |
| 2. नर्मदा बचाओ आंदोलन | - | 1985 |
| 3. नवद्वीप आंदोलन | - | 1982 |
| 4. जंगल बचाओ आंदोलन | - | 1980 |
| 5. पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन | - | 1988 |
| 6. टेहरी डैम आंदोलन | - | |
| 7. बीज बचाओ आंदोलन | - | |
| 8. दि सायलेंट वेली प्रोजेक्ट | - | 1978 |
| 9. दि ग्रीन डोर | - | 1993 |
| 10. तरुण भारत संघ | - | 1985 |
| 11. टारगेट सॉफ्ट ड्रिक्स | - | 2003 |
| 12. चलियार नदी के सामूहिक प्रयास | - | |
| 13. कर्नाटक की बेडथी नदी के समानांतर परियोजना | | |
| 14. मछुआरों का गोवा का आंदोलन | | |
| 15. बिहार के बोधगया का संघर्ष | | |

1. चिपको आंदोलन - सुंदरलाल बहुगुणा एवं चांदनी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में सम्पन्न यह आंदोलन अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था जिसमें स्थान विशेष के लोगो ने पेड़ों से चिपककर ऐसा संदेश दिया कि पेड़ों को काटने से पहले उन्हें काटा जाए इस आंदोलन को विश्व पटल पर स्थापित करने वाली महिला गौरा देवी ने पेड़ों के महत्व को समझा एवं इसीलिए आज से 38 साल पहले जिला चमोली के रैणी गाँव में जंगलों के प्रति अपनी साथी महिलाओं को जागरुक किया। गौरा देवी ने कहा कि पेड़ हमारे भगवान हैं इन पर हमारे परिवार एवं हमारे मवेशी पूर्ण रूप से निर्भर हैं। इस आंदोलन ने सरकार के साथ साथ वनप्रेमियों और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जिसके कारण सरकार ने डॉ. वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में एक जाँच समिति का गठन किया। गौरा देवी को 1986 में प्रथम वृक्षमित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने 2451 पेड़ों को काटने से बचाया। यह आंदोलन उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहा वरन् इससे पूरे विश्व पटल पर पर्यावरण को नई दिशा मिली।

2. नर्मदा बचाओ आंदोलन - स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन है इसके किनारे हजारों वर्ष पूर्व मानव सभ्यता फली फूली। गोंड एवं भील जातियां पनपी। इस नदी पर 30 बड़े डेम, 735 मध्यम डेम, तथा 3000 छोटे डेम बनाने की योजना थी। बाबा आमटे एवं मेधा पाटकर, 10000 लोगो के साथ एक विशाल रैली निकाली तथा नर्मदा सागर, एवं सरदार सरोवर योजना के माध्यम से जल, जंगल, जमीन बचाओ का संदेश

दिया।

3. नवदन्त्या आंदोलन - यह एक गैर सरकारी संगठन जो कि आर्गेनिक कृषि, किसानों के अधिकार तथा बीज की प्रक्रिया आदि पर काम करती है। वंदना शिवा एक पर्यावरण कार्यकर्ता तथा लेखक है। 1984 के प्रारंभ नवधान्य अर्थात् ऐसी नौ वन उपज जो कि भारत की खाद्य सुरक्षा को प्रतिनिधित्व करती है, के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह आंदोलन चलाया गया है। लगभग 16 राज्यों में फैला यह कार्यक्रम जैविक उत्पाद तथा बीज बचाने को लेकर कार्य करता है। इस आंदोलन द्वारा पूरे भारत में 54 सामुदायिक बीज बैंक स्थापित किये गये, पिछले दो दशकों में लगभग 5 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। बीज विद्यापीठ (School of the seed) की स्थापना की गई

4. तरुण भारत संघ - यह राजस्थान का एक गैर सरकारी संगठन है जो कि राजेन्द्र सिंह द्वारा संचालित है एवं राजेन्द्र सिंह एवं यह संस्था दोनों ही इकोलॉजिकल संशोधन एवं भूमि विकास तथा जन साधारण को साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं यह संघ 1975 में जयपुर के प्रो. एवं विद्यार्थियों द्वारा स्थापित किया गया।

5. सेलिंट वेली प्रोजेक्ट - केरल के पालघाट में 830 हेक्टेयर रिच ट्रोपिकल रेनफोरेस्ट एवं एवरग्रीन ट्रोपिकल फोरेस्ट को बचाने के लिए यह

प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया

ऐसे ही अनेक एवं इन सभी आंदोलनों से जनसामान्य में पर्यावरण को लेकर चिंता एवं चिंतन करने की शुरुआत हुई जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में जागरूकता आई है सुनीता शर्मा करती है कि 'यदि जनता को पर्यावरण के विषय में भलीभांति ज्ञान हो जाए तो उनकी भावना पर्यावरण की सुरक्षा में रम जायगी इसके लिए सामाजिक एवं अनौपचारिक शिक्षण का बहुत व्यापक प्रबंध होना चाहिए इस महान कार्य में समस्त जनता उनके सच्चे नेता एवं स्थानीय संस्थाएँ जैसे मंगल दल, युवक मंगल दल, पंचायते, महिला मंडल, और सहकारी समितियाँ कटीबद्ध हो जाए तभी पर्यावरण की रक्षा का यह विशाल कार्य सफल हो सकता है। साथ ही इसमें संचार के सभी साधनों का उपयोग होना चाहिए इस प्रकार सतत प्रयासों से इन आंदोलनों के माध्यम से भविष्य में धनात्मक परिणाम जरूर सामने आयेंगे ऐसी आशा की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पर्यावरणीय अध्ययन - म.प्र.हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2613
2. वनसंरक्षण एवं पर्यावरण - श्रीमती सुनीता शर्मा पृष्ठ क्रमांक 60,61
3. इंडिया टुडे।
4. इंटरनेट।

An Evaluation of the Significance and Relevance of the reforms initiated by SEBI to Strengthen the capital market of India

Anindita Banerjee *

Abstract - A very major milestone in the Indian reform policy formulation was the establishment of Securities and Exchange Board of India. The securities scams in the early nineties triggered the urgent need of a regulatory body which could judiciously monitor the capital market against any aberrant behaviour and facilitate the process of liberalization. This regulatory framework was to be however different from the pre-reform era of stringent controls and stifling regulations. This paper is an attempt to give an analytical view of the various steps taken by the SEBI to make the business environment of India vibrant and buoyant.

Keywords - SEBI, Regulation, Capital Market, Indian Securities market, SCRA.

Introduction - An Important step towards ameliorating the regulatory framework of the financial system was establishment of Security and Exchange Board of India. The SEBI was established in 1988. It got a legal status in 1992. SEBI was primarily set up to regulate the activities of the merchant banks, to control the operations of mutual funds, to work as a promoter of the stock exchange activities and to act as a regulatory authority of new issue activities of companies. The SEBI was set up with the fundamental objective, 'to protect the interest of investors in securities market and for matters connected therewith or incidental thereto.' After the initiation of the reforms in India the series of securities scams pointed out the vulnerability and inadequacy of the then existent regulatory framework and necessitated the need for an autonomous, statutory and integrated organization which could ensure the smooth functioning of capital market was felt. SEBI donned the role of a chief architect to restructure and design the Indian financial system with a supposedly more modern approach. Ramakrishna (2004) in his study states that SEBI imposed a greater degree of constraint on the freedom of the existing exchanges and engaged in conflicts with incumbent market participants. He further asserts that the BSE demonstrated that they were highly effective in blocking reforms in the equity market. SEBI in its early days resorted to soft and modest reforms like an attempt was made to segregate the brokerage fee from the price for a share when a broker issued a contract note to a customer. The BSE which functioned like a brokers' owned monopoly protested the move sharply as their sole motive was to protect the brokers' profits. Such obduracy on the part of the exchange convinced the policy makers on the need of more

fundamental reforms and they exerted themselves in establishing a new exchange to compete with BSE. Merton and Bodie (1995) in their study stated that the creation of an independent regulator SEBI was thus a fundamental step in the reforming the equity markets. This marked a change in financial architecture. SEBI was established as an autonomous regulator for the securities markets. The strong point of SEBI was that it was kept far off from the bureaucratic framework and started with a clean slate on staffing. With the establishment of NSE a strong network of regulatory triangle was created with SEBI on one end, the Ministry of Finance on the other and NSE, NSCCL and NSDL on the third end for advocating and advancing the reforms in the equity market.

Role and Regulation of SEBI in the first decade since its Inception - The success in the regulation of the securities markets depends upon three major elements, namely; competition policy, disclosure, and enforcement. The weakest function in SEBI has been that of enforcement. SEBI has routinely failed to prove malpractice in court. Potential wrongdoers are likely to perceive SEBI as only being a weak deterrent in terms of the risk of prosecution and punishment in the future. Yet, the equity market has shaped up as a highly liquid and efficient market. The key factors here appear to be SEBI's success on disclosure rules and competition policy. At the level of exchange infrastructure, SEBI has a framework with competition between institutions. More importantly, the equity market itself is one where prices are shaped through speculative price discovery with direct participation by millions of households. It is this direct participation of households that has reduced the market power of any single economic

agent. This large mass of rational speculators has proved to be remarkably effective at checking market malpractice such as market manipulation. If a price is perceived as "too low" on the trading screen, a large mass of buyers from all across the country steps in and vice versa would be the case otherwise. This large mass of market participants upholds market efficiency, even though the hands-on supervisory efforts by SEBI, in the area of prosecution, have been weak.

The main regulations issued by the SEBI to monitor the capital market can be listed as; Stockbrokers and Sub-Brokers Regulations (1992), Prohibition of Insider Trading Regulations (1992), Merchant Bankers Regulations (1992), Portfolio Managers Regulations (1993), Registrars to an Issue and Share Transfer Agents Regulations (1993), Underwriters Regulations (1993), Debenture Trustees Regulations (1993), Bankers to an Issue Regulations (1994), Foreign Institutional Investors Regulations (1995), Custodian of Securities Regulations (1996), Depositories and Participants Regulations (1996), Venture Capital Funds Regulations (1996), Mutual Funds Regulations (1996), Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulations (1997), Buyback of Securities Regulations (1998), Credit Rating Agencies Regulations (1999), Collective Investment Schemes Regulations (1999), Foreign Venture Capital Investors Regulations (2000), Procedure for Board Meeting Regulations (2001), Issue of Sweat Equity Regulations (2002), Procedure for Holding Inquiry by Inquiry Officer and Imposing Penalty Regulations (2002), Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Markets Regulations (2003), Central Listing Authority Regulations (2003), Ombudsman Regulations (2003), Central Database of Market Participants Regulations (2003), Self-Regulatory Organizations Regulations (2004), Criteria for Fit and Proper Person Regulations (2004).

Several Guidelines have also been issued by the regulatory body to protect interest of the investors and make the market more secure in its operations and functions. Some of the guidelines can be highlighted as; Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme Guidelines (1999), Guidelines for Opening of Trading Terminals Abroad (1999), Disclosure and Investor Protection Guidelines (2000), Delisting of Securities Guidelines (2003), STP Centralized Hub and STP Service Providers Guidelines (2004), Comprehensive Guidelines for Investor Protection Fund/Customer Protection Fund at Stock Exchanges (2004). Some Schemes were also launched during the period some can be states as; Securities Lending Scheme (1997), Informal Guidance Scheme (2003).

The SEBI has introduced an array of reforms in the primary and secondary markets and catalyzed modernization of the market infrastructure to prepare the market for the twenty-first century. Computerized trading has led to reduction in the scope for price-rigging and

manipulation. SEBI has increased the retails investors limit to Rs. 2,00,000 from Rs. 1,00,000 in Initial Public Offerings(IPOs). The basic surveillance is carried out by the stock exchanges, while the SEBI monitors the process. Introduction of price caps, price bands, circuit filters, margins and stock watch are some ways of keeping a strict vigil on the market. Improvements have been made in the clearance and settlement system. A major step in this direction has been the establishment of depositories- NSDL and CDSL—and a clearing corporation—NSCCL. In recent times SEBI has taken a drastic decision for reduction of IPOs' period from 21 days to 12 days .

The SEBI introduced the option of making an issue through book-building and recently it introduced ASBA scheme (in IPOs) for investment by investors through bankers. Far reaching changes have been made in the SEBI regulations for substantial acquisition of shares and takeovers. The regulations for Foreign Institutional Investors (FIIs) were liberalized to provide greater flexibility and for widening the scope of their investments in the Indian securities market. The SEBI reduced the categories of merchant bankers from four to one. Moreover, it has prohibited merchant bankers from undertaking activities such as leasing, bills and discounting. To empower investors make informed decisions and facilitate fair dealing, the SEBI introduced online filing and dissemination of time sensitive price information, benchmarking or mutual fund schemes, valuation norms for unlisted scrips in mutual fund portfolios , rationalization of depository participants' charges and new regulation for portfolio managers.

The SEBI revolutionised the settlement system by introducing T+2 rolling settlement system scrips across exchanges. It has issued guidelines for demutualisation and corporatisation of stock exchanges. To create an effective regulatory regime in which all stakeholders have confidence, the SEBI has posted the Securities Appellate Tribunal. The SAT provides a grievance redressal platform against the SEBI's orders. The SEBI is trying to bring down various forms of risk (structural, systematic and operational) that are there in the securities market. In order to create awareness among the issuers and intermediaries regarding the need to redress investor grievances' quickly, the SEBI issues fortnightly press releases, publishing the names of the companies against whom maximum number of complaints have been received. For ensuring that no malpractice takes place in the allotment of shares, a representative of the SEBI supervises the allotment process. It has been issuing advertisements from time-to-time to guide and enlighten investors on various issues related to the securities market and of their rights and remedies. Investors trading times has increased. In order to protect the interest of investors, SEBI took several measures with a two-pronged approach to discipline and take action against erring entities and at the same time to educate the investors about the risks associated with investing in unregulated schemes.

Recent Reforms Initiated by SEBI - As part of its attempts towards the 'Ease of Doing Business' initiative, SEBI will introduce a common application form for registration, opening of bank and demat accounts, and issue of PAN for Foreign Portfolio Investors (FPIs). The SEBI also plans to review the regulations pertaining to Market Infrastructure Institutions (MIIs). It could be a major reform for institutions like exchanges, depositories and clearing corporations. The board of the regulator approved the proposal for **comprehensive review of Securities Contracts Regulation**, Stock Exchanges and Clearing Corporations Regulations, 2012 and SEBI Depositories and Participants Regulations, 1996 by releasing a consultation paper and seeking public comments. The regulator plans to reduce the listing time gap by bringing down the public issue timeline from the existing requirement of T+6. In other words, shares of a company are currently listed within six days from the day of the issue closure. SEBI decided to allow institutional participation in the commodity derivatives markets in a phased manner. Further, it will work towards integration between the commodity spot market and the derivatives segment. The regulator will initiate consultation with various stakeholders and also design a system of risk-based supervision for commodity brokers. It will set up a cyber security lab for the securities market and set up a facility for online registration of intermediaries. It also plans to allow listing and trading of securitization receipts issued by Assets Reconstruction Companies (ARC). SEBI also relaxed the norms for startups to get listed and raise funds through a dedicated platform on domestic securities market. The said platform is accessible to; companies which are intensive in their use of technology, information technology, intellectual property, data analytics, biotechnology and nanotechnology to provide products, services or business platforms with substantial value addition and with at least 25 per cent of the pre-issue capital being held by qualified institutional buyers (QIBs) or any other company in which at least 50 per cent of the pre-issue capital is held by QIBs. Under the recent reforms unveiled by SEBI what is the importance of a minimum 10% reservation for retail investors in offer for sale (OFS). Earlier only five-six centers used to have maximum number of applications from retail investors, but now SEBI has allowed and facilitated that applications can be obtained from 1,000 centers.

To ensure timely disclosures while not overburdening listed entities, the regulations provide that such disclosures should be made as reasonably soon as possible but within a timeframe of 24 hours of the occurrence of the event. New regulations of SEBI include; Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations (2015), Listing Regulations consolidate and streamline the provisions of existing listing agreements for different segments of the capital market—equity (including convertibles) issued by the entities listed on the main board of stock exchanges; small and medium enterprises listed on the SME exchange and institutional trading platforms; non-convertible debt

securities; non-convertible redeemable preference shares; Indian depository receipts (IDRs); and securitized debt instruments and units of various schemes issued by mutual funds.

Further SEBI Believes that rules for minimum public shareholdings should be uniform across all the companies should be promoter neutral. Minimum dilution to public shall be 25% or Rs 400 Crores whichever is lower. All listed companies including PSUs shall be required to achieve and maintain minimum public shareholding of 25% within a time period of three years. SEBI has also replaced the twenty year old insider trading rule by new prohibition of insider trading (PIT) regulations which now amends the existing delisting regulations. SEBI has also come out with alterations in consent mechanism which is going to give an option of settling matters before the issue of show-cause notices and start of enforcement proceedings to entities that violate security laws

Conclusion - SEBI has attempted to introduce improved trading practices and greater transparency in both the primary and secondary segments of securities market in India. These are imperative in the context of Liberalization, Privatization and Globalization of Indian economy. The aforesaid reforms initiated by SEBI would help to build up a strong financial mechanism, to assist the financing of growing private sector in the liberalized environment of business. Subject to the regulations by SEBI, the Indian Equity Market has become highly transparent and liquid attracting investors from all over the world. The National Stock Exchange (NSE) is now the third largest in the world in terms of transactions in, a year. However, there has been little progress outside the equity market and the corporate bond market in particular has remained underdeveloped. The investor base in corporate bonds has remained restricted because regulatory guidelines severely restrict the ability of banks and other financial institutions to invest in corporate bonds. Without development of all segments of the capital market, it will be difficult for India to become a global financial centre. Further, the equity market suffers from a great shortcoming. The frequent changes in stock prices make it quite volatile and therefore risky for small or retail investors. Consequently, retail investors still continue to invest their savings in traditional mediums. A recent study reveals that the investors have been running away from not only the equity market, but also from mutual funds. According to the survey, only 3.5 million Indians – from a total working population of 321 million people under 18-59 years age group-invest in stocks. Overall, only 7.2 million people invest in stocks, either directly or through mutual funds, which works out to just 2 per cent of the total working population. Hence a lot has to be achieved by the regulatory body to build the trust of investors and capitalize the huge latent investor population domestically and also internationally.

References :-

1. Merton RC, Bodie Z (1995). "A conceptual framework for analyzing the financial environment", The Global

- Financial System: A Functional Perspective, chapter 1, pp. 3–32. HBS Books.
2. Goyal, Ashima (2005), Regulation and Deregulation of the Stock Market in India, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=609322>
 3. Hazra, Arnab K. and Maja Micevska (2004), "The Problem Of Court Congestion: Evidence from Indian Lower Courts", Working Paper, University of Bonn.
 4. Harris, Larry (2002): Trading and Exchanges –Market Microstructure for Practitioners, Oxford University Press
 5. Khan, MY (2014), Indian Financial System, New Delhi, Mc Graw Hill Education Private limited.
 6. Ramakrishna GV (2004). "*Two score and ten – my experiences in Government*", Academic Foundation.
 7. SEBI Handbook, Various Years
 8. SEBI Annual Report 2015-16

Adoption of Telecom Services in Rural Areas : A comparative study between BSNL and Idea

Rupesh Pallav *

Abstract - The word telecommunications come from the Greek prefix tele, which means distant, combined with the Latin word communicare, which means to share.

Telecommunications, in common parlance also known as telecom which means the exchange of information over significant distances. In other words, we can say that telecom is a two-way process which means giving and receiving the information in the form of all types of voice, data and video transmission. Telecommunication is very vast term itself that includes a wide range of information transmitting technologies such as telephones (wired and wireless). The purpose of this study is to find out the adoptions of services providers by the rural people of Gwalior morar region.

Keywords - Customer Satisfaction, BSNL, Idea.

Introduction - As we talking about Indian telecom industry, it has been undergoing a high pace of market liberalization and growth since the 1990s. But as far as current scenario is concern it become the world's most competitive and one of the fastest growing telecom markets. In last ten years the telecom industry of our country has grown over twenty times. India has also the world's second-largest mobile phone user base with over **1 Billion Mobile subscriber**.

Telecommunication sector has supported the socio-economic development of India and has played a very significant role to narrow down the rural-urban digital divide to some extent. Telecommunication sector also has helped to increase the transparency of governance with the introduction of e-governance in India. This is the latest technology used by the Indian government to maintain the transparency of services.

Current Scenario of Telecom Sector in India - The Indian telecommunication industry is one of the fastest growing industry in the world. As far as recent trend is concern every people of the country is dependable on the Telecom services. In other words, we can say that Telecommunication services is a part of people's daily life. Telecom Sector plays a very important role in the Economy of India. Very big amount of revenue is generated by the telecom sector which contributes lots for Indian Economy. When we talking about the Indian Market is basically divided in two parts that is Urban Market and Rural Market. The rural market in Indian economy generates almost more than half of the country's income. About 70% of total population lives in rural areas. Internet is one of the popular service given by telecom sector which attracts the large amount of customers. People are now intended to purchase new connections for making the use of these facilities. Year by year the number of subscriptions increasing dramatically.

Telecom sector in Rural India - As we all know that the rural markets in India constitute a wide and untapped market for many products and services which are being marketed for the urban masses. Now the peoples of rural areas are using all the latest technology available in the market. Telecommunication services is one of the main service which is used by 80% of the total population of rural areas. There is a very high demand for telecommunication services in rural areas. Now the telecom services are one of the basic need of rural peoples. In other words, we can say that the peoples of rural areas are habitual of using telecommunication services. Villages have the great potential for the telecommunication services of the companies whether the company belongs to public sector or private sector. According to the National Council of Applied Economic Research (NCAER), with about 74 per cent of its population living in its villages, India has perhaps the largest potential rural market in the world. Due to the use of telecom services numerous landline phones, mobile handset and smart phones manufacturers have been working to cover the untapped rural market of India. Because rural market of India is and will be the major driver for Indian mobile market in coming years. In this way, we can say that for the purpose of telecommunication services rural areas becomes the very big market for mobile and smartphones of India. There are number of companies which provide their services in rural areas are as, BSNL, Idea Cellular, Reliance, TATA Bharti Airtel, Vodafone, and Videocon.

Objective of the Study :

1. To analyse the impact of various Telecom services on Customer Satisfaction.
2. To study the comparison between BSNL and Idea Telecom Services.

Hypothesis :

H_{01} – There is no difference in various Telecom Services of BSNL and Idea on customer satisfaction.

Review of Literature :

1. PartiksinhSureshsinhVaghela (2012) found that the consumer awareness and preference about mobile number portability and try to find out factors that motivate use of MNP. Result suggest respondents are not only aware about the MNP but they also know the procedure of using MNP and network coverage, customer care, quality of service are the main factors to switch over another service provider.

2. Debarun Chakraborty (2013) found in their study that the the dimensions which influence the satisfaction level of customers are Core services like good coverage, good connectivity and network quality, and call rate. Further results show that there is a significant relation between the brand name and the preference of customers. Hence, it has been recommended that telecom companies should focus on connectivity, call rate, coverage and network quality.

3. AniruddhaAkarte, Dr.Amishi Arora (2012) said in their study that rural marketing cannot succeed if the strategies and action plan are only extended to urban marketing strategies and plans. In order to capture the rural market in India, companies need to understand the dynamics of rural consumers to formulate marketing strategies specifically for rural consumers.

4. Dr. Sandeep Bansal and Dr.Surender Kumar Gupta (2013) identified in their study that foreign investment in telecommunications brings technology transfer, huge capital, and increased market competition, which help national telecommunications development. The implementation of liberalized telecommunication investment should produce considerable benefits not only within the country's telecommunication sector but also for the national economy as a whole.

5. Rajesh K Aithal and ArunabhaMukhopadhyay examined even though the market attractiveness of rural markets has been accepted but very few of the private operators have actually made a success entry into the market. Various issues which need to be addressed in terms of pricing, product features both the mobile as well as the recharge which needs to be addressed to make rural telecom services a success in rural areas in the country have been brought out and so is the importance of use of existing institutional infrastructure.

6. Jonathan Libenau et all (2012) found in their study that the network neutrality requirements could stand in the way of application-based charging, significantly hampering market development. To survive, operators need a new multi-sided strategy built around different modular types of traffic in order to link their business models to emerging Internet value chains.

7. Prof. Pankaj Arora found that the increase in the services provided to the rural people will result in the overall betterment of the society on one side by enriching the people

with updated market information and providing latest technological developmental news and organizations on other side by creating more market opportunities for them and adjustment of the market prices.

8. Rekha Jain (2011) identified in their study that the regulatory processes of privatization of telecom services in these countries and the consequences of these on the telecom firms broadly on the sector as a whole. Facing difficult domestic situation, the operators from Europe saw the Brazilian market as a growth opportunity.

Research Methodology - The exploratory research design was adopted due to the nature of the study. Exploratory research helps to determine the best research design, data collection method and selection of subjects. Thus, on the basis of the above, this research designs were appropriate for the present study.

In this study, self-developed questionnaire was designed to know the feedbacks of the rural peoples or customers about the telecom services. Due to illiteracy and less interest of people, scheduled questionnaire method is also used to get the reliable data of the customers.

Sampling Technique – Purposive Random Sampling Technique will be applied.

Sampling Size – 200 Samples.

Statistical Tools and Techniques - SPSS version 21 was used to analyse data and derive descriptive statistics. Frequency, Mean, Standard deviation, and t-Test for demographical and psycho-graphical variables were calculated by using SPSS 21.

Statistical Tools Used - Appropriate statistical tools of SPSS like samples t-test was applied to find the results. The t-Test technique was used for the analyses of data collected for this study. For the Comparison between groups, t- Test was applied for comparison of mean score among BSNL Operator Services and Idea Operator Services.

Area of the Study -The Research Study is based on the rural areas of Gwalior Region. The Gwalior is covered by various rural areas. The rural areas of Gwalior are start after the Morar cantonment. There are various back to back villages which starts as the morar cant lands finish. Each village have number of population and all are habitual of using telecom services. All villagers are busy in their own works. Farming is the main source of their income. There are lots of villages in the range of 30 kilometers from Morar, Gwalior. In these villages peoples of different religion and caste are lives together.

Data analysis and interpretation - From the overall group statistic it is evident that mean score for Idea Operator is more than BSNL Operator. So, the conclusion can be drawn that Idea Operator's Customers are more satisfied then BSNL Operator's Customers with all the particulars provided by the respondents.

Findings

1. According to Gender, female respondents were very less in numbers but found more satisfied in compari

son to male respondents. The reason could be lack of knowledge among females about different type of value added services and price offers given by different service providers. Their assessment of their service provider may be voice centric and all this make them comparatively more satisfied.

2. According to Age, the customers is concern the age group of 1 which had the respondents with 15 to 25 years are well satisfied with the telecommunication services. And we found that the youngsters are more aware about the overall services of the telecom operators as compare to senior peoples.
3. According to Qualification, the maximum peoples are satisfied but their perception towards the telecom services is different according to their qualification level. Latest technologies like GPRS and Internet are mostly used by the literate customers. And the opinion of literate customers is very effective and useful to our research study.
4. According to Income, we come to that the people having good monthly income use the maximum services of telecommunication while the people having low income level use only needful services. In terms of satisfaction mostly respondents are satisfied with the services which they used.
5. According to Service Operators, Idea's customers was more satisfied in comparison to BSNL. This difference could be due to respondent's have varied experiences with different service providers. They were getting all they expected and this made them more satisfied in comparison to others.

Conclusion of the study - The present study concludes that major factors that affect customer satisfaction and perception are Services and Customer Perceived Value. The different variable that were consider for this study are telecom services, and customer satisfaction which plays a significant role in maintaining potential market and helps in attracting the new customers.

This can be concluded that telecom operators should pay due attention to provide customers good services that encompasses all the above-mentioned areas to enhance Customer Satisfaction. As far as public sector is concern, they should work on their network coverage, voice clearance, internet services and call drops to enhance their customer strength. While we discuss about the private sector they should have work on their call rates only. During survey, it was also coming to know that many public-sector customers use portability services and port out from public sector to private sector. Service providers should also ensure that their customers feel very satisfied when they are getting best value of their efforts and money. From the present study, it found that greater Customer Satisfaction leads to higher Customer Loyalty.

Suggestion for Future research :

1. Enhance the services which fulfils the needs of rural customers.

2. Customer's preferences and choice should capture time to time.
3. Public sector companies should explore their network range.
4. Companies should have done research to know the reason of portability.
5. Companies should change their tariff plans.
6. There should be proper marketing research have to conduct in this direction.
7. And very important, operators should create an awareness amongst the customers about the product and services.

References :-

1. Partiksinh Sureshsinh Vaghela (2012), "Customer Preference for Mobile Number Portability" International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) ISSN: 2319-4421, Volume 1, No. 3.
2. Debarun Chakraborty (2013), "Customer satisfaction and expectation towards Aircel: A research conducted in west Mindapore" International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology ISSN – 2320-0073 Volume II, January'13
3. Aniruddha Akarte and Amish Arora (2012), "Indian Telecom Market in Transitive Economy: A comparative study on buying behaviour of rural and urban buyers on mobile phones" ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research Vol.2 Issue 6, June 2012, ISSN 2249 8826
4. Dr. Sandeep Bansal and Dr. Surender Kumar Gupta, (2013) "FDI's in India- A Study of Telecommunication Industry" International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences ISSN: 2278-6236, Vol. 2, No. 3.
5. Rajesh K Aithal and Arunabha Mukhopadhyay, "Rural Telecom in India: Marketing Issues and Experiences from other countries" Indian Institute of Management, Lucknow, India Corresponding Author: (Email: rajshaithal@iiml.ac.in)
6. Jonathan Libenau, Silvia Elaluf, and Patrik Karberg (2012) "Strategic challenges for European telecom sector: The consequences of imbalances in internet traffic" Journal of Information Policy.
7. Professor Pankaj Arora, "India: Innovation in Rural Marketing" Lecturer, DIMAT, Raipur (Chhattisgarh)
8. Rekha Jain, (2011) "Comparison of Privatization Processes of Telecom Services in India and Brazil" INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD, INDIA Research and Publications, W.P. No. 2011-10-03
9. SPSS software.
10. Villages information, www.wikivillage.in
11. Wikipedia
12. <https://www.bsnl.co.in>
13. <https://www.ideacellular.com>
14. <https://www.ibef.org>
15. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in>

16. <https://www.research.ibm.com>
17. <https://www.censusindia.gov.in>
18. <http://www.ibef.org/industry/telecommunications.aspx>
19. <https://www.pwc.in/assets/pdfs/.../five-trends-to-watch-in-indian-telecom-2016>
20. <http://www.indiainbusiness.nic.in/newdesign>
21. <https://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/2304>
22. <https://www.99dxb.com/.../Gwalior/Gwalior-District-Villages>
23. <https://www.mapsofindia.com> > STD > India > MADHYA PRADESH
24. https://www.gwalior.infoisinfo.co.in/search/telecom_services
25. <https://www.royal-group.co.in/telecom-infrastructure-services.html>
26. <https://www.telcoma.in> > Home > GSM Technology
27. https://www.trai.gov.in/Content/ProviderListDisp/7_ProviderListDisp.aspx
28. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_telecom_companies_in_India
29. <https://www.dot.gov.in/data-services/ds-cell>
30. <https://www.kuchjano.com/blog/list-of-top-mobile-network-operators/>
31. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:jgc&type=home>
32. <https://www.iupindia.in/Telecommunications.asp>
33. <https://www.ripublication.com/journals.htm>
34. <https://www.telecomera.net/>
35. <https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol16-issue9/Version-1/D016912536>
36. <https://www.telecom.economictimes.indiatimes.com/>
37. <https://telecomtalk.info/>
38. <https://www.kuchjano.com/blog/list-of-top-mobile-network-operators/>
39. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_telecom_companies_in_India
40. <http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/viewFile/62238/48529>

A Study Of Corporate Social Responsibility Policy Of Jammu And Kashmir Bank Limited - An- Introspection And Prospectus

Mohd Sultan Bhat * Youns Ahmad Shah ** Dr. L. N. Sharma ***

Abstract - Corporate Social Responsibility is now accepted as a mean to achieve sustainable development of an organization. Hence, it needs to be accepted as an objective. According to New Company Law, 2012, corporates must contribute 2% of their profits towards corporate social responsibility which made Indian companies to consciously work towards corporate social responsibility, as it required a prescribed class of companies to spend a portion of their profits on corporate social responsibility activities. Corporate social responsibility is the foundation to understand the responsibilities of organization towards the society where the organization executes their activities. This study is aimed to provide understanding of corporate social responsibility and the status of implementation and utilization of corporate social responsibility in Jammu and Kashmir Bank Ltd (JK Bank). This paper is an attempt to analyse the CSR Policy of the bank which would be helpful for both social and economic improvement of the state. The study also gives valuable information about CSR Policy of the bank along with it recommend views about abandoned important areas/practices.

Keywords - Corporate Social Responsibility, stakeholders, CSR Policy, CSR Committee, J&k Bank etc....

Introduction - Corporate Social Responsibility (CSR) has become an integral part of business practice over the last decade or so. Over the time, corporate social responsibility expanded to include both economic and social interest. Along with this it also broadened to cover economic and social interest. Companies have become more transparent in accounting and display public reporting due to pressure from various stakeholders. Now, it has become mandatory for companies to behave in the desired ethical and responsible manner towards consumers, employees, communities, stakeholders and environment. They have started incorporating their corporate social responsibility initiatives in their annual reports.

In fact, many corporations dedicate a section of their annual reports and corporate websites to corporate social responsibility activities, illustrating the importance they attach to such activities. In spite of the fact the demand for corporate social responsibility is growing, there has always been critics. The most influential critic is Nobel prize winner Milton Friedman, who claims corporate social responsibility to be a waste of stockholders money. However, several articles claim, opposite Friedman, that corporate social responsibility rather increases a company's financial performance in the long run. Although there appears to be more support for the view that corporate social responsibility activities are positively related to profitability and firm value, a large number of studies find the opposite relation. As a result, the normative implications of research on corporate

social responsibility are still uncertain. Emerging economics like Jammu and Kashmir (J and K) has also witnessed a number of firms actively engaged in corporate social responsibility activities. and Ministry of Corporate Affairs has come up with voluntary guidelines for firms to follow. Corporations in Jammu and Kashmir have quite been proactive in taking up corporate social responsibility initiatives and integrating them in their business processes.

Objectives -

1. To study the corporate social responsibility status in Jammu and Kashmir.
2. To study the policies governing corporate social responsibility in Jammu and Kashmir Bank Limited.
3. To make suggestions for accelerating corporate social responsibility initiatives.
4. To disseminate information about the latest happenings in the corporate social responsibility field to people engaged in policymaking, policy analysis, policy research, practitioners and other stakeholders.

Research Methodology - The research paper is an attempt of exploratory research, based on the secondary data sourced from journals, magazines, news articles, books, media reports and web.

Looking into requirements of the objectives of the study the research design employed for the study is of descriptive type. Keeping in view the set of objectives, this research design was adopted to have greater accuracy and in depth analysis of the research study.

*Research Scholar (Commerce) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

**Research scholar (Commerce) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

***Professor (Commerce) Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

Literature Review - Carroll, 1979, 2008: "The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and discretionary expectations that a society has of organizations at a given point of time".

The commission defines corporate social responsibility as "The responsibility of enterprises for their impacts on society". To fully meet their social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stake holders.

Austin (2000) gave the concept of collaboration continuum. He explained the development of collaboration between nonprofits and corporations. According to him, such collaboration begins from a philanthropic stage, where the nature of the relationship is similar to that of a charitable donor and (grateful) recipient; and ultimately results in organizational integration, where the equivalency of mutual benefit is fully apprehended by firms. The collaboration continuum hence, provides firms with more reasons to be socially active. Companies can follow this concept by supporting societal causes, and inspiring other companies in turn.

Suman Kalyan Chaudhury, Sanjay Kanti Das, Prasanta Kumar sahu (2011), said in their study that, At present, the world over, there is an increasing awareness about Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable Development (SD) and Non- Financial Reporting (NFR). The contribution of financial intuitions including banks to sustainable development is paramount, considering the crucial role they play in financing the economic and developmental activities of the world.

Sanjay Kanti Das (2012), in his study presented that development of corporate social responsibility is very slow in India though it was started a long time ago. In his view corporate social responsibility has been assuming greater importance in the corporate world, including the banking sector. There is a visible trend in the financial sector of promoting environment friendly and socially responsible lending and investment practices. The Govt. of India is pursuing the matter relating to corporate social responsibility and also drafted guidelines for corporate social responsibility practices time to time.

Corporate social responsibility in Jammu and Kashmir - Jammu and Kashmir is emerging as an industrial hotbed, since the nature has bestowed abundant resources which are required by the corporations either as a raw material or as a semi finished goods. There are different range of business organizations which contribute 25.87% of GSDP to the state economy, as per the censuses 2011. The industrial sector includes both govt. as well as private organizations. They support the state administration in boosting the economic development and social prosperity of the state. The state govt. and industrial sector work in an integrative and cooperative way towards the accomplishment of social and community responsibility. Nevertheless they require to

accelerate their resourcefulness more and more.

The objective of social responsibility of corporations depicts to be very old in Jammu and Kashmir as there are various events available when such sector came forward their commendable efforts for the welfare of the society, usually at earthquakes, floods and other natural calamities. While they on the grand scale perceive that their core objective should never be the maximization of shareholders value only, but the objective of the firm should be a balanced objective of maximization of shareholders value and implementation of CSR.

Corporate social responsibility policy of Jammu and Kashmir Bank Ltd. - The Jammu & Kashmir Bank (J&K Bank) functions as a universal bank in Jammu and Kashmir and as a specialized bank in the rest of the country. It is also the only private sector bank designated as RBI's agent for banking business and carries out the banking business if the Central Government, besides collecting central taxes for CBDT. It is the sponsoring bank of J&K Grameen Bank. The bank commenced the banking business on 4 July, 1939 and was considered the first of its nature and composition as a state owned bank in the country. The bank was established as a semi-state Bank with participation in capital by state and public under the control of state Government. In year 1971, the bank had acquired the status of scheduled bank and was declared as an "A" class bank by the Reserve Bank of India in 1976.

The idea of corporate social responsibility has gained prominence for quite some time now. The general notion has evolved all over that the downtrodden society cannot be reached only by the Government. In fact, corporate sector has a responsibility to pitch in this effort. With the result, it is felt that Corporate Houses, Banks and other Institutions can also be involved in the endeavor to take care of these segment/s of society. With the same realization amidst swiftly changing corporate environment, J&K Bank, the oldest and the largest commercial institution in J&K State, has adopted corporate social responsibility as a considered means of sustainable growth. For the Bank in present context, corporate social responsibility means not only venturing of financial resources for social activity but also integration of Business Processes with Social Processes.

Much before the issue of corporate social responsibility became an inclusive concern for the Banks and other Business Houses, J&K bank has been aware and involved in its corporate social responsibility endeavors. It has been fulfilling the aspirations of the society particularly the neglected ones within the state thereby creating a harmonious relationship between the Bank and the peripheral segments of society in particular and the society and stake holders at large.

It is in this backdrop the J&K Bank corporate social responsibility policy is being framed which encompasses the Bank's philosophy for delineating its responsibility as a corporate citizen and lays down the guidelines and mechanism for undertaking socially useful programmers

for welfare and sustainable development of the community at large and titled as "J&K Bank CSR Policy".

This policy shall apply to all corporate social responsibility initiatives and activities taken up for the benefits of different segments of the society and all other causes which socially, economically and environmentally relevant for one and all.

"J&K Bank CSR Policy" shall be in accordance with the latest corporate social responsibility rules as notified by Union Ministry of Corporate Affairs on 27th February 2014 that are to be implemented from 1st April 2014. The new rules give effect to section 135 and schedule VII of the companies Act, 2013, which relate to corporate social responsibility related spending by Companies including Banks.

CSR Vision Statement and Objective - In alignment with its "Vision", J&k Bank, through its corporate social responsibility activities will continue to enhance value creation in the society and the community it operates, through its services, conduct and initiatives, so as to promote sustained corporate. The corporate social responsibility and sustainability as activities of the bank shall be aligned with business objectives and its mandate. Hence the core requirement for each project to be undertaken under corporate social responsibility would be its relevance to the objectives of the bank and to help in improving the quality of life of all the stakeholders associated with it.

"The main objective of the corporate social responsibility policy shall be the bank's continuous commitment to operate in economically, socially environmental sustainable manner so as to ensure upliftment of the marginalized and under-privileged sections of the society to promote inclusive socio-economic well being and growth, empowerment of communities, capacity building, environment protection, promotion of green and environmentally viable technologies, development of backward regions by specially focusing on the projects relating to the benefit of the marginalized poor".

The corporate social responsibility of the Jammu and Kashmir Bank Limited shall seek to recognize obligations towards all the stake holders. The corporate social responsibility policy of the bank shall not be confined to recognizing promulgation of Bank's own values and principles of philanthropy but also the values and principles of all those who have a stake in it or are affected by its operations. By supporting social cause aligned to the mission the corporate social responsibility strategy differentiates the Bank's brand and enhances its reputation. The bank shall seek to manage social issues in the same manner as any other strategic business issues.

Bank shall ensure the philosophy of what it means to be a socially relevant organization. It shall ensure that the activities carried out in the name of corporate social responsibility shall be in line with the long term and sustainable policy for the wellbeing of the various nuances of the society. Through corporate social responsibility, bank shall try to derive strength more from the ability to lead

bank supposed to play prime prime role of financial intermediation in the overall economic development of state. With the objective of promoting the philanthropic activities, other social and environmental issues, the bank has drawn up the policy by embodying the broader principles for corporate social responsibility activities to be undertaken at a larger scale in view of it being mandatory from 1st April 2014. The various dimensions of the policy of the Bank are enumerated as per new provision of corporate social responsibility Bill introduced in the New Companies Act, 2013. As the bank is qualifying the main provision of having net worth of Rs. 500 crore or more, or turnover of Rs. 1000 crore or more or net profit of Rs. 5 crore or more, as such, the spending on corporate social responsibility activities are mandatorily from 1st April 2014 shall be 2% of average previous three years PAT (Profit After Tax).

In concurrence with the permissible provisions of the New Corporate Social Responsibility Bill, the broader activities to be covered under "J&K Bank CSR Policy" shall be as under:

Health -

- To contribute towards public health initiatives by having Institutional arrangement with concerned Institutes and other related institutes/ NGOs for the larger welfare of the needy and deserving beneficiaries.
- To make up projects where child mortality can be reduced and maternal health is improved.
- To provide help to Primary Health Care Centers of the State in creating better Health Care facilities etc.
- Health care for visually impaired/ Deaf and Dumb and physically challenged.

Education - To contribute towards public education by having institutional arrangement with Universities/Colleges/ School NGOs for the larger welfare of the needy and underprivileged class of society.

- Establishment of Science Laboratories, Computer Laboratories for the school and other educational institutes with INADEQUATE INFRASTRUCTURE facilities.

Social/Environmental/Miscellaneous -

- To create infrastructure for far flung areas through environmental conservation measures like providing social energy, establishment of eco-park, better sanitation etc. Bank may also have an arrangement/ partnership with reputed NGOs or some implementing agency to carry out such activities.
- Community Lighting/Heating through solar power.
- Support to research in sustainable development e.g. Environment preservation/pollution control etc.
- Waste and Bio-degradable and non-bio-degradable Management activities.
- Support, undertake and encourage precautionary approach to environmental challenges, promote greater environmental responsibility and diffusion of environmentally friendly technologies.
- Bank shall have sustainable livelihood programmes

aimed at providing livelihood in a locally appropriate and environmentally sustainable manner through:

- I. VOCATIONAL TRAINING BY PARTNERING WITH TECHNOLOGY PARKS.
 - II. AGRICULTURE DEVELOPMENT AND BETTER FARM FOCUS.
- To provide direct assistance or through Prime Minister's Relief Fund or Chief Minister's Relief Fund or any other national level or state level calamity relief fund to needy who have suffered due to natural disaster and calamities.

Role of corporate social responsibility committee -

Under the new provisions of the CSR Bill, CSR Committee

- Shall regularly conduct reviews of corporate social responsibility initiatives taken by the Bank in accordance with the Bank's corporate social responsibility policy (at least on half yearly basis).
- Approve corporate social responsibility projects upto the extent of powers delegated.

Conclusion - Corporate social responsibility has proved to be an important landmark in the arena of peaceful co-existence of business and society. On one hand, industrial houses have garnered public support through their developmental intervention, on the other, common people have actively supported these enterprises visualizing its transcendental nature. The image of the organizations has been improved. The further statutory provision has made corporate social responsibility obligatory for all the industries and regulated its expansion so that the ultimate objective may be fulfilled. The case for demonstrating corporate responsibility is getting stronger as expectations among key opinion formers, customers and public are increasing. Therefore, the proposition that corporate social responsibility is mere eyewash is, in itself, a myth.

The key to maximizing returns for all stakeholders in the given situation is to emphasize on developing effective and need based corporate social responsibility strategies so that the investments can yield intended results. Effective corporate social responsibility can be achieved by aligning corporate social responsibility initiatives to the extent possible with business objectives, thereby indirectly programming. As far as possible, the corporate social responsibility initiatives should be designed in a sustainable manner and should be scalable and result oriented. Therefore, creating indirect advantages such as product visibility, social capital, partnerships, business opportunities, long-term relationships are most important nation building parameters.

The bank have shown a tendency to concentrate on certain areas of community development, especially health and education as these are the more serious challenges faced by local communities. These areas of engagement have strong public interface which may be beneficial to the bank.

In addition to providing good quality products at reasonable prices, the respective bank should strive to

make their operations environmentally sound, adhere to high labour standards, reduce human rights abuses and mitigate poverty.

Suggestions - Everyone in the organization needs to recognize their own role in improving corporate social responsibility. The bank should provide wider [professional development activities. The bank need to involve their stakeholders in order to build meaningful and long term partnerships which would lead to create a strong image and brand identity. It is also suggested to review existing policies in order to develop more meaningful visions for the bank and broaden its contributions to reach the local community.

Training, conferences, public awareness programmes and seminars could be organized by the bank to disseminate and generate new knowledge and information in this sector. A strong budgetary support would definitely help to grow this sector and research related to respective bank would enhance its contribution further. Government regulations which are supporting in this direction could attract more response from the respective bank. All this would also lead to benchmark corporate social responsibility activities.

A proper monitoring is required by a committee on the working of the bank so that the banks work for their profit along with contributing towards the society is scrutinized because corporate social responsibility is just not the charity but a practical implementation of ethical ideas towards the society.

The bank should also partner with non-profit and government agencies to solve social, economical and developmental problems in society.

References :-

1. S.Namrata, S. Rajlaxmi and R. Rajni," CSR practices & CSR reporting in Indian banking sector", International Journal of Scientific and Research Publication, Volume 3, pp.12, Dec.2013.
2. Dr. U. Moon," corporate social responsibility in India", Maratha Mandir's Babasahed Gadded Institute of Management Studies.
3. P. Rajeev and MS Sonam Mishra," A study of corporate social responsibility in Indian organization: An-Introspection", proceedings of 21st international business research conference, 10-11 June, 2013.
4. J&k-Bank. CSR policy. Pdf. Department of corporate social responsibility.
5. K. Nalini," Impact of corporate social responsibility on the financial and non financial performance of select BSE Listed companies", Doctoral thesis. Padmashree Dr. D.Y.Patil University, Oct., 2012.
6. Mr.J.Neelmani and Mrs. S. Sudeshna," corporate social responsibility (CSR) in India: A Review", Jaysawal and Saha. Space and culture, India, pp.81,2015.
7. Global CSR Submit, 2013," An agenda for inclusive growth".
8. CSR-Indian prospective-2007, SUSBIZ India.

The Performance Of The Agricultural Sector Influence The Growth Of The Indian Economy Through Kisan Credit Card Scheme

Keerti Saxena * Dr. N.K. Patidar **

Introduction - Agriculture is an important sector of economy with 18% share in GDP. Institutional credit played a very important role in its development. It provides employment to 58.2% of the workforce in the country. Agriculture's presence has undergone a significant shift from the subsistence level of the production to market oriented production. The much needed food security is reflected in the abundant buffer stocks of grains build up out of the surplus production. 1.2 Institutional credit which played a very important role in the development of the agriculture sector was instrumental in development of Indian agriculture. The success of Green revolution in Indian agriculture to a large extent lay on institutional credit support to agriculture sector in terms of expansion in inputs like fertilizers, irrigation, private capital formation etc.

Agriculture has been mainstay of our economy. More than 60% of our people depend on agriculture for their livelihood. Agriculture is way of life. Tradition agriculture will continue to be central to all the strategies for socioeconomic development of the country. Rapid growth of agriculture will not only ensure continued food security but also aid in growth in industry and the GDP.

Financial inclusion has become one of the most critical aspects in the context of inclusive growth and development. The Kisan credit card scheme introduced by NABARD in aug1998 is one of the innovative products for financial inclusion the scheme is implemented throughout the country by public sector commercial banks, RRBs and co-operative banks the farmers can avail adequate amount of crop loan, (short term Loan). In time without delay, cost effective and hassle-free manner

The performance of the Agricultural sector influences the growth of the Indian Economy.

1. As against the growth target of 4% for agriculture and allied sector in the 12th plan, the growth registered in the years 2012-13, 2013-14 and 2014-15 stood at 1.2%, 3.7% and 1.1% respectively. The growth target for agriculture in 12th plan (2012-17) remains at 4% per annum.
2. Cashew nuts play an important role in Indian Economy.

India produces 45% of the global production of cashew. India is the largest producer, processor, consumer and exporter of Cashew in the world. India contributes about 13% to the world vegetable production.

3. The Gross Capital Formation (GCF) in agriculture and allied sector as a proportion of total Gross Domestic Product (GDP) almost doubled in last 10 years and registered a compound average annual growth of 8.1%.

(See table 1 in last page)

The agriculture sector registered an annual growth of 3.8% in value added in the decade since 2004-05 on the back of increase in real prices. Under the chairmanship of S. Mahendra Dev a committee is setup by the ministry of agriculture to come up with updated methodology to compute terms of trade between agriculture and non-agriculture has observed that during 2004-05 and 2013-14, terms of trade have become favorable for agriculture. The ratio of WPI agriculture to WPI non-agriculture has risen after 2005-06.

Share of agriculture in National Income - Agriculture including allied activities, accounted for 14.1% of Gross Domestic Product (GDP) at 2004-05 prices, in 2012-13 and 13.9% in 2013-14 as compared to 14.7% in 2009-10.

Share of agriculture in capital formation - The Gross Capital Formation (GCF) in agriculture and allied sectors as a proportion to the Gross Domestic Product (GDP) in the sector stagnated around 14% during 2004-05 to 2006-07. Robustness of the agriculture sector can be attributed to the steady increase in GCF (both public and private) from 16.1% of its GDP in 2007-08 to 21.2% in 2012-13 (2004-05 prices). Public expenditure

Important sources of industrial development - Various important industries in India find their raw material from agriculture sector, cotton and jute textile industries, sugar, vanaspati, industries etc. are directly dependent on agriculture. Handloom, spinning, oil milling, rice thrashing etc. are small scale and cottage industries which are dependent on agriculture sector for their raw material. This highlights the importance of agriculture in industrial development of the nation.

* Research Scholar, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Professor (Commerce) Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.) INDIA

Cotton and sugarcane production are estimated to be a record 36.59 million bales and 350 million tones, respectively in 2013-14 crop year. In the previous year cotton output was 34.2 million bales while sugarcane was 341.2 million tones. Food grain production estimates by over 1 million ton to a record 264.77 MT for the 2013-14 crop years on account of record wheat and rice output. As compared to last year India is likely to produce 264.77 million tons of food grains during 2013-14. Latest estimate, rice and wheat production is expected to be all time high at 106.54 million tons and 95.91 million tons respectively this year. Rice and wheat production stood at 105.24 million tons and wheat at 93.51 million tones in the previous crop year.

Importance in international trade - Agriculture and allied sector accounts for 9.08% of the total exports during 2011-12 against 6.9% of 2010-11. Agriculture exports (including marine) grew by 5.1% in 2013-14 over 2012-13 to \$ 37292 million. Goods made with the raw material of agriculture sector also contribute about 20% in Indian exports. In other words agriculture and its related goods contribute about 38% in total exports of the country.

Horticulture - India is second largest producer of fruits and vegetables in the world. For the holistic development of the horticulture sector, a centrally sponsored scheme called the National Horticulture Mission (NHM) was launched in 2005-06. The objectives of the mission are to enhance horticulture production and improve nutritional security and income support to farm households and others through area based regionally differentiated strategies. The achievement in the development of horticulture is laudable, as the sector now contributes more than 30.5% to GDP of agriculture and has maintained the growth rate of more than 5% during the last 2 decades. As compared to the situation of 1950-51 the production of horticulture crop has been increased. The area of horticulture crops has increased from 12.77 million ha in 1991-92 to 21.3 million ha in 2010-11, the production from 96.52 million tonnes (1991-92) to 265 million tonnes during 2012-13. From an area of 21.3 million ha 265 million tonnes of horticultural crops produced. In the coming years horticulture is expected to play a dominant role in the overall development of agriculture in the country.

Overview of economic development - The history of agriculture in India dates back to the Rigveda. India ranks second worldwide in farm output. Agriculture and allied sectors like forestry and fishery accounted for 13.7% of Gross Domestic Product in 2013. The economic contribution of agriculture to India's Gross Domestic Product is slowly declining with the country's broad-based economic growth. Today also Agriculture is demographically the broadest economic sector and plays an important role in the overall socio-economic fabric of India. In 2013 agricultural product has been exported by India worth \$ 39 billion making it the seventh largest agricultural exporter world-wide and the sixth largest net explorer. To more than

100 countries the export of Indian agricultural/horticultural and processed foods are exported. Primarily in the Middle East, South East Asia, SAARC countries, The EU and The United States, these Indian agricultural/horticultural and processed foods are exported. India is the fastest growing exporters of agriculture products over a 10 year period. It has become one of the world's largest suppliers of rice, cotton, sugar and wheat. India exported around 2 million metric tonnes of wheat and 2.1 million metric tonnes of rice in 2011 to Africa, Nepal, Bangladesh and other regions around the world.

According to 2010 FAO, India is the world's largest producer of many fresh fruits, major spices and second largest producer of wheat and rice. India is the world's second or third largest producer of many Dry fruits, agriculture based textile raw materials, roots and tuber crops, pulses, coconut, sugarcane and many vegetables. Indian agriculture accomplished an all time record production of 85.9 million tonnes of wheat with normal monsoon season in year June 2011. Rice output in India hit a new record at 95.3 million tonnes, 7% increase from previous year. Lentils and many other food staples production also increased year by year. In 2010, India was ranked the world's 5th largest producer of agricultural produced items including many cash crops such as coffee and cotton. Over the last 60 years, India has shown a steady average nationwide annual increase in the kilograms produced per hectare for some agricultural items. These gains have mainly come from India's Green Revolution. Despite these recent accomplishments, agriculture has the potential for major productivity and total output gains, because crop yields is still just 30% to 60% of the best sustainable crop yields in India.

Food grain production - Food grain production estimates by over 1 million tonnes to a record 264.77 million tonnes during 2013-14. Agriculture product is the 4th largest exported principle commodity with a share of 10% of total exports of the country.

Table 2 : Food grain production (in millions)

2001-02	212.9
2002-03	174.8
2003-04	213.2
2004-05	198.4
2005-06	208.6
2006-07	217.3
2007-08	230.67
2008-09	234.47
2009-10	218.11
2010-11	244.78
2011-12	259.32
2012-13	257.13
2013-14	264.77
2014-15	257.07

Conclusion - Agriculture is not only important but it also provides a base for its development. In India, the agriculture sector occupies a vital position in the overall economy of

the country. Agriculture is an example of man's modification of his environment. Despite of the development of several other economic activities, agriculture still holds the key of economic life in most of the developing countries of the world. The importance of agriculture cannot be underestimated because it not only provides food and raw material for many industries but also plays an important role in internal trade. Agriculture sector contributed 5% of the global GDP but its contribution is 14% in developing countries. Financial inclusion has become one of the most critical aspects in the context of inclusive growth and development.

The researcher's study also reveals the main fact that maximum of the farmers now don't have to take loans for agricultural needs from sahuikars or money lenders. The research also shows that living standard of farmers has also increased in last 10 years. Above 80% of farmers have television set, refrigerator, LPG connection, Motor Bikes, Telephone connections, Mobile etc. they have started to provide their children good education. Most of the farmers have four wheelers. Sometimes bank officers are very strict in their loan recovery that results many farmers commit suicides under pressure. The research also reveals that bank launches various agricultural finance schemes. Among all the schemes Kisan Credit Card is the most popular and the most successful. Maximum number of farmers of district

is using this scheme through various banks.

In Indian economy, integral approach for wholesome development is fully dependent on agriculture, farm income and farm security. So financial development of agricultural and rural growth is necessary. Similarly cash credit facilities were being extended by several public sector banks and co-operative banks to farmers with view to improving their access to credit.

References :-

NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) annual report Mumbai

1. RBI (Reserve Bank of India) Report on Trend and Progress of Banking in India, New Delhi
2. Samantra, S. (2010) Kisan Credit Card – A Study, Department of Economic Analysis and Research, Mumbai.
3. Agricultural Economics
4. Indian Journal of Agricultural Economics
5. B.B. Barik: Kisan Credit Card – A dynamic intervention for Reduction in Rural Poverty.
6. Basu, S.K.: commercial banks and agriculture credit: A study in regional credit in India.
7. Bhattacharya, S.N.: role of Indian rural institution in economic growth.
8. Gupta Umesh Chandra: Agriculture

Table 1 : Key indicators of agriculture sector (% at 2011-12 prices)

S.	Item	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	Growth in GDP in agriculture and allied sectors.	-	1.2	3.7	1.1
2.	Share of agriculture and allied sector in total GDP.	18.4	18.0	18.0	
3.	Share of agriculture and allied sector in total GCF.	8.6	7.7	7.9	N.A.
4.	GCF in agriculture and allied sectors as % to GDP of the sector(at current 2011-12 prices)	18.3	15.5	14.8	

Source: CSO (Central Statistical Organization)

Note: GCF is Gross Capital Formation

Demonetization Of Currency Notes : Significance And Challenges

Dr. R. K. Gautam *

Abstract - Demonetization is the act of stripping a currency unit of its status as legal tender. Demonetization is necessary whenever there is a change of national currency. The old unit of currency must be retired and replaced with a new currency unit. The demonetisation was done in an effort to stop the counterfeiting of the current banknotes alleged to be used for funding terrorism and for cracking down on black money in the country. Following the announcement by the Prime Minister the Governor of the Reserve Bank of India (RBI), Urjit Patel made a press release with details on the procedure for exchanging the 500 and 1000 rupee notes that are currently in circulation. On 8 November, other than the notification that these denomination will be discontinued. The present study has been deals with the announcement of demonetization of currency notes (500, 1000) its needs and challenges faced by the society. Secondary data has been used for study which is collected from different newspapers and websites. Hence, it can be concluded that apart from disrupting daily lives of the common citizen, there are even bigger implications for the economy as a whole. Politics and various elections are known to run on cash. Same is the case with sectors such as real estate.

Keywords - Demonetisation, currency notes, RBI, Exchange of Currency.

Introduction - Demonetization is the act of shedding a currency unit of its status as legal tender. Demonetization is necessary whenever there is a change of national currency. The old unit of currency must be retired and replaced with a new currency unit.

Following the announcement by the Prime Minister the governor of the Reserve Bank of India (RBI), Urjit Patel made a press release with details on the procedure for exchanging the 500 and 1000 rupee notes that are currently in circulation. On 8 November, other than the notification that these denomination will be discontinued, there were a few other relevant announcements such as:

1. Citizens will have until December 30, 2016 to tender the discontinued banknotes at any office of the RBI or any bank branch and credit the value into their respective bank accounts.
2. For immediate cash needs, the discontinued banknotes of value up to ₹ 4000 per person can be exchanged for the new banknotes over the counter of bank branches from 10 November 2016 by furnishing a valid ID proof.
3. All ATMs will remain closed from midnight on 8 November 2016. The ATMs will resume functioning from 11 November 2016 upon their recalibration to dispense bank notes of only 50 and 100 rupee denominations.
4. Banks have been advised to provide all cash withdrawal transactions at their ATMs free of cost to their customers till 30 December 2016. Cash withdrawals from ATMs will be restricted to ₹ 2000 per day per card

up to 18 November 2016 and the limits will be raised to ₹ 4000 per day per card from 19 November 2016.

5. All banks will remain closed to the public on 9 November 2016.

2016: Recommendations Of Sit On Black Money As Contained In The Fifth Sit Report

Cash Transactions - The SIT has felt that large amount of unaccounted wealth is stored and used in form of cash. Having considered the provisions which exist in this regard in various countries and also having considered various reports and observations of courts regarding cash transactions the SIT felt that there is a need to put an upper limit to cash transactions. Thus, the SIT has recommended that there should be a total ban on cash transactions above Rs. 3, 00,000 and an Act be framed to declare such transactions as illegal and punishable under law.

Cash Holding - The SIT has further felt that, given the fact of unaccounted wealth being held in cash which are further confirmed by huge cash recoveries in numerous enforcement actions by law enforcement agencies from time to time, the above limit of cash transaction can only succeed if there is a limitation on cash holding, as suggested in its previous reports. SIT has suggested an upper limit of Rs. 15 lakhs on cash holding. Further, stating that in case any person or industry requires holding more cash, it may obtain necessary permission from the Commissioner of Income tax of the area.

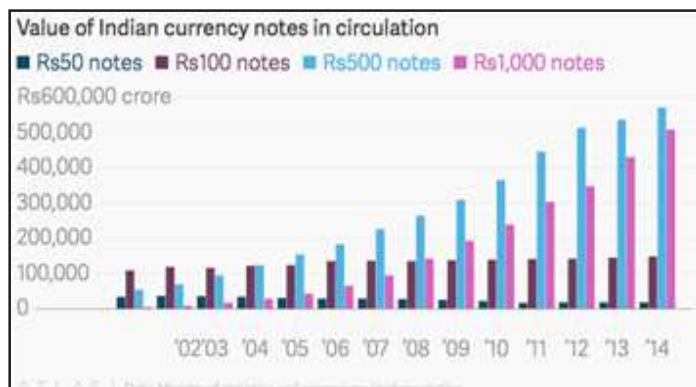
With full backing, for the third time, India participated in the process of demonetization. RBI governor, Urjit Patel

*Asst. Prof. (Commerce) Govt. Mahakaushal Arts & Commerce Autonomous College, Jabalpur (M.P.) INDIA

applauded Modi's "very bold step" which addresses concerns about the "growing menace of fake Indian currency notes."

How Big Is The Impact Of This Announcement?

A better sense of this can be gauged from this graph below. As you can see, the monetary value of Rs500 and Rs1,000 notes in circulation far outstrips any other denomination.



Source: Data Ministry of statistics and Programme Implementation RBI.

Figure 1

Putting it simply, at the stroke of midnight, a little over 80% of the cash in India (by value) will be worthless pieces of paper.

With these notes now going out of circulation overnight, the government has created a solid opportunity to clean up the system. Currently India's black money economy is about 20% of its GDP, according to estimates from Ambit Research. Apart from cash, Indians also hoard wealth worth over billions of dollars in the form of gold.

What Was The Need For Such A Move?

1. Unaccounted Money, Often Used In Any Form Of Corruption Or Illicit Deals, Usually Takes The Form Of High-Value Notes, Which In This Case Are The Rs 500 And Rs 1,000 Bills.
2. The Financial Action Task Force, A Global Body That Looks At The Criminal Use Of The International Financial System, Notes That High-Value Bills Are Used In Money Laundering Schemes, Racketeering, And Drug And People Trafficking. Comparison Of High Value Bills Across The World.
3. In The United States, The Highest Denomination Bank Note Is \$100. When It Comes To The United Kingdom, The Highest Denomination Bank Note Issued By The Bank Of England Is £50.
4. As You Can See, The Highest Denomination Note Is Essentially 50-100 Times The Smallest Denomination Note Of One Dollar Or One Pound.
5. In India, Up Until Now The Highest Denomination Note Was Rs 1,000 And This Was 1,000 Times The Smallest Denomination Note Of Re 1 (Note: Re 1 Notes Are Issued By The Ministry Of Finance). When A Currency Has Notes Of Higher Denomination, It Is Easier To

Launder Money I.E. Store Black Money, As It Takes Less Space And Weighs Less As Well.

The Positives That Come Out Of This Announcement

1. Remember your economics basics? What happens when people go back and deposit their money. Deposits increase for the banks and that means eventually interest rates might come down.
2. Curb on black money – corruption, terrorism etc. (as discussed above) [Backgrounder on Black money].
3. Boost to cashless economy with people adopting habits of wallets etc. [Read about Payment Banks here].
4. Boost to Jan Dhan Account's relevance for poor people – Would be interesting to factor the surge in new account creation and activity in dormant accounts [Read more on JAM Trinity].

The Potential Negatives Out Of This Announcement

1. Everything else being equal, withdrawal of currency in circulation, in the (very) short-run, might actually drive up interest rates.
2. (Very) Short-term liquidity squeeze could be severe and hence economic activity could suffer.
3. Sovereign credit rating – possibly no impact. But if there are short-term impact on economic activity which dampens government revenues and widens deficit, you can expect a short term decline in ratings.
4. Cost of printing the new currency (if high) would create another political furore.
5. Immediate chaos and public mayhem (which will bring out potential issues of execution).

Reactions - Finance Minister Arun Jaitley said that demonetisation would clean the complete economic system, increase the size of economy and revenue base. Along with the upcoming Goods and Services Tax (GST), this demonetisation is "an attempt to change the spending habit and lifestyle." Jaitley also dispelled rumours of the Rs. 2,000 note having a "micro nano GPS chip" to enable its tracking through satellite.

The decision was both praised and criticised by economists, other experts, politicians and common people. Right after the news spread out, a large number of people reacted on social media sites like Twitter. Several bankers like Arundhati Bhattacharya (Chairperson of State Bank of India), Chanda Kochhar (MD & CEO of ICICI Bank) and Deepak Parekh (Chairman of HDFC) appreciated the move that would help curb black money. Businessmen Anand Mahindra (Mahindra Group), Sajjan Jindal (JSW Group) and Kunal Bahl (Snapdeal and FreeCharge) welcomed the decision that would also accelerate e-commerce.

However, CM of West Bengal Mamata Banerjee called the new declaration as "drama" and tweeted "Heartless and ill- conceived blow on the common people and the middle class in the fake name of anti-corruption". Indian National Congress spokesperson Randeep Surjewala welcomed the move but showed apprehension on consequences that would follow. A Public Interest Litigation was filed in Madras

High Court by M Seeni Ahamed, General Secretary of Indian National League, to scrap the decision.

Conclusion - With a view to curbing financing of terrorism through the proceeds of Fake Indian Currency Notes (FICN) and use of such funds for subversive activities such as espionage, smuggling of arms, drugs and other contrabands into India, and for eliminating Black Money which casts a long shadow of parallel economy on our real economy, it has been decided to cancel the legal tender character of the High Denomination bank notes of Rs.500 and Rs.1000 denominations issued by RBI till now. The timing of the announcement has been somewhat of a surprise. While the government has given a number of exemptions to stave off outright panic – Rs 500 and Rs 1,000 notes can still be used for the next 72 hours to pay at government hospitals or for train tickets for instance – it still puts quite a number of people in a pickle if supply of smaller notes are constrained in the days and weeks ahead. The timing is also curious for other reasons: the UPI (unified payment interface) system is likely to be fully operationalised only by January 2017. Apart from disrupting daily lives of the common citizen, there are even bigger implications for the economy as a whole. Politics and various elections are known to run on cash. Same is the case with sectors such as real estate. The rural areas in particular, which do not have formal sources of banking, also deal largely in cash. Unorganised labour, including in urban households, such as domestic workers and drivers, are paid in cash, and

mostly in these denominations. It is too early to even imagine the impact on all sections of society and parts of the economy. The advantages of this move, though, will be felt only in the long-term. While formal modes of payments such as debit and credit cards, net-banking and digital wallets should get a boost, this will take a long time to be felt simply because the proliferation of these products is still low among the middle classes and the poor, for whom cash is still the predominant mode of transactions. The government's move is bold in its intent and massive in its measure. Arguably, this is Modi's biggest move since he was elected prime minister.

References :-

1. "Arun Jaitley dismisses rumours of nano GPS chip on Rs 2000 note". Zee News. 9 November 2016.
2. "Demonetisation of Rs.500 and Rs. 1000: Who says what". The Hindu. 8 November 2016. Retrieved 9 November 2016.
3. "Govt demonitises Rs 500, 1000 notes: Here is how India Inc reacted". Indian Express. 8 November 2016. Retrieved 9 November 2016.
4. "Govt's demonetisation move fit for country's security, development: HC". Economic Times. 10 November 2016. Retrieved 10 November 2016.
5. "Here is what PM Modi said about the new Rs 500, Rs 2000 notes and black money". India Today. 8 November 2016. Retrieved 9 November 2016.

E-Banking System In Banks (With special reference to SBI)

Dr. P. K. Jain * Brajeshwari Mishra **

Introduction - It is true to say that necessity is the mother of Invention. And it's really true, this is seeds of Internet were sown in the vestiges of the world war having bombed the cities of Hiroshima and Nagasaki, US military was enforced to provide the comeback with to the question – What if someone bombed the USA? So for lots of years after the war, most of the US military study concentrated on conduct and means to stay alive the nuclear holocaust. And one of the most significant strategic troubles was- “How would us authorities converse with each other in the aftermath of a nuclear attack?” computers were previously there. But, communication networks were linked to each in a private fashion- in sort of chains: that is like an electricity line to your home networks.

This means that if even one chain in the hub were blown up, the whole network would fall down. Then in the 1960's the problem was taken by America's foremost military think tank, the Rand Corporation. After a lot of thoughts were put up and knocked down, Paul baron- a rand “thinker” hit in the lead an idea. “What if the network was not built like a series but like a fish net?” he said.

If one strand on the fish net ruined the net would still be efficient. After spending many distressing hours over it, he came up with 11-volume statement for the pentagon. But, as fortune would have it was rejected. By then, young engineers were impressed by the idea and worked on it. Well before the end of the decade, the first net was shaped and called ARPANET, connecting four American research organizations- university of Utah, university of California in Los Angeles and Santa Barbara, and Stanford research institute. Internet as a communication medium and as a depository of information has caught the mind of computer users. This has fuelled an unparalleled growth in the number of Internet users.

Internet Banking System - Internet Banking System is a arrangement that has been developed in order to help clients with the everyday day-to-day communication and transactions. Internet banking systems refer that clients can at the present do banking at the leisure of their homes. Also identified as online banking, the system allows both transactional and non-transactional features. Internet banking or online banking allows customers to carry out

financial transactions on a secure website operated by the retail or virtual bank.

State bank of India - In India State bank of India is the nation's largest and oldest bank. Tracing its roots reverse some 200 years to the British East India Company (and initially established as the Bank of Calcutta in 1806), the bank operates more than 15,000 branches within India, where it also owns preponderance stakes in six associate banks. State Bank of India (SBI) has more than 80 offices in almost 35 other countries, including numerous locations in the US, Canada, and Nigeria. The bank has other units dedicated to fund management, capital markets, factoring and commercial services, brokerage services, and credit cards. The Reserve Bank of India owns about 60% of State bank of India.

Internet banking at State Bank of India - Where sbi was?

In early 1990's more than 7000 branches were by means of traditional manual procedures. These manual procedures were innate from the Imperial Bank. Traditional procedures were evolved over so many years Very few changes were brought in those measures as per the need of time. In that time, for entry in mainframe or mini computers were used for MIS, RECONCILLATION & FUND SETTLEMENT PROCESS, or we can say that for backhand operations point.

Changes brought in information technology by SBI - In the next few year internet facility was provided for persons to and All SBI branches were connected and ATM's were launch 2001 - KMPG appointed consultant advisor for preparing IT Plan for the Bank. Afterward on Core banking proposed by the IT consultancy company. 2002 – All branches computerized but on decentralized systems, there the initiative of core banking took place 2008- more than 6500 branches (95% of business) on Core Banking Solution (CBS) Internet Banking facility for Corporate customers were also launched in early 2008 More Interfaces developed with e-Commerce & other sites from side to side alternate channels like ATM & Online Banking. All Foreign Offices were bring on Centralized Solution Large network is in concert the role of backbone for connectivity across the country Multiple Service Providers are specified that the links – BSNL, MTNL, Reliance, Tata & reliance which are

creation the system errorless and provide high speed. Multiple Technologies to support the networking infrastructure – Leased lines, Dial-up, CDMA & VSAT.

Services provided by sbi internet banking - Online sbi (www.onlinesbi.com) State Bank of India is India's largest bank it has about network of over 11000 branches and 6 associate banks located even in the remotest or farthest parts of India. State Bank of India (SBI) offers a wide range of banking products and services to corporate and retail customers. State Bank of India Internet banking portal is the "Online SBI". The portal provides anywhere, anytime, online access to accounts for State Bank's Corporate and Retail customers. The application is developed using the latest wounding edge technology and tools. The infrastructure supports unified, secure access to banking services for financial records in over 11,000 branches across India.

Retail Banking - The Retail banking application is an integration of several functional areas, and enables customers to -

- Issue Demand Drafts online
- Transfer funds to own and third party accounts
- Credit beneficiary accounts using the VISA Money Transfer, RTGS/NEFT feature
- Generate account statements
- Setup Standing Instructions ? Configure profile settings
- Use e-Tax for online tax payment
- Use e-Pay for automatic bill payments ? Interface with merchants for railway and airline reservations ? Avail DEMAT and IPO services ? CORPORATE BANKING:

The features provides Online SBI corporate banking application to administer and manage corporate online accounts. The corporate module provides roles such as Regulator, Admin, Up loader, Transaction Maker, Authorizer, and inspector.

These roles have access to the following functions: ? Manage users, define rights and transaction rules on corporate accounts ? Access accounts in several branches with a single sign-on instrument ? Upload files to make bulk to third parties transactions, supplier, vendor and tax collection authorities. ? Use online transactional features such as fund transfer to own accounts, third party payments, and draft issues ? Make bill payments over the Internet. ? Authorize, modify, reschedule and cancel transactions, based on rights assigned to the user ? Generate account statement ? Enquire on transaction details or current balance

Value added services -

- Tax payments to central and state governments through site to site integration. ? Supply Chain Finance(e-VFS- Electronic Vendor Finance Scheme) Direct Debit Facility ? E Collection Facilities for: ? Core Banking Transactions
- Internet Bank transactions for incoming RTGS/NEFT Transactions
- Internet banking transactions for SBI and associate

banks

- Debit facility where suppliers can directly debit their customer's account through internet banking

Products & services

- E-Ticketing
- SBI E-Tax
- Bill Payment
- RTGS/NEFT
- E-Payment
- Fund Transfer
- Third Party Transfer
- Demand Draft
- Cheque Book Request
- Account Opening Request
- Account Statement
- Transaction Enquiry
- Demat Account Statement
- Donation

E-Ticketing - Online SBI You can book your railway, air and bus tickets through online.

SBI E-TAX - You can pay your taxes online from beginning to end SBI E-Tax. This facility enables you to pay TDS, Income tax, Indirect tax, Corporation tax, Wealth tax, Estate Duty and Fringe Benefits tax.

Bill payment - Online bills - A simple and convenient service for viewing and paying. No more late payments No more hassles No more queues of depositing cheques Using the bill payment you can view and pay various bills online, directly from your SBI account. You can pay telephone, electricity, insurance, credit cards and other bills from the comfort of your house or office, 24 hours a day, 365 days a year.

National Electronic Funds Transfer (NEFT) - It facilitates transfer of funds to the credit account with the other participating bank. RBI acts as the service provider and transfers the credit to the other bank's account.

LIC premium - For paying premium of LIC policy logon to www.licindia.com and register your policy details. When the premium is outstanding select make payment option in the State Bank of India website.

SBI Mutual Fund - If You can interested invest in the SBI Mutual Fund schemes online. Logon to www.sbimf.com and choose the scheme in which you want to make investment in the payment option choose State Bank of India.

CC Avenue - Online shopping is the big market if you Enjoy shopping at the CC Avenue Shopping Mall and purchase from a wide variety of products and services through CC Avenue Certified Vendors. Done payments for your purchases with your Internet enabled SBI accounts.

Fund Transfer - The Funds Transfer facility enables you to transfer funds within your own or other accounts in the same branch or other branches. It will Possible to transfer aggregating Rs.1 lakh per day to own accounts in the same branch and other branches also.

Third Party Transfer - There is a facility You can transfer funds to your trusted third parties by adding them as third

party accounts. The beneficiary or third party account should be any branch in SBI. This Transfer is instant. You can do several number of Transactions in a daytime for amount aggregating not more than Rs.1lakh.

Demand Draft -The Internet Banking application enables demand drafts requests online. You can get a demand draft from any of your Accounts (Savings Bank, Current Account, Cash Credit or Overdraft)by using online services.

Cheque Book Request - Online cheque book request is also available. Cheque book can be requested for any of your Savings, Current, Cash Credit, and Over Draft accounts. Cheque books with 25, 50 or 100 cheque leaves are optional for you. You can either collect it from branch or request your branch to send it by post or courier. The cheque book delivered at your registered address or you can provide an alternating address.

Account Opening Request - Submitted "Online SBI" request enables you to open a new account online. You can apply for a new account only in branches where you already have accounts. You should have an INB-enabled account with transaction right in the branch.

Account Statement - The Internet Banking application can generate an online **Account Statement** whenever you want, downloadable account statement for a few of your accounts for any time range and for any account mapped to your username. The statement includes the operation details, opening, closing and accumulated sense of balance in the account.

Transaction Enquiry - In "Online SBI" website provides features to enquire position of online transactions. You can observation and verify transaction details and the current status of transactions.

Demat Account Statement - In "Online SBI" there is a option enables you to view Demat account statement and maintain such type of accounts also. You can view Demat account details, and produce the following statements: statement of holding, statement of transactions, statement of billing also.

Donation - You can make donation to all religious and charitable institution by using online Internet Banking of SBI. Simply log on to <http://www.onlinesbi.com/> with your recommendation and go to Payment and move and click on make donation link. After choose the debit account pick the religious/charitable institution that you want to offer donation and enter amt. After successful payment of money you can print an E-receipt for the contribution made.

Customers Perspective - From the customers perspective, this is very important for data collection and surveys it was also decided to collect at least 100 questionnaires from the different branches of SBI in approx equal demonstration therefore, 120 questionnaires total were floated in these branches using on convenience basis. Self-administered approach was useful for data collection and surveys were completed anonymously and returned to the researchers. At the end total 108 responses were received and finally 100 questionnaires were selected randomly and analyzed through use of cross tabulation techniques.

Analysis Of Data - The data is analyzed through the cross tabulation process with the help of SPSS method as given. Bank Technological Development Better Customer Service CROSSTAB Count Better Customer Service.

**CROSSTAB
Count**

		Better Customer Service				Total
		Poor	Average	Good	Very Good	
Bank Technological Development	Important	0	0	0	2	2
	Very Important	0	3	0	9	12
	Extremely Important	1	4	11	70	86
Total		1	7	11	81	100

Digital India - An Umbrella Programme Covering Many Visions & Departments

Prof. Rajesh Jain *

Abstract - Digital India initiative is one of the most ambitious projects of the Government of India. The main vision of Digital India initiative is to '*transform India into a digitally empowered society and knowledge economy*'. The aim is to connect 250000 Gram Panchayats through high speed internet by December 2016 with the investment of Rs 32,000 crore; Nationwide internet infrastructure through National Optic Fibre Network (NOFK) by 2016-17. Digital India scheme known and creating an awareness among common masses about its benefits is also a great challenge. The national level e-Governance programme called National e-Governance Plan was initiated in 2006. There were 31 Mission Mode Projects under National e-Governance plan covering a wide range of domains, viz. agriculture, land records, health, education, passports, police, courts, municipalities, commercial taxes, treasuries, etc. 24 Mission Mode Projects have been implemented and started delivering either full or partial range of envisaged services.

Key words - Nationwide, e-Governance, domains, envisaged services, ambitious.

Introduction - What is Digital India Initiative Digital India initiative is one of the most ambitious projects of the Government of India; it is part of PM Narendra Modi's vision of making India a 'digitally empowered knowledge economy'. Digital India initiative is an extended and transformed version of e-Governance project which is in place since mid-1990s. Various e-Governance projects all over the country encompassing all the government departments have not been able to bring about desired results. Thus there was a need felt by the current government to overhaul the present infrastructure of e-governance plan and also include additional objectives in the new initiative. Through the implementation of this scheme, the gap between government departments and people in general would be minimized. Services and benefits provided by the government would reach to the citizens in quick time and without much hassle. It will also ensure local electronic manufacturing and job creations for Indians. Therefore, to realise the objective of making India a 'Digital Society' and a 'Knowledge Economy', PM Narendra Modi envisioned the scheme of "Digital India" so as to transform the entire concept of Governance by making it more transparent and accessible to the citizen.

Digital India Initiative Launched - The Digital India initiative is being envisaged by Department of Electronics and Information Technology (DeitY) but other ministries are also involved such as Ministry of Communications & IT, Ministry of Rural Development, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Health and others also. PM Narendra Modi launched the ambitious Digital India initiative on 1 July 2015 at a ceremony held in New Delhi to celebrate

first Digital India Week, in the presence of top CEOs from India and abroad. The industry lauded this new initiative as an important milestone in transforming India's digital infrastructure for the next generation and also as a catalyst for investment in technology sector and in employment generation. These CEOs have committed to invest Rs. 4.5 lakh crore for the initiative to make it a success.

Vision Areas of Digital India - The main vision of Digital India initiative is to '*transform India into a digitally empowered society and knowledge economy*'.



- To achieve this vision, the government has marked three Vision Areas, viz.: Making digital infrastructure as a utility to every citizen.
- Making Governance and public services on demand.
- Making citizens digitally empowered.

Important **objectives** under these vision areas are:

- High-speed internet connectivity for fast delivery of public services.
- Creation of unique digital identity for every citizen. v Making cyber-space safe and secure.
- To make government services available in real time through online medium.
- To improve ease of doing business through transformed digital services.
- Financial transactions are to be made cashless and electronic.
- Making digital resource and services available in Indian languages.

Key Initiatives under Digital India Scheme-

- **Broadband Highways** - The aim is to connect 250000 Gram Panchayats through high speed internet by December 2016 with the investment of Rs 32,000 crore; Nationwide internet infrastructure through National Optic Fibre Network (NOFK) by 2016.
- **Universal Access to Mobile Connectivity** - The aim is to connect all the remaining 42300 villages which are unconnected through mobile telephony with the investment of Rs 16000 crore by the financial year 2018.
- **National Rural Internet Mission** - The aim is to make available government services to all Gram Panchayats through Common Service Centres (CSCs) by March 2017 with the investment of Rs. 4750 crore; also, 150000 Post-Offices are to become Multi-service Centres by 2016.
- **e- Governance** - The aim is to simplify government business processes by introduction of IT, online interface and tracking across departments, integration of services and platforms-UIDAI, Payment Gateway, Mobile Platform etc; public grievance redressal through IT.
- **e-Kranti** - The aim is electronic delivery of services be it education, agriculture, health, justice or financial inclusion.
- **Information for All** - The aim is online hosting of data and proactive engagement with citizen through social media and web portals such as MyGov.in; citizen will have open access to information and open data platform.
- **Electronic Manufacturing** - The aim is Net Zero imports by 2020 through increased level of local manufacturing of electronic items such as: Set Top Boxes, VSATs, Mobiles, Consumer and medical Electronics, Smart Cards etc.; efforts will be made to provide clarity on taxation, incentives, skill development and government procurement.
- **Training and Job Creation** - The aim is to train students in small towns and villages for IT sector jobs; the target is training of 1 crore students in next five years to make them IT ready workforce; Setting up BPOs in each North Eastern State; Telecom service

providers will train 500000 people in five years to create a Telecom ready rural workforce to cater to their own needs.

- **Early Harvest Programme** - All Universities across the country will be connected through Wi-Fi by December 2015; e-mail to be the primary mode of communication- to secure e-mail services across all departments of government; Biometric attendance in all Ministries and Departments.

Challenges before Digital India Initiative - The Digital India project, no doubt is one of the grandest projects till date because it embraces all the government machinery and departments in its fold; its aim is to create a truly participatory democracy with the use of digital technology; its target is to connect more than 120 crore Indians with their Government so that they could avail services and benefits of government services in real time and also get their grievances redressed in quick time. But to implement this scheme is a great challenge before the Government; *firstly*, connecting 250000 Gram Panchayats through National Optical Fibre Network is not an easy task; it will require a lot of efforts and dedication from BSNL, the nodal agency for laying down the cables; *secondly*, improving IT literacy is a great task ahead because for the project to become successful, it is necessary that mass of people must know how to utilise the digital services; *thirdly*, security of data is very important because digital medium is still very unsafe and data vulnerability is a big issue specially in financial transactions; thus, internet data security is a big concern ahead; *fourthly*, making Digital India scheme known and creating an awareness among common masses about its benefits is also a great challenge. Overall this great initiative will require great efforts from the entire government machinery and people concerned to make it successful.

Digital India - Opportunities Beyond Imagination - The Digital India is a flagship programme of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. e-Governance initiatives in India took a broader dimension in the mid 1990s for wider sectoral applications with emphasis on citizen-centric services. The major ICT initiatives of the Government included, inter alia, some major projects such as railway computerization, land record computerization, etc. which focused mainly on the development of information systems. Later on, many states started ambitious individual e-governance projects aimed at providing electronic services to citizens. Though these e-governance projects were citizen-centric, they could make less than the desired impact due to their limited features. The isolated and less interactive systems revealed major gaps that were thwarting the successful adoption of e-governance along the entire spectrum of governance. They clearly pointed towards the need for a more comprehensive planning and implementation for the infrastructure required to be put in place, interoperability issues to be addressed,

etc to establish a more connected government.

e-Kranti: National e-Governance Plan 2.0 - The national level e-Governance programme called National e-Governance Plan was initiated in 2006. There were 31 Mission Mode Projects under National e-Governance plan covering a wide range of domains, viz. agriculture, land records, health, education, passports, police, courts, municipalities, commercial taxes, treasuries, etc. 24 Mission Mode Projects have been implemented and started delivering either full or partial range of envisaged services. Considering the shortcomings in National e-Governance Plan that included lack of integration amongst government applications and databases, low degree of government process reengineering, scope for leveraging emerging technologies like mobile, cloud, etc, Government of India has approved the e-Kranti programme recently with the vision of 'Transforming e-Governance for Transforming Governance'.

Finding and Conclusion - India's journey to become one of the best functioning democracies and its signs of rapid economic growth has made it the center of attention with both ambitions and speculations crafting contrasting narratives. The steady rise of the BJP and its new policy initiatives has created several groups opposed to each other. Some hope for a modern digitized nation while others have developed the habit of displaying hardcore resentment to any constructive change with the hidden agenda of sheer political opportunism. The recent Digital India initiative, the first of its kind to strive for the much sought after digital connectivity, by permitting fast track flow of information to achieve transparent and effective governance, continues to face stiff challenges. Political quarrels between the government and the opposition have benefited none. There

is an urgent need to evaluate the Digital India initiative, free from politics, to remain objective and to do justice to society by enhancing its overall well-being. Thus, this new initiative offers us a plethora of complimentary threats and opportunities which can be scripted to suit our narrative of better governance and skill development which would certainly be the pillars of our economy if implemented with caution and in the best possible and inclusive manner. There is nothing wrong with aspiring for change and breaking the jinx of backwardness and, most importantly, in undertaking well thought out initiatives to convert our weaknesses into strengths and threats into opportunities in the long run.

References :-

1. ErHarjotKaur and MrsDaljitKaur (2015)," E-commerce in India – challenges and prospects" International Journal of Engineering and Techniques, Vol-1, issue 2, pg No- 36-40.
2. Digital India, a programme to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy, Department of Electronics and Information Technology, Government of India, available at www.slideshare.net.
3. Recommendation of the council on digital Government strategies, adopted by the OECD council on 15th July 2014, OECD.
4. M.M.K Sardana(2012)," Vision of Digital india challenges ahead for political establishment DN2012/09,ISID.
5. www.businessinsider.in/Challenges-of-Digital-India-Some-heads.../
6. economictimes.indiatimes.com/digital-india-is...but-it...challenges/
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_India

Global Economy - Challenges & Opportunities For India

Dr. Reena Gupta *

Abstract - We are now living in a rapidly shifting economic environment. Economic relations and trade policy have of late become the most important tool in global power equations. However beyond this competitive understanding of international business and economics, there are still golden rules which continue to prove themselves time and again. Further, competition again should be more visualized in the positive sense in terms of drawing inspirations from those who have achieved better results than us. In 2015-16, India was responsible for 1.65 per cent of world manufacturing exports whereas China contributed 16.88 percent. This will strive us to make further improvements in our methods and abilities, thereby making us even more strong, robust and resilient. Thus, in way, we are using economic growth to bring changes for better in our society not only in the material aspects but also in non-material aspects of our civilization.

Key words - global , visualized , inspirations , non-material , rapidly.

Introduction - Changing Trends- We are now living in a rapidly shifting economic environment. Following 35 years of strong economic output by the Group of Seven economies, during which they commanded approximately 65 per cent of the global output and the so-called “BRIC” – Brazil, Russia, India, China – economies accounted for about 7 per cent, we have seen the Group of Seven’s share falling to 58 per cent over the past five years and the BRIC’s share rising to more than 11 per cent. By 2030, according to Brookings expert Homi Kharas, the two groups are expected to converge towards parity, with each accounting for about one-third of world output. The rapid growth of the rising powers is creating enormous opportunities but also putting considerable strain on resources from food to water to energy, contributing to global inflationary pressures, just as humanity is waking up to the urgent need to wean the world’s economy from its centuries-long dependence on carbon.

Re-imagining Global Trade - By some measures, India’s trade policy has been a blizzard of activity and achievement in the last decade or so. We have signed a number of free trade agreements and preferential trade agreements. Some of the very important ones have been the FTA with ASEAN or the PTA with MERCUSOR. Foremost, India should make it clear from the outset that its trade policy will be multilateral in focus; this can – and should – be coupled with a shift away from bilateralism. Perhaps most important of all initiatives is the need to shore up support for trade, both in the legislature and in the public at large; otherwise, no new trade agreements of any kind may be possible. Further much stronger steps will also be required on the domestic

front, to expand the social safety net and health care.

Navigating China’s Rise - China is growing rapidly through its outward orientation and engagement with the world economy. Its growth has provoked anxiety in all the major economic players of the globe including the United States and India, particularly about its perceived unfair trade practices and that India is running a huge trade deficit with China. China’s growing influence in the Asia-Pacific region has led to a definite changes in the international relations globally. China’s rise, has been matched by America’s neglect of its important regional allies. The U.S. has neglected the 21-nation Asia-Pacific economic Cooperation forum’s economic agenda; as a result, regional policymakers have learned to bypass the United States in favor of Asia-only forums. And while the U.S. has devoted its energies to negotiating bilateral free trade agreements with selected East Asian countries, it has neglected the ASEAN + 3 approach that increasingly dominates the region’s economic architecture. As a consequence there has been a meteoric rise in the importance of China in the Asian and the Pacific region. China is now a major player in almost all the important regional forums in this area viz. SCO, ASEAN + 3 and has vastly contributed to the dilution of American influence in this region. The Indian establishment therefore is confronted with a major challenge which asks the question as to what should be the course of action for dealing with the rising China.

Deciphering “Russia Inc” - Eight years of annual GDP growth exceeding 7 per cent have made Russia’s 140 million consumers, still with pent-up demand from decades of shortages under communism, one of the world’s most

attractive markets. And as the world's biggest producer of oil and natural gas, Russia plays a crucial role in global energy security. Finally, Russia now holds the world's fourth-largest foreign currency reserves. We have had historical relations with Russia and erstwhile Soviet Union. During the communist era, though India portrayed itself to be the progenitor of the Non-aligned movement, yet its policies have largely been tilted towards Russia. In the new backdrop however we have not been successful in maintaining the same levels of closeness with the New growing Russia. Recently Israel overtook Russia as the biggest defence supplier of India. Bilateral trade between India and Russia missed the target of \$13 billion set for 2015-16. The challenge for the Indian establishment and Indian policymakers therefore is to ensure that Russia can realize its potential as a market for Indian goods, that we can increase our cooperation to the next level in the areas of defence, aerospace and nuclear technologies where the Russians have a definite edge over the Indians, that it can continue to supply oil and gas to the world economy and that it will remain committed to global economic integration.

Revitalizing Ties to Latin America - Relations between Indian and the 33 countries that make up the Latin American and Caribbean region have not been taken very seriously in the past. There have been a number of reasons to this phenomenon viz. the absence of any formidable economic or military power in that area, the perception that these states are nothing but satellites of the US and most prominently a lethargic attitude of the establishment in the absence of a definite policy for dealing with Latin American countries. The difference seems to lie in India's failure to develop a manufacturing sector that can match China's supply capacity, efficiency, and diversification. As discussed earlier, despite the two-digit growth of its manufacturing exports in the last two decades, India's share of world manufacturing exports remains small, particularly compared to that of China. In 2015-16, India was responsible for 1.65 per cent of world manufacturing exports whereas China contributed 16.88 percent. True, India's exports cover 63 percent of the manufacturing items imported by LAC (6 digit harmonized system, 2006 data), yet their level of coverage remains well below China's 87.45 per cent. Also India's export volumes are generally small, except for items such as precious stones, pharmaceuticals, chemicals, and yarns. Overall, China had 87.45 percent of LAC manufacturing imports in 2015-16, whereas India had less than 3.44 percent.

Supporting Africa's Growth Turnaround - After three decades of low and volatile growth, Africa's economic performance has markedly improved in recent years. Since 1994, its average economic growth has been close to 6.34 percent a year. Today Africa's per capita income is rising in tandem with that of the rest of the world. What explains this dramatic turnaround? Africa's long-run growth masks a striking pattern of off-setting booms and busts. Between 1975 and 2015, the average African economy grew more

than 6.25 per cent a year a quarter of the time but contracted by about 3.11 per cent another quarter of the time. This pattern changed in 1995, when the booms began to be more frequent and the busts became much rarer, thanks to two factors: good luck – resource-driven growth booms – and fewer mistakes – avoiding busts. High export prices for virtually all of Africa's commodities have meant that the continent's resource-rich economies have had significantly more growth booms in the past 10 years than their non-resource-rich neighbors. In contrast to China, India's development has been characterized by a lower saving rate, limited inflows of FDI and poor. There are noteworthy differences between India's and China's relations with Africa. Sino-Africa engagement outsmarts Indo-Africa engagement in terms of trade growth and trade deficits. During 1997-2015, India's import from Africa only about doubled as compared to China's more than tenfold increase; and Chinese trade deficits with Sub-Saharan Africa observed more than seventy fold increase while India's trade deficits has been a very moderate overall growth of 27.94%.

Pursuing Positive Agenda for the Middle East - There are mainly five factors which steer Indian policy towards the middle-east.

1. India is very reliant upon Middle East oil and gas, and must maintain cordial relations with most of the major suppliers, including Iran, UAE, Qatar, and Saudi Arabia, as well as Iraq. While these states must sell their oil and gas somewhere, and India is a good customer, Delhi does not want to be vulnerable to a temporary cut off or an increase in prices on the pretext of any military or economic crisis which plagues the middle-east more often than not.
2. While a secular democracy, India is also a major Muslim state, and relations with Iran, in particular, resonate in the north Indian heartland, notably Uttar Pradesh.
3. India is hyper-sensitive to criticism of its policies in Kashmir, and wants to keep the major Muslim states from either intervening in Kashmir or supporting Pakistan. It thus conducts a sophisticated balance-of-power diplomacy, hoping to counter Pakistani influence in the Gulf and to keep Kashmir out of all discussions.
4. India's new opening to Israel has brought important technical, intelligence, and military benefits, and more influence in Washington, but some in India are still uneasy with it. New Delhi at present must continuously calculate the balance between its relations with Tel Aviv and Tehran.
5. Finally, India does not want to run afoul of America's non-proliferation policies in the Middle East, but its strategists have strong reservations about American non-proliferation goals and tactics.

Findings and Conclusion - However, as part of the improvement measure, India has been actively promoting trade with Africa in recent years. The Trade & Economic Relations Committee (TERC) of India is discussing ways to increase India's trade engagement with African countries

and decided to club Africa with the progress on India-US economic dialogue. To boost the country's trade with the Sub-Saharan African region, the Government of India launched the "Focus: Africa" programme under the EXIM Policy 2012-15. Target countries identified during the first phase of the programme include Mauritius, Kenya and Ethiopia. The Government of India provides financial assistance to various trade promotion organizations, export promotion councils and apex chambers in the form of Market Development Assistance under the "Focus: Africa" programme. Economic relations and trade policy have of late become the most important tool in global power equations. However beyond this competitive understanding of international business and economics, there are still golden rules which continue to prove themselves time and again. Further, competition again should be more visualized in the positive sense in terms of drawing inspirations from

those who have achieved better results than us. This will strive us to make further improvements in our methods and abilities, thereby making us even more strong, robust and resilient. Thus, in way, we are using economic growth to bring changes for better in our society not only in the material aspects but also in non-material aspects of our civilization.

References :-

1. Prabhandhan : Indian Journal of Management, Vol VI/ II, April 2015-16.
2. S.Agrawal, Indian Economy, Ramesh Book Depo, 2015.
3. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp072611>
4. <https://www.iiss.org/en/events/igf/sections/india-global-forum.../nishimura-d204>
5. <https://www.thebalance.com> > ... > The Asian Economy

The Role Of Banks Inthe Development Of Indian In Economy

Smita Hajary * Dr. Pradeep Bajpayee **

Abstract - Banks play an active role in the economic development of country. Their ability to make a positive contribution in igniting the process of growth depends on the effective banking system. It plays a major role in mobilizing the nation's savings and in channelizing them into high investment priorities and better utilization of available resources. In a developing economy, the role of banks is more formative and purposeful than in the developed one. In a developing country, where the banking habits of the people are not developed, the task of creating and spreading the banking habits and of mobilizing the country's resources becomes a challenging one. It is here that banks play a crucial role because they act as a bridge between those who require finance and those who have finance. In India, banking is an important segment of the secondary sector. It acts as the backbone of our economic progress and prosperity. Indian banking has undergone major transformation during the past three decades and has been made more socially relevant and development oriented. Nationalization of fourteen major banks in 1969 and of another six banks in 1980 marked a significant step towards this transformation. Financial sector reforms following the Narasimham Committee Report further transformed our banking system. Banking in India is highly fragmented with 30 banking units contributing to almost 50 percent of deposits and 60 percent of advances. Public sector commercial banks (PSCB's) comprise of State Bank of India, its seven subsidiaries and nineteen other nationalized banks. These PSCB's in India continue to be the major lenders in the economy due of their sheer size and penetrative networks which assure them high deposit mobilization and control of 80 percent of banking business in India. This study concentrates on the role played by banks in the development of Small Scale Industries in India.

Key words - Banking sector development, economic growth.

Introduction - There is a long-debated issue whether there is a connection between financial development and economic growth. The question is whether there is causality and if so in what direction: is it the financial development that induces economic growth or maybe financial development merely follows economic growth. Most empirical studies usually conclude that development of the financial sector accelerates economic growth. Financial systems perform several functions that serve to ameliorate these frictional costs and thus bear on capital accumulation and technological progress. Four broad groups of services are examined here:

(1) mobilising savings; (2) diversifying risk; (3) allocating savings; and (4) monitoring the allocations of managers. Each of these functions can influence saving and investment decisions and hence economic growth. The aim of this article is to empirically examine whether the banking sector plays a growth-supporting role in economic growth in transition economies and this is a modest attempt to repair this gap in the literature.

Research Methodology - The study is descriptive in nature. Present study is based on secondary data that has

been derived from leading Newspapers, Magazines, Case Studies, Journals and Online databases & Websites of DIIP (Department of Industrial Policy & Promotion), RBI (Reserve bank of India), FICCI (federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) etc.

Objective of the Study -

1. To study the contribution of Banks in the development of Economy.
2. To study the problems faced by Banks in the development of Economy.

Contribution of Banks in the development of economy-

1. Mobilising Saving for Capital Formation - The commercial banks help in mobilising savings through network of branch banking. People in developing countries have low incomes but the banks induce them to save by introducing variety of deposit schemes to suit the needs of individual depositors. They also mobilise idle savings of the few rich. By mobilising savings, the banks channelise them into productive investments. Thus they help in the capital formation of a developing country.

2. Financing Industry - The commercial banks finance the industrial sector in a number of ways. They provide

short-term, medium-term and long-term loans to industry. In India they provide short-term loans. In India, the commercial banks undertake short-term and medium-term financing of small scale industries, and also provide hire-purchase finance. Besides, they underwrite the shares and debentures of large scale industries. Thus they not only provide finance for industry but also help in developing the capital market which is undeveloped in such countries.

3. Financing Trade - The commercial banks help in financing both internal and external trade. The banks provide loans to retailers and wholesalers to stock goods in which they deal. They also help in the movement of goods from one place to another by providing all types of facilities such as discounting and accepting bills of exchange, providing overdraft facilities, issuing drafts, etc. Moreover, they finance both exports and imports of developing countries by providing foreign exchange facilities to importers and exporters of goods.

4. Financing Agriculture - They provide loans to traders in agricultural commodities. They open a network of branches in rural areas to provide agricultural credit. They provide finance directly to agriculturists for the marketing of their produce, for the modernisation and mechanisation of their farms, for providing irrigation facilities, for developing land, etc. They also provide financial assistance for animal husbandry, dairy farming, sheep breeding, poultry farming, pisciculture and horticulture. The small and marginal farmers and landless agricultural workers, artisans and petty shopkeepers in rural areas are provided financial assistance through the regional rural banks in India.

5. Financing Consumer Activities - People in underdeveloped countries being poor and having low incomes do not possess sufficient financial resources to buy durable consumer goods. The commercial banks advance loans to consumers for the purchase of such items as houses, scooters, fans, refrigerators, etc. In this way, they also help in raising the standard of living of the people in developing countries by providing loans for consumptive activities.

6. Financing Employment Generating Activities - The commercial banks finance employment generating activities in developing countries. They provide loans for the education of young person's studying in engineering, medical and other vocational institutes of higher learning. They advance loans to young entrepreneurs, medical and engineering graduates, and other technically trained persons in establishing their own business. Such loan facilities are being provided by a number of commercial banks in India.

7. Help in Monetary Policy - The commercial banks help the economic development of a country by faithfully following the monetary policy of the central bank. In fact, the central bank depends upon the commercial banks for the success of its policy of monetary management in keeping with requirements of a developing economy.

Problems faced by Banks in the development of

Economy - RBI and Government are taking their full steps in modifying the present conditions of the agriculture sector in India. There is a sigh of relief for the rural poor from the dreaded clutches of money lenders. NABARD as apex institution of indirect financing to agriculture is providing patronage as philosopher, guide and friend. The progress achieved by NABARD in refinancing is praiseworthy. Study reveal that 66% people are still not getting the banking facilities and cheaper credit. Poor farmers are not able to survive in this kind of scenario. There are various studies which show that in India 40% farmers are committing suicide because of not able to fulfill the loan amount of banks. Commercial banks are providing credit to the poor farmers but this is not free from the other problems. Commercial Banks are providing 43.1% of total Agriculture credit (Economic Survey 2011). These are the still privileged problems in India faced by the farmer to get agriculture credit: • High rate of interest on loan • Lack of financial knowledge • Cumbersome process of getting loan • Bank staff is not cooperative • Lack of security of collateral • Fear factor about recovery process The no of banks branches in RRBS area has been increased from 1833(1969) to 35850 (2012). This is the one of finest policy of RBI .with the increasing of branches in Rural area farmers are now able to get the loan and able to understand the process of it. The present challenge in front of the banks is to cover the 70,000 villages in rural are up to 2013. This process will increase the agriculture credit in India in effective ways.

Conclusion: According to the Confederation of Indian Industry, Indian agriculture suffers mainly because of expensive credit, a distorted market, intermediaries (who increase cost rather than add value), controlled prices and poor infrastructure. It has also suffered because of poor irrigation facilities, use of traditional technology and practices, farmers' poor economic status, fragmented landholdings, lack of post harvest infrastructure and lack of farm extension. Banks should consider these facts to invest more in infrastructure facilities like irrigation facilities, processing, storage and marketing activities. Such agricultural infrastructure can be improved by banks, as there are ample prospects for banks to invest in the above activities. The above study reveals that how commercial banks are helpful in development of country. If we make the comparison between Rural area and urban area then it always come isin our mind that Urban area are more developed. This is because of low credit flow and less contribution of agriculture sector in GDP of India. If agriculture sector grow then only economic development is possible in India.

References :-

1. Padmanabhan, K.P.(1998) Rural credit: Lesson for rural bankers and policy makers. Intermediate Technology publications, London
2. Rose P.S (1986) Money and Capital Markets, Business Publication Inc., Schmidt H.R etKropp E., 1988. Financement rural: Cadre d'orientationmanuels devel

opment rural, GTZ, Eschborn, RFA.

3. Stiglitz, Joseph E. (1994), "The Role of the State in Financial Markets", Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1993, (Supplement to the World Bank Economic Review and World Bank Research Observer), Washington D.C.: World Bank.
4. Thillairajah S. 1994. Development of rural Financial Markets in Sub-Saharan Africa. World Bank Discussion paper. No. 219
5. United Nations. (2005). World Economic and Social Survey 2005: Financing for Development. New York: Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
6. Weeks, John, Nguyen Thang, Rathin Roy and Joseph Lim (2003), The Macroeconomics of Poverty Reduction: The Case Study of Vietnam, Kathmandu: UNDP.
7. http://www.ehow.com/about_6607026_role-commercial-banks-economic-development.html

Understanding Various Aspects Of Self Employment

Dr. Jaya Sharma *

Abstract - "It has always been the question of making available proper employment opportunities for governments, when people fail to get proper employment they either blame the system for it or adopt some antisocial activity and even sometimes finishes their lives. The problem of unemployment is very much dangerous in today's world as the present generation is not having the capacity of dealing with failures or challenges with patience. They want their choice at any cost. It is not as they do not work hard for it but their bearing capacity is low thus we need to find a suitable solution for this problem of unemployment and provide our young generation a world they can conquer. The present paper is prepared to present self employment as a concrete solution for the problem and also suggests some easy adoptable areas in which our students can get engaged and earn their lives. There is also an effort to make the law makers aware about adding skill education in our educational system so that students can understand the process of entrepreneurship and self employment."

Key words - Unemployment, self employment, skill development.

Introduction - India is a challenging country in terms of various social problems. There are a number of problems that are being faced by us in our day to day life to name a few poverty, illiteracy, pollution, unemployment etc. The present paper is an attempt to study various aspects of self employment to solve the problem of unemployment in India. As we are aware that India is a resourceful country in terms of natural resources; we have fertile lands, sufficient drinking water facility and a controllable living atmosphere to breathe fresh air. These are the basic and sufficient factors which are responsible for a healthy life. But due to improper utilisation of natural resources and a wrong urbanised mindset we have failed to explore the benefits of our surroundings. The problem of unemployment is a major issue today. Everyone is trying to be educated and get a white colour job and if not able to get the same frustration and depression is taking over them.

People think that a job is the initial requirement to earn a life. Even those students who have some family work and used to get involve in that self works are turning towards other jobs. Nobody dares to do something at his own. There are some common factors because of those people fear to get into self employment. The main fear is of investing money. Many people think that to start any earning through self employment or self work it needs a lot of money with sound technical knowledge. This is the mindset of not only the illiterates but also of some graduates. They just waste their valuable time in search of a job and do not bother that their efforts are being senseless. Our college students are also targeting towards only completing their degree by this

or the other way and make them capable of applying for some job. The present education system is not preparing skilled generation instead it is producing a force of educated unskilled persons. These types of youth are very dangerous for any nation as they need some job and if they do not get it they indulge in some antisocial activities. Thus there is an urgent need of changing the mindset of our young generation and motivate them to become a job creator instead of a job searcher.

There are a number of self employment opportunities which can be started with a minimum amount and without any special knowledge like screen printing, detergent powder making, candle making, tooth paste and soaps making etc. There are different self employment works for rural area and urban area. If you belong to rural area you can choose some work related to agriculture or animals or some work like making bidies, agrbatties, etc. Our government has initiated various self employment programmes and financing facilities for it. The Prime Minister's employment scheme is one of them. The district Industries centre is also an institution working only for providing funds for self employment activities. Even there is a provision of subsidy on some areas in which the entrepreneur gets subsidy in returning the loan.

The youth of present world need to be self sufficient in handling major responsibilities and become a leader to start a career which is of his choice. The country needs self dependent people who are entrepreneurs of their field. Imaging a time in which all Indians are employed not in Multi National Companies or big offices but in their own big

or small creative, productive business and every Indian become capable of giving birth to a job as per the need of his surrounding area. Whatever resources are available the students should be trained to utilise them. These practices can help reduce urbanisation also. A number of training institutions provide training about how to start a work as per your interest. There are many areas like making chalks, hair oils, vinegar, herbal products, beauty products, herbal spices, small snakes, tooth powder, soaps, oils, creams, artificial jewellery, pottery, toilet cleaners, batteries, shampoos, balloons, ball pens, bottles, carry bags, decorative items, papad & badis, purses, chips, noodles, toffees, fruit juice, nail paints, fabric paints, pickles, jams, fancy wooden items etc. These and many more are there so there remains no reason for being unemployed at any stage of life. The main thing is to develop a new system of education which focuses on building a skilled youth. Our education system should make the students aware about their capabilities and also encourage them to work accordingly. The student should be guided about the availability of various employment opportunities for him as per his educational status and if he is interested in a particular area he should be targeted to provide the related skill.

If we look at the unemployment as a problem we are

wrong because the unemployment is not there at all it is just a misunderstanding about proper employment opportunities. The more we get into self employment activities the less unemployment we shall face. The concept can also be only used from the higher secondary level of education as the students should be trained in various social useful productive works. In such works they should be made skilled to perform basic works that are needed in our day to day life and they can further select any of them for getting perfect knowledge and make a career in the related field. The present world of technological innovation has also helped to build new areas of employment. Some are as which can be a pleasure and a work too like photography, cinematography, animation, news reading, radio jockey, choreography etc. Now it is possible for us to work as we want. So we should motivate our youth to become great entrepreneurs and make India a world power again.

References:-

1. Agrawal Krishna kumar, "Profitable Home industries", Manoj publications 2014, ISBN 978-81-310-1865-1.
2. Dainik Bhasker various issues,
3. Patrika various issues,
4. Career 360 various issues,
5. Employment news various issues.

मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन स्थिति का अध्ययन

राजेश मईड़ा *

प्रस्तावना – प्राचीन काल से कृषि का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से अनाज, दलहन तथा तिलहन प्रमुख हैं। किन्तु खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता की सुनिश्चितता नहीं थी। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ है। 2001 की जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2011 में 18.14 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई।¹ देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए निकट भविष्य में खाद्यान्नों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति के लिए कृषि क्षेत्रफल वृद्धि के साथ उत्पादन के प्रयास तीव्र करने होंगे अथवा विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा। जिससे विदेशी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता में वृद्धि होगी। विदेशों से खाद्यान्न आयात का विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसी आधुनिक तकनीकी आवश्यकता है, जो खाद्यान्न उत्पादन में सुनिश्चित वृद्धि कर सके।² भारत के लिए बढ़ती जनसंख्या की समस्या अत्यन्त जटिल व विकराल रूप धारण करती जा रही है। जनसंख्या की अधिकता सुख-सुविधाओं एवं विकास में सबसे बड़ी बाधा है।³ यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, उद्योग, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि हुई है फिर भी देश का विकास और बढ़ते उत्पादन के बाद भी गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न आदि की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। जिसका प्रमुख कारण उत्पादन विकास की तुलना में जनसंख्या वृद्धि का अधिक होना है।⁴

उद्देश्य –

- मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – खाद्यान्न उत्पादन तथा जनसंख्या वृद्धि अध्ययन के लिए द्वितीयक समकों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक समकों के संकलन के लिए कृषि कार्यालय, शोध-पत्रिकाएँ, शोध आलेख, पत्र, पत्रिका, अध्यादेश अधिनियम तथा इंटरनेट आदि से प्राप्त जानकारी का प्रयोग किया गया है।

भारत में अनाज उत्पादन परिदृश्य – भारत में अनाज की कृषि के अन्तर्गत एक बड़ा भाग कम उपजाऊ है। जिसमें मोटे अनाजों के अन्तर्गत क्षेत्र का 57 प्रतिशत और तिलहन के अन्तर्गत 92 प्रतिशत भाग कम उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत है। उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों के मुकाबले निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों का उत्पादन करीब 40 प्रतिशत कम है। कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में धान तथा गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज क्रमशः 2538 और 2032 किलोग्राम है जबकि उच्च उत्पादकता वाले उर्वर क्षेत्रों में यह 2867 और 3828 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।⁵ धान के अन्तर्गत 60 प्रतिशत क्षेत्र बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तरप्रदेश तथा गेहूँ के अन्तर्गत 68 प्रतिशत क्षेत्र उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और राजस्थान में है।⁶ कर्नाटक, महाराष्ट्र

तथा मध्यप्रदेश में बाजरे की खेती का 82 प्रतिशत क्षेत्र कम उपजाऊ है। जबकि गेहूँ के अन्तर्गत कम उपज का 78 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। इसी प्रकार चावल के अन्तर्गत 32 प्रतिशत कम उत्पादकता क्षेत्र सिंचित है। देश में 2 करोड़ 45 लाख हेक्टेयर बजंर और 1 करोड़ 66 लाख हेक्टेयर परती भूमि है।⁷

तालिका क्रमांक – 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

कुल उत्पादन की दृष्टि से मध्यप्रदेश में धान एवं गेहूँ की प्रधानता है। उक्त दोनों फसलों का कुल खाद्यान्न उत्पादन में 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। जिसमें गेहूँ की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 122.94 प्रतिव्यक्ति किलोग्राम है।

तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि चावल उत्पादन में वर्ष 1990-91 तक 617 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2010-11 तक वर्ष 1970-71 की तुलना में 1117 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। गेहूँ उत्पादन में वर्ष 1990-91 तक 974 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2010-11 तक वर्ष 1970-71 की तुलना में 1631 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। दाल उत्पादन में वर्ष 1990-91 तक 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2010-11 तक वर्ष 1970-71 की तुलना में 165 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तिलहन उत्पादन में वर्ष 1990-91 तक 192 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2010-11 तक वर्ष 1970-71 की तुलना में 746 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2007 में खाद्यान्न की उपलब्धता 442.8 ग्राम प्रतिदिन थी। वर्ष 2008 में प्रतिव्यक्ति वर्ष 2007 की तुलना में घटकर 436 ग्राम प्रतिदिन हो गई। जबकि 2006 में 445.3 ग्राम प्रतिदिन थी।

2006 में अनाज की प्रतिदिन उपलब्धता 412.8 ग्राम प्रतिव्यक्ति थी। 2007 में यह 407.4 ग्राम प्रतिव्यक्ति और वर्ष 2008 में घटकर 394.2 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई। जबकि दालों की उपलब्धता बढ़ी है। वर्ष 2008 में उपलब्धता बढ़कर 41.8 ग्राम प्रतिदिन हो गई, वर्ष 2007 में 35.5 ग्राम प्रति दिन और 2006 में 32.5 ग्राम प्रतिदिन थी।

बदलते जलवायु, सिमटते जोत व सिंचाई संसाधनों की कमी का असर कृषि उत्पादन क्षमता पर पड़ने लगा है। घटते उत्पादन क्षमता का प्रभाव भारत में वर्ष 2002 से अब तक खाद्यान्न उपलब्धता प्रति व्यक्ति 500 सौ ग्राम से घटकर 440 ग्राम पहुँच गया है।⁸

भारत में खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में घरेलू मांग के पूर्वानुमान यदि 1999-2000 को आधार वर्ष मानते हुए भारत सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) दर 9 प्रतिशत माने तो वर्ष 2021 में 245.10 मिलियन मीट्रिक

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

टन खाद्यान्न एवं 42.5 मिलियन मीट्रिक टन ढालों की आवश्यकता होगी। 9 पर्याप्त एवं सन्तुलित भोजन उपलब्ध कराने हेतु खाद्य सुरक्षा भारत सहित पूरी दुनिया में उठ रही है। खाद्य सुरक्षा से आशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन, सन्तुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण व प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक जा पहुँचा है। उक्त सभी तथ्य सन्तुलित भोजन करने में समाहित है। खाद्य सुरक्षा में चार अवयवों जैसे उपलब्धता, उपभोक्ता की पहुँच, उपयोग, आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करते हुए संसाधनों का ऐसा सफल प्रबंधन करने की जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए वातावरण की गुणवत्ता को बनाए रखे। खाद्य सुरक्षा बनाये रखने हेतु अधिक उत्पादन ही नहीं स्वस्थ उपभोग भी आवश्यक है।¹⁰

मध्यप्रदेश में खाद्यान्न का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसका योगदान निम्न तालिका से स्पष्ट है -

तालिका क्रमांक - 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

नोट - क्षेत्रफल हजार हैक्टेयर में, उत्पादन हजार टन, और उत्पादकता किलो ग्राम/हैक्टेयर में।

चित्र - मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि की स्थिति वर्ष 1999-2000 से 2010-11 (देखे आगे पृष्ठ पर)

चित्र - मध्यप्रदेश में खाद्यान्न क्षेत्रफल तथा उत्पादन में वृद्धि की स्थिति वर्ष 1999-2000 से 2010-11 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि होती जा रही है वर्ष 2007-08 में 12120 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत था उसमें वर्ष 2012-13 में 2114 हजार हैक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन वर्ष 2007-08 में 12890 हजार टन दर्ज किया गया वहीं वर्ष 2012-13 तक कुल खाद्यान्न में 14894 हजार टन की वृद्धि हुई तथा मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में तीसरे स्थान प्राप्त कर चुका है। खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता वर्ष 2007-08 में 1064 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर था वर्ष 2012-13 की स्थिति में 888 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर वृद्धि हुई है। उत्पादकता प्रतिशत वर्ष 2007-08 में 56.7 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2012-13 में बढ़कर 93.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उक्त वृद्धि का मुख्य कारण सिंचाई साधनों तथा संसाधनों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संभव हो सकी है। मध्यप्रदेश में सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र वृद्धि की स्थिति को तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट है -

तालिका क्रमांक - 3 (देखे आगे पृष्ठ पर)

मध्यप्रदेश में उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 6506.1 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में थी वहीं वर्ष 2013-14 में 2948.5 हजार हैक्टेयर की वृद्धि हुई है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 480 हजार हैक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई। शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत वर्ष 2008-09 में 43.24 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2012-13 में 17.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 60.9 प्रतिशत दर्ज किया गया।

राज्य में सिंचाई साधनों से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2013-14 के अंत तक 31.87 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है, जिसमें से लगभग 23.30

लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया जो कुल निर्मित सिंचाई क्षमता का 73.11 प्रतिशत है।

तालिका क्रमांक - 4 (देखे आगे पृष्ठ पर)

चित्र - विभिन्न फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में) (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 4 एवं चित्र क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में धान के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वर्ष 2008-09 में 303 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल था, वर्ष 2009-10 में धान के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल में 18 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई। उक्त कमी का मुख्य कारण वर्षा की मात्रा में कमी तथा संसाधनों के पूर्ण उपयोग में कमी है। वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक कुल सिंचित क्षेत्र में 235 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। गेहूँ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल में वर्ष 2008-09 में 3352 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित था जिसमें वर्ष 2013-14 तक 2286 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। उक्त वृद्धि का मुख्य कारण हरित क्रान्ति का प्रभाव तथा गेहूँ उत्पादन हेतु उपयुक्त काली मिट्टी की उपलब्धता तथा सिंचाई साधनों के विकास के साथ पर्यावरणीय कारकों का अनुकूल होना है।

मध्यप्रदेश में समस्त प्रकार के तिलहनों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल में वर्ष 2008-09 की तुलना में लगातार कमी दर्ज की गई। वर्ष 2008-09 में समस्त तिलहनों के अन्तर्गत 432 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित था वही वर्ष 2009-10 में 15 लाख हैक्टेयर, वर्ष 2010-11 में 70 लाख हैक्टेयर 87 लाख हैक्टेयर, की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 में 69 लाख हैक्टेयर तथा 2013-14 में 83 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई।

दलहनी फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल वर्ष 2008-09 में 1715 लाख हैक्टेयर था, वहीं वर्ष 2009 से 2011 के मध्य क्रमशः 27 लाख हैक्टेयर तथा 47 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2011-12 में 30 लाख हैक्टेयर, 2012-13 में 134 लाख हैक्टेयर तथा वर्ष 2013-14 में 249 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया।

खाद्यान्न उत्पादन की सम्भावनाएँ - खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद मध्यप्रदेश में कृषि विकास का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है। उत्पादन की सम्भावना तथा वास्तविक उत्पादन स्तर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अभी काफी अन्तर विद्यमान है। ज्यादातर खाद्यान्नों के उत्पादन का राष्ट्रीय औसत कम है। कुल आबादी का 20 प्रतिशत को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं तथा 30 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार है।¹¹

खाद्यान्न की पूर्ति के साथ जनसंख्या नियन्त्रण की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जाता तो भविष्य में कृषि क्षेत्रफल वृद्धि के साथ अधिक खाद्यान्न वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। कृषि विकास न केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और कुपोषण दूर करने की विवशता से तय होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण, उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने, लाभ और निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य प्राप्त करने होंगे।

खाद्यान्न आपूर्ति के अलावा आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी निवारण, खाद्य सुरक्षा और निरन्तर विकास के लिए कृषि विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। गरीबी निवारण तथा अनाज क्रय शक्ति का विकास किया जाना अनिवार्य है। क्रयशक्ति में कमी कुपोषण में वृद्धि का मुख्य कारण है। खाद्यान्न उत्पादन की प्रक्रिया में पारिस्थितिकीय घटकों का प्रमुख महत्व है। खाद्यान्न एवं अखाद्यान्न फसलों की अधिक उत्पादन

की प्रक्रिया में भूमि, जंगल, नदियों और वातावरण को बहुत क्षति पहुँच रही है।

जनसंख्या वृद्धि दर, आय तथा औद्योगिक एवं अन्य कार्यों के लिए अनाज की मांग को देखते हुए अनुमान के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मध्यप्रदेश को अधिक अनाज की आवश्यकता होगी।

जोत का आकार एवं फसल संरचना अर्थात् कृषि भूमि उपयोग में घनिष्ठ सम्बन्ध है। छोटे जोत वाले कृषक मात्र खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त अनाजों जैसे – चावल या गेहूँ की खेती को प्राथमिकता देते हैं, इसके बाद नकदी फसलों का स्थान आता है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है की पर्याप्त खाद्य पदार्थ जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। खाद्य समस्या से आशय क्षेत्रीय आवश्यकता के सन्दर्भ में खाद्यान्न की कमी से है। यह कमी खाद्यान्न की मात्रात्मक न्यूनता के रूप में हो सकती है या सामान्य पोषण स्तर तक खाद्य पदार्थ उपलब्ध न हो सकने के रूप में हो सकती है। खाद्यान्नों की मात्रात्मक कमी का दबाव अर्थव्यवस्था पर लगातार बना हुआ है। पूर्ति पर मांग का आधिक्य बने रहने के कारण लोगों को न्यूनतम आवश्यक कैलौरी के लिए भी खाद्यान्न नहीं उपलब्ध हो सका है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुमान के अनुसार सामान्य रूप से प्रति व्यक्ति दैनिक खाद्यान्न उपलब्धि 440 ग्राम होना चाहिए। खाद्यान्न पूर्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Census of India 2011.

2. Pratiyogita Sahitya(2009), Indian Economy, Agra p. 10.
3. ओझा, शंकरदत्त (1987), प्राचीन भारतीय परंपरा और जनसंख्या शिक्षा, उ.प्र. लखनऊ, पृ. 12
4. साहनी, निर्मल :जनसंख्या शिक्षा, परिभाषा, उद्देश्य, अंग, महत्व, सन्दर्भ – 1, पृ. 1
5. G.S. Bhalla (2005); the State of Indian Farmers` The Indian Economic Journal, July-September, Volume 53.
6. Census of India(2011), Government of India, New Delhi.
7. Narain, Ghosh, Sexena, Parikh, Soni, (2009), "Climate Change Perspectives From India UNDP, New Delhi, India.
8. Sharma ,P.N. (2005), Globalisation of Indian Agriculture; Challenges and future Prospects` in Globalisation and contemporary Economic Scenario, Abhijeet Publications, New Delhi.
9. K.Venu Gopal Rao, Anti-Poverty and Rural Development (Delhi: Mangalam Publications, 2010).
10. A. Karami: Social and economic structures relationship with the technical knowledge of wheat farmers about sustainable agriculture, Tehran, Research Institute for Agricultural Planning and Economics, Department of Information and Publications, 1997.
11. J.N. Pretty, R. Hine, Reducing food poverty with sustainable agriculture: a summary of new evidence, CES Occasional paper, 2001.

तालिका क्रमांक - 1

भारत में खाद्यान्न की औसत उत्पादकता (किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

फसल	औसत उत्पादन 1970-71	औसत उत्पादन 1990-91	वृद्धि 1970-71 से 1990-91 तक	औसत उत्पादन 2010-11	वृद्धि 1990-91 से 2010-11 तक
चावल	1123	1740	617	2240	500
गेहूँ	1307	2281	974	2938	657
दाल	524	578	54	689	111
तिलहन	579	771	192	1325	554

Source - Computed from Various reports of Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, Government of India

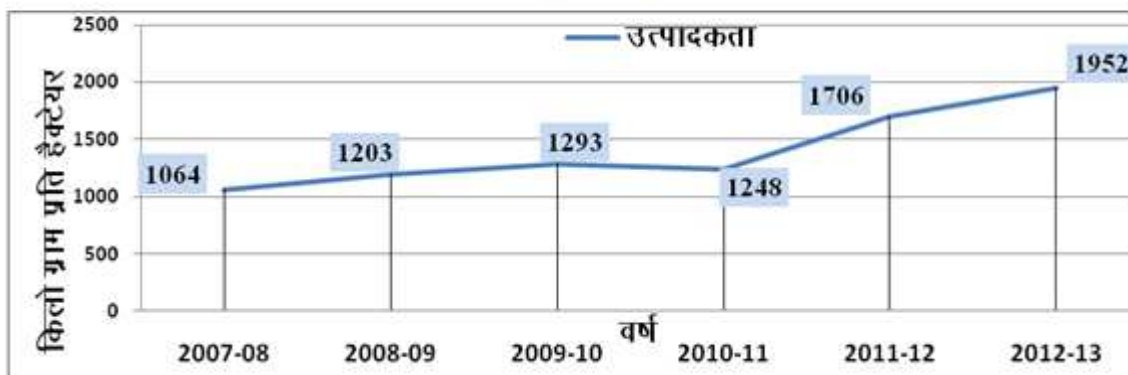
तालिका क्रमांक - 2

मध्यप्रदेश में खाद्यान्न का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसका योगदान

वर्ष	मध्यप्रदेश			मध्यप्रदेश की भागीदारी प्रतिशत में		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
2007-08	12120	12890	1064	10.0	5.7	56.7
2008-09	12271	14759	1203	10.2	6.4	62.6
2009-10	12739	16471	1293	10.7	7.7	71.5
2010-11	13254	16645	1248	10.7	6.9	64.4
2011-12	13497	23027	1706	11.1	9.0	81.6
2012-13	14234	27784	1952	12.0	11.2	93.2

स्रोत - मध्यप्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2014, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

चित्र - मध्यप्रदेश में खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि की स्थिति वर्ष 1999-2000 से 2010-11
2010-11



Source - Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation.

चित्र - मध्यप्रदेश में खाद्यान्न क्षेत्रफल तथा उत्पादन में वृद्धि की स्थिति वर्ष 1999-2000 से 2010-11
2010-11



स्रोत - मध्यप्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2014, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

तालिका क्रमांक - 3

सिंचाई के समस्त स्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल

वर्ष	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	कुल बोया गया क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
2008-09	6506.1	15045	20756	43.24
2009-10	6891.6	15075	21515	45.72
2010-11	7139.8	15223	22149	46.90
2011-12	7880.1	15017	21755	52.47
2012-13	8550.2	15455	23233	55.32
2013-14	9454.6	15525	24150	60.9

स्रोत - मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन। पृ. 120

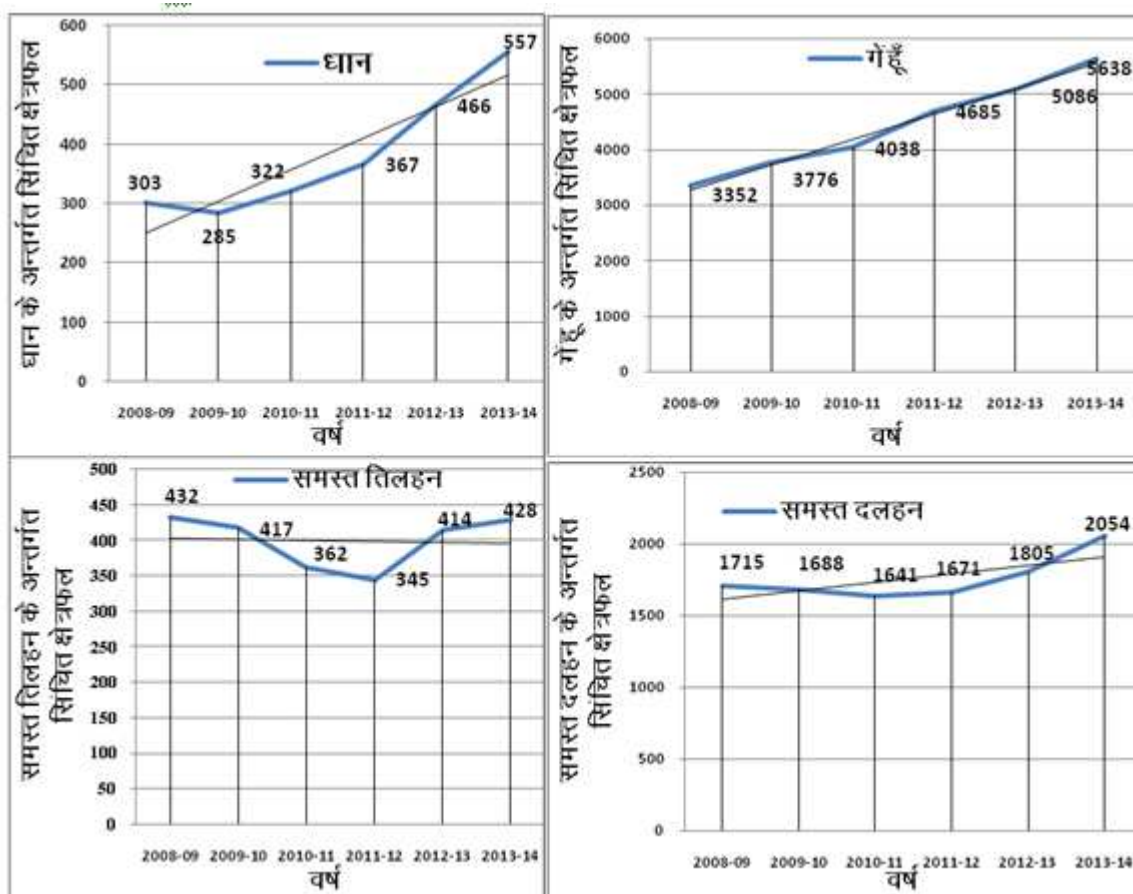
तालिका क्रमांक - 4

प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)

वर्ष	धान	गेहूँ	समस्त दलहन	समस्त तिलहन
2008-09	303	3352	1715	432
2009-10	285	3776	1688	417
2010-11	322	4038	1641	362
2011-12	367	4685	1671	345
2012-13	466	5086	1805	414
2013-14	557	5638	2054	428

स्रोत - मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मध्यप्रदेश शासन। पृ. 122

चित्र - विभिन्न फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)



जैविक उर्वरक : मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु समय की मांग है

संध्या मिश्रा *

प्रस्तावना – कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता की बीज जल प्रबंध, उर्वरक तथा पोषे संरक्षण का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उत्पादन में उर्वरकों का योगदान 55 प्रतिशत आंका गया है। रासायनिक उर्वरकों की कमी तथा अत्यधिक किंमत होने के कारण सभी कृषक इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी इन रासायनों को निरन्तर प्रयोग के फलस्वरूप पर्यावरण तथा मृदा अत्यधिक दूषित हुए हैं। अतः कृषि उत्पादन में मृदा उर्वरकता को बनाए रखने तथा उत्पादन लागत को कम करने तथा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आधुनिक कृषि में जैव उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तम गुणों से पूर्ण फसल विशिष्ट जैव उर्वरकों का भली भाँती प्रयोग करके उपरोक्त समस्या से पूर्णतः राहत प्राप्त की जा सकती है।

जैविक उर्वरक शुष्म जीवाणुओं युक्त टीक है जिसके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवाणुओं के शक्ति शाली विभेद होते हैं। जो वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण द्वारा तथा मृदा फास्फेट को विलय करके पोषे की नाइट्रोजन व फास्फोर जैसे पोषक तत्व प्राप्त कराते हैं।

जैविक खाद आज समय की मांग क्यों है।

- 1. मृदा की दृष्टि से** – रासायनिक खाद के निरन्तर प्रयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है तथा मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता भी कम होती जा रही है जिसके फल स्वरूप भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता जा रहा है और मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी होती जा रही है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग मिट्टी के लिये हानिकारक होता जा रहा है। रासायनिक उर्वरक मृदा, जल व वायु को प्रदूषित करने के लिये उत्तरदाई है।
- 2. कृषक की दृष्टि से** – रासायनिक उर्वरकों की लागत जैविक उर्वरकों की तुलना में अधिक होती है। तथा इसके निरन्तर उपयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी आती है। फसल की पेदावार में कमी होती है जिसके फलस्वरूप कृषकों को हानि का सामना करना पड़ता है तथा इसका कृषकों के स्वस्थ पर भी हानिकारक प्रभाव होता है जिसके फलस्वरूप किसान कई जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। पंजाब जहां की रासायनिक उर्वरक का खुब उपयोग किया जाता था। फलस्वरूप वहां की जमीन बंजर व किसान बिमार होते चले जा रहे हैं।
- 3. पर्यावरण की दृष्टि से** – रासायनिक उर्वरक के निरन्तर प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। भूमि के जल स्तर में कमी आ रही है और मिट्टी, खाद पदार्थ और जमीन के पानी के मध्य होने वाले प्रदूषण में वृद्धि हो रही है तथा फसल उत्पाद की लागत में वृद्धि तथा आय में कमी हो रही है।

जैविक खाद के प्रकार (देखे आगे पृष्ठ पर)

जैविक उर्वरक के लाभ -

1. प्रदूषण से मुक्ति
2. कृषि उत्पादों के उत्तम गुण
3. मृदा की उर्वरकता एवं उत्पादकता में शक्ति में वृद्धि।
4. कम पूंजीगत लागत तथा अधिक लाभ।
5. पौधे के अंकुरण व वृद्धि में सहायक

जैविक उर्वरक के उद्देश्य -

1. मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना।
2. राज्य में प्रमाणीत जैविक खेती को बढ़ावा देना।
3. कृषकों को जैविक खेती प्रणाली में क्षमता विकास एवं जैविक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन।
4. जैविक कृषि द्वारा लागत में कमी तथा टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना।

सहजीवी – इस वर्ग में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण राइजोबियम द्वारा होता है।

राइजोबियम – जैव उर्वरकों में राइजोबियम नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला एक महत्वपूर्ण जीव है। यह दलहनी पौधों की जड़ ग्रन्थियों में रहकर सहजीवी जीवन यापन करता है और पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। इस साहचर्य सहजीवन में पौधों को राइजोबियम नाइट्रोजन एवं राइजोबियम को पौधों से उर्जा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। राइजोबियम की अनेक प्रभावकारी और उन्नतिशील जातियाँ विकसित की गयी है। ये जीवाणु उदासीन या क्षारीय मृदा में दलहनी पौधों की जड़ों के पास रहते हैं और उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलने पर ये पौधों की जड़ों के मूलरोमों के द्वारा संक्रमण करके जड़ों की कार्टेक्स में पहुँच कर प्रजनन करते हैं साथ ही कार्टेक्स कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इन जड़ों पर गांठों का निर्माण होता है। राइजोबियम के जीवाणुओं का पौधे की जड़ों में प्रवेश करने का आकार बदलकर गोल हो जाता है और इनको बैक्टीराइड कहते हैं। इन बैक्टीराइड में नाइट्रोजिनेस नामक एन्जाइम होता है। जिसकी उपस्थिति में ही नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। ये जीवाणु गांठों में रहते हुए पौधों की काशिकाओं में शर्करा भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और साथ ही वायुमण्डल की नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं जो बाद में पौधों के लिए उपयोगी पोषक नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कार्टेक्स के अन्दर एक लाल रंग का पदार्थ बनता है जिसे लैगहीमोग्लोबिन कहते हैं। बैक्टीराइड के अन्दर नाइट्रोजिनेस एन्जाइम लैगहीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मूल जड़ों पर बड़ी और गुलाबी रंग की ग्रन्थियाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। सफल

ग्रन्थिकरण एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु यह आवश्यक है कि मृदा में राइजोबियम जीवाणु पर्याप्त संख्या में हों। राइजोबियम की प्रजाति विशेष का निवेशन एक निश्चित दलहनी फसल या उनके एक निश्चित समूह के लिए ही उपयुक्त होता है, दूसरे पर नहीं। दूसरे शब्दों में एक ही प्रकार के राइजोबियम जीवाणु सभी फसलों में ग्रन्थियाँ नहीं बना सकते। अतः इन्हें परानिवेशन या क्रास इनोकुलेशन गुप के नाम से जाना जाता है। यद्यपि कुल 20 परानिवेशन समूह का वर्णन मिलता है परन्तु इनमें से 7 समूह प्रमुख हैं।

विभिन्न परानिवेशन समूह (देखे आगे पृष्ठ पर)

चने को अभी किसी समूह में नहीं रखा जा सका है। राइजोबियम की विभिन्न प्रजातियों में पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे समूह के जीवाणु शीघ्रता से वृद्धि करते हैं। प्रयोगशाला में इनकी समुचित वृद्धि 3-5 दिन में हो जाती है। पाँचवे एवं छठे समूह के प्रजातियों की समुचित वृद्धि 5-10 दिन लगते हैं सातवें समूह के कुछ राइजोबियम तेजी से वृद्धि करते हैं परन्तु इनमें से कुछ धीरे-धीरे वृद्धि करते हैं। सफल निवेशन में सावधानियाँ रखनी चाहिये जो इस प्रकार हैं : प्रत्येक फसल के लिए विशिष्ट कल्चर ही प्रयोग करना चाहिये। कल्चर तैयार करने से 3 महीने के अन्दर इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। कल्चर का प्रयोग हल्के हाथों से मिलाना चाहिए ताकि बीज के छिलके रगड़ से अलग न हो जाए। फास्फोरस की उचित मात्रा डालने पर राइजोबियम की क्षमता में वृद्धि होती है। कीटनाशकों के उपचारित बीज जल से धोने के बाद ही कल्चर का निवेशन किया जाय। राइजोबियम से प्रयोग से दलहनी फसलों की उपज में वृद्धि होती है। विभिन्न राइजोबियम विभेदों द्वारा बरसीम की उपज में 18.2 से 75.1 प्रतिशत अतिरिक्त उपज मिली। लवण प्रभावित मृदाओं में बोये जाने वाले बीज पर जिप्सम मिलाने से राइजोबियम की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। राइजोबियम जीवाणु खाद से भूमि के भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार होता है जिससे मृदा उर्वरता बढ़ती है और आगामी फसल की पैदावार भी अच्छी होती है।

17.4 फास्फोरस परिवर्तनीय जैव उर्वरक - फॉस्फेट जैव उर्वरक दो प्रकार के होते हैं : (अ) फॉस्फेट विलय करने वाले जैव उर्वरक तथा (ब) फॉस्फेट अवशोषित करने वाले जैव उर्वरक।

(अ) फॉस्फेट विलय जैव उर्वरक - फास्फोरस पौधों के लिए नाइट्रोजन के बाद मुख्य पोषक तत्व है। फॉस्फोरस की दी गयी मात्रा का केवल 15-25 प्रतिशत भाग ही पौधों को प्राप्त हो पाता है और शेष भाग अविलय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कुछ सूक्ष्म जन्तुओं में फास्फोरस घोलने की क्षमता होती है। प्रमुख फॉस्फेट विलयकारी सूक्ष्म जन्तु निम्न हैं -

बैक्टीरिया - स्ट्रैप्टोमोनास स्ट्रेइटा, बेसिलस पोलीमाइक्स, बेसिलस मेगाटेरियम आदि।

फंजाई - एस्पेरजिलस अवामोरी, एस्पेरजिलस नाइगर आदि।

वे सूक्ष्म जीवाणु रॉक फॉस्फेट के साथ मृदा में स्थिर फॉस्फोरस को विलय अवस्था में बदलते हैं जबकि बेसिलस मेगाटेरियम जीवाणु स्थिर फॉस्फोर के साथ-साथ कार्बनिक फॉस्फोरस को भी विलय अवस्था में बदलता है। फॉस्फोरस विलयकारी जीवाणु अधिकांशतः विषमपोषित होते हैं जो जैव पदार्थों का वर्धन करते हैं। इस क्रिया के दौरान कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे कि मैलिक अम्ल, ग्लाइऑक्सेलिक अम्ल सक्सीनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल टारटरिक अम्ल और एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल आदि बनाते हैं जो ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट (क्षारीय मृदा) आयरन या एल्युमीनियम फॉस्फेट (अम्लीय मृदा) को विलय करते हैं।

लाभ - फॉस्फेट जीवाणु खाद फसलों की जड़ों में स्थिर और अप्राप्य फास्फोरस को विलय करके प्राप्त फास्फोरस में बदलकर फसलों की जड़ों में फॉस्फोरस की प्राप्यता में वृद्धि करता है। ये जीवाणु रॉक फॉस्फेट में कुल अविलय फॉस्फोरस जो क्षारीय मृदाओं में पौधों को अप्राप्य होता है, विलय करते हैं जिससे पौधों को फॉस्फोरस की प्राप्यता बढ़ जाती है। ये सुपरफास्फेट में प्राप्य फॉस्फोरस की क्षमता में वृद्धि करते हैं। ये जीवाणु पौधों की जड़ों को मजबूत और गुच्छेदार बनाते हैं जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है। फॉस्फेट जीवाणु को राइजोबियम के साथ-साथ देने पर पैदावार में 10-30 प्रतिशत अधिक की वृद्धि होती है। यह सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है।

(ब) फॉस्फेट अवशोषक जैव उर्वरक माइकोराइजा - पौधों की जड़ और उसके अन्दर पायी जानेवाली फंजाई का आपसी सहसम्बन्ध होता है जो कि वैसकुलर अरबस्कुलर माइकोराइजा कहलाता है। पौधों के अन्दर पायी जाने वाली फंजाई फॉस्फोरस के अवशोषण मदद करती है। दलहनी फसलों के पोषण में इन फंजाई की भूमिका का राइजोबियम के साथ अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इनकी उपस्थिति में जड़ ग्रन्थियों की संख्या और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर में वृद्धि होती है। ये लाभप्रद पाइप वृद्धि पदार्थ भी पैदा करते हैं।

यह फंजाई पौधा से कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण करती है और पौधों को पोषक तत्व और हार्मोन्स वापस करती है साथ ही साथ पौधों की जड़ों द्वारा होने वाली बीमारियों से बचाती है। यह फंजाई दो प्रकार की होती है। (अ) ब्राह्म कवक माइकोराइजा (ब) अन्तः कवक माइकोराइजा। ब्राह्म माइकोराइजा फंजाई पौधों की जड़ों से बाहर उत्पन्न होती है अर्थात् पौधों की जड़ों के ऊपरी बाह्य भाग पर हाइफी की एक घनी पर्त बनाती है। इस प्रकार की फंजाई को एक्टोमाइकोराइजा भी कहते हैं। यह विशेषकर जंगली वृक्षों की प्रजातियों की जड़ों में पायी जाती है जबकि इंडमाइकोराइजा या आन्तरिक साइकोराइजा फंजाई जड़ों के अन्दर बेसिकिल्स और अरबस्कुलस बनाती है। यह क्रिया आकारिकी में बिना किसी परिवर्तन के सम्पन्न होती है। इसलिये इस प्रकार की फंजाई को 'वाम' अर्थात् 'वैसिकुलर अरबस्कुलर माइकोराइजा' कहा जाता है। फसलों के लिए यह फंजाई प्रयोग में लाई जाती है। दलहनी पौधों का सूक्ष्म जीवाणुओं से सहजीवी प्रक्रम सम्बन्ध दो प्रकार से होता है, पहला जीवाणुओं (राइजोबियम प्रजाति) द्वारा होता है जिसमें वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण होता है जबकि दूसरा फंजाई के साथ होता है जिससे 'वैसिकुलर अरबस्कुलर माइकोराइजा' या 'वाम' का निर्माण होता है जो कि इन्डोमाइकोराइजा है जो पौधों में फॉस्फोरस, जिंक और कॉपर की प्राप्यता बढ़ाता है।

लाभ - माइकोराइजा और राइजोबियम कल्चर के साथ-साथ निवेशन से सोयाबीन की पैदावार में 10-15 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है। यह जड़ तन्त्र के बाहरी भाग का विस्तार करता है जिसे कवक सूत्र अधिक भाग में फैलाकर और अधिक गहराई में जाकर पोषक तत्वों : फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एवं जिंक को मृदा से अवशोषित करके उनका संचयन कवक सूत्रों के मेन्टल/अरबवलस में करते हैं। माइकोराइजा के कवक सूत्र मृदा में गहराई में फैल जाते हैं और शुष्क परिस्थितियों में पौधों के लिए जल की पूर्ति करते हैं। ये फंजाई नाशक पदार्थों का स्राव करते हैं जो पाइथीअम, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम फंजाई के लिए हानिकारक हैं और पौधों के लिए लाभप्रद है। इस प्रकार पौधों को हानिकारक रोगों से बचाता है। यह कुछ वृद्धिकारक पदार्थों (ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन्स) और

विटामिन्स का स्राव करते हैं जिससे पौधों की अच्छी वृद्धि होती है।

फ्रेचूरिया औरेशिया नामक बैक्टीरिया अविलेय पोटाश को विलेय करने में काफी सक्षम होते हैं। फसल अवशेषों के अन्दर सैल्युलोज को सड़ाने में ट्राइकोडरमा, सैल्युलोमोनास आदि तथा लिंगनिन का अपघटन करने में क्लेबारिया ह्यूमीकोला व सीफेलोसपोरियम आदि सूक्ष्म जीवाणु काफी सक्षम पाये गये हैं।

जैव उर्वरक की उपयोग विधि -

(i) बीज उपचार - 200 ग्राम जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर या एजोस्परिलस या राइजोबियम या फास्फोटिका का 200-500 मिली पानी में घोल बनायें तथा इस घोल से किसी छायादार जगह पर 10-12 किग्रा. बीजों पर दोनों हाथों से भली प्रकार तब तक मिलायें जब तक कि सभी बीजों पर कल्चर की एक समान पर्त न चढ़ जाए। तत्पश्चात् छाया में बीजों को फरैरा कर तुरन्त बुवाई कर दें।

ऊसर भूमि में राइजोबियम से उपचारित बीज के ऊपर जिप्सम का आवरण और अम्लीय मृदा में खड़िया का आवरण चढ़ा देने से मृदा क्षारता और अम्लता का राइजोबियम की क्षमता पर बुरा प्रभाव कम पड़ता है, इस प्रक्रिया को बीज का कोट बरना या प्लेरिंग करना कहते हैं।

इस प्रक्रिया में पानी में गुड़ या शक्कर के साथ लगभग 200 ग्राम सफेद गोंद प्रति लीटर मिला देते हैं जिससे बीज के ऊपर जिप्सम (लवण प्रभावित मुद्दा) या खड़िया (अम्लीय मृदा में) का चूर्ण अच्छी तरह चिपक जाए। प्रायः बड़े आकार के बीजों के लिए जिप्सम या खड़िया की मात्रा 2-5 किग्रा. मध्यम आकार के बीज के लिए 6 किग्रा. और छोटे आकार के बीज के लिए 10 किग्रा. पर्याप्त होती है।

(ii) पौधे जड़/कन्द उपचार - 1-2 किग्रा जैव उर्वरक का 10-12 लीटर पानी में घोल बनाएँ, जो कि एक एकड़ पौधे जड़ के लिए या 10 क्विंटल कन्द उपचार के लिए पर्याप्त है। इस घोल में कन्द की या पौधे की जड़ों को

10-15 मिनट तक डुबोकर रखें, तत्पश्चात् इनकी रोपाई/बुवाई करें।

(iii) मृदा उपचार - 2-3 किग्रा जैव उर्वरक का 10-60 किग्रा कम्पोस्ट भुरभुरी मिट्टी में मिश्रण तैयार कर एक एकड़ खेत में आखिरी जुताई के समय या फिर फसल में पहली सिंचाई के पूर्व समान रूप से खेत में छिड़क दें। 200 ग्राम जैव उर्वरक 10-12 किग्रा. बीज के लिए पर्याप्त 5-10 किग्रा. जैव उर्वरक प्रति हेक्टर भूमि के लिए पर्याप्त है। रु. 10 किग्रा नील हरित शैवाल प्रति एकड़ धान के लिए पर्याप्त है। 10 क्विंटल अजोला प्रति एकड़ धान के लिए पर्याप्त है।

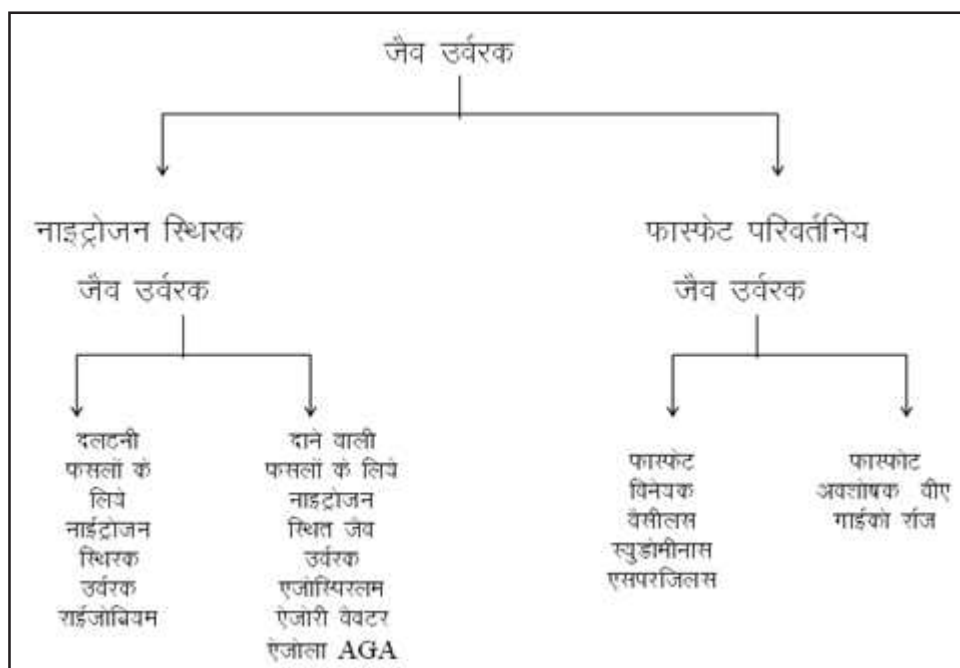
आवश्यक सावधानियाँ -

- जैव उर्वरकों को सदैव धूप व गर्मी से बचाये।
- पैकेट उपयोग के समय ही खोलें।

निष्कर्ष - उर्वरक कृषि में उपज बढ़ाने के लिये प्रयुक्त रासायन है। जो पेड़-पौधों की वृद्धि में सहायता के लिये उपयोग किये जाते हैं। पानी में घुलने वाले ये रासायन मिट्टी में या पत्तियों में छिड़काव करके प्रयुक्त किये जाते हैं। पौधे से जड़ों द्वारा एवं उपरी छिड़काव करने पर पत्तियों द्वारा उर्वरक को अवशोषित कर लेते हैं। उर्वरक पौधे के लिये तत्काल आवश्यक तत्वों की पूर्ति के साधन हैं। लेकिन इसके प्रयोग के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। ये लंबे समय तक मिट्टी में नहीं रहते हैं। सिंचाई के साथ ये रासायन जमीन के निचे जल स्तर तक पहुँचकर उसे दुषित करते हैं तथा मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं व सूक्ष्म जीवों के लिये भी घातक साबित होते हैं। इसलिये उर्वरक के विकल्प में जैविक खाद का प्रयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मृदा विज्ञान - डॉ विनय सिंह।
2. www.javikurvark
3. व्यक्तिगत शोध।



विभिन्न परानिवेशन समूह

	परानिवेशन समूह	राइजोबियम प्रजाति	समूह विशेष की दलहनी फसलें
1.	लूसर्न वंशीय (रिजका)	राइजोबियम मेलिलोटी	रिजका, स्वीट वलोवर, लूसर्न
2.	वलोवर वर्गीय (तिपतिया चारा)	राइजोबियम ट्राईफोलाई	बरसीम
3.	मटर वर्गीय	राइजोबियम लेगुमिनीसेरम	मटर, मसूर, खेसारी
4.	सेम वर्गीय	राइजोबियम फैजियोली	गोल्डन बीन, किडनी बीन, नैनी बीन
5.	ल्यूपिन वर्गीय	राइजोबियम ल्यूपिनी	सफेद ल्यूपिन ल्यूपिनम
6.	सोयाबीन वर्गीय	राइजोबियम जपोनिकम	सोयाबीन
7.	लोबिया वर्गीय	राइजोबियम प्रजाति	लोबिया, सनई, मूँगफली, उर्द मूँग, अरहर

म. प्र. में ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने में गाँव की बेटी योजना का योगदान

डॉ. लक्ष्मण परवाल * गुंजन घोषा **

प्रस्तावना – उच्च शिक्षा मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का सुगम मार्ग दिखाती है। मन का परिष्कार और व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। उच्च शिक्षा युवाओं की प्रतिभाओं को असीम ऊँचाईयों की ओर ले जाने के लिए एक सशक्त माध्यम है। यूँ तो शिक्षा का महत्व ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में समान रूप से है चूँकि शिक्षा मानव गरिमा के साथ-साथ मानवाधिकार, स्वतंत्रता तथा सामाजिक मूल्यों की रक्षा में सहायक है। परन्तु ग्रामीण संदर्भ में शिक्षा की उपादेयता इस दृष्टि से भी अधिक है कि आज भी भारत की लगभग दो तिहाई आबादी गाँवों में रहती है और गाँवों की खुशहाली में ही भारत की खुशहाली और प्रगति निहित है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षित किए बिना उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना संभव नहीं है। महिलाओं को सशक्त, स्वावलम्बी व आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति संभव है। महिलाओं के सशक्त होने पर ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र के चहुँमुखी विकास में पुरुषों के साथ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हुए मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने में 'गाँव की बेटी योजना' काफी कारगर सिद्ध हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने एवं उन्हें उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने में यह योजना आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति के रूप में) प्रदान करती है। म. प्र. में ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गाँव की बेटी योजना सत्र 2005-06 से लागू की गई है।

पात्रता – गाँव की बेटी योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति के रूप में) प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता का होना आवश्यक है –

- छात्राओं को गाँव का निवासी होना आवश्यक है। (इस योजना के लिये नगर पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र माना गया है।)
- छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा की पढ़ाई गाँव में रहकर गाँव की ही पाठशाला से प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60%) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- जिस वर्ष में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो उसी वर्ष में उच्च शिक्षा के लिए किसी भी शासकीय संस्थाओं, अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश लेना आवश्यक है।
- नवोदय विद्यालय से पढ़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राएँ भी

अगर उपरोक्त शर्तें पूर्ण करती है तो वे भी पात्र मानी जाती है।

- स्नातक स्तर पर आगामी कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्राओं का निरन्तरता के साथ आगामी कक्षाओं में प्रवेश होना आवश्यक होता है।

प्रक्रिया – गाँव की बेटी योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति के रूप में) प्राप्त करने के लिए छात्राओं को निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करना आवश्यक होता है –

- प्रत्येक पाठशाला, प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक मैरिट सूची तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रेषित करती है।
- कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई छात्राओं को गाँव की बेटी का प्रमाण-पत्र जारी करती है।
- छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित गाँव का मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जनपद पंचायत द्वारा जारी गाँव की बेटी के प्रमाण-पत्र के साथ अध्ययनरत उच्च शिक्षा संस्थानों में आवेदन के साथ दिया जाता है।

योजना से लाभ – गाँव की बेटी योजनान्तर्गत लाभान्वित छात्राओं को इस योजना से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं –

- विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।
- छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
- परम्परागत पाठ्यक्रम हेतु रु. 500/- प्रतिमाह की दर से (10 माह के लिये) सालाना 5000/-रु. छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन करने वाली छात्राओं को रु. 750/- प्रतिमाह की दर से (10 माह के लिये) सालाना 7500/-रु. छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने में म. प्र. सरकार के प्रयासों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। सरकार का यह मानना है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक स्वास्थ्य, सामाजिक एवं विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। दुनिया में आज भी बेटियों को बेटों की तरह ही शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। वर्तमान विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं में उच्च शिक्षा का प्रसार जरूरी है। वस्तुतः यह अध्ययन निम्न उद्देश्यों पर

* प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानन्द शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (वाणिज्य) स्वामी विवेकानन्द शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

आधारित है -

- म. प्र. में इस योजनान्तर्गत कितनी ग्रामीण बालिकाओं को लाभान्वित कर उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित किया गया ?
- म. प्र. में योजनान्तर्गत कितनी राशि का प्रावधान किया गया ?
- म. प्र. में उच्च शिक्षा हेतु पंजीयत कुल बालिकाओं की तुलना में इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं का प्रतिशत कितना है ?

अध्ययन प्रणाली एवं क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र म. प्र. में उच्च शिक्षा की ओर ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में संचालित 'गाँव की बेटी योजना' के विश्लेषण से संबंधित है। यह अध्ययन द्वितीयक संमंको पर आधारित है, जो म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट www.mp.gov.in/highereducationmp जारी विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के आधार पर किया गया है।

विश्लेषणात्मक विवेचन - म. प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने की कोई योजना नहीं होने के कारण इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की प्रथम श्रेणी में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पात्रतानुसार छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया। सत्र 2013-14 से इस योजना के लिए ग्लोबल बजट भी लागू किया गया है। म. प्र. में वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2015-16 तक गाँव की बेटी योजनान्तर्गत लाभान्वित बालिकाओं की संख्या एवं प्रावधानित राशि का विश्लेषण शोधार्थियों द्वारा निम्न तालिका में किया गया है -

तालिका क्रमांक- 01 व चित्र (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका एवं चित्रों से स्पष्ट हो रहा है कि गाँव की बेटी योजना से लाभान्वित होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010-11 में इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की संख्या 32,226 थी जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 41,929 हो गई है। अर्थात् 05 वर्षों में इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं की संख्या में 9,703 बालिकाओं की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2010-11 की तुलना में 30.11 प्रतिशत अधिक है।

इसी प्रकार शासकीय स्तर पर इस योजना हेतु प्रावधान राशि में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिये म.प्र. शासन भी लगातार प्रयासरत है। वर्ष 2010-11 में म.प्र. शासन ने अपने मूल बजट प्रावधान एवं अनुपूरक प्रावधानों के अन्तर्गत कुल 1,742.43 लाख रु. का प्रावधान इस योजनान्तर्गत किया था, जिसे आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष बढ़ाया गया है। वर्ष 2012-13 में शासन ने 3,100.00 लाख रु. का प्रावधान इस योजनान्तर्गत किया जो गत 05 वर्षों में सबसे अधिक है।

उच्च शिक्षा हेतु पंजीयत कुल बालिकाओं की तुलना में गाँव की बेटी योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं का विश्लेषण - म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गत 02 वर्षों से अपना विभागीय

प्रशासकीय प्रतिवेदन वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इस प्रशासकीय प्रतिवेदन में म.प्र. की उच्च शिक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी का विवरण विभाग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर गत 02 वर्षों में म.प्र. के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत कुल बालिकाओं की संख्या एवं गाँव की बेटी योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की तुलनात्मक जानकारी का विश्लेषण शोधार्थियों द्वारा निम्न तालिका में किया गया है।

तालिका क्रमांक- 02 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि म.प्र. के शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2014-15 में कुल 2,51,784 बालिकाओं ने उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश लिया था, जिसमें से 41,013 बालिकाओं को गाँव की बेटी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया। यह 16:29 प्रतिशत के बराबर है अर्थात् उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन करने वाली प्रत्येक 07 बालिकाओं में से 01 बालिका को गाँव की बेटी योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में कुल 2,87,424 अध्ययनरत बालिकाओं में से 41,929 बालिकाओं को गाँव की बेटी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया। यह 14.59 प्रतिशत के बराबर है अर्थात् उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन करने वाली प्रत्येक 08 बालिकाओं में से 01 बालिका को गाँव की बेटी योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

निष्कर्ष - शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति काफी अच्छी है। गाँवों में अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। म.प्र. शासन की गाँव की बेटी योजना इस दिशा में सकारात्मक कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाएँ इस योजना का लाभ लेकर अपने जीवन को आत्मसात करने में आगे आ रही हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गाँव की बेटी योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होना योजना की सफलता की सूचक है। म.प्र. शासन द्वारा भी प्रतिवर्ष इस योजनान्तर्गत आयोजनोत्तर मद में प्रावधानित राशि में लगातार वृद्धि कर अधिक से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा है। सम्पूर्ण शोध के परिणाम में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि म.प्र. शासन की यह योजना अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है। वर्ष प्रतिवर्ष इस योजना की उपादेयता ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

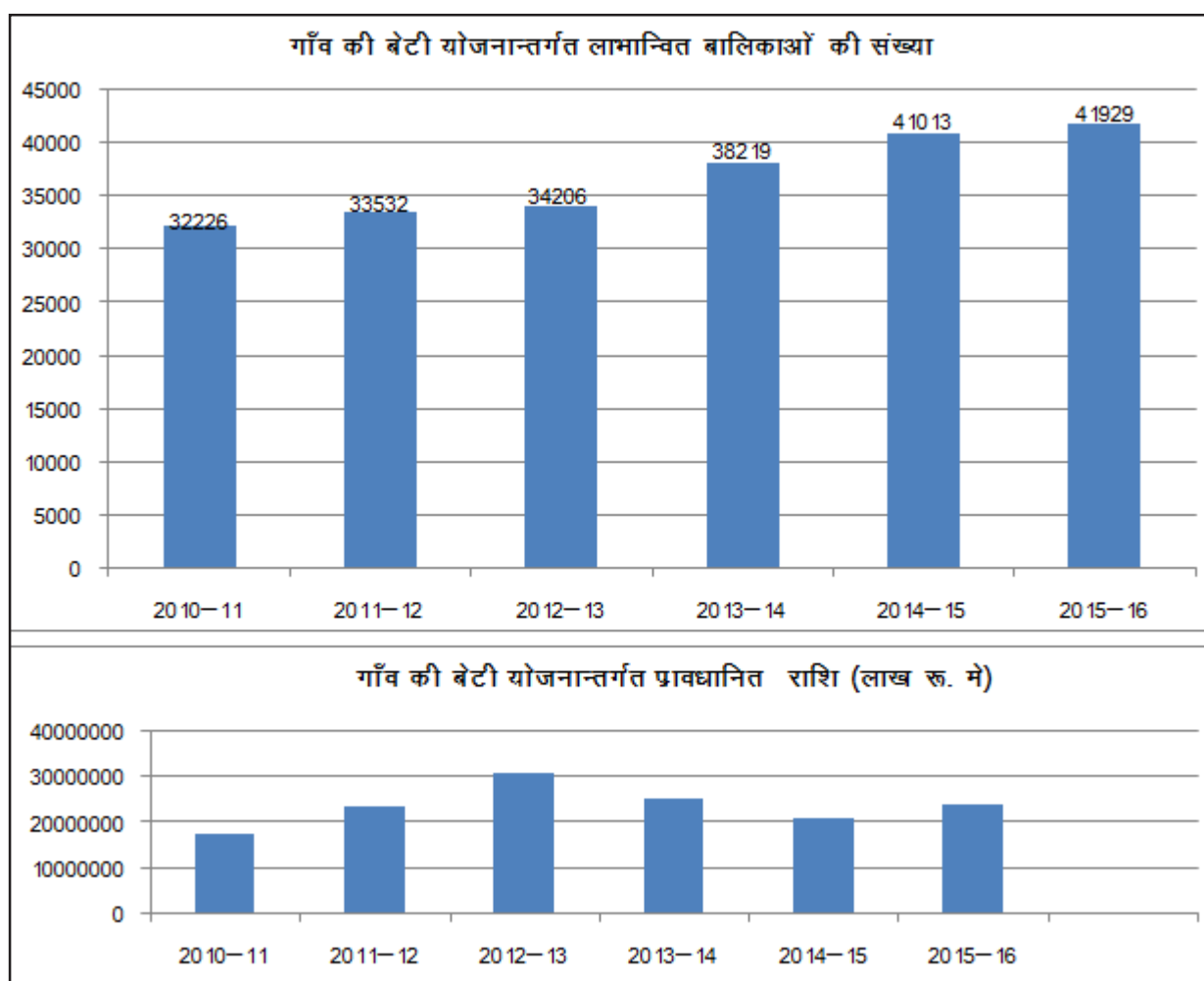
- 1 मासिक पत्रिका कुरुक्षेत्र नई दिल्ली - ग्रामीण महिला सशक्तीकरण अगस्त 2013 अंक 10
- 2 मासिक पत्रिका कुरुक्षेत्र नई दिल्ली - बालिका सशक्तीकरण जनवरी 2016 अंक 03
- 3 शोध पुस्तक रीवा - महिला सशक्तीकरण दशा एवं दिशा प्रथम संस्करण 2010
- 4 दैनिक भास्कर, पत्रिका, नईदुनिया आदि समाचार पत्र।
- 5 मासिक पत्रिका योजना नई दिल्ली - महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, अक्टूबर 2008

तालिका क्रमांक- 01

गाँव की बेटा योजनान्तर्गत लाभान्वित बालिकाओं की संख्या एवं प्रावधानित राशि (लाख रु. में)

वर्ष	लाभान्वित बालिकाओं की संख्या	प्रतिशत वृद्धि वर्ष 2010-11 को आधार मानकर	प्रावधानित राशि (लाख रु. में)	प्रतिशत वृद्धि वर्ष 2010-11 को आधार मानकर
2010-11	32,226	100.00	1742.43	100.00
2011-12	33,532	104.05	2350.00	134.87
2012-13	34,206	106.14	3100.00	177.91
2013-14	38,219	118.60	2500.00	143.48
2014-15	41,013	127.27	2075.00	119.09
2015-16	41,929*	130.11	2375.00	136.30

स्रोत - विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 उ. शि. वि., म. प्र. शासन, भोपाल 31 जनवरी 2016 तक



तालिका क्रमांक- 02

म.प्र. के शासकीय महाविद्यालयों में पंजीयत एवं गाँव की बेटा योजनान्तर्गत लाभान्वित बालिकाओं की संख्या

वर्ष	उच्च शिक्षा हेतु पंजीयत कुल बालिकाएँ	गाँव की बेटा योजनान्तर्गत लाभान्वित कुल बालिकाएँ	अनुपात	प्रतिशत
2014-15	2,51,784	41,013	6.14:1	16.29
2015-16	2,87,424	41,929*	6.86:1	14.59

स्रोत - विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16, उ. शि. वि., म.प्र. शासन, 31 जनवरी 2016 तक

उमरिया जिले की कोयला खानों में औद्योगिक विवाद के निवारण हेतु किए गए प्रयास एवं सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव

डॉ. राजूरैदास *

प्रस्तावना - उमरिया जिले की कोयला खानों में औद्योगिक विवाद के निवारण के लिए कोयला कंपनी तथा श्रमिकों के बीच की गई सामूहिक सौदेबाजी में जो प्रावधान लागू हैं, इन प्रावधानों के क्रियान्वयन हो जाने के फलस्वरूप कोयला खान के प्रबंध पर क्या प्रभाव पड़ा ? अर्थात् कोयला खान के प्रबंध का स्तर कैसा था ? पूर्व में कोयला खानों को प्रबंध का स्तर कैसा था ? एवं वर्तमान में कोयला खानों का प्रबंध पूर्व की अपेक्षा उच्च हुआ या निम्न, इसी प्रकार से श्रमिकों की आर्थिक दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्रमिकों की आर्थिक दशा का स्तर कैसा है ? पूर्व में श्रमिकों की आर्थिक दशा पहले की अपेक्षा उच्च स्तर या निम्न स्तर में है ? ठीक इसी प्रकार श्रमिकों की उत्पादकता, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों की आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, औद्योगिक कार्य दिवस, श्रम संघों का विकास, श्रम असंतोष एवं औद्योगिक अशांति पर सौदेबाजी का क्या प्रभाव पड़ा ? उपरोक्त का स्तर कैसा है ? पहले की अपेक्षा इनका स्तर उच्च हुआ या निम्न ?

श्रमिक वर्ग सामूहिक सौदेबाजी के इन प्रावधानों के द्वारा प्राप्त लाभ से किस सीमा तक लाभान्वित हुए। उनकी कैसी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक।

इस प्रकार से कोयला खान के प्रबंध पर श्रमिकों की आर्थिक स्थिति आदि पर सामूहिक सौदेबाजी के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। पूर्व की अवस्था और वर्तमान की अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हमें उपरोक्त पर प्रभाव की जानकारी होती है। समस्त दशाओं का अध्ययन श्रमिक वर्ग से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए किया गया है।

सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव - कोयला खानों के प्रबंध पर सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव - कोयला खानों को उचित ढंग से चलाने के लिए कुछ अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो श्रमिक को उचित ढंग से निर्देशित करके कोयला खानों का संचालन करते हैं।

प्रबंध पर सामूहिक सौदेबाजी के पूर्व की स्थिति - उमरिया जिले की कोयला खानों की स्थापना के पश्चात के वर्षों में, कोयला खानों का प्रबंध ठेकेदार द्वारा किया जाता था। जिसमें उसके सगे संबंधी ही प्रबंधन में भाग लेते थे। उन दिनों प्रबंधक, श्रमिकों को आदमी न मान कर एक जानवर की तरह काम लेते थे, श्रमिकों से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कार्य लिया जाता था तथा कार्य की दशाएं बहुत ही खराब थी। श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, इस प्रकार प्रबंध की बहुत ही बुरी दशा थी।

प्रबंध पर सामूहिक सौदेबाजी के पश्चात प्रभाव - उमरिया जिले की कोयला खानों में सामूहिक सौदेबाजी होने के कारण प्रबंध पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण हो गया। केन्द्र सरकार ने प्रबंध पर उचित नियंत्रण के लिए

प्रबंध के अधिकार श्रम मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय को सौंप दिया।

ठेकेदारी प्रथा को हटाकर कोयला कंपनी का स्वामित्व कोल इंडिया लिमिटेड के पास चला गया। जिसके द्वारा प्रबंधन लाइन और स्टाफ पद्धति से चलाया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड एक सूत्रधारी कंपनी है, इसकी 10 सहायक कंपनियां हैं। उमरिया जिले की कोयला खाने साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सहायक कंपनियों के द्वारा प्रबंधन होता है। जिसके प्रबंधन में श्रमिकों को हिस्सा दिया जाता है। जिसके कारण औद्योगिक विवादों में कुछ कमी हुई है व पहले की अपेक्षा श्रम प्रबंध संबंध में सुधार हुआ, किन्तु उस सीमा तक सुधार नहीं हो पाया, जितना कि होना चाहिए।

श्रमिकों की आर्थिक दशा पर सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव - श्रमिकों की आर्थिक दशा में मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता, विशेष मंहगाई भत्ता व अन्य सभी प्रकार की मौद्रिक प्रसियों में कितनी वृद्धि हुई है, इनका स्वरूप, प्रतिफल की मात्रा व दर तथा प्राप्ति की विधियों से हैं।

श्रमिकों की आर्थिक दशा सामूहिक सौदेबाजी के पूर्व - उमरिया जिले की कोयला खानों की स्थापना के पश्चात के वर्षों में कोयला खदानों का संचालन ठेकेदारी प्रथा के द्वारा होता था। ठेकेदार श्रमिकों से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कार्य करवाते थे, किन्तु मौद्रिक लाभ इतना कम देते थे कि उनके परिवार का भरण-पोषण भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। जिसके कारण उनका जीवन स्तर अत्यन्त निम्न स्तर का था। श्रमिकों का खूब शोषण किया जाता था।

श्रमिकों की आर्थिक दशा सामूहिक सौदेबाजी के पश्चात - सौदेबाजी होने के पश्चात उमरिया जिले की कोयला खानों में श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के लिए मजदूरी बोर्ड गठन किया गया, जिसके द्वारा मंहगाई वृद्धि की दर के अनुपात में मजदूरी वृद्धि के सुझाव दिए जाते हैं। मजदूरी के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, विशेष मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, सेवा निवृत्ति पर ग्रेच्युटी, दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति एवं प्रावीडेंट फण्ड की व्यवस्था की गई किन्तु पर्याप्त नहीं कही जा सकती।

श्रमिकों की उत्पादकता पर सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव - उमरिया जिले की कोयला खानों में कार्यरत श्रमिकों द्वारा वर्तमान समय में (प्रतिदिन, प्रतिमाह या प्रतिवर्ष) उत्पादित मात्रा और पूर्व में (प्रतिदिन, प्रतिमाह या प्रतिवर्ष) की शेष उत्पादित मात्रा इन दोनों के योग को वर्तमान समय की कुल उत्पादकता कहा जाता है। कुल उत्पादन में श्रमिकों की संख्या का भाग देकर एक श्रमिक की उत्पादकता ज्ञात की जाती है।

श्रमिकों की उत्पादकता पर सामूहिक सौदेबाजी के पूर्व की अवस्था - उमरिया जिले की कोयला खानों की स्थापना के पश्चात कोयले की उत्पादकता बहुत कम थी। उत्पादन की तकनीक काफी पिछड़ी हुई अवस्था

में थी श्रमिकों की कार्य दशाए बहुत खराब थी। जिसका परिणाम यह होता था कि श्रमिक विभिन्न खतरनाक रोगों से ग्रसित हो जाता था, जिससे उसकी कार्य क्षमता कम थी।

श्रम की उत्पादकता पर सामूहिक सौदेबाजी के पश्चात प्रभाव - सामूहिक सौदेबाजी होने के पश्चात उमरिया जिले की कोयला खानों में धीरे-धीरे उत्पादन के लिए नई - नई तकनीकों को प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है। श्रमिकों की कार्य दशाओं में परिवर्तन किया गया वर्तमान समय पर श्रमिकों के कार्य के घंटे, 8 घंटे निर्धारित हैं, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है किन्तु यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है।

श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा पर सौदेबाजी का प्रभाव - किसी उद्योग की सफलता का रहस्य वहां के श्रमिक व कार्य के वातावरण पर निर्भर होता है। अतः श्रमिकों को अच्छा कार्य करने का वातावरण दिया जाए। जिसके लिए श्रमिकों को श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि श्रमिक वर्ग बिना किसी सोच के अच्छा कार्य करें।

श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के द्वारा श्रमिक का नैतिक मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। श्रमिकों की कार्यक्षमता व कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अतः श्रमिकों के हितार्थ श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा की अधिक से अधिक व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा पर सौदेबाजी के पूर्व की अवस्था - उमरिया जिले की कोयला खदानों में सौदेबाजी के पूर्व श्रमिकों का कोल कम्पनी द्वारा किसी प्रकार के श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं का नाम मात्र अंश ही प्राप्त होता था जो कि अपर्याप्त था।

मजदूरी, औद्योगिक प्रशिक्षण, स्वच्छता, प्रकाश एवं वायु की व्यवस्था, जलपान गृह, मध्यान्तर एवं निर्धारित समय, विश्राम भवन, चिकित्सा व्यवस्था, जल आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा का प्रबंध, आवास व्यवस्था, मनोरंजन की सुविधा, रियायती दर पर वस्तुओं की पूर्ति, बैंकिंग व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियां आदि की व्यवस्थाएं श्रमिकों को उपलब्ध नहीं हो पाती थी।

श्रमिकों की आवास व्यवस्था पर सामूहिक सौदेबाजी के पूर्व की स्थिति - श्रमिकों की आवास व्यवस्था पर सामूहिक सौदेबाजी के पूर्व की स्थिति का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि श्रमिकों की आवास व्यवस्था काफी दयनीय थी। श्रमिकों को कोयला खान प्रबन्धन द्वारा आवास व्यवस्था नहीं दी जाती थी, जिसके कारण श्रमिक गंदी बस्तियों में रहते थे, अतः उनका स्वास्थ्य खराब रहता था व कार्य क्षमता एवं जीवन स्तर भी निम्न था। **श्रमिकों की आवास व्यवस्था पर सामूहिक सौदेबाजी के पश्चात की स्थिति -** सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा उमरिया जिले के श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था की सुविधा दी जाने लगी। आवास व्यवस्था के अंतर्गत रहने के लिए क्वार्टर, जल की आपूर्ति, बिजली, शौचालय एवं गंदा पानी निकालने के लिए नाली आदि की व्यवस्था की गई। जिससे श्रमिकों की कार्य क्षमता तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ है, किन्तु आवास व्यवस्था अभी पर्याप्त नहीं हो पाई है।

कोयला खान के श्रमिकों के स्वास्थ्य को सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव - श्रमिकों पर कोयला खान के अंदर एवं बाहर की कार्य दशाएं जैसे स्वच्छता तापमान, उचित प्रकाश व्यवस्था, यंत्रों से सुरक्षा, विश्राम स्थल, मनोरंजन एवं कार्य के घंटे आदि श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

श्रमिकों की कार्यदशा यदि उचित होगी तो उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा इनकी कार्य कुशलता पर, जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

(ब) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान - श्रमिकों के लिए निम्न सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधान लागू किए गए हैं -

1. श्रमिकों क्षतिपूर्ति अधिनियम
2. कोयला खान प्रावीण्ट फंड अधिनियम
3. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम
4. अन्य सामाजिक सहायता योजना, जैसे तिमाही बोनस (मजदूरी का 10 %) सैवतनिक बीमारी अवकाश, एल. टी. सी. छुट्टी यात्रा सुविधा, लाभ में भागीदारी आदि प्रावधान अभी भी अपर्याप्त है।

5. श्रमिकों की आवास व्यवस्था पर सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव - जैसे वातावरण में श्रमिक अपना जीवन व्यतीत करता है, उस वातावरण का श्रमिक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण श्रमिक के रहन-सहन तथा उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। निवास स्थान मनुष्य की तीन आवश्यकताओं में से एक है। यदि रहने का स्थान प्रदूषित होता है, तो वह मानव के पतन का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त बीमारियों के लिए अवसर प्रदान करता है। यदि आवास की व्यवस्था उचित न हो तो औद्योगिक दुर्घटना और अशान्ति का कारण भी बन सकती है। अतः श्रमिकों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उचित आवास व्यवस्था की जाए। उनकी कार्य दशाएं न होने पर श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तथा उनका स्वास्थ्य व जीवन स्तर गिरता है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है।

श्रमिकों का स्वास्थ्य सामूहिक सौदेबाजी के पूर्व - उमरिया जिले की कोयला खानों की स्थापना के पश्चात के वर्षों में कोयला खानों की कार्य दशाएं ठीक नहीं थी, जिसके कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा बीमारियों से ग्रसित हो गए।

श्रमिकों का स्वास्थ्य सामूहिक सौदेबाजी के पश्चात - उमरिया जिले की कोयला खानों की श्रमिकों का स्वास्थ्य सामूहिक सौदेबाजी होने से कोयला खानों में कार्य की दशाओं पर सुधार हुआ है। जैसे स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, उचित प्रकाश की व्यवस्था की गयी, उचित कार्य के घंटे निर्धारित किए गए, चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध किया गया आदि। जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। श्रमिकों की रोग ग्रस्तता में कमी हुई है किन्तु अभी भी कार्य दशाओं में पर्याप्त सुधार नहीं किए गए हैं। **उमरिया जिले की कोयला खानों में औद्योगिक कार्य दिवस पर सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव -** उमरिया जिले की कोयला खानों की स्थापना के पश्चात के वर्षों में श्रमिकों को किसी भी प्रकार की अवकाश की सुविधा नहीं थी, जैसे साप्ताहिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, आकस्मिक अवकाश, यात्रा रियायत छुट्टी (एल.टी.सी.) एवं त्यौहारों के अवकाश नहीं दिए जाते थे। जिसके कारण श्रमिकों की अनुपस्थिति का प्रतिशत बहुत अधिक था।

सामूहिक सौदेबाजी होने के पश्चात श्रमिकों को कई प्रकार के अवकाश की सुविधा जैसे साप्ताहिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, आकस्मिक अवकाश, यात्रा रियायत छुट्टी (एल.टी.सी.) एवं त्यौहारों के अवकाश की सुविधा दी जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों की उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ा।

उमरिया जिले की कोयला खानों में श्रम संघों के विकास पर सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव - कम्पनी की अपेक्षा उद्योग में श्रमिक की आस्तित्व बहुत ही क्षीण होता है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनकी सौदेबाजी की क्षमता बहुत कम होती है। श्रम नाशवान है अतः इस विशेषता का लाभ उठाकर

कम्पनी द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था। शोषण से मुक्ति पाने के लिये श्रम संघ एक ऐसा माध्यम है, जो श्रमिक की रक्षा करता है। श्रमिक व्यक्तिगत रूप से नगण्य हो सकता है, किन्तु संगठित रूप से अपनी न्यायोचित मांग के लिए नियोक्ता को बाध्य कर रखने सकने में सक्षम है, इसी कारण श्रम संघों का विकास हुआ।

उमरिया जिले की कोयला खानों श्रम असंतोष एवं औद्योगिक आशांति पर सामूहिक सौदेबाजी का प्रभाव – उमरिया जिले की कोयला खानों में प्रबंधको द्वारा श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार, श्रमिकों द्वारा हड़ताल एवं घेराव आदि के कारण से श्रम असंतोष एवं औद्योगिक अशांति हुई। जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक एवं सामाजिक गतिरोध उत्पन्न हुआ।

उमरिया जिले की कोयला खानों की स्थापना के पश्चात के वर्षों में कोयला खानों का प्रबंधन ठेकेदारी प्रथा द्वारा संचालित होता था। उन दिनों में किसी प्रकार का श्रम संगठन नहीं होने के कारण सामूहिक समझौता श्रमिकों के साथ नहीं हो पाता था। श्रम संगठनों के प्रभाव से श्रमिकों द्वारा सामूहिक सौदेबाजी की गई, जिसके निम्न प्रभाव हुए –

1. श्रमिकों पर प्रबंधको द्वारा मानवीय व्यवहार किया जाने लगा
2. हड़ताल एवं घेराव आदि में कमी आई
3. श्रम असंतोष एवं औद्योगिक अशांति में कमी आई
4. श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधानों में वृद्धि हुई

निष्कर्ष – उमरिया जिले की कोयला खानों में औद्योगिक विवाद के निवारण हेतु किए गए अनेक प्रयासों में एक प्रयास सामूहिक सौदेबाजी है। सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक विवाद के निवारण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें कोयला कंपनी के प्रबंध तथा श्रमिकों के द्वारा विचार विमर्श किये जाने के पश्चात दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही नियम या प्रावधान लागू किए गए। जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के संबंधों में सुधार हुआ और औद्योगिक विवाद में भी कमी हुई।

औद्योगिक विवाद के निवारण हेतु जो सामूहिक सौदेबाजी की गई। उसका प्रभाव यह हुआ कि कोयला खानों के प्रबंध पर श्रमिकों की भागीदारी दी जाने लगी, श्रमिकों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए कोल कंपनी द्वारा मजदूरी में महंगाई के अनुसार वृद्धि के लिए मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई। तिमाही बोनस, वार्षिक बोनस, महंगाई भत्ता, सवैतनिक अवकाश, सेवा निवृत्ति पर प्रवीडेण्ट फण्ड की एक मुश्त राशि, ग्रेज्युटी, दुर्घटना में क्षतिपूर्ति की राशि आदि के लिये प्रावधान लागू किये गये। जिससे श्रमिकों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान लागू किए गए। जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई। श्रमिकों को समुचित आवास व्यवस्था की सुविधा प्रदान की गई, जिससे उनकी कार्य क्षमता एवं स्वास्थ्य में वृद्धि हुई। श्रमिकों के कार्य के घंटे 8 है, जिसमें कार्य के घंटों में आधे घंटे का मध्यान्तर विश्राम के लिये दिया जाता है। सप्ताह में कार्य के घंटे 48 निर्धारित है। सप्ताह में एक दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। खदान में श्रमिकों की शारीरिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण तकनीकी रूप से दिया जाता है। श्रमिकों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, शिक्षण संस्थान, स्कूल बसों आदि की सुविधा प्रदान की गई। श्रमिकों के औद्योगिक कार्य दिवस में अनुपस्थिति की दर को कम करने के लिए,

विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ दी जाती हैं। श्रमिकों में पहले किसी प्रकार के श्रम संघ नहीं थे, किन्तु वर्तमान समय में श्रमिकों में श्रम संघटन हुआ तथा 6 श्रम संघ कार्यरत हैं। ये सामूहिक सौदेबाजी आदि में अपना अस्तित्व रखते हैं। श्रमिकों में श्रम संतोष एवं औद्योगिक अशांति जो पहले अपनी चरम सीमा पर कर चुकी थी, उसमें भी काफी सीमा तक कमी आयी है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि सामूहिक सौदेबाजी का उपरोक्त सभी पर अच्छा प्रभाव पड़ा, किन्तु यह प्रभाव उस सीमा तक नहीं पड़ा जितना कि पड़ना चाहिए।

उमरिया जिले की कोयला खानों में औद्योगिक विवाद के निवारण हेतु सामूहिक सौदेबाजी के प्रयासों को सफल बनाने हेतु सुझाव – उमरिया जिले की कोयला खानों में औद्योगिक विवाद के निवारण हेतु निम्न लिखित सुझाव दिए जा सकते हैं – कोयला खान के प्रबंधन पर श्रमिकों की भागीदारी में प्रजातांत्रिक रूप से हिस्सा देना चाहिए, जिससे प्रबंधन श्रमिकों से उचित विचार विमर्श कर खानों का उचित ढंग से प्रबंधन कर सके।

1. प्रबंधकों को श्रमिकों के साथ अच्छा मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें एक मानव की तरह सभी सुविधाएँ प्रदान किया जाना चाहिए।
2. श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए मजदूरी एवं बोनस के अतिरिक्त अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि करना चाहिए।
3. श्रमिकों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए।
4. श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के हेतु उन्हें सभी प्रकार की कार्यदशाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
5. कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी प्रवीडेण्ट फण्ड योजना का एकीकरण कर दिया जाए जिससे प्रशासकीय व्ययों में कमी आ जाए।
6. मकान आबंटन समिति पर मकानों के आबंटन के लिए श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए।
7. औद्योगिक कार्य दिवसों में अनुपस्थिति की दर को कम करने के लिए उचित अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए।
8. खानों में किसी एक शक्ति शाली श्रम संघ को प्रबंधकों द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।
9. श्रम असंतोष एवं औद्योगिक अशांति को कम करने के लिए अनिवार्यतः ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए जो कि श्रमिकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने उनके श्रम असंतोष के स्पष्ट कारणों का पता लगा सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. औद्योगिक संबन्ध की विधियाँ – 1951 – जान डनलप।
2. भारतीय उद्योगों में श्रम समस्या – वी०वी० गिरी।
3. भारत में औद्योगिक कल्याण – आर.एस लोकनाथन।
4. भारत में औद्योगिक श्रम – 1939 – बी.शिवाराव।
5. www.google.com/wikipedia.com

मानव संसाधन प्रबंध

प्रियंका द्विवेदी *

प्रस्तावना – मानव शरीर में जो स्थान स्नायु तंत्र का हैं, वही स्थान संगठन में मानव संसाधन प्रबंध का होता है। जिस प्रकार मानव शरीर का प्रत्येक अंग तंत्र से जुड़ा होता है। उसी प्रकार व्यवसायिक तंत्र को प्रत्येक अंग से मानव संसाधन प्रबंध का भी समन्वय बना रहता है। इस आधार पर मानव संसाधन प्रबंध को व्यवसायिक की आत्मा कहा जाता है।

मानव संसाधन प्रबंध, प्रबंध का वह भाग है। जो सम्पूर्ण कर्मचारियों तथा श्रम जीवियों की प्रबंध व्यवसाय से संबंध रखता है। प्रबंध सम्पूर्ण उपक्रम का संचालन संगठन तंत्र द्वारा संचालित करता है। यह संगठन तंत्र मानव पक्ष में सेवि वर्ग कहलाता है। वर्तमान औद्योगिकरण, वैज्ञानिकरण एवं तकनीकी प्रधान युग में मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि बिना श्रम के उत्पादन के अन्य साधन भले ही एकत्रित कर लिए जाए पर वह उत्पादन में सक्षम नहीं हो सकते अर्थात् श्रम के आभाव में उत्पादन के साधन एक व्यर्थ ढेर के समान होते हैं। यह सत्य है कि कोई भी संस्थान कुशल श्रमिकों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। अतः लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्रमिकों या कर्मचारियों की कार्यक्षमता का पूर्ण दोहन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है।

किसी भी संस्था में या संगठन की सफलता सेवि वर्गों की योग्यता कार्य क्षमता, लगन एवं सहयोग पर निर्भर करती है। सेवि वर्गों से इन बातों की प्राप्ति सुदृढ़ प्रबंध व्यवस्था के द्वारा ही की जा सकती है। सेवि वर्गों के उसी प्रबंध को सेवि वर्गीय प्रशासन मानवसंसाधन प्रबंध सेवि वर्गीय प्रशासन और प्रबंध या औद्योगिक प्रबंध आदि नामों से विभिन्न विद्वानों ने संबोधित किया है।

मानव संसाधन प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिकों कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण स्थानान्तरण, पदोन्नति, कार्यविभाजन भुगतान सेवानिवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया जाता है।

इस आधार पर यह कहा जाना संभव है कि समस्त कार्यों को सुव्यवस्थित नियोजन एवं क्रियान्वयन ही मानव संसाधन प्रबंध है। अर्थात् मान संसाधन प्रबंध किसी व्यावसायिक संस्था का वह भाग है, जो उपक्रम के कर्मचारियों आदि का प्रबंध करता है। मानव संसाधन की विशेषता यह है कि यह उत्पादन के अन्य साधनों को एकत्रित करता है। उनमें पर्याप्त समन्वय बनाए रखता है। संस्था का संगठन करता है। क्रियाओं का मार्गदर्शन व निर्देशन करता है एवं समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अतः वास्तव में का प्रबंध ही मानव संसाधन प्रबंध है।

मानव संसाधन प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। (1) मानव संसाधन (2) प्रबंध, इसमें मानव संसाधन शब्द की व्याख्या की जाए तो स्पष्ट होगा कि मान संसाधन से तात्पर्य उन कर्मचारियों से है। जो किसी संस्था में

सेवारत हो जबकि प्रबंध से आशय किसी व्यवसाय से है।

अर्थात् सार रूप में मानव संसाधन प्रबंध के कार्य के विषय में यह संसाधन प्रबंध के कार्य के विषय में यह कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है। जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि प्रदान कर उनकी शक्ति का अधिकतम सदुपयोग करने संस्था के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। मानव संसाधन प्रबंध व्यवसाय की आत्मा है क्योंकि यह मानव शक्ति के समुचित प्रबंध का एक स्वरूप है।

उद्देश्य – मानव संसाधन प्रबंध व्यवसाय एवं संस्था की आत्मा है। अतः कोई भी संस्था तभी जीवित रह कर क्रियाशील रह सकती है। जब तक उसमें मानव संसाधन प्रबंध की उत्तम व्यवस्था है। मानव संसाधन अपने समग्र शक्ति का उपयोग कर सके इसके लिए उनको निरन्तर प्रोत्साहित एवं नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन की शक्तियों के भरपूर दोहन से ही विकास की गति में तेजी आती है।

1. वैज्ञानिक चयन का उद्देश्य – वैज्ञानिक चयन से आशय यह है कि कर्मचारियों का चयन वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकता के सभी स्तरों का पालन किया जाना आवश्यक होता है। ताकी संस्था में अनुभवी श्रमिक का चयन हो सके।

2. व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य – यदि कार्य को पूर्ण लगन, एवं मनोयोग से किया जाए तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। मानव संसाधन में भावना का विकास किया जाना है। मानव संसाधन की क्षमता का उपयोग सही दिशा में हो इसके लिए कार्यों का विभाजन एवं विशिष्टीकरण के नियमों का पालन अनिवार्य होता है।

3. उच्च मनोबल का उद्देश्य – मनोबल किसी भी उद्देश्य या कार्य के परिणामों पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जिस प्रकार उच्च मनोबल के अभाव में बड़ी से बड़ी एवं युद्ध सामग्री से सुसज्जित सेना भी युद्ध में पराजित हो जाती है। उसी प्रकार मानव संसाधन भी मनोबल के आभाव में सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाते। अतः मानव संसाधन की क्षमताओं के पूर्ण आयोग और विकास के लिए उनके मनो-क्षमताओं के पूर्ण आयोग और विकास के लिए उनके मनोबल को उँचा रखना अनिवार्य होता है अर्थात् कर्मिकों के मनोबल को उँचा रखने के लिए मौद्रिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है।

4. प्रभावी सम्प्रेषण का उद्देश्य – कोई भी संस्था सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके इसके लिए मानव संसाधन के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। मानव संसाधन से इस सहयोग की प्राप्ति तभी संभव है। जब वह संस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों, नीतियों व कार्यक्रमों से अच्छे तरह अवगत हो क्योंकि इन बातों के आभाव में कार्मिक संस्था के उद्देश्यों से

अनभिज्ञ रहते हैं। इनका नकारात्मक प्रभाव उनकी कार्य क्षमता पर ही पड़ता है।

5. प्रशिक्षण का अनिवार्य उद्देश्य – कार्मिक अपने दायित्वों और कर्तव्यों को समुचित रूप से समझ सके इसलिए उनके लिए प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। प्रशिक्षण के द्वारा जहाँ तक हो सके उनके ज्ञान का विकास होता है। वही उनके अनुभव और कार्यशीलता में वृद्धि होती है। अतः समय समय पर प्रशिक्षण विषयक नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना चाहिए जिसे वह अपने कार्य को पूर्ण संतुष्टि से कर सके तथा अपनी क्षमता व कौशल का अधिकतम प्रदर्शन करे।

6. टीम भावना का उद्देश्य – संस्था अपने कर्मचारियों की सामूहिक क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में सफल हो सके इसके लिए आवश्यक है कि समस्त कर्मिक एवं पारिवारिक समूह के रूप में टीम भावना से कार्य करे कर्मिकों में परस्पर टीम भावना होने से विश्वास एकता व साहस जैसे गुणों का विकास होता है। टीम भावना से उत्साह में वृद्धि होती है। जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।

7. राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान का उद्देश्य – प्रत्येक संस्था का विकास और उसकी उत्पादकता में वृद्धि का सीधा प्रभाव राष्ट्र के विकास और उसकी समृद्धि पर पड़ता है। अतः समस्त कर्मिकों, को इस बात का अध्ययन कराया जाना चाहिए कि संस्था का विकास कर वह राष्ट्र के हित एवं विकास में सहभागी बन सकते हैं। राष्ट्रियता से ओत प्रोत यह तथ्य कर्मिकों को अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने में सहायक होता है।

परिकल्पना

1. मानव संसाधन प्रबंध को अधिक प्रभाव शाली बनाना।
2. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करने में अधिक सफल होना।

आवश्यकता – किसी भी उपक्रम या संस्था की सफलता विभिन्न बातों पर निर्भर करती है। इसमें मानव संसाधन प्रबंध की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि यदि संस्था के कार्मिक संस्था से संतुष्ट है तो वह पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करेंगे। इससे संस्था स्वतः ही विकास कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी परन्तु इसके लिए विपरीत यदि संस्था के कर्मिक असंतुष्ट है। तो यह संस्था उन्नति के स्थान पर अवनति की ओर अग्रसर हो जाती है ?

आमतौर पर संस्था के कर्मचारी एवं प्रबंध के मध्य परिश्रमिक पदोन्नति स्थानान्तरण एवं बोनस आदि के विषय में विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। यह स्थितियाँ संस्थान के लिए हानिप्रद होती हैं। अतः मानव संसाधन प्रबंध श्रमिकों और प्रबंधकों के मध्य होने वाले विवादों को दूर करता है। इसके अलावा श्रमिकों और प्रबंधकों के मध्य बेहतर संबंधों की दिशा में भी मानव संसाधन प्रबंध महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है।

1. **चयन** – प्रत्येक संस्था में आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों के लिए योग्य एवं कुशल कर्मिकों की आवश्यकता होती है। अतः कार्य की प्रकृति के अनुरूप कर्मचारियों की उपलब्धता मानव संसाधन प्रबंध द्वारा हो पाती है।
2. **प्रशिक्षण** – प्रचलित और नवीन कार्यों को कार्यकुशलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण होना आवश्यक होता है। अतः कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करने का कार्य मानव संसाधन प्रबंध द्वारा किया जाता है।
3. **सौहाद्रपूर्ण वातावरण के लिए** – मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न विवादों समस्याओं एवं मतभेदों के समाधान की दिशा में

सतत् प्रयास कर संस्था के वातावरण को सौहाद्रपूर्ण बनाने में सहायक होता है।

4. मनोबल में वृद्धि – कर्मचारियों की कार्यक्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए मानव संसाधन प्रबंध विभिन्न प्रेरणात्मक गतिविधियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करता है इसके कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है जिससे उनकी कार्यक्षमता स्वतः ही बढ़ जाती है।

5. कार्य विभाजन – मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों की रुचि अनुभव एवं योग्यता के अनुरूप कार्य प्रदान करता है। इससे कर्मचारियों में उत्साह की वृद्धि होती है। साथ ही वह संतुष्ट होकर उपक्रम की सफलता में सतत सक्रिय रहते हैं।

6. पारिश्रमिक का निर्धारण – मानव संसाधन प्रबंध शीर्ष प्रबंध कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति व श्रम के अनुसार पारिश्रमिक निर्धारित करने को भी सहयोग प्रदान करता है।

उपयोगिता – मानव संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग संभव हो सके। मानव संसाधन प्रबंध का मुख्य लक्ष्यतः कर्मचारियों का इस प्रकार प्रबंध करना है कि मानव संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग संभव हो सके। मानव संसाधन प्रबंध की उपयोगिता का आकलन निम्न बिन्दुओं के आधार पर सरलता से किया जा सकता है।

1. **उत्पादन में वृद्धि** – मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों के व्यक्तिगत हित जैसे समुचित मजदूरी कार्य के घंटे कार्य की सुरक्षा व विकास आदि जैसे कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। यह तथ्य कर्मिकों को संगठन के प्रति निष्ठावान व क्रियाशील बनाते हैं। उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।
2. **कार्य समूह का निर्माण** – मानव संसाधन प्रबंध संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक कर्मठ कार्य समूह के गठन में सहायक होता है। मानव संसाधन प्रबंध उत्पादन, विक्रय, वितरण आदि जैसे कार्यों के लिए योग्य अभ्यर्थियों के चयन भर्ती व प्रशिक्षण आदि में सहायक होता है।
3. **टीम भावना का विकास** – मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों में होने वाले विवाद व पारस्परिक मतभेदों के कारणों को जानकार उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। इससे संगठन में मधुर मानवीय संबंधों का विकास होता है। यही टीम भावना के उत्तरोत्तर विकास में सहायक होती है।
4. **मानवीय संबंधों का निर्माण** – मानव संसाधन प्रबंध संगठन के अनुशासन एवं पारस्परिक उत्तम संबंधों के निर्माण के लिए कर्मचारियों में परस्पर आदर भाव, आत्म सम्मान एवं सदभावना आदि जैसे गुणों की स्थापना की प्रयास करना है।
5. **सामुदायिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति** – मानव संसाधन संबंध कर्मिकों के सामुदायिक व सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण संस्थानों मनोरंजनालय, खेलकूद, सुविधा चिकित्सा सुविधा एवं बीमा आदि जैसी गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।
6. **मानवीय उद्देश्य** – मानव संसाधन की एक प्रमुख उपयोगिता मानवीय व्यवहार से संबंधित है। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित करने का प्रयास करता है। जिससे कर्मचारी का उपक्रम दोनों को लाभ प्राप्त हो सके।
7. **समन्वय की स्थापना** – मानव संसाधन प्रबंध की उपयोगिता के विषय में यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह सेवायोजक एवं सेवायुक्त के हितों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। प्रशासन की नीतियाँ निर्धारित करते समय कर्मचारियों की आवश्यकताओं के हितों तथा उनके उद्देश्यों को ध्यान में रख सकता है व ग्राहकों को उत्तम सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकता

मानव संसाधन प्रबंध सेवायोजक व सेवायुक्तों के इन्ही हितों का लाभप्रद समायोजन करता है।

निष्कर्ष – मानव संसाधन प्रबंध द्वारा किए गए इन महत्वपूर्ण कार्यों से संस्था में मानव संसाधन की आवश्यकता और उपयोगिता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। संस्था में मानव संसाधन प्रबंध की उपयोगिता और आवश्यकता के विषय में यह माना जा रहा है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में मानव संसाधन प्रबंध भी तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप विकास कर प्रबंध और कर्मचारियों के मध्य अपनी प्रासंगिकता को स्पष्ट कर रहा है। म.प्र. में पुलिस सेवाओं में मानव संसाधन प्रबंध उपरोक्त उद्देश्यों को लेकर ही मानव संसाधन प्रबंध क्रियाशील है।

किसी भी व्यावसायिक तथा वित्तीय संस्थान में चाहे वह छोटे आकार की हो या बड़े आकार मानव संसाधन नियोजन आवश्यक है। मानव संसाधन नियोजन में सही योग्यता सही समय, सही स्थान, सही स्तर तथा सही वेतन पर ध्यान देना होता है। ऐसा होने से कर्मचारी को कार्य सौपते समय कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि उसकी दक्षता को ध्यान में रख कर उसका चुनाव किया जाता है।

मानव संसाधन नियोजन का तात्पर्य है कि म.प्र. पुलिस में शारीरिक

एवं मानसिक दक्षता के साथ कर्मचारियों को नियुक्त करना है जिससे कर्मचारियों के अभाव में इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का काम न रुके और कर्मचारियों की अधिकता के कारण काम को व्यवस्थित एवं सरल ढंग से किया जा सके। प्रत्येक पद के कार्य तथा उसके निष्पादनकर्ता की योग्यता के अनुरूपता लाने के लिए ही मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि अत्यधिक योग्यता वाले व्यक्ति को किसी सामान्य कार्य को करने के लिए नियुक्त कर दिया जाए तो ऐसे पद पर उसकी योग्यता का दुरुपयोग होगा तथा संस्था और कर्मचारी दोनों को ही हानि होगी। इसी प्रकार यदि किसी काम योग्य व्यक्ति को अधिक योग्यता वाले पद पर नियुक्त कर दिया जाए, तो वह उस पद के अनुरूप कार्य का सुचारु रूप से संचालन नहीं कर सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Society of personal administration of America Institute of Personal Management.
2. Operative function of HRM - HRM and Industrial Relations P. Subba Rao 2005 Page No. - 21
3. डॉ. एस.सी. सक्सेना- सेविवर्गीय प्रबंध साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2001 पृष्ठ क्र. 18

जिला शाजापुर में बैंक द्वारा देय ऋण का हितग्राहियों के कृषि एवं आर्थिक विकास में योगदान (जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शाजापुर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. संजय बाणकर *

प्रस्तावना - जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों को दीर्घकालिन एवं मध्यकालिन ऋण सुविधा प्रदान कर उनके आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना है ताकि वे जिला, प्रदेश व संभाग के कृषि विकास में अपना यथा शक्ति योगदान दे सके। इसी कारण बैंक द्वारा हितग्राहियों के लिए विभिन्न लाभदायक योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाये जाते हैं। जिनका वे उपयोग कर लाभान्वित हो सके। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहकारिता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके गठन के समय से उद्देश्य यही था कि देश व प्रदेश के कृषकों को उन साहूकारों के चुंगल से मुक्ति दिलाना जो थोड़े से कर्ज देने के बदले किसानों की बेशकीमती जमीनें अपने कब्जे में कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे सहकारी बैंक सहकारिता आन्दोलन की रीढ़ की हड्डी बन गये और आज इन बैंकों द्वारा अपने हितग्राहियों को कृषि के साथ साथ कृषि प्रयोजन हेतु भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों से यह पूछे जाने पर की क्या आप इस बैंक को याद रखोगे तो वे बड़े भावुक होकर कहते हैं कि भला कोई अपनी माँ को भूल सकता है।

अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि कृषक कृषि साख के अभाव में उपलब्ध प्राकृतिक व अन्य संसाधनों का उपयोग सही से नहीं कर पाता इस संबंध में **प्रो. एफ. निकलसन** ने कहा था कि सभी किसानों को विशेषतः छोटी जोतवालों की आवश्यकतावश कभी न कभी ऋण अवश्य लेना पड़ता है उनकी कुछ आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिन तो कुछ आवश्यकताओं के लिए मध्य एवं दीर्घकालिन ऋणों की आवश्यकता होती है। विभिन्न सहकारी संस्थाएँ कृषि विकास के लिए ऋण सहायता एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सतत प्रयत्नशील हैं।

कृषि ऋणों का उद्योग धंधो व व्यापार व्यवसाय पर प्रभाव :- सहकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों से जिला, संभाग व प्रदेश की कृषि का विकास हुआ है। उत्पादकता बढ़ी है, जिसके कारण न केवल कृषक बल्कि जिला एवं संभाग के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग जैसे सोयाबीन प्लांट, दाल मिले गुड उद्योग आदि सुगमतापूर्वक चल रहे हैं ऐसे उद्योग जो कृषि फसलों पर आधारित हैं, जिनके लिए किसानों द्वारा उत्पादित फसले ही कच्चे पदार्थ का काम करती हैं। सरकार की कृषि विकास नीति ने कृषि के विकास को तीव्र गति से प्रगति की राह पर चलाया कृषकों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है।

जिला शाजापुर में लघु उद्योगों की संख्या

वर्ष	संख्या	नियोजित व्यक्ति	नियोजन (लाख में)
2009-10	556	1420	480.80
2010-11	684	1464	510.12

2011-12	714	1490	516.70
2012-13	765	1558	614.15
2013-14	805	1968	701.10

जिला शाजापुर में प्रतिष्ठान व उद्यमों की संख्या

वर्ष	प्रतिष्ठान	उद्यम	कुल नियोजित व्यक्ति
2009-10	15230	34610	51647
2010-11	16880	36210	55874
2011-12	17250	36985	59235
2012-13	19325	37145	61580
2013-14	22308	40209	80756

शाजापुर जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदत्त वित्त का प्रभाव (व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित)

सर्वेक्षण का उद्देश्य :- निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने शाजापुर जिले के 150 कृषक परिवारों का सर्वेक्षण किया है।

1. कृषक परिवार के आकार का अध्ययन करना।
2. परिवार की वार्षिक आय पर ऋण के प्रभाव का अध्ययन।
3. ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन।
4. ऋण का रोजगार पर, जीवन स्तर पर व उत्पादन पर प्रभाव का पता लगाना।

सर्वेक्षण प्रतिवेदन :- प्रस्तुत शोध में शाजापुर जिले के 150 कृषक परिवार, जिन्होंने शाजापुर जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लिया है, का सर्वेक्षण किया गया है तथा अनुसूचियों से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं -

परिवार का आकार :- सर्वेक्षित 150 परिवारों की कुल जनसंख्या 1275 है, जिनमें पुरुष-स्त्रियों एवं बच्चों की जनसंख्या की स्थिति को तालिका में दर्शाया गया है।

सर्वेक्षित कृषक परिवारों में सदस्यों की संख्या

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष	408	32
2	स्त्रियाँ	357	28
3	बच्चे	510	40
	योग	1275	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 150 परिवारों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि परिवारों में बच्चों का औसत भी अधिक है। इस प्रकार प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या औसत रूप से अधिक आती है। जिसे हम अति जनसंख्या वाले परिवार ही कहेंगे तथा

अधिकतर गाँवों में परिवार का स्वरूप संयुक्त पाया जाता है तथा एकाकी परिवारों की संख्या कम है।

प्राप्त ऋण से संतुष्टी :- सर्वेक्षित 150 कृषक परिवार जिन्होंने जिला सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लिया है, उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त हुआ या नहीं यह निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

प्राप्त ऋण से ऋणग्रहिता की संतुष्टि का आकलन

	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त हुआ	68	45
आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त नहीं हुआ	82	55
योग	150	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋण की राशि से 45 प्रतिशत कृषक ही संतुष्ट हो पाए हैं तथा लगभग 55 प्रतिशत कृषक ऐसे हैं, जो असंतुष्ट हैं अर्थात् बैंक द्वारा कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण की राशि प्रदान नहीं हो पाती है तथा जितने की कृषक माँग करते हैं, उतनी राशि प्रदान नहीं की जाती है। क्योंकि ऋण देने का आधार कृषक भूमि है, बैंक कृषक की भूमि के अनुपात में ही ऋण देती है और बैंक ऋण देने से पूर्व यह भी देखती है कि इन कृषक के पास पूर्व का तो कोई ऋण बकाया तो नहीं है इन सब बातों को ध्यान में रखकर बैंक ऋण देने का निर्णय लेती है और इसी कारण कुछ कृषकों को आवश्यकता से कम ऋण मिला।

बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदत्त वित्त का प्रभाव :- शाजापुर जिले में कृषि कार्य के लिए कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु एकमात्र संस्था शाजापुर जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जो कृषकों को भू-सुधार, ट्रैक्टर, श्वेसर, बोरेल आदि उद्देश्यों के लिए वित्त प्रदान करती है। इसलिये हमने शाजापुर जिले के 150 कृषक परिवारों का सर्वेक्षण किया जिन्होंने किसी न किसी उद्देश्य से ऋण लिया हुआ है।

इन प्राप्त ऋणों का उपयोग करने पर कृषक की आय व रोजगार तथा उत्पादन, जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी ली गई। सर्वेक्षण के अनुसार ऋण का कृषकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जो निम्न है।

पारिवारिक आय पर प्रभाव :- ऐसे परिवार जिन्होंने जिला सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लिया है, उसकी आय में निश्चित परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ऋण लेने के पूर्व से परम्परागत साधनों का प्रयोग करते थे, लेकिन इन कृषकों ने ऋण लिया और तकनीकी साधनों का उपयोग किया, जैसे विद्युत पम्प, रासायनिक खाद, ट्रैक्टर आदि जिससे उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उनकी आय विवरण निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है -

सर्वेक्षित कृषक परिवारों की आय का विवरण

क्र.	वार्षिक आय समूह (रूपयों में)	ऋण लेने से पूर्व	प्रतिशत	ऋण लेने के पश्चात्	प्रतिशत
1	5000-10000	30	20	5	3
2	10000-15000	38	25	41	27
3	15000-20000	63	42	70	47
4	20000-25000	12	8	19	13
5	25000-30000	7	5	15	10
	योग	150	100	150	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ऋण लेने के पश्चात् अधिक वार्षिक आय वाले कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऋण लेने से पूर्व 20 प्रतिशत कृषक

थे जिनकी आय वार्षिक 5 से 10000 हजार के मध्य थी, क्योंकि वे परम्परागत साधनों का प्रयोग करते थे, लेकिन ऋण लेने के पश्चात् तकनीकी साधनों का प्रयोग करने से इन कृषकों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई है। ऋण लेने के पूर्व सात कृषक ही ऐसे थे जिसकी आय 25 से 30 हजार रुपये वार्षिक थी, लेकिन ऋण लेने के पश्चात् ऐसे 15 कृषक हैं, जिनकी आय 25 से 30 हजार रुपये के करीब है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋण लेने से निश्चित रूप से कृषकों की आय में वृद्धि हुई है।

सर्वेक्षित परिवारों के जीवन स्तर पर प्रभाव का विवरण :- मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यय करता है, वह व्यक्ति के जीवन स्तर को निर्धारित करता है, क्योंकि आय व्यय में तुलनात्मक सम्बन्ध होता है। व्यक्ति का ऋण रुचियाँ, फैशन जीवन स्तर एवं आदतों आदि पर निर्भर करता है। सर्वेक्षित कृषक परिवारों का सर्वेक्षण करने पर मैंने देखा कि गाँव के लोग अपने व्यय का हिसाब-किताब नहीं रखते हैं। वे अपनी आय को आवश्यकताओं की तीव्रता एवं परिस्थितियों के आधार पर व्यय करते हैं। सर्वेक्षित कृषक परिवारों के भोजन अर्थात् खान-पान वस्त्र आदि का स्तर पूर्व की अपेक्षा उच्च हुआ है।

कृषि यंत्रों एवं साधनों का विप्लेषण

क्र.	विवरण	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1.	आधुनिक साधन	104	69
2.	प्राचीन साधन	28	19
3.	दोनों प्रकार	18	12
	योग	150	100

ऋणग्रहिताओं की समस्याएँ - अत्यधिक कागजी कार्यवाही, ऋण देने में विलम्ब, राजस्व रिकार्ड समस्या, राजनैतिक प्रभाव सम्बन्धि समस्या, कृषकों की अशिक्षा एवं रुढ़िवादिता, ऋण वसूली में कठोरता, बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी न होना।

सुझाव - बैंक में विद्यमान समस्याओं, कठिनाईयों एवं बाधाओं के परिप्रेक्ष्य में सुझाव दिए जा रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उचित दिशा एवं गति मिल सके।

1. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ऋण स्वीकृत करने के पहले कृषक की भूमि का मूल्यांकन करता है, इस मूल्यांकन की विधि में सुधार होना चाहिए। भिन्न नगरों एवं सड़कों के निकट भूमि का मूल्य दूरस्थ क्षेत्र में स्थित भूमि के मूल्य से अधिक होता है, इसी प्रकार उत्पादकता के आधार पर भी भूमि के मूल्य में अन्तर पाया जाता है।
2. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपनी कठिन ऋण वितरण प्रणाली को सरल बनाना चाहिए, कठिन विधि अशिक्षित कृषकों को और भी कठिन एवं जटिल लगने लगती है, ये अशिक्षित कृषक परेशान होकर ऋण लेने का विचार त्याग देते हैं।
3. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ऋण प्रदान करने की कार्यविधि इस प्रकार की है कि कृषक द्वारा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र देने तथा उसे ऋण प्राप्त होने के मध्य अधिक समय लग जाता है। नियमों एवं व्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिये की कुछ अवधि में कृषकों को समय पर ऋण प्राप्त हो सके, जिससे की कृषक कम परेशानी का सामना करना पड़े।
4. सामूहिक रूप से ऋण प्रदान करना यदि बैंक उचित समझे तो किसानों को सामूहिक आधार पर ऋण दिए जा सकते हैं

निष्कर्ष –शाजापुर जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने अर्थात् अर्थव्यवस्था में कृषि सुदृढ़ता हेतु जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वित्त की पूर्ति करता है। भारत में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ही एक ऐसी संस्था है, जो कृषकों को उचित ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, क्योंकि उस प्राप्त वित्त से कृषक कृषि का आर्थिक विकास कर पाते हैं। राष्ट्रीय आय में कृषि का सर्वाधिक योगदान है। वर्तमान में देश में हरित क्रान्ति को सफल बनाने का सुनहरा स्वप्न देखा जा रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः बिना वित्त के साधन नहीं जुटाए जा सकते हैं। इसलिये शाजापुर जिले में कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के स्रोत में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित शाजापुर का महत्वपूर्ण स्थान है।

आर्टिकल्स, जर्नल्स एवं बुक

1. शर्मा डॉ. रामरतन (2009), भारतीय अर्थव्यवस्थाएँ, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
2. सिन्हा बी.सी.(1983), कृषि एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र, लोक भारती

प्रकाशन, इलाहाबाद।

3. विनायक एस.आर.(1982), भारतीय कृषि की कुछ समस्याएँ, एस.चान्द एण्ड कम्पनी दिल्ली।
4. सिंहल, डॉ. रामप्रकाश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – स्थिति एवं संभावना बैंकिंग।
5. चिन्तन – अनुचिन्तन अंक 1 Oct, Dec – 2007

प्रतिवेदन एवं पत्र-पत्रिकाएं

1. वार्षिक प्रतिवेदन – जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शाजापुर।
2. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय जिला-शाजापुर म.प्र.।
3. मध्यप्रदेश संदेश पत्रिका – मध्यप्रदेश शासन
4. नई दुनिया, दैनिक भास्कर, पत्रिका – भोपाल, इन्दौर
5. कृषक जगत, कृषक दूत – भोपाल

Website-

6. www.google.co.in
7. www.wikipedia.com

धार जिले में क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति (वर्ष 2003-04 से 2010-11)

डॉ. बी. एस. सिसोदिया *

प्रस्तावना – स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि **स्वास्थ्य ही धन है।** भारत एक ग्रामीण बाहुल्य देश है। ग्रामों के सुधार एवं विकास के लिए स्वास्थ्य एवं सफाई की भी अत्यधिक आवश्यकता है। अधिकांश गाँवों में पेयजल की अपर्याप्तता, खाद्य पदार्थों में मिश्रण तथा गंदगी होने के कारण अनेक प्रकार की बिमारियों का प्रकोप हो जाता है, जिससे श्रम की कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है एवं मृत्यु दर में अधिकता पाई जाती है।

जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। अध्ययन की दृष्टि से जिले में क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

क्षय रोग एक भयंकर छूत की बीमारी है जो कि **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस** नाम के जीवाणु से होती है। **ट्यूबरकुल बैसीलाई** मुख्यतः फेफड़ों पर असर कर फेफड़ों की टी.बी. (पलमोनरी ट्यूबरकुलोसिस) करते हैं। कुछ व्यक्तियों में शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं। टी.बी. के जीवाणु हवा द्वारा फैलते हैं। जब फेफड़ों का क्षय रोगी खांसता या छींकता है तो ये जीवाणु छोटे कणों के रूप में फैल जाते हैं। इन कणों को जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस द्वारा अपने शरीर में लेता है, तो उसे भी यह बीमारी हो जाती है। चुम्बन के द्वारा भी यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकती है। जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा क्षय (टी.बी.) रोगियों की खोज करके उनके खखार की जांच (स्पूटम परीक्षण) के माध्यम से करने के पश्चात् उनका उपचार किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य – धार जिले में क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया यह देखना इस शोध पत्र का महत्वपूर्ण भाग है।

समंक संकलन – प्रस्तुत शोध पत्र धार जिले में क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति पर आधारित है। यह द्वितीय स्त्रोतों से प्राप्त समंक पर आधारित है उक्त अध्ययन हेतु वर्ष 2003-04 से 2010-11 के समंक का संकलन कार्यालय जिला चिकित्सालय जिला धार से किया है।

जिले में क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति को अग्रतालिका में प्रदर्शित किया गया है।

धार जिला – क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति (देखे आगे पृष्ठ पर)

विश्लेषण – तालिका का निरीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003-04 में कुल 9117 व्यक्तियों का स्पूटम परीक्षण किया गया, जिसमें से 839

व्यक्ति स्पूटम पॉजिटिव पाये गये। उपचार के उपरांत 85 प्रतिशत व्यक्ति रोग मुक्त पाए गए। 2 माह उपचार के पश्चात् पुनः जांच की गई तो पलमोनरी नेगेटिव केसेस का प्रतिशत बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया। जबकि एक्स्ट्रा पलमोनरी टी.बी. केसेस 17 प्रतिशत पाए गए। वर्ष 2004-05 में 4128 व्यक्तियों का स्पूटम परीक्षण किया गया। जो गत वर्ष की तुलना में 45.27 प्रतिशत थे जबकि इस वर्ष स्पूटम पॉजिटिव मरिजों की संख्या बढ़कर 843 हो गई अर्थात् इस अवधि में टी.बी. के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 86 प्रतिशत क्षय रोगी उपचार के उपरांत रोग मुक्त हो गए तथा पुनः जांच में रोग मुक्ति की दर परिवर्तित होकर 91 प्रतिशत हो गई। इस वर्ष एक्स्ट्रा पलमोनरी टी.बी. केसेस की दर 22 प्रतिशत रही। वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में क्रमशः 8060, 10539, एवं 9738 व्यक्तियों का स्पूटम परीक्षण करवाया जिसमें से क्रमशः 761, 920 एवं 840 व्यक्ति स्पूटम पॉजिटिव पाए गए जिन्हें नियमित उपचार दिया गया। उपचार के उपरांत रोग मुक्ति की दर क्रमशः 84 प्रतिशत, 86 प्रतिशत एवं 85 प्रतिशत रही। 2 माह पश्चात् रोगियों की पुनः जांच की गई तो रोग मुक्ति का प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 89 प्रतिशत, 91 प्रतिशत एवं 89 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में एक्स्ट्रा पलमोनरी टी.बी. केसेस का प्रतिशत क्रमशः 24 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2008-09 में 9589 व्यक्तियों का स्पूटम परीक्षण किया गया जिसमें से 840 व्यक्ति स्पूटम पॉजिटिव पाए गए वही 24 प्रतिशत व्यक्ति एक्स्ट्रा पलमोनरी टी.बी. केसेस से संबंधित थे। उपचार के उपरांत रोग मुक्ति की दर 85 प्रतिशत रही जो बाद में बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई।

इसी प्रकार वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में क्रमशः 11662 एवं 10568 व्यक्तियों की खखार (स्पूटम) का परीक्षण किया गया जिसमें से क्रमशः 1066 एवं 1053 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, उपचार के उपरांत रोग मुक्ति की दर क्रमशः 86 प्रतिशत एवं 85 प्रतिशत रही, जो 2 माह पश्चात् बढ़कर क्रमशः 92 प्रतिशत एवं 94 प्रतिशत हो गयी

निष्कर्ष – इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि लगातार खांसी के मरिजों की खखार आदि की जांच की जाती है, उसमें से स्पूटम पॉजिटिव मरीज (जिन्हें फेफड़े की टी.बी. है) तथा एक्स्ट्रा पलमोनरी टी.बी. केसेस (जिन्हें फेफड़ों को छोड़कर अन्य भाग में टी.बी. है) के मरिजों का छः माह नियमित डाट्स प्रणाली से उपचार किया गया है। जिसका पूर्ण उपचार हो जाने के पश्चात् लगभग 85 प्रतिशत केसेस के मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, जबकि शेष का और उपचार किया जाता है तो यह दर लगभग 5 से 7 प्रतिशत बढ़ जाती है। अतः क्षय रोग का वर्तमान में पूर्णतः निदान संभव हो

गया है और सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास संतोषप्रद हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. डॉ. वी. कुमार - जनांकिकी।
2. गुप्ता, सुरेश - आगे आए लाभ उठाए (एल.के. जोशी) आयुक्त

जनसम्पर्क, भोपाल।

3. कार्यालय जिला चिकित्सालय, धार, म.प्र.।
4. दैनिक पत्र - पत्रिकाएँ।

धार जिला - क्षय रोग (टी.बी.) नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति

वर्ष	स्पूटम परीक्षण	स्पूटम पाजिटिव संख्या	कुल टी.बी. केसेस संख्या	रोग मुक्ति प्रतिशत	पलमोनरी नेगेटिव केसेस का प्रतिशत	एक्स्ट्रा पलमोनरी टी.बी. केसेस का प्रतिशत
2003-04	9117	839	2139	85	90	17
2004-05	4128	843	2141	86	91	22
2005-06	8060	761	3365	84	89	24
2006-07	10539	920	2252	86	91	20
2007-08	9738	840	2197	85	89	23
2008-09	9589	907	2206	85	91	24
2009-10	11662	1066	2415	86	92	17
2010-11	10568	1053	2728	85	94	23

स्रोत - कार्यालय जिला चिकित्सालय, धार (म.प्र.)

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहकारी विपणन की भूमिका

डॉ. सीमा दुबे *

प्रस्तावना – कृषि विकास हमारे समस्त विकासात्मक कार्यों का आधार है, कृषि विकास के अभाव में हमारा आर्थिक विकास अधूरा ही रहेगा। गत कुछ वर्षों में भारतीय कृषि में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। देश में अभी तक कृषि भारतीय कृषकों की आजीविका का साधन मात्र थी, परन्तु अब कृषि की अवधारणा में शनैः शनैः परिवर्तन हो रहा है। केवल आजीविका के स्थान पर अब कृषि लाभदायक उद्योगों का स्वरूप ग्रहण कर रही है।

19वीं शताब्दी तक कृषि पूर्ण रूप से जीवन यापन के लिए ही की जाती थी, किन्तु कृषक अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नगद धन अपने पास रखने की इच्छा रखता था। इसी कारण फसल के कुछ भाग का विक्रय कर लेता था। इसके अतिरिक्त लगान का भुगतान करने के लिए कृषकों को अपनी फसल का विक्रय करना पड़ता था। शहरों के विकास और जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्नों के विपणन के महत्त्व में भी वृद्धि होती गई। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि संबंधों में परिवर्तन के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में अमीर कृषकों के एक वर्ग का उदय हुआ है। यह वर्ग वाणिज्यिक पद्धतियों से फसलों का उत्पादन करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य लाभ के लिए कृषि करना है। यह वर्ष प्राचीन विपणन व्यवस्था से असंतुष्ट है और उसमें सुधार की आशा करता है। कृषि उद्योग में बढ़ते हुए वाणिज्यिकरण के साथ-साथ विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। कृषि वस्तुओं का उचित प्रकार से विपणन कृषकों के हित में है इसमें कृषि विकास में भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

कृषि वस्तुओं की विपणन व्यवस्था में मण्डियों में व्यापारियों के एकाधिकार के कारण अनेक प्रकार से उत्पादक कृषकों को हानि उठानी पड़ती थी। विपणन में प्रतिस्पर्धा के अभाव, अनेक प्रकार की विपणन-लगान की कटौतियाँ, विपणन की कुरीतियों आदि के कारण उत्पादन कृषकों को अपने कृषि उत्पादन के विक्रय से उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था। इन सबका लाभ मध्यस्थ वर्ग उठाता था। इसका प्रमुख कारण मण्डियों पर किसी प्रकार के नियंत्रण का पूर्णरूपेण अभाव होना था। मण्डियों का संचालन व्यापारियों द्वारा अपने हितों की सर्वोपरि रक्षा हेतु बनाए गए नियमों के अनुसार होता था। भारत में कृषि विपणन से कृषक को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता था। देश में मण्डियों में प्रचलित दोषों का निवारण करने, मध्यस्थों का उन्मूलन करने तथा कृषकों को सुदृढ़ संगठन निर्माण करने के लिए सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई। ये समितियाँ अपने सदस्यों की उपज को एकत्रित करके कम व्यय और अच्छे मूल्य पर विक्रय का प्रयास करती हैं।

उद्देश्य – सहकारी विपणन समितियों द्वारा कृषि विकास कार्यों का मूल्यांकन

करना अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

परिकल्पना – सहकारी विपणन समितियों द्वारा कृषि विकास हेतु अनेक ठोस कदम उठाये जिसमें कृषि विपणन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन अतिमहत्त्वपूर्ण है। कृषकों की दशा में तब तक सुधार नहीं हो सकता, जब तक उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उसका विक्रय करने के उचित संसाधन उपलब्ध न हो। यदि कृषि वस्तुओं का बाजार सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित है, तो कृषक को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इससे कृषक की आर्थिक दशा में सुधार होने की संभावना में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी तथा इसके साथ-साथ उसकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी।

सहकारी विपणन व्यवस्था का अभिप्राय उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादन के सम्मिलित विक्रय के लिए किए गए प्रयत्न तथा उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्मिलित क्रय करने के प्रयत्नों से है। वास्तव में क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, सुसंगठित सहकारिता के आधार पर विपणन कार्य को सम्पन्न करना ही सहकारी विपणन है। वर्तमान समय में भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की निम्न पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं।

1. गाँवों में बिक्री।
2. मेलों में बिक्री।
3. मण्डियों बिक्री।
4. सहकारी साख समिति द्वारा विक्रय।

सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य –

1. कृषक को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए विपणन विधि का प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. कृषकों की सौदा करने की शक्ति में वृद्धि करना।
3. अनावश्यक मध्यस्थों को हटाकर कृषकों के लाभ में वृद्धि करना।
4. कृषकों की अच्छी किस्म की फसलों को उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
5. कृषि संसाधन जैसे – बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ आदि के वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना।
6. उत्पादक वस्तुओं के मूल्य में स्थायीत्व लाना।

सहकारी विपणन के अभाव में मध्यस्थ एक ओर कृषकों को उपज का उचित मूल्य नहीं देते हैं, तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं से उँचे मूल्य वसूलकर उनका शोषण करते हैं। मध्यस्थों के लाभ के कारण वस्तुएँ महंगी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्पादकों व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सहकारी

विपणन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा गठित विपणन समिति में उचित विपणन की आवश्यकता के संदर्भ कहा है कि खाद्य तथा कृषि समस्या का केन्द्र बिन्दु विपणन ही है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना निरर्थक होगा तथा पौष्टिक भोजन के लिए आदर्श प्रमाण निर्धारित करना भी व्यर्थ होगा। यदि खाद्य पदार्थों को उत्पादक से उपभोक्ता तक उस मूल्य पर पहुँचाने की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसे उत्पादक के लिए उचित मूल्य कहा जा सके और जो उपभोक्ता की भुगतान क्षमता के अन्तर्गत हो।

भारत में सहकारी विपणन समितियाँ ही सर्वाधिक उपयुक्त हैं। सहकारी विपणन से जहाँ कृषकों को लाभ प्राप्त होगा, वहीं मध्यस्थों की समाप्ति के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को भी सस्ती व अच्छी वस्तुएँ प्राप्त हो सकेगी। भारत में कृषि वस्तुओं का मूल्य सामान्य मूल्य स्तर को प्रभावित करता है। सहकारी विपणन द्वारा कृषि वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। जिससे सामान्य मूल्य स्तर भी नियंत्रित रहता है। मध्यस्थों द्वारा माल बैचने पर ये कृत्रिम रूप से मूल्यों में वृद्धि कर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इस प्रकार मूल्यों में स्थायित्व की प्रवृत्ति रहेगी। भारतीय परिस्थितियों में सहकारी विपणन के लाभ इतने अधिक हैं कि यह कृषि उत्पादन के विक्रय का सर्वाधिक संतोषजनक विकल्प प्रतीत होता है। सहकारी विपणन समितियाँ कृषकों को निम्न सुविधा उपलब्ध कराती हैं -

1. कृषि विपणन की कमियों को दूर करना।
2. सस्ती सुविधाएँ।
3. सहकारी साख व्यवस्था का विस्तार।
4. मूल्य स्थायित्व।
5. सदस्यों को व्यावहारिक ज्ञान।

देश में सहकारी विपणन का ढाँचा -

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
(राष्ट्रीय स्तर तक)

|

राज्य सहकारी विपणन समितियाँ
(राज्य स्तर पर)

|

केन्द्रीय सहकारी विपणन समितियाँ
(जिला या क्षेत्रीय स्तर पर)

|

प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ
(मण्डी या बाजार स्तर पर)

सहकारी विपणन में समस्या - यद्यपि साख को विपणन से सम्बद्ध करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और इसमें व्यापक सफलता प्राप्त हुई है।

इसके बावजूद भी साख समितियों को अपने ऋण वसूल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऋण लेते समय सदस्य विपणन समितियों के माध्यम से अपने उत्पादन के विक्रय करने का समझौता कर लेते हैं लेकिन उत्पादन विक्रय करते समय इसका पालन नहीं करते। इस समझौते को लागू न कर पाने के निम्न कारण हैं -

1. उपज को संग्रह करने की प्रभावी व्यवस्था का अभाव।
2. उत्पादक ऋण की अपर्याप्तता।
3. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपेक्षा।
4. साख सुविधाओं का अभाव।
5. ऋण प्रदान करने की नीति में परिवर्तन न करना।

सुझाव -

1. साख को विपणन से जोड़ने की योजना को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषकों को उत्पादन एवं उपभोग कार्यों के लिए उचित समय पर पर्याप्त साख प्रदान की जाए।
2. कृषकों के साथ यह अनुबंध किया जाए कि वे अपनी उपज सहकारी विपणन समिति के माध्यम से ही बेचेंगे।
3. अनुबंध का पालन करवाने के लिए सहकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे सदस्य अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य हो।

सहकारी विपणन व्यवस्था की प्रगति हेतु सुझाव - सहकारी विपणन के महत्व को कम नहीं आँका जा सकता। सरकार ने विभिन्न योजनाओं में सहकारी विपणन के महत्त्व को स्वीकार किया है।

1. सरकार द्वारा वित्त प्रदान करना।
2. ऋण प्राप्ति को सरल बनाना।
3. साख को विपणन से जोड़ना।
4. सहकारी अधिनियम में संशोधन।
5. बैंकों का सहयोग।
6. सट्टे के व्यवसाय पर रोक।
7. क्षेत्र का व्यापारिक आधार पर निर्धारण।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बी.एस. माथुर, भारत में सहकारिता योजना, 15 जनवरी 1995
2. डॉ. एन.एल. अग्रवाल, भारतीय कृषि का अर्थतंत्र
3. डॉ. बी.पी. गुप्ता, सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार
4. डॉ. बी.एम. जैन, शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीकी रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 1990

Emerging Trends of Hospitality Sector

Dr. Rajendra Kumar Sharma *

Introduction - The hotel industry forms an integral part of the hospitality industry. The major fields within the hospitality industry include lodging, restaurants, event planning, theme parks, cruise line, etc. The hospitality industry is a multi-billion dollar industry that mostly depends on the availability of leisure time and disposable income. A hospitality unit such as a restaurant, hotel, or even an amusement park consists of various groups within it, including facility maintenance, direct operations (servers, housekeepers, porters, kitchen workers, bartenders, etc.), management, marketing, and human resources.

The global hotel industry is a prosperous industry and according to a report published by New Industry Report by Global Industry Analysts, Inc. in 2012, the Global Hotel Industry is expected to reach USD 625 billion by 2017.

As per the Economic Impact Report issued by the World Travel and Tourism Council, the direct contribution of travel and tourism to GDP worldwide in 2016 was USD 2,970.4 billion (2.9 % of GDP). Travel and tourism industry is expected to add more than 70 million jobs over the next decade, with two-thirds of those jobs to be created in Asia.

In India alone, the total market size of the tourism and hospitality industry stood at USD 217.7 billion in 2014 and is anticipated to touch USD 418.9 billion by 2022. The success of the hotel industry in India is second only to China in the entire Asia Pacific⁵. Further, India is a developing global business hub which offers attractive investment propositions for both luxury and moderate-tier hotels.

India is projected to be number one for growth globally in the wellness tourism sector in the next five years, clocking over 20 % gains annually through 2017. With opportunities aplenty, the future of the hotel industry in India looks very promising.

Important Trends In The Industry :

1. The Indian hospitality sector falls within the spectrum of travel and tourism. The sector's contribution to GDP is expected to grow at 7.8 % per annum during the period 2013-2023.
2. 100 % FDI is permitted on the Indian hotel industry under the automatic route. Foreign Direct Investment in this sector has also seen a surge with the inflow during the period of April 2000–March 2016 being estimated at USD 7,848.09 million.
3. Over the last few years, the hotel industry has observed a shift towards the budget and mid- market hotels. Renowned hotel companies have launched brands [eg. Ginger by Indian Hotels (IHCL)] catering to the budget and mid-market customers, who were thus far being served by the unorganized sector. Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) estimates 8-13 % growth in revenues for the industry over the next three years, with growth picking up in line with the macro-economic outlook for the country leading to mobilisation of travellers and pick up in FTAs.
4. The Hotel Industry is intricately associated to the tourism industry and the growth in the Indian tourism industry has in turn resulted in development in the Indian Hotels Industry. The Government of India increased resources on advertising campaigns like "Incredible India" and "Athithi Devo Bhava" to emphasize the rich variety of tourism in India.
5. The ministry even granted Tourist Visa on Arrival for the citizens of a number of countries including, Finland, Japan, Luxembourg, New Zealand and Singapore. The tourism ministry has envisaged a budgetary allocation of INR 200 billion in the Twelfth Five Year Plan.
6. According to market analysis, the number of tourists availing the tourist Visa on Arrival (VOA) scheme during January- June 2014 has recorded a growth of 28.1 %.
7. According to World Economic Forum Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, India ranked 65th out of 144 countries in terms of Foreign Tourist Arrivals (FTAs)¹⁴ The WTO (World Travel Organization) predicts that India will receive 25 million tourists by the year 2015.¹⁵ By 2015, China and India will have absolute year on year growth equal to or greater than the UK, France or Japan.
8. The hospitality sector in India expects 52,000 new hotel rooms to be added in five years (2013-17). This will lead to a rise of over 65 % in total hotel inventory in India.
9. The demand-supply gap in India is very material and there is need for more hotels in all major cities. The shortage is especially acute within the budget and the mid- market segment.

10. Talent management is a major challenge for the sector. Inadequate supply of quality talent and increased competition for talent within the sector and from competing service sectors has made attrition a significant issue for the industry.
11. In the near term, despite an anticipated revival in room demand, hotels will not be able to hike ARRs significantly as the expected additions to room inventory will intensify competition.

Conclusion - The future for the hospitality sector looks very promising. With the growth of the economic scenario gathering momentum and companies increase spending on travel, demand for the industry is very likely to improve. With salary increases within the corporate world, leisure travel and disposable income are likely to be on the rise.

Further, the number of foreign tourists coming to India is expected to reach USD 11.1 m by 2021²³. The demand-supply gap in India is very acute and there is need for more hotels in all major cities. The shortage is especially palpable within the budget and the mid- market segment. There is an urgent need for budget and mid- market hotels in the country as travelers look for safe and affordable accommodation.

The Indian hotel industry is expanding at a massive rate, with several companies envisaging investment plans. Investment in Travel & Tourism is estimated at INR. 2.8 trillion by 2021 (implying a CAGR of 8.7 %), according to World Travel and Tourism Committee (WTCC) estimates.²⁴

Demand continues to rise in the hospitality sector due to growing business and commercial activities; escalation of disposable income; the improved portfolio of the international tourism sector; increased leisure time; improved transport facilities; and technological advancements facilitating remote tour management from overseas.

However, due to the cash crunch and high interest rates and the sector being highly dependent on external factors, the investors and hotel groups are approaching fresh expansion projects with caution.

To solve these issues and to do away with the constraints being faced by the hotel industry in addition to limited availability of land like procurement of multiple clearances / approvals which are required from the Central and State Government agencies for hotel projects which may be as many as 65 or more clearances/approvals are

required by hotel projects which varying from State to State, the Government has approved the setting up of a 'Hospitality Development and Promotion Board (HDPB)' for hotel projects.²⁵ Further, the government has extended its full support to the hospitality industry by introducing friendly legislation, a liberal policy framework, and support infrastructure and open-sky policies.

All in all, great progress can be hoped for the Hotel Industry in India in the recent future with both the Government and Private sector working towards the massive expansion of the industry.

References :-

1. World Travel and Tourism Council, Economic Impact Report, 2014;
2. Hotels in India, available at http://www.tphtours.com/tphtours/page/pages/show_ex_pages/1/hotels-in-india.html
3. India Brand Equity Foundation: Tourism and Hospitality Industry in India : According to a study conducted by SRI International, available at <http://www.ibef.org/industry/tourism-hospitality-india.aspx>
4. India Brand Equity Foundation: Tourism and Hospitality Industry in India: available at <http://www.ibef.org/industry/tourism-hospitality-india.aspx>
5. Foreign Direct Investment Policy, 2014, available at http://dipp.nic.in/English/Policies/FDI_Circular_2014.pdf;
6. Hotels Sector Analysis Report, available at <http://www.equitymaster.com/research-it/sector-info/hotels/Hotels-Sector-Analysis-Report.asp>
7. Indian Hotel Industry Report 2013- ICRA, available at <http://www.icra.in/AllTypesOfReports.aspx?ReportCategory=Hotels>
8. The Growing Indian Hospitality Industry, available at http://www.hostsindia.in/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=32
9. Indian hospitality: the industry, regulations and incentives (January 2008), available at http://www.singhania.com/Publication/IHL156_india-B.pdf
10. Indian Hotels Industry, Quarterly Review, available at <http://www.icra.in/Files/ticker/Indian%20Hotels%20Industry%2030032012.pdf>
11. Hospitality Development and Promotion Board (HDPB), available at <http://www.tourism.gov.in/writereaddata/CMSPagePicture/file/Hotel/HDPB.pdf>

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित वृहद एवं लघु योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन (असंगठित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कामगार महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

डॉ. प्रकाशचंद्र रांका * बनेसिंह वर्मा **

शोध सारांश – केन्द्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की सरकारों ने यह महसूस किया कि समाज में महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक है। अतः उनकी गरिमा और आत्म सम्मान को स्थापित करने के लिए उनके प्रति किए जाने वाले मानवीय व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। समाज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कामगार महिलाएं कई वर्षों से शोषित पीड़ित व कुंटित रहते हुए निम्न स्तर का जीवनयापन कर रही हैं। महिलाओं को पुरुष के समान स्वतंत्रता व अधिकार तभी संभव है, जब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में इनकी सहभागिता सुनिश्चित जाए। समाज के हर वर्ग के लोगों की सोच में परिवर्तन लाया जाए और परिवर्तित सोच को मूर्त रूप देने के लिए हर स्तर पर महिलाओं के प्रति किए जाने वाले मानवीय व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन एवं उचित वातावरण के निर्माण करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना – महिला विकास एवं उनके अधिकारों के संदर्भ में हमने कानून एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को विस्तार से देखा व समझा परन्तु आज महिला अधिकारों की सुरक्षा कितनी हो रही है? महिला कितनी सुरक्षित एवं संरक्षित है? इसका सच हमें समाज में दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में दामनी रेप एवं मर्डर केस में हमने देखा कि सरकार कितनी असंवेदनशील हो गई? उनका ज्यादा ध्यान अपराधियों को सजा दिलवाने में नहीं बल्कि सजा दिलवाने की मांग कर रहे लोगों को दबा देने में था। समाज और सरकार कि यही असंवेदनशीलता कितनी घातक होगी यह तो भविष्य के गर्त में है।

सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि कामकाजी महिलाएँ आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण की शिकार हो रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं एवं महिला परिवार में भी सुरक्षित नहीं हैं। 13 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ आज भी कार्य क्षेत्रों पर अपने नियोजनकर्ता व सहकर्मियों द्वारा शोषित व पीड़ित की जा रही हैं। चाहे सब कुछ बदल चुका हो लेकिन पुरुषों का मानसिक स्तर आज भी वैसा ही है जैसा कल था। महिला कोख से लेकर कफन तक असुरक्षित है।

केन्द्र शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त उल्लेख :-

1. **नारी निकेतन** :- विधवा, परित्यागता, निराश्रित, कुंवारी माताओं एवं समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय देने के उद्देश्य से नारी निकेतन स्थापित है जिसके द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगार महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

2. **महिला उद्धार गृह** :- इमोरेल ट्राफिक प्रिवेन्शन एक्ट के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भेजी गई महिलाओं को इस संस्था में रखा जाता है जिससे उनके नैतिक व्यवहार में सुधार के साथ आवास शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। महिला उद्धार गृह का उद्देश्य वैश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं को स्वरोजगार मूलक धन्यों में लगाकर समाज में पुनर्स्थापित कराना है।

3. **उज्जवला योजना** :- 31 मई 2016 को केन्द्र शासन द्वारा अनु.जाति एवं जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उज्जवला योजना प्रारम्भ की। इस योजना का उद्देश्य गरीब निर्धन महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना जिससे की ये महिलाएं भी समाज में सम्पन्न महिलाओं की तरह आत्मसम्मान के साथ जी सकें।

4. **स्टेण्ड ऑफ इंडिया** :- स्टेण्ड ऑफ योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में स्टार्ट अप इंडिया के साथ ही की थी। स्टार्ट अप इंडिया का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त महिला उद्यमियों के हितलाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की गई। इस योजना के तहत देश में कार्यरत प्रत्येक बैंक शाखा अपने कार्य क्षेत्र में दो-दो परियोजना हेतु लक्षित उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक ऋण की राशि दस लाख से एक करोड़ तक रहेगी।

5. **स्कील इंडिया** :- देश के युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल विकास उपलब्ध कराने के लिए स्कील इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। देश में दक्ष एवं कुशल श्रम शक्ति की कमी को देखते हुए यह माना गया है कि देश में केवल 2.3 प्रतिशत कार्यबल को ही अपने काम के संबंध में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है, जबकि ब्रिटेन में यह 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, अमेरिका में 52 प्रतिशत और जापान में 80 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत है। देश की कुल जनसंख्या में 54 प्रतिशत से अधिक भाग 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं का होने तथा 62 प्रतिशत जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या वर्ग में होने के चलते हम ना केवल अपने देश के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी कुशल कार्यबल उपलब्ध करा सकते हैं।

केन्द्र शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य :-

1. आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना।
2. पीड़ित महिलाओं को समाज में पुनर्स्थापित कराना।

* विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) श्री सीताराम जाजू स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

3. महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कराना।
4. महिलाओं को आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना।
5. महिलाओं का सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर बढ़ाना।
6. विपत्तिग्रस्त पीड़ित, असहाय, निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ना।

संबंधित साहित्य की समीक्षा :

1. भारत विजय कुमार : हाशिए पर खड़ी असंगठित मजदूर महिलाएँ, नई दिल्ली मार्च 2008 वैश्वीकरण के बाद निजी कारणों के चलते ग्रामीण क्षेत्र की अशिक्षित युवतियों एवं महिलाएँ शहरो की ओर प्रलायन कर घरेलू कामगार के रूप में काम करने को मजबूर हैं।
2. अंसानी एम.ए. : महिला और मानव अधिकार, जयपुर 2003, नारी सदर्थ विषय पर विस्तृत अध्ययन किया गया जिसमें कामगार महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर प्रकाश डाला गया।
3. मिश्रा निर्मला : असंगठित श्रमिक योजना, 15 मई 1998 मिश्रा निर्मला के अनुसार भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या संगठित श्रमिकों की तुलना में ज्यादा है।
4. मेमन रितु : कर्मठ महिला नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया नई दिल्ली 2005, इस पुस्तक में महिलाओं ने संघर्ष के माध्यम से समाज में स्वयं को स्थापित किया।

अध्ययन की विधि :- प्रस्तुत शोध पत्र के लिए प्राथमिक समंको का उपयोग किया गया जिसमें प्रश्नावली के माध्यम से शोध क्षेत्र राजगढ़ जिले की 100 कामगार महिला श्रमिकों का चयन दैव निदेशन प्रद्धति के द्वारा राजगढ़ जिले की सातो तहसीलों से सोउदेश्य पूर्वक चयन किया गया। चयनित कामगार महिला श्रमिकों का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार लेकर समंको का संकलन किया गया है।

केन्द्र शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन

तालिका क्रमांक 01

आपको अनुसूचित जाति जनजाति की विकास योजना की जानकारी है?

क्र.	योजनाओं की जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	90	90
2	नहीं	10	10
	योग	100	100

स्रोत - सर्वेक्षित आंकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 90 प्रतिशत महिलाओं को केन्द्र शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी है, शेष 10 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं से संबंधित जानकारी नहीं है। इसका कारण निचले स्तर पर योजनाओं की जानकारी का अभाव है। तथा योजनाओं की कार्यप्रणाली का अत्यधिक जटिल होने के कारण कामगार महिलाएं योजनाओं का त्वरित लाभ लेने से वंचित रह जाती हैं।

तालिका क्रमांक 02 : क्या आपको योजनाओं का लाभ मिला?

क्र.	विभिन्न योजना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	70	70
2	नहीं	30	30

स्रोत - सर्वेक्षित आंकड़े।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में 70 प्रतिशत महिलाओं को सीधा लाभ मिला है, शेष 30 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। 30 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि योजनाएं शासन स्तर पर संचालित हैं लेकिन विभिन्न संस्थाएं जिनके माध्यम से निचले स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वन किया जाता है। जिनकी प्रक्रिया बहुत धीमी है, जिससे इन महिलाओं को त्वरित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

तालिका क्रमांक 03 : क्या योजनाओं में पक्षपात की भावना है?

क्र.	विभिन्न योजना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	95	95
2	नहीं	05	05
	योग	100	100

स्रोत - सर्वेक्षित आंकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 95 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं में पक्षपात नहीं होता है शेष 05 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि योजनाओं में पक्षपात होता है। जिसका कारण भ्रष्टाचार व समय पर जानकारी का अभाव तथा अधिकारियों का असहयोग।

तालिका क्रमांक 04 : क्या योजनाओं की प्रक्रिया जटिल है?

क्र.	विभिन्न योजना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	90	90
2	नहीं	10	10
	योग	100	100

स्रोत - सर्वेक्षित आंकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 90 प्रतिशत का मानना है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रक्रिया जटिल नहीं है, शेष 10 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि शासन स्तर पर संचालित योजनाओं की प्रक्रिया काफी जटिल है जिससे कई पात्रहितग्राही योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। अतः शासन को अपने स्तर पर योजना में पारदर्शिता व व्यवहारिकता लाने के लिए क्रियान्वन की कार्यप्रणाली में ढांचागत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिससे कि योजनाओं का लाभ समाज में कार्यरत कामगार महिलाओं को निश्चित समय में उपलब्ध करवाया जा सके

तालिका क्रमांक 05 : विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है?

क्र.	जानकारी का माध्यम	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	65	65
2	नहीं	35	35
	योग	100	100

स्रोत - सर्वेक्षित आंकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 65 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी

ग्राम सभा से प्राप्त होती है। शेष 35 प्रतिशत महिलाओं को टी.वी./रेडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। 35 प्रतिशत महिलाएं ऐसा मानती हैं कि शासन व हितग्राही का सीधा सम्वाद होना चाहिए, जिससे इन्हें योजनाओं से सीधा जोड़ा जा सके तथा वचित महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर विकास के सोपान में इन महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष :- निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कामगार महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो इस हेतु यह आवश्यक है कि उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का

उचित लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया तीव्र होना चाहिए जिससे कि इस वर्ग की कामगार महिलाओं को योजनाओं का उचित लाभ दिलाकर विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राम आहूजा, सामाजिक समस्याएँ रावत पब्लिकेशन जयपुर 1999
2. महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे? भगवती स्वामी सविता किशोर
3. घरेलू हिंसा एनक्लेव जयपुर 2007
4. नीरज कुमार, महिला शक्ति की कुछ कोशिशें मार्च 2007
5. दिव्य शोध समीक्षा, मार्च 2016

कृषि यंत्रीकरण का रोजगार एवं उत्पादकता पर प्रभाव (छ.ग. के बिलासपुर संभाग के विशेष संदर्भ में)

नोर्बेलता एक्का *

शोध सारांश- बिलासपुर संभाग की उपजाऊ भूमि के उपरान्त भी कृषकों की कमजोर आर्थिक स्थिति, जल के लिए मानसून पर निर्भरता तथा पुराने परम्परागत साधनों एवं रासायनिक उर्वरकों से फसल पर निर्भरता बनी हुई है। कृषि यंत्रीकरण से कृषि उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि एवं कृषि लागत में 20 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती। संभाग में कृषि यंत्रीकरण वर्तमान स्थिति ज्ञात कर इसके उपयोग से उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु सुझाव देना इस शोध का उद्देश्य है।

शब्द कुंजी - कृषि अभियांत्रिकी, रोजगार, उत्पादकता, लागत, संवर्धन।

प्रस्तावना - उन्नत कृषि-यंत्र आज की विकासवादी आधुनिक कृषि का प्रमुख आधार माने जाते हैं। कृषि-यंत्रों के अभाव में वांछित उत्पादन तथा उत्पादकता को प्राप्त करना सहज नहीं है। बिलासपुर संभाग में कृषि के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण यहाँ के कृषकों द्वारा पुराने एवं अकुशल औजारों का उपयोग करना है। पर्याप्त सूझ-बूझ और ज्ञान रखते हुए भी यहाँ के कृषक पुराने कृषि-यंत्रों के प्रयोग करने के परिणामस्वरूप कृषि उपज बढ़ाने में सफल नहीं हो पाए, जबकि उन्नत एवं अद्यतन कृषि मशीनरी के प्रयोग से पश्चिमी देशों के कृषक क्रांति लाने में सफल हुए।

बिलासपुर संभाग की उपजाऊ भूमि के उपरान्त भी कृषकों की कमजोर आर्थिक स्थिति, जल के लिए मानसून पर निर्भरता तथा पुराने परम्परागत साधनों एवं रासायनिक उर्वरकों से फसल पर निर्भरता ने गत दशकों में इस संभाग में कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं होने दी है। अतः कृषि में सुधार लाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण की महती आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देश्य - बिलासपुर संभाग में कृषि उत्पादकता एवं रोजगार पर यंत्रीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना, आंकड़े संकलित करके वास्तविकता ज्ञात करना तथा कृषि यंत्रीकरण और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु सुझाव देना मेरे इस शोध का उद्देश्य है।

परिकल्पना - प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न शून्य परिकल्पनाओं की जांच की जाएगी -

1. कृषि यंत्रीकरण के प्रयोग से बिलासपुर संभाग की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है और लागतों में कमी आयी है।
2. कृषि यंत्रीकरण के प्रयोग कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है।
3. कृषि यंत्रीकरण के प्रयोग कृषि रोजगार तथा सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध मुख्यतः द्वितीयक समंकों पर आधारित है। द्वितीयक समंक संग्रहण हेतु पत्र-पत्रिकाओं, विभागों के प्रतिवेदन तथा वेब साइट से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग कर विश्लेषणात्मक पद्धति का

उपयोग किया गया है।

अध्ययन की सीमाएँ - प्रस्तुत शोध अध्ययन सन् 2007-08 से 2014-15 के प्राप्त आंकड़ों एवं जानकारीयों तक सीमित है।

कृषि यंत्रीकरण से आशय- कृषि यंत्रीकरण से आशय उन यंत्रों एवं उपकरणों से लगाया जाता है, जिनकी सहायता से कृषि की जाती है। जब कृषि परम्परागत तकनीकों के स्थान पर आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों की सहायता से की जाती है, तब उसे कृषि यंत्रीकरण कहते हैं। कृषि यंत्रीकरण में खेती की समस्त क्रियाओं में हल चलाने से लेकर फसल काटने तथा बेचने तक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि यंत्रीकरण पूर्ण अथवा आंशिक दोनों हो सकता है। पूर्ण यंत्रीकरण में कृषि सम्बन्धी समस्त कार्य प्रायः मशीनों से किए जाते हैं और आंशिक यंत्रीकरण में कृषि सम्बन्धी कार्यों का आंशिक भाग ही मशीनों द्वारा किया जाता है।

बिलासपुर संभाग में कृषि यंत्रीकरण की प्रगति - स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त कृषि विकास पर ध्यान दिए जाने के कारण यहाँ कृषि में यंत्रों का उपयोग बढ़ रहा है। पहली दो योजना की अवधि में यंत्रीकरण के क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी रही, उसके उपरान्त विशेष कर छठे दशक के मध्य से जबकि देश में कृषि की नई कार्यनीति का सहारा लिया गया, कृषि यंत्रीकरण उत्तरोत्तर जोर पकड़ने लगा है। वर्तमान समय में केन्द्रीय प्रायोजित योजनान्तर्गत हस्त औजार, बैल/विद्युत चलित उपकरणों, प्लाटिंग, रिपिंग, हार्वेस्टिंग एवं थ्रेसिंग उपकरण, ट्रैक्टरों, पावर टिलरों और अन्य विशेषीकृत कृषि मशीनों सहित विभिन्न कृषि मशीनों की खरीदी के लिए किसानों को अनुमेय उच्चतम सीमा के साथ लागत के 25 प्रतिशत की दर से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उन्नत एवं नव विकसित कृषि यंत्रों एवं उपकरणों का प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं परीक्षण के जरिए कृषि में यंत्रीकरण के संवर्धन का प्रयास किया जा रहा है। सरकार व निजी क्षेत्र द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप कृषि यंत्रीकरण का स्तर वर्षों से निरन्तर बढ़ता जा रहा है और कुल शक्ति उपलब्धता की तुलना में कृषक पशु-शक्ति का योगदान वर्षों से घटता जा रहा है।

कृषि अभियान्त्रिकी अन्तर्गत सरकार द्वारा निम्न योजनाएँ संचालित हैं-

1. केन्द्र प्रवर्तित मैक्रो मैनेजमेन्ट योजना - इस योजनांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत 40 पी.टी.ओ. हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर, 8 बी.एच.पी. एवं अधिक के पावर ट्रिलर, शक्ति चलित/ बैल चलित/हस्त चलित कृषि यंत्रों को 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अनुदान पर वितरित करने की योजना भी संचालनालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2007-08 से राज्य शासन द्वारा ट्रैक्टर को छोड़कर शेष मशीनों/ यंत्रों पर 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तथा पावर ट्रिलर पर 60 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है।

2. शाकम्भरी योजना - प्राकृतिक जल संसाधनों के समुचित दोहन, कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादकता में वृद्धि एवं फसल सहायता में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005-06 से लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के स्वयं सिंचाई संसाधन विकास हेतु 'शाकम्भरी' योजना चलायी जा रही है, जिसमें कृषकों के 5 एच.पी. तक के विद्युत/डीजल/ केरासीन चलित पंप पर 75 प्रतिशत तथा कूप निर्माण कार्य पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। नाबाई द्वारा डीजल/विद्युत/केरासीन पंप पर प्रति इकाई 15500 एवं कूप निर्माण पर 34200 रु. निर्धारित है।

3. मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना - इस योजना के अन्तर्गत जोड़ों द्वारा भूमि समतलीकरण, समाच्च बंधान, परकोलेशन टैंक निर्माण का कार्य आदि किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों को किराये पर उपलब्ध है, जिनका वार्षिक लक्ष्य 12,000 घंटे निर्धारित है। इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत व्हील टाईप ट्रैक्टरों/पावर टिलर्स के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर सीडड्रिल, पैडी-थ्रेसर एवं ट्रान्सप्लान्टर आदि यंत्र कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिनका वार्षिक लक्ष्य 15,500 घंटे का लक्ष्य निर्धारित है।

इस तरह, कृषि कार्यों को समय से और सही तरीके से करने तथा कृषि उत्पादन प्रक्रिया को मितव्ययी बनाने के लिए प्रौद्योगिक रूप से उन्नत कृषि उपस्कर अपनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सारणी क्रमांक -01 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सारणी क्रमांक 01 से स्पष्ट है कि संभाग में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे- ट्रैक्टर, पौध संरक्षण यंत्र, लोहे के हल, तेल इंजन, बिजली पम्प की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। वहीं परम्परागत लकड़ी के हल एवं गाड़ी की संख्या में निरन्तर कमी आई है।

सारणी क्रमांक-02 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सारणी क्रमांक 02 में छ0ग0 शासन द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने एवं कृषि विकास हेतु बिलासपुर संभाग के किसानों को सहायतार्थ वितरित उन्नत कृषि यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। शासन के द्वारा 2008-09 से 2014-15 की अवधि में संभाग के किसानों को 612 ट्रैक्टर, 1853 स्वचलित रीपर, 688 अन्य शक्ति चालित यंत्र थ्रेसर आदि, 143 जीरो टिलेज सीख ड्रिल, 1351 पावर ट्रिलर, 1235 कल्टीवेटर, 842 मोल्ड बोल्ड प्लाउ, 447 केज व्हील/डिस्क हैरो, 651 लेवलर/ट्रेसर ब्लेड, 361 रोटा वेटर आदि उन्नत यंत्रों का वितरण किया गया है।

कृषि यन्त्रीकरण का रोजगार पर प्रभाव-कृषि में यन्त्रीकरण से कृषि आधारित उद्योग एवं यातायात में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। फलतः कृषि में यन्त्रीकरण से जो लोग बेरोजगार होते हैं, उन्हें कृषि आधारित उद्योगों

एवं यातायात में रोजगार मिल जाता है। इस तरह कृषि यन्त्रीकरण से बेरोजगारी की आशंका नहीं होती है। साथ ही कृषि यन्त्रीकरण से बहु फसली खेती को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोगों को पूरे वर्ष भर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं।

कृषि यन्त्रीकरण का उत्पादकता पर प्रभाव- कृषि यन्त्रों के प्रयोग से कृषि कार्यों में गति बढ़ जाती है। मानवीय शक्ति का उपयोग कम होता है तथा खेतों का आकार बड़ा रखा जाने लगता है जिससे गहरी व सघन जुताई करना सहज हो जाता है। इन सबके फलस्वरूप कम लागत, समय सीमा में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हो जाती है।

सारणी क्रमांक - 03 - बिलासपुर संभाग में कृषि फसलों का क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

इकाई- क्षेत्र 000 हेक्टेयर, उत्पादन 000 मेट्रिक टन, उत्पादकता कि0ग्रा0 प्रति हेक्टेयर

वर्ष	क्षेत्राच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
2007	1239.65	1627.71	1313.04
2008	1264.72	1472.58	1164.35
2009	1210.04	1442.03	1191.37
2010	1236.25	1886.71	1526.16
2011	1259.4	2047.48	1625.76
2012	1158.5	2197.78	1897.09
2013	1240.93	2045.34	1648.23

स्रोत-कृषि मंत्रालय, छ. ग. शासन, रायपुर

सारणी क्रमांक -03 से स्पष्ट होता है कि बिलासपुर संभाग में कृषि हेतु 2007 में 1239.65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध था। जो कि विगत छः वर्ष उपरान्त 2013 में 1.28 हजार हेक्टेयर नगण्य वृद्धि के साथ 1240.93 हजार हेक्टेयर हो गया है। अर्थात् कृषि हेतु क्षेत्र सीमित व निश्चित है। यह अन्तर विभिन्न प्रयोजनों से भू-उपयोग परिवर्तन के कारण है। जहाँ तक उत्पादन का प्रश्न है इन्हीं वर्षों में 1627.71 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 2045.34 हजार मेट्रिक टन दर्ज किया गया। इस तरह 417.63 हजार मेट्रिक टन की कुल उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में प्रति हेक्टेयर 25.51 प्रतिशत उत्पादन में की वृद्धि के साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1313.04 किलो ग्राम से बढ़कर 1648.23 किलोग्राम हो गयी है। उत्पादकता में यह वृद्धि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण एवं सिंचाई सुविधाओं में विस्तार का ही परिणाम है। इस प्रकार अध्ययन वर्षों में कुल उत्पादन 417.63 हजार मेट्रिक टन की वृद्धि एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में 25.51 प्रतिशत की वृद्धि कृषि यन्त्रीकरण से उत्पादन के धनात्मक प्रभाव को व्यक्त करता है।

निष्कर्ष- कृषि यंत्रीकरण से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है और कृषकों के आय में वृद्धि के साथ ही साथ जीवन स्तर में भी सुधार होता है। कृषि में यन्त्रीकरण से कृषि आधारित उद्योग एवं यातायात में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। फलतः कृषि में यन्त्रीकरण से जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उन्हें कृषि आधारित उद्योगों एवं यातायात में रोजगार मिल जाता है। इस तरह कृषि यन्त्रीकरण से बेरोजगारी की आशंका नहीं होती है। अतः शून्य परिकल्पना परीक्षण उपरान्त सत्य सिद्ध हुई।

सुझाव- बिलासपुर संभाग में जोत का आकार छोटा है और कृषि कार्य में लगी जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। इस दृष्टि से कृषि में अन्धाधुन्ध यन्त्रीकरण की नीति अपनाना उचित नहीं होगा। भूमि एक दुर्लभ साधन है

जबकि श्रम एक प्रचुर साधन है। अतः भूमि उत्पादकता को उन्नत करने की नीतियों का ग्राम-जनशक्ति के प्रयोग के साथ सामन्जस्य करना होगा। कृषि यन्त्रीकरण की नीति ऐसी हो जो कि श्रम विस्थापन के प्रभाव को कम कर सके। साथ ही प्रच्छन्न बेरोजगारी को कृषि आधारित व अन्य उद्योगों में खपाने के लिए इसका विस्तार करना होगा। अतः संभाग में चयनात्मक यन्त्रीकरण की नीति को अपनाना उचित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्र, डॉ० जय प्रकाश, कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स: आगरा।

2. आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर
3. वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, छ०ग० शासन, कृषि विभाग, रायपुर
4. छत्तीसगढ़ कृषक सहयोगी पुस्तिका, कृषि वातावरणीय विभाग-7 एवं 8, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षक एवं परीक्षण संस्थान, ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म०प्र०)
5. <http://cg.nic.in/revenue/Table Of Agriculture Statistics> 2013-14

सारणी क्रमांक -01

बिलासपुर संभाग में कृषि अभियांत्रिकी भौतिक प्रगति-

इकाई-संख्या

वर्ष	ट्रेक्टर	पौध संरक्षण यंत्र	हल लकड़ी	हल लोहे	गाड़ी	तेल इंजन	बिजली पम्प
2009-10	11484	15963	397450	7383	131944	8120	17985
2011-12	13331	21218	394553	8659	126146	7960	20321
2012-13	14389	28855	380165	9857	86069	10482	21046
2013-14	15832	24841	365339	10317	100207	10664	21901
2014-15	17661	22158	342296	11717	97422	9798	22252

स्रोत-आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

सारणी क्रमांक-02

बिलासपुर संभाग में उन्नत कृषि यंत्र वितरण की स्थिति

इकाई- संख्या

उन्नत कृषि यंत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2012-13	2013-14	2014-15	योग
ट्रेक्टर	103	100	83	297	29	0	612
स्वचालित रीपर	215	73	11	623	624	307	1853
अन्य शक्ति चालित यंत्र थ्रेसर आदि	41	51	23	250	188	135	688
जीरो टिलेज सीख डील	11	1	1	49	63	18	143
पावर टिलर	95	156	220	308	366	206	1351
कल्टीवेटर	107	96	107	416	347	162	1235
मोल्ड बोल्ड प्लाउ	49	91	61	285	217	139	842
केज व्हील/डिस्क हैरो	39	27	36	115	144	86	447
लेवलर/ट्रेसर ब्लेड	77	52	76	174	147	125	651
रोटा वेटर	9	1	33	94	122	102	361

‘महिला सफाई कामगारों में सामाजिक प्रावैगिकता का अध्ययन’ (धार जिले की कुक्षी तहसील के सन्दर्भ में)

डॉ. प्रकाशचंद्र रांका * विजय यादव **

शोध सारांश – प्राचीन काल से ही इस में अनुसूचित सामाजिक वर्ग को सबसे निम्न पेशे मानवीय मूल को अपने सिर पर रख कर ढोने वाली महिला सफाई कामगारों के वर्ग जिसका सदस्यो से शोषण होता रहा और जिसका सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक विकास अवरुद्ध कर दिया गया और जिसके कारण समाज का यह एक बड़ा वर्ग अन्यवर्ग से पिछड़ गया। आजादी के बाद सार्थक प्रयास आरंभ हुए। इसी कड़ी में भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान कर सामाजिक व शैक्षणिक विकास के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई, जिससे इन पिछड़ी जाति को संरक्षण व अपने समाज की गतिशीलता प्रदान हो। इसी क्रम में शासन ने सफाई कामगारों को अमानवीय कार्य से मुक्त करने के लिए योजना बनाई जिससे अस्वच्छ धंधो, सफाई कामगारों के कार्य को छुड़वा कर नवीन वैकल्पिक रोजगार अपनाने में अनुदान व ऋण उपलब्ध करा कर अच्छे व्यवसाय करने के लिए प्रेरित कर एक राष्ट्रीय योजना बनाई जिसे 1992 से आरंभ किया गया जिसे अपना कर महिला सफाई कामगार वर्ग अच्छा व्यवसाय कर सके और अपना सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास कर सके। स्वयं सफाई कामगारों को परम्परागत व्यवस्था से मुक्त कर स्वयं को प्रयास करना होगा और संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से मिली आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठा कर अपना विकास कर अपनी सामाजिक प्रावैगिकता को तीव्र करना होगा। तभी सफाई कामगारों के परिवारों का सही आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सकेगा।

प्रस्तावना – अस्पृश्यता का भयावह रूप जिस प्रकार हमारे देश में दिखाई देता है। वैसा शायद ही विश्व के अन्य देशों में दिखाई देता हो। वर्ग अवरुद्ध अपने मूल रूप में समाज की तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार बनाई गई। इस का आधार जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर था लेकिन कालान्तर में मूल भावना नष्ट हो गई और रूढ़ियों की लीक पर चलते हुए भेदभाव बढ़ता गया तथा जातियाँ और उपजातियाँ बनती चली गई। इसके विरुद्ध, एक विदेशी इतिहासकार (स्टेनले राइस) के अनुसार अस्पृश्य वे आदिम जातियाँ हैं, जिन्हें द्रविड़ों ने पराजित किया था और बाद में एक बहुत ही नीचा दर्जा देकर हिन्दू समाज का अंग बनाया एक अस्पृश्य जाति की महिलाओं के संदर्भ में ही है। अस्पृश्यों के संबंध में हमारी मानसिकता आज भी परम्परागत रूप लिए हुए है। आज भी इन लोगों को हीन भावना से देखना सामाजिक रूप से अघोषित बहिष्कार, छुआछूत, आदि परम्परागत शैली में ही विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध प्रबंध मूलतः अस्पृश्य वर्ग के अन्तर्गत मेहतर समाज की सफाई कामगारों महिलाओं से संबंधित हैं। महिलाओं की स्थिति प्राचीनकाल से ही पुरुषों से निम्न रही है। इन्हीं महिलाओं में शुद्ध वर्ग की महिलाओं को प्राचीन समय से ही अपमान तिरस्कार, अत्याचार एवं शोषण का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत अध्ययन महिला सफाई कामगारों पर केन्द्रित हैं।

साहित्य समीक्षा – डॉ. किरण शर्मा के शब्दों में (2007) ‘महिलाओं के सामाजिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मुख्य महिला विकास के सन्दर्भ में अध्ययन’ सामाजिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका प्रारंभ से ही अत्यन्त महत्वपूर्ण और उपयोगी है। भले ही पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने महिलाओं के इस योगदान को स्वीकार नहीं किया है। पुरुषों ने महिलाओं को अपना अनुगामीनी बनाए रखा। उन्नीसवीं शताब्दी के बाद भारतीय समाज

में कुछ समाज सुधारकों द्वारा उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने तथा स्वयं महिलाओं के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन आने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार हुआ।

श्रीमती अंजरा एजाज (2003) ‘महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी संरक्षण’ किसी भी समाज में मानवाधिकार का निर्विवाद महत्व है। मानव के अधिकार स्वीकृत सिद्धांत है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पुरुष प्रधान समाज में इस शब्द का एकमात्र अर्थ पुरुष का अधिकार है। आधुनिक समाज व्यवस्था में अनेक सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया है। जिससे महिलाओं के प्रति घर या घर के बाहर उत्पीड़न एक गंभीर सामाजिक समस्या बनती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में महिलाओं का दायरा बढ़ा है। महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं तथा स्त्री एवं पुरुषों के बीच भेदभाव समाप्त किया गया है।

अध्ययन विधि – अध्ययन को सुव्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन के पूर्व क्रमबद्ध रूप रेखा तैयार कर लेना चाहिए। प्रस्तुत शोध करने के लिए प्राथमिक संमको का उपयोग किया गया है। प्रश्नावली के माध्यम से शोध क्षेत्र कुक्षी तहसील की 50 महिला सफाई कामगारों का चयन किया गया है। चयनित 50 महिलाओं का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार लेकर संमको का संकलन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. महिला सफाई कामगारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का आंकलन करना।
2. महिला सफाई कामगारों में सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने

* विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

वाली प्रक्रिया का अध्ययन करना।

3. महिला सफाई कामगारों की प्रमुख समस्याओं का पता लगाकर उचित सुझाव प्रस्तुत करना।

तालिका क्रमांक 01

सफाई कर्मी महिलाओं की आयु

क्रं.	उम्र	संख्या	प्रतिशत
1	18-25	3	6%
2	26-30	5	10%
3	31-35	9	18%
4	36-40	12	24%
5	41-45	11	22%
6	46-50	6	12%
7	51 से अधिक	4	8%
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में 6 प्रतिशत महिलाएँ 18-25 वर्ष की उम्र की हैं। 10 प्रतिशत महिलाएँ 26-30 वर्ष की हैं। 18 प्रतिशत महिलाएँ 31-35 वर्ष की हैं। 24 प्रतिशत महिलाएँ 36-40 वर्ष की हैं। 22 प्रतिशत महिलाएँ 41-45 वर्ष की हैं। 12 प्रतिशत महिलाएँ 46-50 वर्ष की हैं। 8 प्रतिशत महिलाएँ 51 वर्ष से अधिक हैं सर्वाधिक 24 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएँ 36-40 वर्ष की हैं, जबकि न्यूनतम 6 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएँ 18-25 वर्ष की हैं।

तालिका क्रमांक 02

सफाई कर्मी महिलाओं के परिवार की प्रकृति

क्रं.	प्रकृति	संख्या	प्रतिशत
1	संयुक्त	28	56%
2	एकाकी	22	44%
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में 56 प्रतिशत महिलाएँ संयुक्त परिवार एवं 44 प्रतिशत महिलाएँ एकाकी में परिवार रहती हैं। इस प्रकार सर्वाधिक महिला सफाई कामगार आज भी संयुक्त परिवार के साथ रहती हैं।

तालिका क्रमांक 03

सफाई कर्मी महिलाओं की वैवाहिक स्थिति

क्रं.	स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	36	72%
2	अविवाहित	9	18%
3	विधवा	2	4%
4	तलाकशुदा	3	6%
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में 72 महिलाएँ विवाहित 18 महिलाएँ अविवाहित विधवा 4% एवं 6% महिलाएँ तलाकशुदा हैं। सर्वाधिक 72% विवाहित जबकि सबसे कम 4% विधवा महिलाएँ हैं।

तालिका क्रमांक 04

पारिवारिक निर्णय जिनमें महिलाओं की सलाह ली जाती है।

क्रं.	निर्णय	संख्या	प्रतिशत
1	घरेलू कामकाज	15	30%
2	आर्थिक व्यवस्था	7	14%
3	सामाजिक व्यवहार	19	38%
4	बच्चों की शिक्षा	5	10%

5	उपरोक्त सभी	4	8%
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में 30 प्रतिशत महिलाएँ से घरेलू कामकाज के विषय पर सलाह ली जाती है। 14 प्रतिशत महिलाएँ से आर्थिक व्यवस्था के विषय पर सलाह ली जाती है। 38 प्रतिशत महिलाएँ से सामाजिक व्यवहार संबंधी तथा 10 प्रतिशत महिलाओं से उनके बच्चों की शिक्षा के विषय पर सलाह ली जाती है। 8 प्रतिशत महिलाएँ उपरोक्त सभी पर निर्णय लेती हैं। सर्वाधिक उत्तरदाता 38 प्रतिशत से सामाजिक व्यवहार जैसे निर्णय पर सलाह ली जाती है।

तालिका क्रमांक 05

महिला सफाई कामगारों की दृष्टि में दहेज प्रथा रहने की स्थिति

क्रं.	स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	3	6%
2	नहीं	38	76%
3	तटस्थ	9	18%
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में 6 प्रतिशत महिलाएँ के अनुसार समाज में दहेज प्रथा रहनी चाहिए। 76 प्रतिशत महिलाएँ ने कहा नहीं एवं 18 प्रतिशत महिलाओं ने इस संबंध में अपनी तटस्थता व्यक्त की है। सर्वाधिक 76 प्रतिशत महिला ने समाज में दहेज प्रथा का विरोध किया।

तालिका क्रमांक 06

महिला सफाई कामगारों के परिवार की मुख्य समस्या

क्रं.	समस्या	संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षा	8	16%
2	गरीबी	16	32%
3	कर्ज	4	8%
4	निवास स्थान	6	12%
5	रोजगारी	9	18%
6	मद्यपान	5	10%
7	विशाल रिश्तेदारी	2	4%
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में 16 प्रतिशत महिलाएँ में अशिक्षा की समस्या हैं। 32 प्रतिशत महिलाएँ में गरीबी की समस्या है तथा 8 प्रतिशत महिलाएँ कर्ज की समस्या से ग्रस्त हैं। 12 प्रतिशत महिलाएँ में निवास स्थान की समस्या हैं तथा 18 प्रतिशत महिलाएँ बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हैं। 10 प्रतिशत महिलाएँ मद्यपान की समस्या तथा 4 प्रतिशत महिलाएँ विशाल रिश्तेदारी की समस्या से ग्रस्त हैं। सर्वाधिक 32 प्रतिशत महिलाओं में गरीबी की समस्या प्रमुख है। जबकि सबसे कम 4 प्रतिशत में विशाल रिश्तेदारी हैं।

तालिका क्रमांक 07

महिला सफाई कामगारों द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकार की जानकारी होने की स्थिति

क्रं.	स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	15	30%
2	नहीं	12	24%
3	कुछ-कुछ	23	46%
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका में 30 प्रतिशत महिलाएँ कानूनी अधिकार को जानती हैं तथा 24 प्रतिशत महिलाएँ कानूनी अधिकारों के संबंध में अज्ञानी हैं। 16 प्रतिशत

महिलाएँ कानूनी अधिकारों के संबंध में कुछ-कुछ ही जानती हैं। सर्वाधिक 46 प्रतिशत महिलाएँ कानूनी अधिकारों कुछ-कुछ जानती हैं। जबकि 24 प्रतिशत महिलाएँ कानूनी अधिकारों को नहीं जानती हैं।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समाज की महिलाएँ सफाई कार्य करके अपने परिवार का पालन-पोषण करती हैं। अध्ययन में सम्मिलित सफाईकर्मी महिलाएँ न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 51 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। स्पष्ट है सफाईकर्मी में सब वयस्क महिलाएँ ही संलग्न हैं। अधिकांश सुचनादाता सफाईकर्मी महिलाएँ आज भी संयुक्त परिवार में निवास करती हैं। पारिवारिक निर्णयों में सामान्य घरेलू काम काज, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार, बच्चों की शिक्षा आदि कुछ-कुछ विषय पर ही महिलाओं की सलाह को सम्मिलित किया जाता है। दहेज प्रथा संबंधी प्रश्न पर महिलाओं की सोच अत्यन्त सकारात्मक है। 76 प्रतिशत महिलाओं ने दहेज को समाज के लिए हानि कारक बताया है। महिला सफाई कामगार न्यूनतम आय अर्जित करती हैं। इतनी कम आय से इनके परिवार का पालन-पोषण भी सही रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए महिलाएँ जहाँ भी शीघ्र एवं समय पर प्राप्त हो जाता है, वहीं से कर्ज लेती हैं जिसके बदले में साहुकार ब्याज वसूलता है। कम शिक्षित होने के कारण इन महिलाओं का सर्वत्र शोषण होता आ रहा है।

अन्तिम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सफाईकर्मी महिलाओं का जीवन स्तर अत्यन्त निम्न अवस्था में है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से ये महिलाएँ आज भी सवर्णों की नियोग्यताएँ झेल रही हैं। कानूनी रूप से

छुआछूत एवं अस्पृश्यता को अपराध माना गया है। किन्तु इन कानूनों का पालन आज भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है।

सुझाव -

1. समाज की महिला सफाई कामगारों को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।
2. परिवार निर्णयों में महिलाओं की सलाह को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3. महिला सफाई कामगारों को आरक्षण एवं उनके कानूनी अधिकारों से भी परिचित कराया जाना चाहिए।
4. सफाईकर्मी महिलाओं के वेतन में वृद्धि की जाना चाहिए। इतने कम वेतन में परिवार का पालन-पोषण करना कठिन हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **संजीव खुदशाह (2005)** 'सफाई कामगार समुदाय' राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड जी-17 जगतपुरी, दिल्ली-110051 ISBN: 81-8361-022-6
2. **डॉ. किरण शर्मा (2007)** 'सामाजिक सयोग' शोध प्रबंध अभिषद, श्रीकृष्ण शिक्षण संस्थान, उज्जैन (म.प्र.) RNI No. 58703/91
3. **श्रीमती अंजरा सजाज (2003)** 'महिला उत्पीडन के खिलाफ कानूनी संरक्षण' संपादकीय कार्यालय 538, योजना भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली - 11001, ISSN-0971-8397

शहडोल जिले में फसलों का वर्गीकरण – एक अध्ययन

राजेश कुमार अहिरवार *

प्रस्तावना – शहडोल जिले में दो प्रमुख फसली मौसम होते हैं खरीफ और रबी। इसे जिले में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है – खरीफ और जैद खरीफ तथा रबी और जैद रबी और खरीफ का मौसम मई से जानवरी तक होता है। रबी और जैद रबी का मौसम अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक माना जाता है। इसके अतिरिक्त शहडोल जिले में जायद की फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। स्पष्ट है कि खरीफ एवं रबी की कुछ फसलें कुछ सीमा तक साथ साथ चलती हैं। इस प्रकार शहडोल जिले के फसलों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार के हैं।

- अ – मौसम के आधार पर
- ब – उपयोग के आधार पर

1. खरीफ की फसलें
2. रबी की फसलें
3. जायद की फसलें

1. **खरीफ की फसलें** – जिले में ये फसलें 15 जून से बोवाई प्रारम्भ किया जाता है तथा अक्टूबर माह तक काट लिया जाता है, जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 184.68 हजार हेक्टेयर भूमि पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। जिसमें जिले के कुल जनसंख्या के कुल कार्यशील जनसंख्या के 60 प्रतिशत लोग फसलों का उत्पादन कार्य करते हैं, शहडोल जिले में खरीफ के निम्नलिखित फसलों का उत्पादन किया जाता है।

शहडोल जिले में खरीफ फसलों का उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित है-

तालिका

फसलों का नाम	रकबा हजार हेक्टेयर में	उत्पादन किलोग्राम/हेक्टेयर
धान	118.00	3012
मक्का	11.70	1708
ज्वार	1.60	1440
कोदो	10.20	8020
उड़द	11.70	596
मूंग	0.60	375
अरहर	13.45	880
कुत्थी	0.10	250
तिल	8.20	400
रामतिल	0.60	350
मूँगफली	0.18	1100
सोयाबीन	14.00	1460

स्रोत- उप संचालक कृषि किसान कल्याण विभाग शहडोल 2012-13

2. **रबी की फसलें** – शहडोल जिले में रबी मौसम के साथ साथ में फसलें

जिले में अक्टूबर माह से दिसम्बर माह तक बोयी जाती हैं, एवं फरवरी माह तक काट लिया जाता है। इस मौसम में जिले के 66.77 हजार हेक्टेयर भूमि पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। जिसमें 94.19 हजार तक उत्पादन किया जाता है। जिले में रबी के प्रमुख फसलें निम्न लिखित हैं।

शहडोल जिले में रबी फसलों का क्षेत्र उत्पादन

तालिका

फसल का नाम	रकबा हजार हेक्टेयर में	उत्पादन किलोग्राम
गेहूँ	44.00	1850
जौ	0.70	950
चना	7.15	630
मटर	1.00	490
मसूर	2.70	485
सरसों	6.20	580
अलसी	5.00	430
गन्ना	0.02	3500
आलू	0.50	1300

स्रोत- कृषि उपसंचालक कृषि विकास किसान कल्याण विभाग शहडोल (ग्राफ देखे आगे पृष्ठ पर)

3. **जायद की फसलें** – जिले में कुछ फसलें जायद का भी उत्पादन किया जाता है, जो मार्च से जून के मध्य कुछ स्थानों पर एक अन्य फसल जायद की फसल बोई जाती है। इसमें से मुख्य रूप से जिले में तरबूज, ककड़ी, बरबटी, मूंग, भिण्डी, करेला, खरबूजा, लौकी, कददू। इसके अतिरिक्त कुछ फसलें बारह मासी भी हैं जैसे – केला, नारियल, एवं पपीता की फसलों का उत्पादन भी किया जाता है।

ब. उपयोग के आधार पर

1. खाद्य फसलें

2. नकदी या व्यापारिक फसलें

1. **खाद्य फसलें** – ऐसी फसलें जिसका उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता है, खाद्य फसलें कही जाती हैं। इसमें मुख्यतः चावल, गेहूँ, दाल, बाजरा, मक्का प्रमुख हैं। जिले में खाद्य फसलें कुल कृषि क्षेत्र के तीन चौथाई भाग पर उत्पादन किया जाता है।

अ. **धान तथा गेहूँ** – जिले की सबसे प्रमुख खाद्य फसल धान है यह खरीफ की मौसम में बोई जाती है, जिले के लगभग 44 प्रतिशत अंश धान का होता है और सम्पूर्ण खाद्यान के करीब 42 प्रतिशत भाग पर धान की कृषि की जाती है जिले के सभी तहसीलों एवं विकास खण्डों में चावल का उत्पादन किया जाता है। जिले में वर्ष 2011 में 458.58 हजार मैटिक टन

था जो वर्ष 2012 में 689.25 मैटिक टन एवं 2013 में 768.25 हजार मैटिक टन रहा। जिले में दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूँ की है जो वर्ष 2011 में 56.05 हजार टन 2012 - 81.40 हजार मैटिक टन व 2013 में 81.40 हजार टन रहा है।

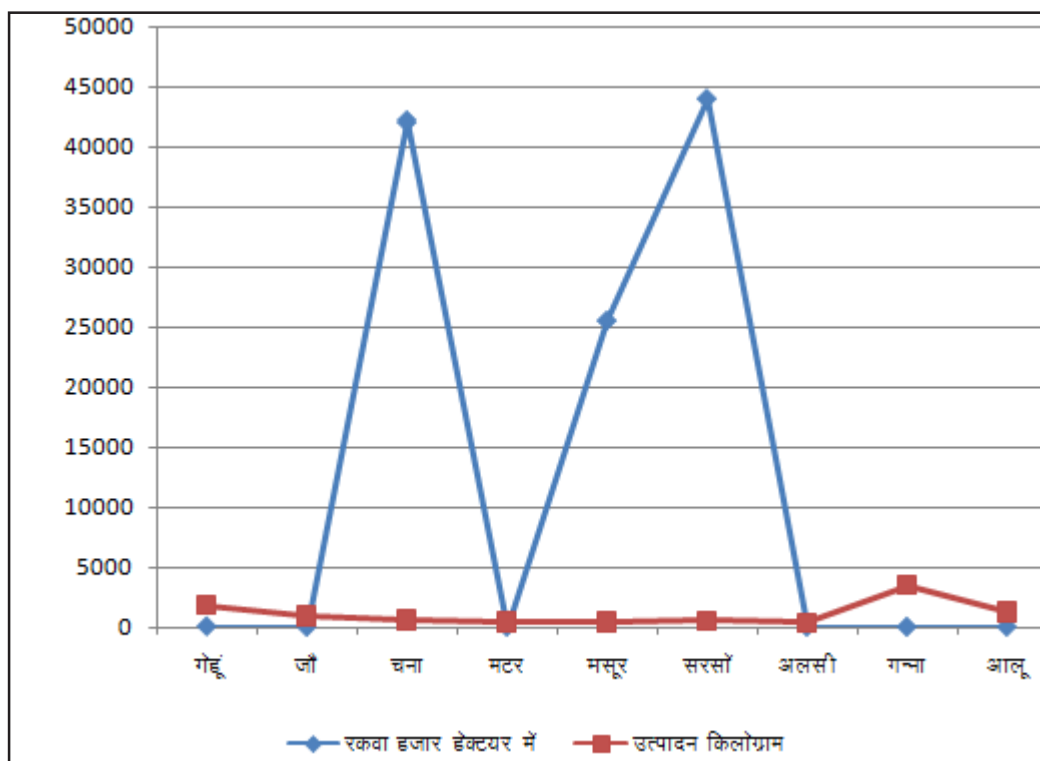
ब. मोटे अनाज - जिले में इसके अलावा मक्का ज्वार हैं, जो वर्ष कि हैं जो 2001 में इसका उत्पादन 27 प्रतिशत था जो अब घटकर वर्ष 2011 में 18 प्रतिशत रह गया है, परन्तु इसके किस्मों में सुधार हुआ है।

स. दालें - जिले में खाद्यान फसलों में चावल गेहूँ के बाद दालों का महत्वपूर्ण स्थान है दालों में चना, मटर, अरहर, मूँगफली, उड़द, मसूर, राजमा आदि। अधिकांश उत्पादन जिले में रबी के मौसम में होता है जिले में दालों के उत्पादन में चना, अरहर, एवं उड़द प्रमुख हैं।

3. नकदी या व्यापारिक फसलें - जिले में नकदी फसलों का उत्पादन भी किया जाता है जिसमें जूट, तिलहन, सरसों, राई, अलसी की फसलें, अदरक, हल्दी, नीबू, आम, पपीता, व मादक औषधि कर फसलों का उत्पादन भी जिले के किसानों द्वारा किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृषि अर्थशास्त्र- पी.के गुप्ता कृषि बृन्दा पब्लिकेशन प्रा. आगरा।
2. कल्याण एवं कृषि अनुसंधान विभाग शहडोल।
3. कृषि अर्थव्यवस्था- प्रो. विजेन्द्र पाल।
4. शहडोल जिले का भूगोल वि.मि. मिश्रा।
5. शोधार्थी का निजी सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार।



मध्यप्रदेश में जनजातीय समाज की विशेषताओं का विश्लेषण

डॉ. प्रकाशचंद्र रांका * हिरालाल खर्ते **

शोध सांराश - भारत में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजी शासकों द्वारा भारतीय समाज के कुछ विशेष समूहों को जनजातीय रूप में वर्गीकृत करने की परम्परा प्रारम्भ की गयी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समूहों के लिए एक से ज्यादा लोकप्रिय सम्बोधन शब्द प्रचलित रहे हैं, आदिवासी, वन्यजाति, पर्वतवासी, वनवासी एवं आदिम जाति। स्वतंत्र भारत के संविधान में वर्णित जनजाति सूची का आधार वही है जिसे विदेशी शासको ने तैयार किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार, जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 (खण्ड-1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गये हैं। अनुच्छेद 342 (खण्ड-1) में लिखा है, 'राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजाति-समुदायों या जनजाति-समुदाय के भीतर समूहों की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जो जनजातियों, जनजाति-समुदाय या जनजातियों के भीतरी समूह परिभाषित किये जायेंगे, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे।'

जनजाति का अर्थ सामान्यतया ऐसे लोगों से है, जो किसी निश्चित भू-भाग पर निवास करते हैं तथा विकास की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए होते हैं। इनका निवास स्थान सामान्यतया पहाड़ी या पठारी क्षेत्र होते हैं। इनके अपने ऐसे रीति-रिवाज होते हैं, जो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से काफी भिन्न होते हैं। इसे हम ऐसा क्षेत्रीय समूह कह सकते हैं, जो सामान्य भाषा, सामाजिक नियमों एवं आर्थिक कार्यों इत्यादि में समानता के आधार पर एक सूत्र में बँधा हुआ है। इसी प्रकार जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो किसी निश्चित भू-भाग (सामान्यतः जंगल या पहाड़) पर निवास करते हैं, जिनकी अपनी एक संस्कृति होती है।

प्रस्तावना - भारत का हृदय कहलाने वाले मध्यप्रदेश में जनजाति समूह प्रमुखता से निवास करते हैं, जिसमें लगभग 46 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। जनजातीय समाज की अत्यन्त बुनियादी आर्थिक आवश्यकताएँ आज के विकसित समाज के लिए चुनौती हैं, जो उपभोक्ता संस्कृति एवं मीडिया संस्कृति से कोसों दूर हैं, प्रकृति की गोद में अमन-चैन की जिन्दगी बिता रहा है एवं उनको क्रमशः विकास करना है। प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़ना है किन्तु प्रदेश की मुख्य धारा से वह जुड़ना नहीं चाहता प्रकृति का यह पुत्र विकास से दूर भागता है। उसे बंधन नहीं चाहिए। दया की भीख या सहायता नहीं चाहिए। इसलिए जनजातियों का समूचा जीवन संस्कृति, समाज और क्रियाविधियों की वजह से निरन्तर दिलचस्पी और अध्ययन का विषय बना हुआ है। वे सभ्य दुनिया की चकाचौंध से दूर अब भी पहाड़ों और जंगलों को अपना निवास बनाए हुए हैं। यही दिलचस्प जनजातियों की विशेषताओं की द्योतक है। प्रकृति से यह रिश्ता उनकी समूची दिनचर्या, तमाम रीति-रिवाजों में प्रमुखता से व्यक्त होता है। जनजातियों का रहन-सहन, उनका नृत्य संगीत, सामाजिक व्यवस्था और उनकी संस्कृति, यह सभी विलक्षण और आकर्षित करने वाले हैं। धरती, पेड़, पर्वत, नदी, झरने और पशु-पक्षियों से जीवन का सम्बन्ध स्थापित कर अपना सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी दुनिया प्रायः विखण्डित दुनिया नहीं है और यदि वह है भी तो आज की शहरी मानसिकता से एकदम भिन्न है। आर्थिक विकास के साहित्य में जनजाति समाज को अक्सर 'गरीब' कह दिया जाता है। 'गरीबी' एक नितांत भिन्न अवधारणा है और साधारणतः जनजाति

परिदृश्य से उसका कोई सरोकार नहीं है। परन्तु जो जनजाति समाज अभी भी दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ नैसर्गिक संसाधन इतने अधिक समृद्ध हैं कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताएँ आसानी से पूरी हो जाती हैं, उन्हें हम गरीब कैसे कह सकते हैं। उनकी आवश्यकताएँ सीमित और विपुल संसाधनों की उपलब्धता है। अबुझमाडिया (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति) लगभग बिना कपड़ों के ही रहते हैं। परन्तु कम कपड़े पहनना गरीबी का द्योतक नहीं है। अपितु वह उनकी नैसर्गिक स्थिति में जीवन-यापन का तौर-तरीका मात्र है। यहीं उनकी अपनी एक विशेषता है।

जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा - भारत के पर्वतीय एवं वन्य क्षेत्र में अनेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं, जो कि मानव सभ्यता के विकास की दृष्टि से प्रारम्भिक सोपानों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इन्हें आदिवासी, आदिमवासी कबीली आबादी एवं जनजाति अंग्रेजी भाषा एवरीजन, नैटिव एवं ट्राइबल्स के पर्याय हैं। भारतीय संविधान में आने के बाद अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रचलन बढ़ा है। यह भारतीय संविधान में स्वीकृत शब्द है। अनुसूचित जनजातियों में कई बार वनवासी शब्द का भी प्रयोग मिल जाता है। आदिवासी या जनजाति शब्द की समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय व्याख्या अनेक विद्वानों ने की है।

जनजाति को परिभाषित करते हुए **गिलिन** एवं **गिलिन** लिखते हैं, "स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को, जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता है। एक सामान्य भाषा बोलता है और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है। एक जनजाति कहते हैं।"

* विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया के अनुसार 'जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का एक संकलन है, जो समान बोली बोलते हैं, एक ही भूखण्ड पर अधिकार करने का दावा करते हैं अथवा दखल रखते हैं तथा जो साधारणतया अन्तर्विवाही न हों यद्यपि मूल रूप में चाहे वैसे रह रहे हों।'

रॉल्फ लिंटन लिखते हैं सरलतम रूप में 'जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है, जिसका एक सांख्यिक्य वाले भूखण्ड अथवा भूखंडों पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन समानता, निरन्तर सम्पर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हों।'

डी.एन. मजूमदार लिखते हैं कि 'जनजाति क्षेत्रीय सम्बन्ध युक्त तथा अंतर्विवाही सामाजिक समूह है, जिसके कार्यों में कोई विशेषज्ञता नहीं होती, जो जनजातीय अधिकारियों द्वारा शासित, वंशानुक्रम अथवा अन्य बोली से जुड़े हुए अन्य जनजातियों अथवा जातियों से सामाजिक दूरी को मान्यता देने वाले अपने प्रति किसी प्रकार की सामाजिक असमानताओं को नहीं जोड़ते जैसा कि जाति संरचना में होता है, जो जनजातीय परम्पराओं में विश्वास रखते हैं तथा प्रथाओं का पालन करते हैं, विदेशी स्रोतों के विचारों के प्राकृतिकीकरण में अनुदारता तथा सबसे अधिक सजातीयता और क्षेत्रीय अखण्डता में विश्वास करते हैं।

जनजाति की विशेषताएँ -

सामान्य भू-भाग - एक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में ही निवास करती है। इसके परिणामस्वरूप उसका भू-भाग से लगाव हो जाता है एवं उसमें इन सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भू-भाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएँ विकसित हो जाती हैं किन्तु डॉ. रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भू-भाग को आवश्यक नहीं मानते।

सामान्य भाषा - एक जनजाति के लोग अपने विचारों को आदान-प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करते हैं, किन्तु सभ्यता के संपर्क के कारण कई जनजातियाँ द्विभाषी हो गयी हैं।

विस्तृत आकार - एक जनजाति कई परिवारों का संकलन होती है। इसमें कई वंश समूह एवं गौत्र तथा भ्रातृदल होते हैं। यही कारण है कि इसकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समूहों से अधिक होती है।

अन्तर्विवाही - एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं।

एक नाम - प्रत्येक जनजाति का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है और उसके सदस्य अपना परिचय देते हैं।

सामान्य संस्कृति - एक जनजाति के सभी सदस्य एक सामान्य संस्कृति का पालन करते हैं। उनके रीति-रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान-पान, भाषा, रहन-सहन, विचारों, विश्वासों, मूल्यों आदि में समानता पाई जाती है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता - एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरी कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल-फूल एकत्रित करने, पशु-चारण, कृति एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं। यद्यपि कभी-कभी यह अपने पड़ोसी समाजों से भी विनिमय करती है।

राजनीतिक संगठन - एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। इनमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है, जो परम्पराओं

का पालन कराने, नियन्त्रण बनाए रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है। कहीं-कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद् भी पायी जाती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है।

सामान्य निषेध - एक जनजाति खान-पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से सम्बन्धित समान निषेधों का पालन करती है।

धर्म - प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म भी होता है। इनके धर्म में प्रकृति पूजा, आत्मवाद, जाति, सत्तावाद और मानववाद की प्रधानता होती है। ये लोग अनेक अवसरों पर कई जादुई क्रिया भी करते हैं।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि इस धरती पर जैसे-जैसे मानव जीवन का विकास क्रम बढ़ता गया सभ्यता का विकास भी उसी गति से होता रहा। धार्मिक विकास के साथ-साथ मानवीय विकास उत्तरोत्तर होता रहा और इसी विकास क्रम में धीरे-धीरे सभ्यता का आधुनिक स्वरूप समाहित होता रहा। इसके साथ ही मानवीय दिनचर्या और आधुनिक सुविधापूर्ण होती चली गई। पगडंडियों के स्थान पर सड़कों का निर्माण होने लगा। जिससे गाँव का सम्पर्क शहरो से जुड़ने लगा। यातायात के साधन एवं अनेक दैनिक जरूरत की वस्तुओं की उपलब्धता आसानी से होने लगी। इसी श्रेणी में मध्यप्रदेश भारत का हृदय कहलाने वाले प्रदेश में जनजातियों का एक बड़ा समूह प्रमुखता से निवास करते हैं। कुछ जनजाति वर्ग के लोग आज के विकास के दौर में भी आदिम जाति या वनवासी की तरह अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आदि सभ्यता से बेहतर लगाव है। वर्तमान वैज्ञानिक क्रांति में आज सारा विश्व आधुनिकता के दौर से गुजर रहा है। किन्तु हमारे देश और मध्यप्रदेश के जनजातीय समाज आज भी वैज्ञानिक उपलब्धियों से अपनी सभ्यता को खतरा एवं इन्हें पतन का कारण मानते हुए नवीन सुविधा-साधनों का उपयोग करने से कतराते हैं। उन्हें उनका जंगल, घास-फूस की झोपड़ी, जंगली कंद-मूल और जड़ी-बूटियाँ तथा प्राकृतिक रहन-सहन अत्यधिक पसंद है। आधुनिक युग में शिक्षा के विकास क्रम में शिक्षित होकर जनजातीय समाज में शहरों की और आकर्षिकता बढ़ी है, वे शिक्षित नौकरी, रोजगार एवं अन्य सुविधाओं के कारण शहरों में आकर बसे किन्तु वे अपनी संस्कृति को नहीं भूले। वे आज भी त्यौहार, विवाह, धार्मिक कार्य आदि में शामिल होकर अपनी विशेषताओं को जीवित रखे हुये हैं, क्योंकि जनजातियों समाज को अपनी पुरातन संस्कृति एवं विशेषताओं से बहुत लगाव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **महाजन संजीव (2012)**, 'भारत में समाजशास्त्र' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस 4831/24, प्रहलाद गली, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली - 110002, ISBN : 978-81-8330-359-0
2. **कुमारी कृष्णा (2012)**, 'अनुसूचित जनजाति एवं महिला उत्पीड़न' सुमित एन्टरप्राइजेज 4649/21, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली - 110002, ISBN : 978-81-8420-317-2,
3. **हसनैन नदीय (2001)**, 'जनजातीय भारत' रवि मजूमदार, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली - 110016, ISBN : 81-7361-035-5
4. **तिवारी शिवकुमारन, शर्मा श्रीकमल (2009)**, 'मध्यप्रदेश की जनजातियाँ एवं समाज व्यवस्था' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा, भोपाल; म.प्र.; - 462003

सामाजिक न्याय और म.प्र. सरकार की विभिन्न योजनाएँ

डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह *

प्रस्तावना – सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य की संस्वीकृति है। यह समाज को निष्पक्ष रूप से व्यवस्थित करता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श है कि जन कल्याण के कार्यों को सुरक्षा एवं संरक्षण द्वारा प्रभावी ढंग से निरंतर बढ़ाया जाए। उत्तम सामाजिक व्यवस्था वही होती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाओं से प्रकट हो। राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदत्त कराने एवं मानवाधिकारों की सुरक्षा में सामर्थ्य हो राज्य की यह सामर्थता व्यवस्थापिका या अन्य किसी संस्था द्वारा अपने नागरिकों के जीवन मापन के उचित साधकों की रक्षा करने के संबंध में समुदाय की सामग्री स्रोतों की निष्ठापूर्वक एवं उचित वितरण करने से संबंध है इसके लिए राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को वैधानिक एवं सार्वजनिक अवसरों की समानता, स्वास्थ्य और श्रम शक्ति का दुरुपयोग न होने देना, बालको, महिलाओं और युवाओं के उत्पीड़न को रोकना और सबसे अधिक शक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना वांछित है।

भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान कराने हेतु आवश्यक मूल अधिकारों का निश्चयन किया गया है जो दूसरे अर्थों में मानवीय अधिकारों के अनुरूप ही कहे जा सकते हैं। वर्तमान समय में भारत में सामाजिक न्याय की प्राप्ति और व्यक्ति के मानवीय अधिकारों की रक्षा की स्थिति क्या है? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

सामाजिक न्याय से तात्पर्य है – 'समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं तथा भोजन, वस्त्र एवं मकान की पूर्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को विकास का उचित अवसर मिले। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोका जाए तथा आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो।'¹

सामाजिक न्याय इस आदर्श पर आधारित है कि समाज में सभी मनुष्य सम्प्रदाय, रंग, लिंग, जाति, कुल या धर्म के भेदभाव के बिना समान हैं। यह अवधारणा स्वतंत्रता, समानता, और सुरक्षा के स्तम्भों पर टिकी हुई है वास्तव में सामाजिक न्याय की व्याख्या सम्यक रूप से उपलब्ध नहीं है।²

सामाजिक न्याय आज विश्व का अत्यंत लोकप्रिय एवं जनमानस के चिन्तन का विषय बना हुआ है। भारतीय संविधान और विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामाजिक न्याय से संबंधित उल्लेख यत्र-तत्र मिलते हैं परन्तु 'सामाजिक न्याय' क्या है और उसकी परिधि के अंतर्गत क्या-क्या क्षेत्र है उसकी सर्वमान्य परिभाषाओं का उल्लेख कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है। यहाँ तक कि विभिन्न अंग्रेजी एवं हिन्दी के विश्वकोषों में 'सामाजिक-न्याय' प्रत्यय का अर्थ परिभाषा या व्याख्या समझने का प्रयास किया गया परन्तु यह सारा निष्फल रहा।³

'सामाजिक-न्याय' एक युग्म शब्द है। यह दो विशेषणों से मिलकर बना है – सामाजिक और न्याय।⁴ सामाजिक और न्याय इन दो शब्दों की प्रकृति की सामान्य विवेचना के आधार पर 'सामाजिक न्याय' शब्द युग्म के प्रत्यय का अर्थ स्पष्ट करने हेतु पहले हम 'सामाजिक' शब्द की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं –

'सामाजिक' का सामान्य अर्थ समाज से संबंधित स्थितियों से है तथा समाज का सामान्य अर्थ मनुष्यों के विभिन्न पारस्परिक सम्बंधों की व्यवस्था के रूप में लिया जाता है। समाज की इस व्यवस्था के अन्तर्गत समाविष्ट पारस्परिक सम्बन्ध विविध प्रकार के होते हैं यथा – पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्तरणीय आदि और इनमें से प्रत्येक प्रकार के सम्बन्धों का क्षेत्र इस भांति कार्य करता है कि वह बड़ी समाज व्यवस्था के अंतर्गत स्वतः एक व्यवस्था या उपव्यवस्था निर्मित कर लेता है। इसी प्रकार समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत विभिन्न कोटि के सामाजिक सम्बंधों द्वारा निर्मित अन्तः सम्बंधी उपव्यवस्था में संघटित हो। इस दृष्टि से 'सामाजिक' शब्द का सामान्य प्रयोग सामाजिक विद्वानों में समाज व्यवस्था से संबंध रखने वाली स्थितियों के अर्थ में किया जाता है। राजनीतिक, आर्थिक, या अन्य किसी प्रकार के मानवीय संबंध को 'सामाजिक' की परिधि के बाहर रखना अतर्कसंगत है अतः समाज व्यवस्था अथवा उसकी परिधि विविध उपव्यवस्थाओं संबंधी सभी स्थितियाँ सामान्यतः 'सामाजिक' है।⁵

भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम –

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास निगम के 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2221 स्वच्छता केन्द्रों की स्थापना को पहले ही मंजूरी दे दी है। केन्द्रों की स्थापना हेतु विशेष बजट की व्यवस्था की जावेगी।
- मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को लाभ देना।
- मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति से विद्यार्थियों को लाभान्वित करना।
- अशक्त लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएँ मुहैया कराने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर आधारभूत ढांचे के विकास हेतु क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय अशक्त पुनर्वास कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में शुरू।
- राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के प्रचालन हेतु राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद स्थापित।
- समाज के कमजोर और वंचित तबकों के लाभार्थ 'संवर्ती जाए जीवन की राहें' नामक दस मिनट का एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारण किया गया।⁶

मध्यप्रदेश (राज्य) सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम – सन् 1993 में पहली बार म.प्र. सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में पहल शुरू की और

* अतिथि विद्वान (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, गुलाबगंज, जिला – विदिशा (म.प्र.) भारत

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के क्षेत्र में यहाँ एक नये युग की शुरुआत प्रारम्भ हुई और विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के गरीब, हरिजन, आदिवासियों के उत्थान एवं विकास प्रारंभ किया।

- **भूमिहीनों को भूमि** – मध्यप्रदेश सरकार ने गांवों में चरनोई भूमि का रकवा पांच प्रतिशत से घटा कर दो प्रतिशत कर दिया इस अतिरिक्त भूमि का आवंटन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमिहीनों को अभियान चलाकर करने का प्रावधान चालू किया।
- **अधिकार अभियान** – इस अभियान के जरिये अनुसूचित जाति के पट्टाधारियों को उन्हें आवंटित भूमि का कब्जा दिलाया गया।
- **ग्रीन कार्ड** – इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के उन भूमिहीन परिवारों को ग्रीन कार्ड जारी किये गये जिन्हें चरनोई भूमि के लिए आरक्षित भूमि क्रय करने के बाद अतिशेष भूमि का आवंटन किया जा रहा है कार्डधारी परिवारों को अनाज उपलब्ध करना।
- **शहरी क्षेत्रों में दुकान, आवास में आरक्षण** – इसमें गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण और नगर निगमों द्वारा विकसित/निर्मित, आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों तथा दुकानों के आवंटन में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना।
- **पूंजी और व्यवसायिक क्षेत्रों में भागीदारी** –
- दलित उत्थान के लिए दलित उद्यमियों को व्यवसायिक क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए प्रयास हों, 30 प्रतिशत की सामान खरीदी शासकीय क्षेत्रों में दलित व्यवसायियों से सुनिश्चित करना।
- **संदिग्ध दायित्व निवारण योजना** – अजा. एवं अजजा. के लोगों की साहूकारों के कर्जे से छुटकारा देना तथा गिरवी रखी जमीनों को मुक्त कराना।
- **विद्यार्थी गृह योजना** – इस दुर्लभतम योजना में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऐसे पांच या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को कमरा किराये पर लेने पर किराया दिया जाता है।
- **अस्पृश्यता निवारण के लिए अन्तर्जातीय विवाह और बछड़ा/ बेड़िया सजातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार** – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जातियों के लिए यह योजना संचालित है अस्पृश्यता निवारण और वैश्यावृत्ति जैसे सामाजिक अपराध को रोकने के लिए अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना।
- **अन्त्यावसायी विकास स्वरोजगार योजना** – अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का आर्थिक उत्थान

करना। योजना में बेरोजगारों को लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और व्यापार के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है साथ ही स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम 6000 अनुदान जो कम हो निगम द्वारा दिया जाता है।

- **प्रतिष्ठा पुनर्वास योजना** – सफाई कामगार, जो मानव मल की सफाई जैसे अमानवीय कार्य में लगे हैं उनको मुक्त कराकर उनकी रुचि के अनुसार धन्धों में प्रतिस्थापित करना। इस योजना में सफाई कामगारों को लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और व्यापार के लिए बैंकों से रुपये 50,000 तक ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 10,000 जो कम हो अनुदान और स्वीकृत ऋण का 15 प्रतिशत या अधिकतम 7,500 जो कम हो, मार्जिन मनी के रूप में रहता है।
- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार राहत** – इस योजना में अनु. जाति, अनु. जनजाति, के पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. पूरणमल – 'मानवाधिकार – सामाजिक न्याय और भारत का संविधान', प्वांटर पब्लिसर्स, जयपुर, 2003, मुद्रक दी डायमंड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर, पृष्ठ सं. 72.
2. अक्षेन्द्र नाथ सारस्वत – 'सामाजिक न्याय मानवाधिकार और पुलिस', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1998, मुद्रक तरुण आफसेट दिल्ली, पृष्ठ सं. 346.
3. अक्षेन्द्र नाथ सारस्वत – 'सामाजिक न्याय मानवाधिकार और पुलिस', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1998, मुद्रक तरुण आफसेट दिल्ली, पृष्ठ सं. 6.
4. एम.ए. अन्सारी – 'ट्राइवल्स एंड करेक्टिव जस्टिस', सबलाईम पब्लिकेशन, जयपुर, 1998, पृष्ठ सं. 2.
5. हिन्दी विश्व कोष – खण्ड 12, नगरीय प्रचारणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित, 1970, पृष्ठ सं. 38-39.
6. 'नये लक्ष्य नई पहल', विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आकल्पित एवं प्रकाशित, पृष्ठ सं. 57-59.
7. 'आगे आये लाभ उठाये', प्रकाशक एल. के. जोशी आयुक्त जनसम्पर्क भोपाल, मुद्रक, मध्यप्रदेश माध्यम भोपाल, जनसम्पर्क विभाग का प्रकाशन पृष्ठ सं. 200-221.

भारतीय संविधान में दिव्यांगों के लिए प्रावधान – एक अध्ययन

डॉ. मनीष चौधरी *

शोध सारांश – संविधान निर्माण के समय निर्मात्री सभा ने प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधान सम्मिलित किए हैं। दिव्यांगों के लिए भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्धारण हेतु शासन को विशेष अधिकार दिए गए हैं साथ ही मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार आदि में कहीं भी दिव्यांगों को अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था नहीं की गयी है। यह शोध पत्र दिव्यांगों के लिए भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है।

शब्द कुंजी – दिव्यांग, संविधान, अधिकार।

प्रस्तावना – भारतीय संविधान में दिव्यांगों के लिए प्रावधान :-

अनुच्छेद 4 भारत का संविधान सर्वविदित है, कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। जिसमें शासन व्यवस्था के प्रत्येक चरण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, किन्तु विस्तृत संविधान में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 10% दिव्यांग वर्ग को लेकर एक मात्र अनुच्छेद 41 में प्रावधान किया है, जो कि संविधान के भाग 4 अर्थात् राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं साथ ही राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विपरित कोई भी कानून नहीं बना सकता। अर्थात् राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत समाजवादी तत्वों की श्रेणी में रखे अनुच्छेद 41 'राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा' अर्थात् दिव्यांगों को लोक सहायता काम तथा शिक्षा प्रदान करने का स्पष्ट दायित्व सरकार का होगा शासन जिसका विरोध कभी नहीं कर सकता तथा अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर ये उपबंध करेगा। वर्तमान में भारत में निवास करने वाले दिव्यांगों की संख्या लगभग 10 करोड़ से अधिक है। जब भारत का संविधान लिखा गया था तात्कालीन आंकड़ों के अनुसार भारत में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या 4 करोड़ से अधिक थी। निःशक्त व्यक्तियों की इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए। भारत की संविधान सभा में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रावधान शामिल किए। काम, शिक्षा, लोक, सहायता पाने अर्थात् समाज में गरिमा पूर्ण जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए शासन दिव्यांगों को अधिकार प्रदान करेगा।

नीति – यह बात सत्य है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। अतः भारत की केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने द्वारा बनाए गए कानूनों में दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए सुगमता

सरलता की व्यवस्था विशेष रूप से की है। और दिव्यांग लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। जिसमें शैक्षणिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक, न्यायिक व सामाजिक स्तरों पर दिव्यांगों के लिए कई प्रकार की सुविधाएँ तथा विशेष छूट प्रदान की है।

उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जिस समय भारत वर्ष अपनी स्वतंत्रता को लेकर जूझ रहा था। जब भारत की शासन व्यवस्था के निर्धारण को लेकर कई प्रकार के तर्क-वितर्क चल रहे थे। इसमें भारत की संविधान सभा ने निः शक्तता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए संविधान में आवश्यक उपबंध किए हैं। ये उपबंध भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए श्रेष्ठ सिद्ध हुए और दिव्यांगों को कई प्रकार की सुविधाएँ तथा छूट प्रदान की जाने लगी।

राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है चाहे वह दिव्यांग हो अथवा गैर दिव्यांग। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रवण बाधित दिव्यांगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 में मूक बंधियों की संकेत भाषा में राष्ट्रगान को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

'भारत का संविधान सभी नागरिकों पर एक-सा लागू होता है, चाहे वे सामान्य हो या दिव्यांगसंविधान में वर्णित प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए सिर्फ भारत की नागरिकता आवश्यक है।'¹² यहां पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों को किसी भी प्रावधान से वंचित नहीं किया जा सकता।

भारतीय संविधान का खण्ड (2) नागरिकता के सम्बन्ध में उल्लेख करता है। जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंधों में कहीं भी दिव्यांग व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने की कोई भी न्यूनधिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है।

हालांकि संविधान में दिव्यांगता की परिभाषा नहीं दी गई है, पर यह अवश्य कहा गया है कि 'कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, मूल, जन्म स्थान आदि के कारण भेद भाव से पीड़ित नहीं होगा।'¹³

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपंग

* अतिथि व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

शब्द का मात्र एक बार प्रयोग किया गया है। खण्ड चार अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। जिसमें राज्यों को निर्देशित किया गया है कि 'राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, और अपंग तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावि उपबंध करेगा।'¹⁴ भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा शिक्षा प्राप्त करने की बात तो कही गई है, साथ ही लोक सहायता प्राप्त करने के उपबंध का उल्लेख भी है। किन्तु इस कार्य के लिए बेकारी बुढ़ापा बीमारी और अन्य गम्भीर समस्याओं से ग्रस्त लोगों के साथ-साथ दिव्यांगता का उल्लेख है। अर्थात् संविधान निर्माताओं ने गंभीर समस्याओं के साथ दिव्यांगता को भी शामिल किया है।

'इस अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य तथा विकास की सीमाओं के भीतर.....' अर्थात् राज्य के आर्थिक समर्थता तथा विकास की सीमाएँ दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करने का निर्धारण करेगी। इन सामर्थ्य तथा विकास की सीमाओं को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है अर्थात् राज्य की इच्छा हो तो वहाँ के विकलांगों को अधिकार प्राप्त होंगे अन्यथा नहीं। जो कि प्रदान किए गए अधिकारों की वास्तविकता को संशयात्मक स्थिति में पहुँचा देती है।

संविधान के उपरोक्त अनुच्छेद में दिव्यांगों के लिए प्रावधान तो प्रस्तुत किया गया है। किन्तु विभिन्न अनुच्छेद ऐसे भी हैं, जिनमें भारत के समस्त नागरिकों (दिव्यांगों अथवा गैर दिव्यांगों को) कई प्रकार की स्थितियों को शामिल किया गया है। जिनमें से कुछ इस प्रकार की हैं।

भारतीय संविधान का खण्ड (3) भारत में निवास करने वाले समस्त नागरिकों को निर्बाध रूप से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कई मौलिक

अधिकार तो नागरिकों के स्थान पर व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। अर्थात् उनमें भारत के नागरिकों के साथ-साथ भारतीय सीमाओं में गैर नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं। इन 6 अधिकारों में 'समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनु. 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32'¹⁵

इस समस्त अधिकारों को प्रकृति की दृष्टि से तो 6 भागों में बाँटा गया है। किन्तु इन अधिकारों के द्वारा संरक्षण प्राप्त करने वालों को दो वर्गों में बाँटा जाता है। प्रथम है नागरिक तथा द्वितीय है 'व्यक्ति उपरोक्त अधिकारों में कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है।'

निष्कर्ष - तात्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा ने नीति-निर्देशक तत्वों में समाजिक सुरक्षा हेतु दिव्यांगों को चिन्हित किया है किन्तु उनकी योग्यता, क्षमता और मनोबल को देखते हुए दिव्यांग समाज संसद से यह आशा करता है कि राष्ट्र निर्माण में सहभागिता हेतु संविधान संशोधन द्वारा दिव्यांगों के लिए प्रावधान करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का संविधान पृ. सं. 36 सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन नई दिल्ली 2008
2. मिश्र विनोद कुमार विकलांगों के अधिकार पृष्ठ संख्या 91 कल्याण शिक्षा परिषद नई दिल्ली 2008
3. तदैव
4. भारत का संविधान (पोकेट बुक) पृष्ठ संख्या 36 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद-2008
5. डॉ. पूरणमल भारत का संविधान पृष्ठ संख्या 120 अविष्का पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर 2007

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के दर्शनिक विचारों का अध्ययन

डॉ. पी. के. चतुर्वेदी *

प्रस्तावना – डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म जिस परिवार में हुआ था, उसमें कबीर पंथी विचारा धारा का बहुत अधिक प्रभाव था। इसके प्रभाव के कारण उनके मन में समाजिक एवं धार्मिक क्रान्ति के बीज अंकुरित हुए। उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिए जब वे विदेशों में गए तो वहाँ के पाश्चात्य जनतन्त्र एवं उदारवाद से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसी दृष्टि से उन्होंने भारतीय धर्म एवं दर्शनों का गहन अध्ययन किया। इसी कारण भारतीय दर्शन की अनेक मान्यताओं से वे सहमत नहीं हो सके। वे तत्वमीमांसा, की गूढ़ उलझनों में नहीं पड़े। उन्होंने ब्रह्म, ईश्वर, जीव एवं जगत् के रहस्यमयी विचारों को अधिक महत्व नहीं दिया तथा नहीं आत्मा-परमात्मा के सम्बन्धों पर अधिक प्रकाश डाला। वे विशेष रूप से उस सामाजिक स्थिति से जुड़े जहाँ एक आम आदमी अपनी समस्याओं से संघर्ष कर रहा था। उन्होंने बौद्ध दर्शन को अपने मानवतावादी चिन्तन का आधार बनाया।

ईश्वर एवं आत्मा सम्बन्धी विचार – डॉ. अम्बेडकर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि संसार में ब्रह्म से परे कोई भी वस्तु सत् नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ब्रह्म एक ही है, तो सभी मानव प्राणी मूलतः समान क्यों नहीं हैं? यदि इसे व्यावहारिक रूप में मान लिया जाए, तो हिन्दू समाज में व्याप्त छुआ-छूत, ऊँच-नीच ब्रह्ममण-चाण्डाल का भेद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ईश्वरवाद की अपेक्षा सदाचरण को महत्व दिया। उन्होंने अजर अमर आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं माना महात्मा बुद्ध का अनुसरण करते हुए उन्होंने चित्त मन और विज्ञान को स्वीकार किया जो तीनों ही पर्याय हैं। मन और शरीर दोनों एक दुसरे पर आश्रित हैं। दोनों के द्वारा व्यवहार में कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। अतः उनका अस्तित्व निर्विवाद है। इसलिये डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध परम्परा के अनुरूप निराप्मावाद को स्वीकार किया।

कर्म एवं पुनर्जन्म सम्बन्धी विचार – डॉ. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल सामने आएगा। मानव कर्म से ही नैतिक व्यवस्था कायम होती है। यदि मानव प्राणी पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छी व्यवस्था बनेगी और यदि वे अशुभ कर्म करेंगे तो बुरी व्यवस्था उत्पन्न होगी। उन्होंने अपने कर्म सम्बन्धी विचारों को वर्तमान जीवन में कर्म और उसके प्रभाव तक ही समिति रखा। उन्होंने संचित कर्मों के फलानुसार वर्तमान जन्म अथवा पुनर्जन्म को नहीं माना। उन्होंने प्रतिकारात्मक कर्म सिद्धान्त को भी नहीं माना जिसके अनुसार जो व्यक्ति अंधा, लूला-लंगडा निर्धन आदि पैदा हुआ, वह अपने पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के कारण पैदा हुआ और जो धनी, सुन्दर आदि हुआ वह अपने शुभ कर्मों के कारण जन्मा। उन्होंने इस सिद्धान्त को सामाजिक दायित्व से बचने का एक माध्यम माना।

डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि कर्म का सीधा सम्बन्ध इसी जन्म से है। कर्म के संस्कारों का प्रभाव वर्तमान व्यवस्था पर पड़ता है। कर्मों को कोई बाह्य सत्ता नियन्त्रित नहीं करती और नहीं कोई अजर-अमर आत्मा उन संस्कारों को भावी जीवन में ले जाती है। वे कर्म तथा आत्मा के आवागमन सिद्धान्त को नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में कर्म और उसका फल वर्तमान जीवन की व्यवस्था है। आदमी अपने कर्मों का स्वामी है, अपने कर्मों का उत्तराधिकारी है। कर्म ही आधार है। कर्म ही उसकी सन्तति है और अपने कर्मों से ही उसकी स्थिति है।

मानवतावादी चिन्तन – डॉ. अम्बेडकर ने अपने समस्त दर्शन को मानव की समाजिक परिधि में रखा। वे मानते थे कि मनुष्य प्रकृति का विलक्षण प्रतिनिधि है, जिसमें सृजनात्मकता की भवाना अपार मात्र में विद्यमान है। वह अपनी क्रियाशीलता से समाज को समृद्ध बना सकता है ताकि सभी मानव प्राणी परस्पर मिलकर किसी काल्पनिक बाह्य सत्ता का सहारा लिए बिना अपनी समस्याओं को सुलझा सके। मनुष्य स्वयं समाजिक बन्धनों एवं कुरीतियों से अपने को मुक्त कर सकता है।

नैतिक आदर्श – डॉ. अम्बेडकर के अनुसार नैतिकता का मूलधार मनुष्य के द्वारा मनुष्य के प्रति प्रेम में निहित है। मनुष्य, मनुष्य के प्रति प्रेम पूर्वक रहे, यह मानव समाज की आवश्यकता है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार नैतिक मानदण्ड स्वतन्त्रता, समता एवं भ्रातृभाव में निहित है। वे समस्त कर्म जो इस त्रयी को समृद्ध बनाते हैं। शुभ या कुशल कर्म हैं, और इसके विपरीत जो कर्म हैं, वे अशुभ या अकुशल हैं। किसी भी न्यायप्रिय व्यवस्था के लिये इन पर आधारित आचरण परमावश्यक है।

निष्कर्ष – डॉ. भीमराव अम्बेडकर के दर्शनिक विचार एक ऐसे नवीन समाज के निर्माण की ओर उन्मुख थे। जो उन नये मूल्यों और नये मानवीय सम्बन्धों पर आधारित हों, जिन्हें मनुष्य ने मनुष्य के लिए सृजित किया है। उनके अनुसार दर्शन एवं नैतिकता का सीधा सम्बन्ध सदाचरण, स्वतन्त्रता समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार से है। इसी से उसकी समाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बी. आर अम्बेडकर – स्टेट एण्ड मायनरिटीज।
2. भगवानदास – इज स्पोक अम्बेडकर।
3. डॉ. बी. आर अम्बेडकर – बुद्ध ऑर कार्ल मार्क्स।
4. डॉ. बी. आर अम्बेडकर – एनीहिलेशन ऑफ कास्ट।

Role Of Rao Tula Ram In Revolt Of 1857 In Haryana

Dr. Bhup Singh Balhara *

Introduction - The Rewari state was carved out of Jungle Jagir by Ruda Singh, a Ahir Sardar,¹. He obtained it in 1555 from the mughal emperor Humayun for rendering meritorious services during the encounter with the Surs². The Headquarter was at Bolani, 12 Km. south east of Rewari. During the rule of Akbar Rewari was a Sarkar under the Subah of Delhi, which comprised Bahora, Toaru, Rewari, Sohna and Kohana (Lohana)³.

Rao Tula Ram was born on 9 Dec, 1825 at Palhawas in the house of his mama, Rewari District. He was 32 years old at the time revolt of 1857⁴. The British rule about half a century from 1803 to 1857, produced a great deal of discontent and disaffection among almost every section of people through out of Haryana⁵. In regard of Haryana it can be said that the great uprising was partly due to the socio-economic discontent among the peasantry and partly to the dissatisfaction of the Princes⁶. Excessive taxation was the main reason behind the unrest in south Haryana⁷. The Rewari District was no exception to this. The round for a general uprising against the British lay prepared in the distt. It only required a spark for the bursting forth of a conflagration. This was provided by the sepoys on 10th May, 1857 at Ambala & Meerut. On hearing the news of the happening at these two places and Delhi, the people of the Rewari district rose up in revolt.

In Rewari area Rao Tula Ram was leader of revolt his cousin Gopal Dev also participated in this revolt. On 18 May, 1857 Rao Tula Ram went to the tehsil Headquarter at Rewari with the four to five hundred followers and deposed the tehsildar and thanedar. They appropriated the cash from the tehsil treasury, to all the govt. Buildings in there possession and proclaimed, under the sanction Mughal emperor Bahadur Shah. For their headquarter the chose Rampura a small fortified village, one mile south – west of Rewari. Rao Tula Ram became raja and Gopal Dev is commander in chief. After assuming charge Tula Ram organized the revenue department and collected revenue and taxes. It took donation and loans from the Mahajans of Rewari. He raised a force of five thousand. He enforced laws and order and defended his state from out side attacks. These activities pleased Badhur Shah and he confirmed Rao Tula Ram in his jagir of Rewari, Bhor and Shahjahanpur. In return he rendered al possible help to emperor and those

revolters waving war against British in Delhi. He sent 45000/- Rupees through Bakht Khan. He also supplied the Delhi forces with large of quantities of necessary commodities. British recaptured Delhi on 20 Sept. 1857. Soon after Brigadier-General showers led out a column (from Delhi) of 1500 men with a light field battery, 18 two pounder guns and two small mortars to attack and destroy Rao Tula Ram and his followers and to raze his fort (at Rampura). But in change circumstances Rao Tula Ram left the Rampura fort before the arrival of showers. Showers reached at Rewari on 06 Oct, 1857 and the fort of Rampur was taken without any opposition. Immediately after the occupation of the port of Rampura, Brigadier showers sent a messenger to Tula Ram telling him that if he submitted along with gunes and arms, he would be treated on merits. But Tula Ram refused to do so. On Oct, 12 showers left for Jatusana where some hoursmen of the Nawab of Jhajjar had collected. These sawars had no oppose the showers and they surrendered without resistance. Next going via Kolli, ladian, Matanhail, showers reached chuchhakwas (about 13 miles from Jhajjar). The hunting resort of Abdul Rahman Khan (Which was bult on 1855) Nawab of Jhajjar on 16 Oct, 1857. At chuchhakwas showers contacted nawab of Jhajjar and asked him to surrender. He was arrested on 17 Oct, 1857, trialed and hanged on 23 Dec, 1857, in chandni chok Delhi. Showers captured 13 heavy guns, one 8 inch mortar, two 6 pounder guns and a large quantity of small arms and ammunition from Jhajjar. Showers left for Delhi via Rewari, Farrukhnagar, Balabhgarh, Taoru and sohna on 22 Oct. 1857. But showers compain could hardly be called successful. He had failed to realize his main aim that of capturing Tula Ram, who had acted as nucleus of revolt in the Rewari district. In between Tula Ram prepared himself. He was joined by the Jodhpur legin. Hereafter he was joined by the to other rebels of the note, Abdus Samad Khan of Jhajjar and prince Muhammed Azim of Bhattu. Thus Narnaujl become a rebels centre containing a large multitude of them numbering above 5000⁸.

A strong column of 1500 was sent under colonel Gerrard on 10 Nov, 1857. After three days he occupied Ramp;ura (Rewari). After a short rest at Rampura (Rewari) colonel Gerrard proceeded to Narnaul via kanaud (Mahendergarh). On 16 Nov, he marched to Narnaul and

* Associate Professor (History) Govt. Post Graduate Nehru College, Jhajjar (Haryana) INDIA

reached Nasibpur, a small village of north –west of Narnaul and halted for a short rest⁹. The rebel forces having abandoned their strong fort in the centre of the town pounced on them Tula Ram's first change was irresistible and the British forces scattered before them. The Patiala infantry and the Multani horse on the British left were completely disheartened. But at this juncture, the guides and the carabineers came to their rescue and saved the situations.

The situation took an unexpected turn when Col. Gerrard, the British commandant, was mortally wounded by a musket ball with the result that of the British too were demoralized. Taking full advantage of the circumstances, Tula Ram swooped down upon them. In this situation Major Caulfield the officiating British commander, ordered his artillery to start heavy bombardment and his cavalry and infantrymen to charge straight on with full force in to their front ranks. Tula Ram's force fought back furiously and stood their grounds. The British artillery fire, nevertheless, broke their backbone and split their forces into two parts –one engaged in the close quarter battle and the other fleeing to go out of the range of the British guns. Meanwhile Kishan Singh and Ram Lal to guest commanders received musket shots and died. This disheartened Tula Ram's forces and they retreated¹⁰. The heavy artillery and infantry fire, confused Tula Ram, and they ran pell-mell in all directions. Most of the time, they retreated to the town and hid in buildings. Rao Tula Ram and Abdus Samed Khan escaped, Rao Kishan Singh, Ram Lal, Samad Khan's son and many other top ranking officers were killed in action. The total loss on the British side was 70 killed and 45 wounded. British lost their commander Colonel Gerrard and Captain Wallace while lieutenants Grajie, Kennedy and Pears were severely wounded¹¹. The battle of Nasibpur was one of the decisive

battles of the revolt of 1857. It resulted in the complete rout of triple alliance (three Powers) viz Tula Ram of Rewari, Abdus Samad Kahan of Jhajjar and Jodhpur legion¹². After the battle, Tula Ram moved into Rajasthan. He joined Tantya Tope's forces for one year. He went to Kabul in 1862 where he died on 23 Sep, 1863 at a young age of 38¹³. Every year 23 Sept. is celebrated as Haryana's Hero's martyrdom day by the Govt. of Haryana in the memory of Rao Tula Ram.

References :-

1. K.C. Yadav, Rao Tula Ram-1857 ke amar senani, Delhi, 1988, P.21/Man Singh Abhirkuldipika (Urdu) 1900, Delhi, P.105
2. Haryana district Gazetteers, Mahendergarh, Chandigarh, 1988 P.42.
3. Haryana district Gazetteers, Gurgaon, Chandigarh, 1983 P.44.
4. K.D. Yadav Op.Cit, P.31.
5. Haryana district Gazetteers, Mahendergarh, op.cit P.46
6. S.C. Mittal, Haryana, A Historical perspective, Delhi, 1986. P.51.
7. K.C. Yadav Op cit P.37.
8. Budha Parkash, Glimpses of Haryana, Kurukshetra 1967 P.106-07.
9. Haryana district Gazetteers, Mahendergarh, op.cit P.49.
10. Ibid
11. Ibid
12. Haryana district Gazetteers Gurgaon 1983 P.68, Devi Shankar Prabhakar, Swadhinta Sangram our Haryana, Delhi, 1976, P.85.
13. K.D. Yadav, Rao Tula Ram: - A Hero 1857, P.59, Haryana district Mahendergarh, op Cit P.51.

सन्त नन्दलाल की गुरु भक्ति और उनकी प्रमुख शिक्षाएं

डॉ. मधुसूदन चौबे *

शोध सारांश – संत अफजल की विचारधारा के अनुयायी संतों में नन्दलाल जी का भी उल्लेखनीय स्थान है। वे निर्गुण निराकार के साधक थे। प्रस्तुत शोध पत्र में संत नन्दलाल के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं का विवेचन किया गया है। इस शोध पत्र की प्रकृति ऐतिहासिक और आध्यात्मिक है। इसके लेखन के लिए क्षेत्र अवलोकन, साक्षात्कार, प्राथमिक एवं द्वितीयक साहित्यिक स्रोतों के अध्ययन और विश्लेषण को अपनाया गया है। इस शोध पत्र के लेखन का मुख्य उद्देश्य संत नन्दलाल के जीवन वृत्त और शिक्षाओं का अध्ययन करना है। उनके उपदेशों को सार रूप में प्रस्तुत कर उनकी व्यावहारिक शिक्षाओं से अध्येताओं को लाभान्वित करना है। उनकी साधना और कर्म स्थली निमाड़ रही है। निमाड़ मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित भौगोलिक उप प्रदेश है।

प्रस्तावना – प्रारंभिक जीवन – निमाड़ सन्तों की सन्त नन्दलाल का वास्तविक नाम नन्ददास था। उनका जन्म खरगोन जिले के सनावद नामक ग्राम में हुआ था। उनके माता-पिता के नाम, जन्म तिथि आदि से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

ग्राम सनावद के लोगों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि सन्त नन्दलाल के पिता कृषक थे। वे पर्याप्त और सिंचित भूमि के स्वामी थे तथा पूरी निष्ठा से कृषि कार्य करते थे। स्वाभाविक रूप से कृषि उपज पर्याप्त होती थी। फलतः परिवार के समक्ष कोई आर्थिक संकट नहीं था।

उनका प्रारंभिक जीवन खुशहाल था। उनके भाषाई कौशल और कवित्व शक्ति से स्पष्ट होता है कि बाल्यकाल में उन्हें समुचित शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्होंने अभावों से त्रस्त होकर वैराग्य का पथ का चयन नहीं किया, अपितु सुख-सुविधा के तमाम उपादानों का उपभोग कर भौतिक सुख-सुविधा प्राप्त करने की अपेक्षा आध्यात्मिकता का जीवन चुना।

दीक्षा एवं साधना – नन्ददास पर अनामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक सन्त अफजल की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव था। गुरु पथ का अनुकरण करते हुए उन्होंने सन्त अफजल से मानसिक दीक्षा ग्रहण की और सन्त नन्दलाल हो गए। वे अनामी सम्प्रदाय की नवीन सनावद शाखा के महन्त के पद पर आसीन हुए। सन्त नन्दलाल ने इन्द्रियों को वश में करने के लिए अनामी मत के पूर्ववर्ती सन्तों की तरह हठयोग की साधना पद्धति अपनाई। सन्त नन्दलाल का कार्यक्षेत्र सनावद क्षेत्र था।

रचनाएँ – महन्त नन्दलाल ने हिन्दी एवं निमाड़ी भाषा में अनेक पदों की रचना की है। उनके पदों का संचयन निमाड़ के साहित्य को समाविष्ट करने वाले अनेक ग्रन्थों में मिलता है। उनकी रचनाओं की विषय वस्तु धर्म, दर्शन, भक्ति, आध्यात्म है। उन्होंने एक गरबा-गीत भी लिखा है। उनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियाँ आगे प्रसंगवश उद्धृत की गई हैं। वे नन्ददास के नाम से रचना लिखते थे।

उपदेश – वे अप्रतिम गुरु भक्त थे। उन्होंने गुरु के प्रति भक्ति भाव रखने का उपदेश दिया। उन्हें स्वयं जल, थल, पवन, आकाश में सर्वत्र अपने गुरु सन्त अफजल दृष्टिगोचर होते थे। उनके अनुसार इन्द्रियों को नियंत्रित करने

से सभी वलेशों का निवारण किया जा सकता है। इन्द्री संयम गुरुकृपा से ही सम्भव है। उन्हीं के शब्दों में-

जल में थल में पवन में अफजल, आकाश में अफजल हैं।

जो समझें सद्गुरु की सैन को, खुलें नैन वही अफजल हैं।¹

वे तीर्थ, उपवास, जाति-पाँति, छुआ-छूत आदि को निरर्थक मानते थे। उनकी मान्यता थी कि कथित तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से नहीं

अपितु गुरु की शरण में जाने से मुक्ति मिलती है-

हम ढूँढ़ते उस लाल को भटकत फिर बेजार हैं।

कर चुके चारों धाम, अब हम जाँचते हरिद्वार हैं।

हमने सुना काशी में मरना खास मुक्ति द्वार है।

भ्रम में पड़े सूझे नहीं, अब तो बड़े लाचार हैं।

नन्ददास कहें पुकार मुख, गुरु की शरण क्यों नहीं लेता।²

उन्होंने सदैव अपने शिष्यों को हिंसा से परे रहकर समाज में अमन-चैन कायम करने का उपदेश दिया। उन्हें पाखण्ड नापसंद थे। मन में कुछ और चेहरे पर कोई और मुखौटा धारण करने वाले लोगों से वे सचेत रहने की सलाह देते थे। उन्होंने साधु वेशधारी दोंगियों को भी बहुत खरी-खोटी सुनाई। नाम के साधु बने ताकते पराई नार हैं,

अरु नाथ बन दारू पियें, यह कर्म सब बेकार हैं।

जीव हिंसा से न डरते, खाते भर-भर थार हैं,

यमराज ऐसे जीव को लठ मारते बेजार हैं।³

उनका कथन था कि आप किस कुल में या किस जाति में जन्में इसका कोई महत्व नहीं है। जन्म से कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता। मानव की पहचान और प्रतिष्ठा उसके गुणों से होती है। यथा-

यह सब हे जड़ जान जीव तू, अब के पेर खाया गोता,

वृथा जाति अभिमान बावरे, बिना गुण के कुछ नहीं होता।⁴

सामाजिक विसंगतियों के प्रति अपने अनुयायियों को सजग करने वाले सन्त नन्दलाल का दृष्टिकोण तार्किक तथा वैज्ञानिक था। उनकी शिक्षाएँ तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हैं तथा श्रोताओं का उत्कृष्ट व्यावहारिक जीवन के लिये पथ-प्रशस्त करती हैं।

अनुयायी – सनावद गुरुगादी के स्रोतों के अनुसार सन्त नन्दलाल का तत्समय बहुत प्रभाव था। उनके अनुयायियों में समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति शामिल थे। हिन्दू और मुसलमान उन्हें समान सम्मान भाव से देखते थे। उनके व्यक्तित्व में दिव्यता थी, जो छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, युवा-बुजुर्ग सभी को अपनी ओर आकृष्ट करती थी।

मूल्यांकन – सन्त नन्दलाल महाराज के निर्वाण प्राप्ति की तिथि कहीं भी दर्ज नहीं की गई है। गुरुगादी से इतनी सूचना प्राप्त हुई कि उन्होंने पूर्ण आयु प्राप्त की थी। वे लगभग 82 वर्षों तक समाज को मुक्ति का मार्ग बताते रहे।

सन्त नन्दलाल ने समाज की विसंगतियों का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन

किया और उनका भोले-भाले मनुष्यों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की अनुभूति की। दिग्भ्रमित जनता को भेड़चाल से मुक्त कराने के लिए उन्होंने धर्म, भक्ति और मुक्ति के पथ की तार्किक विवेचना की। उन्होंने खरी-खरी सुनाकर पाखण्डियों का भण्डाफोड़ किया तथा लोगों को उनके शिकंजे से मुक्त करवाया। अपने गुरु सन्त अफजल की शिक्षाओं के साथ ही अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से अपने अनुयायियों तक पहुंचाकर उन्हें सद्मार्ग पर अग्रसर किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

भारतीय पुनर्जागरण पर रामकृष्ण का प्रभाव

डॉ. अजय आचार्य *

शोध सारांश – किसी भी राष्ट्र जाति के पुनर्जागरण में सामान्यतः अर्थ सामाजिक, राजनैतिक जाग्रति से समझा जाना है। किंतु भारत सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शक्तियों का गुलाम होने के बाद भी यहाँ दूसरे प्रकार का पुनर्जागरण प्रत्येक युग में भारत में होना रहा, जिसने भारत के प्राण को सदा जाग्रत रखा जिसमें गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य, कबीर, तुलसी, मीराबाई ने आध्यात्मिक क्रांति समय-समय पर की थी। इस प्रकार भारत में समय के अनुसार पुनर्जागरण के अगुआ रामकृष्ण परमहंस का आविर्भाव हुआ। इन्होंने पश्चिमी संस्कृति के बजाय पुरातन को सुधार का मापदण्ड रखा, स्वामी दयानंद इसके अगुआ हुवे और रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद पथ प्रदर्शक बने। अपने कार्यों के द्वारा ही रामकृष्ण सर्वप्रथम अपने देश की शिक्षित व मध्यम श्रेणी के संपर्क में आए और उनके द्वारा प्रगति ओर पाश्चात्य विचारधारा के अगदूतों से उनका परिचय हुआ और भारतीय पुनर्जागरण पर रामकृष्ण का प्रभाव किसी न किसी समय में अवश्य पड़ा था, क्योंकि उस समय का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति उनसे अवश्य मिला था, उनसे प्रभावित भी हुआ था। जिससे भारत में पुनर्जागरण की चेतना जाग्रत हुई।

प्रस्तावना – किसी राष्ट्र जाति अथवा समाज के नवजागरण या पुनर्जागरण में सामान्यतः सामाजिक गतिविधियों की तीव्रता नवीन साहित्य का सृजन, राजनैतिक जाग्रति आदि से समझा जाना है। सैकड़ों वर्षों तक भारत विदेशी जातियों का गुलाम रहा और उसकी अवनति ही होती गयी, लेकिन एक दूसरे प्रकार का पुनर्जागरण प्रत्येक युग में भारत में होता रहा, जिसमें भारत के प्राण को सदा जाग्रत रखा है। जिसमें गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य, कबीर, तुलसी, मीराबाई ने आध्यात्मिक क्रांति समय-समय पर की थी। इस प्रकार भारत में समय के अनुसार आध्यात्मिक पुनर्जागरण होता रहा है। इसी तरह 19वीं सदी में आध्यात्मिक क्रांति एवं पुनर्जागरण तब हुआ, जब रामकृष्ण परमहंस का आविर्भाव हुआ।¹

पुनर्जागरण का अभिप्राय किसी भी राष्ट्र या देश के जीवन में एक नवीन स्फूर्ति, नये उत्साह, नयी उमंग के युग से होता है। कोई भी राष्ट्र जिसका अतीत बहुत उज्ज्वल रहा हो, प्रायः अपने पुनर्जागरण काल में अपने प्राचीन वैभव और संस्कृति से प्रभावित हुवे बिना नहीं रह सकना, ऐसा राष्ट्र अपने पुनर्जागरण की आधारशिला को अपने प्राचीन गरिमामय खण्डहरों पर रखना है। परंतु इसके साथ ही वह प्राचीन उन विचारों व तत्त्वों का परित्याग भी करना है, जो वर्तमान की कसौटी पर या भविष्य की तुला पर खरे नहीं उतरते।²

पुनर्जागरण लाने में उन कतिपय यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था, जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्रभावित थे, वे चाहते थे कि भारत का वह गौरवमय अतीत पुनः वापस आए और भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो। इन व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास, दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया तथा भारत की प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे भारतीयों को पुनर्जागरण के लिये भरपूर प्रेरणा मिली।³

इस परिवर्तन पर भी चिंतकों का वह समुदाय है, जो भारतीय चिन्तन के पुनरुत्थानवादी स्वरूप को व्यक्त करने के लिए पुनर्जागरण शब्द का

प्रयोग करता है, इनका विश्वास है कि जिस तरह पन्द्रहवीं शताब्दी में इटली के विद्वानों और कलाकारों ने यूनान और रोम के विस्मृत था। इनका मानना है कि राजा राममोहनराय से प्रारंभ होने वाले समस्त बौद्धिक आंदोलनों का केवल एक लक्ष्य था। प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव की स्थापना।⁴ इस तरह अपनी पुरातन धरोहर की विदेशियों द्वारा प्रशंसा सुनकर भारतीयों में स्वयं उसे उठा-उठा कर देखने और दिखाने की इच्छा बढ़ी, पुराना साहित्य का प्रचार हुआ, उसने वर्तमान समय की कुरीतियों को उभार दिया। इसे दूर करने के लिए पश्चिमी संस्कृति के बजाय पुरातन को सुधार का मापदण्ड रखा। स्वामी दयानंद इसके अगुआ हुवे रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद पथ प्रदर्शक बने।⁵

भारत में या किसी देश में जो पुनर्जागरण होता है, वह किसी न किसी समाज को बुराईयों को दूर करने के लिए किया जाता है। सत्य यह भी है कि धार्मिक सामाजिक सुधार और विस्तृत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अभाव में राजनीतिक चेतना का विकास भी संभव नहीं होता है। भारत में पुनर्जागरण मुख्यतः आध्यात्मिक था। पश्चिम की अधिभौतिकता की टकराहट से भारत की ऊँघती हुई बढ़ी सभ्यता की नींद खुल गई और इस भाव से अपने घर के सामानों पर नजर दौड़ाने लगी कि जो चीजें लेकर यूरोप भारत आया है, वे हमारे घर में हैं या नहीं। भारतीय सभ्यता का यही जागरण भारत का पुनर्जागरण था नवात्थान है।⁶

भारतीय पुनर्जागरण पर रामकृष्ण का प्रभाव – यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है, जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं यदि कोई देश जहाँ मानव जाति क्षमा, धैर्य, दया, शुद्धता आदि सद्गुणों का सर्वाधिक विकास हुआ है और यदि ऐसा कोई देश है। जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है।⁷ 19 वीं सदी का पुनर्जागरण भारत में प्रवृत्तिवाद का ही अनुपम उत्थान है। राममोहन दयानंद, रामकृष्ण, विवेकानंद ने ही इस पर अत्यधिक जोर दिया।⁸

पुनर्जागरण के प्रथम भाग में 19वीं सदी में भारत में बहुत से महान

* अतिथि व्याख्याता, महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

नेता उत्पन्न हुए। जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों विचार, कर्म-धर्म, राजनीतिक, सामाजिक सुधार, शिक्षा साहित्य, आदि में योगदान दिया। इनमें राष्ट्रीयता की भावना एवं भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान गहराई से भरा था। इनमें पुनर्जागरण की तीव्र भावना समग्र रूप से दिखाई देती थी। इनमें राजा राम मोहनराय सर्वप्रथम सुधारक थे।⁹ जिन्होंने अपने कार्यों विध्वंस एवं ब्रम्हसमाज के द्वारा भारतीयों में नयी चेतना एवं जाग्रति लाने का कार्य किया। भारतीय कुरीतियों को कुछ सीमा तक अंग्रेजों की सहायता से कानून बनवाकर समाप्त करवायी। एकेश्वरवाद पर जोर दिया एवं हिन्दू मुस्लिम की एकता का प्रयास किया, इसी कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहाँ जाता है।¹⁰

इस पुनर्जागरण के सूत्रधार राजा राम मोहन राय थे वे जटिल कर्मकांड के विरोधी तथा एकेश्वरवाद, नैतिकता और सांस्कृतिक संश्लेषण के समर्थक थे। ब्रम्ह समाज में 1843 से 1857 तक राजा राममोहनराय द्वारा शुरू किये धार्मिक आंदोलन में अत्यधिक प्रगति हुई। इनके बाद केशवचंद्र सेन इस समाज के सूत्रधार बने। इनका उफनता मन नये विचारों को अपनाने और ताजे प्रयोग करने को व्यग्र रहता था। परिणामस्वरूप वे स्वयं को हिन्दू धर्म के अंदर सीमित नहीं रख पाये। सन् 1864 में केशवचंद्र ने भारत भ्रमण किया आधुनिक भारत में विचारों की एकता लाने के लिये यह पहला महत्वपूर्ण प्रयास था।¹¹ सेन की लोकप्रियता बढ़ रही थी। कलकत्ता के अंग्रेजी शिक्षित वर्ग पर उनका प्रभाव बढ़ रहा था। सन् 1875 में सुधार युग के नेता सेन की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। इससे उनमें अत्यधिक परिवर्तन हुआ। ब्रम्हसमाज पर रामकृष्ण का प्रभाव दिखाई देने लगा। ब्रम्हसमाज ही रामकृष्ण परमहंस के अपूर्व आध्यात्मिक जीवन का सर्वप्रथम अनुशीलनकर कलकत्ते के जन साधारण के चित्त को दक्षिणेश्वर में आकृष्ट कर सका था।¹²

रामकृष्ण और ब्रम्हसमाज के परस्पर मिलन से भारत को एवं भारतीय पुनर्जागरण के विकास में क्या लाभ हुआ? यह आसानी से देखा जा सकता है। इसके द्वारा ही रामकृष्ण सर्वप्रथम अपने देश की शिक्षित व मध्यम श्रेणी के संपर्क में आये और उनके द्वारा प्रगति और पाश्चात्य के अगदूतों से उनका परिचय हुआ।¹³ इसी प्रकार स्वामी दयानंद ने वैदिक प्रथाओं तथा कर्मकांडों का अनुसरण हिन्दू जाति के उत्कर्ष के लिये आवश्यक बनाया। वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना ही स्वामी दयानंद का लक्ष्य था।¹⁴

इनकी शैक्षणिक योजनाओं ने हिन्दू समाज में एक नवीनता और शक्ति का संचार किया। इसी तरह महाराष्ट्र में इस आंदोलन का प्रारंभ महादेव गोविंद रानाडे ने किया। ये रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे एवं गोपालकृष्ण गोखले रानाडे के शिष्य थे। यह पुनर्जागरण के दूसरे प्रहरी एवं प्रणेता थे, वे चाहते थे कि सब भारतवासी प्रजाति संप्रदाय और जात-पात की संकीर्णताओं से उपर उठकर अपने को भारतीय समझे और पूर्ण सहयोग के साथ देश का कल्याण करें।¹⁵

ईश्वरचंद्र विद्यासागर इस सदी के महान व्यक्ति थे। इन्होंने राज राममोहन राय के द्वारा आरंभ की हुई धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। बंगाल में समाज के आधुनिकीकरण के लिये सामाजिक बुराईयों पर हमला बोला वे ही बहु विवाह, बालविवाह, के विरोधी एवं विधवा विवाह के वे समर्थक थे, जिससे भारतीय जागरण आया।

इस प्रकार से भारतीय पुनर्जागरण पर रामकृष्ण का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा था क्योंकि उस समय का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति उनसे अवश्य मिला था और उनसे प्रभावित भी हुआ था, जिसके द्वारा भारत में चेतना जाग्रत हुई। रामकृष्ण परमहंस द्वारा जो स्वयं सभी धर्मों की साधना

कर सर्वोच्च सत्ता से विभिन्न मार्गों द्वारा साधना की गई थी। यह पुनर्जागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि उनका जीवन भारतीय सभ्यता का नाश करने पर तुली हुई इन शक्तियों के लिये परकोटा सिद्ध हुई। रामकृष्ण परमहंस हिन्दूधर्म को इस महान संकट से उबारने के लिये ही नहीं वरन् समस्त धर्मों के पुरुत्थान के लिये जन्में थे। इनका जीवन संसार में सर्वत्र व्याप्त धर्म के प्रति अविश्वास की लहर को रोकने में अवश्य सफल हुआ है।¹⁶

रामकृष्ण परमहंस का संपूर्ण जगत की धर्म ग्लानि को दूर कर नवीन आध्यात्मिक आलोक प्रकाशित करने के लिये ही अविर्भाव हुआ था। रामकृष्ण एक व्यक्ति विशेष एक देवता या अवतार मात्र नहीं थे। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में वे सर्वदेव देवी स्वरूप, वेदमूर्ति और अवतार वरिष्ठ थे। उनमें समस्त धर्मों को सर्वोच्च शक्ति और भाव ज्योति एकीभूत हो एक महाशक्तिशाली आध्यात्मिक आलोक पुत्र बनकर श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में प्रकट हुए।¹⁷

विवेकानंद जीवनभर दावा करते रहे कि वे केवल रामकृष्ण के शिष्य के रूप में लिख और बोल रहे हैं, उन्होंने अपने अमेरिकी श्रोताओं के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण के उपदेशों को समझाना है।¹⁸

इस तरह भारतीय पुनर्जागरण में विवेकानंद को जो योगदान है वह रामकृष्ण का ही अप्रत्यक्ष रूप से है, जैसा कि ठीक ही कहा गया है कि रामकृष्ण के जीवन में यह सत्य साकार हो उठा था, अतएव धर्म की सारी उपलब्धियों के प्रकाश में विवेकानंद ने भारत और समस्त विश्व की समस्याओं पर विचार किया एवं उनके जो समाधान उपस्थित किये थे वास्तव में वे रामकृष्ण के ही दिये हुये समाधान हैं। रामकृष्ण अनुभूति थे, विवेकानंद उसकी व्याख्या बनकर आये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण को हिन्दू धर्म की गंगा कहा है जो वैयक्तिक समाधि के कमंडल में बंद थी। विवेकानंद इस गंगा के भागीरथ हुए और देवसरिता को रामकृष्ण के कमंडल से निकालकर सारे विश्व में फैला दिया।¹⁹

इस तरह भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने के पहले धर्म प्रचार आवश्यक है। भारत के समाजवादी या राजनीतिक विचारों के प्रभावित होने से पहले रामकृष्ण और विवेकानंद ने आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ लायी।²⁰

स्वामी विवेकानंद के पूर्व भी भैरवी, ब्राम्हणों, गौरी पंडित, वैष्णव चरण आदि साधकों एवं पंडितों ने श्री रामकृष्ण के जीवन एवं आध्यात्मिक अनुभूतियों का अध्ययन कर उन्हें अवतार घोषित किया था। इससे भी भारतीय जन में उनके प्रति अत्यधिक आस्था जगी एवं जनचेतना आध्यात्मिकता के प्रति आयी जो भारत में पुनर्जागरण के रूप में भी अत्यधिक सहायक रही।²¹ रामकृष्ण का पुनर्जागरण में एक महान कार्य था आधुनिक विचारधारा के प्रतीक पुनर्जागरण का मुख्य स्तंभ प्रतीक स्वामी विवेकानंद के संशयों को दूर करना और उनके माध्यम से अपने अविर्भाव के एक मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करना। इनका जीवन ही धर्म का एक जीता जागता प्रमाण था, स्वामी विवेकानंद ने प्रत्येक पथ विजय पर उनके जीवन को परखा और अपने संशय को दूर किया।

रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से ही विवेकानंद पुनः जाग्रत भारतीय राष्ट्र के उच्चतम आदर्शों के अवतार हो गये। सर वेलेटाइना चिरोल के शब्दों में वे प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व ने भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र होने के उसके नवजात हक के लिये विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त की

थी।²²

इसी तरह रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण को विश्व में अमर कर दिया वे और उनके गुरुभाईयों के अथक परिश्रम और साधना से कालांतर में एक महान शक्तिशाली आंदोलन में परिणित हुआ है वह आज देश विदेश में बहुत ही विस्तार लाभ प्राप्त कर चुका है और मानव कल्याण के लिये निरंतर प्रयासरत है।²³ जो संपूर्ण विश्व के अधिकांश भागों में रामकृष्ण परमहंस को जीवंत रखे हुए है। जिसके द्वारा यहां भारतीय सनातन परंपरा का निरंतर विस्तार हो रहा है।

इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के अनुसार श्री रामकृष्ण ने अपनी साधना द्वारा विश्व कुण्डलिनी को जाग्रत कर दिया है। उनका अनिर्माण जगत के कल्याण तथा सारे संसार में आध्यात्मिकता का संचार करने के लिये हुआ था एवं रामकृष्ण विवेकानंद के रूप में जगत में जो ईश्वरीय शक्ति अवतरित हुई थी, उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में भारतीय पुनर्जागरण में महान योगदान है एवं महत्वपूर्ण भूमिका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वामी ब्रम्हाशानंद, श्री रामकृष्ण भाव धारा पृष्ठ 122, 123 रामकृष्णमठ नागपुर संस्करण 2010
2. बी. एल ग्रोवर, आधुनिक भारत का इतिहास एक नवीन मूल्यांकन पृष्ठ क्रं. 271 एस चंद्र एण्ड कं लि. दिल्ली 16वां संस्करण 2001
3. रामलखन शुक्ल, आधुनिक भारत का इतिहास पृष्ठ 344 प्रकाशन हिन्दी माध्यम कार्यालय निर्देशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली प्रथम संस्करण 2006
4. बी. एस नरवणे, आधुनिक भारतीय चिन्तन पृष्ठ 8 राजकमल प्रकाशन दिल्ली हिन्दी संस्करण प्रथम 1966
5. प्रो. कालीशंकर भटनागर, भारतीय संस्कृति को इतिहास पृष्ठ 466 रतन प्रकाशन मंदिर आगरा तृतीय संस्करण 1971
6. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय पृष्ठ 443 राजपाल एण्ड संस
7. स्वामी विवेकानंद, मेरा भारत अमर भारत पृष्ठ 17 रामकृष्ण मठ नागपुर
8. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय पृष्ठ 444
9. आर आर दिवाकर, परमहंस श्री रामकृष्ण पृष्ठ 1 भारतीय विद्या भवन बाम्बे
10. आर सी मजूमदार घोष ब्रिटिश पेरामाउन्सी एंड इंडियन रेनेसां - प्रथम भारतीय विद्या भवन बाम्बे प्रथम संस्करण 1965 पृष्ठ 101
11. ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पृष्ठ 350 प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिल्ली 1969
12. स्वामी सारदानंद श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग द्वितीय खण्ड पृष्ठ 772 रामकृष्ण मठ नागपुर एकादश संस्करण 2002
13. हरिदास भट्टाचार्य, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया द रिलीजन्स पृष्ठ 683 संस्करण 1983 रामकृष्ण मिशन कलकत्ता
14. रोमा रोला, रामकृष्ण परमहंस पृष्ठ 193 लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद तीसरा संस्करण 1978
15. ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास भाग दो पृष्ठ 374 प्रथम संस्करण 1982
16. रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के चार अध्याय पृष्ठ 457
17. बी.पी वर्मा मॉडर्न इंडियन पॉलीटिक्स धार तृतीय संस्करण 1967 पृष्ठ संख्या 160-161
18. स्वामी तेजसानंद श्री रामकृष्ण पृष्ठ संख्या 2 अद्देत आश्रम कलकत्ता तृतीय संस्करण 1980
19. स्वामी विवेकानंद, मेरा भारत अमर भारत पृष्ठ 12 रामकृष्णमठ नागपुर
20. बी.एस नरवणे, आधुनिक भारतीय चिन्तन पृष्ठ 96
21. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय पृष्ठ 493
22. स्वामी विवेकानंद, मेरा भारत अमर भारत पृष्ठ 29 रामकृष्णमठ नागपुर
23. स्वामी ब्रम्हाशानंद, श्री रामकृष्ण भावधारा पृष्ठ 91
24. राय मजूमदार चौधरी, भारत का वृहद इतिहास भाग 3 पृष्ठ 253
25. स्वामी तेजसानंद, रामकृष्ण संघ (आदर्श ओर इतिहास) पृष्ठ -33 रामकृष्ण पठ नागपुर

अनामी सम्प्रदाय के सन्त दशरथ

डॉ. मधुसूदन चौबे *

शोध सारांश – संत अफजल द्वारा स्थापित अनामी सम्प्रदाय उनके बाद भी दीर्घ काल तक प्रभावशाली रहा। अनामी सम्प्रदाय की गादियां अनेक स्थानों पर विद्यमान रही। इनमें एक स्थान नागझिरी भी है। नागझिरी गादी के एक संत दशरथ हुए। वे व्यापारी और कृषक परिवार के थे। कालांतर में संत खुश्यालदास के प्रभाव में आने से उनके जीवन की दिशा परिवर्तित हो गई और वे साधना पथ के अनुयायी हो गए। वे निर्गुण निराकार और हठयोग के अनुयायी थे। उनकी शिक्षाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा। उनके उपदेश इतने व्यावहारिक हैं कि जन-जीवन को सरल और सुखद बना देते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में संत दशरथ के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं का अनुशीलन किया गया है।

शब्द कुंजी – संत, भक्ति आंदोलन, अनामी संप्रदाय, हठयोग, निर्गुण निराकार आदि।

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र का स्वरूप ऐतिहासिक और आध्यात्मिक है। इसके लेखन के लिए मानविकी में प्रचलित प्रमुख शोध प्रविधियों साक्षात्कार, प्रश्नावली, क्षेत्र अवलोकन, प्राथमिक एवं द्वितीयक साहित्यिक स्रोतों के अध्ययन और विश्लेषण को अपनाया गया है।

उद्देश्य – इस शोध पत्र के लेखन का मुख्य उद्देश्य संत दशरथ के व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करना है। उनके उपदेशों को सार रूप में प्रस्तुत कर उनकी व्यावहारिक शिक्षाओं से अध्येताओं को लाभान्वित करना है।

भूमिका – निमाइ की सन्त परम्परा सुदीर्घ रही है। यहां भक्ति की सगुण और निर्गुण दोनों विचारधाराओं के महनीय संत हुए। निमाइ मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित भौगोलिक उप प्रदेश है। यहां के प्रमुख संतों में अनामी सम्प्रदाय के संत दशरथ भी सम्मिलित हैं।

प्रारंभिक जीवन – सन्त दशरथ का जन्म खरगोन जिले के ग्राम नागझिरी में दसोरा महाजन परिवार में हुआ था। परिवार की आजीविका के साधन पर्याप्त थे। जीवन पैतृक किराना एवं अनाज के व्यवसाय के साथ कुछ कृषि भूमि और पशु भी परिवार में उपलब्ध थे। उनका दशरथ का प्रारंभिक जीवन सुख-सुविधा में व्यतीत हुआ। उन्हें विद्याध्ययन की पर्याप्त सुविधा प्राप्त हुई। अध्ययन के अतिरिक्त गायन में उनकी रुचि थी। वे भक्ति गीतों को बहुत मधुर स्वर में गायन करते थे। इस कारण उन्हें परिवारजनों के साथ ही ग्रामजनों का भी स्नेह-दुलार प्राप्त था।

दीक्षा एवं साधना – नागझिरी ग्राम को सन्त खुश्यालदास का सांनिध्य प्राप्त था। सभी ग्रामीण उनसे प्रभावित थे। दशरथ का परिवार भी इनके सम्पर्क में था। युवक दशरथ अपना अधिकांश समय सन्त के साथ व्यतीत करते थे। उन्होंने सन्त खुश्यालदास से गुरु दीक्षा ग्रहण की। नवयुवक दशरथ की भक्ति भावना और गुरु के प्रति समर्पण से अभिभूत होकर सन्त खुश्यालदास ने उन्हें नागझिरी की अनामी सम्प्रदाय की गुरु गादी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गुरु के निर्वाण ग्रहण करने के पश्चात् सन्त दशरथ इस गुरु गादी के महन्त हुए।

अनामी सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार सन्त दशरथ भी निर्गुण निराकार तथा हठयोग के साधक थे। वे यौगिक क्रियाओं के माध्यम से कुण्डलिनी जागृत करने के लिए साधनारत रहते थे।

भजनों के माध्यम से वे परमात्मा को प्रसन्न करते थे। 'जब दशरथ अपने गुरु सन्त खुश्यालदास के साथ के साथ सुर में सुर मिलाकर एक ही स्वर, लय और ताल पर गाते थे, तो श्रोता भावविभोर होकर झूमने लगते थे।' यौगिक क्रियाओं के विषय में विवेचन इसी अध्याय में अनामी पंथ के

पूर्ववर्ती सन्तों के साथ किया गया है। पूर्ण समर्पण के साथ गुरु की सेवा में संलग्न रहना भी उनकी साधना का प्रमुख अंश था।

कार्यक्षेत्र – सन्त दशरथ का कार्यक्षेत्र नागझिरी ग्राम था। वे नागझिरी गादी के महन्त थे। अन्य स्थानों पर उनका जाना नहीं होता था।

रचनाएँ – सन्त दशरथ ने अनेक पदों का सृजन किया, जिनके माध्यम से उनके विचारों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने दृश्य जगत के भौतिक तत्वों के मध्य सूक्ष्मतम आत्मतत्व की उपस्थिति का प्रभावी वर्णन किया है। उन्होंने जीवन के आधार पाँच तत्वों आकाश, पवन, अग्नि, जल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति और इनके महत्व के सम्बन्ध में अपने एक पद में आम आदमी को सरलता से समझ में आ सकने योग्य चित्रण किया। उनके अधिकांश भजनों की विषय वस्तु गुरु भक्ति है। गुरु के प्रति उनके विचार अत्यन्त भावपूर्ण हैं।

उपदेश – सन्त दशरथ ने अपने उपदेशों में गुरु के महत्व पर विशेष बल दिया है। उनकी मान्यता थी कि गुरु की दया प्राप्त होने पर बिगड़ी बात तुरन्त बन जाती है। गुरु की प्रीति प्राप्त होने पर निर्भयता उत्पन्न होती है। गुरु की सेवा करने पर पिछले जन्मों के संचित दुष्कर्मों को प्रभावहीन किया जा सकता है। यथा- 'गुरु कोटिक युग के कर्म बंध को पल में काट गिराया हो।'²

अनुयायी – सन्त दशरथ के जीवनकाल तक अनामी सम्प्रदाय निमाइ के विभिन्न भागों में दृढ़ता से स्थापित हो गया था। इस मत के अनुगामियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। सन्त दशरथ चूंकि नागझिरी की गुरुगादी के प्रधान महन्त थे, अतः उनकी शिक्षाओं की अंगीकार करने वाला एक विशाल जनसमुदाय था।

सन्त दशरथ की निर्वाण तिथि पर प्रकाश डालने वाला कोई दस्तावेजी या लोकश्रुति से संबंधित साक्ष्य अभी तक के अन्वेषण में प्राप्त नहीं हो सका है।

मूल्यांकन – सन्त दशरथ अपनी गुरु भक्ति के लिए निमाइ की सन्त परम्परा में विशेष ख्यात हैं। उन्होंने एक समृद्ध और सुख-सुविधा से युक्त जीवन का परित्याग कर अध्यात्म साधना का जटिल मार्ग अपनाया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नर्मदांचल के सन्त कवि, लेखक - बाबूलाल सेन, प्रकाशक - माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण - 1995 पृष्ठ - 69
2. निमाड़ी साहित्य के कलमकार - कलाकार, सम्पादक - बाबूलाल सेन, प्रकाशक - माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण - 2003, पृष्ठ - 68.

पंचायती राज व्यवस्था में जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका

संध्या बैरागी *

शोध सारांश – भारत में जनजातियाँ प्रायः शहर, ग्राम तथा एकाकी क्षेत्रों में निवास करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी ये लोग संचार माध्यमों तथा सूचनाओं की कमी के कारण अलगाव तथा अत्याचार भरी जिन्दगी जी रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत 73 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है। मध्यप्रदेश में ये आरक्षण 50 प्रतिशत है, जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय महिलाएँ जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखी जा सकती हैं। शिक्षा की स्वतंत्रता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, संचार के साधन, औद्योगीकरण, वैश्वीकरण आदि कारकों के कारण महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।

प्रस्तावना – लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण इकाई है, जो राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वह करती है चूंकि महिलाएँ आधे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। प्राचीनकाल से आज तक महिलाओं की भूमिका सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय भी महिलाओं को पुरुषों के समान वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में स्वायत्तता है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया। महिलाओं ने सशक्त होकर राष्ट्र एवं समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में पंचायतों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (व्यास 2012)

73वें संशोधित अधिनियम के माध्यम से जहाँ एक ओर इन संस्थाओं को वैधानिक बनाया गया वहीं दूसरी ओर ऐसे समुचित उपबंध किए गए जिससे यह स्वशासन की स्वतंत्र इकाई बनकर सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य कर सकें।

महिलाओं के राजनीतिक सहभागिता के प्रतिशत को देखा जाए तो वह लगभग नगण्य ही है। महिलाओं के राजनीति में सक्रिय न होने के कई मूलभूत कारण हैं। गाँवों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, पारम्परिक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही संभव नहीं हो पायी है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए प्रावधानों के पश्चात् पंचायत राज संस्थाओं में कुल स्थानों के एक-तिहाई स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए हैं।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात् मध्यप्रदेश में भी इसके अनुरूप राज्य में पंचायत राज कानून बनाया और उसमें एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया। पंचायत की तीन पीढ़ी तक यह एक-तिहाई आरक्षण लागू रहा और उससे वृहत् स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भर्ती हुई। पंचायतों की चौथी पीढ़ी हेतु 2010 के निर्वाचनों के पूर्व प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बराबरी का हक देते हुए पंचायत राज संस्थाओं में

महिलाओं के आरक्षण को पचास प्रतिशत कर दिया और उन्हीं के तहत चुनाव भी कराए।

वर्तमान में जनजातीय महिलाएँ आरक्षण के कारण ही जनप्रतिनिधि बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह दुर्लभ ही देखा गया है कि कोई महिला अनारक्षित पद पर जनप्रतिनिधि चुनकर आयी हो।

समीक्षा – शर्मा ने अपने अध्ययन में पाया कि ग्रामीण समाज की परम्परागत संरचना व पुरुषोचित अहं की प्रधानता के कारण पंचायतों में महिलाएँ कठपुतली के समान हैं किन्तु एक शिक्षित और जागरूक महिला प्रतिनिधि इन सब शुरुआती समस्याओं को दूर कर सतत् सशक्तिकरण हेतु प्रयास कर सकती है। (शर्मा 2004)

रेखादूत एवं कोनबर्ग का मानना है कि सशक्तिकरण का अभिप्राय संसाधनों के पुनर्वितरण से है। महिला सशक्तिकरण को ये पितृसत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देना मानते हैं। (रेखादूत एवं कोनबर्ग 2002)

बोउवार ने अपने अध्ययन में पाया कि मात्र आर्थिक स्थिति बदलते ही स्त्री में पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा यह संभव नहीं है। आर्थिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण आयाम है, सशक्तिकरण का, इसके बावजूद नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि रूपों में भी सशक्तिकरण आवश्यक है। (बोउवार 2002)

सारस्वत एवं सिंह का मानना है कि ग्रामीण समाज के सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व की गुणवत्ता भावना को प्रोत्साहित और विकसित किया जाना चाहिए ताकि वे स्वविवेक, ज्ञान व निर्णय सुलझाने के तरीके विकसित कर सकें। (सारस्वत एवं सिंह 2001)

अध्ययन के उद्देश्य –

1. पंचायती राज व्यवस्था में जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका का अध्ययन करना।
2. जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करना।
3. जनजाति महिला नेतृत्व का अध्ययन करना।

शोध प्रारूप – अध्ययन में विवरणात्मक सह अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिये रतलाम जिले की सैलाना व बाजना तहसील से 300 जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों का निदर्शन पद्धति की देव निदर्शन पद्धति की लॉटरी प्रणाली के आधार पर चयन किया गया है, तत्पश्चात् साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

समकों का संकलन – प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक समक साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र से जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों से एकत्रित किये हैं जो कि जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों की आयु, जाति, पारिवारिक संरचना, व्यावसायिक गतिविधियाँ एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभावशीलता से संबंधित है। द्वितीयक समकों का संकलन पूर्व शोध पत्र, समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ, आलेख, पुस्तकें तथा इंटरनेट से एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

शोध क्षेत्रान्तर्गत जनजाति महिला जनप्रतिनिधि उत्तरदाताओं से इस प्रश्न के संबंध में की आप अपनी पद स्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह कर पा रही हैं या नहीं, से संबंधित जानकारी प्राप्त की है, जो तालिका क्रमांक 1.1 व 1.2 में प्रदर्शित है –

तालिका क्रमांक 1.1

पंच उत्तरदाताओं द्वारा अपनी पद स्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाने संबंधी विवरण

क्रमांक	आप अपनी पद स्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह कर पा रही हैं	उत्तरदाता की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	130	52.42%
2.	नहीं	118	47.58%
	योग	248	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 52.42 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी पद स्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह कर पा रही हैं तथा 47.58 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी पद स्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रही हैं।

तालिका क्रमांक 1.2

सरपंच उत्तरदाताओं द्वारा अपनी पद स्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाने संबंधी विवरण

क्रमांक	आप अपनी पद स्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह कर पा रही हैं	उत्तरदाता की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	43	82.69%
2.	नहीं	09	17.31%
	योग	52	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 82.69 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी पद स्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह कर पा रही हैं तथा 17.31 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी पद स्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रही हैं।

तालिका क्रमांक 1.3 व 1.4 में उत्तरदाताओं के नेतृत्व में आने वाली बाधाओं को दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 1.3

पंच उत्तरदाताओं द्वारा वर्तमान में महिला नेतृत्व में बाधाएँ

क्रमांक	वर्तमान में महिला नेतृत्व में बाधाएँ आती हैं	उत्तरदाता की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	57	22.99%
2.	नहीं	191	77.01%
	योग	248	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 22.99 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वर्तमान में महिला नेतृत्व में बाधाएँ आती हैं तथा 77.01 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वर्तमान में महिला नेतृत्व में बाधाएँ नहीं आती हैं।

तालिका क्रमांक 1.4

सरपंच उत्तरदाताओं द्वारा वर्तमान में महिला नेतृत्व में बाधाएँ

क्रमांक	वर्तमान में महिला नेतृत्व में बाधाएँ आती हैं	उत्तरदाता की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	16	30.77%
2.	नहीं	36	69.23%
	योग	52	100.00%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 30.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वर्तमान में महिला नेतृत्व में बाधाएँ आती हैं तथा 69.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वर्तमान में महिला नेतृत्व में बाधाएँ नहीं आती हैं।

निष्कर्ष – जनजातीय समाज में पुरुषों का वर्चस्व होने के बावजूद महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। भारतीय समाज प्रारम्भ से ही एक पारम्परिक समाज रहा है। इस परम्परागत समाज में पुरुषों का स्थान महिलाओं की तुलना में ऊँचा रहा है। जनजातीय समाज में पूर्व में महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित था। महिलाओं का कार्य घर के कामकाज करना, संतान उत्पन्न करना, उनका लालन-पालन करना तथा पति की सेवा करना था, लेकिन आज शिक्षा के प्रसार, आधुनिकीकरण, जागरूकता तथा पंचायती राज व्यवस्था में 2009 में राज्य शासन द्वारा महिलाओं को मिले 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण वे राजनीति में आगे आकर जनजाति महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर पंचायती राज व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सुझाव –

1. पंचायती राज व्यवस्था में जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
2. निर्वाचित जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों को नियम एवं कानून, अधिकार, कर्तव्य संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि वे जागरूक हो सकें।
3. शासकीय कर्मचारियों को निर्देश दिये जाने चाहिए कि वे जनजाति वर्गों की महिला जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यास आशा, (2012), पंचायती राज में महिलाएँ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
2. शर्मा रोमी, (2004), भारतीय महिलाएँ, नई दिशाएँ, प्रकाशन विभाग

और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

3. कोनबर्ग ज्यूडिट और रेखादूत, (2002), विमैन इन डवलपिंग कन्ट्रीज
ऐसेसिंग स्ट्रेटजीस फॉर एम्पावरमेन्ट, ल्यूनर पब्लिशर्स, लंदन, पृ.
सं. 1.

4. बोउवार द सीमोन, (2002), स्त्री : उपेक्षिता सम्पादित प्रभा खेतान,
हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्ली।

5. सारस्वत स्वप्निल एवं निशांत सिंह, (2001), समाज राजनीति और
महिलाएँ : दशा और दिशा, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

6. जायसवाल अनुपमा, (2016), ग्रामीण विकास समीक्षा महिला
सशक्तिकरण विशेषांक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
संस्थान, हैदराबाद।

उत्तम स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक उत्थान में विपश्यना ध्यान का महत्व

डॉ. ऋचा एस. मेहता *

प्रस्तावना – संसार का सबसे बड़ा सुख है, निरोगी काया। प्रत्येक व्यक्ति संसार के सुखों का आनन्द तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका शरीर तथा मन स्वस्थ हों। वर्तमान में वैभवपूर्ण भौतिक जीवन की चाह में प्रत्येक व्यक्ति अल्प समय में अत्यधिक धन कमाने के लिए प्रयासरत हैं। इस कारण व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या में काम का बोझ तथा तनाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। यह तनाव कई प्रकार की गंभीर बीमारियाँ जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग को तेजी से बढ़ा रहा है। विश्व के प्रत्येक देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग इन बीमारियों से ग्रसित हो गया है। एक विशेष तथ्य यहाँ ओर भी है कि चिकित्सीय विज्ञान इन बीमारियों से शरीर को मुक्त नहीं करवा पा रहा है। मेडिकल साइन्स केवल दवाईयाँ देकर इन बीमारियों से शरीर को होने वाले नुकसान की रफतार केवल धीमी कर पा रहा है। जीवन जीने की लागत में हो रही लगातार वृद्धि के कारण व्यक्ति अपने कार्य का बोझ भी कम करने की स्थिति में नहीं है। व्यक्ति धन कमाने के प्रयास में स्वास्थ्य गंवाता है, फिर स्वास्थ्य कमाने के लिए धन गंवाना है तथा अन्त में न उसके पास स्वास्थ्य रहता है न ही धन।

अब इस परिस्थिति में प्रश्न यह है कि क्या किया जाए ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए अपने आर्थिक कर्तव्यों का निर्वहण कर सके। स्वास्थ्य संबंधी प्रत्येक चर्चा में यह तथ्य उभरकर आता है कि तनाव से बचना चाहिए परन्तु तनाव से कैसे बचे ? इसका उत्तर नहीं मिल पाता। चिकित्सक भी यही सलाह देते हैं कि तनाव कम करने पर शरीर की व्याधियों से बचाव संभव है परन्तु वह भी यह नहीं बता पाते कि तनाव से कैसे बचे ? सभी धर्मगुरुओं के व्याख्यान में भी यही कहा जाता है कि तनाव से बचें। परन्तु तनाव को कम करने के कोई विशेष उपाय वे भी नहीं बता पाते।

वर्तमान काल की जीवन शैली में तनाव न हों यह संभव नहीं है। अतः आवश्यकता तनाव के प्रबंध की है। तनाव दूर करके स्वस्थ रहने का सर्वाधिक उत्तम उपाय ध्यान (Meditation) है। विपश्यना ध्यान को आत्मसात कर व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है तथा अपना आध्यात्मिक उत्थान भी कर सकता है।

विपश्यना एक परिचय – विपश्यना ध्यान का एक प्रकार है। यह स्वयं को जानने का एक तरीका है। वास्तव में यह भगवान बुद्ध की निर्वाण विधि है। इस ध्यान विधि की खोज लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने की थी। यह ध्यान जीवन एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का एक माध्यम है। जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध के अनुसार cause of suffering अर्थात् जीवन-मृत्यु के बंधन से हम तभी मुक्त हो सकते हैं, जब हम हमारी सही प्रकृति को जान लें। यह कार्य बाहरी दुनिया में जाकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें अपने स्वयं के भीतर झाँकना होगा तथा स्वयं के

भीतर जाने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। विपश्यना ध्यान का एक विवेकपूर्ण तरीका है, जिससे व्यक्ति अपने दिमाग की शुद्धि कर सकता है। ध्यान की इस विधि में किसी भगवान की मूर्ति, चित्र या किसी भावना या किसी भी प्रकार की बाहरी शक्ति का सहारा नहीं लिया जाता। अपने अन्दर छुपे तत्व को देखने की कोशिश करने वाले इस ध्यान से व्यक्ति की दिमाग की शुद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मोह से मुक्ति मिलने लगती है। जैसे ही मोह से मुक्ति मिलने लगती है, व्यक्ति की इच्छाएँ अपने आप कम होने लगती हैं। मोह से मुक्ति एवं इच्छाओं में कमी के कारण व्यक्ति के तनाव का स्तर स्वतः कम होते चला जाता है तथा कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है।

भगवान बुद्ध के अनुसार जीवन एवं मृत्यु के चक्र की जड़ दो तथ्यों में समाहित है इच्छा तथा अज्ञानता। जैसे-जैसे ध्यान के द्वारा व्यक्ति इन दोनों पर विजय प्राप्त करते जाता है। वैसे-वैसे दिमाग यह समझने में सक्षम होते जाता है कि इस बदलती दुनिया से परे कुछ स्थायी तत्व है। यह कुछ स्थायी तत्व ही मृत्युहीन स्थिति है अर्थात् मोक्ष है।

विपश्यना ध्यान वर्तमान में रहने की एक स्थिति है। सामान्यतः व्यक्ति के दिमाग में भूतकाल की घटनाएँ चलती रहती हैं या भविष्य की योजनाएँ। विपश्यना ध्यान इन दोनों कालों से हटकर वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह वर्तमान में शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान केन्द्रित करके भूत एवं भविष्य के विचारों से ध्यान को हटा लेता है। जैसे ही भूत एवं भविष्य के विचारों से ध्यान हटेगा इन विचारों से उत्पन्न होने वाले तनाव से दिमाग मुक्त हो जाएगा तथा शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि हो जाएगी।

सामान्यतः किसी भी धर्म का व्यक्ति इस ध्यान को कर सकता है क्योंकि इसमें किसी भी धर्म या भगवान की पूजा अर्चना नहीं है। वास्तव में ध्यान व्यक्ति के अपने स्वयं को देखने की दूसरी पायदान है। प्रथम पायदान में व्यक्ति किसी भी धर्म में श्रद्धा रखकर किसी मूर्ति या विषय को ध्यान में रखकर पूजा अर्चना करता है। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति इस प्रथम पायदान से आगे बढ़कर दूसरे पायदान पर नहीं पहुँच पाता। इसका मुख्य कारण शुद्ध एवं शुभ विचार को त्यागने की भावना को वह स्वीकार नहीं कर पाता है।

प्रत्येक मनुष्य में सामान्यतया चार प्रकार के विचार होते हैं तथा इसके आधार पर वह चार प्रकार के कर्म करता है। यह विचार एवं कर्म होते हैं – (1) अशुभ विचार (2) अशुद्ध विचार (3) शुभ विचार एवं (4) शुद्ध विचार। किसी भी धर्म में भगवान या विषय की पूजा अर्चना करते समय व्यक्ति के अशुद्ध एवं अशुभ विचार एवं कर्मों का तो क्षय होने लगता है परन्तु वह शुद्ध एवं शुभ विचार एवं कर्मों के प्रति अधिक सचेत होने लगता है। ध्यान में

व्यक्ति को विचार शून्य स्थिति में जाकर प्रत्येक स्थिति में समता भाव रखना होता है। अर्थात् शरीर में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को समभाव से बिना अच्छे बुरे की प्रतिक्रिया के देखना होता है। अब इस समता भाव जागृत करने के लिए उसे शुद्ध एवं शुभ विचार से भी मुक्ति पाना होगी तभी वह अपने स्वयं को देखने की प्रक्रिया में समता भाव ला पायेगा तथा विचार शून्य अवस्था में जाकर जीवन एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो पाएगा।

भगवान बुद्ध की निर्वाण विधि विपश्यना में बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर उतरकर शरीर में होने वाले परिवर्तनों को समता भाव से देखने की दृष्टि विकसीत करता है। अत्यंत गहन एवं दीर्घ अवधि तक ध्यान करके व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है तथा वर्तमान जीवन शांति एवं निरोगी होकर बिता सकता है।

विपश्यना ध्यान की विधि – विपश्यना ध्यान भगवान बुद्ध की निर्वाण विधि है। यह विधि अत्यंत गहन एवं दीर्घ अवधि की साधना के बाद आत्मसात हो सकती है। परन्तु यहाँ हम विपश्यना ध्यान की प्रारंभिक अवस्था का संक्षेप वर्णन कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने तथा आत्म कल्याण के मार्ग पर पहला कदम उठा सकें। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उठाया गया पहला कदम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो पहला कदम बढ़ाता है वही मंजिल तक पहुँच सकता है।

विपश्यना क्या है ? इसका जवाब एक पंक्ति में दिया जा सकता है – “To watch your breath with awareness” अर्थात् ध्यानपूर्वक अपने श्वास को देखना। विपश्यना ध्यान में हमें आँख बंद करके अपने शरीर में आने तथा जाने वाले श्वास पर ध्यान केन्द्रित करना है। ध्यान की यह अत्यंत सरल विधि है। श्वास लेना तथा छोड़ना हमारे शरीर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण

प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति एक पल भी श्वास लिये बिना जीवित नहीं रह सकता। श्वासोश्वास की क्रिया प्रत्येक जीवित व्यक्ति की अपने आप चलने वाली क्रिया है। कोई भी व्यक्ति श्वास लेना भूलता नहीं है। हृदय के धड़कते समय, खून के शरीर में बहने के समय, खाना पचने की क्रिया के समय भी श्वास आने-जाने की प्रक्रिया निरन्तर चलते रहती है। दुनिया की कई ध्यान पद्धति का आधार श्वास आने एवं निकलने की प्रक्रिया पर केन्द्रित है। जैसे ही आँख बंद करके नासिका के द्वार पर ध्यान केन्द्रित करके श्वास आने तथा जाने की प्रक्रिया को देखना प्रारंभ करते हैं, हमें अपने स्वयं की उपस्थिति का आभास होने लगता है। हम आँख बंद करने के बाद भी अपने श्वास के आने एवं निकलने की प्रक्रिया को देख पा रहे हैं अर्थात् हमारे अंदर छिपा हुआ कोई तत्व है जो आँख बंद होने के बाद भी इस क्रिया को देख पा रहा है। कुछ क्षण ध्यान लगने के बाद विचारों के आ जाने से ध्यान भंग होने लगता है। व्यक्ति विचारों को बलपूर्वक हटाकर फिर ध्यान में लगे। यह प्रयास लगातार करते रहने पर धीरे-धीरे विचार आने की मात्रा घटती जाएगी तथा ध्यान लगने की अवधि बढ़ती जाएगी। जैसे-जैसे ध्यान लगने की अवधि बढ़ती जाएगी मन तथा मस्तिष्क शांत होते चला जाएगा। यह प्रक्रिया तनाव को कम करेगी तथा सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विपश्यना ध्यान – आचार्य रजनीश ।
2. विपश्यना एक चमत्कारिक ध्यान विधि – हिन्दी वेबदुनिया ।
3. विपश्यना साधना – वीकीपीडिया ।
4. विपश्यना साधना – श्री सत्यनारायण गोयनका की ऑडियो कैसेट ।
5. स्वयं द्वारा विपश्यना साधना शिविर में हिस्सा लेना ।

कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध (सामाजशास्त्रीय विश्लेषण)

डॉ. रश्मि दुबे *

प्रस्तावना – हमारा समाज आज अनेको गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। और इन समस्याओं में सबसे गंभीर खतरनाक और घातक समस्या अगर कोई है तो वह है कन्या भ्रूण हत्या अथवा स्त्री भ्रूण हत्या। यह अपराध होने से ज्यादा एक सामाजिक बुराई है। प्राचीन समय से ही महिलाओं को भारतीय समाज में अपने परिवार और समाज के लिए एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है। इन कारणों से तकनीकी उन्नति के समय से ही भारत में बहुत वर्षों से कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा चली आ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात 1000 पे 940 है

भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्याएँ एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि इसका बढ़ना न सिर्फ अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म दे रहा है, बल्कि इससे सामाजिक असंतुलन की भी स्थिति निर्मित हो रही है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात में भी असंतुलन बढ़ रहा है। विश्व में लिंगानुपात की सबसे खराब स्थिति दक्षिण और पूर्व एशियाई देशों विशेषकर भारत और चीन में देखने को मिलती है। इस स्थिति को और गंभीर बनाने में चिकित्सा विज्ञान की नवीन तकनीकों का भी काफी योगदान है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पारम्परिक पुत्र मोह तथा अल्ट्रासाउण्ड तकनीक से लिंग परीक्षण की सुविधा के कारण भारत में पाँच लाख कन्या भ्रूणों की हत्या प्रतिवर्ष होती है।

सामंतवादी परम्परा से ओत-प्रोत भारतीय समाज में आदिकाल से महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता था। कन्या के जन्म पर शोक मनाया जाता था। भारतीय समाज में कन्याओं को लेकर अत्यंत विरोधाभासी स्थिति देखने को मिलती है। एक तरफ तो भारत की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें शाक्ति का स्वरूप माना गया है और हमारे यहां कन्या पूजन की परम्पराएँ हैं, तो दूसरी तरफ कन्याओं का कोख में ही कत्ल कर दिया जाता है। यह एक शर्मनाक स्थिति है।

भारत में 1979 में अल्ट्रासाउण्ड तकनीक की प्रगति आयी हालांकि इसका फैलाव बहुत धीमे था। लेकिन वर्ष 2000 में व्यापक रूप से फैलने लगा। इसका आंकलन किया गया कि 1990 से लड़की होने की वजह से 10 मिलियन ज्यादा कन्या भ्रूणों का गर्भपात हो चुका है। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में लड़कियों को लड़को से कम सम्मान और महत्व दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेल आदि क्षेत्रों में लड़की की तरह इनकी पहुँच नहीं होती है। कन्या भ्रूण हत्या सीधे-सीधे समाज में पुरुषों के प्रभुत्व और पुरुषों को उत्कृष्ट मानने से जुड़ा है। समाज में बच्चियों की बदतर हालत के कारण हमारे यहां कन्या जन्म को अभिशाप माना जाता है। बेटे की इसी चाहत के कारण कोशिश की जाती है कि बेटियाँ पैदा ही न हो और इसी कोशिश का नतीजा होती है, कन्या भ्रूण हत्या यह अत्याधिक अमानवीय

कृत्य है। इसके कारण अलग-अलग अवश्य हो सकते हैं, परंतु इसमें अंततः शिकार स्त्री ही होती है।

कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण पुराने समय से किया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या के निम्न कारण हैं।

- दहेज व्यवस्था की पुरानी प्रथा भारत में अभिभावकों के सामने एक बड़ी चुनौती है, जो लड़कियाँ पैदा होने से बचने का मुख्य कारण है।
- कन्या भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है। क्योंकि पुत्र आय का मुख्य स्रोत है। जबकि लड़कियाँ केवल उपभोक्ता के रूप में होती हैं। समाज में ये गलतफहमी है कि लड़के अपने अभिभावक की सेवा करते हैं। जबकि लड़कियाँ पराया धन होती हैं।
- पुरुष वादी समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है:-
 1. अभिभावक मानते हैं कि पुत्र समाज में अनेक नाम को आगे बढ़ाते हैं जबकि लड़कियाँ केवल घर संभालने के लिए होती हैं।
 2. गैर कानूनी लिंग परीक्षण और बालिका शिशु की समाप्ति के लिए भारत में दूसरा बड़ा कारण गर्भ की कानूनी मान्यता है।
 3. तकनीक उन्नति ने भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है।

भारतीय समाज में कन्या जन्म को एक मुसीबत एक अभिशाप माना जाता है। तो इसके पीछे कई सामाजिक कुरीतियाँ और भ्रांतियाँ जिम्मेदार हैं। हमारा समाज पुरुष प्रधान है और यहां किसी लड़की को पालना-पोसना अपेक्षाकृत कुछ मुश्किल भरा होता है। हमारे यहां दहेज परंपरा ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि लोग कन्या का जन्म होने पर ही घबरा जाते हैं चूंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान और पितृसत्तात्मक है इसलिए बेटे को वंश चलाने वाला माना जाता है। इसलिए प्रत्येक परिवार पुत्र जन्म को वरीयता देता है। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग नवविवाहिताओं को पुत्रवती होने का ही आर्शावाद देते हैं।

यहां उल्लेखनीय है कि गर्भ में ही पल रही कन्याओं के दुश्मन केवल पुरुष ही नहीं होते हैं। अपितु महिलाएं भी इस जुर्म में बराबर की भागीदार होती हैं। कई बार तो स्वयं गर्भवती स्त्री ही गर्भ में कन्या पालने की जानकारी होने पर उसका गर्भपात करवा देती है। यदि महिला गर्भपात को तैयार नहीं होती तो जबरन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना एक गौरवशाली क्षण होता है। लेकिन पुत्र मोह में उससे मातृत्व का अधिकार ही छीन लिया जाता है। जिस कारण वह विषाद और अवसाद में डूब जाती है। कई बार तो इस कारण वह मानसिक रूप से विकसित भी हो जाती है, मादा भ्रूण की हत्या करना वैधानिक और सामाजिक

अपराध तो है ही, साथ ही साथ यह ईश्वर के प्रति किया गया। सबसे बड़ा अपराध भी है। यह अनैतिक भी है और अमानवीय भी वह समय अब अतीत के पन्नों में सिमट के रह गया है, जब प्रसव के बाद ही परिजनों को पता चलता था कि उनके घर कन्या जन्मी है या उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कई कानूनों के बावजूद आज हजारों कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। सवाल है कि कन्या भ्रूण हत्याएं होती ही क्यों हैं क्यों बालिकाओं को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है। दरअसल इस समस्या का मूल कारण हमारी सोच है। हमारी सामाजिक परंपराएँ हैं। छोटे परिवार की चाह भी कन्या भ्रूण हत्या का एक कारण है। आधुनिक जीवन शैली और आर्थिक दबावों के चलते आज परिवार छोटे होते जा रहे हैं। महानगरों में तो एक ही बच्चे का प्रचलन है। प्रत्येक युगल चाहता है कि उसके घर में कम से कम एक पुत्र अवश्य हो इसलिए पहली बार के कन्या जन्म लेने पर दूसरी बार युगल गर्भ में ही शिशु लिंग का पता लगवा लेता है और यदि दूसरी बार भी कोख में बेटी होती है तो वह उसका गर्भपात करवा देता है। यदि युगल केवल एक ही बच्चे की योजना बनाया है तो भी वह पुत्र चाह में लिंग परीक्षण करवाता है। पुत्र की चाह में हर साल करीब चालीस लाख महिलाओं को अपने जीवन का खतरा उठाकर अवैध गर्भपात करवाना पड़ता है।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण हमारे सामाजिक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। स्त्री पुरुष का अनुपात गड़बड़ा रहा है। जिससे लड़कियों का तस्करी व्यापार हो रहा है। स्त्री भ्रूण हत्या के कारण स्त्रियों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाओं के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इसका मूल कारण महिलाओं की संख्या में निरन्तर कमी का होना है। यदि सृष्टि की रचना करने वाली स्त्री को समाज में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता तो यह समाज की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिन्ह है।

कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानून को लागू हुए दस साल से भी अधिक बीत चुका है। लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। स्पष्ट है

कि मात्र कानून बना देने से अनैतिक कामों को नहीं रोका जा सकता जरूरत है समाज में चेतना जाग्रत करने की तथा कानून में आवश्यक संशोधन करते हुए भ्रूण हत्या को मानव हत्या के समकक्ष रखते हुए इसके लिए सात साल की कैद से लेकर मृत्युदण्ड तक का प्रावधान किया जाये। इस अपराध के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाना भी आज की जरूरत है। 'क्राइ' (चाइल्ड राइट्स एंड यू) नामक संस्था ने बच्चियों के अधिकारों की रक्षा और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के मकसद से एक चार्टर चैयार किया है। इस चार्टर पर हस्ताक्षर करवा कर लोगों को शपथ दिलवायी जा रही है कि वे अपने परिवार में कन्या को बोझ नहीं समझेंगे कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध कभी नहीं करेंगे, परिवार की लड़कियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करेंगे। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे और बच्चियों के खिलाफ होने वाले हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। इस प्रकार के प्रयासों से ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मीनाक्षी सिंह - कन्या भ्रूण हत्या कारण प्रभाव व निदान, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2013
2. मीनाक्षी सिंह - महिला कानून, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली 2013
3. नरेन्द्र कुमार शर्मा - महिला अपराध और कानून, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2011
4. आनन्द प्रकाश सिंह - सामाजिक समस्याएँ व अपराध, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई व वैशाली प्रसाद दिल्ली 2007
5. हरप्रीत कौर - महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व मद्यपान, अमेजिंग पब्लिकेशन, दिल्ली, 2014
6. वीरेन्द्र सिंह यादव - महिला सशक्तिकरण अवधारणा, चिंतन व सरोकार ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010

जनजातियों में गोदना परम्परा

डॉ. रंजीता वास्केल *

प्रस्तावना – जनजातियों की कला और संस्कृति की अनेक परम्पराएँ ऐसी हैं, जिनका अध्ययन अभी भी अधूरा हुआ है। इनकी परम्पराएँ अत्यंत कष्टप्रद हैं फिर भी वे उनका निर्वाह करने में गौरव अनुभव करते हैं।

गोदना गुदवाने की परंपरा भारत की ही नहीं विश्व की अनेक जनजातियों में प्राचीनकाल से चली आ रही है। गोदना कला को गुदना एवं अंग आरेखन भी कहते हैं। भारतवर्ष में आसाम, मध्य भारत, दक्षिण भारत, अण्डमान निकोबार, द्वीप समूह के साथ ही छत्तीसगढ़ की अनेक जनजातियों में गोदना, गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। प्राचीनकाल से सामाजिक विकास में विकसित अर्द्धविकसित या फिर अविकसित समाज ही क्यों न हो स्त्रियों में सौंदर्य परख चेतना अवश्य पायी जाती है अपने इसी सौंदर्य बोध के कारण शारीरिक सुंदरता की वृद्धि के लिए आदिम नारियां गोदना गुदवाया करती थी। यह गुदना प्रथा आदिम जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली आ रही है।

अनेक आदिम जनजातियों में जाति अथवा दल या कबीले के परिचय के लिये गोदना चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग गोदना को दागने की प्रथा का विकसित रूप भी मानते हैं।

जनजातिय स्त्रियां गोदना गुदवाने पर अधिक विश्वास रखती हैं गोदना को सौंदर्य वृद्धि का एक विषिष्ट साधन माना जाता है, इसके साथ ही इसे 'जनम सिंगार' कहा जाता है। यह गोदना जन्म-जन्मांतर तक साथ रहता है मानव शरीर से मृत्यु पश्चात सभी आभूषण उतार दिए जाते हैं। परन्तु गोदना को श्रृंगारित शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। गौंड जनजाति के लोगों की मान्यता है कि गोदना कला 'कुता' है जिसकी कोई परछाई नहीं होती और उन्हें कोई नहीं चुराता। आदिम जनजातियों में कुंवारी एवं विवाहित दोनों स्त्रियां गोदना गुदवाती हैं। पुरुष भी अपने बाँह पर अपना नाम देवी देवता का चित्र, कबीला चित्र, गौत्र चिन्ह आदि बड़ी प्रसन्नता से गुदवाते हैं। गोदना से अनेक शारीरिक व्याधियों का उपाय भी किया जाता है।

आदिम समाज एवं अनेक आदिम जनजातियों में विवाह से पहले कन्याओं के शारीरिक अंगों को गुदाना आवश्यक है। यदि किसी लड़की के शरीर पर गोदना गुदा नहीं होता तो विवाह के समय उसका ससुर लड़की के पिता से गोदना न गुदवाने लिए क्षतिपूर्ति लेता है, विवाह से पहले गुदवाये गए गोदना को 'माता द्वारा दिया गोदना' कहा जाता है। माता अपनी प्यारी बेटी से कहती हैं, बेटी तुम गोदना गुदा लो क्योंकि गहने, कपड़े आदि सांसारिक वस्तुएं यही छूट जायेगी केवल गोदना ही मृत्यु के पश्चात तुम्हारे साथ जायेगा। इसके साथ ही तुम गोदना गुदवाने की पीड़ा सहन कर लोगी तो भावी जीवन में आने वाले सभी सुख-दुख को झेल सकोगी। विवाह के

बाद पतिगृह में गुदवाया जाने वाले गुदना 'पति के परिवार द्वारा प्रदान गोदना' कहलाता है। जिन स्त्रियों के शरीर पर गोदना गुदा नहीं होता उन्हें जनजातीय समाज हेतु दृष्टि से देखता है। गुदना न गुदवाने वाली स्त्री के हाथ का पानी भी कुछ आदिम जाति के लोग नहीं पीते हैं।

गोदना गुदने की प्रथा आदिम जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली आ रही है। पहले गोदना गुदने का कार्य परिवार की कोई बड़ी स्त्री करती थी। जिसे गोदना गुदने का ज्ञान पूर्व पीढ़ी से प्राप्त हुआ होता था। इसके बाद क्षेत्र के अनुसार कुछ आदिम जातियों की स्त्रियों ने इस कार्य को अपनी जीविका बना लिया। स्त्रियां गोदना गुदने का कार्य करती हैं, जिन्हें 'गोदनहारी' 'गुदनारी' आदि नाम से जाना जाता है।

गोदना गुदने समय गीत भी गाए जाते हैं गोदना के संबंध में एक गोदनहारी ने मुझे बताया कि गोदना सबसे पहले भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों के अंग पर गोदा था तभी से गोदना गुदवाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इससे गोदना गुदवाने की प्राचीन परंपरा का ज्ञान होता है फिर भी गोदना प्रथा की शुरुआत कहां से हुई? किसने की? यह कहना कठिन है।

शरीर के विभिन्न अंगों में गोदना गुदवाने के संबंध में आदिम जातियों में अनेक विश्वास प्रचलित हैं, जो स्त्री पैरों में गोदना गुदवाती हैं, उसे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती है। पैरों के तलवों को गुदवाने से उसमें 'पद्मदेव' निवास करता है, जो पैरों की पीड़ा हरता है। पांव की एड़ी गुदवाने से उसमें 'गजकरन देव' निवास करता है जो शरीर के बाहर से पैरों की रक्षा करता है। जो स्त्रियां घुटनों के ऊपर सामने की ओर गोदना गुदवाती हैं, उनके पैरों में घोड़ों की सी शक्ति प्राप्त होती है।

आदिम समाज में जो स्त्रियां कलाई, हाथों एवं अंगुलियों में पति, भाई, बहन, सखी, सहेलियों के नाम गुदवाती हैं। इनकी मृत्यु के बाद वे स्वर्ग में भेंट होना संभव होता है। इसी प्रकार जो स्त्री मुख के आस-पास दूढ़ी पर गोदना गुदवाती हैं, वह विष बाधा से पीड़ित नहीं होती है। गोदना का प्रयोग शरीर के अनेक स्थानों पर दर्द निवारक के लिये भी किया जाता है। ऐसे गोदना गुदने बाद अनेक प्रकार की जंगल जड़ी बूटियों के रस का प्रयोग गोदना भराई में किया जाता है।

गुदना की सत्ता मानव के आदिम स्वरूप से सम्बद्ध है गोदना गुदाने की असहनीय पीड़ा सहन करते हुए भी जनजातिय एवं शिष्ट समाज की महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी गोदना धारण करती आयी हैं। इसके पीछे मानव की कोई प्रबल इच्छा शक्ति रही है, जिसे मनुष्य गोदना के अंकन प्रतीकों में तलाशता है। गोदना की आदिम समाज ने कामेच्छा की पूर्ति करने वाला सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पहचान बनाने वाला जादुई प्रभाव वाला आत्मिक एवं आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाला पराशक्तियों की सुरक्षा के लिए

आकर्षित करने वाला, काया को निरोग रखने वाला, आभूषणों के अभाव में सौंदर्य वृद्धि करने वाला तथा पृथ्वी से स्वर्ग तक चुंबकीय आकर्षण रखने वाला एवं शारीरिक सज्जा के अमीट चिन्ह के रूप में मान्य एवं प्रभावकारी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुकजी, रविन्द्रनाथ - भारतीय समाज और संस्कृति, विवेक प्रकाशन जोधपुर- 1964
2. रसेल आर.बी. एवं हिराला - ट्राईब्स एण्ड कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविन प्रेस ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली राजधानी बुक सेंटर- 1916
3. शर्मा, बलदेव - आदिवासी विकास का एक सैद्धांतिक विवेचन भोपाल म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी- 1986

बिलासपुर जिले में निःशक्त जनसंख्या का स्थानिक वितरण

डॉ. काजल मोड़रा * प्राची यादव ** संजीत किसकू ***

शोध सारांश – सभी अंगों के अपने अपने कार्य होते हैं। आँख के देखने का कार्य करती है, तो कान सुनने का, हाथ सामान उठाने तथा पैरों के द्वारा चलाना संभव होता है। इसके अलावा एक विशेष यह है कि मस्तिष्क द्वारा हर अंग नियंत्रित होता है। यदि मस्तिष्क का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाये तो संबंधित अंग का नियंत्रण प्रभावित होता है। कार्यक्षमता कम हो जाती है। मनुष्य के विकास के साथ-साथ निःशक्तता ने भी अपना सुरसामुख (विकराल रूप) बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिसका मुख्य कारण आधुनिक संसाधन, जाति, संप्रदाय, प्रांत एवं देशों के मध्य आपसी संप्रभुत्व की लड़ाई है। जो अविष्कार मानव समुदाय के कल्याण के लिए किए गए वहीं उसके संहारक बन गये हैं।

शब्द कुंजी – निःशक्त, जागरूक, विश्वव्यापी, पंजीयन।

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ की विकलांग जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 के बीच 0.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी में 2 लाख 31 हजार पुरुष और एक लाख 88 हजार महिलाएं शामिल हैं।

सेसंस रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में विकलांगों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। ग्रामीण इलाकों में सेहत से जुड़ी जानकारी की कमी को इसका प्रमुख कारण बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां 30.4 विकलांग मूवमेंट इंफर्मिटी से ग्रस्त हैं, वहीं 17.7 प्रतिशत मंद दृष्टि के शिकार हैं। श्रवण शक्ति से हीन लोगों की संख्या का 14.7 है, जबकि 5.3: मानसिक चुनौतियों का शिकार है। करीब 3.3: विकलांग मानसिक रूप से बीमार हैं वहीं 11.51: विकलांग अन्य प्रकार से अक्षम हैं।

रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2001 से 2011 के बीच हुई सड़क व औद्योगिक दुर्घटनाएं इस समस्या की मुख्य वजह हैं। इससे पहले पोलियो इस समस्या की बड़ी वजह थी लेकिन इसके ख़ात्मे के बाद दुर्घटनाओं ने इसकी जगह ले ली। हाल में राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में पता चला कि तंबाकू और गुड़ाखू भी लोगों को विकलांग बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। “Comprehensive Eye case Project” के तहत कराए गए इस सर्वे को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फंड किया गया था। सर्वे से पता चला है कि दृष्टिहीनता के शिकार 747 लोगों में से 50: की दृष्टिहीनता के लिये तंबाकू और गुड़ाखू प्रमुख कारण थे। सर्वे में छत्तीसगढ़ सभी जिलों को सम्मिलित किया गया था।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर जिला है। जो राज्य की राजधानी नया रायपुर से 133 उत्तर में स्थित है तथा प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे प्रमुख शहर है। बिलासपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 6376.76 वर्ग किमी है। बिलासपुर

22°23' उत्तर तथा 82°08' में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 264 मीटर (866 फीट) है। वर्षाधारित अरपा नदी इस जिले की जीवन रेखा मानी जाती है। जिसका उद्गम मध्य भारत के मैकल पर्वत श्रेणियों से होता है। 2011 की जनगणनानुसार 2,663,629 है, जिसमें पुरुष 1,351,574 तथा महिलाएं 1,312,055 हैं। औसत साक्षरता 70.78% है।

अध्ययन का उद्देश्य – अध्ययन क्षेत्र में निःशक्त के प्रकार की जानकारी प्राप्त करना। निःशक्त जनसंख्या के स्थानिक वितरण ज्ञात करना। अध्ययन क्षेत्र में निःशक्तता के कारण का पता लगाना है।

विधितंत्र – प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। मुख्य जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित निःशक्तता प्रतिवेदन से आँकड़े प्राप्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय एवं अशासकीय विभागों, समाचार पत्र चिकित्सकों, इंटरनेट आदि से संकलन किया गया है।

विश्लेषण – वर्तमान युग में मनुष्य किसी भी शर्त पर मनुष्य किसी भी शर्त पर विकास हासिल करने की जिस अंधी दौड़ में शामिल हो रहा है, उसकी परिणति निःशक्तता की गंभीर अवस्था के रूप उभर कर सामने आयी है। यह समस्या किसी भी राष्ट्र के विकास को पंगु और निराधार बना देता है। भारत में सर्वाधिक निःशक्त जनसंख्या राज्य में है। भारत में कुल निःशक्त जनसंख्या का वितरण देखे तो सर्वाधिक प्रतिशत विक्रम (2.98) दूसरे स्थान पर उड़ीसा (2.96:) एवं जम्मू एवं कश्मीर (2.88:) तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ 2.45% निःशक्त है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ की स्थिति निःशक्तों में बेहतर है।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 26,810,557 जनसंख्या निःशक्त है। जिसमें 14,986, 202 पुरुष जनसंख्या एवं 11,824,355 महिला जनसंख्या है। नगरीय क्षेत्रों में कुल 18,631,921 जनसंख्या निःशक्त है। जबकि 8,178,636 ग्रामीण व्यक्ति निःशक्त है।

जनगणना 2001 से 2011 के मध्य निःशक्तजनों की जनसंख्या

* एसोसिएट प्रोफेसर (भूगोल) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** एम.फिल शोधार्थी (भूगोल) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

*** एम.फिल शोधार्थी (भूगोल) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

22.4 प्रतिशत बढ़ी है। भारत के कुल जनसंख्या में 2.21 प्रतिशत जनसंख्या निःशक्त है। जिसमें 2.41% पुरुष एवं 2.01% महिला जनसंख्या जबकि 2001 में देश की कुल जनसंख्या में 2.13% जनसंख्या निःशक्त थी, जिसमें 2.37% पुरुष एवं 1.87 महिलाएं थी।

छत्तीसगढ़ में निःशक्त जनसंख्या का वितरण 2011 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका

बिलासपुर जिला : निःशक्त जनसंख्या का वितरण 2001-2011

क्रमांक	जनगणना व. ज्ञान	कुल निःशक्त जनसंख्या
1	2001	18843
2	2011	22143

अध्ययन क्षेत्र में जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या 18843 थी जो 2011 में बढ़कर 22143 हो गई।

तालिका (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सन् 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्त जनसंख्या में बिलासपुर जिले के कुल निःशक्त जनसंख्या का प्रतिशत 9.85 है। सन् 2011 में राज्य में कुल पुरुष निःशक्त जनसंख्या 11785 है। उसी तरह सन् 2001 में राज्य में महिला निःशक्त जनसंख्या 10358 है।

निष्कर्ष – सरकार विकलांग बच्चों को सही प्रकार की शिक्षण सामग्रियों तथा पुस्तक प्रदान करने, शिक्षकों व स्कूल बनाने के लिए प्रयास करेगी, जो पहुंच में आने योग्य तथा विकलांग हितैशी हो।

मनुष्य के विकास के साथ-साथ निःशक्तता ने भी अपना सुरसामुख (विकराल रूप) बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिसका मुख्य कारण आधुनिक संसाधन, जाति, संप्रदाय, प्रांत एवं देशों के मध्य आपसी संप्रभुत्व की लड़ाई है। जो अवि कार मानव समुदाय के कल्याण के लिए किए गए वहीं उसके संहारक बन गये हैं। जापान का हीरोशिमा एवं नागासाकी की घटना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। हमारे देश में भी 1948 की भोपाल गैस त्रासदी कितने लोगों को निःशक्त बना दिया कारण जो भी हो लेकिन विश्व की आबादी बढ़ने के साथ-साथ इनके भी संख्या बढ़ती जा रही है।

राज्य निःशक्त जनसंख्या का प्रतिशत उन जिलों में अधिक पाया गया है, जहां के व्यक्ति जागरूक हैं। जागरूक व्यक्ति शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन कराते हैं।

निःशक्तता एक विश्वव्यापी समस्या है, विकसित देशों में इस समस्या के हल के लिए काफी उपाय किए गए। लेकिन विकासशील देशों में बहुत कुछ करना बाकी है। चूंकि भारत एक विकासशील देश है तथा छत्तीसगढ़ इस राष्ट्र का नवनिर्मित एवं अपेक्षाकृत पिछड़ा राज्य है। बिलासपुर जिले में भी निःशक्त जनसंख्या के समस्याओं के निदान हेतु उचित दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रदेश में निःशक्त जनसंख्या की अधिकता विकसित जिलों में मिलती है क्योंकि ये जिले साक्षरता व सुविधाओं से सम्पन्न हैं। अतः लोगों में जागरूकता होने के कारण परिवार के निःशक्त सदस्यों का पंजीयन कराते हैं। अदिवासी जिलों में निःशक्तता की संख्या कम है क्योंकि यहां सुविधाओं का अभाव है तथा यहां के निवासी सभ्य समाज से संबंध स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये आज भी अपने पुराने रीति-रिवाज एवं परम्पराओं से बंधे हुए हैं। अस्थिरवादी निःशक्त जनो की संख्या सर्वाधिक पायी जाती है। विकलांग व्यक्ति किसी के दया के पात्र नहीं है, बस उन्हें अवसर चाहिये ये भी सामान्य व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं।

निःशक्तता की गंभीर समस्या को रोकने हेतु कुछ ठोस कदम अपनाना आवश्यक है-

1. निःशक्तजनों एवं उनके परिवार के सदस्यों में जागरूकता हेतु मिडिया द्वारा प्रचार प्रसार कराना चाहिए।
2. शासकीय व अशासकीय सेवा में आरक्षण की स्थिति को और बेहतर बनाना चाहिए।
3. निःशक्तजनों को रोजगार परक तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
4. निःशक्तजनों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए।
5. निःशक्तजनों में साक्षरता की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये यासन को कारगर उपाय करने चाहिये।
6. आदिवासी क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से निःशक्तता के कारण व उपायों का लोगों में जागरूकता लाना चाहिए।
7. निःशक्तजनों के पोषण व स्वास्थ्य जागरण अभियान कराना चाहिए ताकि कुपोषण से होने वाली निःशक्तता पर रोकथाम किया जा सके।
8. ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी उचित ढंग से मिल सके इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य में निःशक्त समस्या विकराल रूप ले इससे पहले व्यापक एवं ठोस नीति की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनगणना 2011
2. छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग।
3. जिला पुनर्वास केन्द्र, बिलासपुर।
4. राजीव गांधी शिक्षा मिशन विभाग, बिलासपुर।
5. जिला सांख्यिकी विभाग, बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ में निःशक्त जनसंख्या का वितरण 2011

क्रं.	देश/राज्य/जिला	कुल जनसंख्या	निःशक्त जनसंख्या	कुल जनसंख्या में % निशक्त जनसंख्या का
	भारत	1,210,854,977	268,105,57	2.21
	छत्तीसगढ़	25,540,196	624,937	2.44
1	कोरिया	65,9039	15,373	2.33
2	सरगुजा	236,1329	51,850	2.19
3	जशपुर	80,2043	22,186	2.60
4	रायगढ़	14,93,627	36,422	2.43
5	कोरबा	12,06,563	24,927	2.06
6	जांजगीर-चांपा	16,20,632	44,151	2.72
7	बिलासपुर	26,62,077	66,848	2.51
8	कबीरधाम	8,22,239	20,684	2.51
9	श्राजनांदगांव	15,37,520	42,013	2.73
10	दुर्ग	33,43,079	79,006	2.16
11	रायपुर	40,62,160	1,13,650	2.79
12	महासमुद्र	10,32,275	30,385	2.94
13	धमतरी	7,19,919	16,495	2.06
14	उत्तर बस्तर कांकेर	74,85,93	16,888	2.25
15	बस्तर	14,11,644	27,710	1.96
16	नारायणपुर	14,02,06	22,19	1.58
17	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	53,27,91	92,47	1.73
18	बीजापुर	25,51,80	38,06	1.49

स्रोत - जनगणना 2011

तालिका**तालिका - बिलासपुर जिला: पुरुष-महिला निशक्त जनसंख्या का वितरण 2011**

क्रं.	जिला	कुल निःशक्त जनसंख्या	पुरुष निःशक्त जनसंख्या	प्रतिशत में	महिला निःशक्त जनसंख्या	प्रतिशत में
1	बिलासपुर	22,143	11,785	53.22	10,358	46.77

स्रोत- भारत की जनगणना 2011

लिव इन रिलेशनशिप का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

ज्योत्स्ना झारिया *

प्रस्तावना - वर्तमान भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही तेजी से पैर पसार रहा है। एक समय ऐसा था जब इसे बहुत ही बुरा, पाप, अपराध, असामाजिक और अनैतिक संबंध माना जाता था किन्तु वर्तमान समय में हमारे भारतीय समाज में भी लोग खुलकर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और अपने इस संबंध को जग जाहिर भी करते हैं। जानी मानी हस्तियों और मशहूर व्यक्ति इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जिससे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा भी इसे अपना रहे हैं।

हमारे देश में लिव इन रिलेशन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पाप या अपराध नहीं है एवं पुरुषों के साथ रह रही महिलाओं एवं उनसे पैदा हुए बच्चों को कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान भी किया गया है। हमारे देश के शहरी या आधुनिक जीवन शैली जीने वाले युवाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो लिव इन रिलेशनशिप में विश्वास रखता है इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक वरदान से कम नहीं है।

लिव इन रिलेशनशिप के कारण - शोधों एवं सर्वेक्षणों से ऐसे कई कारण स्पष्ट हुए हैं, जिनसे लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ोतरी हुई है। जैसे-

पाश्चात्य संस्कृति एवं आधुनिकता - हमारी भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति एवं आधुनिकता हावी होती जा रही है वर्तमान युवा पीढ़ी पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उनकी जीवनशैली, पहनावा, खानपान, रहन-सहन के साथ-साथ पारस्परिक संबंध भी पाश्चात्य संस्कृति से अछूते नहीं हैं और यही वजह है कि लिव इन रिलेशनशिप आधुनिक जीवनशैली के मुरीद युवाओं की एक पसंद बन गया है। भारत में अधिकतर मामले महानगर में देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि नौकरी या पढ़ाई के लिए घर से दूर रह रहे युवाओं के बीच अक्सर इस तरह के रिश्ते पनपते लगते हैं।

उन्मुक्तता एवं स्वतंत्रता - वर्तमान में आधुनिक युवा बंधनों से मुक्त स्वतंत्रता एवं आजादी चाहता है। लिव इन रिलेशन को अपनी आजादी के रूप में देख रही युवा पीढ़ी के बीच विगत कुछ वर्षों से इस रिश्ते की लोकप्रियता व स्वीकारिता बढ़ी है। इस रिश्ते में जाति धर्म, लिंग आयु आदि का भेद नहीं होता। चूंकि यह रिश्ता आपसी सहमति से बनता है अतः दोनों ही एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण या अधिकार जमाने जैसा व्यवहार नहीं करते, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ जिम्मेदारियों से भी मुक्त रहते हैं। संबंध में टकराव एवं विचारों की असमानता होने पर बिना किसी कानूनी लिखा पढ़ी के वे अलग हो सकते हैं। किन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला एवं संबंधों से पैदा बच्चों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है व संबंधित पुरुष की संपत्ति पर उनका उतना ही अधिकार होता है, जितना वैध पत्नि या बच्चों का।

यौन संतुष्टि एवं भावनात्मक सहारा - मनचाहा प्यार एवं उन्मुक्त यौन संतुष्टि भी लिव इन रिलेशनशिप का एक कारण होता है। लंबे समय तक साथ-साथ पढ़ने अथवा नौकरी करने से व्यक्तियों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं जो आगे चलकर प्यार और फिर लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाती हैं। यौन संतुष्टि के साथ-साथ पार्टनर को भावनात्मक सहारा एवं आर्थिक सहयोग भी मिलता है।

व्यक्तिगत सर्वेक्षण (2015) से पता चला है कि विभिन्न बी.पी.ओ. और साफ्टवेयर कंपनियों व कालसेंटर्स आदि में काम करने वाले युवाओं एवं इंजीनियरिंग, डाक्टरी, आई.टी.आई. आदि की पढ़ाई करने वाले युवा ज्यादातर घर से दूर बाहर रहकर नौकरी या पढ़ाई करते हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिव इन रिलेशनशिप की रिश्ते की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ी है। वे कहते हैं कि इस रिश्ते की बढ़ती लोकप्रियता में सिर्फ प्यार की भूमिका ही नहीं होती बल्कि आर्थिक कारणों की भी भूमिका होती है उनके अनुसार जब दो लड़के एक साथ रह सकते हैं और अपनी चीजे सांझा कर सकते हैं, तो लड़कियों के साथ रहने में क्या बुराई है? लिव इन रिलेशन को प्यार विवाह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह रिश्ता आपसी सहमति के जरिए सेक्स एवं अन्य जरूरतों को पूरा करता है।

संचार माध्यम एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरण - लिव इन रिलेशनशिप के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता में संचार माध्यमों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिल्मों, कहानी, सीरियलों, पत्र पत्रिकाओं और तो और इंटरनेट के जरिए युवाओं को लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कई ऐसे प्रेरणास्पद उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। जो इस रिश्ते को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं।

लिव इन रिलेशनशिप के गुण-

- लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए दो व्यक्ति चलकर वैवाहिक संबंध में भी बंध सकते हैं।
- लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला जोड़ा बिना किसी दबाव के अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं।
- इस तरह के रिश्ते में रहने वाला जोड़ा निजी रूप से आजाद होता है, अतः यह रिश्ता बोझिल नहीं होता।
- इस तरह के रिश्ते में व्यभिचार, धोखा, बेवफाई आदि की आशंका कम ही होती है।
- इस तरह के रिश्ते की सुरक्षा हेतु समाज और कानून दोनों का नियंत्रण होता है।
- इस तरह के रिश्ते दहेज, बाल विवाह, पर्दाप्रथा, जाति प्रथा जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा नहीं मिलता।

लिव इन रिलेशनशिप के दोष-

* सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

- जो खुशी, संतुष्टि व सम्मान परमपरागत वैवाहिक बंधन में होता है, वह लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होता।
- इस रिश्ते में रहने वाले जोड़े को रिश्ते के टूटने का हमेशा भय रहता है जिससे तनाव एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- इस तरह के रिश्ते में रिश्ता बनाने की आजादी तो होती है किन्तु अविश्वास की भावना पनपने का भय रहता है जिससे वे लाईफ को इन्जाए नहीं कर पाते।
- इस तरह के रिश्ते में एक दूसरे की जीवन शैली, कार्यशैली, संस्कृति, स्वभाव आदि को न समझ पाने के कारण समायोजन में कई तरह की परेशानियाँ आती हैं।
- लिव इन रिलेशनशिप में दोनों में से किसी एक के बहकने एवं साथ ही कमिटमेंट तोड़ने का डर भी बना रहता है।
- वैवाहिक रिश्ते की तुलना में इस रिश्ते में शुरू में प्यार एवं भावनात्मकरूप से जरूर जुड़ते हैं किन्तु शीघ्र ही इस रिश्ते में नीरसता आने लगती है, वैचारिक टकराव होने लगते हैं और रिश्ता टूटने की हमेशा आशंका बनी रहती है।
- हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी इस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता अतः इस तरह के रिश्ते रखने वाले जोड़ों को हमेशा बेइज्जती, अपमान, अपशब्दों, असहयोग आदि का सामना करना पड़ता है।
- कानूनी संरक्षण के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की को समाज स्वीकार नहीं करता। साथी के छोड़ देने पर नए जीवन साथी ढूँढ़ने में परेशानी आती है क्योंकि समाज के लिए यह रिश्ता अनैतिक एवं अवांछनीय है।

- इस तरह के रिश्ते में रहने वाले जोड़ों के जिंदगी भर साथ निभाने की कोई गारंटी नहीं होती। अतः उनका भविष्य असुरक्षित होता है।

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों हेतु सुझाव -

- लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को अपने पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कराना आगे के जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा।
- इस तरह के रिश्ते की शुरुआत करने वाले जोड़ों को पूर्व में सफल जोड़ों से प्रेरणा एवं ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
- इस तरह का रिश्ता कायम करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों एवं अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए।
- पार्टनर द्वारा किसी तरह का धोखा, मजबूरी का फायदा उठाना या भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने पर उसे रोकने या उससे लड़ने की क्षमता व हिम्मत का होना जरूरी है।
- लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता कायम करने के पूर्व एक दूसरे को समझ लें, परख लें, भरोसा कामय करें तभी यह रिश्ता जिंदगी भर टिक पायेगा।
- आपसी सहयोग एवं भावनात्मक सहारा इस रिश्ते को वैवाहिक जीवन का सुख दे सकता है।
- पूर्व से विवाहित महिला या पुरुष बिना तलाक के इस तरह के रिश्ते कायम न करें अन्यथा घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव, प्रतिबल एवं भ्रण-पोषण संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <http://www.amarujala.com>
2. <http://www.dw.com>
3. व्यक्तिगत शोध एवं सर्वे।

बहुआयामी रचनाकार मुक्तिबोध का सृजनात्मक संघर्ष

डॉ. उमा त्रिपाठी *

शोध सारांश – साहित्यकार का जीवन-बोध अन्ततोगत्वा उसकी रचनाओं से अभिव्यक्त होता है। उसकी निजी जिन्दगी, जीवन की तंग गलियों में चक्कर काटती हुई अस्तित्व संघर्ष के प्रयास में भले ही खप-पच जाय, किन्तु इससे उसकी सर्जनात्मकता निरन्तर धारदार बनती जाती है अस्तित्व संघर्ष और सृजनशीलता के द्वन्द्व से ही उसकी रचना में निखार आता है। वस्तुतः महान कलाकार का जीवन और उसकी कृति में अन्योन्याश्रित संबंध होता है। मुक्तिबोध एक साथ सब कुछ थे गहन मानवीय संवेदना से युक्त कवि भी, कुशल कल्पनाशील कहानीकार, प्रखर पत्रकार भी, वेवाक और दो दूक समीक्षक भी, ईमानदार डायरी लेखक तथा आत्मीय और भावुक पत्र लेखक भी साथ ही एक गंभीर चिंतक भी। कृति का मूल स्रोत जीवन होता है पुनर्रचित होने पर उसमें जीवन को तराशने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। रचनात्मक संवेदना, रचनाशील मानसिकता की उपज होती है रचना की स्थिति में कवि की अनुभूति रचनाकार को तराश कर बाहर निकालती है और रचित हो जाने पर विभाजन की स्थिति में वह पाठक को तराशने और जोड़ने-तोड़ने का कार्य करती है। मुक्तिबोध की रचना में यह विशेषता प्रभूत मात्रा में विद्यमान है। मुक्तिबोध ने जीवन में कम गरल का पान नहीं किया था। उन्हे यातना और अभाव की सहस्रों टाकियों को झेलकर शंकर बनना पड़ा था। उनकी रचनायें इसका साबूत हैं।

प्रस्तावना – रचना के माध्यम से मुक्तिबोध के इस विद्रोही और सैलानी व्यक्तित्व की खोज, सम सामयिक- रचनाकार के जीवन संघर्ष का ज्वलन्त प्रमाण हो सकता है। मुक्तिबोध ने एक साथ कई मोर्चों पर जिन्दगी की लड़ाई लड़ी थी इस लड़ाई में उन्होंने न तो किसी के करार किये न ही सुख सुविधा के लिए कोई शार्टकट अपनाया वे मात्र कविता से अपने आप को समग्रतः व्यक्त न कर पाने की स्थिति में थे इसीलिये अपनी सृजन यात्रा में अभिव्यक्ति के लिए कभी पत्रकार तो कभी कहानीकार तो कभी समीक्षक, निबंधकार तो कभी गंभीर चिंतक के रूप में वे दिखाई देते हैं।

मुक्तिबोध की जीवन गाथा एक ऐसे साधारण भारतीय साहित्यकार की करुण गाथा है जो इसलिये जिया कि वह दूसरों के जीने का निमित्त बन सके, दूसरों की वेदना में निमज्जित होकर उसे व्यापक रूप दे सके। उनका जीवन पूर्णतः एक समर्पित और प्रतिबद्ध साहित्यकार का जीवन था। मुक्तिबोध बचपन से ही ज्ञान-पिपासु थे। उनकी जिज्ञासा-वृत्ति बड़ी सजग थी। उनकी यह जिज्ञासा वृत्ति उन्हें बौद्धिक हलचलों के प्रखर वातावरण के बीच ले गई थी। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंतिम वर्ष, राष्ट्रीय जनजीवन के ऐसे वर्ष थे, जो राजनैतिक हलचलों और एक प्रकार की बौद्धिक सुगबुगाहट से अनुप्राणित थे। नई राजनैतिक चेतना का आह्वान उन्हें बौद्धिक सचेतना की ओर अग्रसर कर रहा था। वे सम्मान के भूखे नहीं थे उन्हें तो नये युग के अनुभव की अपेक्षा थी। इसके लिये उन्होंने भगीरथ प्रयास भी किया। उसकी अपनी चुनौतियाँ भी थीं। उनका साक्षात्कार एवं समाधान ज्ञान से ही संभव था।

मुक्तिबोध ने आदमियत के विरोधी आदमखोरों के विरुद्ध अपनी लेखनी का संधान किया है। मुक्तिबोध कभी जीवन के एक ही बाजू को लेकर नहीं चले उनके मित्र शमशेर भी यही स्वीकारते हैं कि 'मुक्तिबोध हमेशा एक विशाल विस्तृत केनवास लेता है, जो समतल नहीं होता है जो सामाजिक जीवन के धर्म क्षेत्र और व्यक्ति चेतना की रंगभूमि को निरन्तर जोड़ते हुये समय के कई

काल क्षणों को प्रायः एक साथ आयामिक करता है'।¹

मुक्तिबोध की केन्द्रीय संवेदना मानवीय प्रतिबद्धता थी जिसकी अनुगूंज उनकी कहानियों में है, कविताओं में भी है, निबंधों में भी है, समसामयिक लेखों तथा निबंधों एवं संपादकीय टिप्पणियों से लेकर पत्रों में भी समान रूप से हैं। मुक्तिबोध का काव्य नई कविता की अन्यतम उपलब्धि है। 'तारसप्तक' से प्रारंभ होकर 'चाँद का मूँह टेढ़ा' हैं तक नई कविता ने एक लम्बी यात्रा तय की हैं मुक्तिबोध आज नई कविता के चर्चित कृती-व्यक्तित्व हैं। आज वे हिन्दी साहित्य के युग पुरुष बन गये हैं। नई कविता के भीतर मुक्तिबोध ने ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया है। जिससे जन जीवन की आशा आकांक्षा और संघर्षों का महत्व बढ़ गया। उन्होंने अपनी कविताओं में उस युग की सामाजिक जटिलता, पाखण्ड, मानसिकता तनाव तथा विषमता पूर्ण जीवन की भयानकता को प्रस्तुत किया। शोषण और भ्रष्टाचार पर आधारित पतनमुख भारतीय सभ्यता का सच्चा चित्र प्रस्तुत उपस्थित किया उन्होंने छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद तीनों ही काव्य परम्पराओं से प्रभावित होकर कविताएँ लिखीं। नई कविता के इतिहास में मुक्तिबोध ऐसे कवि हैं। जिन्होंने परम्परा को आत्मसात करते हुये कविता को नये आयाम प्रदान किये। उनकी कविता अंधेरे में पिछली अर्द्धशती की सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में है। फैण्टसी और क्यूबिक शिल्प में रची यह कविता, जटिल, बहुस्तरीय और पर अन्तर्विरोधी यथार्थ का जबरदस्त कतनाव झेलने वाली विचार पूर्ण, सोउद्देश्य रचना है। कविता परम अभिव्यक्ति की खोज से शुरू होती है -

'वह रहस्यमयी व्यक्ति

अब तक न पायी गई मेरी अभिव्यक्ति है,

पूर्ण अवस्था वह

निज संभावनाओं, निहित प्राभावों, प्रतिभावों की,

मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव,

हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह,
आत्मा की प्रतिमा। (अंधेरे में)²

मुक्तिबोध की आरम्भिक रचनायें माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित 'कर्मवीर' में प्रकाशित हुई थी। यहीं से मुक्तिबोध के साहित्यिक जीवन की शुरुआत होती है। मुक्तिबोध ने अपने वक्तव्य में स्वयं लिखा है - 'इसके पूर्व उज्जैन में स्वर्गीय रमाशंकर शुक्ल के स्कूल की कवितायें जो माखन लाल स्कूल की निकली हुई शाखा थी, मुझे प्रभावित करती रहीं। बात को सीधे न कहकर सूचित करने की पद्धति अपनाई गई थी। उनका विश्वास था कि, इससे कथ्य अधिक सशक्त रूप में व्यक्त होता है। यह आंशिक सत्य भी था। इससे अभिव्यंजना उलझ जाती थी। काव्य का विषय भी मूलतः विरहजन्य करुणा थी। और साथ ही साथ करुणा की प्रधानता थी। मेरे मित्र कहते हैं कि उनका प्रभाव मुझ पर से अब तक नहीं गया है। इन्दौर में मित्रों के सहयोग और सहायता से मैं अपने आंतरिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ।' और पुरानी उलझन भरी अभिव्यक्ति और अमूर्त करुणा छोड़कर नवीन सौंदर्य क्षेत्र के प्रति जागरूक हुआ। यह मेरी प्रथम आत्मचेतना थी।³ वस्तुतः सन् 1938 से 1942 तक का समय, मुक्तिबोध के शब्दों में, '1938 से 1942 तक के पाँच साल मानसिक संघर्ष और वर्गसोनीय व्यक्तिवाद के वर्ष थे। आंतरिक विनष्ट, शांति और शारीरिक ध्वंस से इस समय में मेरा व्यक्तिवाद कवच की भांति काम करता था। सन् 1942 में प्रथम और अंतिम चरण में एक विरोधी शक्ति सम्मुख आयी। जिसकी प्रतिकूल आलोचना से मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा।'⁴

मुक्तिबोध के सर्जक व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं यदि मुक्तिबोध को कवि मुक्तिबोध मानते हुये मूल्यांकन किया जाये तो नामवर सिंह का यह कथन कि "निराला और मुक्तिबोध ने अपनी बलि देकर कविता को बचा लिया।"⁵ अक्षरशः सटीक बैठता है। 'अंधेरे में' 'ब्रम्हाक्षस' 'चाँद का मुँह टेढ़ा है', 'भूल गलती', 'पता नहीं मुझे कदम कदम पर', 'मेरे लोग', 'मैं तुम लोगों से दूर हूँ', 'कल जो हमने चर्चा की थी', 'चकमक की चिनगारियाँ', 'एक अंतर्कथा', 'एक स्वप्न कथा', 'मुझे याद आते हैं, 'चंबल की घाटी', आदि मुक्तिबोध की 218 छोटी बड़ी कवितायें हैं जो मुक्तिबोध की कालजयी उपलब्धियाँ हैं।

मुक्तिबोध के अंदर भावुकता, मित्रता, सम्मान एवं कृतज्ञता का भाव अधिक था। उनकी मानवीय संवेदना का स्रोत बहुआयामी था। उनका प्रत्येक प्रयत्न समाज को शोषण से मुक्त करने का था -

'मेरे सभ्य नगरो और ग्रामों में
सभी मानव
सुखी, सुन्दर व शोषण मुक्त
कब होंगे।'⁶

सन् 1943 आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास का एक माहत्वपूर्ण वर्ष था। जब 'तारसप्तक' के प्रकाशन से एक नई काव्य चेतना का प्रस्फुटन हुआ, तथा अन्य छः कवियों के साथ मुक्तिबोध की 16 कवितायें प्रकाश में आईं साथ ही उनकी साहित्य संबंधी मान्यतायें भी वक्तव्य के अंतर्गत पढ़ने को मिलीं। वक्तव्य में उन्होंने अपनी काव्य प्रेरणा के संबंध में लिखा है, 'मेरे बालपन की पहली भूख सौन्दर्य दूसरी विश्व मानव का सुख-दुःख, इन दोनों का संघर्ष मेरे साहित्यिक जीवन की पहली उलझन थी इसका स्पष्ट वैज्ञानिक समाधान मुझे किसी से नहीं मिला। परिणाम था कि इन अनेक आन्तरिक द्वन्द्वों के कारण एक ही काव्य विषय नहीं रह सका जीवन के एक ही बाजू को लेकर मैं कोई सर्वांशलेपी दर्शन की मीनार खड़ी नहीं कर

सका।'⁷

विश्व मानव की सुख-दुःख की यही भावना उन्हें क्रमशः मार्क्सवाद की ओर ले गई। शोषण तंत्र को ध्वस्त करने के लिए वे अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने को तैयार हैं।

'अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे
उठाने ही होंगे।
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब
पहँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार
तब कहीं देखने मिलेंगी बाँहे
जिसमें की प्रतिपल कांपता रहता
अरुण कमल एका।' (अंधेरे में)⁸

मुक्तिबोध की काव्य यात्रा का फलक न केवल व्यापक है अपितु बेहद जीवन्त एवं चैतन्य है। मुक्तिबोध की कविता में घुसने से पहले कविता का शीर्षक ही संघर्ष और यथार्थ का आभास पाठक को करा सकने में समर्थ है। मुक्तिबोध की कविता समय सापेक्ष होते हुये इतिहासनुमा, तो कभी भविष्यनुमा और कभी कभी अतीत में डूबती उतरती-सी और कभी समय के झंझाबातों से उलझती हुई सी तो कभी फंतासी में उड़ान भरती हुई लगती है। किन्तु अपनी समस्त विचित्रताओं और भारी एन्द्रजालिकता के बाद भी वह अपने केन्द्र संवेदना या अपने मूल स्वर से कभी नहीं भटकती।

मुक्तिबोध ने कुल 40 काहानियाँ लिखी हैं उनकी कुछ दीर्घ कहानियों को उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया है जैसे मुक्तिबोध की 'विपात्र कहानी' रूप में छपी और उपन्यास रूप में भी। मुक्तिबोध की कहानियाँ उस निःशक्त और निरुपाय हिन्दुस्तान की जीती जागती तस्वीरें हैं।

'कामायनी एक पुनर्विचार' और, 'एक साहित्यिक की डायरी' से मुक्तिबोध को हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। मुक्तिबोध शुक्रवारी में 'तिलक' की मूर्ती के पास रहा करते थे एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से वे घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सिरों का फूटना और खून का बहना अपनी आंखों से देखा था। 'अंधेरे में' शीर्षक कविता उनके नागपुर जीवन से बहुत सारे संदर्भ अपने अन्दर समेटे हैं। मुक्तिबोध का सारा समय साधारण एवं श्रमशील लोगों के बीच और पत्रकारिता तथा राजनीतिक साहित्यिक बहसों में ही बीतता था। मुक्तिबोध प्रखर आलोचक भी थे इन्हीं के संदर्भ में विष्णु खरे लिखते हैं 'मुक्तिबोध की आलोचना प्रभाववादी अनेकान्तिकता से ग्रस्त नहीं है कि केवल पांडित्य प्रदर्शक सर्जनात्मक आलोचना बन कर रह जाए। उनकी आलोचना केवल साहित्यिक मूल्यों और मानदंडों की नहीं मानव जीवन के मूल्यों और पैमानों की पक्षधर है। वे प्रतिवद्ध आलोचक हैं। किन्तु रुढ़िग्रस्त कठमुल्ला और सिद्धांतवादी समीक्षा से होने वाली हानि को जितना उन्होंने पहचाना था उनके समकालीन शायद किसी अन्य प्रतिबद्ध साहित्यकार ने नहीं।'⁹

'नई कविता का आत्मसंघर्ष' तथा 'नये साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र' मुक्ति बोध की दो ही आलोचनात्मक किताबें उनके जीवन काल में प्रकाशित हो पायीं शेष मुक्तिबोध रचनावली में प्रकाशित हैं। 'कामायनी एक पुनर्विचार' में कामायनी की युग प्रवर्तक आलोचना मुक्तिबोध की।

मुक्तिबोध के समीक्षक व्यक्तित्व एवं व्यापक दृष्टि के बारे में विष्णु खरे की यह टिप्पणी उचित है कि 'उनकी दृष्टि इतनी व्यापक है कि हिन्दी कविता के सारे युगों का आंकलन करती है और उसे विश्व संदर्भ में रखती है परखती है, साथ ही इतनी प्रखर और एकाग्र भी कि कामायनी जैसी विख्यात आधुनिक

कृति की सीमाओं को भी उद्धाटित करती है'¹⁰

मुक्तिबोध सजग पत्रकार भी थे छठे दशक की समकालीन राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सवालों को भी मुक्तिबोध की कलम ने अपने लेखन के दायरे में समेटा था। मुक्तिबोध द्वारा अपने मित्रों को लिखे गये पत्रों का भी साहित्यिक महत्व है उनकी संघर्ष गाथा, साहित्य एवं समाज के प्रति प्रतिबद्धता इन्हीं पत्रों में मौजूद है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध एक बहुआयामी रचनाकार थे उनमें काव्य प्रतिभा के अतिरिक्त एक कहानीकार की दृष्टि भी थी तथा आलोचना के प्रति मौलिक नजरिया भी था एवं एक सजग पत्रकार दृष्टि भी थी तथावे सार्थक सरोकारों से जुड़े निबंधकार भी थे तथा एक आत्मीय और भावुक पत्र लेखक भी थे। प्रायः महान रचनाकारों के साथ नियति का व्यंग्य बड़ा ही निर्मम और प्राण घाती रहा है। मुक्तिबोध के साथ भी नियति की यह विडम्बना किसी न किसी रूप में निरंतर सम्बद्ध रही है। इससे उनके आंतरिक जीवन में तराश और धारदारी उत्पन्न हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुक्तिबोध रचनावली-खंड 2 संपादक नेमीचंद जैन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली के फ्लेप पर।
2. 'अंधेरे में' - समकालीन काव्य संकलन
3. तारसप्तक (वक्तव्य) : पृ0 5
4. तारसप्तक (वक्तव्य) : पृ06-7
5. गजानन माधव मुक्तिबोध-संपादक लक्ष्मण दत्त गौतम, पृ0 96।
6. चाँद का मुँह टेढ़ा पृ0 155
7. तारसप्तक (वक्तव्य) : पृ06
8. 'अंधेरे में' - समकालीन काव्य संकलन
9. मुक्तिबोध रचनावली - खण्ड 5 संपादक नेमीचंद जैन, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के फ्लेप पर।
10. मुक्तिबोध रचनावली - खण्ड 5 संपादक नेमीचंद जैन, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के फ्लेप पर।

हिन्दी पत्रकारिता और महिला

डॉ. अमित शुक्ल *

शोध सारांश - हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता जहाँ हिन्दी पत्रकारिता के विकास में अनेक भारतीय बुद्धिजीवियों का योगदान रहा वहीं महिलाओं का योगदान भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है। हिन्दी पत्रकारिता उदन्त मार्तण्ड से प्रारम्भ हुई थी वह विविध स्तरों को पार कर शिखरता की ऊँचाइयों को स्पर्श कर रही हैं। पर बदलते समय के बदलते परिवेश में पत्रकारिता का रूप भी बदल गया है, संचार क्रांति की इस दुनिया में अचानक ही हिन्दी पत्रकारिता की दुनिया बदल गई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान से उनकी योग्यता का आकलन हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में लोकप्रिय महिलाओं का सराहनीय योगदान रहा।

शब्द कुंजी - पत्रकारिता, लोकप्रिय महिलाएँ, संचार क्रांति, दुनिया, बदलते परिवेश।

प्रस्तावना - पत्रकारिता के क्षेत्र में लोकप्रिय महिलाओं का सराहनीय योगदान रहा। उर्मिला शास्त्री ने जन्मभूमि साप्ताहिक पत्रिका का सम्पादन किया। सत्यवती स्नातिका ने किसान सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। पंजाब से हेमन्त कुमारी चौधरानी ने सुगृहणी नामक पत्रिका का सम्पादन किया। 1888 में अम्बिका व्यास ने वैष्णव पत्रिका का सम्पादन किया। 1901 में दि इण्डियन लेडीज मैगज़ीन पत्रिका में काम करने वाली महिला पत्रकार श्रीमती सेन गुप्ता थी, उन्होंने 1932 में ही हिन्दू दैनिक पत्र में काम करना शुरू किया। इला सेन और कपूरथला की राजकुमारी इन्दिरा ने राजनीतिक विषयों पर लेख लिख कर भारत तथा विदेशों में ख्याति बढ़ाई। रामेश्वरी नेहरू ने 'स्त्री धर्म', ऑल इण्डिया विमेन्स कान्फ्रेंस द्वारा 'रोशनी' तथा नेशनल कौन्सिल ऑफ वूमेन्स द्वारा 'बुलेटिन' नामक पत्रिकाएँ निकाली गयीं। इसके अतिरिक्त स्त्री संगठनों के माध्यम से भी समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती थी। विमेन्स इण्डियन एसोशिएशन द्वारा 'स्त्री धर्म' ऑल इण्डिया विमेन्स कान्फ्रेंस द्वारा 'रोशनी' तथा नेशनल कौन्सिल ऑफ वूमेन्स द्वारा 'बुलेटिन' नामक पत्रिकाएँ निकाली गयीं इसके अतिरिक्त 'ईन्स वीकली' और 'ट्रेण्ड' आदि पत्रिकाएँ महिलाओं द्वारा निकाली जाती थी।¹

पत्रकारिता के क्षेत्र में लोकप्रिय महिलाएँ :

1. **वेल्ली फिशर** इलाहाबाद में 13.2.1953 को साक्षरा निकेतन की स्थापना की व गांवों में शिक्षा का काम शुरू किया। 84 वर्ष की अवस्था में वेल्ली फिशर स्वस्थ रहकर कार्य करती रही। सन् 1975 में साक्षरता निकेतन से वेल्ली फिशर ने 'उजाला' पाक्षिक पत्र अपने सम्पादकत्व में प्रकाशित किया था।

2. **प्रीति सेठी** - एशिया की सर्वोत्तम पत्रकार है, प्रीति सेठी। प्रीति सेठी को सम्पादन और लेखन के साथ समाचार-संयोजन का भी अनुभव है। मुम्बई में नशेदियों पर काफी खोजबीन करके लघु फिल्म तैयार की, वे पुरस्कृत भी हुई हैं।

3. **सत्यवती स्नातिका** - बीसवीं सदी के पांचवे-छठे दशक में मेरठ में 'किसान सेवक' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता था। उस साप्ताहिक का

कई वर्ष तक सत्यवती स्नातिका ने सम्पादन किया था।

4. **जगरानी देवी** - श्रीमती जगरानी देवी दक्षिण अफ्रीका के विख्यात नेता स्वामी भवानी दयाल सन्यासी की पत्नी थी। उनका जन्म सरबरा, सोनभद्र के पास, बिहार में 1897 में हुआ था। पंडित कौशिल्या देवी ने उन्हें हिन्दी का ज्ञान कराया था। उस ज्ञान के बाद तो जगरानी जी हिन्दी की भक्त और सक्रिय प्रचारक बन गईं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि 'हिन्दी' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाए। उनका सारा साहित्य अजमेर के कार्य समाज संग्रहालय में देखा जा सकता है।

5. **चन्द्रवती ऋषभ सेन जैन** - पंजाब हाईकोर्ट के न्यायाधीश और दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर मोतीसागर की पुत्री थी, चन्द्रवती। 'शांति' (लाहौर-दिल्ली) और दीदी (प्रयाग) के सम्पादक साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) का सर्वसेरिया पुरस्कार मिला था।

6. **प्रेम कुमारी शर्मा** - प्रेम कुमारी का जन्म 20 जनवरी, 1924 को बसाई कला ग्राम (ताजेगंज आगरा) में हुआ। उनके पिता यशस्वी पत्रकार, कवि और स्वतंत्रा सेनानी श्री देवी प्रसाद शर्मा 'दिव्य' हैं। वे ब्रज क्षेत्र की पहली महिला पत्रकार थी। दैनिक भारत (प्रयाग), अमृत पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका (प्रयाग), नवप्रभात (ग्वालियर-भोपाल), वीर अर्जुन (दिल्ली), लोकवाणी, राष्ट्रदूत (जयपुर), प्रताप, वर्तमान (कानपुर) आदि की संवाददाता रहीं। मासिक 'युवक' का उन्होंने सम्पादन किया। वे सूखावाणी की भी सम्पादक थीं।²

7. **रमा विद्यार्थी** - 'प्रताप' (कानपुर) पत्र के यशस्वी सम्पादक गणेश जी के ज्येष्ठ पुत्र हरिशंकर विद्यार्थी की पत्नी का नाम था रमा विद्यार्थी। उन्होंने हिन्दी विषय लेकर एम.ए. की डिग्री प्राप्त की थी। उनका उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार था। 1955 से 1965 तक 'प्रताप' के प्रकाशन आदि की जिम्मेदारी सम्हाली।

8. **डॉ. कुन्तला कुमारी** - कुन्तला जी उड़ीसा प्रान्त की थी। वे हिन्दी में कविता और लेख लिखती थी। 'वरमाला' नाम से उनकी कविता संग्रह 1936 में प्रकाशित हुआ। दिल्ली हिन्दी प्रचारिणी सभा ने उनका सम्मान किया था। दिल्ली में उस समय महावीर, नारी और भारती नामक पत्रिकाएँ प्रकाशित

होती थीं। उन पत्रिकाओं में कुन्तला जी की रचनाएं प्रकाशित होती रहती थीं। कुन्तला जी ने उड़िया भाषा में भी कविताएं रची थी। उन्होंने एक उपन्यास उड़िया में लिखा था। दिल्ली की पत्रिकाओं के सम्पादन कार्य में भी वे सहयोग करती थीं।³

9. रजनी पनिक्कर – रजनी का जन्म 11 सितम्बर, 1924 को लाहौर में हुआ। वे मूलतः पंजाबी खत्री नैयर थी। पंजाब सरकार का सूचना विभाग पाक्षिक 'प्रदीपय पत्र' का प्रकाशन करता था। 1947 के बाद रजनी जी को 'प्रदीपय पत्र' का सम्पादिका बनाया गया। वे उपन्यास और कहानियां लिखती थीं। उनकी कुछ पुस्तकों के नाम हैं- ठोकर, पानी की दीवार, मोम के मोती, प्यासे बादल, काली लड़की, जाड़े की धूप, महानगर की नीता, सिगरेट के टुकड़े और प्रेम चुनरिया बहुरंगी। दिल्ली लेखिका समाज की वे संस्थापिका अध्यक्षा थीं। नेशनल बुक ट्रस्ट (दिल्ली) में उन्होंने सम्पादिका के पद पर काम किया था।³

10. ऊषा प्रभा – पाक्षिक 'प्रभु सत्ता' का प्रकाशन एक जून, 19973 से आरम्भ हुआ। सम्पादक थे भंवर स्वरूप (ग्राम अधिकारी, जिला भरतपुर) पत्रिका के प्रबन्धन का कार्य ऊषा प्रभा (दरवाजा, भरतपुर) करती थी।

11. नीलम महाजन सिंह – हिन्दी पत्रकारिता में नीलम महाजन सिंह ने विशेष गौरव प्राप्त किया है। चार दशक की जीवन अवधि में इनके लगभग तीन सौ लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनके लेखों में राजनीति और उसकी रणनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, दलगत विवाद और आर्थिक विश्लेषण आदि पर चुटीली भाषा में प्रकाश डाला गया। 30 मई, 1997 को बरेली में पत्रकार दिवस के समारोह में श्रीमती नीलम महाजन सिंह ने कहा कि पत्रकारिता उसके लिए है, जो जल कर राख हो चुके हैं।

12. श्रीमती नलिनी उपाध्याय – 'मधु माधवी' और 'लेखिका' की सम्पादिका नलिनी उपाध्याय हिन्दी और राजनीति विषयों में एम.ए. हैं। 'मधु माधवी' (त्रैमासिक) का प्रकाशन उन्होंने जनवरी, 1980 में आरम्भ किया। पत्रिका में राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय लेखों की प्रधानता रहती है। पत्रिका के कई विशेषांक निकाले गए हैं। वार्षिक पत्रिका 'लेखिनी' का भी यह सम्पादन करती हैं।⁴

13. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी 'प्रीता' – 'प्रीता' जी जयपुर से प्रकाशित 'प्रकाश स्तंभ' पाक्षिक में सह सम्पादिका का कार्य किया है। प्रीता जी के पत्रिक परिवार (कमतरी, लखनऊ) में महिला और पुरुष वर्ग में श्रेष्ठ कवि, निबंधकार, कहानी लेखक, उपन्यासकार और गीतकार हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं- विश्वेश्वर दयाल, हरिचरण, गजेन्द्र नाथ, रूपनारायण 'निधि नेह', भगवत स्वरूप, पृथ्वीनाथ और आदित्य कुमार। महिलाओं में आनन्दी (बाल कहानी), शारदा (लोकगीत) और मलयपुर की किशोरी देवी (कवि) जिन्हें बिहार सरकार तथा उ.प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। इनका प्रथम कहानी संग्रह 'भाग्य रेखा' 1985 में प्रकाशित हुआ। प्रीता जी की उपन्यास, बाल कहानियां, लघु कथा, निबंध और साक्षात्कार पर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।⁵

14. श्रीमती किरण जैन – आंचलिक साहित्यकार सभा की उपाध्यक्ष होने के साथ-साथ सिवनी में दैनिक भास्कर की संवाददाता रही हैं।

15. रोहिणी बसन्त निनावे – रोहिणी जी ने महाराष्ट्र मानस (हिन्दी मासिक) के सम्पादक का कार्य किया। उन्होंने पत्रकारिता का विधिवत अध्ययन कर डिप्लोमा भी प्राप्त किया।⁶

16. सुगृहिणी – 'सुगृहिणी' की जननी और सम्पादिका, श्रीमती हेमन्तकुमारी देवी का स्मरण हिन्दी संसार हेमन्त कुमारी चौधरानी नाम से

करता है। उस युग में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस केवल दो स्त्रियों ने किया। उनमें प्रथम तो थी श्रीमती हेमन्तकुमारी और दूसरी थी, 'भारत भगिनी' की सम्पादिका श्रीमती हरदेवी। इस प्रकार हिन्दी की प्रथम स्त्री-पत्रकार होने का गौरव श्रीमती हेमन्तकुमारी को ही प्राप्त होता है। अहिन्दी-भाषी (बंगला भाषी) होने के कारण हिन्दी की प्रथम अहिन्दी भाषी स्त्री-पत्रकार भी वहीं हैं। श्रीमती हेमन्तकुमारी देवी की 'सुगृहिणी' और श्रीमती हरदेवी की 'भारत भगिनी' के प्रकाशन की तिथि में केवल एक साल का अन्तर था। गार्सा द तासी, डॉ. रामरतन भटनागर, पंडित अंबिकाप्रसाद बाजपेयी आदि हिन्दी पत्रों के इतिहास-लेखकों ने 'सुगृहिणी' का जन्म सन् 1889 में और 'भारत भगिनी' का सन् 1888 में माना है। 'सुगृहिणी' फरवरी सन् 1888 में निकली। सन् 1888 की फरवरी में श्रीमती हरदेवी लंदन में थी। सन् 1888 की जुलाई की 'सुगृहिणी' में उनके लौटने का समाचार है। लंदन से लौटकर श्रीमती हरदेवी ने सन् 1889 में 'भारत भगिनी' पत्रिका निकाली।

17. गुर्जर वीर (पाक्षिक) – सम्पादक सत्यवीर सिंह। इसके सम्पादक मण्डल में थीं श्रीमती सुरेश गुर्जर। इस पाक्षिक का प्रकाशन 1990 में हुआ। पाक्षिक का मुद्रण यथावत् प्रिंटर्स, दादरी में होता है और प्रकाशन वीर सिंह पुर, 245207 (गाजियाबाद) से।

18. वर्तमान चाणक्य – सान्ध्य दैनिक 'वर्तमान चाणक्य' की सम्पादिका राजरानी देशवाल थी।

19. युगपथ (मासिक) – जनवरी, 1954। सम्पादक मण्डल-राजेन्द्र बहादुर सेठ, शांतसेठ, उमरानी पंवार, भगवत शरण गुप्त, गोविन्द हरी शर्मा और अविनाश चन्द निर्मल/युगपथ मंदिर, गुलाब नगर, बरेली,

20. मुरलिका (मासिक) – सितम्बर 1956। सम्पादक मण्डल-हरीश, असीम कुमार मैत्र, कमला शंकर शुक्ल, सुश्री सुमंगला। साहित्य सदन, 42 पंजाबी मार्केट, बरेली, बरेली की इन दोनों पत्रिकाओं के सम्पादन में डॉ. शान्ति सेठ और सुमंगला का सहयोग रहा।⁷

21. कुन्दनशील (मासिक) – सम्पादक मण्डल-सुरेशचन्द्र जैन, नीना जैन, ठाकुरदास चंचल, वेद अग्रवाल, रणवीर सिंह सेंगर और राजेश भारती 'राजेन्द्र'। पत्रिका का प्रकाशन 1978 में आरम्भ हुआ। मुद्रण हेम प्रिन्टर, प्यारे लाल शर्मा माग्र, मेरठ में हुआ। पत्रिका के संस्थापक शील चन्द्र जैन, शास्त्री। दिसम्बर, 1984 के अंक में 'दुष्यंत कुमार' स्मृति परिशिष्ट 15 पृष्ठ का है। गीतकार शैलेन्द्र पर भावों भरा लेख है।
22. सुपर ब्लेज (मासिक) – सम्पादक मण्डल में प्रभा, आशा, हेमन्त, प्रेमा सिंह, कमलेश 'भारतीय', आनन्द रस्तोगी, सजल और मनोहर गुप्त 'मोनी'। उक्त मासिक का प्रकाशन जनवरी 1978 में हुआ। 'सुपर ब्लेज' को विचार प्रधान पत्रिका कहा गया है। यह बड़े साहस की बात है कि सम्पादिका ने अपनी कलम का भागीदर खान मजदूर जहीर नियाजी को बनाया है।

23. गृहशोभा (मासिक) – यह पत्रिका हिन्दी, गुजराती, मराठी और कन्नड़ में प्रकाशित युवा महिलाओं की चहेती पत्रिका रही है। इस पत्रिका के विशेष आकर्षण रहे हैं, नये-नये व्यंजन, आधुनिकतम फैशन और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने वाली रचनाएँ। इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है।⁸

निष्कर्ष यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जहां पुरुषों का वर्चस्व रहा है वही महिलाओं का योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय है। वेल्दी फिशर, प्रीति सेठी, सत्यवती रत्नातिका, जगरानी देवी, चन्द्रवती, प्रेम कुमारी शर्मा, रमा विद्यार्थी, डॉ. कुन्तला कुमारी, रजनी पनिक्कर, ऊषा प्रभा, नीलम महाजन

सिंह, श्रीमती नलिनी उपाध्याय, श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी 'प्रीता', श्रीमती किरण जैन, रोहिणी बसन्त निनावे आदि महिलाओं ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किए, जो आज की महिलाओं के लिए पथ प्रदर्शक हैं। आशा की जाती है कि भविष्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में और भी महिलाएँ उभरकर सामने आर्येंगीं। 9

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधुनिक पत्रकारिता डायमंड बुक्स नई दिल्ली पृ. 28, 40
2. छत्तीसगढ़ विवके, सितम्बर, 2012, भिलाई, पृष्ठ 40, 46
3. राष्ट्रवाणी, फरवरी, 2012, अंक 5, पुणे, पृष्ठ 27, 35
4. हिन्दी पत्रकारिता-डॉ. धीरेन्द्र सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, बनारस, पृष्ठ 6, 8, 10
5. वीणा मासिक पत्रिका, जनवरी, 2010, इन्दौर, पृष्ठ 28
6. रचना द्विमासिकी, अक्टूबर 2010, पृष्ठ 32
7. महिला पत्रकार और पत्रिकाएँ, साहित्य संगम, इलाहाबाद, पृष्ठ 28, 30
8. जनसत्ता समाचार पत्र, नई दिल्ली 2008, पृष्ठ 04
9. स्वयं का सर्वेक्षण एवं निष्कर्ष।

संविधान-शिल्पी : डॉ. अम्बेडकर

डॉ. रमेश कुमार टण्डन *

शोध सारांश - डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग के नेता थे। वे उच्च शिक्षा प्राप्त थे। उन्हें पूरे संसार के कानून का अच्छा ज्ञान था। वे देश-सेवक, लोक-सेवक, राष्ट्रभक्त और दलितों के भगवान थे। वे संसार के एक महान पुरुष थे। उनका अभाव सम्पूर्ण देश को हमेशा खलता रहेगा। उन्होंने युग को एक नई चेतना दी और सभी को एक डोर में बाँधने की पूरी-पूरी कोशिश की। संसार उनका सदा आभारी रहेगा। वह उनसे हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा। जब तक यह संसार रहेगा तब तक लोग भीमराव अम्बेडकर को याद करते रहेंगे। भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है।" उपरोक्त कथन आबिद रिजवी के हैं जिसका उल्लेख वे अपनी किताब 'दलितों के मसिहा', गरीबों के उद्धारक डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जीवन-गाथा "डॉ. भीमराव अम्बेडकर" में करते हैं। मुख्य पृष्ठ पर रिजवी जी नीचे पुनः लिखते हैं- "जिसने जमीनी लड़ाई से अपना जीवन आरम्भ करके देश के करोड़ों दलितों के अधिकारों को कानूनी शस्त्र से लैस किया।"

प्रस्तावना - गुलाम भारत में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन् 1891 ई. को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मऊ नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता सूबेदार मेजर रामजी राव मालोजी अम्बेडकर थे, एवं माता जी भीमा बाई थीं। ये चौदहवीं संतान व जीवित पाँचवीं संतान के रूप जन्म लिए थे। आनन्द राव, बसंत राव, मन्जुला व तुलसी, ये चारों इनके अग्रज व अग्रजा थे। महाराष्ट्रीयन परम्परा के अनुसार "भीम सकपाल" के रूप में इनका नामकरण किया गया। कुछ दिन बाद गाँव की दूनिया छोड़कर वे सतारा शहर की दूनिया में आ गए। महार जाति होने के कारण इन्हें अछूत समझा जाता था, जिसके चलते भीम सकपाल स्कूल के दरवाजे के बाहर स्वयं की टाट बिछाकर बैठते। एक दिन, बीमारी के कारण उसकी माँ चल बसी, यहाँ भी इनका अछूत होना कारण बना। आगे की पढ़ाई के लिए (एल फिस्टन हाई स्कूल में भर्ती के लिए) पीतल की परात को सेठ के पास पचास रुपये में गिरवी रखना पड़ा। इस स्कूल में भी छुआछूत की एक घटना से आहत होकर, वह अपनी दीदी के पास मुम्बई चला गया। महार जाति के नाम पर चाय की दूकान से उसे धक्का दिया गया। नाई ने भी उसे धकेल दिया था। ऐसी अनेक घटनाएँ उनके जीवन में घटित हुईं, जिससे उनका मनोबल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रति, घटने की बजाय, प्रबल होता गया। अपने एक ईसाई मित्र कैलुस्कर के कहने पर भीमराव, बड़ौदा नरेश महाराज गायकवाड़ के पास गए, बड़ौदा नरेश ने कॉलेज प्रवेश और किताबों के लिए सौ रुपये दिए, साथ ही हर महीने पच्चीस रुपये छात्रवृत्ति भी स्वीकृत की। बी. ए. करने

के बाद, पढ़ाई छोड़कर, परिवार चलाने के लिए उन्हें सेना में नौकरी करनी पड़ी। उसे बड़ौदा रियासत में लेफ्टिनेंट का पद मिला। भीखू बालंगकर की पुत्री रामाबाई से उनकी शादी हो गई। एक दिन उनके पिताजी बीमार हो गए। छुट्टी नहीं मिलने के कारण, उन्हें नौकरी से त्याग-पत्र देना पड़ा। अन्ततः वे अनाथ हो गए। पुनः एक बार बड़ौदा नरेश की सहायता से, उत्तीर्ण होने के बाद 10 साल तक बड़ौदा राज्य की सेवा करने की शर्त पर, वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गये। डाक्टर ऑफ फिलासफी करने के बाद, डाक्टरेट करने के लिए वे लंदन चले गए, जहाँ वे थीसिस लिखना चाहते थे, बैरिस्टर बनकर भारत लौटना चाहते थे। परन्तु महाराज गायकवाड़ के द्वारा छात्रवृत्ति बंद करके बड़ौदा राज्य की सेवा के लिए वापस बुला लिए जाने के कारण, भीमराव को लंदन से भारत वापस आना पड़ा। उन्होंने 2000 रुपये के मासिक वेतन पर बड़ौदा रियासत के सैन्य सचिव के पद पर कार्य भार संभाला। इस पद पर भी, लोगों ने उन्हें चैन की सांसे नहीं लेने दीं, महार होने की वजह से कार्यालय का चपरासी पानी नहीं पिलाता था, फाईल को दूर से फेंककर देता था। फिर सराय में किराए का मकान लेकर रहने लगे, जब वहाँ के लोगों को उनकी जाति के बारे में पता चला, तो वे लोग भी मारने-पीटने को उतारू हो गए। अन्त में इस नौकरी को भी उन्हें छोड़ना पड़ा। बाद में बम्बई कॉलेज में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई। यहाँ भी अन्य प्रोफेसरों ने घड़ा से पानी पीने को लेकर अछूत कहकर उनका अपमान किया। इसी दौरान भीमराव पिता बन गए, पुत्र का नाम यशवंतराय रखा

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) भारत

गया। अम्बेडकर अपनी हालत से संतुष्ट नहीं थे। वे सोचने लगे- “यह नौकरी छोड़ देंगे। लंदन जायेंगे और वहाँ जाकर पढ़ेंगे। कानून की अधूरी छोड़ी हुई पढ़ाई पूरी करेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे, जो उन्होंने बहुत पहले देखा था, अछूतों और दलितों की सहायता का।” मित्र नवल भट्टेना की सहायता से और कोल्हापुर के राजा द्वारा प्रेषित 5000 रु० के चेक से उनके लंदन जाने की व्यवस्था हो गई। इस तरह इन्होंने कभी लंदन में, तो कभी बोन विष्वविद्यालय जर्मनी में अध्ययन पूरा किया।

कार्य एवं विचार - महार सम्मेलन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा, “सबसे पहली बात तो यह कि हमारे विचार दृढ़ होने चाहिए। जब विचार दृढ़ होंगे तो हमें हमारे इरादे से कोई भी नहीं डिगा सकता। दूसरी बात यह कि हमारी बात में वनज होना चाहिए और तीसरी बात यह कि हमारी बात में आवाज, ताकत होनी जरूरी है। तभी तो हम अपनी आवाज सरकार तक पहुँचा सकते हैं उनसे अपना अधिकार मांग सकते हैं।” पानी पीने के अधिकार को लेकर चौदार तालाब में भीमराव ने कहा- “अधिकार दिये नहीं जाते और न ही कोई दिलाता है, अगर अधिकार चाहते हो तो उसके लिए लड़ो। अधिकार माँगने से कभी नहीं मिलता, बल्कि आगे बढ़कर छीनना पड़ता है।”

सामाजिक बदलाव के लिए और बेदखल किए व्यक्तियों के हित के लिए डॉ. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य इस प्रकार थे-

1. शिक्षा प्रचार के लिए दलित समाज में छात्रावास खोलना तथा दूसरे योग्य उपायों और साधनों को अपनाना।
2. दलित समाज की शिकायतें प्राप्त करना और उन्हें शासन के सामने प्रस्तुत करना और इसके साथ पूरा इंसाफ करना।
3. औद्योगिक एवं कृषि स्कूलों द्वारा दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा उसे उन्नत करना। उन्हें प्रगति के साधन प्रदान करना।
4. दलित पिछड़े वर्गों में सभ्य जीवन प्रसार के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, सामाजिक सेवा- केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र स्थापित करना।

इस परिप्रेक्ष्य में जिला कुलाबा के दलितों को इन्होंने कहा था, “हम जब तक तीन प्रकार के सुधार नहीं कर लेते, तब तक उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। अपने विचारों को हमें सुसंस्कृत करना चाहिए। हमारी वाणी में बल होना चाहिए। शरीर में ताकत और हौसला होना चाहिए। तभी हमें मान-सम्मान और अधिकार की प्राप्ति हो सकती है।”

पुनः उन्होंने दलितों, शोषितों के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए “डिप्रेस्ड क्लासिस शिक्षा संस्था” की स्थापना की, जिससे सर्वहारा समाज के लोग शिक्षा प्राप्त करने की ओर

उन्मुख हो सकें। उनके अन्दर शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। इनकी मांग पर बम्बई प्रान्त के गवर्नर ने 8 अक्टूबर 1928 को दलित वर्गों के छात्रों हेतु पाँच छात्रावासों की स्थापना करवाई।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डॉ. अम्बेडकर ने सर्वहारा समाज को सम्बोधित किया था, “राजनैतिक शक्ति ही सभी रोगों का एकमात्र उपचार नहीं है। अछूतों की मुक्ति समाज सुधार में है। अपनी कुप्रवृत्तियाँ त्यागकर, अपने रहन-सहन में परिवर्तन लाओ, ताकि आप सरकार और मित्रता के पात्र बन सकें। समाज के छोटे लोगों को सम्मान दोगे, तो वह आपका सम्मान करेंगे, तभी देश का सुधार सम्भव है। इस मौके पर साइमन ने कहा था- “तुम एक सच्चे नेता हो अम्बेडकर! अछूतों को एक ऐसे नेता की सख्त जरूरत है जो उनका उद्धार कर सके, उन्हें समाज में मान-सम्मान दिला सके।”

प्रथम गोलमेज सभा के बाद, बम्बई में, मणि भवन में गांधी जी से अम्बेडकर ने कहा, “महात्मा जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ जो बीस लाख रुपये आपने अछूतों पर खर्च किए, वह रकम अगर उन्हें बाँट देते, तो उनका कुछ भला होता। भारत में आप छुआछूत नहीं मिटा पाए, मुझे इसका दुख है। मैंने तय कर लिया है कि दलितों को मानवता का अधिकार दिलाकर रहूँगा। उन्हें इस देश में मान-सम्मान दिलाकर ही साँस लूँगा। अब उन पर अत्याचार नहीं होने दूँगा।”

सेठ कीर ने रत्नागिरी में एक नये मन्दिर का निर्माण करवाया, जिसके उद्घाटन के लिए उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को आमंत्रित किया। डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में मन्दिर-प्रवेश उनका अन्तिम उद्देश्य नहीं था, बल्कि सामाजिक व धार्मिक स्तर की समानता के लिए यह प्रश्न अवहेलना करने वाला भी नहीं था।

स्वतंत्र भारत में इन्हें कानून मंत्री बनाया गया। सर्वसम्मति से संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जिसे इन्होंने पूरी लगन के साथ पूरा किया। सभी ने इनके इस कार्य की प्रशंसा की।

कानून मंत्री रहते हुए डा. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल बनाया था, जिसे तत्कालीन मंत्रिमण्डल ने कोई विचार नहीं किया। इससे अपमानित महसूस करते हुए इन्होंने कहा था, “मैं मिट्टी का ढेला नहीं हूँ, जो पानी की धार से धुल जाये। मैं एक पहाड़ी के समान हूँ जो पिघलती नहीं; अपितु नदियों के बहाव को बदल देती है.... मैंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ चार वर्ष तक काँग्रेस से सहयोग किया और पूर्ण निष्ठा सहित मैंने अपनी मातृभूमि की सेवा में लगा दिया। लेकिन इन बरसों के बीच, मैंने अपने आपको काँग्रेस में विलीन नहीं होने दिया। मैं उन लोगों के साथ सहयोग और सहायता के लिए सहर्ष तैयार हूँ, जो परिगणित जाति के लोगों की उन्नति के लिए अपने शब्दों, कार्यों तथा समर्थन के प्रति निष्ठावान हैं। मैं

उनके साथ कभी सहयोग नहीं करूँगा, जिनकी वाणी मीठी है, परन्तु जिनके इरादे व कार्य हम लोगों के हित के पक्ष में नहीं है।

इन्हें हिन्दू धर्म से नफरत हो गई और नागपुर आकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।

कुछ बीमारी की वजह से, अन्ततः, वे 5 दिसम्बर 1956 के दिन, 26, अलीपुर रोड, दिल्ली आवास पर अंतिम साँस लिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रिजवी, आबिद : व्यक्तित्व एवं विचार बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, मासुती प्रकाशन, दिल्ली रोड मेरठ 250002

जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन

डॉ. गणेश लाल जैन * कमलेश कुमार बैरागी **

प्रस्तावना - व्यक्ति का व्यवहार जीवन और मृत्यु की मूल प्रवृत्तियों के द्वारा संकलित होता है, मनोविज्ञान वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विधा है जो प्राणी (मनुष्य, पशु आदि) के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है।

मानसिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत संवेदन (Sensation) अवधान (Attention) प्रत्यक्षण (perception) सीखना अधिगम (learning) स्मृति चिंतन आदि आते हैं। मनोविज्ञान अनुभवों का विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मनोविश्लेषण की परम्परा रही है। उन्नीसवीं सदी के अंतिम दौर में 'परीक्षा गुरु' और भाग्यमती जैसे उपन्यासों के साथ हिन्दी उपन्यास लेखन परम्परा का आगाज माना जाता है। इस विधा के विकास की दृष्टि से प्रेमचंद काल काफी महत्वपूर्ण रहा किन्तु अभी तक हिन्दी उपन्यास में एक कमी थी, इनमें पात्रों के बाहरी जीवन का चित्रण ही रहता था। उनके मनोभावों और भीतरी उधेड़बुन का चित्रण प्रेमचन्दोत्तर युग की प्रधान प्रवृत्ति बना।

हिन्दी की मनोवैज्ञानिक कथा धारा में प्रमुख उपन्यासकारों में - इलाचंद जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र प्रमुख हैं। इनके अलावा देवराज उपध्याय, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, राजेन्द्र यादव, लक्ष्मीनारायण लाल के उपन्यास भी मानव मन के द्वंद को प्रदर्शित करते हैं। किन्तु सभी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र अद्वितीय है, निःसंदेह नारी मन की सूक्ष्म समझ जैनेन्द्र जी को है। जो द्वंद, पीड़ा, कुंठा, छटपटाहट स्त्री की जैनेन्द्र के उपन्यासों में मिलती है, अन्य में नहीं। क्योंकि नारी ही एक जीवन के रंगमंच या आभासी, काल्पनिक पात्र (उपन्यासों) है, जो कि वास्तव में अपनी महत्वकांक्षाओं, जिज्ञासाओं, अपनी लौकिक आध्यात्मिक इच्छाओं को समाज के भय के कारण प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दमित करती है और वह दमन फिर से अवसरोचित समय पाकर उभरता है। फिर आलोचनाओं का, दमन का स्त्री को शिकार होना पड़ता है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। इसी दमन, शमन को जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में दर्शाया है।

प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार (2 जनवरी 1905 - 4 दिसम्बर 1988) का विशिष्ट स्थान है, वह हिन्दी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परम्परा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। जैनेन्द्र अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहित की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं।

जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन् 1905 में अलीगढ़ के कोडियागं गाँव में हुआ। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था, एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। जन्म के 2 वर्ष पश्चात् इनके पिता की

मृत्यु हो गई। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी वहीं जैनेन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा हुई एवं उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। उनका घर का नाम आनंदीलाल था।

प्रकाशित कृतियाँ -

उपन्यास - परख (1929) सुनिता (1935) त्यागपत्र (1937) कल्याणी (1939) विवर्त (1953) सुखदा (1953) व्यतीत (1953) जयवर्धन (1956)

कहानी संग्रह - फाँसी (1920) वातायन (1930) नीलम देश की राजकन्याएँ (1933) एक रात (1934) दो चिड़ियाँ (1935) पाजेब (1942) जयसंधि (1949) तथा जैनेन्द्र की कहानियाँ (सात भाग)

निबंध संग्रह - प्रस्तुत प्रश्न (1936), अड़ की बात (1945), पूर्वोदय (1951) साहित्य का श्रेय और प्रेय (1953), मंथन (1953), सोच विचार (1953), काम, प्रेम और परिवार (1953), तथा ये और मैं (1954)

अनुदित ग्रंथ - मंदाकिनी (नाटक - 1935), प्रेम में भगवान (कहानी - 1957) तथा पाप और प्रकाश (नाटक - 1953)

सहलेखन - तपोभूमि (उपन्यास, ऋषभचरण जैन के साथ - 1932)

कोई भी रचना अपनी मूल बनावट में विचार के पुष्ट सूत्र में बँधी लेखक की संवेदना-कल्पना-अंतर्दृष्टि का सम्यक् विन्यास होती है। जो भीतर की अकुलाहट और बाहरी दबावों के घात-प्रतिघात से टूटते-बनते लेखक के अमूर्तप्राय अवचेतन को मूर्त और साकार करती है।

जैनेन्द्र कुमार भी अपने जीवन में संत्रास, पीड़ा, दमन को झेल चुके हैं। उनके पात्रों में उस शमन को हम अभिव्यक्त होते हुए देख सकते हैं।

परख - उपन्यास में कष्टों का सत्यधन के प्रति आकर्षण, स्वाभाविक यौनांकांक्षा, किंतु वैधव्य, एवं सामाजिक दृष्टि से बहिष्कार होने के कारण दमित, कामकुंठित एवं हीन भावना का शिकार, वहीं सत्यधन का बाल विधवा के प्रति सहानुभूति जनित प्रेम एवं समर्पण युक्त बिहारी का व्यक्तित्व।

सुनिता - सुनिता आदर्श गृहणी, श्रीकांत-विरस, उबाऊ व्यक्तित्व का धनी, वहीं हरिप्रसन्न-कामकुंठित, कामदमित, श्रीकांत अपनी नीरसता और अपने अधूरे खाली, व्यक्तित्व से सुनिता को तुष्ट नहीं कर पा रहा है। हरिप्रसन्न के माध्यम से सुनिता को प्रसन्न करने की चेष्टा की है।

त्यागपत्र - मृणाल-आत्मपीडित व्यक्तित्व, स्वाभिमानी व्यक्तित्व की धनी, प्रमोद - मृणाल का भतीजा, सहज, सरल, संवेदनशील, कर्मफल प्रारब्ध एवं भाग्योन्मुखी।

कल्याणी - कल्याणी - उच्चशिक्षित, आदर्शोन्मुखी, रुढ़िगत संस्कार,

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

आस्तिकवादी, भाग्यवादी डॉ. असरानी – हीनताग्रस्त।

सुखदा – अहं भावना से युक्त, बहिर्मुखी, अहमन्यता, वासनाएँ, अतृप्त, कामेच्छा एवं कल्पनाशील व्यक्तित्व, श्री कान्त – संतोषी, सरल, हीनता से ग्रसित, अंतर्मुखी व्यक्तित्व

विवर्त – जितेन – मानसिक ग्रंथी का शिकार, हीन भावना, कामकुंठा एवं आहत अहं का शिकार, आत्मपीडित, असंतुलित मानसिक स्तर

भुवनमोहिनी – अपराध बोध की शिकार, जितेन की प्रेमिका लेकिन अन्यत्र विवाह के कारण ग्रंथी की शिकार।

व्यतीत – जयंत – असफल प्रेमी, खंडित व्यक्तित्व आत्मपीडित, अनिता को प्राप्त न कर पाने से खंडित व्यक्तित्व, अनिता – जयंत की कॉलेज के दिनों की प्रेमिका किंतु विवाह अन्यत्र मि. पुरी से, चंद्रि – उदत्त भावना से युक्त, मानसिक रचन की क्षमता युक्त व्यक्तित्व एवं मि. पुरी की पत्नी।

जयवर्धन – जयवर्धन – लोकप्रिय शासक, इला – जयवर्धन की सेविका एवं प्राचार्य की पुत्री एवं विवाह को बंधन मानने वाली मुक्त साहचर्य की विचारधारा वाली। हंगेरियन लिज्जा – श्रीनाथ की पत्नि, किंतु अंतर्मन से जयवर्धन की प्रेमिका, चिदानंद – कामकुंठित, ईर्ष्यालु जयवर्धन एवं इला के साहचर्य से उत्पन्न दमित कामकुंठा का शिकार।

मुक्तिबोध – मि. सहाय – हीनता ग्रंथी का शिकार, असफल प्रेमी, राजश्री – मि. सहाय की पत्नि किंतु प्रेम महादेव से, राज श्री एवं महादेव के प्रेम प्रसंग में मि. सहाय बाधक न बनकर स्वयं अपनी पत्नि को उन्मुक्त करता है क्योंकि वह स्वयं से निलिमा को न पाने के फलस्वरूप अपराधबोध से पीडित होकर हीनत ग्रंथी का शिकार।

किसी भी रचना का जन्म शून्य में नहीं होता रचना व रचनाकार को उनकी सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अच्छे साहित्यकार अपने समय के सवाल को जूझते हैं और वे समय के सम्मुख कई बार सवाल को उपस्थित भी करते हैं। जैनेन्द्र निश्चय ही हमारी साहित्यिक विरासत के विशिष्ट स्तंभ हैं। वह अपने कुछ खास दार्शनिक रुझानों के बावजूद समय समाज में रचनात्मक आवाजाही करते हैं और इस प्रक्रिया में भारतीय समाज की एक नई स्त्री प्रकट होती है। जैनेन्द्र की कलम स्त्रियों की स्थिति, उनकी समस्याओं को कमोवेश/संशोधित/विश्लेषित करते हुए जैनेन्द्र का साहित्य लंबा सफर तय करता है।

जैनेन्द्र का साहित्य नामा 1929 से 1985 तक का समय समेटे है। पहली प्रमुख रचना 'परख' बाल वैधव्य का मुद्दा उठाती है, तो अंतिम रचना दषार्क (अधूरी) देह व्यापार पर केंद्रित है।

कुल मिलाकर जैनेन्द्र के लेखकीय सरोकार की केन्द्रबिंदु स्त्री है। स्त्रियों के ही माध्यम से उनके जीवन दर्शन की प्रतिस्थापना होती है। हालांकि स्वतंत्रता पूर्व की उनकी रचनाओं में अपरिग्रह, त्याग, संयम जैसी बातें भी बार-बार आती हैं।

जैनेन्द्र की आरंभिक तीनों रचनाओं परख (1929), त्यागपत्र (1937) व सुनिता (1935) के केन्द्रों में स्त्री है। प्रायः प्रेम करती स्त्रियाँ। प्रेम करती ये स्त्रियाँ विचारशील और कर्मठ हैं। अपने पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती ये वे स्त्रियाँ हैं, जिन्होंने पारिवारिक मर्यादा, परम्परा नियमों की पाखंडी तस्वीर को तोड़ा और जीतने, हारने, संघर्ष करने के लिए परम्परागत औरत के चौले से बाहर निकल आई। जैनेन्द्र की साहित्यिक चेतना त्यागपत्र में चरमोत्कर्ष पर है।

'मृणाल' में चरित्र, संघर्ष, और त्रासदी ने उसके व्यक्तित्व को अद्भुत ऊँचाई प्रदान की है। त्यागपत्र में आधुनिक हिन्दी गद्य साहित्य का सशक्त

स्त्री विमर्श सिर्फ स्त्रियाँ ही कर सकती है।

जैनेन्द्र के उपन्यास साहित्य की तीनों पात्र, 'त्यागपत्र' की मृणाल, 'परख' की कट्टे, और 'सुनिता' की सुनिता में एक समानता है। ये तीनों ही कर्तव्य के बोझ तले दबी हैं। आधुनिक अधिकार सम्पन्न स्त्री यहाँ नहीं मिलती। किंतु अधिकार सम्पन्नता अनिवार्य रूप से व्यक्तित्व सम्पन्नता का परिचायक नहीं होती। इन स्त्रियों ने कर्तव्य निर्वह करते हुए जिस प्रकार नैतिकता, मर्यादा का विश्लेषण किया, जिस तरह सामाजिक संरचना में रचे बसे पाखंड को तार तार किया वह भविष्य की अधिकार सम्पन्नता के लिए रास्ता बनाता है।

जैनेन्द्र की इन स्त्रियों ने कही स्वेच्छा से अपना जीवन नहीं चुना है, अक्सर यही हुआ कि उनके मन की जो बात थी, मन में ही उसका दम घुट गया। लेकिन परिस्थितियों का सामना करने में इनके वजूद की जद्दोजहद प्रकट होती है। नियति की शिकार होने के बाद भी इन स्त्रियों ने अपने लिए रास्ते जरूर बनाए या कम से कम रुढ़ रास्तों से ऐतराज दिखाया।

जैनेन्द्र ने समायोजन (Adjustment) की समस्या को भी अपनी रचनाओं के माध्यम से उठाया है। इसमें जरा सी चूक हो जाने पर यह समस्या अत्यंत गंभीर हो जाती है, जहां वह अपनी परिवार से बहुत अधिक जुड़ा रहता है। उसके अनुसार आदर्श नारी का रूप उसकी माँ और बहनें ही होती हैं और वह उन्हीं की विशेषताओं को अपनी पत्नी में भी देखना चाहता है। वधु का अपना व्यक्तित्व और विशेषताएं होती हैं तथा जब वर के द्वारा अपनी पत्नी तथा परिवार की अन्य स्त्रियों में बहुत अधिक तुलना की जाने लगती है तो कई बार वधु के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है और सहनशीलता की सीमा पार हो जाने पर परिवार टूट जाते हैं। ऐसा कभी-कभी वधु के द्वारा भी हो जाता है कि वह अपने पिता की छवि व विशेषताएँ अपने पति में देखना चाहती है। यह भावना ग्रंथी होती है, इन्हें फ्रायड ने मनोग्रंथियाँ कहा है।

फ्रायड के अनुसार पुत्र का लिबिडो माता पर एवं पुत्री का लिबिडो पिता पर केंद्रित होता है, जब वह पुत्र का लिबिडो माता पर केंद्रित हो जाता है तब इसे फ्रायड ने इडिपर ग्रंथि कहा है। जब पिता और पुत्री में लिबिडो के आधार पर अधिक प्रेम पिता पर केन्द्रित हो जाता है और फलस्वरूप जो मानसिक ग्रंथि उत्पन्न होती है उसे फ्रायड ने 'इलेक्ट्रा ग्रंथि' कहा है।

परिवार में वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्रभाव – जैनेन्द्र जी ने एक और कहानी भाभी में खटे-मीठे रिश्तों को अपनी लेखनी में पिरोया है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण परिवारों में पूर्णतया शांति तो कहीं भी नहीं होती। परस्पर मतभेद के कारण सफल समायोजन नहीं हो पाता। वर्तमान समय में समायोजन के लिए आवश्यक है कि पति-पत्नि में समानता की भावना हो, अधिकार की नहीं। जैनेन्द्र जी ने अत्यंत साधारण उदाहरणों के द्वारा विलक्षण मनोविज्ञान का परिचय दिया है तभी तो यह 'बर्तन खटकने' का उदाहरण देते हैं और इसी तरह के आवर्तन-प्रत्यावर्तन को जीवन की संज्ञा देते हैं। उक्त विचार 'भाभी' कहानी से उद्धृत है।

जैनेन्द्र जी ने स्त्री-पुरुष संबंधों पर आधारित कहानियों में 'नारी मनोविज्ञान' का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। जैनेन्द्र ने अपनी रचनाओं में 'नारी मनोविज्ञान' का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। जैनेन्द्र ने अपनी रचनाओं में पतित्व धर्म और पत्नीत्व धर्म, दोनों को ही चुनौती दी है। उन्होंने व्यापक सांस्कृतिक संदर्भों में पति-पत्नी की मूल चेतना को उभारा है। स्त्री पुरुष संबंधों में व परिवारों में जिन समस्याओं के कारण तनाव उत्पन्न हो, उन समस्याओं पर मिलकर विचार करना चाहिए। कौन सही है, इस पर नहीं

अपितु क्या सही है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह स्वस्थ संवाद से ही संभव है। इस दृष्टि से जैनेन्द्र की स्त्री पुरुष संबंधों की तात्त्विकता पर आधारित रचनाएँ स्वस्थ सामाजिक परिवेश निर्माण सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपाध्याय डॉ देवराज - जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ।
2. कोहली मधुरिम - जैनेन्द्र कुमार चिंतन और सृजन ।
3. चतुर्वेदी महेन्द्र - हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण ।
4. डॉ. धनराज - हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास ।
5. राणा बलराज - उपन्यासकार जैनेन्द्र के पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ।
6. शर्मा डॉ. गिरधर प्रसाद - हिन्दी उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन।
7. सिंहल डॉ. शशिभूषण - जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश ।

नयी कविता का स्वरूप

डॉ. रविशंकर पटेल *

प्रस्तावना – नयी कविता के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जिन रचनाकारों ने प्रयत्न किए हैं, उनमें अज्ञेय का नाम अग्रणी है। 'नयी कविता क्योंकि पाश्चात्य काव्य-परम्परा से प्रेरणा ग्रहण किए हुए है, अतः उसमें टी०एस० इलियट के भावों की प्रतिबिम्बित हुआ देखा जा सकता है। इलियट ने काव्य को वैयक्तिकता से पृथक माना है। इलियट की भाँति अज्ञेय ने भी 'चिन्ता' की भूमिका में लिखा है- 'काव्य रचना मूलतः अपने को अपनी अनुभूति से पृथक करने का प्रयत्न है- अपने ही भवों के निर्वैयक्तिकरण की चेष्टा बिना उनका काव्य निरा आत्मनिवेदन है, और सच होकर भी इतना व्यक्तिगत है कि काव्य की अभिधा के योग्य नहीं है, सार्वजनिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।'

इस प्रकार अज्ञेय ने यह स्थापित करना चाहा कि काव्य अपने स्वरूप में तटस्थ प्रवृत्ति का द्योतक है। नवकाव्य के जिस निर्वैयक्तिक स्वरूप की बात उठाई गई है, उसको दो अर्थों के संदर्भ में ग्रहण करना चाहिए। पहला तो यह कि कवि द्वारा व्यक्तिगत अनुभूतियों को सार्वजनिकता रूप से ग्रहण करके उसकी अभिव्यक्ति तथा दूसरा व्यक्तिगत कुंठाओं से मुक्त होकर तटस्थ रूप से कला की साधना। अज्ञेय ने निर्वैयक्तिकता के संदर्भ में कला की साधना में महत्व प्रदान किया है।¹ लेकिन सभी नए कवियों ने ऐसा नहीं किया। गिरजा कुमार माधुर ने नव-काव्य के स्वरूप-पक्ष का विवेचन करते हुए कलापक्ष की अपेक्षा सार्वजनीन और सहज भाव को ही अधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि 'हम नहीं समझते कि दुरुहता ही श्रेष्ठता की कसौटी है और जो श्रेष्ठ साहित्य होता है, वह दुरुह होता है।'²

किन्तु नयी कविता के स्वरूप का आकलन निष्पक्ष रूप से करने पर पता चलता है कि इसमें सहजता और दुरुहता दोनों प्रकारों को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। कुछ रचनाएँ अपनी सहजता में गद्यवत हो गई हैं तो कुछ अपनी दुरुहता में अबोधमयी। साथ ही नयी कविता में पुराने विषयों को भी नवीन अभिव्यक्ति देने का आग्रह है और नवीन विषयों को सर्वथा नवीन बिम्ब, प्रतीक और रचना शैली मिली है। समग्रतः नयी कविता में एक तरह से संतुलन का अभाव है। भाव और अभिव्यक्ति दोनों में और इसलिए उसका स्वरूप भी बहुत निश्चित नहीं हो सका है। काव्यरचना शैली में भी एक सुनिश्चित व्यवस्था के अभाव के कारण काव्य का कोई सुनिश्चित और संगठित स्वरूप सामने नहीं आ सका है। नयी कविता में कहीं कथन का चमत्कार है तो कहीं चमत्कार-प्रदर्शन का आग्रह। कहीं अपने शिल्प में अत्यन्त दुर्बोध और जटिल हो जाती है तो कहीं बड़ी सरल सहज और भावमयी।

'द्वितीय महायुद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली अस्तव्यस्तता और परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करने में अपने कर्तव्य की इतिश्री समझी। इस

मनःस्थिति वाले कवियों में भी जहाँ कुछ ने तो निराशा, पराजय आदि भावनाओं को यथावत रूप में ग्रहण कर उन्हें वैसी ही अभिव्यक्ति दी, वहाँ कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें भाँति-भाँति के मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक अवरणों में प्रस्तुत किया है। उन्हें और भी परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया।'¹ द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप होने वाली अस्तव्यस्तता से हिन्दी काव्य जगत में दो दल सामने आए। जिनमें से एक सचेत होकर सामाजिक और राजनैतिक प्रयोजन से साम्यवादी जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति को अपना परम कविकर्तव्य मान कर रचना करने लगा। दूसरे वर्ग ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रति जागरूक रहते हुए भी अपना साहित्यिक व्यक्तित्व बनाए रखा। 'उसने काव्य की वस्तु और शैली-शिल्प को नवीन प्रयोगों के द्वारा आज के अनेक रूप-अस्थिर, चिरप्रयोगशील जीवन के उपयुक्त बनाने की ओर अत्यधिक ध्यान दिया। इस प्रकार पहले वर्ग को प्रगतिवादी और दूसरे को प्रयोगवादी नाम दिया गया।'²

एक ओर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि के असन्तोष, दूसरी ओर उसके निवारण के प्रयत्नों से असहयोग तथा वस्तुस्थिति को ही सत्य मान लेने की उसकी प्रवृत्ति-दोनों ने मिलकर इस प्रकार कवियों तथा रचनाकारों की स्थिति पर्याप्त उलझा दी। उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे वे सारे समाज से कट कर बिल्कुल एकाकी से हो गए हो। अन्तर केवल प्राथमिक उद्देश्य का था- पहला वर्ग जहाँ सामाजिक चेतना को अपना प्राथमिक उद्देश्य मानता है, वहाँ दूसरा अर्थात् प्रयोगवादी वर्ग वस्तु और शैली में चिरप्रयोगशीलता को। काव्य की जिन प्रवृत्तियों का आकलन निम्नलिखित पंक्तियों में किया जा रहा है, वे ऐसी हैं, जिनकी सत्ता उसके सभी निर्माताओं के काव्य में दिखाई देती है।

अहंवाद को ही प्रयोगवादी काव्य की सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। युग जीवन की कटुताओं और विषमताओं से संघर्ष करने में निराशा और असफल होकर, अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण समाज के प्रत्येक वर्ग से कटकर वह एकाकी हो गया, इसीलिए व्यक्तिवादी बन गया। 'इस व्यक्तिवाद और उसकी चरम परिणति को, अहंवाद को यदि प्रयोगवादी काव्य का केन्द्र बिन्दु कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी।'¹ प्रयोगवाद के कवियों पर बहुधा जिस असामाजिकता का आरोप लगाया गया है, वह इसी व्यक्तिवाद का ही परिणाम है, प्रयोगवादी कवियों के कृतित्व में न केवल इस व्यक्तिवादी-अहंवादी दृष्टि की सत्ता ही है, वरन् उसका दृढ़ता से प्रतिपादन भी किया गया है। अज्ञेय ने अपनी अनेक कविताओं में अपने 'अन्तर्गुहावास' और 'स्वरति' को स्वीकार किया है।

अज्ञेय के अतिरिक्त भरती, लक्ष्मीकान्त वर्मा, रवेन्द्र बरदयाल आदि के

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) एस.आर.पी. महाविद्यालय, हनुमाना, जिला- सीवा (म.प्र.) भारत

कृतित्व में भी व्यक्ति अथवा अहं की इस अभिव्यक्ति को विविध आवरणों में देखा जा सकता है। प्रयोगवादी कवि को अपने अहं पर इतना विश्वास है कि वह युग जीवन की उन विषमताओं से, जिनसे वह घिरा है, मात्र उसकी भक्ति के बल पर ही चीर कर आगे निकल जाने का साहस रखता है। उसकी यह आत्म छलना तक स्पष्ट होती है। जब वह अपने प्रयत्नों की असफलता पर सिर धुनते हुए अपनी पराजय को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करता है।

यदा-कदा प्रयोगवाद के कवि सामाजिक दिशाओं की ओर भी घूमे हैं। जहाँ ऐसा हुआ है, वहाँ इन कवियों की कविताओं ने निश्चय ही अत्यधिक प्रभावशाली अभिव्यक्तियाँ की हैं।

इस प्रवृत्ति का जन्म हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में 'तारसप्तक' के प्रकाशन से मान लिया गया। 'तारसप्तक' के वक्तव्य में अज्ञेय ने प्रयोगों के अनिवार्यता पर इतना अधिक बल दिया कि उनके काव्य को प्रयोगवाद की संज्ञा दे दी गई और अज्ञेय को ही प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी स्वीकार कर लिया गया। इस प्रयोगी प्रवृत्ति वाले काव्य को 'प्रयोगवाद' की संज्ञा देने के पीछे कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं था। प्रयोग की ओर अत्यन्त सम्मान देखकर ही आलोचकों ने इस काव्य को प्रयोगवाद नाम दे दिया। 'तारसप्तक' से उद्घाटित काव्य-धारा को प्रयोगवाद नाम देने का विरोध करते हुए अज्ञेय जी ने लिखा है कि, 'हमारी प्रयोग परम्परा से पाठक का कोई मतलब नहीं है।' ¹ अन्यत्र उन्होंने लिखा है- 'इन कवियों में मतैक्य नहीं है, वे एक दुसरे की जीवन-परिपाटियों पर और यहाँ तक कि एक-दूसरे के मित्रों और कुतर्कों पर भी हँसते हैं।' ² ऐसे विभिन्न व विरोधी मत वाले कवियों को एकसूत्रता में बाँधने वाली वस्तु अज्ञेय जी के अनुसार काव्य के प्रति उनका अन्वेशी दृष्टिकोण है। वे अपने को 'किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं मानते। वे अभी राही हैं, राहों के अन्वेशी हैं।' ³ स्पष्ट है कि प्रयोगवाद नामक उस काव्यधारा की मूल प्रवृत्ति है कवि की प्रयोगशीलता।

'उन कवियों को प्रचलित काव्य अपर्याप्त, उपमान घिसे हुए और सौन्दर्य-दर्शन निश्चेष्ट लगे और इस प्रकार प्राप्त वस्तु से असन्तुष्ट होकर वे उक्त क्षेत्रों में प्रयोग करने लगे।' ⁴

इस कविता का मुख्य उपादान साधना बौद्धिक धारणाएँ हैं, जो प्रायः विज्ञान, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण शास्त्र आदि की उपजीवी हैं। इसे प्रयोगवादी कवि कविता की अनिवार्य शर्त मानते हैं। एक गहन बौद्धिकता इन कविताओं पर सीसे की पर्त की तरह जमती जाती है। छायावाद के रंगीन कल्पना-वैभव और सूक्ष्म तरल भावना-चिन्तन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिक-तत्त्व का बोझीलापन है। प्राचीन कविता में विचार और काव्यानुभूति के बीच बुद्धीगत सम्बन्ध है। 'नयी कविता में बौद्धिकता का उपयोग बाह्य जगत् के सीधे संवेदन से बचने, अपनी भावना के सूखे-सूखे विश्लेषण करने और अभिव्यक्ति पक्ष में सतत सचेष्ट प्रयोग करने के लिए नहीं बल्कि बाह्य जगत् से गृहीत संवेदनाओं को विचारों की कसौटी पर कसने, उसको सुलझाने और उसके प्रति अपनी प्रौढ़ प्रतिक्रिया को मार्मिक अभिव्यक्ति देने के लिए होता है।' ¹

यहाँ बौद्धिकता कवि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनिवार्य अंग के रूप में उपस्थित हुई है, जिसका सम्बन्ध किसी वाद-विश्लेषण या सिद्धान्त-विश्लेषण से न होकर 'उस बौद्धिक स्वतन्त्रता से है, जो जीवन के प्रति निडर और अन्वेशी प्रश्न उठाती है।' ² अधिक बौद्धिकता से अक्रांत है, कविता का रूप-पक्ष, जहाँ कवि उपर्युक्त आन्तरिक छवियों को अक्षुण्ण अभिव्यक्ति देने के नाम पर नए रूपों, छन्दों, अप्रस्तुतों, शब्दों एवं वाक्यरचना विधियों को लेकर सचेष्ट प्रयोग किया करते हैं।

वस्तुतः बौद्धिक दुरुहता से युक्त नया कवि झूठी सामाजिक और साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लोभ में, अपनी असमर्थताओं को छिपाता हुआ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति से आतृप्त हो, अहंवादिता के गहरे कुहासे में डूबा हुआ दिग्भ्रमित 'अन्वेशी' है। उसने इस संकीर्ण अहम्मन्यता से प्रेरणा प्राप्त कर, अनेक विकृतियों को व्यापक प्रसार किया है और इसीलिए बाह्य जगत् की यथार्थता उसके लिए कोई विशिष्ट महत्व नहीं रखती, और रखती भी है, तो मात्र उसी सीमा तक जहाँ तक उससे अहं को परितोष मिलता है।

'अज्ञेय जी का कथन है कि कवि जब अपनी सामाजिक उपयोगिता को प्रमाणित करने में और दोषप्रद सामाजिक परिकृति पाने में असफल होता है तो तिलमिला उठकर सम्पूर्ण समाज के प्रति विद्रोही होकर घोर अहंवादी बन बैठता है।' वह सामाजिक मान्यताओं के प्रति इसलिए विरोध करता है कि अपने एकान्त व्यक्तित्व को हो सके तो प्रमाणित करे, इसलिए नहीं कि उनके स्थान पर नयी एवं युगोपयोगी मान्यताओं की प्रतिष्ठा हो। इस अहंवाद से उत्तेजित होकर कवि समाज के प्रति अपना कर्तव्य मानने से इंकार करता है और कला के लिए कला का नारा प्रकाशित उठाते हैं। ² कुंठा और घुटन से नये कवि का मन भी अक्रांत है, पर एक तो उसे काव्य में यथावत उतारने में वह हिचकता है, और दूसरी बात यह है कि वह उन्हें ही काव्य में अभिव्यक्ति देने लायक परम सत्य मानकर नहीं चलता। हो सकता है कि संवेदना के प्रति कवि की वैयक्तिक प्रतिक्रिया में उसका भी प्रभाव हो। पर इस प्रभाव के कारण नयी कविता का सौन्दर्य-दर्शन इतना बिगड़ नहीं गया है, जितना प्रयोगवादियों का।

नए कवि में अनास्था की यह प्रवृत्ति उसके अहम् पर हुए आघात के कारण विकसित हुई है। इसी से आक्रोशित और आक्रान्त हो, उसने परम्परा से स्थापित साहित्यिक मूल्यों को तो अस्वीकार किया ही, साथ ही जीवन और समाज के प्रतिष्ठता मूल्य भी उसे निरर्थक और महत्वहीन प्रतीत हुए।

'नए कवियों में कुछ व्यक्तित्व ऐसे अवश्य हैं, जो व्यक्तिवादी चेतना से ऊपर उठकर सामाजिक यथार्थ के स्वर पर दुर्विकार परिस्थितियों के सत्य को ग्रहण करते हैं और विघटन के प्रति संघर्षरत हो व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करते हैं।'

नयी कविता में पीड़िताओं के अन्धकार को झेलते हुए भी सुनहरी ऊषा के प्रति कवि की विश्वास-भावना अपने में स्वस्थ आस्थायी प्रवृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार शुष्क जीवन के मध्य बड़े, गाँझिन गन्धयुक्त गुच्छों से भविष्य की आशा भी कम प्रसन्नता की बात नहीं है। नयी कविता में निराशा, कुंठा और आत्महीनता आदि की अधोगामी प्रवृत्तियाँ अधिकांशतः नयी कविता के क्षेत्र में बाद में आने वाले कवियों में दृष्टिगत होती हैं। नयी कविता के प्रवर्तकों का यही प्रयत्न रहा है कि इसे बौद्धिक चेतना से युक्त प्रगतिशील प्रवृत्तियों के संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

नए कवियों ने उत्साह और संकल्प को भी आस्था और विश्वास के स्वरो की भाँति उत्साह और संकल्प को भी वाणी दी है। उनका विश्वास है कि दयनीयता और निश्प्रमाणता के साथ अपने अभावों को रोना रोकर किसी भी प्रकार की स्वीकृति उपलब्ध नहीं की जा सकती। इसके लिए उसे उत्साह, शौर्य और संकल्प करने की शक्ति का विकास करना होगा।

नयी कविता का उद्बोधक स्वर पिछली प्रगतिवादी काव्यधारा से मिलकर चला है, और इसीलिए उसकी ये उद्बोधक अभिव्यक्तियाँ समष्टिवादी एवं व्यापक मानवीयता के गुणों से युक्त होकर साहित्यिक स्तर पर बड़ी भावमय बन सकी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नयी कविता के सात अध्याय, डॉ० देवेश ठाकुर, पृष्ठ 45-46.
2. नव काव्य का स्वरूप-गिरिजाकुमार माथुर
3. नया हिन्दी काव्य, शिवकुमार मिश्र, पृष्ठ 207.
4. आधुनिक काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ 117.
5. नयी हिन्दी काव्य, शिवकुमार मिश्र, पृष्ठ 222.
6. दूसरा सप्तक, भूमिका, पृष्ठ 9.
7. तारसप्तक, भूमिका, पृष्ठ 6.
8. तारसप्तक, भूमिका, पृष्ठ 5.
9. हिन्दी की नयी कविता, वी० नारायणन् कुट्टि, पृष्ठ 43.
10. हिन्दी की नयी कविता, वी० नारायणन् कुट्टि, पृष्ठ 4.
11. तीसरा सप्तक, कुवर नारायण, वक्तव्य, पृष्ठ 234.
12. त्रिशंकु, पृष्ठ 28.
13. त्रिशंकु, पृष्ठ 238.

संगीत और चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में महादेवी वर्मा के गीत

डॉ. इला द्विवेदी*

प्रस्तावना – कलायें मानव जीवन का एक अभिन्न रूप हैं। मनुष्य अपने मन की अनुभूतियों को कल्पना के रंग में रंगकर जब उनकी सुन्दरतम प्रस्तुति देता है तो उसकी इन अभिव्यक्तियों में विभिन्न कलारूप बाहर आते हैं। जब वह अपनी अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त करता है तो काव्य कला, जब सुर, लय और ताल में अभिव्यक्त करता है तो संगीत कला, जब छैनी-हथौड़े से व्यक्त करता है तो मूर्तिकला, जब ईंट-पत्थरों से व्यक्त करता है तब स्थापत्य कला और जब रंगों और तूलिका से व्यक्त करता है तब मनोरम चित्रकला का रूप सामने आता है। इन कलाओं में रसिक जन के मन को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इनमें निहित लालित्य ही इन्हें ललित कलाओं की संज्ञा से विभूषित करता है।

ललित कलाओं के सन्दर्भ में लेखिका श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन की मान्यता है कि 'मानव भावनाओं की सुन्दरतम अभिव्यक्त का साकार रूप ही कला है। जब मानव अपने किसी गुण की अभिव्यक्ति सुन्दर तथा आकर्षक ढंग से करता है तो उसके उस गुण की अभिव्यक्ति कला का रूप ले लेती है। उस सौन्दर्यमयी कला की सबसे सौन्दर्यमयी विधा ही 'ललित कला' है। आदिकाल से मानव आनन्द की खोज करता आया है और प्रकृति के सौन्दर्य से प्रभावित रहा है। विकास के साथ-साथ मानव की कल्पना, सृष्टि से तादात्म्य स्थापित करती रही और प्रकृति को सुन्दर रूप देने की चेष्टा करने लगी। उसकी इस चेष्टा को अधिकाधिक दिव्य व सौन्दर्यमयी बनाने के लिए ललित कलाओं का जन्म हुआ।'¹

इन कलाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि जहाँ ये एक ओर सर्जक या कलाकार को आनन्द और परितोष प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर इनका आस्वादन करने वाले रसिक जन को भी ये वैसा ही आनन्द प्रदान करती हैं। उद्देश्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये कलाएँ न केवल जन-मन का रंजन करती हैं, अपितु मन को मुक्तावस्था तक पहुँचाने में भी समर्थ होती हैं। इतना ही नहीं ये युगबोध कराती हैं। ये मनोहारी ढंग से हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान कराती हैं। डॉ. रेणु राजन इनके बारे में लिखती हैं – 'कला के सृजन की विशेषता यही है कि इसका उदय एवं विकास मन की गहराईयों में होता है। जहाँ जीवन और मन ही आदि स्रोत हैं तथा जहाँ जीवन और जगत सभ्यता व संस्कृति के समस्त बन्धन कोई रुकावट या व्यवधान पहुँचाने में अशक्त हो जाते हैं। मन की यही स्वच्छन्द आदिम स्थिति किसी अद्भुत आनन्द का स्रोत है तथा इसे रस का सार-स्वरूप भी माना गया है। कलाकार सृजन के क्षणों में जिस मुक्त मनःस्थिति का भोग करता है, रसिक भी कला के प्रभाव से उसी मनोभाव को प्राप्त कर लेता है। जिससे उसके चित्त का रंजन तो होता ही है साथ ही वह आत्मीय रूप से कला की सराहना करने में सक्षम हो जाता है। संसार के कोई भी कृत्रिम भोग या सुख इस आनन्द के

समकक्ष नहीं हैं।'²

हिन्दी साहित्य की छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा के काव्य की महनीयता को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। छायावादी प्रकृति, सौन्दर्य, कल्पना, कलात्मकता और आध्यात्म से परिपूर्ण उनका काव्य, अनेक रंग अपने में समाहित किए हुए है। उनके काव्य गीत हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उनमें संगीत की लयात्मकता और चित्रकला की रमणीयता दोनों ही विद्यमान हैं। उनकी अभिव्यंजना-शैली से केवल काव्य कला ही समृद्ध नहीं हुई है अपितु उनमें संगीत और चित्रकला का विषय बनने की अद्भुत क्षमता है। साहित्य के साथ अन्य कलाओं का अन्तःसम्बन्ध होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस दृष्टि से महादेवी की काव्य सर्जना में संगीत और चित्रकला का गहरा अन्तःसम्बन्ध दिखाई देता है। उनके गीतों में जहाँ चित्रकला की रंगमयी रेखाएँ हैं तो वहीं संगीत की मधुर स्वरलहरियाँ भी गुंजरित हैं। आवश्यकता उन्हें पकड़ने की है। कुल मिलाकर ललित कलाओं के तीन रूप – काव्य, संगीत और चित्रकला उनमें उभरकर आते हैं।

सामान्यतया कलाएँ एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। उनमें अन्तःसम्बन्ध होना बहुत स्वभाविक है। इसका कारण यह है कि सभी कलाओं का प्रणेता मनुष्य ही होता है। कोई भी कला हो उसमें मूल रूप में मानव जीवन और जगत का ही चित्रण होता है। ऐसी स्थिति में कलायें एक दूसरे के क्षेत्र में स्वतः ही संचार कर लेती हैं और फिर अलौकिक आनन्द की सृष्टि करती हैं। वह आनन्द जिसे परमानन्द कहा गया है तथा जो साहित्य, संगीत इत्यादि अन्य कलाओं का आधार है।

महादेवी वर्मा द्वारा रचे गए काव्यगीतों में से अधिकतम को संगीत की राग-रागनियों में निबद्ध कर गाया जा सकता है। उनके गीतों में विरह, पीड़ा, आध्यात्मिकता (रहस्यवाद) के दर्शन होते हैं। कहीं-कहीं प्रकृति के अनुपम रूप भी उनके गीतों के विषय बने हैं। इन्हें संगीत की स्वरलिपि में ढालकर गाया जा सकता है। उदाहरणार्थ प्रातःकालीन वर्णन से युक्त, पूरी लयात्मकता के साथ रचे गए उनके इस गीत को देखा जा सकता है, जिसका शीर्षक है – 'सजल है कितना सबेरा' –

'सजल है कितना सबेरा!

राख से अंगार-तारे झर चले हैं,

धूप बन्दी रंग के निझर खुले हैं,

खोलता है पंख रूपों में अँधेरा!

सजल है कितना सबेरा!

ले उषा ने किरण-अक्षत हास रोली,

रात अँकों से पराजय-राख धो ली,

राग ने फिर साँस का संसार घेरा!

सजल है कितना सवेरा!³

इसी प्रकार उनका एक अन्य काव्य गीत है - 'प्रतिमा तुम्हारी'। इसे भी सुर-लय-ताल में बाँधकर गाया जा सकता है। उनके गीतों में आत्मात्मिकता के दर्शन होते हैं। आत्मा-परमात्मा के विरह-मिलन के रूप में रहस्यात्मकता भी विद्यमान है। कहीं-कहीं उनमें सीधे-सीधे सांसारिक वियोग-वर्णन भी ध्वनित होता है। 'प्रतिमा तुम्हारी' गीत का एक अंश इस दृष्टि से दृष्टव्य है -

'शून्य मन्दिर में बँगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी!

अर्चना हो शूल भोले,

क्षार दृग-जल अर्ध हो ले,

आज करुणा - स्नात उजला

दुःख हो मेरा पुजारी।

शून्य मन्दिर में बँगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी!

राग नद की दूर लाली,

साध भी इसमें न पा ली,

शून्य चितवन में बसेगी,

मूक हो गाथा तुम्हारी,

शून्य मन्दिर में बँगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी!⁴

इसी प्रकार प्रिय और प्रिया के मध्य के वार्तालाप के रूप में या आत्मा और परमात्मा के रूप में भी उनके एक गीत को लिया जा सकता है - 'टूट गया वह निर्मम दर्पण'। इसे भी स्वरलिपि में बद्ध कर, संगीतमयी, सुन्दर प्रस्तुति दी जा सकती है। इस गीत का कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है -

टूट गया वह दर्पण निर्मम!

उसमें हँस दी मेरी छाया।

मुझमें रो दी ममता माया,

अश्रु हास ने विश्व सजाया,

रहे खेलते आँख-मिचौनी,

प्रिय जिसके परदे में 'मैं' 'तुम',

टूट गया वह दर्पण निर्मम!

अपने दो आकार बनाने,

दोनों का अभिसार दिखाने,

भूलों का संसार बसाने,

जो झिलमिल-झिलमिल सा तुमने

हँस-हँस दे डाला था निरूपम।

टूट गया वह दर्पण निर्मम!⁵

गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहा जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो महादेवी वर्मा के कुछ गीतों में नृत्य-गीत बनने की भी अनन्त सम्भावनाएँ दिखाई देती हैं। उन्हें किसी भी शास्त्रीय नृत्य शैली के भावनृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरणतः कथक के भावनृत्य के रूप में उनके निम्नांकित गीत को लिया जा सकता है। जिसकी सफल प्रस्तुति इन्दरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ (छत्तीसगढ़) में की जा चुकी है -

'जो तुम आ जाते एक बारा

कितनी करुणा कितने संदेश,

पथ में बिछ जाते बन पराग,

गाता प्राणों का तार-तार,

अनुराग भरा उन्माद - राग,

आँसू लेते वे पद-पखार,

जो तुम आ जाते एक बारा

हँस उठते पल में आर्द्र नयन,

धुल जाता होठों से विषाद,

छा जाता जीवन में वसन्त,

लुट जाता चिर संचित विराग,

आँखें देतीं सर्वस्व बारा

जो तुम आ जाते एक बारा!⁶

महादेवी वर्मा कवयित्री होने के साथ-साथ चित्रकला में भी पारंगत रही हैं। साहित्य-सृजन में उन्होंने चित्र रेखांकन भी किया है। इसके अतिरिक्त भी शब्दों के माध्यम से भी उन्होंने अपने साहित्य में ऐसे मनोरम चित्र उकेरे हैं, जो अद्वितीय हैं। उनके अनेक गीत ऐसे हैं, जिनको रंग और तूलिका के माध्यम से बहुत ही कलात्मक रूप से उकेरा जा सकता है। विशेष रूप से जहाँ उन्होंने प्रकृति-चित्रण किया है, वहाँ के वर्णन एक चित्रकार को अपनी तूलिका उठाने के लिए विवश कर सकते हैं और इस प्रकार चित्रात्मक काव्य के बहुत सुन्दर उदाहरण हमारे सामने आ सकते हैं। इस दृष्टि से उनकी एक कविता है 'रश्मि'। इसमें प्रातःकाल होते ही सूर्य-रश्मियों का अत्यन्त मधुर प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है यह चित्रित किया गया है। इसका एक अंश अवलोकनीय है -

'चुभते ही तेरा अरुण बान!

बहते कन-कन से फूट-फूट,

मधु के निर्झर से सजल गान,

इन कनक रश्मियों में अथाह,

लेता हिलोर तम-सिन्धु जाग,

बुद-बुद से वह चलते अपार,

उसमें विहंगों के मधुर राग,

बनती प्रवाल का मृदुल कूल,

जो क्षितिज रेख थी कुहर-म्लान!

नवकुन्द कुसुम से मेघ-पुंज,

बन गये इन्द्रधनुषी वितान,

दे मृदु कलियों की चटक ताल,

हिम बिन्दु नचाती तरल प्राण,

धो स्वर्गप्रात में तिमिर-गात,

दुहराते अलि निशि-मूक तान!

चुभते ही तेरा अरुण बाण!⁷

इसी प्रकार उनकी एक कविता है 'ओ विभावरी'। इसमें उन्होंने रात्रि का वर्णन किया है। रात्रि आगमन के सारे संकेत-चिह्न इसमें चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। इस कविता को पढ़कर ऐसा लगता है, जैसे पूरा चित्र ही कलाकार द्वारा बना दिया गया हो। इस कविता का एक अंश प्रस्तुत है -

ओ विभावरी!

चाँदनी का अंगराग,

माँग में सजा पराग,

रश्मि तार बाँध मृदुल,

चिकुर - भार री।

ओ विभावरी!

अनिल घूम देश-देश

लाया प्रिय का सन्देश
मोतियों के सुमन कोष
बार-बार सी
ओ विभावरी!⁸

इसी प्रकार एक कविता में वासन्ती-रजनी के आगमन के सौन्दर्य को महादेवी जी ने चित्रात्मक शैली में अभिव्यंजित किया है। वसन्त ऋतु की रात्रि के अप्रतिम सौन्दर्य का वर्णन रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसे कोई कुशल चित्रकार इतनी ही सुन्दरता के साथ कैनवास पर भी उतार सकता है इस कविता का एक अंश दृष्टव्य है -

धीरे-धीरे उतर क्षितिज से
आ बसन्त-रजनी!
तारकमय नव वेणी बन्धन,
शीश फूल कर शशि का नूतन,
रश्मिवलय सित घन अवगुण्ठन,
मुक्ताहल अभिराम बिछा दे,
चितवन से अपनी,
पुलकती आ बसन्त-रजनी!
मर्मर की सुमधुर नूपुर ध्वनि,
अलि गुंजित पद्मों की किंकिणी,
भर पद-गति में अलस तरंगिणी,
तरल रजत की धार बहा दे,
मृदु स्मित से सजनी,
विहँसती आ वसन्त-रजनी।⁹

अतः यह निर्विवाद है कि महादेवी वर्मा के काव्यगीतों में संगीत और चित्रकला का गहरा अन्तःसम्बन्ध है। संगीतकार और चित्रकार अपनी-अपनी कलावीथिका में उनके काव्य गीतों को सजा सकते हैं। इस प्रकार काव्य, संगीत और चित्रकला का एक अद्भुत संगम उनकी सर्जना में देखने को मिलता है। साहित्य और कला के क्षेत्र में यह एक अभिनव प्रयोग साबित

होगा। अन्त में निम्नांकित अनुच्छेद में उनके संगीत सम्बन्धी विचारों को पढ़कर यह अनुमान लगाना सरल हो जाता है कि क्यों उनके काव्य में संगीत और कला की उपस्थिति इतनी ज्यादा है। महादेवी जी के गीतों में विद्यमान गेयता, लयात्मकता तथा संगीतात्मकता यह सिद्ध करती है कि उन्हें संगीत का गहरा ज्ञान था। इस बात को डॉ. श्रीमती स्वतन्त्र शर्मा की पुस्तक 'भारतीय संगीत वैज्ञानिक-विश्लेषण' में 'दो शब्द' शीर्षक के अन्तर्गत व्यक्त किए गए महादेवी वर्मा के विचारों से समझा जा सकता है। उसमें वे लिखती हैं - 'विश्व का प्राचीनतम संगीत सामगान है जो वैदिक ऋचाओं का उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरों के उतार चढ़ाव का मंत्रगान है। अभिव्यक्ति जीवन-धर्म है और जब वह लयात्मक होती है, तब संगीत की सृष्टि होती है, परन्तु हर संगीत के मूल में हमारा साम संगीत किसी न किसी मूर्च्छना या आलाप में अनजाने ही उपस्थित रहता है। उन्होंने मेरे कुछ गीतों की स्वरलिपि भी की है, जिनमें गीत का भाव मर्म अक्षुण्ण रह सका है। उनके साहित्य तथा संगीत के सत्प्रयत्न के प्रति मेरी शुभकामनायें प्रेषित हैं।' ¹⁰

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विजय लक्ष्मी जैन, 'संगीत दर्शन', पृ०सं० 08
2. डॉ० रेणु राजन्, प्राक्कथन, 'भारतीय शास्त्रीय संगीत के विविध आयाम', पृ०सं० 9-10
3. महादेवी वर्मा, मेरी प्रिय कवितायें, पृ०सं० 120
4. महादेवी वर्मा, मेरी प्रिय कवितायें, पृ०सं० 81
5. महादेवी वर्मा, मेरी प्रिय कवितायें, पृ०सं० 55
6. महादेवी वर्मा, मेरी प्रिय कवितायें, पृ०सं० 08
7. महादेवी वर्मा, मेरी प्रिय कवितायें, पृ०सं० 11
8. महादेवी वर्मा, मेरी प्रिय कवितायें, पृ०सं० 57
9. महादेवी वर्मा, मेरी प्रिय कवितायें, पृ०सं० 39
10. महादेवी वर्मा, 'दो शब्द' शीर्षक से, पुस्तक लेखिका - स्वतन्त्र शर्मा, भारतीय संगीत वैज्ञानिक - विश्लेषण, पृ०सं०

मन्नू भण्डारी का लेखन

डॉ. गीता तिवारी *

शोध सारांश – नये युग की कहानियों में मन्नू भण्डारी का अपना अलग ही स्थान है। मन्नू का साहित्य कहानी, उपन्यास और नाटक इन तीनों विधाओं से परिपूर्ण है। वे एक समकालीन कहानी लेखिका हैं। मन्नू जी के बिना आधुनिक कथा-साहित्य की चर्चा अधूरी सी लगती है। उनका समग्र-साहित्य उनके सीधे-सादे और सच्चे व्यक्तित्व का आइना है। तेजस्वी विचार रूढ़िमुक्त साहस और घरेलू आत्मीयता की सहजता ही मन्नू की सबसे बड़ी शक्ति है। वह कहानी लिखती नहीं, पाठक को अंतरंग घनिष्ठता में लेकर कहानी सुनाती है। बेहद सहज और सीधे पाठक तक पहुंचने वाली ये कहानियाँ हर क्षेत्र में चर्चित रही हैं। मन्नू जी की लोकप्रियता का प्रमाण है, उनकी कहानियाँ एवं उपन्यास।¹

शब्द कुंजी – समकालीन, आइना, रूढ़िमुक्त साहस, आत्मीयता, कहानी, उपन्यास, लेखन जगत, संवेदनाएं, नारी, आदर्श, यथार्थ, संघर्ष, दाम्पत्य जीवन।

प्रस्तावना – जब तमाम पुरुष लेखकों का वर्चस्व समूचे समाज में छाया हुआ था पुरुष लेखनी द्वारा समाज को उसका अपना बिम्ब दिखाया जा रहा था। तब ऐसे दौर में आधुनिक कथा लेखिका मन्नू भण्डारी ने अपने लेखन से समाज में ही नहीं समूचे लेखन जगत में अपनी विशिष्ट एवं अलग पहचान बनाई हुई है। उन्होंने वर्तमान समाज में व्याप्त अनेक विसंगतियों को उभारने के साथ-साथ नारी के अंतर्द्वन्द्व, प्रेम के निर्णायक क्षणों में नारी की वेदना तथा मस्तिष्क को झकझोर देने वाली, घुटन, टूटन, निराशा, सत्रांश तनाव को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है।²

‘मन्नू जी की संवेदनाएं विश्व व्यापक हैं। नारी होने के नाते उन्होंने न केवल नारी को ही अपने लेखन के केन्द्र में रखा, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को अपनी समस्याओं में स्थान दिया है। वस्तुतः मन्नू जी ने कथा साहित्य के दो माध्यमों को लेकर अपनी लेखनी चलाई है।’³ कथा साहित्य में भारतीय मध्यमवर्गीय व्यक्ति की समूची संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। पिता की असमायिक मृत्यु किस कदर एक उभरते हुए कलाकार को खत्म कर देती है, उसके वर्तमान जीवन में स्वप्नों के रेत की दीवार की तरह ढह जाना लेखिका ने चित्रित किया है। मन्नू जी ने समाज के हर वर्ग से पात्र लिये हैं। अत्याधुनिक शहरों की मानसिक यंत्रणा के साथ दो पीढ़ियों की टकराहट में पिसती नयी पीढ़ी के तनाव को भी अभिव्यक्त किया है। मन्नू जी ने आम आदमी के तनाव अकेलेपन, क्षणवाद, कुंठा, नैतिक मूल्यों के पतन के साथ उच्च, मध्यमवर्गीय व्यक्ति के खोखलापन को भी अपनी रचनाओं में उभारा है।³

मन्नू जी कई तरह के विराधाभासों के बीच भी साहित्यिक सृजन करती रही हैं। सच्चा साहित्यकार वही है, जो तत्कालीन स्थितियों को उनके पूरे सन्दर्भ के साथ अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करे। अपने समय के राजनैतिक, हथकंडों को उन्होंने करीबी से देखा और महसूस किया है। इस संदर्भ में उनका ‘महाभोज’ उपन्यास राजनीति के गलियारे में आम आदमी की नियति की व्यथा-कथा को विस्तृत फलक पर प्रस्तुत करता दिखलाई देता है।

वर्तमान युग की सबसे भयावह सामाजिक समस्या ‘तलाक’ और

‘तलाक’ के कारण माँ और बच्चे की मानसिक यंत्रणा को परत-दर-परत पूरे सन्दर्भ के साथ लेखिका ने खोला है। तलाक का कारण कोई भी हो पर उससे निर्मित परिस्थिति बाल-मन को कुंठाग्रस्त कर देती है, जिसका सूक्ष्म निरूपण मन्नू जी ने ‘आपका बंटी’ उपन्यास में किया है। यह अन्यत्र दुर्लभ है। यह एक समर्थ लेखिका के संवेदना की विश्व व्यापकता को दर्शाता है। वर्तमान की यांत्रिकता और बढ़ते शहरीकरण में फंसा मानव अपने अस्तित्व को निरंतर उपेक्षित पाता है और यही उपेक्षा उसे निराशा, हताशा के घेरे में डाले रहती है। मन्नू जी की चिंता के केन्द्र में यही आधुनिक मानव है। मन्नू जी ने नारी हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को कलात्मक, अभिव्यक्ति दी है। उनकी नारी ‘देवी और दानवों के दो छोरों के बीच टकराती ‘पहेली’ नहीं, हाइमॉस की मानव भी है।’ मन्नू जी ने अपनी रचनाओं में प्राचीन और नवीन मूल्यों के द्वन्द्व में फंसी नारी के संघर्ष एवं तज्जनित मानसिकता का यथार्थ चित्रण किया है।⁴

नारी होने के नाते उन्होंने नारी-मन को पूरी तरह समझा और परखा भी है। तभी वे उसे अपनी रचनाओं में यथार्थ अभिव्यक्ति से जोड़ पाई हैं। अपनी नारी के सन्दर्भ में स्वयं मन्नू जी का कथन-

‘बार-बार जिस स्त्री को मैंने अपनी रचनाओं के द्वारा पहचानना चाहा है, वह है आंतरिक संस्कारों, भावनाओं और संवेदनाओं के साथ बाहरी स्थितियों और दबावों को झेलती, कभी उनको तोड़ती और कभी खुद उनके सामने टूटती हुई नारी।’

मन्नू जी ने अपने कथा-साहित्य में आदर्श और यथार्थ, स्वप्न और वास्तविकता विचार और संस्कार के बीच टूटती, चरमराती, नारी की संवेदना का मार्मिक चित्रण किया है। नारी की बेबसी, पुरुष, निर्भरता, अंतर्द्वन्द्व आदि को लेखिका ने अपने कथा-साहित्य में कलात्मकता के साथ अभिव्यक्ति दी है। अपनी आत्मकथा ‘एक कहानी यह भी’ में वे लिखती हैं-⁵

‘इससे पहले वाली पीढ़ी की स्त्री का न तो कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व होता था, न ही कोई स्वतंत्र पहचान, वह तो मात्र रिश्तों से ही पहचानी जाती थी। वह किसी की बेटी, पत्नी, माँ, बहन, चाची-ताई, बुआ-भाभी ही होती थी।

इन रिश्तों पर भी उसका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसका अपना कोई नाम भी है, इस बात का उसे कोई बोध तक नहीं था, न उसे न उसके परिवार के लोगों को बल्कि कहूँ कि समाज को। लेकिन समय के साथ-साथ शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक स्वतंत्रता और बाहरी दुनिया से बढ़ते रिश्तों ने उसके भीतर इस बोध को जगाया कि रिश्तों से परे भी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। अपनी अस्मिता है कि वह भी समाज की एक स्वतंत्र जीवन्त इकाई है। पर इस बोध के जागते ही सबसे पहली टक्कर उसे रिश्तों से ही लेनी पड़ी जो अभी तक पूरी तरह उस पर कब्जा जमाए बैठे थे।¹⁴ मन्नू जी नारी अस्तित्व की खोज में निरंतर संघर्ष करती रही है। नारी होने के नाते उन्होंने जो सहा है, भोगा है, उसका मर्यादित चित्रण उनकी आत्मकथा में हुआ है और जो पीड़ा उन्होंने भोगी है, वहीं उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है। वे लिखती हैं-

‘अपने सुख और उल्लास के क्षणों में हम अपने से बाहर होते हैं, औरों के साथ होते हैं, यातना के क्षणों में हम अपने भीतर जीते हैं और वे हमारे अपने होते हैं। हो सकता है, उल्लास और प्रसन्नता के क्षण मेरी जिन्दगी के सर्वश्रेष्ठ क्षण होते हों लेकिन यातना के ये क्षण मेरे अपने हैं और सर्जन धर्मा है इन्हें विभिन्न कहानियों में अभिव्यक्ति न मिली होती तो निःसंदेह जिन्दगी का बहुत कुछ टूट बिखर गया होता, आज सब कुछ बहुत पीछे छूट गया है, तो लगता है कि ये क्षण ही मेरे प्रिय क्षण हैं।’

समाज के बंधनों में घिरी नारी को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हर तरह संघर्ष करना पड़ता है। मन्नू जी रचनाओं में बार-बार आयी संघर्षशील नारी यही है, जो दुःख की आंच में तपकर निखरी है। अपनी अस्तित्व को बचाये रखने के लिए अपने रिश्तों को भी वह दाँव पर लगा देती है।

दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट, यौन अतृप्ति की घुटन को झेलती मन्नू जी की नारी निरंतर अपने को बचाए रखने की कोशिश करती है।

मन्नू जी ने नारी-हृदय की पर्त-दर-पर्त खोलकर उसके भावों को कलात्मक अभिव्यक्ति दी है। वे स्वयं स्वीकारती हैं कि मैंने जहाँ अपने आपको व्यक्त करना चाहा, वहाँ नारी को ही माध्यम बनाया है। मन्नू जी की नारी के बारे में डॉ. दीपा हवागीराज मैलारे का कथन है-

‘नारी हृदय के अनकहे मूक सच को पूरी तटस्थता और ईमानदारी से मुखर करने वाली मन्नू जी की कहानियों में ‘आत्मा के विस्तार’ के साथ ही ‘संवेदना का फैलाव’ भी है। इनमें स्वतंत्र्योत्तर जिंदगी का यथार्थ बोध प्रमाणिकता के साथ चित्रित हुआ है।’

‘अपनी बहु आयामी संवेदनाओं और शिल्प की सजगता के कारण ही मन्नू जी समकालीन महिला कथाकारों में अपनी अलग पहचान कायम कर पायी है। मन्नू जी के लेखन की विशिष्टता यह है कि अन्य महिला कथाकारों की भांति उनका लेखन नारी के इर्द-गिर्द ही नहीं घूमा है। बल्कि समूचे भारतीय समाज को विशेषतः मध्यमवर्ग को उन्होंने अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी है।’¹⁵ इस दृष्टि से ममता कालिया और चित्रा मुद्गल उनके सामानान्तर गति करती नजर आती है। मन्नू जी की रचनाओं में जीवन का जटिल यथार्थ उभरा है। उन्होंने समाज में जो देखा, अनुभव किया और भोगा उसे कलात्मक अभिव्यक्ति दी है। इसलिए उनकी अभिव्यक्ति मानव-हृदय को गहरे से स्पर्शती है।

समकालीन अन्य कहानीकार जहाँ निःसारता, विडम्बना, व्यर्थता बोध, मोहभंग, अलगव-बोध एवं नैराश्य की नकारात्मक संवेदनाओं को ही अपनी कहानियों के माध्यम से संप्रेषित करते रहे, वहीं मन्नू जी ने उन्हीं युगीन संवेदनाओं एवं बोध को सार्थक जीवन-दृष्टि विकसित करने तथा

भविष्य निर्माण की चिन्ता के साथ प्रस्तुत किया। उनकी कहानियाँ, नई कहानियों की तरह ही कोई कलात्मक चरमोत्कर्ष तथा चौकाने वाला अंत तो नहीं रचती, परन्तु उनमें सतत् जागरूक दुर्लभ निष्कर्षशीलता देखी जा सकती है।

‘समकालीन नये कहानीकार जहाँ कहानी की निर्लिप्तता एवं तटस्थता को एक कला-मूल्य के रूप में प्रचारित करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं कमलेश्वर की ‘नई कहानी की भूमिका’ में दी गई सैद्धांतिक स्थापनाओं से अलग मन्नू भण्डारी की पहली ही प्रकाशित कहानी ‘मैं हार गई’ अपने ही रचे पात्रों से तटस्थ एवं निर्लिप्तता रह पाने की घोषणा करती है। इसी बिन्दु पर मन्नू भण्डारी की कहानियाँ हिन्दी कहानी के इतिहास में संवेदनात्मक एवं सृजनात्मक हस्तक्षेप का इतिहास रचती है।’¹⁷

भाषा के धरातल पर भी मन्नू भण्डारी आंचलिकता के दूसरे छोर पर खड़ी है। वे पात्र की भावनाओं को जो सही-सही व्यक्त करने की चिन्ता करती हैं, लेकिन उनके लिए अनुकूल भाषा एवं शब्दों का चुनाव करते समय वे किसी बोली या क्षेत्र विशेष पर नहीं बल्कि हिन्दी जगत के पाठकों तक व्यापक सम्प्रेषणीयता की योग्यता पर बल देती है। उनकी कहानियों के ग्रामीण पात्र भी भाषा वैज्ञानिक अर्थों की किसी बोली विशेष में शुद्धतावादी अभिव्यक्ति नहीं देते, बल्कि सम्प्रेषण की दृष्टि से एक सहज एवं सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी इसी विशेषता को अलोचकों ने सहज-भाषा का नाम दिया है।

‘मन्नू भण्डारी की कहानियाँ एवं उपन्यास जीवन से जुड़ी हुई हैं। उनके साहित्य में पारिवारिक जीवन, पति-पत्नी के बनते-बिगड़ते सम्बन्ध एवं उन्मुक्त प्रेम आदि का चित्रण बड़ी सूक्ष्मता से हुआ है। मन्नू का साहित्य पाठकों का कला दृष्टि के साथ-साथ जिन्दगी के ‘आज’ को समझने की दृष्टि देती है।’¹⁸

‘व्यक्ति’ का ‘व्यक्तित्व’ परिवेश से बनता है, जो अपने साथ सामाजिक विषमताओं एवं मानवीय संवेदनाओं का एक पूरा संसार लिए रहता है। इस परिवेश से जुड़ना और जुड़कर लिखना स्वयं अपनी सजीवता के लिए आवश्यक है। वस्तुतः परिवेश हर व्यक्ति को मिलता है, किन्तु उसे भोगने की प्रक्रिया हर एक की अलग-अलग हुआ करती है।

मन्नू जी की लोकप्रियता का प्रमाण है, उनकी कहानियाँ एवं उपन्यास। ‘यही सच है, मैं हार गई’ ‘त्रिशंकु’ और उपन्यास ‘आपका बंटी’ और ‘महाभोज’ उनके लेखन की चरम उपलब्धि है। उनकी कहानियाँ ‘ए खाने का आकाश नाई’ और ‘यही सच है’ हैं। उनके कथा साहित्य में संवेदनशील पीड़ित मनुष्य का आन्तरिक संसार उपस्थित है। मानव जीवन के इसी चेहरे को मन्नू का रचना-संसार रेखांकित करता चलता है। जीवन्त अनुभूति की विश्वसनीयता के साथ मन्नू का कथा साहित्य सृजित होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रदीप सी लाइ ‘मन्नू भण्डारी की कहानियों के प्रमुख पात्र पृ. 13
2. डॉ. पटेल भूमिका ‘मन्नू भण्डारी का कथा साहित्य संवेदना और शिल्प पृ. 11
3. प्रो. किशोर गिरडकर, मन्नू भण्डारी का कथा साहित्य, पृ. 6
4. मन्नू भण्डारी ‘एक कहानी यह भी पृ. 27
5. प्रो. किशोर गिरडकर, मन्नू भण्डारी का कथा साहित्य, पृ. 134
6. अजीत कु. मन्नू जी के तमाम रंग, त्रिशंकु कहानी संग्रह पृ. 15
7. गिरिराज किशोर मनोरमा अक्टूबर 1977 पृ. 6
8. प्रदीप सी लाइ ‘मन्नू भण्डारी की कहानियों के प्रमुख पात्र पृ. 13
9. डॉ. श्याम शर्मा ‘आधुनिक हिन्दी नाटकों में नायक’ पृ. 64

डॉ. नरेन्द्र कोहली के रामकथा आधारित उपन्यासों में मूल्य - बोध

डॉ. मंजू देवी मिश्रा *

सारांश - डॉ० नरेन्द्र कोहली ने अपने विविध उपन्यासों के माध्यम से श्रीरामचन्द्र के जनसाधारण, सहज, सरल एवं एक सामान्य मानव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। राम में शक्ति, शील और सौन्दर्य के सभी गुण विद्यमान हैं। वे सामान्य मानव होकर अपने पुरुषार्थ से राक्षसी प्रवृत्तियों का समूलनाश करते हैं। उन पर विजय प्राप्त करते हैं।

लेखक अपने उपन्यासों के माध्यम से श्रीराम को लोकरक्षक, लोकधर्मी, परदुःख कातर, परोपकारी एवं लोक संस्कृति के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किए हैं। वे जनता के बीच रहकर आमजन के हित को अहर्निश सोचते हैं।

प्रस्तावना - लेखक जब अपने उपन्यास की रचना के लिए पौराणिक कथा का कोई सूत्र आधार-रूप में स्वीकार करता है, तब उसका दायित्व कुछ बढ़ जाता है। तत्कालीन संस्कृति से विसंगत, सभ्यता से विसंगत किसी कार्य अथवा वस्तु का प्रदर्शन पौराणिक उपन्यास को निर्जीव और अविश्वसनीय बना देगा। आधुनिक विचार और कल्पनाएँ निश्चय ही आएँगी, परन्तु वे तत्कालीन परिवेश में। इसके लिए पौराणिक उपन्यास के लेखक को पौराणिक युग के अन्तः-बाह्य स्वरूप से भली-भाँति परिचित होना आवश्यक हो जाता है। इस तरह पौराणिक कथाओं को नई अनुभूति और नए सन्दर्भ में व्याख्यायित किया जाता है। इसी दिशा में विशेष योगदान दिया है - डॉ० नरेन्द्र कोहली ने।

डॉ० नरेन्द्र कोहली के रामकथा आधारित उपन्यास इस प्रकार हैं- दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, साक्षात्कार, पृष्ठभूमि, अभियान, युद्ध। लेखक कोहली ने अपने उपन्यासों के माध्यम से राम के चरित्र की नवीन व्याख्या की है। उन्होंने राम को एक जननेता के रूप में चित्रित किया है। लेखक का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि तत्कालीन समस्याओं और घटनाओं को इस तरह पाठक - वर्ग के सम्मुख रखें कि वे आज के सन्दर्भ में उसे देखें और उसके परिणामों से परिचित हो सकें। लेखक की दृष्टि मनोवैज्ञानिक आधार पर मानव-चरित्र की बारीकियों को उद्घाटित करने में केन्द्रित रही है। ऐसा ही एक चरित्र है - कैकेयी का। लेखक के अनुसार महाराजा दशरथ और कैकेयी के पथ में बहुत भेद था, इस कारण कैकेयी, महाराजा से कभी भी संतुष्ट नहीं थी। वह सम्राट से संबंधित प्रत्येक वस्तु से घृणा करती रही। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण भी था कि कैकेयी का व्यवहार सामान्य नारी से कठोर हो गया था, वह था उसे एकमात्र वस्तु माना गया, उसका प्रयोग एक वस्तु की तरह किया गया अपनी इसी पीड़ा को वह इस तरह व्याख्यायित करती है 'मैं पराजित राजा की ओर से विजयी सम्राट की संधि के लिए दी गयी एक भेंट थी' और भेंट मात्र एक वस्तु होती है, इसी कारण वह सम्राट के प्रति कठोर थी और धीरे-धीरे अपने भाई युधाजित की सहायता से अपने सैनिक बल को मजबूत करती रही। उसने अपने अधिकारों को इतना बढ़ा लिया था कि विरोधियों को मार्ग से हटाना उसके लिए सुगम राजनीति बन गई थी, कैकेयी की इस स्थिति के बारे में लेखक ने लिखा है कि सेना की अनेक महत्वपूर्ण टुकड़ियाँ उसके अधीन हैं - कितनी

शाक्तिशाली हैं कैकेयी।^{1,2} इस तरह बहु-विवाह का कुप्रभाव हमारे सम्मुख आता है और पारिवारिक स्थिति में जटिलता उत्पन्न हो जाती है। कोई अपने अहम् स्वार्थ के वंशीभूत होकर कार्य करता है जिससे अधिकारों में टकराहट उत्पन्न अधिकार की रक्षा के लिए ही राम की सौतेली माँ कैकेयी अपने सौतेले पुत्र राम को बनवास भिजवा देती है। इस तरह लेखक ने उन राजनीतिक दांवपेंच का चित्रण भी किया है, जिसके कारण कैकेयी सशक्त हो गई और राजा दशरथ को विवश होकर राम को बनवास के लिए भेजना पड़ा। लेखक ने प्रमुख तथ्यों की अपनी दृष्टि के अनुसार कुछ न कुछ नवीन व्याख्या की है।

लेखक ने बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयत्न किया है और उनकी युगीन संदर्भ में कलात्मक अभिव्यक्ति की है तथा अपने उपन्यास में 'शिव-धनुष भंजन' की वैज्ञानिक और तर्कशील व्याख्या की है। शिव-धनुष को लेखक ने एक यन्त्र बताया है और इसे ऋषि विश्वामित्र वन में श्रीराम को संचालित करना सिखाते हैं, यही कारण है कि श्रीराम बड़ी आसानी से यह कार्य कर पाते हैं अन्य कोई राजा नहीं। डॉ. कोहली ने 'ऋषि' के कार्य और उसके महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए अपने उपन्यास 'दीक्षा' में बताया है कि राज्य को समृद्ध करने का कार्य ऋषियों, तपस्वियों पर निर्भर रहता था, क्योंकि वे ही गुरु-आश्रम में देश के स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करते थे और यज्ञ, आविष्कार करके, नये-नये शास्त्रों का निर्माण करके देश की सुरक्षा का भार उठाते थे पर वे सदा निर्लोभ रहते थे। यही कारण है कि राज-दरबार में उनका विशेष आदरणीय स्थान होता था और राजा इनकी हर संभव सहायता करने का प्रयत्न करता था। इसी कारण राजा दशरथ के दरबार में ऋषि विश्वामित्र जाते हैं, क्योंकि राक्षस उनके यज्ञ का कार्य सम्पन्न नहीं होने दे रहे थे। ऋषि विश्वामित्र लोकमंगल का ही कार्य अपने यज्ञ द्वारा कर रहे थे। इसीलिए पहले वे सेना भेजने का आग्रह करते हैं, तब ऋषि कर्तव्यों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम बुद्धिजीवियों ने अनासक्त होकर तुम्हें शासन सौंप दिया तो तुम सत्ताधारी यह समझते हो कि सामान्य प्रजा तुम्हारे भोग के साधन जुटाने का माध्यम मात्र है। हमारी रक्षा कर तुम हम पर कोई कृपा नहीं करते। तुम्हारा कर्तव्य है, इस तरह राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। बनवास

में भी श्रीराम ऋषियों के प्रति सेवा भाव रखते हैं। इसी पर प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें एक यन्त्र दिया और कहा ' हम सुरक्षार्थ तुम्हें एक अन्य यंत्र देते हैं जिससे तुम्हारे आश्रम में अनिच्छित व्यक्ति घुस नहीं सकेंगे इसे लगाकर जब तुम इसमें ऊर्जा का प्रवाह छोड़ोगे तो यह आश्रम में आने का यत्न करने वाले की हत्या कर देगा। ' इसी तरह सीता जी ने भी अपनी सेवा से ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा को प्रभावित किया ऋषि - पत्नी लोपामुद्रा ने सीता जी की शल्य-चिकित्सा का ज्ञान दिया और वे एक कुशल चिकित्सक बन गईं। सीता जी कि इस सबल भूमिका का परिचय 'संघर्ष की ओर' अन्यास में मिलता है जिसमें वह घायल सैनिकों का उपचार करती हुई दिखाई पड़ती है और श्रीराम का युद्धभूमि साथ भी देती है। इस तरह नारी के अबला नहीं, सबला रूप का परिचय सीता जी के माध्यम से डॉ. कोहली प्रस्तुत करते हैं। इसी उपन्यास में श्रीराम बनवासियों की शक्ति को एकत्रित करते हैं, उनमें आत्मबल भरते हैं और शस्त्रविद्या देकर उनका सफल नेतृत्व करते हैं ताकि वे स्वयं अपने रक्षा का दायित्व उठा सकें। इस उपन्यास के अनुसार श्रीराम समाजवादी धारा के समर्थक के रूप में हमारे सम्मुख जाते हैं। वे ग्रामवासियों को युद्ध-रीति, नेतृत्व, शस्त्रविद्या का ज्ञान देते हैं और अबोध-अज्ञानी ग्रामवासियों में आत्मबल के साथ आत्म-सम्मान को संचारित किया और उन्हें प्रशिक्षित सेना में बदल दिया। यही कारण था कि श्रीराम ने खर व दूषण की विशाल सेना का सामना किया और उन्हें पराजित भी किया। श्रीराम के इस कार्य से प्रभावित होकर ऋषि अगस्त्य कहते हैं, 'तुमने वह कार्य कर दिखाया जिसे करने का स्वप्न हम वर्षों से देख रहे रहे थे। मैं किसी का श्रेय नहीं छीनना चाहता, पर फिर भी कहता हूँ कि यह युद्ध तुमने अकेले ही जीता है।' इस तरह लेखक ने खर-दूषण युद्ध को नवीन अर्थ दिए और उसे आधुनिक सन्दर्भ में देखा है। श्रीराम को एक अवतारी पुरुष या देवता के रूप में पाठकों के समक्ष नहीं रखा बल्कि एक साधारण मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। जो कि जनता में अन्याय के प्रति विद्रोह की भावना को जागृत करता है, उनका सफल नेतृत्व करता है, उन्हें सशक्त सेना का रूप प्रदान करता है ताकि वे स्वयं अत्याचार का सामना कर सकें। इस तरह लोक - कल्याण की चेतना से अनुप्राणित होकर समाज के दुःख को यथाशक्ति दूर करने का प्रयत्न करते हैं और सफल होते हैं।

श्रीराम के चरित्र के राजनीतिक पक्ष को लेखक ने एक नवीन दृष्टि दी है, वे वनवास में सीता जी की खोज में सुग्रीव और विभीषण से मित्रता एक तरह से राजनैतिक उद्देश्य से ही करते हैं। सुग्रीव, बालि के वध के कारण श्रीराम की हर सम्भव सहायता करता है और विभीषण अपनी मित्रता को निभाने के लिए रावण के राज्य के गुप्त रहस्य उन्हें बता देता है। जिसके कारण श्रीराम, रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यह सारी मित्रता राजनीतिक पक्ष से ही थी ताकि अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ रहे, सुरक्षा पर कम खर्च हो, राज्य का विस्तार हो तथा सभी पड़ोसी राजा के मित्र हों इस दृष्टि से राम एक गूढ़ राजनीतिक थे। एक मुख्य कारण यह था कि जहाँ के राजा को राम ने मारा है वहाँ की प्रजा शायद उन्हें राजा के रूप में स्वीकार भी न करें या कभी भी विद्रोह हो जाए। इसीलिए राम ने अपने प्रतिनिधि सुग्रीव व विभीषण को उनके भाइयों का राज्य दिया। इस तरह श्रीराम एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने के साथ - साथ पक्के देशभक्त भी थे। अपनी देशभक्ति का परिचय वे अपने राज्य के विस्तार के द्वारा देते हैं। वास्तव में लेखक ने अपने उपन्यासों में राम को अत्यन्त सहज मानवीय चरित्र के रूप में चित्रित किया है। श्रीराम निम्नवर्ग का सही दिशा-निर्देश करते हैं। यही कारण था कि भालू, वानरों और शबरेणों की सेना होने पर भी वे रावण की पूँजीवादी सम्राज्यवादी सत्ता को पराजित

कर पाते हैं। इस तरह लेखक ने श्रीराम के देवत्व को नकारा नहीं बल्कि उसकी पुनःस्थापना की है।

श्रीराम के हृदय में नारी के प्रति बहुत सम्मान है, यही कारण है कि ऋषि पत्नी अहिल्या का जब देवराज इन्द्र ने शील भंग कर दिया तो अहिल्या ने अपना स्वाभिमान, परिष्कार, सौन्दर्य - बोध अपने चरित्र का बिम्ब, खंडित हुआ पाया था। दूसरी ओर अहिल्या का समाज ने भी त्याग कर दिया। बेबस पति सामाजिक होने के कारण अन्य आश्रम का कुलपति बन गया, पुत्र भी उसी के साथ गया क्योंकि अहिल्या अपने कलंकित जीवन की छाप उस पर नहीं पड़ने देना चाहती थी और वह स्वयं खंडित आश्रम में अकेली रहने लगी। इस तरह वह अपना सब कुछ खोकर निर्जीव पत्थर का -सा जीवन व्यतीत करती है और सामाजिक स्वीकृति की प्रतीक्षा में पूरी उम्र गुजार देती है जबकि वह सामाजिक बन्धन, नियम, सिद्धान्तों को कभी तोड़ती नहीं, तभी तो वह श्रीराम से कहती है, ' सामाजिक, रूढ़ियों में बंधा यह समाज न्याय-अन्याय, नैतिकता - अनैतिकता आदि के विचार पर प्रश्नों के सन्दर्भ में पूर्णतः जड़ पत्थर हो चुका है।' श्रीराम अहिल्या की पहचान पुनःस्थापित करते हैं और उनकी ऋषि गौतम से सन्धि करवा के, उन्हें उस शापित जीवन से मुक्त करते हैं। वही श्रीराम राजधर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए सीता का त्याग कर देते हैं। इस तरह कुछ मिथकों की तो तर्कसंगत व्याख्या है और कुछ पर लेखक मौन हैं।

मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाने का श्रेय उन उदत्त जीवन - मूल्यों को है, जिनके माध्यम से वह अपना सात्विक जीवन बिता रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की एक परम्परागत संस्कृति होती है, जिसका सृजन उन मूल्यों के आधार पर होता है। जिन्हें वहाँ के महापुरुषों ने अपने जीवन में अपनाया। श्रीराम ऐसे ही विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण थे - 'वे वीर, उदार, अन्याय के शत्रु, दलितों के रक्षक, स्वार्थ - शून्य, युग-पुरुष, बलित्त, आर्य, सुसंस्कृत, शालीन और शिष्ट थे। वे जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं।'।

वस्तुतः इन मूल्यों के माध्यम से ही उनका चरित्र और व्यक्ति गौरवमय बन गया। इस तरह श्रीराम के चरित्र के माध्यम से उन मूल्यों का सृजन हुआ जिन पर काल और परिस्थिति का कम से कम प्रभाव पड़ा अर्थात् शाश्वत मूल्य।

इन्हीं उपन्यासों के माध्यम से सम्बन्धों के आदर्श रूप को लेखक ने पाठक - वर्ग के समक्ष रखा जैसे भाई-भाई का सम्बन्ध, मित्र-मित्र का सम्बन्ध, पति-पत्नी का सम्बन्ध सभी में स्वार्थशून्य होना परम आवश्यक है। भरत की तरह यदि निवृत्ति परक प्रवृत्ति है, तब सम्बन्धों में बिखराव हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ भोग और त्याग का संतुलन है, बुद्धि और हृदय का संतुलन है, कर्तव्य और अधिकार का संतुलन है, परिवार और समाज का संतुलन है और यही संतुलन भारतीय - जीवन मूल्य की एक विशेषता है। इस तरह लेखक ने अपनी रचना के द्वारा मूल्य - व्यवस्था को और अधिक दृढ़ किया है।

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी को सामान्य मानव के रूप में प्रस्तुत कर अपने पुरुषार्थ से जननायक मानवीय गुणों से युक्त, सहज, सरल बनाकर लेखक ने अपनी नयी सोच को उद्घाटित किया है और उनकी अवतारी एवं भगवान से हटकर अलग प्रस्तुति करके प्रतिष्ठित किया है, यही लेखक की निजी विशेषता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अवसर।
2. संघर्ष की ओर।
3. दीक्षा।

यशपाल के उपन्यासों में सामाजिक मूल्य

डॉ. सनकादिक लाल मिश्र *

प्रस्तावना - प्रेमचंद के बाद यशपाल ही ऐसे सशक्त उपन्यासकार हैं, जिन्होंने समाज से सीधे टक्कर ली हैं। उन्होंने विषमताओं विसंगतियों और विकृतियों का पर्दाफाश किया है। यशपाल ने अपने उपन्यासों में जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है। कुछ समस्याओं पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया है, तो कुछ की ओर संकेत किया है। भारतीय समाज के उच्च, मध्य और निम्न वर्ग की समस्याओं और विषमताओं को उन्होंने निकट से देखा और समझा है। युगीन समाज की सभी समस्याओं चाहें सामाजिक हो या राजनीतिक पर उनकी दृष्टि गई है।

युगीन समस्याओं के संदर्भ में उन्होंने पूँजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष को प्रमुख रूप से चित्रित किया है। मार्क्स के अनुयायी होने के कारण मार्क्सवादी दर्शन की अभिव्यक्ति उनके उपन्यासों में स्थान - स्थान पर देखी जा सकती है। मार्क्सवादी विचारधारा का आधार मजदूर और मिल-मालिकों का संघर्ष है। यशपाल अपने उपन्यासों में मिल - मालिकों के संघर्ष को अवश्य चित्रित करते हैं। दादा मामरेड, पार्टी कामरेड देश द्रोही, झूठा सच आदि ऐसे उपन्यास हैं जिनमें मिल मालिकों और मजदूरों के संघर्ष का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है।

'दिव्या' और 'अमिता' भले ही ऐतिहासिक उपन्यास हैं, परन्तु उनके माध्यम से भी लेखक ने मानवीय मूल्यों की ही अभिव्यक्ति की है। झूठा सच भारतीय समाज का ऐसा सार्थक दस्तावेज है, जिसमें भारतीय समाज के हर वर्ग का सुख-दुख है, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक स्थितियों का चित्रण है। यह उपन्यास देश के विभाजन की वीभत्स और करुण घटनाओं का सजीव चित्रण है।

साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। जीवन और समाज से जुड़ी हुई रचना ही कालजयी रचना होती है। वास्तव में साहित्य की सार्थकता सामाजिक कल्याण में है। यशपाल की दृष्टि सदैव सामाजिक कल्याण की ओर रही है। उनकी दृष्टि में कला की उपयोगिता सामाजिक जीवन की पूर्णता में है। 'दादा कामरेड' की भूमिका में उन्होंने कला के संबंध में लिखा है - 'कला को कला के विर्लिस क्षेत्र में ही सीमित न रखकर मैं भावों या विचारों का वाहक बनाने की चेष्टा करता हूँ क्योंकि जीवन में मेरी साध केवल व्यक्तिगत जीवनयापन ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन की पूर्णता है। इसलिए कला से सम्बन्ध जोड़कर भी मैं कला को केवल व्यक्तिगत संतोष के लिए नहीं समझ सकता। कला का उद्देश्य है - जीवन में पूर्णता का यत्न। बजाय इसके कि कला का यत्न बहककर हवा में पैंतरे बदलकर शांत हो जाए क्या यह अधिक अच्छा नहीं कि वह समाज के लिए विकास और नवीन कला के लिए आधार प्रस्तुत करें।' यशपाल का यह कथन उनके उपन्यासों में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। उनके उपन्यासों की नींव सामाजिक और

राजनीतिक समस्याओं पर खड़ी है। वास्तव में समाज और साहित्य का पारस्परिक संबंध होता है। यह बात और है कि कभी कभी लेखक अपने साहित्य में ऐसे समाज का वर्णन करता है, जैसा वह चाहता है या फिर उस समाज के रीति-रिवाज मूल्य और मान्यताओं का वर्णन करता है, जिसमें वह रहता है।

यशपाल का दर्शन भले ही मार्क्सवादी हो, उनका मुख्य उद्देश्य भले ही मिल मालिकों और मजदूरों का संघर्ष दिखाना रहा हो लेकिन वह समाज के प्रति भी उतने ही सचेत रहे हैं। सामाजिक समस्याओं को भी उन्होंने उसी स्तर पर चित्रित किया है, जिस स्तर पर राजनीतिक को। अपने युग की सामाजिक समस्याओं मूल्यों और मान्यताओं की अभिव्यक्ति वह अपने उपन्यासों में करते हैं। 'देशद्रोही' तथा 'मनुष्य के रूप' उपन्यास में यशपाल ने संयुक्त परिवार की जर्जर स्थिति का चित्रण किया है।

युग के अनुसार व्यक्ति के मूल्य बदल जाते हैं। कभी संयुक्त परिवार के प्रति लोगों में पूर्ण आस्था थी। संयुक्त परिवार के आधार भ्रातृ-प्रेम था। परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे के सुख-दुख से सुखी और दुखी होते थे। परन्तु आधुनिकीकरण ने मानवीय संवेदनाओं को बदल दिया। आस्था, प्रेम, श्रद्धा सहानुभूति का स्थान अर्थ ने ले लिया है और आज के युग में अर्थ ने मनुष्य को इतना स्वार्थी बना दिया कि वह भ्रातृ-प्रेम को भूल गया। मानवीय मूल्य उसके हाथों से रेत के कणों की तरह खिसक गए। देशद्रोही उपन्यास का ईश्वर दास चाहता है उसका भाई सुरक्षित न लौटे ताकि वह सारी सम्पत्ति का मालिक बन सके।

आज के युग में संयुक्त परिवार की दीवारे कितनी खोखली हो चुकी है इसका वर्णन यशपाल ने स्थान -स्थान पर किया है। प्रेम, सहानुभूति, समर्पण, त्याग कभी संयुक्त परिवार के आदर्श थे, आज वे सब मूल्य लुप्त हो गए हैं। संयुक्त परिवार की प्रेम भावना आज कितनी खोखली और अस्थिर है इसका उदाहरण देहद्रोही उपन्यास में देखने को मिलता है। 'नए ढंग की पढ़ी लिखी बहू के धर आने से बुआ और जेठानी ने परेशानी अनुभव की थी। परन्तु डाक्टर की उँची नौकरी पा जाने के उत्साह में वह भुला दी गई थी। घर में बहू के आने पर लक्ष्मी के चरण पड़ने के कारण वह लाइली बन गई थी। सास के आसन की अधिकारी बुआ और जेठानी उसे कुछ न कह सकती थी। परन्तु कुलक्षणा विधवा बन जाने पर वह बहू बोझ बन गई।'।

सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं के नाम पर भारतीय समाज में नारियों का शोषण होता रहा है। यशपाल ने अपने उपन्यासों में ऐसी समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करके एक ओर जहाँ उस समस्या से परिचित कराया है, वहीं दूसरी ओर उस समस्या से पीड़ित नारी को समानाधिकार देने के समर्थक हैं। उनके शब्दों में 'आज हमारे समाज का

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज, जिला-रीवा (म.प्र.) भारत

आधा भाग यानि नारी समाज की कठिनाई और संघर्ष में अपने आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों को समझे , वे केवल कंधो पर बोझ न बनी रहे ।'

देहद्रोही उपन्यास की राजबीबी के माध्यम से विधवा समस्या को नवीन दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। खन्ना की मृत्यु की सूचना के पश्चात् राजबीबी बट्टी बाबू से शादी कर लेती है। अचानक खन्ना जब लौटकर आता है तो अपनी पत्नी का पुनर्विवाह सुनकर उसे धक्का अवश्य लगता है परन्तु वह उद्वान्त मानवीयता के कारण राजबीबी को दोषी नहीं मानता और न ही उसके पास जाता है। राजबीबी भी अब बट्टी बाबू के प्रति ही निष्ठावान है इसलिए बीमारी की स्थिति में भी खन्ना को अपने घर में एक रात के लिए भी शरण नहीं देती।

खन्ना के प्रति राजबीबी समर्पण एक दिन वास्तविक था लेकिन आज वही समर्पण और प्रेम बट्टी बाबू के प्रति है। राजबीबी के चरित्र के माध्यम से यशपाल ने इस मूल्य की स्थापना की है कि विधवा स्त्री को भी समाज में सम्मान से जीवित रहने का अधिकार है। वास्तव में व्यक्ति, समाज और परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं। सामाजिक मूल्य भी बदलते रहते हैं, इसलिए विधवाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए। यदि कोई विधवा स्त्री परिस्थितियों से समझौता करके नई जिंदगी की शुरुआत करती है तो समाज को उसका स्वागत करना चाहिए। उसके सम्बन्ध को अनैतिक नहीं मानना चाहिए। यशपाल ने अपने उपन्यासों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरातल पर गहराई से विधवा समस्या को प्रस्तुत करके नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सच तो यह है कि यशपाल पति-पत्नी के बीच से शासक - शासित और मालिक - गुलाम के सम्बन्ध को मिटा देना चाहते हैं और यह तभी सम्भव है, जब नारियाँ भी पुरुषों की भाँति अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करें। यशपाल की दृष्टि में आर्थिक स्वतंत्रता ही नारी को दासता से युक्ति दिला सकती है। इसलिए उनके सभी नारी पात्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का विरोध करते हैं।

यशपाल के उपन्यासों में जो भी नारी पात्र आए हैं, वे अभिजात वर्ग और मध्यवर्ग से सम्बन्धित हैं। ये सभी नारी पात्र जीवन में दोहरा संघर्ष करते हैं। एक ओर सभी नारियाँ सामाजिक परम्पराओं, रूढ़ियों और मान्यताओं के शोषक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी अहं भूमिका निभाती हैं।

'दादा कामरेड' उपन्यास की नायिका शैल बाला स्वतंत्र प्रकृति की नारी है। उसका दृष्टिकोण सामान्य नारियों से भिन्न है। वह शादी का विरोध करती है। शैल का नारी स्वातंत्र्य सामाजिक विचारों की अवहेलना के साथ ही सदाचार और व्यवहार की भी उपेक्षा करता है। शैल का व्यवहार भारतीय संस्कृति के विपरीत दिखाई देता है। शैल का आचरण, व्यवहार और मानसिकता भारतीय संस्कृति और सभ्यता से नितांत अलग है। उसका स्वच्छंद आचरण और संस्कृति में जी रही हो।

यशपाल का समाज के प्रति अपना अलग दृष्टिकोण है। उन्होंने समाज की अपेक्षा को महत्व दिया है। वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या वर्ग का शोषण न होता हो। वह सभी सामाजिक रूढ़ियों और सामाजिक संस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि ये संस्थाएँ और रूढ़ियाँ मनुष्य को सहज रूप में जीने नहीं देती हैं। सामाजिक शोषण को समाप्त करने के लिए यशपाल विवाह संस्था को समाप्त कर देना चाहते हैं।

यशपाल ने अपने उपन्यासों में शोषितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण सहानुभूति व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं उदारता आदि मूल्यों को चित्रित किया है। ये सभी मूल्य समाज के कल्याण और उसके विकास की भावना से संबंधित हैं। परम्परागत रूढ़ियों एवं शोषण का विरोध करते हुए क्रांति का आवाहन और स्वस्थ मूल्यों का विकास करना ही उनका उद्देश्य रहा है। 'अमिता' उपन्यास की बालिका अमिता द्वारा 'किसी से न छीनना, किसी को नहीं डराना एवं किसी को नहीं मारना' अपनाया गया मूलमंत्र समाज सेवा एवं कल्याण की भावना से संबद्ध है। इस उपन्यास में यशपाल ने युद्ध का विरोध किया है। अमिता बड़ी निर्भीकता से अहिंसा की प्रकृति का समर्थन करती है जिसके फलस्वरूप अशोक प्रतिज्ञा करता है - 'वह किसी से नहीं छीनेगा, किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं।' अमिता द्वारा दस प्रकार युद्ध का विरोध करना अहिंसा तथा विश्व प्रेम का संदेश देना मानवीय मूल्यों को प्रकट करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दादा कामरेड।
2. पार्टी कामरेड।
3. अमिता।
4. दिव्या।

कबीर की सार्थकता - वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

डॉ. रेखा *

शोध सारांश - समाज निरन्तर अनैतिकता, अंधी स्वार्थपरता, भोगवादिता में गिर रहा है। भारतीय समाज आज अनैतिकता और भ्रष्ट आचरण में पहुँच चुका है। यह अनैतिकता भावी समाज को अंधेरे के निकट लाने वाली है। धर्म के नाम पर लुट, संकुचित साम्प्रदायिक विचार, आपस में लड़वाना, धर्म परिवर्तन करवाना, मानव विरोधी कार्यों को रोकने के लिए समय-समय पर महापुरुष संत-महात्मा आते रहते हैं। कालांतर में कबीर भी ऐसी ही प्रतिभा के धनी हैं।

प्रस्तावना - कबीर के जन्म को लेकर जितने विवाद रहे उतना ही संशय उनकी मृत्यु को लेकर भी रहा है। उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, वो चाहते थे कि जीवन में सभी को मान-सम्मान के साथ भाईचारे की भावना भी व्याप्त होनी चाहिए। वे कहते थे गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती इसलिए इन्होंने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है-

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पांया।

बलिहारी गुरु आपने जीने गोबिन्द दियो बताया॥

अर्थात् गुरु और गोविन्द दोनों खड़े हो तो किसके पैरों लगे यह शोचनीय तथ्य है इसका समाधान देते हुए कबीर ने कहा कि अपने गुरु की बलिहारी जाऊँ जिन्होंने गोविन्द से मिलाया है।

कबीर आत्मसुधारू हैं। वह व्यक्ति और उसकी आत्मा को सुधारना चाहते हैं क्योंकि व्यक्ति ही समाज है। व्यक्ति को सुधारने से ही समाज सुधर जाता है। समूचा ब्रह्मांड एक समग्र इकाई के रूप में उनकी दृष्टि, चिंता और चिंतन के केन्द्र में रहा है। वह समूचे को सांवरना और सुधारना चाहते थे, उन्होंने जनसाधारण में सम्यक प्रकार से जीवन व्यतीत करने हेतु मानव धर्म के साथ-साथ सहज धर्म की शिक्षा प्रदान की। उन्होंने सामान्य जन को बताया कि यदि मानव धर्म के ऊपर बाह्य आडम्बरों और अंधविश्वास से आवेष्टित आवरण को अनावृत कर देगा तो निश्चय ही वह धर्म के सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। कबीर ने यही विश्व युगीन विचारधारा आज भी महिमामण्डित करती है-

माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर।

करका मनका डारि कै मनका मनका फेर॥

कबीर की औजमयी वाणी जातिगत भेदभाव में सुप्त भारतीय जनमानस को आज भी कर संघर्ष के पथ पर अग्रसर करती है। आज भी सोई हुई कलियों में अपनी ऊर्जावान ऊष्मा के द्वारा प्राण फूँककर चेतन होकर गुलिस्तां बनने की प्रेरणा देती है। ऐतरेय ब्राह्मण में कर्म विपाक के सिद्धांत को बहुत सुन्दर ढंग से विवेचित किया है-

कवि शयनों भवति सजिहानुस्तु द्वापरः।

उतिष्ठसेत भवति कृतं संपद्यते चरणा।

चरेवति। चरेवति।

अर्थात् कलयुग का अर्थ है सोये होना, जाग जाना द्वापर है, खड़े होना त्रेता और चल देना सतयुग है, इसलिए सदैव चलते रहना चाहिए। यही निरन्तर ऊर्जा प्रदान करने वाला ओजस्वी संदेश हमें कबीर की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है-

देखौ करम कबीर का, कछु पूरब जनम का लेज

जाका महल न मुनि लहैं, दोसत किया अलेख।

कबीर ने अपनी रचनाओं में भाग्य और कर्म का अदभूत सामंजस्य बिठाया है, उन्होंने माना है कि व्यक्ति के जीवन को उच्चतम सोपान तक लाने के लिए कर्म की महता के साथ भाग्य की महिमा का होना भी परम आवश्यक है। मानव का यह महिमा मण्डित भाग्य शुभ कर्म की नींव पर टिका हुआ होता है-

ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होय।

सुबरन कलस सुधा भरा, साधु निन्दत सोय॥

वर्तमान में समाज चारों ओर से जड़ता और अराजकता की ओर उन्मुख होते हैं, तब व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद करने के लिए कबीर जैसी शख्शियत का होना आवश्यक है। सत्ताशील नेता आरक्षण, जाति-व्यवस्था, रंग-भेद, भाषा-भेद, वर्ण-व्यवस्था को लेकर, आरक्षण का खिलौना दिखाकर दिशाहीन कर देते हैं, जो देश की एकता और अखण्डता के लिए तब से लेकर वर्तमान समय तक बाधा बनते हुए आ रहे हैं। कबीर जी ने इस व्यवस्था को भारतीय समाज का कोढ़ कहा है। यह रोग जब तक समाज में जीवंत रहेगा। तब तक स्वस्थ समाज की कल्पना संभव नहीं है। समय के साथ सभी चीजे नष्ट हो जाती हैं। लेकिन वर्ण-व्यवस्था समय के साथ कभी समाप्त नहीं होती है।

जो तू बांभम बांभनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया।

जो तू तूरक तूरकिनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया।

उनकी इन पंक्तियों में आम-आदमी की आवाज दिखाई देती है और विद्रोह का स्वर मुखरित होता है। कबीर ने जन्मजाति व कुलगत उच्चता की बजाय कर्म और विचारों की श्रेष्ठता पर बल देते दिखाई देते हैं। उन्होंने एक आदर्श समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। स्वार्थपूरित समाज में कबीर की वाणी स्वस्थ समाज की संकल्पना के लिए सहायक दिखाई देती

है। उनकी वाणी अंधकार से आवेष्टित समाज में प्रकाश की किरण की तरह है। यहाँ यह उक्ति चरितार्थ होती है-

जाँति-पाँति पूछै नहीं कोया
हरि को भजै सो हरि को होया॥

उनके अनुसार संसार के सभी व्यक्तियों एक ही तत्त्व विद्यमान है। इसलिए व्यक्ति को निष्प्रभाव व लोभरहित होकर त्याग युक्त जीवन जीना चाहिए। वस्तुतः समस्त विश्व में जो जड़ या चेतन पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं वे सब ईश्वर में ईश्वर की व्यक्ति हैं। अतः ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए जगत के जीवों को त्याग भाव से पदार्थों का भोग करना चाहिए। आज भौतिकवादी प्रभावों के चलते सभी धन-दौलत को महत्व देते हैं। इंसान की इंसानियत का कोई महत्व नहीं है। लेकिन कबीर ने धनसंग्रह का विरोध किया है। और अमीर-गरीब के भेदभाव को दूर करने का भरपूर प्रयास किया है। मानव के मन में धन, लोभ, कामवासना, क्रोध भाव, अहंकार स्थिति है तब तक मूर्ख और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। अपने अहंकार भाव को त्यागकर इस संसार को नश्वर समझकर एक-दूसरे के प्रति प्रेम-भाव रखना चाहिए। वे कहते हैं-

कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होया
भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोया॥

कबीर की वाणी की तुलना करे तो अर्थशास्त्र की इतनी बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती। कबीर ने धन के समान विवरण पर बल दिया। उन्होंने इस वाणी के माध्यम से शिक्षा दी है कि यदि राष्ट्र का प्रति व्यक्ति अपरिग्रह को महत्व देगा अर्थात् संतोषजनक व त्यागभाव से धन का भोग करेगा तो निश्चय ही राष्ट्र का उत्थान संभव है। आज के दौर में भौतिक साधनों की प्राप्ति में भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, मिलावटखोरी जैसे अपराध मानवता को झकझोर रहे हैं। चारों तरफ गरीबी, लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी, महंगाई की समस्या सुरसा की भाँति समाज को घासने के लिए तत्पर है। जनसंख्या का अधिकांश भाग लाचारी, बेरोजगारी और महंगाई की मार से पीड़ित है। इन सबका मुख्य कारण कालेधन की जमाखोरी और धन का असमान वितरण। आज भ्रष्टाचार नेताओं और भ्रष्ट व्यापारियों के कारण हम बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की ओर जा रहे हैं। काले धन के कारण समाज की आर्थिक स्थिति बदस्तूर बदतर होती जा रही है। ऐसे समय में कबीर वाणी की उपादेयता हमको संमार्ग प्रशस्त करती है-

विष का खेत जु खेडिया, विष का बोर झाड़ा
फल लगे अंगार से, दुखिया के गलहार॥

अर्थात् विष का खेत तैयार करने पर अंगार रूपी फल ही प्राप्त होते हैं। बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। कबीर जी ने आचरण की पवित्रता और मन की शुद्धता पर विशेष बल दिया है परन्तु उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि कोई साधन या गुरु तभी आचरण की पवित्रता को प्राप्त कर सकता है, जब मन, वचन, कम से कंचन और कामिनी के विचार को अपने

चित्ता से निकाल दे। आज कई महंत और महामण्डलेश्वर इस बात को प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मर्यादाओं के उल्लंघन करने पर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तभी कबीर जी की वाणी की बानगी सुन्दर चरितार्थ होती है-

नारी नसावै तीनि सुख, जा नर पासैं होई।
भगति मुक्ति निज ग्यान में; पैसि न सकई कोई॥

कबीर ने कुसंगति के त्याग और सत्संगति के महत्व का प्रतिपादन किया है। कबीर की दृष्टि में सज्जनों की संगति से मानव शुद्ध आचरण की ओर प्रवृत्त हो जाता है। मानव की दुर्गति का विनाश होकर उसे सुमति की प्राप्ति होती है। सुमति की प्राप्ति केवल गुरु के द्वारा ही हो सकती है। कबीर ने गुरु को भगवान से भी बड़ा माना है। लेकिन अगर गुरु ही अज्ञानी होगा तो शिष्य भी अंधकार रूपी कुएँ में पड़ जाता है, जैसे कि आजकल के कथाकथित गुरु भोली-भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं-

जाका गुरु की अंधला, चेलौ खरा निरुधा।
अन्धै अन्धा ढेलिया, दून्युं कूप पडंता॥

इस प्रकार कबीर जी ने बाह्य आडम्बर, मोह-माया, कनक और कामिनी, मांसाहार, तीर्थाटन का विरोध करते हुए जीवन को संयम, दया, क्षमा, संतोष, ईश्वर-विश्वास आदि से सम्पन्न बनने का आग्रह किया। पारस्परिक भेदभाव को दूर करने की सलाह दी। उनकी वाणी में अनुभव, कल्पना, ज्ञान और साधना का समिश्रण दिखाई देता है। वर्तमान में भी कबीर की वाणी में धार्मिक पाखण्डों, सामाजिक कुरीतियों, अनाचारों, पारस्परिक विरोधों को दूर करने की अपूर्व शक्ति है। कबीर का साहित्य जन-जीवन में विश्व-बंधुत्व की भावना को जागृत करने वाला है और प्राणी मात्र में प्रेम और एकता का संचार करने वाला है। कबीर जी का कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो प्रासंगिक न हो। कबीर ने कहा है-

साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाया।
सार-सार को गहि रहै, थोथा देय उडाय॥

निष्कर्ष - बस यह कहा जा सकता है कि संसार ईश्वर रचित सबसे सुन्दर कृति है और उससे भी अधिक सुन्दर है, मनुष्य जीवन। मनुष्य का जीवन विरले ही प्राप्त होता है। इसलिए इसे सन्मार्ग प्रदान करके जीवन को उन्मुक्त रूप से जन कल्याण के मार्ग को पुरस्कृत कराने में अग्रसर होना चाहिए। तभी तो वो कहते हैं-

पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोया।
ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होया॥

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कबीर ग्रंथावली- डॉ. भगवत स्वरूप मिश्र ।
2. संतों का संसार - डॉ. बलदेव वंशी ।
3. कबीर वाणी अमृत संदेश - लालचन्द दूहन, जिज्ञासु ।

भीली लोकोक्तियों का अनुशीलन

डॉ. मीरा जामोद *

प्रस्तावना – लोकोक्ति और मुहावरे प्रभावी उद्बोधन तथा उत्कृष्ट लेखन के अद्वितीय संसाधन हैं। वस्तुतः जो भाषा संप्रेषण में जितनी अधिक क्षमता रखती है, वह उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ अभिव्यक्ति के सशक्त एवं प्रभावी माध्यम हैं। इनके द्वारा मनुष्य अपने अनुभवों को सहज अभिव्यक्ति देता है तथा वाक्शक्ति सम्पन्न बनता है। लोकोक्ति से भाषा में ताजगी और अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता भी आती है। अपनी सांस्कृतिक विरासत की अभिरक्षा भी इनके प्रयोगों से होती है।

लोकोक्ति – लोकोक्तियाँ कुछ शब्दों का समूह है, जो विशिष्ट संकेतिक अर्थ की व्यंजना के लिए जनसामान्य द्वारा प्रयोग में लायी जाती है। वह स्वयं एक है जो विशिष्ट अभिव्यंजना को अपने में समाविष्ट किए हुए है और सामाजिक व्यक्ति उसके प्रचलन के कारण ठीक उसी अर्थ को ग्रहण करता है।

व्यक्ति जब किसी बात को प्रभावशाली या वजनदार बनाना चाहता है तब वह कहावतों की शरण में जाता है कोई भी समाज ऐसा नहीं, जिसमें लोकोक्तियों या कहावतों का प्रयोग नहीं हुआ। कहावतों के द्वारा किसी कथन में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। यह श्रोताओं के हृदय पर अपना अमिट प्रभाव डालती है।

ऐसा माना जाता है कि कहावतों की भाषा सरल होती है, जो सीधे हृदय पर चोट करती है। भील जनजाति में भी बात-बात पर कहावतों का प्रयोग होता है, भीली भाषा में इसे कवाड़ा कहते हैं।

संदर्भ या घटना विशेष की प्रधानता के आधार पर – भीली कहावतों में किसी विशेष संदर्भ या घटना का भी हाथ होता है। कभी-कभी कोई घटना लोकमानस को इतना प्रभावित कर जाती है कि उसका संदर्भ लेकर सहज ही एक लोकोक्ति या कहावत बन जाती है। जैसे – **घर का भेदी लंका ढाए। अनुभव संपदा के आधार पर** – भीली लोकोक्तियों में गूढ़ अनुभव छिपे होते हैं और यह अस्तित्व में तब आती है, जब उसमें कोई विशेष अनुभव छिपा हुआ होता है। जैसे – **धन जोबन, माया तीन दड़ी भी पामणी** अर्थात् सम्पत्ति, यौवन और ऐश्वर्य ये तीन अतिथि हैं।

पूर्ण वाक्य के आधार पर – लोकोक्ति या कहावत एक पूर्ण वाक्य होती है, उनका अपना स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इन्हें वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे – **'दनिया मा माय-बाप नीहि मिले, बीजो हारू मिले।'**

प्रमाण रूप में प्रयोग के आधार पर – भीलों की लोकोक्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अपने की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके। ये लोग अधिकांशतः अपनी बोलचाल में प्रयोग कर लेते हैं और साथ ही श्रोता पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे – जो व्यक्ति मेहनत करके कमाता उसके लिए कहा जाता

है – **'धंधो कर जो धाई ने खाये।'**

उपदेश के आधार पर – प्रत्येक कहावत या लोकोक्ति में कोई न कोई नीति या उपदेश की शिक्षा निहित होती है, जिसमें जीवन का गूढ़ अनुभव छिपा हुआ होता है। जैसे – संभलकर चलना चाहिए, उसके लिए कहा गया है – **'मोरलो जमावीने फायलो मेलवो।'**

सत्य के आधार पर – ऐसा माना जाता है कि कहावतें या लोकोक्तियाँ झूठ नहीं बोलती, वे सत्य पर आधारित होती हैं। उसमें कहीं गई बात सार्वकालिक और सार्वजनिक होती है। जैसे – **'दाहडो कुकड़ा नी वाट नी जोवे।'**

अर्थात् – प्रातः काल कभी मुर्गे की बांग का इंतजार नहीं करता। उसी तरह हम यह कह सकते हैं कि – **दूर ना वाजा वारू लागे** अर्थात् दूर की वस्तु हमें अधिक आकर्षक लगती है।

वस्तुतः यह कथन इतने सत्य है कि हर समाज में, हर देश में, हर काल में इनकी सच्चाई का अनुभव किया जा सकता है, ये बातें बहुत पुरानी थी आज भी हैं, और कल भी रहेगीं। इनकी रचना चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई हो वे कालान्तर में सार्वजनिक, सार्वदेशिक और सार्वजनिक हो जाती हैं।

भीली भाषा से संबंधित लोकोक्तियाँ –

1. **अलूदरा आगणे गंगा, फेर भी अलूदरो।** अर्थात् – स्नान का आलसी।
2. **हूँ, राणी तु राणी, कुण भरे पाणी।** अर्थात् – कामचोरी।
3. **आँखे-आँखे नी, पाँखे-पाँख नी।** अर्थात् – अनचाही वस्तु।
4. **कटकू-कटकू टोटो, बसकी-बसकी धेंसा।**
अर्थात् – जरूरत की वस्तुएँ कम और अनावश्यकत ज्यादा।
5. **भात सोडी दु पण हात नी सोडू।** अर्थात् – साथ निभाना।
6. **लाडकी बेटी वाटकी चाटे।** अर्थात् – आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करना।
7. **नाचता ते आवे नी, न आंगणान् वाक् देया।**
अर्थात् – कार्य की जानकारी न होना।
8. **भुकला ते भुकला पुण सुकला ते खरी।**
अर्थात् – भील गरीब होते हुए भी सुखी रहते हैं।
9. **जतरी शक्ति ततरी भक्ति।** अर्थात् – जितना है उसी में संतुष्ट होना।
10. **उंटड़ा पर चढ़िन मांगे।** अर्थात् – घमण्ड या बड़ापन से मांगना।
11. **भील भाय न काय ढीला।** अर्थात् – भील बहुत ताकतवर होते हैं।

लोकोक्तियों को भीली भाषा में कवाड़ा भी कहा जाता है। इन लोकोक्तियों पर महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों तथा सत्य का पूर्ण प्रभाव होता है। इनमें प्रमाण, उपदेश, सत्य आदि का ज्ञान होता है और यही कहावतें पीढ़ी दर

पीढ़ी चलती जाती है।

भीली लोकोक्तियों में गूढ़ अनुभव छिपे होते हैं, ये अस्तित्व में आते ही गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। भील जनजाति में लोकोक्तियों का प्रयोग समय और मौसम के साथ-साथ विभिन्न जगह पर अलग-अलग होता है। जैसे - कार्य संबंधी कहावतों में कार्य की महत्ता होती है, तो भिन्न परिस्थिति संबंधी कहावतों का प्रचलन भी है।

निष्कर्ष - भीलों की लोकोक्तियाँ उनके अनुभव पर आधारित हैं। कहीं वस्तुओं से संबंधित तो कहीं प्रकृति से संबंधित, कहीं व्यवहार से संबंधित, रिश्तों से संबंधित कहावतें अधिकांशतः अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे - 'भील नु बेर उदेई न खावां' अर्थात् - भील अपना बेर यथावत

रखते हैं यह कहावत भीलों के व्यक्तित्व को दर्शाती है। इसी तरह भुखला तो भूखला, सुखला खरी भील की स्थिति को दर्शाती है। इस तरह इनकी कहावतें इनके दैनिक जीवन व अनुभव पर आधारित होती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मंगला गरवान - भीली गीत एवं लोकोक्तियाँ ।
2. गिरीशचंद्र जोशी - मुहावर और लोकोक्तियाँ ।
3. श्री धर्मेन्द्र पंत - नवीन लोकोक्तियाँ और मुहावरे ।
4. बद्रीलाल मालवीय - भीली गीत एवं कहावतें ।

संजा का ऐतिहासिक पक्ष

डॉ. मेघा निशान्त शर्मा *

प्रस्तावना – संजा पर्व एक लोक पर्व है, संजा कुंवारी कन्याओं का एक अनुष्ठानिक पर्व है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी इलाकों तक यह पर्व एक लोक कला उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

संजा पर्व हर वर्ष भाद्रमास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक बालिकाएँ मनाती हैं। पितृपक्ष में बालिकाएँ शाम को गोबर से संजा मांडती हैं तथा फूलों और रंग बिरंगी पन्नियों से संजा को सजाती हैं और सामूहिक रूप से आरती उतारकर गीत गाती हैं। उचित वर तथा अच्छी घर गृहस्थी के लिए बालिकाएँ यह पर्व मनाती हैं। विवाह के बाद वे इस पर्व का उद्यापन करती हैं। आदि शक्ति के विभिन्न रूप जैसे पार्वती गौरा भवानी और दुर्गा की आराधना के निमित्त विभिन्न लोकांचलो के इन उत्सवों में मालवा का संजा पर्व अपने आप में अलग ही महत्व रखता है।

संजा का ऐतिहासिक पक्ष – संजा के ऐतिहासिक मूल्यों का निर्धारण कई प्रमाणों पर आधारित है। लेकिन लोक साहित्य जगत में फिर भी संजा के ऐतिहासिक पक्ष को लेकर संतुष्टि व्याप्त नहीं है। संजा के अनेक नाम हैं जैसे – साँझी, संजा, संध्या सांझा फूली आदि हैं। सब नाम संध्या शब्द से ही आये हैं। विद्वानों ने इनके ऐतिहासिकता के बारे में मत दिए हैं। – ‘पण्डित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संजा का ब्रह्मा की पुत्री संध्या से कुछ संबंध है। कलिका पुराण विक्रम की दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी के अनुसार संध्या द्वारा ब्रह्मा से समागम के परिणाम स्वरूप 40 भाव और 69 कलाएँ उत्पन्न हुईं।’ —⁽¹⁾

लेकिन इस बात से संजा का संध्या से कोई संबंध स्पष्ट नजर नहीं आता। साँझी कौन थी? यह प्रश्न आज भी हमारे मन में उठता है, कथा गीत आदि के माध्यम संजा को एक देवी माना जाता है।

संजा के सामने जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों से साँझी के ऐतिहासिक पक्षों की जानकारी मिलती है। –

जीरो लो बई जीरो लो
जीरो जइने संजा के दो
संजा का पीयर सांगा सोल
परण पधारया गढ़ अजमेर
राणाजी की चाकरी कल्याणजी को देस
छोडो म्हारी चाकरी पधारो थोंका देस।’⁽²⁾

इस गीत का चलन राजस्थान में है। इस गीत से पता चलता है कि संजा का पीहर सांगानेर नामक स्थान में है और उसका विवाह अजमेर में हुआ है। सांगानेर कल्याणजी का देश है और जहाँ राणाजी की चाकरी (सेवा) होती है। इसलिए विवाह के बाद कल्याणजी उसे अपनी सेवा से मुक्त कर ससुराल जाने का आग्रह करते हैं।

‘अन्य जीवों में प्रयुक्त उपकरण और प्रवृत्तियाँ मध्यकालीन सामन्ती वातावरण की पोषक हैं। बाल सुलभ चेष्टाओं द्वारा अन्य बातों को छोड़कर उन गीतों में यह स्पष्ट हो जाता है कि साँझी की सांस उसे कष्ट दिया करती थी।’⁽³⁾

आकृति के माध्यम से साँझी के इतिहास का पता चलता है जैसे – ब्रज में नरवर कोटर (किलाकोट) बनाया जाता है। उसमें राजपुत की संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। मध्यकाल में किलाकोट के भीतर ही संपूर्ण नगर बसा होता था। इसलिए जो किलाकोट बनाए जाते हैं उनके पूर्ण प्रबंध का संकेत आकृतियों में होता है।

ब्रज में 16 कोटों का पूजन नवविवाहितों के लिए अनिवार्य है। सोलह की यह संख्या बालिका के पूर्णत्व का घटक प्रतीत होती है।

गीतों के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि संजा का बालिका रूप धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ने लगा है। और वह चौबारे से खड़ी होकर पति की प्रतिक्षा करती है।

भारत में अनेक प्रांतों में संजा का पर्व मनाता है। सभी जगह साँझी के विभिन्न रूपों की मिथकीय अवधारणाओं का कोई असाधारण व्यक्तित्व रहा होगा जिसका आनुष्ठानिक ओर चित्रमयी पूजा का प्रचलन लोक में प्रतिष्ठित हो गया और आज तक यह पर्व प्रचलित है। अगर हम साँझी के नाम को देखें तो हर प्रांत में उनके नाम अलग अलग हैं। हरियाणा में इन्हें दुर्गा का रूप माना जाता है। राजस्थान में इसे गौरा (पार्वती) का रूप मानते हैं निमाड मालवा में साँझी को लोकदेवी (पार्वती) का प्रतीक माना जाता है। ब्रज में राधा और बुंदेलखंड में मामुलिया साँझी का बदला हुआ रूप है। बिहार में भी गोबर की लकीर बनाकर साँझी पूजा का प्रचलन है। साँझी के रूप चाहे कितने ही आचलिक विशेषता के साथ उभरे हों उनके अलग नाम अनुष्ठान और गीत आदि हो सकते हैं। लेकिन यह सच है कि साँझी सर्वथा फिर भी लोकदेवी के रूप में सर्वत्र नवकिशोरियों के द्वारा पूजित है।

‘खोडया ब्राह्मण उसे लेने के लिए आते हैं। एक गीत के अनुसार साँझी के लिए टीका और माला लेकर आता है किंतु अपने हुक्के की तंबाकु के लिए माला बेच देता है और आकर कहता है कि वह माला भूल आया है।’⁽⁴⁾ इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्रज में भी एक गीत सजलदे नामक स्त्री संजा की पत्नी कही गई है। ब्रज की संजा में साँझी के साथ भी पूजित है। उसकी आकृति एकादशी के बाद साँझी के साथ बनाई जाती है। और दोनों ही नरवर कोट में सजाकर बैठाए जाते हैं।

ब्रज की साँझी के अन्य गीतों में साँझी के भाई की जानकारी मिलती है।

‘सांजी के और धीरे हरी है चौराई
मोतोय पुछू साँझी के तेरे भाई

नौ दसो का अंजन मंजन सांजा मेरो भाई⁽⁶⁾

यहाँ पर साँझी के भाई और पति दोनों के नाम समान हैं।

मालवी गीतों में साँझी के भाई का नाम सूरजनारायण है और चंदा है। सँजा का भाई सुरज घोड़ा तेजी से दौड़ाता है। वह अपनी बहन से बहुत स्नेह करता है। सँजा का भाई सँजा को ससुराल से लेकर आता है। सँजा भी अपने भाई से स्नेह करती है।

ब्रज में साँझी का यह गीत गाया जाता है।

‘साँझी मैना बाजारो में डोले मैना की चाल चाले गुजराती बोली बोलेय’⁽⁶⁾ गुजराती बोलने के इस प्रमाण ‘गीतो से उसका संबंध गुजरात से नहीं हो सकता। गीतो की भाषा प्रकृति और उपकरण से पता चलता है कि सँजा, मालवा, ब्रज और राजस्थान आदि में घुमन्तु जातियों के आवागमन द्वारा प्रचलित हुई और इसका मूल उद्गम अजमेर और सांगानेर से ही हुआ है। और यही लोक धारणा पर आधारित उसका ऐतिहासिक पक्ष है —⁽⁷⁾

निमाड़ क्षेत्र की अगर बात करे तो वहाँ सँजा को सांजाफूली नाम से जाना जाता है। लेकिन सांझा फूली कहा से आई है इसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

निमाड़ में एक परंपरा है उसका संबंध सरस्वती देवी से है। छोटे बालक बालिकाएँ घर के ऊपर छाये गए चपटे खपरैल को घिस घिसकर त्रिकोण में देवी की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं और सरस्वती देवी की आरती गाकर उतारती हैं।⁽⁸⁾

साँझी का संबंध केवल विवाह होने तक ही है और अगर है, तो इसका क्या कारण है? हर तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। साँझी के इतिहास के संबंध में भी अनेक प्रश्न उठते हैं, कई विद्वान लोग इस पर आज तक खोज कर रहे हैं। हर प्रांत में यह पर्व मनाया जाता है। इस परंपरा के पीछे कोई न कोई ठोस आधार अवश्य होगा। कहानी गीत कथा आदि के माध्यम से सँजा को ब्रह्मा की कन्या, राधा, दुर्गा, पार्वती और गौरा प्रकृति रूपा के रूप में मानते चले आ रहे हैं।

‘गुरुकुल में नवरात्रि के समय पुस्तक शयन की परंपरा थी पुस्तक शयन से मतलब इन दिनों देवी भी शयन करती हैं। पुस्तकों को शयन करने वाली जगह रखकर सरस्वती देवी की मूर्ति रखी जाती है और उनकी पूजा की जाती थी। शाम के समय पूजन के कारण इसका नाम साँझी दिया गया लड़कियाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साँझी देवी का पूजन किया करती थी।’⁽⁹⁾

निष्कर्ष – कुछ विद्वानों ने साँझी को ज्ञान की देवी माना तो कुछ ने उन्हें अखण्ड सौभाग्य देने वाली कहा है। लेकिन कुछ भी हो सँजा एक देवी है, जिसकी पूजा करना हमारा परम सौभाग्य है। सँजा सौभाग्य ही नहीं देती बल्कि जीवन के हर पक्ष को जीने की कला भी सिखाती है।

इस तरह साँझी पूजन की परंपरा के पीछे कई मान्यताएँ हैं, जिसे मान्य किया गया है। प्राचीनकाल से चली आ रही इसी परंपरा को इतिहास का रूप दिया। गीत कथा पुराणों इन सबके अध्ययन करने पर हमने देखा कि साँझी एक लोकदेवी है। चाहे हमने हर प्रांत में साँझी के नाम अलग अलग देखें कहीं जगह मनाने का भी अलग अलग तरीका देखा फिर भी हम यह कह सकते हैं कि साँझी, कला के प्रति सजगता और सौन्दर्य बोध देने वाली देवी है। साँझी अनुष्ठान और गृहस्थ जीवन की और मोड़ने वाली पहली पाठशाला है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मालवी लोक साहित्य एक अध्ययन – डॉ. श्याम परमार पृष्ठ 160 से 162 संस्करण हिन्दुस्तान अकेडमी 1969
2. घर की मौखिक परंपरा से ज्ञात।
3. जिरौति मध्यप्रदेश के निमाड़ जनपद की चित्रकला, बसंत निरगुणे पृ. 80
4. संस्करण आदिवासी लोककला अकादमी भोपाल 2006

डिण्डौरी जिले की जनजातीय निवासियों के संस्कारों का अध्ययन (जन्म, विवाह, एवं मृत्यु संस्कार के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अर्चना जायसवाल *

प्रस्तावना - मानव जीवन को पुष्ट करने में सहायक प्रक्रियाओं को संस्कार कहा जा सकता है, हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था की दृढ़ता का आधार संस्कार है। संस्कारों के साथ-साथ बहुत से नियम, विधि, निषेध अनुष्ठान जुड़े हैं। ये संस्कार इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि जीवन के प्रारंभ से ही व्यक्ति उनके प्रभाव में आ जाता है। संस्कार मार्गदर्शक का कार्य करता है। ये संस्कार बालक के माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यन्त चलते रहते हैं और व्यक्ति की उन्नति, समृद्धि, कल्याण एवं मानसिक शुद्धि की भूमिका प्रस्तुत करते हैं।

डिण्डौरी जिले में मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के विभिन्न संस्कारों से जुड़े विभिन्न गीत प्रचलित हैं। जिले में प्रचलित विभिन्न संस्कार होते हैं। जैसे- जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, मुण्डन संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, अन्न प्राशन, उपनयन चूड़ा कर्म, कणविध, निष्क्रमण आदि।

डिण्डौरी जिला चूँकि जनजातीय बाहुल्य जिला है। अतः इस जिले में निवासित समाज अपने-अपने रीति-रिवाज और परम्पराओं से बंधा हुआ है। युगों से प्रचलित रीति-रिवाज को लोग बहुत महत्व देते हैं। उनसे तनिक भी अलग होना नहीं चाहते। समाज में लोगो द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक कई परम्पराओं का पालन किया जाता है।

डिण्डौरी जिले के प्रत्येक समाज में चाहे वह आदिम समा हो अन्य समाज सभी में नवजात शिशु के जन्म को शुभ मानते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इस जिले के जनजातीय समाज में पुत्र और पुत्री को समभाव से देखा जाता है। जन्म संस्कार से जुड़े से जुड़े अनेक लोकगीत प्रचलन में हैं। उदाहरण स्वरूप यसोहर गीत को यहां देखा जा सकता है। जो इस जिले की आवांलिक भाषा में व्यक्त है-

ऐसन जनतेव मै जनम है हो

वारी कलुरिया

श्रहातैव मै राम नहवातैव हो।

यदि मैं जानती कि राम का जन्म होगा तो मैं अपनी काली गाय को दुहवाती और उस दूध से राम को स्नान कराती।

प्रत्येक समाज में विवाह संस्कार होते हैं। विवाह केवल वंशवृद्धि के लिए ही नहीं किए जाते बल्कि विवाह प्रेम, परस्पर सहयोग और सहज आकर्षक पर भी आधारित होते हैं। समाज में महिलाओं का स्थान केवल चाहारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज समाज में महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर जीवन तथा जीविकोपार्जन कर हर कार्य करती हैं। सच्चे अर्थ में महिलाएं पुरुष की अर्धांगिनी कहलाती हैं। समाज में बाल विवाह की प्रथा का चलन रहा है, परंतु यह प्रथा अब बहुत हद तक बदल चुकी है। पहले रजस्वला होने से पूर्व लड़की के हाथ पीले करना पवित्र कार्य समझा

जाता था। समाज में समगौत्रिय विवाह का प्रचलन नहीं है।

विवाह के समय मण्डप गड़ाते समय महिलाएं गीत गाती हैं। इस संस्कारपरक गीत की प्रस्तुत इस प्रकार है-

चुदा सूरज तुम्हारे पैया लागत हो छन भर दुइजा सहाया

आज मोरे आंगना मड़वा गडे है, देवतन को न्यौति बुनायौ

कहना ले आये चार खम्बा, कहना ले उमर की डारा

ए कहना ले आए झिंझरी के बासिन, कहना ले सरई की डारा

बन बिंदरा ले आवे चार के खम्बा, वन कजली उमर के डारा

चौरागढ़ ले आवे झिंझरी के बासिन, चांडा ले सरई के डारा

ऐ रे वनस्पति तुम ला सुमरो, बिनती सुनियो हमारा

हमरे अंगना मंडवा गडे है, दूल्हा पै छैया छहाया।

मण्डप गड़ने की सांझ को महिलाएं मिट्टी लेने जाती हैं जिसे मॉगर माटी कहते हैं। यह रस्म अत्यन्त मांगलिक मानी जाती है 5 या 7 कुआँरी कन्याओं के सिर पर बॉस की टोकरिया होती है। जिन्हें सुआस के हाथ से खोदी गई मिट्टी भर कर लाई जाती है सुआसिन के सिर पर कलस होता है। घर की मालकिन दिया जलाकर भूमि की पूजा करती है। आग में राई या घी का होम देती है। सुआसा कुहरी धरती की पूजा और माटी के मूल्य के रूप में पैसे रखता है। पहले सुआसा कुदाल चला कर मालकिन के आँचल में एक मुट्ठी मिट्टी डालती है। यह क्रिया 7 बार की जाती है इसी मिट्टी से मण्डप छाने का काम किया जाता है। इस औसर पर महिलाएं गीत भी गाती हैं कुछ पक्तियां दृष्टव्य हैं।

धरती रे माता तोर पैया लागव.....।

छिन भर हैयजा सहायां।

बैगा रे बाबा तोर पैया लागवं।

छिन भर हैयजा सहायां।

तर ना बडी नानी री रानी

तर ना बडी नानी री रानी

नाचत कूदत हिरना तैय कहाँ जात.....।

नाचत कूदत हिरना तैय कहाँ जात.....।

खखा के हरियर चारा चर चराये जाए।

खखा के हरियर चारा चर चराये जाए।

जगो की जागो रे देवता तोरय तो धरती.....।

जगो की जागो रे देवता तोरय तो धरती.....।

इस प्रकार मगरोहन का चबूतरा और कलश रखने का स्थान बनाया जाता है। तथा छोटे-छोटे 5 या 7 चूल्हे भी बनाए जाते हैं। खम्बे के पास गोबर से लेप कर गौर गणेश बनाया जाता है। पासे के कलश पर दीप जलाया

जाता है।

तेल डालना, हल्दी चढ़ाना, हल्दी उतारना, कंगन बाँधना, कुंवर कलेवा, परछन आदि जैसी रस्में वर एवं वधु दोनों के मण्डप में सम्पन्न होती हैं। इन विभिन्न रस्मों के अवसर पर महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं। जैसे हल्दी चढ़ाते समय गाये जाने वाले गीत का नमूना दृष्टव्य है-

आज मोर दुलरा को हल्दी चढ़त है, आओ सुहागन नारा
चंदा सूरज के पैया री लागो, जो जग करे उजियारा
ठाकुर देव के जश को गावों, जो खेरों के रखवारा
आज सुमर लो सब देवन को, जिनके लगे दरबार
खम्ब, सलोरी, लोढ़ा री गोरा के पांय पखारा
वलसा टीको, पीढ़ा टीको, मनसा पुरब हमारा
मेरे दुलराको हरदी चढ़त है, घरी भर दुइजा सहाय।
दुल्हा को स्नान कराते समय गाए जाने वाला गीत इस प्रकार है-
य ओढ़ो कदम की छैया, बनी तोरे द्वारा खड़ी।
ठण्डा सो पानी गरम का आई,
सपरो कदम की छैया, बनी मुहँ जोहारी।
रेशम धोती छडी लयै ठाडी
पहरो कदम की छैया, वनी मुँ मोर रही।
रेशम झंगा, अण्डी पिछौरा,
ओढ़ो कदम की छैया, वनी तोरे सामू खड़ी।
ताता जलेबी दुधन के लइवा
खाओ खदम की छैया, बनी तोरे आइ परी।
सेने के लोटा गंगा जल पानी
पिया कदम की छैया, बनी तोरे आइ परी।
सेजा सफदी चंदन के पलका,
पोढ़ो कदम की छैया, बनी तोरे सजे पड़ी।

दुल्हे का श्रृंगार परम्परागत होता है। हल्दी में रेगी पिपरी धोती शरीर में सफेद झंगा कमर में पिछौरा या उमेठा सिर पर पीले रंग का साफा, साफे पर बाँस की नेर से बना मोर पंख बांधा जाता है, सुआसा दुल्हे का श्रृंगार करता है। बारात की रवानगी पर गाए जाने वाले गीत का उदाहरण इस प्रकार है-
मोर सलोना बन्ना देखो, कानन मुण्डल सोहरी,
जगा झंगा तन पर सोहै, कमर उमेठा बांधेरी।
मेहन माला गले में सोहै, कमर कटारी खोसेरी।
नैनन कजरा मुखमें बीरा, रंग सुहावन लगै री।
बन्ने का मुंह देख- देख के, बन्नी कुलांचे लेवेरी।
वधु के द्वारा पर जब बारात की अगवानी होती है। इस अवसर पर गाए जाने वाला विरहा गीत प्रकार है-
य ककरी ला खाइन करिया, किरवा डोगर ला खइन बनजारा।
भेरी लुगैया लोगन खाये, ज्यो खाये बीरा पाना।
विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् बारात की विदाई का बहुत मर्मस्पर्श होता है। कन्या पक्ष के लोगों का मन भारी हो जाता है। वर पक्ष में विवाह सम्पन्न होने की खुशी देखी जाती है। दुल्हन परिवार के सदस्यों से घिरी रोने लगती है। माता- पिता, भाई बहन आदि सब दुल्हन से मिल कर रोने लगती है। माता- पिता, भाई-बहन आदि सब दुल्हन से मिलकर रोने लगते हैं और आशीष देते हैं -

आज मोरी दुलरी ससुराल चली री।
मैके की सुध-बुध बिसार चली री॥
नैन कजरवा मिला हुई जै।
अंसुवन से दरकाय चली री।
संग सहेली मिलि भेंट रेंवे।
सबकी सुध बिसराए चली री।
मैके को छोड़ अब ससुरे बसेरा।
मैके से नाता तोड़ चली री।
हम सबकी ये मंशा गुइया।
फूलै फरै कचनार कली री॥
बरात वापस घर आती है। दुल्हा और दुल्हन दोनों का झर में प्रवेश के पहले द्वार परछन किया जाता है-
परछन का करा तियारी।
बलमा ससुरारी से अगइया।
उपर्युक्त संस्कारों के अलावा डिण्डौरी जिले में लोगों द्वारा नामकरण संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार, कर्णविध संस्कार, मृत्यु संस्कार आदि सम्पूर्ण विधि विधान के साथ सम्पन्न कराए जाते हैं।
डिण्डौरी जिले में प्रेम, भक्ति, उपासना आदि गीतों के साथ-साथ शोकपरक या करुणामूलक गीत भी गाए जाते हैं। अपने किसी दुःख से या वियोग से व्यथित होकर मानव के हृदय में वेदना के गीत स्फुटित होने लगते हैं। मूल रूप से इस प्रकार के गीत किसी अपनो की मृत्यु अथवा कोई अप्रिय घटना होने पर जैसे- फसल को नुकसान या अकाल आदि की स्थिति में मनुष्य को दुःख होता है। ऐसी अवस्था में वह वेदना व्यक्त करते हुए करुण मूलक गीत गाने लगता है। इस प्रकार के गीत का उदाहरण यहाँ देखा जा सकता है-
आंसो के धान मां चाउर नहि आय।
तेला कहाँ लेके धरो यारा।
और ठौर नहि आय रे
रोवासी जी ला लागाई यारा।
डिण्डौरी जिले के निवासी करमा गीत के रूप में भी अपनी करुणाजन्य भाव को व्यक्त करते हैं। शोषण और गरीबी के कुचक्र में फंसी जनता की वेदना के भाव का दृष्ट निम्नांकित लोकगीत में देखा जा सकता है-
अहा हे हाय मा गरीबी छाये यार सारी
जिन्दगी में गरीबी छाये रे
जंगल में तो जंगली लूटाय, खेतों पटवारी भैया खेतों में पटवारी,
थानों, कचहरी, पुलिस लूटाय, होय गय मरना भारी गा।
गरीबी छाये यार-सारी
न तो दिखय रुखता राई न तो दिखय गाँव,
भैया न तो दिखय गाँव, न तो दिखय गाँव
हाय मा गरीबी
दुख और गरीबी से घिरी जनता की आवाज में करुणा मूलक भावों की अधिकता देखने को मिलती है।
आहा हे हाय गा गरीबी छाये है यार
सारी जिन्दगी में गरीबी छाये रे
माता बिना मोर भोजन छुट गए पिता बिना
भाई बिना मोर बैठक छुट गये सोचन दिन रात गा

गरीबी छाया यार सारी जिन्दगी मे गरीबी छाये रे।
परिवार में माता पिता और भाई के बिछुड़ने से जीवन मे कौन सी कमी
प्रतीत होती है। जीवन में किस वस्तु या स्थान से व्यक्ति को वंचित रहना
पड़ता है। उक्त पक्तियों में इस बात का चित्रण देखने को मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शोधार्थी के निजी संग्रह से।

2. गौड़ जनजातीय गीत-रूप सिंह कुशराम।
3. गौड़ जाति का सामाजिक अध्ययन- राम भरोसे अग्रवाल।
4. म.प्र. का पूर्वांचल- प्रो. अमर सिंह उद्दे।
5. चौमासा एवं संपदा पत्रिकाएं।

Importance Of The Holy River Narmada In The Development Of Folk Literature Of Madhya Pradesh

Sehba Jafri *

Abstract - A river is the secret of nature, source of life's strength, a sign of fertility and a symbol of livelihood. It is the milk of mother-nature which lulls the civilizations in her lap. It makes satisfied the heart of soil by moistening its lips with her milk. It gives the man his natural song and works as a passage of time. All the great stories take birth on the bank of rivers and all the great songs develop through their sides. Rivers are pleasure of present and shadow of past. They generate the concepts for survival; they create the ideas for innovations. They teach the man to be fit for survival and increase the legacy of literature.

Among the Amazon and the Ganges, the Mississippi and the Nile, the Themes and the Yangtze, there is one more river whose great grey civilization is the heart of Tribes of India and whose green greasy stone are holy for whole Indians. The river, which is in the central India and the fifth longest river of Indian sub-continent, is known as 'Reva' or 'Narmada. After Godavari and Yamuna it is very popular among Indian myths. People call it 'Life Line of Madhya Pradesh'.

The present paper is the small effort to prove the importance of River-Narmada in the development of folk civilizations and folk Literature of India and unveil the fact that this is the flowing water which is flowing through the edges of time. It is never the same water for the same tribes and is never still. It's always changing so that the civilizations on its bank and their literature are always on the move.

Key words - Amarkantak, Marble Rocks, Gond, Panchmari, Cataracts, Sathpath Brahamana, Bhajan Sanhitas, Wall Paintings, Rock Paintings, Folk songs, Folk Literature.

Introduction - From the deep in the heart of Narmada-Kaunda in between the Amarkantak, originates the Narmada which is hardly discussed in the Vedic Period. It is the epics like Ramayana, Mahabharata, Sathpath Brahamana and Vashishtha Samhita which introduced Narmada as a holy river. "The history of India says, says Romila Thaper in her book "History of India", Amarkantaka was old Riksha Parvat and near about 6000 years ago King Mandhata, the Suryavanshi samrat, established the town near a river and gave the river a name Narmada. (Thaper 31)"

Indian culture and tradition has a great importance of Vindhyachal, where the River Narmada flows. The history says that great epics and Sanskrit Literature got birth on its holy banks because great saints like Bhrgu, Jamdagni, Kapila and Markandeya had their ashrams near Narmada. The holy *Mahabharata* also says that the five Pandavas used to recite along the riverbanks and they enriched Indian spiritual Literature during their exile. After about 3000 years of Mahabharata the Adi Shankaracharya was born in 788 AD and sanctified on the banks of Narmada River. He established Pataleshwar Mahadev in Amarkantak at the origin of Narmada from the bamboo bunches. This place is known as Surajkund presently. The history of Narmada is

not merely a historical document it is also an enriched religious literature of India, The Indian Scriptures like Vayu Puran and Skandh Puran mention this river frequently. It is said in Shiva Purana that it is originated from the body of Lord Shiva. The Indian aesthetes imagine lots of interesting stories and hence enriched the literary imagery.

The Narmada has a great importance in cultural and literary development of Central India as it provided great legacy of imagination to the Indian folk literature. We can see many folk songs and stories based on different rituals and activities related to Narmada like collection of water, irrigation, food search, marriages and crop cutting festivals. Every song circles around the holy Narmada, every worshiping act is started from the Narmada pooja and every ritual has a great place of Narmada in its celebration. Since the Amarkantaka till the farthest boundary of Arabian Sagar, it is the starting of a new chapter of tribal folk and culture. Among the major tribes of Narmada river some are known as Agariya, Baiga, Bhaina, Bharia, Bhumia, Bhuinhar Paliha, Pando, Bhatra, Bhil, Bhilala, Barela, Patelia, Bhil Mina, Bhunjia, Biar, Biyar, Binjhar, Damor, Damaria, Dhanwar and Gond. Arrakh, Asur, Badi Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Halba, Halbi, Kavar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri and a long series of tribes

which opens a new chapter of folk literature whenever river Narmada emerges from the Marble Rocks to the fertile basin.

The literature of these tribes can no longer be ignored as it reflects the country's rich folk traditions and keeps India's diverse customs and languages alive. The flow of this river connects the diverse culture into unity and makes the myth of sovereign state a true story. The depth of this river touches the roots of Adivasi (the first inhabitants) traditions which make the tribal literature rich and sensuous. The series of this literature is long in numerous languages of tribes and many of them are so tremendously touching that they might be promoted for Sahitya Akademi award or award by National Book Trust. The books like *Saundraya ki nadi Narmada*, *Amritasaya Narmada*, *Teere-Teere Narmada*, *Narmada Tum Kitni Sundar Ho* by Shri Amrit Lal Vegad, *Narmada Samagra* by Shri Anil Madhav Dave, *Jungle Rahe Taki Narmada Bahe* by Shri Pankaj Shrivastava *Narmada Sanrakshan* and *Atha Nadi Katha* by Shri Harekrishna Devsare etc. are wonderful wonders of wonder. Although they are not literary books but they have a full flash focus on the importance of Narmada in the development of tribes, their culture and literature around Narmada.

Importance of Narmada in the development of folk literature - Promoted by 8th Schedule of the constitution of India, there are 22 languages and 80 dialects which have rich literature and prosperous culture with well organised social order. Out of them, near about 40 schedule tribes reside on the bank of Narmada. Narmada beats in their customs just as heart beats in human body. The song of Narmada is the song of life and joy for these Adiwasis. They correlate the Narmada with their community, and their ancestors. They create the folk tales of demigods. They take a holistic view of river and knit the imagination of their literature. Their poetry is also a mirror of collective tribal spirits who love every droplet of Narmada.

These tribal people have to survive in a very difficult atmosphere. Daily they have to play a game of life and death. Narmada works as source of strength for them in this adverse atmosphere and they write in their religious literature, **"think of Narmada and you are safe from snake venom"**. According to a Puranic story, the 60 million Gandharvas, defeated the Nagas and took over their kingdom and treasures. The Nagas went to Vishnu for help. He asked them to get Purukutsa's help. They sent Narmada their sister, to ask for Purukutsa's help. He agreed and she led him into the nether world of the Nagas. Empowered by Vishnu, Purukutsa fought against the Gandharvas, ultimately defeating them. The Nagas then declared that whoever remembers this story of Narmada leading Purukutsa, would not be affected by the venom of snakes. Narmada went on to marry Purukutsa. The reality behind this story is not a universal truth but the myth concludes as psychological remedy for the mind devoid of primary medical facility.

Narmada is the nurse; the guide and the guardian of tribal people. Their imaginations take shape in its lap. Their odes and elegies are devoted to its water. Their songs flourish on its musical waves and their sonnets seem a rhythmic creation of its beauty. The example given below is a beautiful lullaby. It is a translation of a song collected from *Narmada bhajan* entitled "Har Har Narmade!". the lines are in Bundeli dialect as: "Har Har Narmade!/ Har Har Narmade!/ Har Har Reva maa ho.../ Agal bagal thare/ Satpuda na Bindhyachal/ Dui ka dui saga bhai kaway ho/ ri maiya!/ chanda suraj thara kola me khela/ Hawa Rani palanaa jhulay ho...):

Dear Mother Reva
Either sides of yours
There are mountain
Like Satpura and Vindhyachal
both are like real brothers
The sun and the moon
Play in your lap
And the queen wind lulls you
With tender affection

The Narmada is in the faith of Indian people. The folk literature has good melodious bhajans on Narmada. Owing to its sanctity, there are many temple towns on the river. In Amarkantak (at the border of Madhya Pradesh and Chhattisgarh) where the river originates people consider it their parents. A beautiful bhajan from 'Narmada Bhajan Sanhita' given below is a sweet example of the love of tribal people with Narmada:

O Mother Narmada!
Thou Art Praise by the people
The men and women
O Mother Narmada!
I found
A parental affection in you

(Narmada Maiya!/ Tumke bhaje hain/ Tumake bhajat hai Nar Nari/ Karat asnaan re/ Barbada Maiya!/ Kaisee tu milee re/ jaise Mil gaye / Mahtari aur Baapu re)

One of the holiest places in India is The Omkareshwar. It is located on the bank the river Narmada. Then there is Maheshwar. These tiny towns on the banks of the Narmada is not only known for its temples but also for its benevolent queen, Ahilya Bai Holkar. She was considered by Indians as a goddess. She used to provide special facilities to the tribal people who used to look after Narmada and worship it. The competitions of Alaha (Odes) during Narmada pooja Utsava used to organise to enrich the folk literature and their love for Narmada. Beautiful Narmada Alahas of that period are famous even now a days:

Once upon a time
Lord Shiva went to jungle
to leave goddess Parvati
All alone on the hills....
(Ek samay Siva, Sankar, Bhola
Biyabaan Jangal me jaay
chhod sikhar me Parvati ko

Ghor tapsya kee hai haay
Beet gaye kitane din aise
Siva kee leelaa kahee na jaaye
Teen lok ke dewta sonche
Man me chinta rahee samaay
Bhajan kare Sur, Nar, Muni, Gyaani
Nam: Ssivay, Om Nam: Sivaay
khuli samaadhi jab Sambhu kee
Krodh se dekhe najar pasaar
Mastak se jab bahaa paseena
Pochh paseena siv Tripuraar
Divya roop dhar kannya Pragati
Jiska thaa adbhut awtaar
'Reva' naam pada kanya ka)

Narmadashtak" is very common part of Indian religious literature which is forgotten by the civilized Indian people but is recited by the tribal people on regular basis. The lyrical lines given bellow are first four lines of "Nrmada Ashtak":
Sa-Bindu-Sindhu-Suskhalat-Tarangga-Bhangga-Ran.jitam
Dvissatsu Paapa-Jaata-Jaata-Kaari-Vaari-Samyutam |
Krtanta-Duuta-Kaala-Bhuuta-Bhiiti-Haari-Varma-De
Tvadiiya-Paada-Pangkajam Namaami Devi Narmade ||1||

(सबिन्दुसिन्धुसुखलत्तरङ्ग.गङ्गा.गरजितं

द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंयुतम्।

कृतान्तदुतकालभूतभीतिहारिवर्मदे

त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥ 1

Conclusion - Narmada is not a river but a lifeline for tribal people. Their whole life is devoted to Narmada. It is an important aspect in the evolution of their culture and literature. Although these songs, these poems and these stories are in the tribal language which is poor and sometimes has blamed for invisibility and want of creativity but it is the language which is learned from the river. It does not disclose the secret of Tribal literary traditions but discloses the sound of flowing water which teaches us to merge all things into one and run through it. We do not

receive the idea of literature in order to be literate but we get a motivation of love to humanity by cutting the world's great flood and run over rocks of difficult time from the basement of life. It does not teach us the difficult words of Global language but teaches us the lessons of life's hard rocks and the lessons of timeless raindrops. It gives the theme of stories of Violets under the hidden rocks and the world beyond the words.

Narmada Produces the thirst of love which engulfs the heart of tribal people. They make their song by this deep urge and sing them in love but no one values these songs. They are not even in their written form. These songs are inherit generation to generation orally. The state must respect their emotions. It should provide special facilities to collect these oral poems of these tribal groups from the bank of Narmada and translate them into Global language. Anthropologists, sociologists and historians should work on these songs. They should make valuable observations of this literary activity. We should try to collect and publish this river's song of eternal thrust so that this rich literary heritage could be keep alive for the coming ages.

References :-

1. Amrit Lal Vegad (2005) *Narmada: River of Joy*. Penguin publishers .India.
2. Amrita bavisker (2004) *In the Belly of the River: Tribal Conflicts Over Development in the Narmada Valley*, Oxford University Press
3. Hartosh Singh Bal (2013) *Water Close over Us*, HarperCollins. India.
4. Pandit Janki Nath Shandilya (1889) *Narmadashtak*. Gita Press Gorakhpur
5. Romila Thaper (2005) *A history of India*, Penguin publishers .India.
6. Virendu Upadhyay (1991). *Narmada Bhajan Samhita*. Gita Press Gorakhpur

Woman As A Scapegoat In Vijay Tendulkar's Silence ! The Court Is In Session

Dr. Swati Chandorkar *

Abstract - The late Vijay Tendulkar is one of the most controversial yet the most popular dramatist in the contemporary Indian English Drama. His writings often display how women are victimized, exploited and tortured even today. Women during the Vedic ages were treated at par with men. They enjoyed all the rights without any discrimination but today their condition is highly pathetic. Their existence is questioned in womb. Physical exploitation and mental harassment have become everyday affairs now-a-days. All such unpalatable and shameful issues are widely discussed by Tendulkar in his various remarkable plays. Present paper tends to display how woman is used as a scapegoat in the light of his first play **Silence! The court is in session**. This play delves deep into the realities of life in the contemporary society. At one place he states, "As a social being, I am against all exploitations and I passionately feel that all exploitation must come to an end ..." The paper highlights how the hypocrisy of the society tortures a woman physically, mentally and emotionally.

Key words - Exploitation, violence, scapegoat, victimized.

Introduction - Vijay Tendulkar is one of the most controversial yet the most popular dramatist in the contemporary Indian English Drama. Dramatists like Vijay Tendulkar, Girish Karnad, Mahesh Dattani and many more deserve due appreciation for the revival of the tradition of Indian Drama in English. They have made drama a typical art form, epitomizing the socio-political, economic and realistic image of Indian art, culture and values. Through the writings of these writers Indian English Drama has depicted the new light of humanism and realism against the philosophical creed of earlier writers like Tagore, Sri Aurobindo etc.

Vijay Tendulkar is a leading contemporary Indian playwright, screen and television writer, literary essayist, political journalist, and above all a social commentator. For the past four decades he has been the most influential dramatist and theatre personality. A resident of the city of Mumbai, Tendulkar (1928-2008) is the author of thirty full-length plays and twenty-three one act plays, several of which have become classics of modern Indian theatre. One of the Hercules Pillars of contemporary Indian English drama, Tendulkar represents the issues which are temporal and timeless. V.S. Naipaul considers him as India's best playwright. Arundhati Banerjee introduces Vijay Tendulkar thus, "Vijay Tendulkar has been in the vanguard of not just Marathi but of Indian theatre almost for forty years." He portrays the themes of isolation and alienation of an individual, and his perpetual struggle with the hostile surroundings. Tendulkar has won name and fame through his plays such as *Silence! The Court is in Session*, *The Vultures*, *Sakharam Binder* and *Ghashiram Kotwal*. Though his plays are sometimes criticized for excessive use of sex and violence, they are basically a part of modern man's anguish. He has created awareness among the masses about some of the basic problems of life.

As a keen observer of Indian society, he experimented

with the less spoken issues. He never sheds away from saying unpalatable truths and shows the way people prefer to live. He describes hypocrisy, violence, lust for power and corruption as bare facts of modern life. He depicts how women are tortured, victimized and exploited. An attempt has been made to discuss the various factors responsible for the unfair treatment given to Miss Banare, the female protagonist, of this play and how she is compelled to tolerate physical, mental and emotional violence in the play.

Shantata! Court Chalu Ahe (*Silence! The Court is in Session*, 1967) was his first play in which he marked out to be a rebel against the established values of the society. With its translation in Hindi, he came to be regarded with Mohan, Rakesh, Badal Sircar and Girish Karnad. This play combines social criticism with the tragedy of an individual victimized by society. The oppression and mental trauma of a woman has been articulated skillfully in this play. Though he cannot be branded as a "feminist" yet he effectively interrogates the patriarchal concept of a woman as an inferior being in the society. *Silence!* represents the dilemma of a young woman who is betrayed twice by her male counterparts. When hardly of fourteen years, she is robbed off her virginity by her own maternal uncle and later ditched by Prof. Damle also. It exposes insincerity of the society that excuses men but not women for the same kind of offence. In her essay, "On Gender and Power", Urvashi Barat, a literary critic, comments very aptly on power politics which is the main cause of female subjugation in the society: The most obvious and persistent theme in the plays of Tendulkar is 'power', its effect on people and their relationship with each other, and the way it dehumanizes and brutalizes those who live in it. Power politics, the battle for supremacy in society and inhuman relationships are demons treated in his work through gender. The role of gender in power game is unveiled in plays like *Silence!*

* Asst. Professor & Head (English) Govt. S.S.N.M. Mahila Mahavidhyalaya, Narsinghpur (M.P.) INDIA

The Court is in Session and Kamala, and Ghasiram Kotwal, which focus directly on the status of women in a patriarchal society. These plays suggest how gender & power are inter-linked in society. (Critical Perspectives: Ghasiram Kotwal, 85)

Leela Benare, the central character of the play, dares to ignore the social taboos and lives an independent life according to her free will. "My life is my own, I haven't sold it to anyone for a job." She is projected as a rebel against the established norms of typical Indian society. A teacher by profession, she is self-dependent, carefree and empowered whereas all the male characters suffer from sadism and an inferiority complex as they have failed in their ways of life. They feel insecure and lack in confidence. These specific traits of male characters make Benare, a superior character. Mr. Kashikar is known for his pretention of social upliftment. Sukhatme is a lawyer who "Just sits alone in the barrister's room at court, swatting flies with legal Precedent!" Panksha fails twice in his effort of passing Inter Science Examination. Karnik is a complete failure as an actor. Prof. Damle is an escapist. Mrs. Kashikar is a total dependent on her husband and lacks in average I.Q. The only exception to all these character is Ms. Leela Benare. Despite being a woman, she is the only one who earns her livelihood by herself. The hypocrisy of the society, specially of the male-dominance, is exposed when they fail to accept her as a successful women among them. Consequently, most of the characters are often waiting for some or other opportunity for encashing the situation to humiliate Ms. Benare. The play is, in fact, a satire on the hypocrisy of the middle class society. The playwright himself points out: "...their characters, dialogues, gestures and even mannerisms reflect their petty circumscribed existence fraught with frustration and repressed desire that find expression in their malicious and spiteful attitude towards their fellow being." (Preface VIII)

To cover up their frustration, they perpetuate violence against her. They plan a 'Mock-law-court' as a rehearsal for evening performance. All the male characters take the position of legal officers and make Benare the scape-goat, a victim. All of them, in search of a proper opportunity conspire against her. The charge of infanticide is put against the spinster, Leela Banere who got pregnant once in her early life. This case is set to be examined in a court. It is through this mock-trial that her private life is exposed publically establishing her as a woman of loose character. She is tortured to such an extent that no distinction lies between a fictitious case and her real life. Gradually, the mock trial begins to assume sinister form. Benare, who is earlier taking it just as a sport, gradually realizes that she is being trapped and targeted. What is started as an entertaining game now has turned into a hunting game. Arundhati Banerjee maintains, "... the accusation brought against Benare at the beginning of the trial turns into the verdict at the end because contemporary Indian society, with its roots firmly grounded in reactionary world cannot allow the birth of a child out of wedlock." The climax of her torture is seen when she finds the door of the hall locked from outside & she is unable to leave these hungry vultures. Escape is denied to her. Her own gender, Mrs. Kashikar

also assaults her by dragging her to the witness box. When Kashikar, playing the role of a Judge, listens that Benare is a spinster, he goes to the extent of approving the custom of child marriage and pulls her forcefully back to the witness box. Unable to bear so much of torture, she tries to drink poison TIK 20 but is prevented to do so. She gets totally devastated and depressed.

When observed minutely, we notice that women characters of Vijay Tendulkar are strong fighters against such cultural and social forces that challenge the individuality of a woman. In Silence! Benare is presented as a bold and daring protagonist who instead of breaking, collects mental courage, stands erect and speaks in self-defense. She speaks powerfully from the heart and protects herself well. "Yes, I have a lot to say. For so many years. I haven't said a word. Chances came, and chances went. Storms raged one after another about my throat. And there was a wail like death in my heart. But each time I shut my lips tight..." (p.72)

She comes down heavily on men conspiring against her: "These are the mortal remains of some cultured men of the twentieth century. See their faces- how ferocious they look! Their lips are full of lovely worn-out phrases! And their bellies are full of unsatisfied desires." (74) This is the heart of a woman who is often targeted by the society, which fails to understand her inner feelings as a human being with normal biological urges. Benare is indeed the voice of so many suffering women of the society, whose molestation is done inside the family by any of the family members and thus they are tortured not only physically but also mentally and psychologically. Life becomes meaningless and loses all the attractions for these innocent but victimized women. The deep pain and agony of Benare's heart can be understood easily in her following statements: "Life is a poisonous snake that bites itself. Life is a betrayal, life is a fraud. Life is a drug. Life is drudgery...Life is a dreadful thing..." (p. 75) And then they have to fight a lot for their existence in the society. P. Obula Reddy and P. Pramila Devi appreciate Benare by calling her a 'new woman':

Benare, the principal character in the play is as sprightly rebellious and assertive as the heroine of Shakespeare romantic comedies...Of course, Benare is a lovely spark from the thunder bolt of Tendulkar. She is a new woman pleading for freedom from the social norms.

References :-

1. Banerjee, Arundhati. "Introduction," Five Plays. New Delhi: Oxford India Paperbacks, 1995, Eight Impression, 2006.
2. Barat, Urvashi. "On Gender and Power" in Critical Perspectives: Ghasiram Kotwal. Ed. V.B. Sharma. (New Delhi: Asia Book Club, 2001).
3. Tendulkar, Vijay. Silence! The Court is in Session. Trans., Priya Agarkar. Madras: Oxford University Press, 1978.
4. Tendulkar, Vijay. "A Testament." Indian Literature. No. 147. Jan-Feb 1992.
5. Reddy, P. Obula & P. Pramila Devi. "The Violence of Middle Class: A Study of Vijay Tendulkar's Silence! The Court is in Session." Indian Literature Today. Ed. R. K. Dhawan (New Delhi: Prestige, 1998, Vol. I).

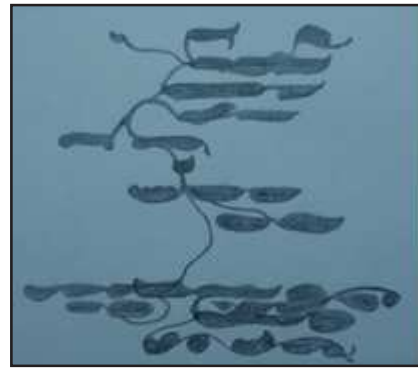
रवीन्द्रनाथ टैगोर और चित्रात्मक रूप संपदा

डॉ. शालिनी रानी *

प्रस्तावना - रवीन्द्रनाथ टैगोर का जीवन अपने आप में उन बाधाओं के विरुद्ध कठोर और अनवरत संघर्ष की एक जीती-जागती कहानी है, जो मनुष्य के गौरव और गति को पग-पग पर अवरुद्ध कर देती है। कवि रवीन्द्र का साधना-क्षेत्र बहुत विस्तृत और कला-सृष्टि विराट थी। **चर्चिल ने नैसर्गिक दृश्य आंके, आइन्स्टाइन ने वायलिन बजाई किन्तु उक्त क्षेत्रों में उनका योगदान नगण्य ही है, जबकि कला-संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र ने कवि गुरु की विषिष्ट देन को नकारा नहीं जा सकता।**¹ और जब बात आती है, उनकी चित्रात्मक रूपसंपदा की तो सभी उनकी अतुल्य देन से आश्चर्य से भर जाते हैं। लेकिन उस समय में टैगोर के आरम्भिक चित्रों से लोगों में भ्रम हुआ। जिन्होंने देखा सुना कि कवि चित्रकार तूलिका से रंगों के खेल में व्यस्त है, उनकी धारणा थी कि इस प्रकार के प्रयास की तुलना मनुष्य की सनक अथवा बालकों चित अभिरुचि से ही की जा सकती है। वस्तुतः टैगोर तो अन्तरानुभूति को रेखाओं व रंगों में उभारकर अपने मन के मासूम बालक की भांति ही बहलाते थे। उनका निष्कल सृष्टा मन किसी वस्तु को अंशतः करके देखता था। यह सौंदर्य-चेतना उनकी प्रेरणा का प्रतिफल था। टैगोर के अकस्मात चित्र रूपांगार में प्रवेश के निर्णय से आलोचक सहमत न थे किन्तु उन्हें आलोचना-प्रत्यालोचनाओं की कोई परवा न थी वे इन सबसे ऊपर थे। उनके चित्ररूप उनके बालमन की आकुलता से प्रस्फुटित हुए प्रतीत होते हैं। टैगोर ने अपनी अद्भुत चित्रात्मक अनुभूतियों को स्थायित्व व दीर्घायु बनाने के लिए **1928 ई. में जब वे 67 वर्ष के थे, चित्रात्मक क्षेत्र में अपने कदम सुचारु रूप से रखे। इस अवस्था को शैवसपीयर की भाषा में शैशवकाल कह सकते हैं।** वस्तुतः विगत दीर्घ जीवन के अनुभव और अवलोकन के बाद जब हमारी स्मृति पुनरीक्षण करने लगती है, तो वह काल शैशवकाल ही लगता है। टैगोर के चित्रों में शैशव काल की स्मृति, अभिज्ञाता और आश्चर्य के दर्शन हमें सहज ही हो सकते हैं क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव में उन्होंने चित्रण आरम्भ किया, तब कितना कुछ उनके अचेतन मन में पहले से ही भरा हुआ था। उनके चित्रों के संबंध में सुप्रसिद्ध कला लेखक एवं इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है, **दे आर चाइल्ड लाइक बट नोट चाइल्डिश।**² शिशुओं के चित्रों में जो अपर्याप्त बुद्धि प्राचुर्य होता है, चित्रांकन की जो सहज मनोवृत्ति पायी जाती है, उसे हम रवीन्द्रनाथ के चित्रों में खोज सकते हैं, शिशु के सदृश अपने प्राथमिक ज्ञान को चरम ज्ञान के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति भी उनके चित्रात्मक रूपसंपदा में उपस्थित है। इस तरह टैगोर की चित्रात्मक रूपसंपदा के विकास को हम कई चरणों में अभिव्यक्त होता पाते हैं। इस विकास को बालक की कला से लेकर मानव की कला तक का विकास कहा गया है।

देखा जाए तो चित्रकारी की कला रवीन्द्रनाथ को एक बड़े ही अनोखे

और अनपेक्षित ढंग से आयी। टैगोर ने चित्ररूप की कभी भी कोई एकेडेमिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उनमें चित्रकारी स्वयंस्फूर्त ही फूटी। **वे शुरू-शुरू में तो अपनी पांडुलिपि में हुई गलतियों को कलम चला-चला कर ठक दिया करते थे और उसी प्रक्रिया के निरंतर संचालन द्वारा पृष्ठ पर कुछ खास छंदमय रूपों का निर्माण हो जाता था।** यह वृत्ति लिखाई की गलतियों को ढंक कर कविता की पंक्तियों और शब्दों को अलग कर देने की उनमें पहले से ही थी। सन् 1905 में **(खेया)** लिखी एक कविता इसी ढंग से सुधारी हुई है।



(चित्र सं.- 1)

बात दरअसल यह भी है कि इतना लयात्मक और छंदमय व्यक्तित्व वाला कलाकार पांडुलिपि में हुई गलतियों की काट छांट से निर्मित कुरूपता को कैसे सहन करता। वे उन्हें लयात्मक विचित्र रूपों और पट्टियों से आच्छादित कर देते, उन्हें जोड़-जोड़ कर ऐसी रूपों का आगार बनाते जैसे कोई दीप समूह या निपुण बढ़ाई की बनाई मंदिर के दरवाजों की अद्भुत जाली। अतः टैगोर इस समय अपने वास्तविक कार्य को दरकिनार कर अपना अधिक से अधिक समय नये चित्रमय रूपों को सृजित करने में व्यतित करने लगे। एक बार रवीन्द्रनाथ ने खुद कहा कि **जब मेरी पांडुलिपि की काटछांट पापियों की रो-रोकर मुक्तिदान चाहती थी और उनकी निकम्मेपन की कुरूपता से मेरी आंखों पर बीछार करती थी, तब मैं अपने असली काम के लिए जितना समय चाहिए, उसमें कहीं अधिक समय उनका उद्धार करके छंदमय दयापूर्ण अंतिम रूप देने में लगाता था।**³ अतः टैगोर की चित्रांगार की नींव पर अब ईंटों की तह लगने लगी। उनके चित्रांगार की नींव तो उनके अचेतन मन में ही वर्षों से तैयार होने लग रही थी। इससे आगे हालांकि सन् 1905 वाली कविता की पांडुलिपि में 1928-30 वाली लयात्मकता के स्तर का अंदाज नहीं हो सकता था, उसमें इस पापी-उद्धारक वृत्ति के बीज स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीसरे दशक में जो उनका विकास हुआ, वह अपूर्व है

* कला शिक्षिका (टी.जी.टी.) केन्द्रिय विद्यालय, औरंगाबाद, पटना (बिहार) भारत

और उसमें जो विविधता का निर्माण हुआ वह तो सामान्य तौर पर कल्पनालोक से परे ही है। वे कभी जैसा पहले कहा जा चुका है, ऐसे दीप समूह का रूप धारण करते, जिनके अलग-अलग रूप और बीच-बीच में नौकाएँ सितारों की तरह झिलमिलाती जान पड़ती। कभी-कभी उनमें से अकस्मात कोई महाकाय अलौकिक वीभात्स जंतु की झलक आती है, तो कभी घने जंगल की। ऐसा लगता है कि ये जीव-जंतु कितने लंबे अरसे से अब तक इस धरती पर रक्त और मांस के शरीर में जन्म पाने के लिए किसी अद्भुत कलाकार का इंतजार कर रहे थे। जो अब आ कर उन्हें प्राप्त हुआ।



चित्र सं.- 2

चित्र सं.- 3

चित्र सं.- 4

पहले-पहले की पांडुलिपि पर बने रूपों का जन्म प्रयोजन से जुड़ा जान पड़ता है। उनका बनना फिर यांत्रिक-सा हो गया, करीब-करीब एक कानून के अनुसार। (देखिए चित्र सं.- 4) किन्तु शीघ्र ही इन आकारों में कुछ नये तत्वों का प्रवेश हुआ। कलम चलाते-चलाते, लेखन के विषय को केन्द्र बना कर काटे हुए अंग को किसी प्रकार के भाव में ढाल देना उनका उद्देश्य बना। किन्तु अभी भी, उनमें कोई भौतिक सादृश्य का अंश नहीं आया था। हाँ, आकार, भाव अभी भी रेखा प्रधान रहे। उनका कोई अर्थ नहीं और न ही कोई नाम, केवल छंद प्राणमय और तेजस्वी प्रवाह ही उनका गुण रहा। (देखिए चित्र सं.- 5, 6, 7)



चित्र सं.- 5

चित्र सं.- 6

चित्र सं.- 7

यही था असल में टैगोर की चित्रात्मक रूप संपदा में उनका प्रथम इशारा और बाद के अद्भुत रूपांगार की बुनियाद भी। लेकिन अभी तक चित्र का फरमा पांडुलिपि का पृष्ठ ही रहा। जैसे ही रवीन्द्रनाथ को छंदमय आकारों की गठन क्रिया का आंतरिक इशारा मिला, त्यों ही वे इन आकारों को स्वतंत्र चित्रों की तरह देखने लगे। यानि यह हुआ उनकी चित्रात्मक अभिव्यक्ति का प्रथम स्वतंत्र स्वरूप पांडुलिपि को छोड़कर जो अब उन्हें एक संपूर्ण चित्रफलक पर चित्रित करने लगे। अतः अब उन्हें पांडुलिपि के आदेश के बंधन से मुक्ति मिली। वे स्वतंत्र चित्रकारी करने लगे। वे एक बिन्दु से दूसरे बिन्दुओं आदि को रूप देने लगे। वे रूपों के अंकन की अकुशलता से छटपटा कर लयात्मक संयोजनों की ओर मुड़ गये। यहाँ तक उनकी कला में अरूप

अरूप ही रहा। पर वे स्याही से कुछ न कुछ रूपों को जन्म देते रहे, कुछ ऐसी सजीव रचना जो उनकी आत्मा की आकुलता को प्रतीकात्मकता दे सके। लम्बी बड़ी चौच, वर्गाकार आँख, सीधी रेखा में बना समतल सिर, जिसमें समकोणीय व्यवस्था है, नीचे बनाये गए एक बराबर के खाने आदि (देखिए चित्र सं.- 8) आकृतियों अपने लघु या वृहद् आकार, सजीवता, ओज, परिप्रेक्ष्य रहित दृष्टि बिन्दु और अपने अंकन की युक्ति आदि के द्वारा अवचेतन की गहरी परतों को उखाड़ते गए। जो उनमें बाल्यकाल से भरी हुए थे। बड़ी-बड़ी आँखों और बड़े मुँह वाले बड़े-बड़े साँप (देखिए चित्र सं.- 9) मन के अंधरे में से कागज पर प्रकट हो गये हैं।



चित्र सं.- 8

चित्र सं.- 9

चित्र सं.- 10

वही रहस्यमय मन का अचेतन स्वरूप अंधकारमय कक्ष (संसार) जहाँ से उनके सम्पूर्ण रचना संसार को प्रेरणा मिली। इस समय उनकी तूलिका कुछ ऐसे रूप अंकित करने लगी। जिसमें उनका मन चीत्कार संगति देखना चाहता था किंतु इच्छाएँ ऊर्ध्वमुखी लय चाहती थी। यह स्थिति उनके मन की वह स्थिति थी जब अचेतन में दमित इच्छाएँ अरूप में कुछ रहस्यपूर्ण व प्रतीकात्मक आकारों में प्रकट हुई। इस मनःस्थिति का सत्य केवल टैगोर ही जानते होंगे कि इनका असल औचित्य क्या है। रूप अरूप में जो प्रतीकों का संसार यहाँ उपस्थित हुआ है। वह उनके जीवन के कुछ कटवे अनुभवों को वास्तविक में अभिव्यक्त करता है या केवल उनके कल्पनालोक की केवल सहज कल्पनाएँ थी। जिनका कोई अर्थ नहीं। निश्चितः यह सब उनके बाल मन में विधियमान विभिन्न बिम्बों की साकार अभिव्यक्ति ही थी।

फिर आयी है नाटकीयता वेदना के कारण क्रन्दन करती ऊँट की आकृति, (देखिए चित्र सं.- 10) नुकीली चिबुक सहित हंताशु पुरुष का चेहरा जिसे उसकी दुःखी क्रुद्ध सहयोगिनी दूँद रही हैं (देखिए चित्र सं.- 11) और इसी प्रकार के अन्य चित्र। इन सब के बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर की चित्राकृति में कुछ राक्षसकृतियों के जैसी आकृतियाँ सामने आयी या कहे तीव्र अभिव्यंजनात्मक अभिव्यक्ति हुई। (देखिए चित्र सं.- 12, 13, 14)



चित्र सं.- 11

चित्र सं.- 12

चित्र सं.- 13



चित्र सं.- 14

इन आकृतियों की सृष्टि के पीछे एक कारण यह भी माना जा सकता है कि टैगोर कुरूप के बारे में साधारणतः यह सोचते कि सुन्दरता के साथ असुन्दरता विकृत रूप का भी प्रस्तुत होना आवश्यक है। इनकी कला में जो विकृत है, उसका वर्णन भी वे (गोथिक) के रूप में करते थे। इनका मानना रहा है कि कल्पना में यह विकृत आकार स्वयं प्रकट होते हैं और एक गहरी संवेदनशील आकर्षणता को भी लिए होते हैं।⁴ कहने का तात्पर्य है कि टैगोर के चित्रों में यह भयावता, तीव्र अभिव्यव्यंजनों युक्त चित्राकृति में स्वयं टैगोर के काल्पनिक आकार, गहरी व रहस्यात्मक संवेदना का प्रकटन हुआ है क्योंकि टैगोर के अनुसार अरूप व विकृत रूप अधिक संवेदनशील होते हैं।

संभवतः इस से आगे टैगोर ने इन आकृतियों से उत्पन्न विषाद को कम करने के लिए पार्श्व चेहरे बनाने आरंभ किए जो कथाकलि अथवा सिंहली राक्षक मुखौटों (देखिए चित्र सं.-15) से मिलते-जुलते हैं। मुखौटों को बनाने की प्रेरणा के पीछे दो तर्क हो सकते हैं एक तो यह कि टैगोर एक नाट्यकार भी थे, जैसे नाटक में कोई व्यक्ति केवल किसी पात्र का चरित्र या किरदार निभा रहा होता है, लेकिन असल जिन्दगी में वह कुछ ओर होता है अर्थात् वहाँ उसने अपने असल चेहरे पर एक मुखौटा पहना है। संभवत यहाँ से कुछ बिम्ब उनके अन्तः में व्यापत रहे हो जो यहाँ उपस्थित नकाबों से साम्यता रखते प्रतीत होते हैं। दूसरे टैगोर एक कलाकार और कलाकार भी वह जो बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के साथ अपार ज्ञान के सागर को अपने में समाया हुए थे। वह जानते थे कि व्यक्ति वास्तविकता में अपने अन्दर बहुत कुछ छिपाए होते हैं, यह मुखौटे में प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति के अनेक चेहरे को ढके नकाब से दर्शाया है। एक अन्य प्रतीक यह भी हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में केवल अपने मन रूपी पर्दे के पीछे कुछ ऐसे रूपों को रखता है जो वह शायद ही कभी प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत कर पाता हो। अर्थात् मेरी अपनी समझ से सामान्यतः हर व्यक्ति के अचेतन मन में कई रूप विद्यमान होते हैं जो वह संभवतः कभी भी समाज के समकक्ष अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, तो वह भी शायद टैगोर ने इन मुखौटों के रूप में स्वयं के उन रूपों को स्वयं ही देखना चाहा हो या अभिव्यक्त किया हो।

इस से आगे चित्रात्मक रूप जगत में कोमल तथा गोल रूपों की लयात्मक अनुभूमि के लिए टैगोर नारी रूपों की ओर मुड़े। वे रूप जिनके आकर्षण पर उन्होंने अपनी युवावस्था में कोई ध्यान नहीं देना चाहा था, या निराशा के बावजूद भी उन्हें जो प्रिय थे, ये नायिकाएँ रवीन्द्रनाथ के अतीत जीवन से चुराकर इन चित्रों में लायी गई हैं। इनकी मुखकृतियाँ लिंगवत लम्बाकार हैं। इनकी सहज दृष्टि और एकांकी चेहरे सूनापन लिए हैं (देखिए चित्र सं.-16,17) तथा अपने पीछे छिपे सत्य को छिपाने का बहुत कम प्रयत्न करते हैं। पर शायद इन चित्रों में चेहरों के आगे एक हल्की सुगंधित

समीर का भी आभास होता है। नारी चेहरा अनेक रूप लेकर रवीन्द्र की कलाकृतियों में बार-बार प्रकट होता है। यह रवीन्द्र की प्रेमाश्रय स्थली और अभिलाषा की प्रतिमा है। इसके सुखद स्पर्श को उन्होंने रंगों के प्रभावपूर्ण संगीत के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया है।



चित्र सं.- 15

चित्र सं.- 16

चित्र सं.- 17



चित्र सं.- 18

चित्र सं.- 19

चित्र सं.- 20

अंतिम युग में उन्होंने दृश्य चित्र, (देखिए चित्र सं.-18) मछलियों, (देखिए चित्र सं.-19) पशु-पक्षियों (देखिए चित्र सं.-20) आदि का अंकन पर्याप्त तकनीकी कुशलता से किया है। इस समय इनकी चित्रकला को कल्पनालोक में आने वाले आकारों में तरह-तरह की वस्तुओं जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों और मनुष्य के अलग-अलग रूपों की झलक अंकित होने लगी। अब वे इस कलम के खेल से जैसे-जैसे आकार बनाते जाते वैसे-वैसे उनमें इन चीजों की शक्ल अपने नवीन ढंग से बना देते। यह जरूरी नहीं कि अगर आकार में पक्षी का आभास मिलता हो तो वह अमुक पक्षी ही होगा। या केवल पक्षी स्वरूप हो, वह पक्षी, चौपाया जानकर, वृक्ष इत्यादि का मिश्रित स्वरूप भी हो सकता है। (देखिए चित्र सं.-20) पर वह होगी ऐसी चीज जो एक प्रकार से स्वयं में संपूर्ण है। ये चित्र उन चीजों के थे, जो चित्रकार के आकारों, छंदों के स्मृति-भण्डार में भरे पड़े थे। उन्होंने खुद ही कहा, ये उन जंतुओं के कमबेशी, अतिरंजित आकार हैं, जिन्हें अपने समय में जन्म पाने का मौका नहीं मिला था। या यह वह पक्षी है, जो हमारे स्वपन में उड़ान ले सकता है और जिसकी मेहमाननवाजी हम अपने चित्रपट पर कर सकते हैं। 5 (देखिए चित्र सं.-20) और उन्होंने की भी हैं। टैगोर के काले घने गहरे जंगल की ओट में सुदूर कोई आग है, कोई परिचित जीव हैं, कोई आंच, कोई प्रकाश, किसी अपरिचित अंतहीन सुबह की झलक आहट हैं। पूरी तरह स्पष्ट कुछ भी नहीं हैं। व्यक्त नहीं मौन हैं। मन की एक समान प्रकृति, सामान मनोभावों देखे जा सकते हैं। इस तरह इस समय इन चित्रों में काफी परिपक्वता आ गई थी। दृश्य चित्रों में उन्होंने परिपेक्ष्य का पूरा ध्यान रखा है और विभिन्न रंगों के धब्बों का प्रयोग करके दृश्यचित्रण अंकित किए और इनके महानतम

लैंडस्केप 1935 के हैं। अधिकांश एक वन प्रदेश से गुजरने के अनुभव का निचोड़ लगते हैं, शायद शांतिनिकेतन के आस-पास का। या फिर निश्चित तौर पर उनके पद्मावास काल के बिम्बों की अभिव्यक्ति जो अचेतन मन की गहराईयों से ताजे पानी के झरने के जैसे प्रवाहित हुए। **(देखिए चित्र सं.- 18,22)** यहाँ के परिदृश्यों की भरमार अभिव्यक्ति उनके प्राकृतिक दृष्यों चित्रों में हुई। वहाँ उपस्थित अद्भुत प्राकृतिक रतन जो उनकी हर कला विधा की प्रेरणा रही है वही से ये प्रेरक तत्व उनके दृश्यों चित्रों में सहज आ पाये हैं। रवीन्द्रनाथ ने अपने चित्रों के बारे में लिखा, **छायाओं द्वारा सहेजी गई, प्रकाश की स्मृति।** उनका मूड़ साधारणतः संख्या को इंगित करता है, झुटपुटे द्वारा अक्सर जगायी जाने वाली मधुर याद। झुटपुटे में पेड़ों और झाड़ियों के सिल्युएट हैं, या कभी-कभी सलेटी तारों की रोशनी के विस्फोट से आच्छादित (प्रकाश और स्पेस स्पर्श द्वारा सुस्पष्ट बना दिए गए, जैसा कि हॉवर्ड हॉजकिन के काम में होता है) रवीन्द्रनाथ को रातें एक मखमली अंधेरे की यादें जगाती हैं, एक समूची वातावरणीय गरमायी की। सबसे अच्छे लैंडस्केपों में से एक में **एक बालकनी** से एक पहाड़ी ढलान देखी गई है, खड़ी हरी ढलवान पर डोलते ताड़ और ऊपर, गजब का पीला-सुनहरा आकाश, सांद्रित फैलते हुए रंग में हर चिन्ह दिखता हुआ। **(देखिए चित्र सं.-21)**



चित्र सं.- 21



चित्र सं.- 22

इस प्रकार हम देखते हैं कि रवीन्द्र टैगोर की कला अनेक पड़ाव पार करती हुई बाल कला से लेकर प्रौढ़ होती कला तक विकसित हुई है टैगोर की चित्रात्मक रूपसंपदा की मुख्य विशेषता लययुक्त सरल सहज भावाभिव्यक्ति ही हैं। **इन्होंने सदैव अपनी इच्छानुसार रूपवादी व अपरूप चित्रों का निर्माण किया। अनेकों विकृतियों और विसंगतियों के बावजूद उनके चित्रों में सघन मानवीयता और भाव प्रवणता देखी गई। एक मनोमुग्धकारी आकस्मिकता उनके चित्रों में सदैव उपस्थित रही।** यही कारण है कि उनकी रचनाओं में तीव्र अनुभूति का गुण उभरा है। वे दर्शकों को विचलित और आंदोलित करती हैं। प्रकृति और मनुष्य के बीच घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात करने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर के सभी चित्र भावाभिव्यक्ति और अनुभव के जीवन्त साख्य हैं। उन्होंने लिखा है, **मैंने अपने सुदीर्घ कार्यानुभव के दौरान यह पाया है कि रूप जगत में प्राकृतिक चुनाव का अपना महत्व है। संवेदना की अपनी एक भाषा है। जिसके माध्यम से हम परस्पर उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। कला उस संवेदना की भाषा का अच्छा माध्यम बन सकती है।** जो कि बनी भी है और आज हमारे सामने टैगोर की चित्रात्मक रूपसंपदा के रूप में उपस्थित हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Vyas, Chintamani, Rabindranath Thakur, mrs. rameshwari vyas, New Delhi, November 1st 1980, p.n. 3
2. Haldar, Asit Kumar, art and tradition, Lakshmi narain Agarwal educational publishes agra, 1938, p.n.- 98
3. प्रसाद, देवी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर : शिक्षा और चित्रकला, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, पहला संस्करण, 1986, पृ. सं. 55
4. Robinson, Andrew, The Art of Rabindranath Tagore, Rupa.co, Calcutta, 1989, p.n. 55
5. प्रसाद, देवी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर : शिक्षा और चित्रकला, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, पहला संस्करण, 1986, पृ. सं. 57

नमदा हस्तशिल्प : टोंक के विशेष संदर्भ में

शर्मिला गुर्जर * प्रो.हिमाद्री घोष **

प्रस्तावना – राजस्थान में 'नमदा' हस्तशिल्प मुख्य हस्तशिल्पों में से एक है। राजस्थान के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी नमदा हस्तशिल्प का काम होता है। भारत में राजस्थान में जयपुर से 98 किमी. दूरी पर टोंक शहर बसा हुआ है। भेड़ पालन के साथ ऊनी 'फैल्ट' अर्थात् 'नमदा' परम्परागत पद्धति से बनाना यहाँ के मुख्य उद्योगों में से एक है। नमी युक्त अवस्था में ताप और दाब देकर ऊनी तंतुओं को जमाया जाता है और हस्तनिर्मित 'फैल्ट' या 'बुनाई रहित' ऊनी वस्त्र बनाया जाता है। फारसी भाषा में 'नमद' का अर्थ ऊन या पशु का मोटा बिस्तर होता है।⁽¹⁾ इस हस्तशिल्प का मूल उद्गम इरान या टर्की माना जाता है। माना जाता है कि भारत में ऊन से फैल्ट या नमदा बनाने की परम्परा मुस्लिम शासकों से आयी। भारत में पहली बार 'नुबी (Nubi)' नाम के व्यक्ति ने बादशाह अकबर के घोड़े को ठण्ड से बचाने के लिए नमदा बनाया था। उसे इतना बारीकी से अलंकृत किया गया था कि उसे देखकर अकबर प्रसन्न हुए। तत्पश्चात् राजा-महाराजाओं के लिए नमदा से कालीन बनाने की परम्परा रही।⁽²⁾ (चित्रफलक-1)

इस शोध का उद्देश्य नमदा हस्तशिल्प बनाने की तत्त्वगत और प्रयोज्य सामग्री तथा विधि और अलंकरण प्रक्रिया जानना और वर्तमान नमदा हस्तशिल्प की स्थिति का अध्ययन करना है।

साहित्य समीक्षा – सन् 1997 में मनिला में आयोजित इन्टरनेशनल सिम्पोजियम 'क्राफ्ट एण्ड इंडरनेशनल मार्केट: ट्रेड एण्ड कस्टमस् कोडीफिकेशन' में युनेस्को, आय.टी.सी., जागतिक व्यापारिक संघटन (WTO) और भारत सरकार ने सर्वमत से एक ही परिभाषा स्वीकृत की 'शिल्पात्मक (Artisanal) उत्पाद जो शिल्पी या कारीगरों द्वारा निर्माण किए गए हो, संपूर्णता हाथों से या हस्त औजारों की मदद से या यांत्रिकी साधनों, से क्यों न हो शिल्पकारों के प्रत्यक्ष हस्तचलित सहयोग से उसकी दीर्घकालीनता बनी रहती है। हस्तनिर्मित उत्पादों में उपयोगिता, सौंदर्यत्मकता, सृजनात्मकता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, सजावटी, क्रियात्मक, पारंपारिक धार्मिक एवं सामाजिक अर्थपूर्ण व सार्थकता यह विशेष लक्षण होते हैं।⁽³⁾ फैल्ट असोसिएशन के अनुसार 'फैल्ट' यह एक रेशेदार सामग्री है जो यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया, नमी और ताप के कारण ऊनी रेशों के आपसी गुंथने से निर्माण होती है। संमिश्र रेशों में ऊन और अन्य रेशों का समावेश हो सकता है।⁽⁴⁾ **हेस** इसकी पुष्टि करते हैं।⁽⁵⁾ नमदा का भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन उल्लेख महाभारत में उल्लेखित 'कृटिकृत वस्त्र नमदा' ही है। जिसमें ऊन को कूट कर बनाया जाता था। महाभारत में जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उपहार में कुटीकृत वस्त्र अर्थात् नमदे भी थे।⁽⁶⁾

परिणाम और विवेचन – टोंक के नमदा हस्तशिल्पों का अध्ययन करने हेतु अवलोकन और नमदा उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग तथा समूहों में चर्चा करने के पश्चात् जो तथ्य सामने आए उसे नमदा उद्योग का सम्पूर्ण स्वरूप ही सामने आता है। अवलोकन के आधार पर यह जानकारी मिली है कि टोंक परिवेश में नमदा उद्योग बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। इस उद्योग से कई लोग लाभान्वित हुए हैं। सामान्यतः दो स्थानों पर उद्योग विभाजित हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सभी फैक्ट्रियों से कच्ची ऊन से नमदा बनाने का कार्य होता है और आवश्यकतानुसार रंगाई होती है तथा पुरानी टोंक में घरों के अन्दर ही महिलाएं और पुरुष नमदे के उत्पाद बनाने का कार्य करते हैं। दोनों जगह ऊन तथा नमदे के बेकार अवशेष इतरस्त्र काफी मात्रा में पाये गए। जिनका पुनः उपयोग (Reuse) सीमित है। अधिकतर शेष अवशेष पिंदाई में डालकर उससे सस्ते किस्म का नमदा बनाया जाता है। पिंदाई से वातावरण में धूल, मिट्टी, और रेशे उड़ते नजर आते हैं परन्तु कोई कारीगर मास्क लगाए हुए नहीं था। धुलाई व रंगाई की क्रिया में बहुत अधिक पानी खर्च हो रहा था तथा उसे पुनः चक्रण (Recycle) करके पुनः उपयोग में लाने के प्रति कोई जागृकता भी नहीं दिखाई दी। अलंकरण में फूल पत्ती आदि के आकारों को नमदे से काटा जाता है जिसमें सांचों का प्रयोग भी करते हैं। इस क्रिया में भी बहुत नमदे के अवशेष कतरन के रूप में बच जाते हैं। इससे मूल नमदा बनाने की मेहनत तथा रंगाई आदि मेहनत और लागत बेकार हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है।

नमदा हस्तशिल्पियों से बातचीत करने पर उनके इस कार्य सम्बन्धी कई तथ्य सामने आए। नमदा व्यवसाय से जुड़े अधिकतर कार्य मुस्लिम स्त्री व पुरुष हस्तशिल्प करते हैं। कई तो इसी पर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इन लोगों में शिक्षा का अभाव है तथा कम मजदूरी पाने के कारण और कार्य की निरन्तरता न होने के कारण कई पुरुष अन्य व्यवसाय भी करते हैं। जैसे ऋतु अनुसार खेती के कार्य, रजाई, गद्दे भरना, बीड़ी बनाना, रिक्शा चलाना आदि कार्य करते हैं। जिसका उद्देश्य केवल अधिक कमाई करके परिवार चलाना यही होता है। इनके बच्चों में शिक्षा स्तर अच्छा पाया गया। महिलाएं अधिकतर घर पर कढ़ाई, पैचवर्क और एप्लिक तथा नमदे पर मूल्य वर्धन का काम करती हैं। हिन्दू स्त्री व पुरुष नमदा उद्योग में तुलनात्मक दृष्टि से कम संख्या में पाए गए। स्त्री हस्तशिल्पी भी कढ़ाई, पैचवर्क आदि कार्य करती हैं परन्तु परिवार चलाने में आर्थिक मदद करना यही इनका उद्देश्य होता है। अधिकतर हस्तशिल्पियों को 'नग' की कारीगरी के हिसाब से पैसे दिये जाते हैं। एक घुटाई करने वाला कारीगर एक नमदे के 25 रु प्रति किलो नमदा से घुटाई प्राप्त करता है और 1 दिन में वह 10 से 15 नमदे बनाता

* एसोसिएट प्रोफेसर, वनस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान) भारत
** निदेशक, वनस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान) भारत

है। स्त्री हस्तशिल्पी छोटे, बड़े खिलौने, पर्स, बैग, आदि सिलने तथा अलंकरण का कार्य 2 से 25 रु प्रति नग करती है। अलंकरण की बारीकियां होने के कारण 1 दिन में 100-150 रु. ही कमा पाती है। नमदा उद्योग में स्त्री हस्तशिल्पी के प्रति व्यवहार सम्माननीय होता है। अपितु दिनभर बैठकर कढ़ाई आदि करने से इनकी आंखें और पीठ कमर के स्नायु पर जोर पड़ता है व कमजोरी आती है। घुटाई व रंगाई करने वालों के हाथों तथा पैरों में लगातार पानी, साबुन व केमिकल के सम्पर्क से त्वचा को क्षति पहुँचती है और पिंदाई से लगातार वातावरण में धूल मिट्टी, रोयें उड़ने से खांसी तथा फेफड़ों की बीमारी की संभावना बनी रहती है। काम की निरन्तरता में विश्वसनीयता नहीं होने के कारण हस्तशिल्पी अन्य व्यवसायों की तरफ रुख करते हैं और कुशल कारीगरों का अभाव होने लगता है।

नमदा बनाने के लिए तत्त्वगत और प्रयोज्य सामग्री में विभिन्न प्रकार की और श्रेणी की भेड़ की ऊन, साबुन, पानी, जूट, टाट या मोटा सूती वस्त्र की आवश्यकता होती है। इनके पश्चात् रंगाई हेतु एसिड रंग, एसिड, पानी गरम करने की व्यवस्था तथा बड़े बर्तनों आदि की आवश्यकता होती है। रंगाई के पश्चात् नमदों को वांछित आकारों में काटने हेतु कैची, फार्मा, लोहे के सांचे और तत्पश्चात् कटे आकारों को चिपकाने हेतु आरारुट की लई और सिलाई, कढ़ाई व मूल्यवर्धन हेतु डी.एम.सी. के सूती एवं ऊनी धागे, बटन, जिप, सितारे, मोती व अन्य अलंकरण के सामान की आवश्यकता होती है।

नमदे की मूल इकाई ऊन है। जिसे राजस्थान के स्थानीय लोग भेड़ पालन करके उत्पादित करते हैं। नमदा उद्योगजक मालपुरा, केकडी, बीकानेर, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, आदि कई जगह की मंडियों से ऊन मँगवाते हैं। प्राकृतिक ऊन शुद्ध सफेद, क्रीम, भूरे, सलेटी, काले, आदि रंगों में पायी जाती है। इस ऊन को श्रेणी के अनुसार अलग-अलग करके पिंजारा धुनाई का कार्य करता है। पहले परम्परागत धुनाई यंत्र से हाथ से यह काम होता था। वर्तमान में इलेक्ट्रीक पिंदाई मशीन से ऊन को धूल मिट्टी से मुक्त करके साथ ही साथ मशीन के आगे रखे सूती कपड़े पर चादर नुमा बिछाते हैं। (चित्रफलक-3) इन्हें समतल बनाने के लिए लकड़ी के पंजे का उपयोग होता है या सीक झाडु से भी व्यवस्थित किया जाता है। पानी का छिड़काव करके कपड़े सहित इसे गोल गोल घुमाकर लपेटा जाता है। इसे कच्चा खांब बनाना कहते हैं। घुटाई के लिए कच्चा खांब खोलकर उस पर गरम साबुन पानी छिड़कते हुए हाथों के पंजे से दबा दबा कर पूर्ण नमदे को समतल बनाकर पश्चात् बारी बारी से सभी किनारों को गोल-गोल मोड़कर दबाव डाला जाता है। (चित्रफलक-4) इसके लिए हाथ के तलवे, कोहनी, घुटने तथा कई बार उस पर खड़े होकर पैरों से दबाव डालकर तब तक घुटाई होती है। जब तक ऊनी रेशे एक दुसरे से अच्छी तरह फंसकर ठोस वस्त्र का रूप न ले इस वस्त्र में इतनी मजबूती आती है। कि जोर लगाकर खींचने पर यह फटता नहीं है। जो नमदा पतला होता है उसे प्लाय कहते हैं और जो मोटा होता है, उसे शीट कहते हैं। धुलाई की क्रिया में नमदों में बची साबुन की मात्रा को पानी से घोलकर तथा एसिड के सौम्य घोल से निकालकर उदासीन किया जाता है। इससे ऊनी रेशों को क्षति नहीं पहुँचती। रंगाई की क्रिया खुले रेशों पर या नमदे की अवस्था में होती है। भट्टी का प्रयोग करके बड़े भगोनों में सामान्य ताप से उबलते तापमान पर एसिड रंगों से रंगाई की क्रिया होती है। सभी प्राथमिक व द्वितीय रंग तथा अन्य सभी रंगों के छाया, छटा एवं आभा का प्रयोग होता है। कटाई के लिए आवश्यकतानुसार प्लाय या शीट का प्रयोग करते हैं।

अलंकरण के अनुसार विविध रंगों के नमदों को विविध आकारों में

काटकर उसे मुख्य बड़े नमदों पर चिपकाये जाते हैं। चिपकाने के लिए आरारुट के आटे से बनी लई का प्रयोग करते हैं, जो धुलाई पश्चात् निकल जाती है और नमदे पर कड़ापन भी नहीं रहता। अलंकरण के फूल पत्ती काटने के लिए नमदे की 6 परतों के लोहे के अंकरण सांचे में रखकर दबाव देकर स्टेनसिल की तरह काटा जाता है। इसे एक समान एक आकार के फूल पत्ती तथा अन्य वांछित आकार कट जाते हैं। इन आकारों को सम्पूर्ण डिजाइन के अनुसार नमदे या उत्पाद के अनुसार चिपकाकर स्त्री हस्तशिल्पी सूती व ऊनी धागों से जोड़ने, सीलने तथा कढ़ाई करने का कार्य करती है। उत्पादों के बन जाने पर आवश्यकतानुसार उसे ब्रश आदि लगाकर साफ करके प्लैस्टिक पन्नी में रखा जाता है। नमदों के प्रकारों में जमावट का, एप्लिक और पैचवर्क से नमदा बनाया जाता है। एप्लिक के नमदों में किसी वांछित आकार के नमदों पर अलंकरण के अनुसार रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर सीलकर अलंकरण किया जाता है। पैचवर्क में रंगीन टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक समतल अलंकरण बनाया जाता है और जमावट के नमदे में घुटाई या घुलावट के दौरान रंगीन ऊन को वांछित आकारों में रखने के पश्चात् घुटाई की जाती है। इसमें पुरुष हस्तशिल्पी की अलंकरण के प्रति सुझाव, रुझान और कुशलता ही काम आती है। इसके पश्चात् कढ़ाई, सिलाई आदि अलंकरण होते हैं। (चित्रफलक-5)

उत्पादों के प्रकारों में काफी विविधता पाई गई परन्तु ऊन से बने नमदों तथा अन्य उत्पाद एक विशिष्ट वातावरण जैसे ठण्ड के दिनों में अधिकतर काम में लिए जाते हैं। नमदे से बने कालीन, दरवाजे, ड्रेसिंग टेबिल आदि के मेट्स, रनर, आसन, पेपर होल्डर, विभिन्न प्रकार के वॉल पीस या वॉल हैंगिंग, सजावटी वस्तुएं जैसे तरह-तरह के खिलौने, आवरण, बैग, जूते, जैकेट, स्लीपर, (चित्रफलक-2) जैसी कई कलात्मक और उपयोगी वस्तुएं सामान्य रूप से बनायी जाती हैं। जिनकी मांग अधिक होती है। क्रिसमस के त्यौहार पर विदेशी लोग क्रिसमस के पेड़ को सजावटी स्कर्ट तथा कई प्रकार के खिलौने टांगने के लिए मांग रखते हैं। उत्पादों में स्थानीय, ग्राहक व उपभोक्ता के अनुसार तथा देश-विदेशों के ग्राहकों के अनुसार रंगों का प्रयोग होता है। कढ़ाई में सादी सिलाई, उल्टा बखीया, ब्लैकैट स्टीच, चैन स्टीच, जालीदार कढ़ाई एवं कांच, सितारे, मोती अन्य जड़ने हेतु सादी सिलाई का उपयोग होता है।

निष्कर्ष - नमदा हस्तशिल्प भारतीय विरासत का हिस्सा है। इसे सुरक्षित रखना, बढ़ाना हस्तशिल्पियों को और नमदा उद्योगों को सम्पूर्ण सहायता देना तथा नयी युवा पीढ़ी को इस उद्योग की ओर कैसे आकर्षित हो सकती है, इसके लिए हर संभव प्रयास करना आवश्यक है। टोंक जिला 7194 वर्ग किमी में फैला हुआ है। जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 14,21,711 है। टोंक शहर इसका हिस्सा है। अतः यहां रोजगार के अवसर भरपूर होने चाहिए। इस शहर में नमदा शिल्प बनाने की भरपूर क्षमता है। कुशल कारीगर है। ऊन व भेड़ अनुसंधान संस्थान पास ही होने के कारण सहायता मिलने की पूरी सम्भावना है। ऊन उत्पादन का क्षेत्र होने के कारण ऊन की उपलब्धि भी है। RUDA जैसी गैर सरकारी संघटना अलंकरण तथा मार्केटिंग में यथोचित सहायता करती है और नयी युवा पीढ़ी इस उद्योग को अपनाने की भरपूर संभावना भी है। परन्तु आंतरिक वाद, उत्पादों की गुणवत्ता, कार्यस्थलों पर सफाई आदि के प्रति अनास्था, ट्रेन्ड और फैशन के अनुसार डिजाइन का निर्माण न होना, कार्य के अनुभवों तथा आने वाली समस्याओं को उद्घाटित न करना, ऋतु अनुसार कार्य तथा ऋतु अनुसार उत्पादों की मांग होना, बहुत कम मात्रा में तकनीकी नवीनीकरण को अपनाया

जाना, मार्केट तथा उद्योग का असंघटित होना यह इस उद्योग की कमजोरी है। जो इसे बढ़ने से कुछ हद तक रोकती है। वर्तमान सरकार की नीतियों का लाभ उठाते हुए तथा प्रधानमंत्री कौशल योजना का लाभ यदि यही हस्तशिल्पी और उद्योग ले तो इसकी वृद्धि में अधिक समय नहीं लगेगा। बस इसे इण्डस्ट्रीयल फेल्ट से मुकाबला करने में अपनी कमर कसनी होगी। पारम्परिक नमदा जिसकी अनूठी रंगयोजना, कशीदाकारी, अलंकरण और उत्पादों में विविधता इसे हमेशा प्रसिद्धि की चोटी पर ही रखेगी। बस थोड़ा सा संघटित होकर नमदे के सौन्दर्य तथा कार्यात्मक पहलू पर जोर देते हुए इस उद्योग को सुनियोजित तरीके से चलाना होगा। जिससे हस्तशिल्पियों को भी संतुष्टि और भरपूर आमदनी मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुहम्मद मुस्तफा खाँ (1992), उर्दू-हिन्दी शब्दकोश, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान,, पृ.सं.-336
2. JKEDI, J&K Enterprenurship Development Institute. www.jkedi.org/—/crewel__namda__gabba_sam
3. www.academica.edu/.....definition_of_handicraft_by_unesco....october6-8,1997
4. Felt association _1944_
5. Hess kartharize Paddock (1966), "Textile fibers and their use", Oxford & IBH publishing co. Calcutta 6th Edition, Page 4
6. चन्द्रमणि सिंह, (1994), जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।



(चित्रफलक-1)



(चित्रफलक-2)



(चित्रफलक-3)



(चित्रफलक-4)



(चित्रफलक-5)

कलाकार विनय शर्मा एक साक्षात्कार

अमिता देवी *

प्रस्तावना – एक कलाकार का मन चंचलता से परिपूर्ण होता है। वह कला में स्वयं को समाहित कर लेता है और विभिन्न रूपों, माध्यमों, तकनीकों एवं प्रयोज्य सामग्री द्वारा स्वयं के लिए कलात्मक गुणों को परिभाषित करता है। वह अपनी इच्छानुसार एवं सुविधानुसार विविधतापूर्ण कला माध्यमों द्वारा अपने भाव चित्रित करता है।

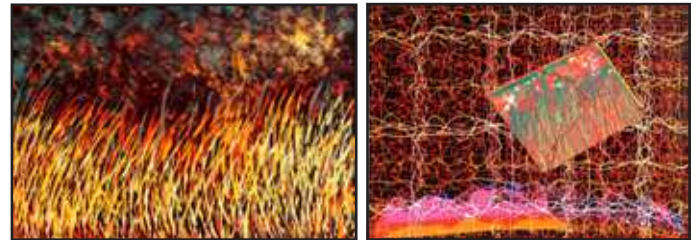
छापा कला, चित्रण की प्राचीनतम विधि रही है। यह प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान काल तक निरन्तर चली आ रही है। प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर आदि मानव के हाथों की छाप के रूप में छापा कला का प्रारम्भिक स्वरूप दृष्टिपात होता है।

पहले समय में छापाकला को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, परन्तु वर्तमान समय में ग्राफिक कलाकारों द्वारा इस माध्यम में अभिव्यक्ति को सार्थक रूप प्रदान किया गया, जिससे सृजनशीलता के विभिन्न आयाम विकसित हुए हैं। आज के समय में अनेक छापा कलाकार हैं, जिन्होंने इस माध्यम में अपनी स्वतंत्र पृथक पहचान बनाई है। इनमें एक **कलाकार विनय शर्मा** भी हैं। हसमुख स्वभाव के इस कलाकार का जन्म 1965 में राजस्थान के लालसोट नामक गाँव में हुआ। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा यहीं पर हुई। कला में रुचि इनकी बाल्यकाल से ही रही। ये बचपन में पण्डित जी के यहाँ जाते थे और वहाँ ये कैलीग्राफी सीखते थे। धीरे-धीरे इन्होंने कैलीग्राफी को कला रूप में समझना शुरू किया और ये कला के प्रति गंभीर होने लगे। जबकि पारिवारिक दबाव था कि ये इंजीनियर बनें। इसी दबाव के कारण ये विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे। परन्तु कला के प्रति अपने मोह को नहीं छोड़ पाए क्योंकि कक्षा में बैठकर ये चित्र बनाते रहते थे।

1981 में इन्होंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में चित्रकला विषय में प्रवेश लिया और 1986 में ये डिप्लोमा पूर्ण किया। यहाँ इन्होंने समझा कि **कला पूर्ण रूप से विचार होते हैं और जब तक कला में रहस्य न हो तब तक कला, कला नहीं होती।** 1984 में इन्होंने गंभीरता से छापाकला को अपनाया। साईंस का विद्यार्थी होने के कारण इन्हें कैमिकल रिएक्शन की अच्छी समझ रही, जिससे छापाचित्रण में इससे खूब सहायता मिली। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में जब ये अध्ययनरत थे, तो अकादमी की ओर से इन्हें पाँच सौ रुपये सालाना छात्रवृत्ति के रूप में मिलता था। सन् 1985 में सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार भी इन्हें मिला था। तत्पश्चात् 1988 में एम.एस. बड़ौदा में छापाकला विषय में पोस्ट डिप्लोमा हेतु प्रवेश लिया। यहाँ रहते हुए इन्होंने छापाकला की विभिन्न विधियों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। 1989 में लीवरपूर यूनिवर्सिटी, इंग्लैण्ड में ये एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में गए। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान सैरीग्राफी को बारीकी से सीखने एवं समझने का अवसर मिला। तत्पश्चात् 1990 में इन्होंने पोस्ट डिप्लोमा पूर्ण किया।

पोस्ट डिप्लोमा पूर्ण होने के दो दिन बाद ही इन्होंने जहाँगीर आर्ट गैलरी, मुम्बई में अपने छापाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई और यहाँ अनेक संख्या में छापाचित्रों का विक्रय हुआ। 1990 में ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में अडोक लैक्चरर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। 1993 में इन्होंने विजय वर्मा (आई.पी.एस. अधिकारी) के आग्रह से जवाहर कला केन्द्र में कार्यभार सम्भाला।

इन्होंने छापाकला की विभिन्न तकनीकों में अपनी प्रयोगधर्मी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति द्वारा अनेक कलाकर्म किए हैं, जो छापाकला को कलाक्षेत्र में नवीन आधार देते हुए दृष्टिपात होते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय – अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर एकल एवं सामूहिक प्रदर्शनियाँ लगाई, जिसमें सदा उत्कृष्ट कला के दर्शन हुए हैं। ये वर्तमान में भी सक्रिय चित्रकार के रूप में कलाकर्म कर रहे हैं।



विनय शर्मा से साक्षात्कार

1. राजस्थान की कला और कलाकारों के बारे में आपकी क्या राय है?

मिनिअर कला, राजस्थान की महत्वपूर्ण कला रही है और इससे राजस्थान का कोई भी कलाकार अछूता नहीं रहा है। यहाँ मिनिअर कला में नैचुरल रंगों का प्रयोग हुआ है। राजस्थान की समसामयिक कला में लगभग कलाकारों के कला निर्माण में स्थानीय परिवेश का प्रभाव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कलाकृतियों में देखने को मिलेगा। दूसरी ओर अगर कलाकार अमूर्तन में कला निर्माण करते हैं, तो चाहे रंगों में देखो या विषयों में, नायक-नायिका और राजस्थानी परिवेश के दृश्यों को लेकर ही कला निर्माण करते हैं। ये सभी विशेषताएँ किसी न किसी रूप में राजस्थान के कलाकारों में देखने को अवश्य मिलेंगी।

2. आपकी दृष्टि में राजस्थान के कला परिदृश्य में ऐसा कौन सी तकनीक एवं माध्यम सबसे अधिक प्रचलित रहे, जिससे आगे आने वाली काल की कला भी प्रभावित रही?

राजस्थान की मिनिअर कला, कलाकारों को इतना अधिक प्रभावित

कर रही है कि उससे अछूता होकर कोई भी कलाकार कला निर्माण नहीं कर पा रहा है। यहाँ के कलाकारों की ये एक विडिम्बना भी है जिससे हमारी भावी पीढ़ी भी प्रभावित हो रही है। हमें कहीं न कहीं इससे आगे निकलना होगा।

3. **आपकी कला उपलब्धियों के बारे में बताएं।** – कत्तर सरकार द्वारा आमन्त्रित किया जाना मेरे लिए बड़ी गौरव की बात थी। भारत में अनेक दिग्गज कलाकारों के होते हुए मुझे यह अवसर मिला, जिसे मैं विशेष कला उपलब्धि मानता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात रही की ये आमन्त्रण मुझे कला के कारण मिला। इसलिए मैं अपनी कला को धन्यवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त विश्व के अनेक संग्रहालयों में मेरी कलाकृतियों का संग्रहित होना भी विशेष है।
4. **आप किन कला गुरुओं से अधिक प्रभावित रहे?**
राजस्थान में विद्यासागर उपाध्याय जी और बड़ौदा में पी.डी. डूमाल साहब मेरे कला गुरु रहे।
5. **क्या आपकी कला के आरम्भिक और वर्तमान कार्यशैली में कोई परिवर्तन आया है? क्यों और कैसे?** – कलाकार की कार्यशैली में परिवर्तन समय के साथ-साथ चलते हैं। ये परिवर्तन समय की आवश्यकता, उस समय का वातावरण आदि कलाकार को प्रभावित करता है और इन सब से प्रभावित होते हुए कलाकार की कार्यशैली में निरन्तर परिवर्तन आते हैं।
6. **क्या आप अपनी कृतियों में प्रयोगात्मक आधार को महत्ता देते हैं?** – हाँ। ये कलाकार की प्रवृत्ति होती है और इसी कारण कलाकार की कला भी जिन्दा रहती है। कलाकार प्रत्येक क्षण कला में नवीन प्रयोग करता है। कलाकार के चेतन-अचेतन में निरन्तर प्रयोगात्मक विचार विचरण करते हैं।
7. **क्या आप अपनी कृतियों में विषय की शृंखला कृतियों को महत्व देते हैं या नहीं?** – हाँ।

8. **क्या आप मानते हैं कि कलाकार के जीवन एवं कार्य पद्धति में माध्यम और तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान होता है?**

ये कलाकार की प्रवृत्ति एवं मानसिकता पर आधारित होता है कि वो माध्यम को किस रूप में लेकर कलाकृति बनाता है। एक ही माध्यम को अलग-अलग कलाकारों द्वारा अपनी प्रवृत्ति अनुसार अलग-अलग तकनीक में प्रयोग किया जा सकता है।

9. **आपकी दृष्टि में वर्तमान कला परिदृश्य में किन माध्यमों एवं तकनीकों का नवीन प्रयोग सफल हो रहा है और क्यों?**

वर्तमान समय में इन्स्टॉलेशन कला का प्रयोग सफल हो रहा है क्योंकि अब कला केवल कागज या कैनवास तक ही सीमित नहीं रही है।

10. **आपकी दृष्टि में आने वाली युवा कला पीढ़ी के सामने क्या समस्याएँ अथवा चुनौतियाँ हैं? कोई सुझाव।**

आज के युवा कलाकारों में गंभीरता की कमी एवं जल्दी प्रसिद्धि पाने की ललक है। ये सब समस्याएँ कला को नीचे लाने का कारण भी बनती जा रही हैं। युवा कलाकारों को मेरा सुझाव है कि जब उनमें कला के प्रति धैर्य, अनुशासन, सीखने की सच्ची लगन और ईमानदारी होगी, तभी सही कला का उदय होगा एवं उनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा।

11. **समसामयिक परिदृश्य में कला की नवीन तकनीकों एवं माध्यमों की क्या सम्भावनाएँ हैं और वो कहाँ तक सफल होगी?**

हर कलाकार की व्यक्तिगत शैली और माध्यम होता है। आज के कला परिदृश्य में मुख्यतः कम्प्यूटर के माध्यम से कलाकृतियाँ निर्मित की जा रही हैं, जिससे कलाकारों के हाथ से कलम छूटने लगी है एवं कैनवास से रेखाएँ गायब होने लगी हैं। जिसके कारण मुझे डर है कि कहीं भविष्य में कला का आधार ही समाप्त न हो जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

A Study Of Impact Of Forearm Length On Performance Of Basketball Players

Dr. Ashok Saha * Gaurang Nare ** Dr. Jogendra Singh ***

Abstract - Basketball is a very popular sport played across the nation. Players put their best and sincere efforts in game yet few perform well and few could perform moderately well. There are many factors which affect the performance of basketball players; an effort has been made to know whether forearm length is also an important factor. In this study the forearm length of 240 basketball players was measured and their performance was also measured on 10 point scale by experts and correlation between forearm length and performance was calculated.

Key words - forearm length, performance, correlation between forearm length and performance

Introduction - Basketball is the second most popular international sport in the world. FIBA (2006) claimed that there are more than 450 million licensed basketball players registered from 200 various countries. It is a very fast and dynamic sport in which the team which score more basket than opponent wins the game. Players who are strong, agile and acrobatic are good at playing basketball. In Rajasthan and Madhya Pradesh this game is also gaining popularity. Maria Sachanidi, Nikolaos Apostolidis, Dimitrios Chatzicharistos and Theodoros Bolatoglou (2013) stated that basketball is a combined game demanding elevated physical and technical skills, mental characteristics and tactical behaviour. These characteristics cannot be evaluated only by skill tests, which are considered inadequate to record the mental ability of the athletes. For the complete evaluation of the athletes' performance observation methods have been proposed, which record all of their efforts during the game.

Aouadi (2012) conducted a study on thirty-three elite male volleyball players. The objective of the study was to examine the association between physical and anthropometric profiles and vertical jump performance in elite volleyball players. The players with longer lower limbs had the better vertical jump performances.

Nilkbkhtr (2011) investigated relation between anthropometrics and body type endomorph, mesomorph and ectomorph with factors aerobic fitness, speed and power of 45 untrained male students of Tehran University. The physical fitness factor was measured through a special related method designed by Heath, Carter and Seldon. Results indicated that there were meaningful relationships between ectomorph component and aerobic fitness. The relationship between body fat, body weight and aerobic

fitness was negative.

Objective:

To know whether there is any relationship between forearm length of basketball players and their performance.

Hypothesis:

There is no relationship significant relationship between forearm length of basketball players and their performance.

Sample:

120 basketball players of Rajasthan and 120 basketball players of Madhya Pradesh were studied. Their forearm length and performance was measured by experts.

Table 1

Forearm Length & Average Performance Score of Basketball Players

Forearm length (in cm)	No. of Players	Average Performance Score
22	6	5.65
22.5	6	5.8
23	8	5.92
23.5	7	6.12
24	9	6.23
25	7	6.36
25.5	9	6.5
26	13	6.72
26.5	16	6.91
27	15	7.14
28	18	7.27
28.5	20	7.42
29	24	7.65
30	19	7.81
30.5	17	7.9
31	11	8.04

* Pacific University, Udaipur (Raj) INDIA

** Pacific University, Udaipur (Raj) INDIA

*** Secretary, University Sport Board Pacific University, Udaipur (Raj) INDIA

32	10	8.18
32.5	11	8.29
33	9	8.41
33.5	5	8.5

Chart 1 (See)

Measurements of forearm length of 240 national level basketball players of Rajasthan and Madhya Pradesh were collected by the experts through the measuring tape.

The performance of these basketball players in the organized tournament was judged and scored on 10 point scale by three referees. The average score of these three referees was used for analysis of basketball players' performance.

When fore arm length and performance was compared it was found that with the increase in arm length the performance score improved. Table 1 showed it clearly and chart 1 express it very clearly that basketball players with higher forearm length performs better as compared to the basketball players with lesser forearm length.

To find the relationship between players' forearm length

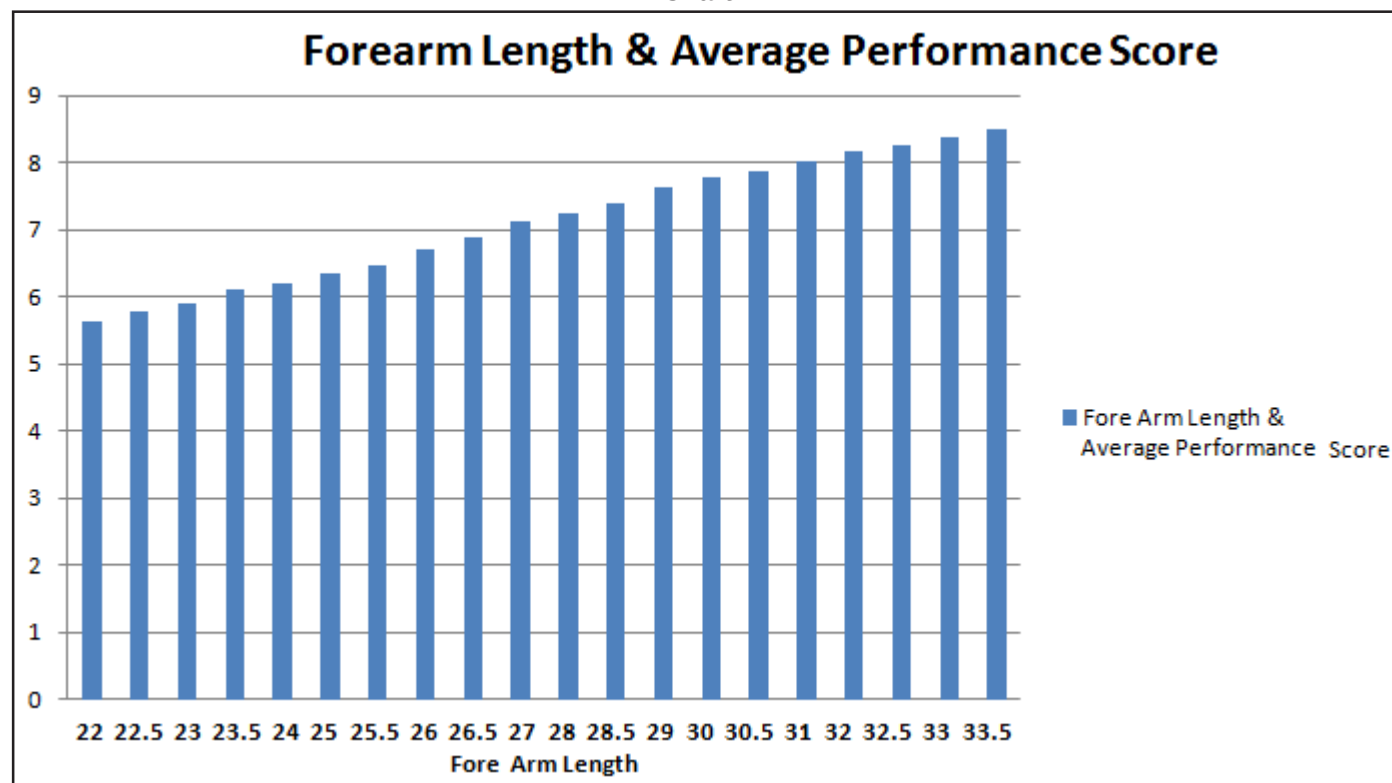
and performance in basketball correlation test was done and it was found that there was highly positive correlation (0.9959) between forearm length and performance of basketball players. Hence the hypothesis is fully rejected.

Conclusion - Players with higher forearm length perform better in basketball. Even at the national level tournaments it was substantiated that players of longer forearm length should be selected as they perform comparatively better than short forearm length players. Forearm length should always be kept in mind while selecting team for basketball at national level.

References:-

1. Maria Sachanidi, Nikolaos Apostolidis, Dimitrios Chatzicharistos and Theodoros Bolatoglou, Passing efficacy of young basketball players: test or observation? International Journal of Performance Analysis in Sport , 13, 403-412, 2013.
2. Aouadi, Basketball and anthropometric measures, Williamson Press, 2012, Pg.47-52.
3. Nilkbkht , anthropometrics and efficacy of young outdoor players, Pristen Publishers, 2011, Pg. 17-22

Chart 1



Nutrition For Adolescent Cricket Players - Basic And During Match

Dr. B. K. Choudhary * Gaurav Sharma **

Abstract - Nutrition is an important part of players performance for adolescents cricketers, in addition to allowing for optimal growth and development. Macronutrients, micronutrients and fluids in the proper amounts are essential to provide energy for growth and activity. To optimize performance, players need to learn what, when and how to eat and drink before, during and after activity.

Key words - Nutrition : source of food and drink to nourish body, Macronutrients : substance need in big amount, Micronutrients: substance need in small amount.

Introduction - Maintaining energy balance is a key goal for players. Energy balance occurs when total energy intake from food matches energy expenditure from daily activity. Energy is provided by the carbohydrate, protein, fat in food and fluids. The energy requirements of an individual are influenced by factors such as body size, body composition goals and the energy cost of training. An average energy requirement for adolescent male cricket players is 2500-3000kcal/day.

Macronutrient - It includes Carbohydrates, Protein and Fats provide the fuel for physical activity.

1. Carbohydrates - Carbohydrates are the most important fuel source for players because they provide the glucose used for energy. One gram of carbohydrate contains approximately four kilocalories of energy. Glucose is stored as glycogen in muscles and liver. Muscle glycogen is the most readily available energy source for working muscle and can be released more quickly than other energy sources. Good sources of carbohydrates include whole grains, vegetables, fruits, milk and yogurt.

2. Protein - "Protein is important for the active body. Players need to get protein in our daily diet. Common sources include meats, fish, grains, vegetables, beans and nuts, including peanuts.. "The reason protein is important is because it provides the amino acids that our muscles need to continually rebuild themselves. Without fuel to rebuild, players will be taking training in the wrong direction and risking an injury to your muscles. One gram of protein provides four kilocalories of energy. Protein should comprise approximately 10% to 30% of total energy intake.

3. Fat - Fat is necessary to absorb fat-soluble vitamins (A, D, E, K), to provide essential fatty acids (omega-3 and omega-6), protect vital organs and provide insulation. Fats provide the body with energy to drive activity. Where carbohydrates account for the majority of energy during short-

duration or low-intensity exercise, fats make up the majority of energy during longer or more intense workouts. Fats should never fall below 15 percent of your daily caloric intake. For endurance exercise, up to 75 percent of energy demand may be met by fat in your body. Good sources of fat include lean meat and poultry, fish, nuts, seeds, dairy products, and olive and canola oils. Fat from chips, candy, fried foods and baked goods should be minimized.

Micronutrient - Many micronutrients play key roles in energy metabolism and, during strenuous physical activity, the rate of energy turnover in skeletal muscle may be increased up to 20-100 times the resting rate. Although an adequate vitamin and mineral status is essential for normal health, marginal deficiency states may only be apparent when the metabolic rate is high. Prolonged strenuous exercise performed on a regular basis may also result in increased losses from the body or in an increased rate of turnover, resulting in the need for an increased dietary intake. An increased food intake to meet energy requirements will increase dietary micronutrient intake, but athletes in hard training may need to pay particular attention to their intake of iron, calcium and the antioxidant vitamins.

1. Vitamins - Many vitamins, particularly the water-soluble vitamins, are involved in mitochondrial energy metabolism: it is, therefore, intuitively attractive to believe that supplying additional amounts may be beneficial.

Fat-soluble vitamins are stored in the body's cells and are not excreted as easily as water-soluble vitamins. They do not need to be consumed as often as water-soluble vitamins, although adequate amounts are needed. If taken too much of a fat-soluble vitamin, it could become toxic. (Table See in next page)

1. Calcium: Regular exercise results in increased mineralisation of those bones subjected to stress and an increased peak bone mass may delay the onset of os

*Associate Professor, Pacific College of Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

**Research Scholar, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

teoporotic fractures, exercise may also delay the rate of bone loss.

The recommended dietary calcium intake varies, but for male players the recommended intake is normally about 800 mg/day. Intakes of as much as 2000 mg/day are sometimes recommended. Calcium rich food are milk, cheese, broccoli, yogurt, almonds, tofu, soymilk, spinach

2. Iron - Iron is important for oxygen delivery to body tissues. During adolescence, more iron is required to support growth as well as increases in blood volume and lean muscle mass. Players 14 to 18 years of age require more iron, up to 11 mg/day for males. Iron depletion is common in players because of diets poor in meat, fish and poultry, or increased iron losses in urine, feces, sweat. Therefore, vegetarians and distance runners should be screened periodically for iron status. Iron-rich foods include eggs, leafy green vegetables, fortified whole grains and lean meat.

Fluids - Fluids, particularly water, are important nutrients for athletes. Athletic performance can be affected by what, how much and when an athlete drinks. Fluids help to regulate body temperature and replace sweat losses during exercise. Environmental temperature and humidity can affect how much an athlete sweats and how much fluid intake is required. Hotter temperatures and higher humidity make a person sweat more, and more fluid is needed to maintain hydration. Dehydration can decrease performance and put athletes at risk for heat exhaustion or heat stroke.

Meal Schedule For Adolescent Cricketers -

1. Before Match - Total Energy Most equations for calculating energy needs consider an individual's weight, and height as well as the level of physical activity. Given these differences and the importance of consuming adequate calories, it is important to consult a sports dietitian for the optimal energy prescription.

Carbohydrates are essential for peak performance, as the body uses this nutrient more efficiently than fat or protein. The timing of carbohydrate intake is also important. Athletes should consume 1.0 to 4.0 g/kg of body weight one to four hours prior to exercise, focusing on longer-lasting sources of carbohydrate combined with a source of protein (e.g., peanut butter on whole grain bread). Recommendations for carbohydrate intake are higher for endurance training and competition (7.0 to 10.0 g/kg/day). Eating healthy carbohydrates such as whole-grain cereals (with low-fat or skim milk), whole-wheat toast (without the fatty cream cheese), low-fat or fat-free yogurt, whole grain pasta, brown rice, fruits and vegetables.

Protein The recommendation for daily dietary protein intake is 1.2 to 1.7 g/kg/day. The amount of protein depends not only on the level of physical activity, but also on the athlete's rates of growth or healing.

Avoiding saturated fats and even a lot of healthy protein — because these types of fuels digest slower in your stomach and take away oxygen and energy-delivering blood from your muscles.

Players should consume 400 mL to 600 mL of cold water 2

h to 3 h before their event.

2. During Match - The focus for eating during exercise is on carbohydrates, especially sources of glucose and electrolytes. If exercise lasts longer than an hour, it is necessary to consume an additional 30 to 60 grams of carbohydrates during the activity. During sporting activities, players should consume 150 mL to 300 mL of fluid every 15 min to 20 min

3. After Match - The focus during recovery is on carbohydrates, especially within 15 to 30 minutes after the activity, when cells are especially receptive to the uptake of glucose. During this time, athletes should consume 1.0 to 1.5 g/kg of a rapid-acting carbohydrate or a ratio of 4 grams of carbohydrates to 1 gram of protein (e.g., low fat chocolate milk). After 30 minutes, the focus should be on a mixed meal with adequate carbohydrates, protein, and fat.

Muscle protein is degraded during event, the addition of a relatively large amount of protein to post match meal is necessary to help rebuild the structural aspects of the muscle. After match, the body decreases its rate of protein synthesis and increases its rate of protein breakdown. However, the provision of protein and amino acid solutions has been shown to reverse this trend, increasing protein synthesis and decreasing protein breakdown.

From 0.2g - 0.4g of protein per 1 kilogram of body weight to demonstrate the effectiveness of adding protein to a post-match carbohydrate drink (van Loon et al 2000b, Roy et al 1998). As an increased consumption of the essential amino acids may lead to a more positive protein balance, 0.4g/kg may be better than 0.2g/kg.

While your post-match feeding should be rich protein and carbohydrate, this meal should be fat free. The consumption of essential fats is one of the most overlooked areas of daily nutritional intake but during the post match period, eating fat can actually decrease the effectiveness of your post-match beverage. Since fat slows down transit through the stomach, eating fat during the post workout period may slow the digestion and absorption of carbohydrates and proteins.

As post match feeding should be designed to promote the most rapid delivery of carbohydrates and protein to your depleted muscles, fats should be avoided during this time.

Fluids - For match lasting less than 1 hour, water is sufficient. For events lasting longer than 60 min, and/or taking place in hot, humid weather, sports drinks containing 6% carbohydrates and 20 mEq/L to 30 mEq/L of sodium chloride are recommended to replace energy stores and fluid/electrolyte losses. Following activity, players should drink enough fluid to replace sweat losses. This usually requires consuming approximately 1.5 L of fluid/kg of body weight lost. The consumption of sodium-containing fluids and snacks after exercise helps with rehydration by stimulating thirst and fluid retention.

Conclusion - In nutshell practice and proper techniques are not only the main tool for success, whereas proper diet is one of the major factor which can affect the performance.

All basic nutritional minimum requirements of body should be fulfilled as it works as fuel for muscle. All macronutrients, micronutrients as well as fluids should be in diet for regular basis as well as players should have knowledge of diet before match, during match and after match in recovery phase.

References :-

1. <http://www.sportsmed.org/aossmimis/stop/downloads/SportsNutrition.pdf>
2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21624882>
3. <http://www.cps.ca/documents/position/sport-nutrition-for-young-athletes>
4. <http://healthyeating.sfgate.com/importance-healthy-fats-athletes-1722.html>
5. <http://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/tc/vitamins-their-functions-and-sources-topic-overview#1>
6. <http://www.bodybuilding.com/fun/berardi4.htm>

Water-soluble vitamins

Nutrient	Function	Sources
Thiamine (vitamin B1)	Part of an enzyme needed for energymetabolism; important to nerve function	Found in all nutritious foods in moderate amounts: pork, whole-grain or enriched breads and cereals, legumes, nuts and seeds
Biotin	Part of an enzyme needed for energy metabolism	Widespread in foods; also produced in intestinal tract by bacteria
Folic acid	Part of an enzyme needed for makingDNA and new cells, especially redblood cells	Leafy green vegetables and legumes, seeds, orange juice, andliver; now added to most refined grains
Cobalamin (vitamin B12)	Part of an enzyme needed for making new cells; important to nerve function	Meat, poultry, fish, seafood, eggs, milk and milk products; not found in plant foods
Ascorbic acid (vitamin C)	Antioxidant; part of an enzyme needed for protein metabolism; important for immune system health; aids in iron absorption	Found only in fruits and vegetables, especially citrus fruits, vegetables in the cabbage family, cantaloupe, strawberries, peppers, tomatoes, potatoes, lettuce, papayas, mangoes, kiwifruit

Effect Of Sports Specific Endurance Circuit Training On Sprinting Performance And Leg Explosive Power Of Inter College Male Basketball Players During Competitive

Dr. Jogendra Singh * Manoj Kumar Singh **

Abstract - The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of a basketball specific endurance circuit training on sprinting performance and leg explosive power on inter college male basketball players during competitive season. A total of twenty four (24) male inter college basketball players were selected from B.B.S. Sports college Gorakhpur up. and B.B.P. inter college gangapur up. These subjects were randomly distributed into two groups namely sports specific endurance circuit training group (N=12) and control group (N=12). The sprinting performance and leg explosive power was selected as dependent variables. The sprinting performance was measured through 30 meters dash and leg explosive power was measured through vertical jump test. The result of the study showed that sprinting performance ($t=4.187$, $p=0.002$) and leg explosive power ($t=2.345$, $p=0.039$) improved significantly in sports specific endurance circuit training group. However, control group showed no changes in sprinting performance and leg explosive power. It is concluded that sports specific endurance circuit training group significantly improved sprinting performance and leg explosive power of adolescent male basketball players during competitive season.

Introduction - Just over a century ago in Springfield, Massachusetts, a physical education instructor named Dr. James Naismith was looking for a game that could be played in indoors during cold winter months. He fastened two peach baskets to the gymnasium balcony and instructed students to throw a soccer ball into the baskets. This is how the game basketball was born. Initially there were no backboards, dribbling and seven persons played on a team. During the game a person had to sit on a ladder to pull the ball out of the basket and toss it back down to the players. Gradually changes and refinements were made until the game evolved into the one which played today.

Basketball is an aerobic-based anaerobic sport (Delextrat and Cohen, 2009) which requires high intensity activities such as jumping (for rebounds, blocks and sports), turns, dribbles, sprints, screens and low intensity activities such as walking, stopping and jogging. Frequent stoppages in games allow players to recover between bouts of activity, thus allowing repeated high-intensity spells of play (Drinkwater, 2008). Explosive strength, take-off power, speed, and agility are abilities that make an important contribution to efficient movement with and without the ball, thus play an important role in basketball technique and tactics. The importance of developing good conditioning programs based on the specific physiological demands of each sport is considered a key factor to success (Gilliam, 1985; Taylor, 2003; 2004). Basketball requires tremendous endurance, speed, agility, and power (Siegler, et al., 2003). The focus of training for many years has been to enhance

performance and gain advantages over other competitors. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of a basketball specific endurance circuit training on sprinting performance and leg explosive power on inter college male basketball players during competitive season.

Methodology

Subjects - A total of twenty four (24) male inter college basketball players were selected from B.B.S. Sports College Gorakhpur up and B.B.P. inter college gangapur up. These subjects were randomly distributed into two groups namely sports specific endurance circuit training group (N=12) and control group (N=12). The mean age of the selected players was 16.84 ± 0.66 . The selected players had 3.8 ± 3.1 years of playing experience and regularly participate in training prior to the commencement of this study. All subjects were subjected to medical examination by a general medical practitioner before participation in the study to ensure that there was of sufficient standard to be able to take part in fitness testing and training.

Variables - The sprinting performance and leg explosive power was selected as dependent variables. The sprinting performance was measured through 30 meters dash and leg explosive power was measured through vertical jump test. The independent variable selected in the present study was sports specific endurance circuit training for 6 weeks. The sports specific endurance circuit training group underwent sports specific endurance circuit training and CG underwent regular basketball training.

Statistical technique - The collected data was evaluated

using paired t test. The proposed hypothesis was tested at 0.05 level of confidence. Beside this mean and standard deviation were also calculated. SPSS statistic software package (SPSS, version 17.0) was used. The value of 0.05 was set for statistical significance.

Results - The result of the study showed that sprinting performance ($t=4.186$, $p=0.002$) and leg explosive power ($t=2.344$, $p=0.038$) improved significantly in sports specific endurance circuit training group. However, control group showed no changes in sprinting performance ($t=0.634$, $p=0.652$) and leg explosive power ($t=0.556$, $p=0.588$).

Discussion - In the present study sprinting performance and leg explosive power of sports specific endurance circuit training group improved significantly. Previous research suggests that aerobic endurance training can interfere with the development of strength and this could potentially limit improvements in speed and explosive power (Bentley, Zhou and Davis, 1998; Dudley and Djamil, 1985; Glowacki et., 2004). In the present study sports specific endurance circuit training did not affect power related performance. This observation of no interference and improvement effects parallel the results of similar aerobic endurance training studies involving in soccer players (Helgerud, et al., 2001; McMillan, et al., 2005).

Conclusion - It is concluded that sports specific endurance circuit training group significantly improved sprinting performance and leg explosive power of adolescent male basketball players during competitive season.

References :-

1. Bentley, D.J., Zhou, S., Davie, A.J. (1998). The effect of endurance exercise on muscle force generating capacity of the lower limbs. J Sci Med sport, 1(3):179-88.
2. Helgerud, J., Engen, L.C., Wisloff, U., and Hoff. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(11):1925-31.
3. McMillan k., Helgerud, J., Macdonald, R., and Hoff,J.(2005). Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players. British Journal of sports Medicine, 39:273-77.
4. Glowacki, S.P., Martin, A., Maurer, W., Baek, J.S., Geen, S.F. (2004). Effect of resistance, endurance, and concurrent exercise on training outcomes in men. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36(12):2119-27.
5. Dudley, G.A., Djamil, R. (1985). Incompatibility of endurance and strength training mides of exercise, J Appl Physiol,59(5):1446-51
6. Taylor, J. (2003) Basketball: applying time motion data to conditioning. Strength and Conditioning Journal2, 57-64.
7. Taylor, J. (2004) A tactical metabolic training model for collegiate basketball. Strength and Conditioning Journal 5, 22-29.
8. Gillam, G.M. (1985).Identification of anthropometric and physiological characteristics relative to participation in college basketball. National Strength Conditioning Journal, 7(3), 34-36.
9. Drinkwater, E.J., pyne, D.B., McKenna, M.J. (2008). Design and interpretation of anthropometric and fitness testing of basketball players. Sports Med, 38(7):565-78.
10. Delextrat, A, Cohen, D. (2008). Physiological testing of basketball players: toward a standard evaluation of anaerobic fitness. J Strength Cond Res, 22(4): 1066-72.
11. Siegler, J., Gaskill, S. And Ruby, B.(2003) Changes evaluated in soccer-specific power endurance either with or without a 10-week, in-season, intermittent, high-intensity training protocol. Journal of strength and Conditioning Research 2,379-87.
12. Thomas, J.R., Nelson, J.K., and Silverman S.J. (2005).Research Methods in Physical Activity. USA.

आजादी के बाद भारत के महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का विकास

डॉ. कौशल कुमार मिश्रा *

शोध सारांश - शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन क्रियाओं को कहते हैं, जिनका चुनाव तथा प्रयोग उनके प्रभावों के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है।¹ आजादी के बाद शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा काफी व्यापक प्रयास किया गया है, शारीरिक शिक्षा के महत्व के देखते हुए शासन स्तर पर इस बात में भी विचार चल रहा है की शारीरिक शिक्षा को शिक्षा में एक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए जिससे इसका और ज्यादा विकास हो सके।

प्रस्तावना - सन् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तथा नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों द्वारा नवयुवकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक एवं नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है। स्वतंत्रता के पूर्व स्कूल तथा कॉलेजों में बौद्धिक विकास तथा परीक्षाओं पर अधिक बल दिया जाता था। बालिकाओं एवं महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाओं से अलग रखा जाता था। स्वतंत्रता के बाद इसमें जागरूकता आई, फलस्वरूप शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कई शासकीय एवं निजी संस्थाएँ स्थापित हुई। 1948 ई. में शारीरिक शिक्षा को खेलकूद शिक्षा में उचित स्थान देने के लिए केन्द्र सरकार ने शारीरिक एवं मनोरंजन की केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित की। सन् 1950 ई. के पश्चात् विभिन्न एसोसिएशन अस्तित्व में आए, तभी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने लगा और विभिन्न राज्यों में खेलकूद संस्थाएँ स्थापित हुई, पाश्चात् देश के नागरिकों के लिए वहाँ अनेक प्रतियोगिताएँ होती रही, किन्तु एशियाई नागरिकों के लिए खेलकूद अस्तित्व में लाने के लिए भारत में भारत का सफल प्रयास 1951 ई. में एशियाई खेल प्रतियोगिता 4 से 11 मार्च तक नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित की जाकर हुई। चार वर्षों के अन्तराल पर यह प्रतियोगिता एशिया के विभिन्न देशों में आयोजित होती है। सन् 1954 ई. में स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया और इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में खेल संघों के अध्यक्ष उपस्थित हुए एवं इसमें एक प्रस्ताव पारित करके खेल परामर्श समिति बनाने का आग्रह किया गया।² नवम्बर 1954 ई. में अखिल भारतीय खेल समिति की स्थापना हुई। सन् 1956 ई. में केन्द्रीय सलाहकार समिति ने शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रकाशित किया। सन् 1961 ई. में श्री के.एल. माली द्वारा पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था की स्थापना की गई, इसका कार्य कुशल प्रशिक्षक तैयार करना खेल प्रतिभा की वृद्धि तथा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। सन् 1974 ई. में इसकी शाखा बेंगलूर में खोली गई। अब तक गाँधी नगर औरंगाबाद एवं कलकत्ता में इसकी शाखाएँ खोली जा चुकी है। सन् 1961 में विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए अब्दुल कलाम ट्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। गुरुनानक देव विश्वविद्यालय ने 14वीं बार इस ट्राफी को जीत कर रिकार्ड कायम किया है। डॉ. हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में 1959 ई. में विभिन्न शिक्षा योजनाओं का मूल्यांकन करने के

लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति ने 1963 ई. में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा को अति आवश्यक बताया गया। भारतीय खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा को सही दिशा देने के लिए श्री एम.के. कौर तथा एम.एन. कपूर को भारत सरकार ने 1960 ई. में रोम ओलम्पिक खेलों में प्रेक्षक बनाकर भेजा। इन दोनों लोगों ने अनेक देशों की खेल प्रणाली तथा खेल संगठनों का अध्ययन कर 1961 ई. में भारत सरकार को रिपोर्ट पेश किया। इनका विशेष सुझाव सभी स्तरों की शैक्षणिक संस्थाओं में खेलकूद एवं व्यायाम को संगठित करने के साथ ही शारीरिक शिक्षा को अन्य विषयों की भांति एक विषय माना गया था। इसी वर्ष से खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रारम्भ हुआ। इस पुरस्कार के अन्तर्गत 1 लाख 50 हजार की नगद धन राशि एक प्रशस्ति पत्र और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 14 जुलाई 1964 ई. में डॉ. एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक शैक्षणिक कमेटी गठित की गई। सन् 1966 ई. में कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दिया, जिसमें शारीरिक शिक्षा, क्षमता, निपूर्णता, मानसिक सतर्कता तथा चरित्र के विभिन्न गुणों को विकसित करने के लिए बल दिया गया। 2 अक्टूबर 1969 ई. में गाँधी जी का जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय विश्वविद्यालय में एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) को लागू किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना में नियमित क्रियाएँ तथा विशेष शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता के उपरांत सन् 1982 ई. में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेल के पश्चात् खेलों के महत्व को समझाया गया। फलस्वरूप 1982 ई. में एक स्वतंत्र खेल विभाग का गठन हुआ। खिलाड़ियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था की गई। सन् 1984 ई. में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न खेलकूद प्रतिष्ठानों का रख-रखाव करना था। यह खेलों की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। 1 मई 1987 ई. में 'सोसायटी फार नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट' को इस संस्था में विलय कर दिया गया। सन् 1985 ई. में गुरु के सम्मान को स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार देना आरम्भ किया, यह पुरस्कार उच्च कोटि का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जिन्होंने 3 वर्ष में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया हो। इस पुरस्कार में 2 लाख 25 हजार की नकद राशि एक प्रशस्ति पत्र एवं द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। भारतके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गाँधी की स्मृति में 1991-1992 ई. से राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार देना प्रारम्भ किया गया। यह खेलों का

* अतिथि विद्वान् (क्रीड़ा) शासकीय महाविद्यालय, त्योथर, जिला - रीवा (म.प्र.) भारत

सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक फलक दिया जाता है। 20वीं सदी के अन्त में सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में लागू किया। कई राज्यों में प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को 21वीं शताब्दी के खेलों में देश की हालत को गम्भीरता से लेते हुए सरकार खेलों को संविधान की सम्मूर्ति सूची में शामिल करने तथा खेल तथा शारीरिक शिक्षा को स्कूली स्तर तक अनिवार्य बनाने का विचार कर रही है। खेल नीति के मुताबिक खेल को अन्य विषयों की तरह अनिवार्य करने का निश्चय किया गया है।

सामान्य शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा में समाहित है। भारत की शारीरिक शिक्षा के पितामह श्री हैरी बक के अनुसार 'शारीरिक शिक्षा शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है, जिसमें शारीरिक शारीरिक शिक्षा द्वारा सम्पूर्ण बच्चों को विकसित तथा सुरक्षित किया जाता है।' यह शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा सम्पूर्ण बच्चों की शिक्षा है। शारीरिक कार्यक्रम साधन हैं, उन्हें इस प्रकार चुनकर कराया जाता है कि इनका प्रभाव बच्चे के सम्पूर्ण जीवन पर पड़े जिनमें शारीरिक, मानसिक, सम्बेदनात्मक तथा नैतिक सभी अंग सम्मिलित हैं।

ए.आर. वेमैल के अनुसार 'शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह अवस्था है, जिससे शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास किया जाता है।'³

जे.एस. विलियम के अनुसार 'शारीरिक शिक्षा उन क्रियाकलापों को कहते हैं, जिनका चुनाव उनके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है।'⁴

जे.पी. थामस के अनुसार 'शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है, जो कि शरीर द्वारा शरीर के लिए होती है।'⁵

जे.आर. सरमन के अनुसार 'शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का वह अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य के चरित्र व चाल-चलन को सही कर देता है।'⁶

निकसन एवं कजम्स के मतानुसार 'शारीरिक शिक्षा शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया का वह पहलू है, जिसका सम्बन्ध पेशीय क्रियाओं एवं उससे सम्बन्धित प्रतिक्रियाओं तथा व्यक्ति में इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन से है।'

खेलकूद का महत्व प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। छात्र जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। खेलकूद के अभाव में शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, फलतः उनमें आत्मविश्वास की कमी तथा अनुशासन हीनता आ जाती है।

किशोरावस्था में बालक तथा बालिका में आंतरिक शक्ति होती है। खेलकूद द्वारा उनकी आंतरिक शक्ति को सरलता से रचनात्मक मार्ग में परिचालित किया जा सकता है। इस प्रकार उनकी आंतरिक शक्ति का सदुपयोग हो जाता है। यदि इनकी आंतरिक शक्ति को खेलकूद में न लगाया गया तो वह शक्ति बुरे कार्यों में लग सकती है। खेल में बच्चे अनुपयोगी और आवंक्षित ऊर्जा को जो उसके मानसिक विकारों का जड़ मूल है, मोचन करता है। खेल केवल अनुभव द्वारा प्रशिक्षण भर नहीं है, बल्कि यह हमारी बुद्धि तथा रुचि को तीव्र रखता है। यही कारण है कि शिक्षा में क्रीड़ा पद्धति को एक मूल स्थान दिया गया है। प्रस्तुत शोध प्रयास महाविद्यालय की शारीरिक शिक्षा व क्रीड़ा विषयक गतिविधियों के आंकलन के लिए किया गया है। यह आशा की जाती है कि शोध के माध्यम से ऐसी प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जिससे महाविद्यालयीन क्रीड़ा गतिविधियों की वर्तमान कमियाँ उभर कर बाहर आयेंगी, जिससे उनका भविष्य में सुधार किया जा सकेगा।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन कर्ता द्वारा निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त

किया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का विषय आजादी के बाद भारत महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के विकास का अध्ययन करने का है। भारत सरकार द्वारा 1956 में प्रकाशित 'National Plan of Physical Education' के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय के पास खेल का स्तरीय मैदान सभी खेलों के उपकरण एक जिम्नेजियम स्वीमिंग पुल का होना आवश्यक है। क्रीड़ा विभाग में 500 छात्रों के बीच एक क्रीड़ा अध्यापक की नियुक्ति आवश्यक है। इस राष्ट्रीय प्लान के अनुसार शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का आधार इस प्रकार होना चाहिए-

1. शारीरिक शिक्षा का पीरियड निर्धारित करना चाहिए।
2. शारीरिक क्रीड़ा निर्देशन का पीरियड अलग से लगाया जाना चाहिए।
3. खेलकूद का कार्यक्रम जिसमें क्रीड़ा गतिविधियाँ शामिल होती है, अलग से तैयार करना चाहिए।
4. शारीरिक शिक्षा विषय में परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए।

पढ़ाई लिखाई के अलावा सरकार उनके खेलकूद और शारीरिक विकास को लेकर भी बड़ी पहल कर सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में जुटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने के संबंध में ढेरों सलाह मिल रही हैं। मंत्रालय ने इस बारे में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है।

अभी शारीरिक शिक्षा का विषय पाठ्यक्रम में स्वेच्छिक रूप में शामिल हैं लेकिन प्रमुख विषयों का बोझ ज्यादा होने के चलते छात्र इसे गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने पर विचार चल रहा है। आंतरिक तौर पर विचार करने के बाद मंत्रालय इस बारे में राज्यों से भी सलाह करेगा। इसके अलावा मंत्रालय एनसीसी को भी प्रमुख विषय के तौर पर शामिल करने को लेकर पहल कर चुका है।

मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एनसीसी और फिजिकल एजुकेशन स्कूल में महत्वहीन विषय बन रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों पर विज्ञान और कॉमर्स जैसे विषय पढ़ने का दबाव डालते हैं लेकिन एनसीसी तथा शारीरिक शिक्षा को लेकर उनमें कम आकर्षण देखने को मिल रहा है। इन विषयों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। महाविद्यालयों में अलग से क्रीड़ा विभाग की स्थापना होना चाहिए, जिसमें क्रीड़ा निर्देशक एवं अन्य विभाग जैसे सहायक क्रीड़ा निर्देशक ग्राउण्ड मैन, क्लर्क, भृत्य आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।⁷ महाविद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए।

यू.जी.सी. हैण्ड बुक के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय में कम से कम एक ट्रैक, एक फुटबाल मैदान, एक बास्केट बाल कोर्ट, एक वालीबाल कोर्ट, एक कबड्डी का मैदान, एक खो-खो का मैदान, एक हैण्डबाल का मैदान का होना आवश्यक किया गया है। साथ ही खेल एवं कौशल में मदद के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति एवं क्रीड़ा संचालन हेतु क्रीड़ा सहायकों की नियुक्ति आवश्यक की गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं इतिहास - डॉ. आर.सी. कंवर, पेज 13
2. शारीरिक शिक्षा का इतिहास - डॉ. मोहम्मद वाहिद, पेज 184
3. शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं इतिहास - डॉ. आर.सी. कंवर, पेज 12
4. शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं इतिहास - डॉ. आर.सी. कंवर, पेज 13
5. शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं इतिहास - डॉ. आर.सी. कंवर, पेज 14
6. शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एवं इतिहास - डॉ. आर.सी. कंवर, पेज 14
7. नेशनल प्लान आफ फिजिकल एजुकेशन - भारत सरकार।

A Critical Study On Patent Rights In India

Loknarayan Mishra *

Abstract - TRIPS (Agreement or Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) is enacted in 1995 by agreement of WTO member states. It is a multi lateral treaty. 2005 is the final deadline for compliance of Indian Patent law with TRIPS. The amendments made in 2005 of patent law in India especially in section 3 (d) is a measure step. The scope of this amendment and its effect are the point of discussion here with special reference to Novartis AG Vs. Union of India of 2013.

Introduction - The Indian Patents and Designs Act was enacted in 1911. In 1972 The Patent Act, 1970 is enforced in India. Till now this legislation governs the patent right in India. It is also amended in the year 1999, 2002, 2005, 2006 to comply TRIPS. The rules of the Act is also amended in 2012, 2013, 2014.

TRIPS came into force on January 1, 1995 by agreement of world Trade Organisation member States. In compliance of TRIPS provisions, the amendment of Patent law in 2005 has brought a measure changes in the related field of Indian scenario. The scope of this amendment and its effect are the points of discussion in this paper.

Amendment of 2005 of Patent law in India - The salient features relating to product Patent-

1. Regarding extension of product patent protection to products like drugs, foods and chemicals.
2. Regarding term for protection of product patent.
3. Regarding introduction of a provision for enabling grant of compulsory license for export of medicines to countries which have insufficient or no manufacturing capacity.
4. Regarding patentability under section 3 (d)

Section 3 (d) reads as under - Section -3 – The followings are not inventions within the meaning of this Act, (d) the mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or that the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant. It stipulates that in the following conditions the product will not be patentable:-

1. if the alleged new product is a discovery of new form only of a existing substance and it does not enhance the efficacy of the older form of the existing substance.
2. Only discovery of a new use of a old known substance.

3. Discovery of new property.
4. Mere use of a known process etc. unless result in to a new product or employs at least a new reactant.

This section was passed to prevent evergreening Patents. There was no much clarity over the provision of this Section at the initial stage. Under this section many litigations came to surface. Patent office has rejected many applications under Section 3 (d) to various Pharmaceutical Companies. There is a landmark judgment of Supreme Court like Novartis AG Vs. union of India in the year 2013*1.

Usual practice of evergreening of Patents - As per law, in India Patent is granted for 20 year to a company who invented the product. After the lapse of the period the patent right goes away. So other producers can step in to produce the same product and in much lower price in competition and also as they do not invest in research and development of the product. Some times with some modifications in the original products companies can extend the patent period to maintain monopoly in the market and to earn high profit. This can be done many times. So to prevent this the Section 3 (d) is enacted. The Producers without enhancing the efficacy of the product cannot get patent right under the law.

In 2013 Novartis case is decided. In this case the applicability of Section 3 (d) of the Patent Act is mentioned. Novartis is a Swiss Pharmaceuticals giant. Its application for patent right for its drug, Glivec, which is used to treat cancer is rejected by Supreme Court of India saying that it is not a new product. The alleged new drug Glivec is only a "beta-crystalline" form of the existing cancer drug called Imatinib. Glivec is a new form of a known substance. So the patent for it is rejected under the Section 3 (d).

Advantage of this decision -

1. The ever-greening of patents stopped which usually pharmaceutical companies were enjoying.
2. This rejection of patent enabled the generic companies

to produce cheaper products which will be beneficial to public.

3. Now the pharmaceutical companies will concentrate more in research and development of new products as they have no options to get monopoly status in the market.
4. This judgment is praised by WHO and other organization so the confidence on Indian law and judiciary is increased.

Disadvantages -

1. The pharmaceutical companies will make less profit. So they cannot invest more in research and development of new medicines.
2. This may discourage the multinational companies to enter the Indian market to do business.

Criticism on the patent law - there is a mechanism in Indian patent law that is called pre-grant opposition. That means a third party has to oppose the patent application before the patent is granted. By such mechanism many U.S.A. companies application are rejected. So U.S.A. has disapproved this mechanism, which mechanism is not found in many countries in the world.

The compulsory license provision has reduced the price of many drugs. Such provision is allowed by TRIPS also. India has evoked this mechanism once in all the years in a case of Bayes's patented drug Nexavar*2. other companies are expecting that their term many come any time.

A common criticism is that India is not able to protect its Intellectual Property Right. But this allegation is baseless as India is in full compliance with TRIPS. What ever judgments given in different cases are in accordance with law of the land and by its independent judiciary.

Conclusion - Patent means an enforceable exclusive right granted to the inventor in exchange for making his/her invention public. Any invention relating to a new product or process which involve an inventive step and which is capable of industrial application can be patented. This object in Indian law also is in compliance of provisions of TRIPS, so no one should point fingers to it in anyway.

References :-

1. Novartis Vs. Union of India civil appeal No. 2706-2716 of 2013
2. Bayer case – writ petition no. 1323 of 2013.

रैगिंग की ऐतिहासिक अवधारणा एवं वर्तमान स्वरूप

पूजा नागर *

प्रस्तावना – रैगिंग का स्वरूप वर्तमान परिदृश्य में निर्मित नहीं हुआ है। यह प्राचीन समय से ही सभ्य समाज का हिस्सा रही है। समय के साथ इस प्रक्रिया ने अनगिनत परिवर्तनों को अपनाया। सैनिक केम्पस से निकलकर यह शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश हुई।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् रैगिंग ने अपना भयानक रूप धारण किया। यह वह समय था जब इसने अपने निर्दय स्वरूप को अपनाना शुरू किया। सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध से लौटने के पश्चात् महाविद्यालय में दाखिला लिया तथा सैनिक केम्पों में की जाने वाली ऐसी शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना जो की सैनिकों को शारीरिक व मानसिक तौर पर तैयार करती थी और सैनिक इसके लिए अभ्यस्त थे। वह उनके लिए एक सामान्य बात थी जब वह महाविद्यालय में आये तब यही व्यवहार उन्होंने अन्य विद्यार्थियों के साथ किया। यह उनकी सोच व सहनशीलता के परे थी जिसने शारीरिक व मानसिक रूप से विद्यार्थी जीवन को क्षति पहुँचायी।

अंततः जब कुछ सैनिकों के द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लिया तब उन्होंने यह अन्य विद्यार्थियों के साथ किया जो इस क्रिया के पीछे छुपे उद्देश्य से अपरिचित थे। आगे जाकर यह क्रूर व खतरनाक क्रिया बन गयी। यह एक ऐसी क्रिया है, जो एक प्रकार के वातावरण में उत्पन्न हुई तथा भिन्न प्रकार के वातावरण में पोषण मिला। 20 वीं शताब्दी में इसने हिंसात्मक स्वरूप धारण किया। पश्चिमी देशों में इसका चलन तेजी से बढ़ा। रैगिंग केम्पस में हिंसा का पर्याय बनने से पहले कई परिवर्तनों से गुजरी है। 18 वीं शताब्दी के दौरान छात्र संगठन की परम्परा अत्यंत प्रचलित थी। विशेषकर युरोपियन देशों में, इसी परम्परा को बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया। 1828 व 1845 के दौरान छात्र संगठन का उदय बड़ी संख्या में अमेरिका में हुआ।

रैगिंग से सम्बन्धित प्रथम घटना जिसकी परिणति मृत्यु पर हुई 1875 में सामने आई। जब कोरनेला विश्वविद्यालय के कनिष्ठ छात्र ने रैगिंग के परिणामस्वरूप तंग घाटी में कूदकर अपना जीवन समाप्त किया। यह वह पहली घटना है, जिसे सरकारी रूप में पेपर पर दर्ज किया गया। इससे पहले भी रैगिंग से सम्बन्धित अनगिनत घटनाएँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कई वर्षों पहले घटित होती आ रही हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के द्वारा प्रोत्साहित भी की गयी है जो कि इसे व्यक्तित्व निर्माण का एक अच्छा साधन मानते थे। यहां विद्यालय एक ऐसा माध्यम बना जहाँ सभी वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। भारत में रैगिंग की शुरुआत 60 व 70 के दशक से मानी जाती है। इससे पूर्व सरकारी तौर पर रैगिंग का अस्तित्व भारत नहीं पाया जाता।

प्राचीन भारत में रैगिंग – प्राचीन भारत में विद्यार्थी अध्यापक के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के साथ निवास

करते थे उस स्थान को गुरुकुल कहा जाता था। जहाँ सभी आवश्यक विषयों की शिक्षा दी जाती थी न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता था अपितु शारीरिक तौर पर भी उन्हें बलशाली बनाया जाता था। नालंदा, तक्षशिला, अवंतिका प्राचीन गुरुकुल के ऐसे उदाहरण थे जो शिक्षा के लिए विख्यात रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी दूरस्थ स्थानों से शिक्षा प्राप्त करने आते थे जब अध्यापक को यह प्रतीत होता की विद्यार्थी शिक्षा में पारंगत हो गया हैं तब वे उसे उत्तीर्ण मानते। सम्पूर्ण शिक्षा का प्रयोग विद्यार्थी अपने जीवन में करता था। जहाँ तक की रैगिंग का प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोत में इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पर वर्तमान परिस्थितियों को देखकर एक विद्यार्थी की मानसिक मनोदशा से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि वरिष्ठ को अपने कनिष्ठ से श्रेष्ठ होने का गर्व अवश्य रहा होगा एवं यही मानसिक तथ्य कनिष्ठ विद्यार्थी के साथ किये जाने वाले शारीरिक व मानसिक शोषण को जन्म देता है। वही प्राचीन गुरुकुल में इस तरह की क्रियाएँ यदि पायी जाती थी तो वह गुरु के नियंत्रण में थी एवं गुरु अपने विद्यार्थी के सम्पूर्ण विकास के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व होता था। इसकी झलक हमें महाभारत एवं रामायण जैसे ग्रंथों में देखने को मिलती है। इन ग्रंथों के पात्रों को देखकर इस तथ्य का सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी विद्यार्थी के मन में रैगिंग की भावना को पूर्ण रूप से नष्ट तो नहीं किया जा सकता है। किंतु इस प्रकार नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है की वह अपने कनिष्ठ विद्यार्थी के जीवन को प्रभावित न करें। इसलिए प्राचीन भारत में रैगिंग के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं।

मध्ययुग में रैगिंग – मध्य युग में विद्यार्थी विदेशों से शिक्षा ग्रहण करते आते थे। उस समय भारत के विभिन्न स्थानों में प्राचीन शिक्षण संस्थान थे जैसे तक्षशिला नालंदा, उज्जैन इत्यादि जिनकी प्रसिद्धि भारतवर्ष के बाहर भी थी। दूरस्थ राष्ट्रों से समय समय पर अनेक विद्यार्थी भारत आए हैं। अशोक के काल में फाहयान, हर्षवर्धन के काल में हेनसांग ने भारत भ्रमण किया। इनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध मठों का भ्रमण कर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना था। फाहयान व हेनसांग ने अपने ग्रंथों में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। इसी प्रकार मेगस्थनीज मध्ययुग में भारत आया। उसके द्वारा रचित पुस्तिका इंडिका, इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, पर रैगिंग का उल्लेख इस पुस्तक में भी नहीं है अतः मध्य युग में रैगिंग नहीं पायी जाती थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् रैगिंग – भारत में रैगिंग का पदार्पण आधुनिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी शासन के समय हुआ। रैगिंग की शुरुआत हास्य के साथ हुई विद्यार्थी रैगिंग के माध्यम से अपना समय व्यतीत करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया यह अपने मूल स्वरूप से विकृत होती गयी। कुछ

शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अन्तर्गत की जाने वाली क्रियाएँ अश्लील तथा अमानवीय हैं। जो किसी समय विदेशी शिक्षण संस्थानों में की जाती थी। नये विद्यार्थी का स्वागत समय के साथ-साथ रैगिंग में परिवर्तित हुआ। रैगिंग न सिर्फ विद्यार्थी के लिए बल्कि उसके माता-पिता, संरक्षक विद्यालय, प्रशासन एवं समाज के लिए भयावह स्वप्न बन गई। कई शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को अनुमति दी जाती है किंतु सीमित रूप में, एवं यह शर्त अधिरोपित की जाती है की वह एक स्वस्थ परम्परा का पालन करेंगे। जिसका स्वागत वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी करते हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया महाविद्यालय प्रशासन के पर्यवेक्षण में होती है। वही कुछ केम्पस में रैगिंग के अन्तर्गत क्रूर, अश्लील पीड़ादायक और शारीरिक शोषण करने वाली प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान स्वरूप – वरिष्ठ विद्यार्थियों की कनिष्ठ विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित रूप से की जाने वाली परिचय की सामान्य प्रक्रिया वर्तमान समय में अमानवीय रूप से व्यवहार किए जाने का सशक्त माध्यम बन गई है। विद्यार्थी जो की अपने वरिष्ठ विद्यार्थी की आज्ञा का पालन करने में असफल हो जाते हैं, वे इस व्यवहार का शिकार होते हैं। अतः इस गैर मानवीय हास्यास्पद क्रिया के माध्यम से कमजोर विद्यार्थी सामान्यतः अपमानित होता है। वह वरिष्ठ के द्वारा निर्वस्त्र कर धमकाया जाता है। यह अमानवीय परम्परा पीड़ित को इस सीमा तक प्रभावित करती है कि वह इसे आजीवन भूल नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ विद्यार्थी अपने कनिष्ठ विद्यार्थी की सत्र में एक या दो बार ही रैगिंग करता है। यह प्रक्रिया अनवरत चालू रहती है एवं वह एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह इस प्रक्रिया से मुक्त भी हो जाता है किंतु मानसिक रूप से यह उसे आजीवन परेशान करती है, जो मानसिक रूग्णता को जन्म देती है।

रैगिंग सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से प्रभावित नहीं करती है। एक वर्ग पर की जाने वाली क्रिया का प्रभाव प्रत्येक विद्यार्थी पर भिन्न-भिन्न होता है। कुछ विद्यार्थियों को यह मानसिक व शारीरिक तौर पर कमजोर बनाती है तो कुछ इसे हास्यास्पद क्रिया के तौर पर स्वीकार करते हैं एवं कुछ बदले की भावना से ग्रसित रहते हैं। वे न्याय प्राप्त करने हेतु अपने कनिष्ठ विद्यार्थी की रैगिंग प्रारम्भ करते हैं। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। स्थिति तब भयावह होती है, जब यह आत्महत्या में परिणीत होती है।

2009 तक अमन काचरू से सम्बन्धित मामले में एक कमेटी घटित की गई। जिसने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया की नशीले पदार्थ रैगिंग जैसी क्रिया में उपयोग किए जाते हैं। जो केम्पस में हिंसा का मुख्य कारण होता है। कई तकनीकी महाविद्यालयों में जिनमें बंगाल इंजीनियरिंग (BESU) दुर्गापुर, जलपाईगुड़ी, इंजीनियरिंग महाविद्यालय जहां की रैगिंग से सम्बन्धित घटनाएँ बड़े पैमाने पर पायी गयी है। कई इंजीनियरिंग, मेडीकल व डिप्लोमा महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना का अभाव तथा प्रशासन का समस्त विद्यार्थी वर्ग पर उचित नियंत्रण का अभाव रैगिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। जिसने की कई युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है एवं विद्यार्थी को वरन उनके माता-पिता व संरक्षक को पीड़ा एवं भविष्य के प्रति चिंता से भर दिया है। उन्हें एक असहाय स्थिति में लाकर खड़ा किया है।

मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से रैगिंग से सम्बन्धित कुछ घटनाएँ समाज के सामने प्रस्तुत भी की गयी। समाचार पत्रिका में भी केम्पस में होने वाली घटनाओं को बतलाया है। यह घटनाएँ न सिर्फ स्तब्ध कर देती हैं, वरन्

रैगिंग का एक भयावह स्वरूप चित्रित करती है। रैगिंग जैसी घटनाओं के लिए न सिर्फ विद्यार्थी वर्ग उत्तरदायी है, वरन् शिक्षक वर्ग पर भी उतना ही उत्तरदायित्व है। रैगिंग की कई घटनाओं को शिक्षकों के द्वारा समर्थन करते हुये पाया गया है।

रैगिंग न सिर्फ महाविद्यालय के परिसर में की जाने वाली घटना है वरन् इसका क्षेत्र विद्यालय तक भी विस्तृत हुआ है। किंतु इसका स्तर सीमित है। जिन विद्यालयों में रैगिंग जैसी घटनाएँ सामने आयी हैं। वहां यह स्तब्ध कर देने वाली है। बाल विद्यार्थी का मस्तिष्क किसी भी घटनाचक्र को समझने में असमर्थ होता है। अच्छाई से वह अपरिचित होता है। आस-पास का वातावरण उसके मस्तिष्क का निर्माण करता है। नकारात्मक अमानवीय घटना विचारों का निर्माण करती है, जो आगे जाकर रैगिंग जैसी क्रियाओं को पोषण देती है। वे विद्यार्थी जिनकी सहनशक्ति नगण्य है, उनके जीवन का अंत मृत्यु है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रैगिंग रोकथाम हेतु एंटी रैगिंग कमेटी व अनुशासन समिति का निर्माण किया जा रहा है। विधिक सहायता कैम्प के माध्यम से विद्यार्थी को जागरूक बनाना, एडमिशन के समय, विद्यार्थियों से रैगिंग न करने के लिए और रैगिंग में संलग्न पाया जाने पर पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होने हेतु वचनपत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाना, पर्याप्त दण्ड की व्यवस्था एवं निवारण विधि इत्यादि होने के पश्चात भी रैगिंग जैसी घटनाओं में अभिवृद्धि व्यवस्था में कमी को दर्शा रहा है। कॉलेज प्रशासन अपने यहां होने वाले घटनाक्रम से अनभिज्ञता दर्शाता है। जिन कॉलेजों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को अपनाया वे उन निर्देशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं एवं कुछ कॉलेजों में इसकी पूर्ण रूप से अवहेलना हो रही है, जो की प्रशासन की असफलता को दर्शाता है।

निष्कर्ष – समाचार पत्र पत्रिका में रैगिंग के बारे में जो कुछ बताया जाता है, वह सिर्फ रेखाचित्र है, न की पूरा चित्र। रैगिंग के कुछ मामले हमारे सामने आते हैं, कुछ नहीं एवं वे जो की प्रकाश में आते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। शिक्षा जगत के लिए वाकई में यह एक चिंता का विषय है। समय बीतने के साथ-साथ केम्पस में रैगिंग की अधिक से अधिक घटनाएँ सामने आ रही हैं। वरिष्ठ विद्यार्थी के द्वारा की जाने वाली रैगिंग की प्रकृति भी परिवर्तित हुई है। रैगिंग हेतु नई तकनीक को अपनाया जा रहा है। जो की अपने स्वरूप में अत्यधिक भयावह एवं विकृत है। रैगिंग की ऐसी घटनाएँ जो की अब तक सुनने में नहीं आई हैं, जो की पूर्व में की जाने वाली रैगिंग क्रियाओं से अत्यधिक क्रूर है। रैगिंग की घटनाओं में वृद्धि इस बात की परिचायक है। वर्तमान में रैगिंग परिचय की सामान्य अवधारणा न होकर गंभीर अपराधों को जन्म देने वाली अवधारणा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. RRagging in India - Wikipedia, the free encyclopedia https://en.wikipedia.org/.../Ragging_in
2. What is Ragging? History, Evolution & Trends of Ragging in ... www.contentwriter.in/.../evolution-of-r
3. RRagging : A brief history – compunet's blog blogs.rediff.com/.../ragging-a-brief-hist..
4. Law relating to ragging, it is a crimeDon't risk it,naman mohnot,
5. Universal Law Publication co.pvt.Ltd.new delhi india 2014 edition

शैक्षिक विकास के परिपेक्ष्य में जन शिक्षा केंद्रों में जन शिक्षकों की समस्याओं की भूमिका का अध्ययन (मन्दसौर जिले के संदर्भ)

डॉ. जयदीप महार * मनीष राठौर **

प्रस्तावना - मध्य प्रदेश में विगत एक दशक की अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बदलाव आए हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम) तथा सर्वशिक्षा अभियान जैसे परियोजनाओं के संचालन के तहत अनेक महत्वपूर्ण नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं तथा इन नवाचारों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। जिसमें शिक्षा में पालकों की भागीदारी शिक्षण संस्थाओं की भूमिका तथा समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम वर्ष 2002 में पारित होने के उपरान्त वर्ष 2003 अधिनियम के नियम बने जो म.प्र. जन शिक्षा नियम, 2003 के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था इस नियम के तहत नियंत्रित होती है।

औचित्य - स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 10-10 वर्षों के अन्तराल से शैक्षणिक सर्वेक्षण के कार्य हुए और केन्द्र शासन के नीति निर्माताओं ने अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुये प्रारंभिक कदम उठाए तथा देश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की। उक्त परिपेक्ष्य में राज्य द्वारा काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई अन्य मौलिक योजनाओं पर कार्य नहीं किए गए और न ही केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को निरंतरता प्रदान की गई। जबकि शोधकर्ताओं जैसे पक्कियाम (1990), गुप्ता, आर.के. (1992), बाथरी, जे.के. (1995) ने ओ.बी.बी. योजनान्तर्गत प्राप्त शैक्षणिक सामग्री की उपयोगिता पर अन्वेषण किया तथा पाया कि उक्त सामग्री शाला में बच्चों को सतत् बनाए रखने व उनका शैक्षणिक स्तर सुधारने हेतु सहायक है।

उद्देश्य -

- शिक्षकों में पारस्परिक शैक्षिक समर्थन प्रणाली स्थापित करना।
- अध्यापन तथा सीखने की गुणात्मक कार्यपद्धति के आदान - प्रदान के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
- शैक्षणिक प्रक्रियाओं में आने वाली समस्याओं का समाधान करना।
- शिक्षकों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- स्कूलों को शैक्षणिक रूप से सहयोग देना।
- समुदाय तथा अभिभावक शिक्षक संघ के साथ समन्वय करना।
- क्षेत्र की साक्षरता संबंधी गतिविधियों और शिक्षा की निरन्तरता में समन्वय स्थापित करना।

- प्रारंभिक स्तर पर सभी बच्चों को जीवनोपयोगी और समाजोपयोगी समुचित गुणस्तर की शिक्षा व्यवस्था किया जाना।
- जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी को जनशिक्षा प्रभारी के रूप में अभिहित किया गया।

अध्ययन की सीमाएँ - प्रस्तुत अध्ययन की निम्नलिखित सीमाएँ हैं।

1. शोध में मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले को ही लिया गया है।
2. शोध को मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले के 02 विकासखंडों में 20 जन शिक्षा केंद्र तक सीमित रखा गया है।
3. न्यादर्श में मन्दसौर जिले की शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं को ही सम्मिलित किया गया है।
4. प्रदत्तों के संकलन हेतु शोधकर्ता द्वारा विकसित अकारणों को प्रयुक्त किया गया है।
5. प्रदत्तों का विश्लेषण प्रतिशत के द्वारा किया गया है।

शोध का प्रकार - प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत मन्दसौर जिले के पांच विकासखंडों का सर्वेक्षण किया गया।

क्रं.	विकास खण्ड के नाम	जन शिक्षा केंद्र की संख्या
1	मन्दसौर	10
2	सीतामऊ	10

शोध न्यादर्श -

न्यादर्श का प्रकार	न्यादर्श की संख्या	रिमार्क
जन शिक्षक	02×20=40	प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र से 02 जन शिक्षक

शोध विधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया जिसके अंतर्गत मन्दसौर जिले के 02 विकासखंडों में 20 जन शिक्षा केंद्र सम्मिलित किया गया है।

उपकरण - प्रस्तुत शोध अध्ययन में जन शिक्षकों की समस्या से संबंधित तथ्यों व सूचनाओं को एकत्रित करने हेतु प्रश्नावली का निर्माण शोधार्थी द्वारा किया गया है,

प्रदत्तों का संकलन - शोध कार्य को सफल बनाने हेतु आँकड़ों व जानकारी का संकलन आवश्यक है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रदत्तों के संकलन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ता ने शोध उपकरणों का निर्माण कर प्रदत्तों का संकलन किया है, प्रदत्तों के संकलन की प्रक्रिया को नीचे वर्णित किया गया है।

जन शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित प्रदत्तों का विवरण (देखें)

* विभागाध्यक्ष, मन्दसौर यूनिवर्सिटी, मन्दसौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (शिक्षा) कलिंगा यूनिवर्सिटी, नया रायपुर (छ.ग.) भारत

आगे पृष्ठ पर)**सारणी का विश्लेषण -**

1. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 80 जनशिक्षकों में से 14 प्रतिशत जनशिक्षक का चयन वृष्टिता के आधार पर हुआ, 81 प्रतिशत का काउंसलिंग के आधार पर, 03 प्रतिशत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, 02 प्रतिशत व्यवसायिक योग्यता के आधार पर हुआ।
2. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 16 प्रतिशत जनशिक्षकों को जानकारी समाचार पत्रों से मिली 68 प्रतिशत को विभागीय पत्रों से, 16 प्रतिशत को साथी शिक्षक से जनशिक्षक पद हेतु जानकारी मिली।
3. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 100 प्रतिशत जनशिक्षक के अनुसार उनका मूल पद शिक्षक है।
4. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 64 प्रतिशत जनशिक्षक के अनुसार जनशिक्षक पद पर नियुक्ति उपरांत उनको किए जाने वाले कार्यों की जानकारी विभागीय प्रशिक्षण से मिली, 15 प्रतिशत जनशिक्षकों को पूर्व में कार्यरत जनशिक्षकों से मिली, 18 प्रतिशत जनशिक्षकों को विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक द्वारा मिली, 03 प्रतिशत जनशिक्षकों को जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी से मिली।
5. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 25 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार उनकी जनशिक्षा पद पर नियुक्ति उपरांत जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं का अनुवीक्षण करते हैं, 75 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शाला अनुवीक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं।
6. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 12 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार सप्ताह में एक बार जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं का अनुवीक्षण करते हैं, 88 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार मासिक आधार पर शालाओं का अनुवीक्षण करते हैं।
7. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 02 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं के अनुवीक्षण के दौरान शिक्षकों का शिक्षण कार्य देखते हैं, 02 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार छात्रों से शिक्षण संबंध चर्चा करते हैं, 96 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शिक्षक का शिक्षण कार्य देखते हैं, छात्रों से चर्चा करते हैं और छात्रों का गृह कार्य भी देखते हैं।
8. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 52 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं का अनुवीक्षण करने से छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है, 22 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शिक्षकों की उपस्थिति नियमित हुई है, 26 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शाला से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध हो जाती है।
9. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 62 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शालाओं के सतत अनुवीक्षण करने से शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और योजना का लाभ भी हुआ है, 12 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार योजना में सुधार अपेक्षित रूप से नहीं हुआ है, 26 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार योजनाओं में आंशिक सुधार हुआ है।
10. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 91 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं के अनुवीक्षण के दौरान संस्था प्रधान से सहयोग मिलता है, 09 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार संस्था प्रधान आपसे वरिष्ठ की मानसिकता से व्यवहार करते हैं।
11. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 68 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार अनुवीक्षण की जाने वाली शालाओं के शिक्षकों का दृष्टिकोण आपके द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के प्रति सकारात्मक रहता है, 02 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार नकारात्मक रहता है, 20 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार दृष्टिकोण तो सकारात्मक रहता है लेकिन निर्देशों के प्रति नकारात्मक रहते हैं, 10 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार उनके पद तथा स्थानाकुल आपको समर्थन मिलता है।
12. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 06 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शाला अनुवीक्षण से शालाओं में नामांकन पर प्रभाव पड़ा है, 05 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शालाओं में बच्चों के ठहराव पर प्रभाव पड़ा है, 05 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शालाओं में बच्चों की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ा है, 84 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार उपरोक्त सभी कारकों पर प्रभाव पड़ा है।
13. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 14 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शाला में अनुवीक्षण के दौरान औसत रूप से शाला में पूरा दिन रुकते हैं, 45 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार आधा दिन रुकते हैं, 27 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार केवल दो घण्टे ही रुकते हैं, 14 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार थोड़ी देर रुकते हैं।
14. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 62 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शाला में अनुवीक्षण के दौरान आप ग्राम/समुदाय के लोगों से मिलते हैं, 19 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार बहुत कम मिलते हैं, 19 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार केवल S.M.D.C के सदस्यों से मिलते हैं।
15. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 30 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार जनशिक्षा केन्द्र योजना को एक प्रभावी योजना मानते हैं, 58 प्रतिशत जनशिक्षा इस योजना को एक प्रभावी शैक्षिक विकास का माध्यम मानते हैं, 12 प्रतिशत जनशिक्षक इस योजना को बहुत उपयोगी मानते हैं।
16. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 40 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के विकास में अपनी भूमिका को अत्यंत उपयोगी मानते हैं, 50 प्रतिशत जनशिक्षक एक नवाचारी सोच मानते हैं, 10 प्रतिशत जनशिक्षक इसे एक सिमित भूमिका मानते हैं।
17. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 40 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार जनशिक्षा केन्द्र शालाओं के शैक्षिक विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, 05 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शैक्षिक विकास में ज्यादा उपयोगी नहीं है, 04 प्रतिशत जनशिक्षकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

18. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 32 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार उन्हें जनशिक्षक के तौर पर कार्य करते हुवे तीन वर्ष हुए है, 03 प्रतिशत जनशिक्षक को दो वर्ष हुए है, 65 प्रतिशत जनशिक्षक को इस पद पर कार्य करते हुए चार वर्ष या चार वर्ष से अधिक हो गए हैं।

19. सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 40 जनशिक्षकों में से 32

प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार शैक्षिक विकास के संदर्भ में जनशिक्षा केन्द्र / शैक्षिक योजना का स्वरूप यथावत रखना चाहिए, 16 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार इस स्वरूप को बदलना चाहिए, 44 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार पुनर्गठन करना चाहिए और 8 प्रतिशत जनशिक्षकों के अनुसार इस योजना को समाप्त कर देना चाहिए।

जन शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित प्रदत्तों का विवरण

क्रं.	जन शिक्षक के लिए	अ	ब	स	द
1.	जन शिक्षक पद पर आपके चयन का आधार	14	81	03	02
2.	जन शिक्षक पद हेतु आपको जानकारी कैसे मिली	16	68	16	-
3.	आपका मूल पद क्या है।	100	-	-	-
4.	जन शिक्षक पद पर नियुक्ति उपरांत आपको किए जाने वाले कार्यों की जानकारी कैसे मिली।	64	15	18	03
5.	क्या जनशिक्षक पद पर नियुक्ति उपरांत।	25	-	-	75
6.	आप अपने जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं का अनुवीक्षण करते हैं।	12	-	88	-
7.	जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं के अनुवीक्षण के दौरान।	02	02	-	96
8.	आपके द्वारा जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं का अनुवीक्षण करने से।	52	22	-	26
9.	आपके द्वारा जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं के सतत् अनुवीक्षण करने से।	62	12	-	26
10.	आपके द्वारा जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं के अनुवीक्षण के दौरान।	91	-	-	09
11.	अनुवीक्षण की जाने वाली शालाओं के शिक्षकों का दृष्टिकोण आपके द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के प्रति।	68	02	20	10
12.	आपके द्वारा शाला अनुवीक्षण से	06	05	05	84
13.	शाला अनुवीक्षण के दौरान आप औसत रूप शाला में।	18	50	32	14
14.	शाला अनुवीक्षण के दौरान आप ग्राम /समुदाय के लोगो से।	62	19	19	-
15.	जनशिक्षा केन्द्र योजना को आप।	30	58	12	-
16.	प्रारंभिक शिक्षा के विकास में आप अपनी भूमिका को	40	50	10	-
17.	आपके दृष्टिकोण में जनशिक्षा केन्द्र शालाओं के शैक्षिक विकास में।	91	05	-	04
18.	जनशिक्षक के तौर पर आपको कार्य करते हुए।	-	32	03	65
19.	शैक्षिक विकास के संदर्भ में क्या जनशिक्षा केन्द्र / शैक्षिक संकुल योजना का स्वरूप।	32	16	44	08
20.	क्या जनशिक्षा केन्द्र पर शालाओं के शिक्षकों हेतु मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन।	92	06	-	02
21.	जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय बैठकों में।	05	02	02	91
22.	उक्त जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय बैठकों से।	50	14	14	22
23.	अभिभाकगण जनशिक्षा केन्द्र योजना से।	15	35	10	40
24.	क्या आप जनशिक्षा केन्द्र योजना को एक विकेन्द्रीकृत योजना मानते हैं।	70	14	06	10
25.	जन शिक्षा केन्द्र योजना जिले की दुरस्थ शालाओं तक।	25	30	20	25

शिक्षक - प्रशिक्षण महाविद्यालय के विद्यार्थियों की जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन

कविता पारीक *

प्रस्तावना - प्रकृति ने हर मनुष्य को अपार क्षमताएँ प्रदान की है। ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त इन आन्तरिक शक्तियों का उपयोग यदि व्यक्ति समग्रता से कर ले तो वह विश्व की सर्वोच्च प्रतिभा बन सकता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह सुरक्षित हाथों में होता है। रिश्तों की मजबूत डोरी उसके लिए सुरक्षा कवच बन कर तैयार रहती है, फिर भी उसे संघर्ष कहानियाँ में अपना अस्तित्व अपनी पहचान बनानी ही होती है और जीवन की संघर्षपूर्ण डंगर पर चलते हुए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

संघर्षों एवं स्वप्नों को पूरा करने में यदि कोई चीज मददगार बनती है, तो वह है व्यक्ति का आत्म दिखावा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जीवन के संघर्षों को समझने और जूझने की क्षमता उसके जीवन जीने के अन्दाज तरीके से आती है। ये सब योग्यता मानव के जीवन शैली से प्रभावित होती है।

सभी मनुष्य अपने-अपने अन्दाज से अपना जीवन जीते हैं। उनकी अपनी एक अलग जीवन शैली होती है। कुछ लोग जीवन को बिदास अर्थात् हंस्ते खेलते जीना पसन्द करते हैं। कुछ लोग गम्भीर रूप से कुछ ऐसे भी होते हैं, जो जीवन को निराशापूर्ण समझकर भी जीते हैं।

कुछ महान लोगों की जीवन शैली इतनी अच्छी होती है कि हम उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं।

एक शिक्षक की जीवन शैली का प्रभाव - शिक्षक के विश्वास चरित्र विचार और दैनिक व्यवहार का बच्चे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए उसे उन्हीं विचारों को प्रकट करना चाहिए, जिनको वह व्यावहारिक जीवन में उपयोग करता है।

गाँधीजी के शब्दों में, 'वह अध्यापक शत्रु है, जो वाणी से तो कुछ और कहें एवं हृदय में कुछ और रखें।'

एक शिक्षक की जीवन शैली बड़ी प्रभावशाली होती है और उसका विद्यार्थियों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छात्र शिक्षक के प्रत्येक कार्य को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं और जीवन में उसका अनुसरण भी करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा जितना अपने अध्यापक का कहना मानता है, उतना अपने अभिभावकों का नहीं। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी के सामने उसे मूर्त के समान प्रतीत हो।

उत्तम जीवन के लिए शिक्षक में कोई दुर्गुण न हो और उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो क्योंकि ये सभी बातें शिक्षक के जीवन का निर्माण करती हैं एवं निखारती हैं अर्थात् जितना अच्छा उसका जीवन जीने का अन्दाज होगा उतना ही प्रभाव वह छात्र के जीवन पर छोड़ेगा।

जीवन अर्थात् मानव की सम्पूर्ण जीवन शैली अर्थात् एक कला अन्दाज, तरीका।

परिभाषित रूप में मानव की जीवन जीने की कला का अन्दाज ही जीवन शैली है।

समस्या अभिकथन - 'शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय के विद्यार्थियों की जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन'

तकनीकी शब्दों की परिभाषीकरण -

महाविद्यालय स्तर - उच्च माध्यमिक के बाद महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले किशोर विद्यार्थी महाविद्यालय स्तर के अन्तर्गत आते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य -

1. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के जीविकोपार्जन जागरूकता सम्बन्धी जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी सम्बन्धी जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ -

1. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की जीवन यापन सम्बन्धी जीवन शैली में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की सामाजिक क्रियाशीलता सम्बन्धी जीवन शैली में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तुत शोध का परिसीमन - प्रस्तुत शोध को राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले तक सीमित रखा गया है तथा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से दत्त संकलन का कार्य किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन का न्यादर्श - प्रस्तुत शोध में न्यादर्श निम्न प्रकार से लिया गया है -

1. प्रस्तुत शोध में कुल 160 छात्रों को लिया गया है।
2. प्रस्तुत शोध में 80 शहरी छात्रों एवं 80 ग्रामीण छात्रों को लिया गया है।

शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण - अध्ययनकर्ता ने अपने शोध कार्य में निम्नलिखित मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया है -

- जीवन शैली मापनी एस.के. बावा (Life Style Scale) - सिमरनजीत कौर।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधियाँ -

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. टी-मान

निष्कर्ष -

परिकल्पना संख्या 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

* व्याख्याता, श्रीगंगानगर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, टांटिया विश्वविद्यालय परिसर, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि महाविद्यालय स्तर के ग्रामीण व शहरी किशोर विद्यार्थियों की जीवन-यापन सम्बन्धी जीवन शैली से सम्बन्धित दत्तों का विश्लेषण किया गया है। जिसमें ग्रामीण व शहरी किशोर विद्यार्थियों की जीवन-यापन सम्बन्धी मध्यमान व मानक विचलन तुलना में कम है। अतः इस आधार पर शोधकर्ता द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है और कहा जाता है कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के ग्रामीण किशोर छात्रों व शहरी किशोर छात्रों की जीवन-यापन सम्बन्धी जीवन शैली में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

परिकल्पना संख्या 2 (देखे)

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि महाविद्यालय स्तर के ग्रामीण व शहरी किशोर विद्यार्थियों की सामाजिक क्रियाशीलता सम्बन्धी जीवन शैली से सम्बन्धित दत्तों का विश्लेषण किया गया है। जिसमें ग्रामीण व शहरी किशोर विद्यार्थियों की सामाजिक क्रियाशीलता सम्बन्धी मध्यमान व मानक विचलन तुलना में कम है। अतः इस आधार पर शोधकर्ता द्वारा निर्मित शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है और कहा जाता है कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के ग्रामीण व शहरी किशोर विद्यार्थियों की सामाजिक क्रियाशीलता सम्बन्धी जीवन शैली में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

भावी शोध हेतु सुझाव -

1. शोधकार्य का परिसीमन क्षेत्र बढ़ाकर राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर किया

जा सकता है।

2. प्रस्तुत शोध में केवल 160 विद्यार्थियों पर ही दत्ता कार्य किया गया है। इसमें कम से कम 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाना जा सकता है।
3. न्यादर्श के आकार को बढ़ाकर एक या दो सम्भागों में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोल मेन डी. - इमोशनल इंटेलेजेंसी, न्यूयार्क (1995)
2. स्टेनन एस. जे. - इमोशनल इंटेलेजेंसी एण्ड योअर
3. पाठक, पी.डी. - शिक्षा मनोविज्ञान विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा (2008)
4. त्रिपाठी, आर.बी. - व्यक्तित्व मनोविज्ञान गंगाशरण एण्ड संस,
5. एवं सिंह आर.एम. - वाराणासी, (2000)
6. सालेवे पी. एण्ड - इमोशनल इंटेलेजेंसी, इमेजीनेशन
7. मेयर जे.डी. - फोनीटन एण्ड, पर्सनल्टी 9, (2003) 185-211
8. शोध पत्रिकाएँ
 - (1) शिक्षा चिन्तन
 - (2) नई दिशा
 - (3) अन्वेषिका

परिकल्पना संख्या - 1

आयाम	छात्र	छात्र संख्या N = 80	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मूल्य
जीवन-यापन आधारित	ग्रामीण	80	73.32	13.25	0.44
	शहरी	80	72.40	12.66	

परिकल्पना संख्या - 2

आयाम	छात्र	छात्र संख्या N = 80	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मूल्य
सामाजिक क्रियाशीलता	ग्रामीण	80	64.00	11.18	0.36
	शहरी	80	63.36	10.94	

माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन

सुमन रानी *

प्रस्तावना - भारत में नारी को पूज्य और महान् माना गया है। भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख-दुःख में छाया की भाँति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्द्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी, श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्मबलिदान द्वारा समय-समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूँढ़ा है।

यह कितनी विडम्बना की बात है कि परिवार और समाज की धुरी स्त्री की सामाजिक स्थिति को समुन्नत बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह जानते हुए कि नारी की अवहेलना का अर्थ है कि अपनी उद्भम शक्ति की अवहेलना। हमारा समाज स्त्री के विकास के लिए बहुत उत्सुक दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हमें जीवन को उर्वर और उपजाऊ बनाना आवश्यक है, उसी प्रकार यदि हमें एक अच्छे संस्कारवान, समुन्नत तथा सुशिक्षित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, तो सबसे पहले उसकी निर्मात्री स्त्री को सुशिक्षित, सम्पन्न और समुन्नत बनाना होगा।

भारतीय जीवन दर्शन स्त्री को शक्ति के प्रतिबिम्ब के रूप में देखता है तथापि सभ्यता एवं समाज के विकासक्रम में ऐसी भूल अवश्य हुई है, जिससे नारी समाज के केन्द्र से निकलकर हाशिए पर चली गई और पुरुष ने स्वयं को बेहतर घोषित कर दिया।

नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार, 'शिक्षित व प्रशिक्षित महिलाओं के बिना राष्ट्र का विकास असम्भव है। यदि मेरे देश की महिलाएँ शिक्षित नहीं हैं तो आधे नागरिक अज्ञानी हैं।'

देश की नारियों का उत्थान शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। अतः बालिका शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा समाज की एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। बालक को शिक्षा की जितनी आवश्यकता है, उसमें कहीं ज्यादा बालिकाओं को है।

हमारे देश की आधी आबादी, जो महिलाओं की है, उसमें निरक्षरता का अभिशाप होने की बीमारी लगातार चल रही है। आज भी विद्यालयों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम ही है, जबकि सभी जानते हैं कि जिस भी घर का विकास अच्छा होता है, उसमें गृहिणी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि कहा जाता है -

**'पढ़ी-लिखी माता
घर की भाग्य विधाता'**

इस प्रकार की नारी वास्तव में महिला शिक्षा की दर को आगे बढ़ाने में बड़ी कारगर भूमिका निभाती हैं।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि

'एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, जबकि एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।'

समाज की प्रथम इकाई परिवार है और परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है, परन्तु यदि घर में स्त्री शिक्षित नहीं है, तो परिवार रूपी पाठशाला बच्चे को ज्ञानवान कैसे बना सकती है, जब तक माँ शिक्षित न हो, तब तक वह अपने बच्चे को कैसे सुशिक्षित कर सकती है। वस्तुतः स्त्री शिक्षा की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए बहुत सीमा तक समाज उत्तरदायी है।

शोधकर्त्री द्वारा अपने आस-पास के वातावरण में यह देखा गया कि किसी न किसी अवरोध के कारण बालिकाएँ पढ़ाई नहीं कर पाती हैं और बाद में वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण दूसरों पर निर्भर रहती हुई अपना सारा जीवन दूसरों की खुशी में गुजार देती हैं और दूसरे उसे हमेशा उपेक्षित करते रहते हैं तो बड़ा दुःख होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्री ने बालिका शिक्षा को आवश्यक समझा और अपने लघु शोध के लिए इस समस्या का चयन किया है।

समस्या कथन - 'माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन।'

तकनीकी शब्दों की व्याख्या -

1. **माध्यमिक स्तर** - माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में 9वीं एवं 10वीं कक्षा के विद्यार्थी आते हैं।
2. **अवरोध** - वे बाधाएँ, जो कार्य की गति को रोककर रुकावट उत्पन्न करती हैं।
3. **ग्रामीण** - मानव सभ्यता का विकास गांवों से हुआ है। इन्हें गाँव, ग्राम या देहात कहा जाता है।
4. **शहरी** - शहर के लिए नगर, सिविल व अंग्रेजी में urban शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

शोध उद्देश्य -

1. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले सामाजिक अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले मनोवैज्ञानिक अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले भौतिक अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ -

1. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले सामाजिक अवरोधों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने

वाले मनोवैज्ञानिक अवरोधों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

3. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले भौतिक अवरोधों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

न्यादर्श -

1. शोधकर्त्री ने शोधकार्य के लिए न्यादर्श के रूप में श्रीगंगानगर के माध्यमिक स्तर की 200 बालिकाओं को लिया, जिसमें 100 ग्रामीण व 100 शहरी बालिकाओं को लिया⁵⁵

न्यादर्श बालिकाएँ (200)	
ग्रामीण बालिकाएँ (100)	शहरी बालिकाएँ (100)

अध्ययन विधि - प्रस्तुत शोध में अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

उपकरण - न्यादर्श चयन के पश्चात् मुख्य कार्य तथ्य संकलन हेतु उपयुक्त उपकरणों का चुनाव करना होता है। इसके लिए शोधकर्त्री ने स्वनिर्मित जाँच सूची तैयार की।

प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधियाँ - प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया है।

1. मध्यमान
2. प्रमाणिक विचलन
3. टी-मूल्य

निष्कर्ष -

परिकल्पना 1 - (देखें)

निष्कर्ष - माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले सामाजिक अवरोधों में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना 2 (देखें)

निष्कर्ष - माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले मनोवैज्ञानिक अवरोधों में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना 3 (देखें)

निष्कर्ष - माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले भौतिक अवरोधों में सार्थक अन्तर है।

भावी शोध हेतु सुझाव -

1. प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
3. ग्रामीण व शहरी बालकों की शिक्षा में आने वाले अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
4. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी बालकों की शिक्षा में आने वाले अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ढोढियाल, एस.एस. - 'शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र' पाठक, ए.बी. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर (2004)
2. श्रीवास्तव, डी.एन. - 'अनुसंधान विधियाँ' (2002) साहित्य प्रकाशन, आगरा
3. पाठक, पी.डी. - 'भारतीय शिक्षा की समस्याएँ एवं नई प्रवृत्तियाँ' (2008) शिक्षा प्रकाशन, जयपुर
4. पचौरी, शिक्षा - 'उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक' (2005) इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ

परिकल्पना - 1

माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले सामाजिक अवरोधों में सार्थक अन्तर है।

क्रं.सं.	चर	संख्या	स्वातन्त्र्य संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएँ	100	198	12.15	5.18	9.00	0.01
2.	शहरी क्षेत्र की बालिकाएँ	100		7.38	1.32		

परिकल्पना - 2

माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले मनोवैज्ञानिक अवरोधों में सार्थक अन्तर है।

क्रं.सं.	चर	संख्या	स्वातन्त्र्य संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएँ	100	198	6.90	3.17	4.94	0.01
2.	शहरी क्षेत्र की बालिकाएँ	100	5.17	1.51			

परिकल्पना - 3

माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले भौतिक अवरोधों में सार्थक अन्तर है।

क्रं.सं.	चर	संख्या	स्वातन्त्र्य संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएँ	100	198	6.59	3.36	4.25	0.01
2.	शहरी क्षेत्र की बालिकाएँ	100	5.06	1.53			

शैक्षिक तकनीकी - अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं शिक्षक के लिए उपयोगिता

नीरज शर्मा * डॉ. किरण पारीक **

प्रस्तावना - आज विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम इनका उपयोग देखते व सुनते हैं। आज समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में विज्ञान एवं तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। आज बढ़ते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रभाव ने व्यक्तियों का दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक बना दिया है। इसी तारतम्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई विधा का जन्म हुआ, जिसे 'शैक्षिक तकनीकी' के नाम से जाना जाता है।

शैक्षिक तकनीक दो शब्दों से मिलकर बना है- शिक्षा और तकनीकी। शिक्षा बालक को नये-नये अनुभव प्रदान कर इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण से समायोजन कर अपनी निहित शक्तियों का विकास करते हुए अपनी योग्यतानुसार परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। तकनीकी से तात्पर्य - दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधि।

अतः स्पष्ट है कि शिक्षा एवं तकनीकी परस्पर घनिष्ठ रूप से एक-दूसरे से सम्बन्धित है। शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों में शोधन व परिमार्जन कर उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती है, जबकि तकनीकी मूल प्रवृत्तियों में शोधन और परिमार्जन कर उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए दिशा-निर्देश, प्रक्रिया, प्रणाली, ढंग या विधि प्रदान करता है।

'शैक्षिक तकनीकी' शब्द शिक्षा जगत में अपेक्षतया एक नया प्रत्यय है। 'शैक्षिक तकनीकी' शब्द आंग्ल भाषा के Educational Technology का हिन्दी रूपान्तर है। आज शैक्षिक तकनीकी, शिक्षा के मात्र दृश्य-श्रव्य सामग्री के उपयोग तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षण-अधिगम की विभिन्न तकनीकियाँ एवं प्रयोगों का भी समावेश हो गया है।

शैक्षिक तकनीकी - परिभाषाएं -

भारतीय शिक्षा शास्त्री डॉ० कुलकर्णी के शब्दों में 'विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों एवं नये-नये आविष्कारों को शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी के रूप में जाना जाता है।'

जे. पी. हैसीको के अनुसार, 'अधिगम के मनोविज्ञान का व्यावहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अधिगम एवं शिक्षण के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का व्यावहारिक उपयोग है, जिसके माध्यम से उसे अधिक प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है।

शैक्षिक तकनीकी के स्वरूप - शैक्षिक तकनीकी को लुम्सडेन के अनुसार, सामान्यतः तीन रूपों में विभाजित एवं वर्णित किया जा सकता है-

1. **शैक्षिक तकनीकी I या कठोर उपागम (Hardware Approach)**
2. **शैक्षिक तकनीकी II या कोमल उपागम (Software Approach)**
3. **शैक्षिक तकनीकी III या प्रणाली विश्लेषण (System Analysis)**

उपरोक्त तीनों उपागमों में से शैक्षिक तकनीकी ख को आज विद्यालयों में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसके प्रादुर्भाव का मुख्य आधार भौतिक विज्ञान है। इसके अनुसार शिक्षण को यदि अधिक प्रभावशाली बनाना है तो हमें उसमें अधिक से अधिक दृश्य-श्रव्य सामग्री या तकनीकी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बालक के सीखने में जितनी अधिक ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग होगा, शिक्षण उतना ही अधिक स्थायी एवं प्रभावशाली होगा अर्थात् ज्ञान उतना ही अधिक स्थिर होगा। इस उपागम के अन्तर्गत दृश्य-श्रव्य सामग्री के उपयोग के कारण ही इसे 'दृश्य-श्रव्य उपागम' के नाम से जाना जाता है।

शैक्षिक तकनीकी ख के अन्तर्गत रेडियो, ट्रांजिस्टर, चलचित्र, दूरदर्शन, टेपरिकार्डर, टेप-स्लाइड, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, वीडियो टेप, भाषा प्रयोगशाला, शिक्षण मशीने आदि सभी का उपयोग शिक्षण रूप में पाठ्य-वस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इस यंत्रीकरण के द्वारा आज कम से कम समय में अधिक से अधिक छात्रों को कम धन के आधार पर प्रशिक्षित किया जाना संभव हो सका है।

इस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया के इस यंत्रीकरण को शैक्षिक तकनीकी ख/ हार्डवेयर उपागम कहते हैं। सिल्वरमैन ने इसे 'सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी' की संज्ञा दी है।

शैक्षिक तकनीकी का महत्व - जनसंख्या एवं ज्ञान के विस्फोट ने शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी के प्रवेश को आसान बना दिया है। आज शैक्षिक तकनीकी के प्रवेश को अनिवार्य सा बना दिया है। आज शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। शैक्षिक तकनीकी के उपयोग के प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं-

1. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली एवं सार्थक बनाने में शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख योगदान है।
2. शैक्षिक तकनीकी की सहायता से पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रयोग शैक्षिक प्रगति में सफलतापूर्वक किया जाता है। जैसे-अभिक्रमिit अनुदेशन की सहायता से इस पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
3. शैक्षिक तकनीकी अनौपचारिक साधनों को शिक्षा के प्रसार में अधिकाधिक बल देती है। उदाहरणार्थ- आज हम रेडियो, टेलीविज़न या टेपरिकार्डर आदि के माध्यम से बहुत दूर बैठे व्यक्तियों को रोचक,

* शोधार्थी (शिक्षा) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) भारत

** निर्देशिका, एस. एस. जी. पारीक कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, जयपुर (राज.) भारत

तथ्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण तथ्यों की जानकारी देकर उन्हें शिक्षित कर सकते हैं।

4. शैक्षिक तकनीकी ने अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी सहायता से अध्यापक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे- सूक्ष्म शिक्षण एवं अनुरूपित शिक्षण आदि।
5. शैक्षिक तकनीकी द्वारा महान व्यक्तियों एवं शिक्षाविद् के विचारों को मौजिक रूप में संचित करके समय एवं आवश्यकतानुसार समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है।
6. शैक्षिक तकनीकी की सहायता से शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाकर निरक्षरता को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार इसकी सहायता से प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार भी आकर्षक एवं रूचिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है।

शैक्षिक तकनीकी की शिक्षक के लिए उपयोगिता - शैक्षिक तकनीकी का सम्पूर्ण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक ऐसी तकनीकी है, जो कि सम्पूर्ण शिक्षण को प्रभावपूर्ण, अधिगम को सुग्राही एवं सुरुचिपूर्ण बनाती है। अतः यह शिक्षक के लिए निम्न प्रकार से लाभप्रद हो सकती है-

1. शैक्षिक तकनीकी शिक्षक की पाठ प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित एवं सामयिक परेशानियों को दूर करने में सहायता करती है।
2. शैक्षिक तकनीकी छात्र के शिक्षण एवं अधिगम सम्बन्धी उद्दीपक एवं अनुक्रिया प्रदान करके, शिक्षक की गुणात्मक योग्यता का कई गुना विस्तार करती है।
3. शैक्षिक तकनीकी की सहायता से शिक्षक को छात्रों के लिए उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
4. शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को ऐसे साधन उपलब्ध कराती है जो कि उसके छात्रों के ज्ञान एवं अनुभव की अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
5. शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को ऐसे मनोरंजनपूर्ण आधार प्रदान करती

है, जो कि छात्रों को विभिन्न विविधतापूर्ण प्रक्रियाओं में सम्मिलित करने का प्रयास करती है।

6. शैक्षिक तकनीकी, शिक्षक को ऐसे साधन देने का प्रयास करती है, जो कि उपचारात्मक शिक्षण, अनुसंधान तथा तदुपरान्त कार्यों में सहायक होता है।

निष्कर्षत - हम यह कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी एक वृहद विषय है, जो शिक्षण-प्रशिक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को व्यवस्थित करके उसे प्रभावशाली बनाती है ताकि इसके माध्यम से शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य शिक्षक, शिक्षार्थी एवं अधिगम के बीच समायोजन स्थापित कर शिक्षण कार्य को अधिक सरल एवं स्पष्ट बनाना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल जे.सी. (2008), शैक्षिक तकनीकी प्रबंध एवं मूल्यांकन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कक्षाकक्ष प्रबंधन।
2. डॉ० बघेला एच.एस. शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कक्षाकक्ष प्रबंधन, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर।
3. जटी सुनन्दा, एडवान्स एजुकेशन टेक्नोलोजी साहित्य प्रकाशन, आगरा।
4. डॉ० मिश्रा डी.सी. (2007), शैक्षिक तकनीकी के सारभूत तत्व एवं प्रबंधन, साहित्य प्रकाशन, आगरा-282003
5. डॉ० (श्रीमती) सांखला डी.पी. (2007), एजुकेशनल टेक्नोलोजी, अध्यापन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली-110002
6. डॉ० सिंह रामपाल (2008), शैक्षिक तकनीकी एवं मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-2

पत्र-पत्रिका

1. राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका।
2. नई शिक्षा।
